

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
की धारा-4 (1) (ख) के अन्तर्गत मैनुअल
(मैनुअल बिन्दु-1 से 17)
(दिनांक 31 मार्च, 2023 तक अद्यतन)

“निर्वाचन भवन” ग्राम लाडपुर,
मसूरी बाईपास (रिंग रोड),
देहरादून।

विषय सूची

क्र० सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	मैन्युअल-1 (अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य)	1-15
2.	मैन्युअल-2 (अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य)	16-18
3.	मैन्युअल-3 (विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं)	19-21
4.	मैन्युअल-4 (अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान)	22
5.	मैन्युअल-5 (अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख)	23-245
6.	मैन्युअल-6 (ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण)	246-324
7.	मैन्युअल-7 (किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अन्यायवेदन के लिए विद्यमान हैं)	324
8.	मैन्युअल-8 (ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण)	324
9.	मैन्युअल-9 (अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका)	325-328
10.	मैन्युअल-10 (अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिभार की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो)	329-330
11.	मैन्युअल-11 (सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट)	331-390
	मैन्युअल-12 (सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसी कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं)	391
13.	मैन्युअल-13 (अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां)	392
14.	मैन्युअल-14 (किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों)	393
15.	मैन्युअल-15 (सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं)	394
16.	मैन्युअल-16 (लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां)	395
17.	मैन्युअल-17 (ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए)	396

मैनूअल-1(राज्य निर्वाचन आयोग की विशिष्टता-कृत्य और कर्तव्य)

विशिष्टता:- संविधान में किये गये 73वें व 74वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों व नगर स्थानीय निकायों को संवैधानिक अस्तर प्रदान किया गया है। उक्त संस्थाओं के स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन कराये जाने हेतु भारत का संविधान के अनुच्छेद-243C में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। पंचायतों एवं नगर निकायों के लिये कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों और पदावधि (परिशिष्ट संख्या-1) राज्यपाल द्वारा अवधारित होंगी। परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलासकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुरोध किये जाने पर राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारीवृन्द उपलब्ध कराये जाएंगे, जितने राज्य निर्वाचन आयोग को सँपे गये कृत्यों के लिए आवश्यक हों। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की स्थापना दिनांक 30 जुलाई, 2001 को की गयी।

माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल

क्र. सं.	नाम	अवधि		शासन की अधिसूचना संख्या व दिनांक
		कब से	कब तक	
1	2	3	4	5
1.	श्री दुर्गेश जोशी (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	30.06.2001	18.01.2005	संख्या-287/व.एच.प्रा.वि.पं.राज शाखा/2001 दिनांक 30.06.2001
2.	श्री आर.के. वर्मा (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	18.01.2005	03.04.2008	संख्या-61-पं०/XII/05/2004-05 दिनांक 15.01.2005
3.	श्री विपिन चन्द्र चंदोला (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	04.04.2008	17.09.2010	संख्या-169/XII/09/92(01)08 दिनांक 03.04.2008
4.	श्री हरिश्चन्द्र जोशी (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	18.09.2010	15.08.2013	संख्या-748 (ii)XII/10-92(01)08टी०सी०-1 दिनांक 18.09.2010
5.	श्री सुयुद्धन (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	04.09.2013	16.06.2018	संख्या-2136/XII/13(06) दिनांक 04.09.2013
6.	श्री चन्द्रशेखर भट्ट (आई.ए.एस. सेवा निवृत्त)	11.07.2018	कार्यरत	संख्या-913/XII(1)/2019/84(06)/2013 दिनांक 09.07.2018

②

उत्तरांचल शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग
संख्या-558-(10)/पं0ग्रा0अभि0अ0/2002
देहरादून : दिनांक 02 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अन्तर्गत उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सक्षम में लागू विधि को आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूल तथा उपांतर कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो;

चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों) नियमावली, 1994 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 88 के अधीन उत्तरांचल राज्य में लागू हैं;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या-29 सन, 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों) नियमावली, 1994 की उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन लागू रहेगा:-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों) नियमावली, 1994 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ (1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों) नियमावली, 1994 अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 कहलावेगा।
2. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. 'उत्तर प्रदेश' के स्थान पर 'उत्तरांचल' पढ़ा जायेगा। (2) उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों) नियमावली, 1994 में जहाँ-जहाँ शब्द पद 'उत्तर प्रदेश' आया है, वहाँ शब्द 'उत्तरांचल' के रूप में पढ़ा जायेगा।

संजीव घोषडा,
सचिव

संख्या: 558-(10)/पंचायतीराज अनुभाग/2002 दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. मुख्य सचिव, उत्तरांचल।
3. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की हरिद्वार को इस आशय से कि उक्त को गजट में प्रकाशित कर इसकी 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

हरिश्चन्द्र जोशी,
अपर सचिव

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों)
नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त)

सचिवान के अनुच्छेद 308 के परन्तुक के साथ पठित सचिवान के अनुच्छेद 243-ट द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश में पंचायत राज और स्थानीय निकाय के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्ति और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

अध्याय एक
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) (नियुक्ति और सेवा की शर्तों) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य राज्यपाल से है,

(ख) 'आयुक्त' का तात्पर्य आयोग के आयुक्त से है,

(ग) 'आयोग' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत राज और स्थानीय निकाय) से है,

(घ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(ङ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

अध्याय दो
नियुक्ति

3. आयुक्त की नियुक्ति- आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी:

परन्तु आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, यदि वह पहले से सरकारी सेवा में है, तब तक आयुक्त का पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उसने उस सेवा से त्याग पत्र न दे दिया हो या सेवा निवृत्त न हो गया हो जिसमें वह सेवारत था।

4. पदावधि- आयुक्त पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु किसी आयुक्त द्वारा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वह अपना पद धारण नहीं करेगा।

5. अर्हताएँ और पात्रता- किसी व्यक्ति को आयुक्त के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि वह केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव या उससे उच्च स्तर का कोई अधिकारी हो और उसने जिला मजिस्ट्रेट या मण्डल आयुक्त का पद अवश्यक धृत किया हो और सचिवालय में कोई ज्येष्ठ प्रशासकीय पद धृत किया हो।

अध्याय तीन
वेतन भत्ते

6. वेतन और भत्ते- (1) आयुक्त के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को उसके पैतृक विभाग में अनुमन्य वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

(2) कोई व्यक्ति जो सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो और उसे आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाय तो उसे वह विकल्प प्राप्त होगा कि यह या तो पेंशन की कुल धनराशि श्रृण अन्तिम आहरित वेतन के सिद्धांत पर अपना वेतन और भत्ते या 8000 रुपये प्रतिमास वेतन और भत्ते, जो अनुमन्य हो, आहरित करे।

(3) आयुक्त को किराया मुक्त आवास की सुविधा होगी और यदि ऐसा आवास उपलब्ध न हो तो वह सरकार द्वारा अपने समूह 'क' के कर्मचारियों के संरक्ष में समय-समय पर निर्धारित दरों पर मकान किराया भत्ते का हकदार होगा:

परन्तु किराया मुक्त आवास की सुविधा तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक आयुक्त इस रूप में अपना पद धारण करेगा और ऐसे पद पर न रह जाने के एक मास की अवधि के भीतर वह आवास को खाली करने के लिए बाध्य होगा।

अध्याय चार
प्रकीर्ण

7. अवकाश-आयुक्त ऐसे समस्त अयकश के हकदार होंगे जो सरकार के समूह 'क' के कर्मचारियों के लिए अनुमत्य है।
8. पेंशन-आयुक्त के अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर अपने पैतृक विभाग में लागू नियमों या विनियमों के अधीन उसे अनुमत्य सेवा नियुक्ति लाभ का हक होगा।
9. चिकित्सा सुविधाएं-आयुक्त को ऐसी चिकित्सा सुविधा का हक होगा जो सरकार के समूह 'क' के कर्मचारियों को अनुमत्य है।
10. अन्व विषयों का विनियमन-ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों आयुक्त राज्य के कार्य-कलाप के संबंध में सेवारत समूह 'क' के सरकारी सेवकों पर सामान्यतया तत्समय लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

6

उत्तराखण्ड शासन

संख्या 085/XII/2012/82 (86)/2005

प्रेषक,

अरुण कुमार डीरियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

पंचायती राज अनुभाग

देवरायन दिनांक-16 जून, 2012

विषय- राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड का स्वीकृत ढाँचे का पुनर्गठन
पत्रोदय.

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती एवं स्थानीय निकायों के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन कराने के उद्देश्य से सात-अदेश संख्या 245पी0/प्रि0वि0आ0र0ए0 एवं पंचवतीराज/2001 दिनांक 30 जुलाई, 2001 तथा सात-अदेश संख्या 352 पी0/वाप्र0अ0वि0आ0र0ए0/2001 दिनांक 05 नवम्बर, 2001 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग में सकल कार्य संचालन हेतु मुख्यतः चार कार्य की अभिकल्प एवं त्रिस्तरीय पंचायतों तथा नागर स्थानीय निकायों व जिला योजना समितियों के सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन आदि कार्य कराये जाने के दृष्टिकोण राज्य निर्वाचन आयोग के ढाँचे को पुनर्गठित करने एवं उत्तराखण्ड सचिवालय की भूमिका बढ़ा कर समान पदनाम परिवर्तित करके हुए राज्य निर्वाचन आयोग के विभागीय ढाँचे में निम्नलिखित पदों के सृजन की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड (मुख्यालय) की पुनर्गठन संरचना

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान रु०	स्वीकृत पदों की संख्या	अव्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	राज्य निर्वाचन आयुक्त	80,000 नियत	01	—
2.	सचिव	37400-67000+8000	01	—
3.	उपायुक्त	37400-67000+8000	01	—
4.	संयुक्त सचिव	37400-67000+6700	01	—
5.	उप सचिव	15600-39100+7600	01	राज्य सरकार के समान विभागों के कार्यालय से प्रतिनिधित्वित पर भरा जायेगा
6.	उप सचिव (लैन्डा)	15600-39100+7600	01	वित्त लेखा संघर्ष से भरा जायेगा
7.	अनु सचिव	15600-39100+6800	01	अनुभाग अधिकारी से पदोन्नति द्वारा
8.	सहायक आयुक्त	15600-39100+5400	02	01 पद पदोन्नति से एवं 01 पद प्रतिनिधित्वित द्वारा
9.	अनुभाग अधिकारी	9300-34800+1800	03	—
10.	मिजी सचिव	9300-34800+1800	02	—
11.	समीक्षा अधिकारी	9300-34800+1800	06	—

7

7

d

(2)

1	2	3	4	5
12.	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	9300-34800+4600	01	—
13.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	9900-34800+4200	01	बाह्य स्रोत से
14.	वैयक्तिक सहायक / अपर निजी सचिव	8300-34800+4800	03	—
15.	सहायक समीक्षा अधिकारी	9300-34800+4200	03	—
16.	टंकक / डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200+1900	04	—
17.	वाहन चालक	5200-20200+1900	02	बाह्य स्रोत से
18.	जर्दारी / चपरासी / चौकीदार / स्वच्छक	5200-20200+1900	10	बाह्य स्रोत से
19.	स्वच्छक	5200-20200+1900	01	बाह्य स्रोत से
योग			45	

2. उपरोक्त तालिका के क्रमांक-8 पर उल्लिखित सहायक आयुक्त के पदों में से 01 पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जावेगा तथा 04 पद सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरा जावेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-19 के अन्तर्गत लेखा प्रीशेड-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-09-आवकजनेसर-800-अन्य धिय-00-06-राज्य निर्माण आवास (पंचायत एवं स्तानीय विकास आदि) के नामे खर्चा करेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के आवासकीव संख्या 681 / (NRYX)XVII-8 / 2010, दिनांक-13 जून, 2012 में प्राप्त संनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

आज्ञा से,

अरुण कुमार चौधवाल,
सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 28-7-2012, पान-1 में प्रकाशित।
प्रतिलिपि सुबन्ध प्रेषित—।
वीएचओए (आरएड) 68 निर्वाचन/679-1-9-2012-180 (कम्प्यूटर/रीजिस्ट्री)।

उत्तराखण्ड शासन

पंचायतीराज अनुभाग-1

संख्या- /XII/2013/92(00)/2005,टीसी-1/2013

देहरादून दिनांक: 10 अक्टूबर,2013

कार्यालय-आदेश

शासनादेश संख्या-685/XII/2012/92(06)/2005, दिनांक 15 जून,2012 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की स्वीकृत ढाँचे का पुनर्गठन किया गया था, के कपाक-3 पर उल्लिखित उपायुक्त, वेतनमान रु0 37000-67000 ग्रेड वेतन रु0 8900 पे बैंड-4 पर सम्यक विचारोपरान्त इस प्रतिबंध के साथ संशोधित किया जा रहा है कि, उपायुक्त पद वेतन बैंड-3, वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन रुपये 7600, सहायक आयुक्त के पद से निर्धारित प्रक्रियानुसार पदोन्नति द्वारा भरा जाय।

2- यह आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत लागू रहेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-879/(NP) XXVII-1/2010, दिनांक 01-10-2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या- 2337 /XII/2013/92(00)/2005,टीसी-1/2013 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, सचिव महामहिम श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड।
- ✓ 2. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड को राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड व अवलोकनार्थ ।
3. महालेखाकार, जोबरस्य भवन भाजरा रोड देहरादून।
4. निजी सचिव, या0 पंचायतीराज मंत्री उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ ।
6. प्रमुख सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास खाखा उत्तराखण्ड ।
7. निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

अनु. से
(विनोद फोनिया)
अनु सचिव

संख्या - 605 / IV(1) / 2013-26 (NY) / 2013

प्रेषक,

एम०एच०खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 31 अक्टूबर, 2013

विषय: राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन जनपद स्तर पर सृजित पदों को स्थाई किये जाने विषयक।

महोदय,

संपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-776/9-1-96-25 ई/94 दिनांक 05 फरवरी, 1998 के अनुक्रम में अपने पत्र संख्या-801/रा.नि.आ-1/05/2001 दिनांक 27 जून, 2013 के सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त शासनादेश दिनांक 06 फरवरी, 1998 के माध्यम से पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के समय-समय पर होने वाले निर्वाचन कार्य हेतु प्रत्येक जनपद में अस्थाई रूप से निम्नानुसार पदों का सृजन किया गया:-

क्रम संख्या	पदनाम	स्थाई किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान
1	2	3	4
1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	1	8300-34800+4200
2.	कनिष्ठ सहायक	2	5200-20200+2800
3.	कनिष्ठ सहायक	2	5200-20200+2000
4.	घण्टाखी/चौकीदार	2	5200-20200+1800

2:- उक्त क्रम में तदसमय से आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त पदों की निरन्तरता अवधि समय-समय पर शासन द्वारा बढ़ाई गई है। क्योंकि प्रश्नगत कार्य स्थाई प्रकार का है तथा संविधान में की गई व्यवस्था के अनुरूप भविष्य में भी पंचायतों एवं स्थानीय निकायों का चुनाव निरन्तर चलता रहेगा। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-118/XXVII(7)/2008 दिनांक 31 अगस्त, 2008 में प्रशासकीय विभाग को स्थाईकरण के अधिकार दिये गये हैं।

3:- अतः उपरोक्तानुसार पदों की आवश्यकता के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सलग्न तालिका के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन जनपद स्तर पर सृजित प्रति जनपद 07 विभिन्न पदों (अर्थात् कुल 81 पदों) को स्थाई घोषित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4:- उक्त के अतिरिक्त सूचित है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-877/XXVII(7)क0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च, 2011 के अनुसार ₹ 1800/- ग्रेड पे.

पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद रिक्त ही समाप्त होते जाएंगे अर्थात् समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिये सम्प्रति उपरोक्त ₹ 1800/- ग्रेड पे का एकमात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में कर्तव्य श्रेणी के किसी भी पद पर नियमित भर्ती/नियुक्ति नहीं की जायेगी। समूह 'घ' के कार्य तथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाएंगे।

संज्ञानक:- यशोपरि।

भवदीय

(Signature)

(सुभाष चन्द्र)

प्रमुख सचिव।

संख्या :- /IV(1)/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित व्यक्तियों के समक्ष एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अध्यक्ष गढ़वाल मण्डल/सुभाष मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकवोही, उत्तराखण्ड, मन्सूर, देहरादून।
3. समस्त क्षेत्राधिकारी/परिचय कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. बजट राजस्ववेपीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निवेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. गार्ड पञ्चवती हेतु।

आज्ञा से,

(Signature)

(सुभाष चन्द्र)

उपसचिव।

संलग्नक

शासनदेश संख्या- 605/IV(1)/2013-26(NV)/2002 दिनांक 31 अक्टूबर 2013 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के अधीन जनपद स्तर पर स्थायी किये गये पदों का विवरण-

क्रम संख्या	पदनाम	स्थायी किये जाने पदों संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनदेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अनिश्चिंत स्थायीकरण तथा उसके बाद रूप से सुविद्ध हुआ था	अनुशिक्षा यदि कोई हो	
1	2	3	4	5	6	7
1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	13	8300-34900+4200	शासनदेश संख्या 603/IV (1) 2013-26 (निविदा) / 02 दिनांक 22 मार्च 2013		
2.	वरिष्ठ सहायक	26	5200-20200+2800			
3.	कनिष्ठ सहायक	26	5200-20200+2000	1-96- 25-ई / 94 दिनांक 05 फरवरी, 1996		
4.	चपरासी/बोकीदार	26	5200-20200+1800			

नोट- उपरोक्त पद-समूह 13-जनपदों में सुविद्ध/स्वीकृत अस्थायी पदों का है-अर्थात् जनपद का विवरण निम्नानुसार है-

1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	-	01 पद (प्रति जनपद)
2.	वरिष्ठ लिपिक	-	02 पद (प्रति जनपद)
3.	कनिष्ठ लिपिक	-	02 पद (प्रति जनपद)
4.	चपरासी/बोकीदार	-	02 पद (प्रति जनपद)
	योग	-	07 पद (प्रति जनपद)

(Signature)

उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख सचिव,

राज्यी विकास विभाग,

उत्तराखण्ड शासन।

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग-3

संख्या-230एम.एन./33-3-1995
तारखः दिनांक 14 फरवरी, 1995

120
संलग्नक-1

कार्यालय-ज्ञाप
=====

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल
शिक्षारीय पंचायतों के अतिरिक्त कार्य करने के निमित्त जिला पंचायत राज
अधिकारी जो पदेन सह एक जिला नियुक्ति अधिकारी भी हैं के कार्यालय में
प्रति जनपद एक कनिष्ठ लिपिक और एक उपरासी/घांकीदार के पद की
स्वीकृति देते हैं और इस निमित्त निम्नलिखित अस्थाई पदों को उनके सम्बुद्ध
अंकित संख्या तथा वेतन क्रम में शारदा सहायक कमाण्ड के शरणाग्र स्टाफ के
समायोजन द्वारा नियुक्ति की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 1995 तक के लिये
सृजित करने की सहमति स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं०	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	कनिष्ठ लिपिक	950-20-1150	दोस्तो- 25-1500-	प्रत्येक जनपद में एक कनिष्ठ लिपिक
2.	उपरासी/घांकीदार	750-12-870	दोस्तो-14- 940	एक उपरासी/ घांकीदार तैनात किया जायेगा।

2- अधोहस्ताक्षरी को यह भी कहने का निदेश हुआ है कि चूंकि शारदा
सहायक समादेश क्षेत्र परिवोजना में पर्याप्त शरणाग्र स्टाफ है इसलिए श्री राज्यपाल
आदेश देते हैं कि उपरि सृजित पदों को शारदा सहायक परिवोजना के शरणाग्र
स्टाफ से भरा जाय और इस प्रयोजनार्थ शारदा सहायक समादेश क्षेत्र परिवोजना
में कनिष्ठ लिपिक के पद तथा उपरि उल्लिखित पदों के 65 पदों को पद
सहित स्थापना करित किया जाता है।

3- उक्त पदों में से क्रमांक 1 पर उल्लिखित पद पर 3090 पंचायत
अधीनस्थ लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1979 की व्यवस्था लागू होगी।

4- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत
आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हो, दिए होंगे।

उपरोक्त पदों पर काम करना व्यवस्थित संख्या-14 के अन्तर्गत
 लेखाधीन 2515-अन्य आय विभाग का क्रम-आयोजना-800-अन्य आय-
 राज्य निर्माण आयोग के अन्तर्गत सुसंगत प्रशासनिक सुविधाओं के नामे काम
 बाधेगा ।

6-- यह आदेश गिरा विभाग के आदेशकी संख्या-3-2-109 दिनांक
 13.2.95 में सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

दो
 देवेन्द्र स्वयं
 अनु सचिव ।

संख्या-250एम. एम. 11/53-3-1995, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुनार्थ एवं आदेशक कार्यालयों हेतु

प्रेषित :-

- 11 महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
- 12 सचिव, राज्य निर्माण आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 13 उत्तर प्रदेश मण्डल मुख्यालय/विभाग अधिकारी, लखनऊ ।
- 14 उत्तर प्रदेश मण्डल अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 15 निदेशक, परिवहन राज्य लखनऊ, लखनऊ ।
- 16 सहायक उप निदेशक (परिवहन) लखनऊ ।
- 17 उत्तर प्रदेश मण्डल मुख्यालय राज्य अधिकारी, लखनऊ ।
- 18 आयुक्त एवं प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक आदेश क्षेत्र परिचालना, जवाहर
 भवन, लखनऊ ।
- 19 सचिव, संबंधित विभाग ।
- 10 विभाग प्रमुख निदेशक अनुभाग-2

दो
 देवेन्द्र स्वयं
 अनु सचिव ।

विधि प्रशासना

संख्या-3513/33-3-99-14-राजिजा/99

प्रेषक,

राजकुमार,
विधि सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

19

सेवा में,

- 1- सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- 2- निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश लखनऊ

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 1999

विषय:- भारत सहायक कमाण्डरिया के तहत 65 लिपिक तथा 65 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण विषयक।

माग

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय डाप संख्या-230एम0एम0/33-3-1995, दिनांक 14 फरवरी, 1995 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्यालय डाप द्वारा प्रदेश के 65 जनपदों हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य के लिए सूचित 65 कनिष्ठ लिपिक तथा 65 उपराशी/वीकीदार के पदों पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग का रहेगा तथा इन पदों पर निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा।

2- इस सम्बंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्यालय डाप दिनांक 14 फरवरी, 1995 में, इतिहास पुस्तक-3 में दी गई व्यवस्था को सततता निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू समझे जायेंगे।

सचिव,

HO

राजकुमार
विधि सचिव

13

के।

98

2. कृत्य और कर्तव्य—

1. राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड (मुख्यालय)

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड का मुख्यालय, देहरादून में स्थापित है, जिसका कार्यालय "निर्वाचन भवन" ग्राम लाडपुर, मसूरी बाईपास (रिंग रोड़), देहरादून में स्थित है।

भारत का संविधान 73 वें तथा 74 वें संशोधन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं नागर स्थानीय निकायों के सभी निर्वाचनों के लिये निर्वाचक नामावतियों को तैयार कराने तथा उक्त संस्थाओं के पदाधिकारियों के समस्त निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का संवैधानिक उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत तथा स्थानीय निकाय) में निहित है।

निर्वाचक नामावली किसी भी निर्वाचन की आधारशिला होती है, यह नामावली जितनी परिपूर्ण सही तथा दोष रहित होगी उतनी ही निष्पक्ष, स्वतंत्र तथा शान्तिपूर्ण निर्वाचन की अपेक्षा की जा सकती है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए भारत का संविधान के अनुच्छेद-243-“ट” एवं अनुच्छेद 243 य क तथा तदनुसरण में लागू किये गये उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 तथा उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाअनुकूलित एवं उपान्तरित) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत/नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावतियों को तैयार करवाये जाने एवं सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का संवैधानिक दायित्व निर्वहन करते हुए 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर स्थानीय निकायों के समस्त निर्वाचनों का संचालन किया जा रहा है।

2. पंचस्थानि चुनावालय (जनपद स्तर)

राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन राज्य के प्रत्येक जनपद में आयोग को एक कार्यालय स्थापित किया गया है जिसे पंचस्थानि चुनावालय नाम दिया गया है। जिसका मुख्य कार्य आयोग से प्राप्त निर्देशों एवं आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए निर्वाचक नामावतियों का पुनरीक्षण (विस्तृत एवं संक्षिप्त पुनरीक्षण) एवं सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन सम्पन्न कराना है। इसके अतिरिक्त पंचस्थानि चुनावालय में कार्यरत कर्मिकों के स्थापना सम्बन्धी समस्त कार्यों का भी सम्पादन किया जाता है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी को आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत तथा स्थानीय निकाय) नामित किया गया है जिनके नियंत्रण एवं निर्देशन में उक्त समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं। जिलाधिकारी द्वारा अपनी सहायता हेतु तथा पंचस्थानि चुनावालय के कार्यों के सुगम संचालन हेतु एक प्रभारी अधिकारी नामित किया जाता है। पंचस्थानि चुनावालय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) एवं प्रभारी अधिकारी के नियंत्रण निर्देशन में उपर्युक्त कार्य सम्पादित करता है।

मैनुअल-2

अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

राज्य निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन क्षेत्र:- सर्विधान का अनुच्छेद 243-ट के अनुसार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर स्थानीय निकायों के और जिला योजना समिति अधिनियम-2007 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिला योजना समितियों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। अतः इन निर्वाचनों को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से सम्पादित कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्यालय एवं जिला स्तर पर पंचास्थानि चुनावालय हेतु विभिन्न पद सृजित किये गये हैं। सृजित पदों पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्यों का विवरण निम्नवत है:-

राज्य निर्वाचन आयोग (मुख्यालय)

क्र.सं.	पदनाम	शक्तियाँ और कर्तव्य
1	2	3
1.	माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त	त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर स्थानीय निकायों और जिला योजना समितियों के समस्त निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण।
2.	सचिव	सामान्यतः राज्य निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक कार्य एवं मा० राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सौंपे गये दायित्व। वर्तमान में पद रिक्त।
3.	संयुक्त सचिव	सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के लिंक अधिकारी का कार्य एवं मा० राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सौंपे गये दायित्व। वर्तमान में पद रिक्त।
4.	वित्त नियंत्रक	1. वित्त नियंत्रण का अधिकार तथा लेखा अनुभाग की पत्रावसियों पर मंतव्य। 2. राज्य निर्वाचन आयोग हेतु वार्षिक बजट तैयार कराना एवं प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित कराना।
5.	उप सचिव	संयुक्त सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के लिंक अधिकारी का कार्य एवं मा० राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सौंपे गये दायित्व।
6.	उपायुक्त	1. मा० राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिंक अधिकारी का कार्य एवं मा० राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सौंपे गये दायित्व। 2. अनुभाग-2 पंचायत निर्वाचन एवं अनुभाग-3 नागर निकाय निर्वाचन तथा जिला योजना समितियों के निर्वाचन से संबंधित पत्रावसियों पर मन्तव्य प्रदान कर उच्च स्तर से निस्तारण कराना। 3. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुभाग-2 पंचायत निर्वाचन एवं अनुभाग-3 नागर निकाय निर्वाचन तथा जिला योजना समितियों के निर्वाचन से संबंधित न्यायालय प्रकरणों का निस्तारण कराना। 4. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन/नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन तथा जिला योजना समितियों के निर्वाचन से सम्बन्धित जिज्ञासार्थी एवं शिकायतों का निस्तारण करना तथा व्यवस्था एवं प्रबंधकीय कार्यों पर मन्तव्य प्रकट करना।
7.	अनु सचिव	1. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के लिंक अधिकारी का कार्य एवं मा० राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सौंपे गये दायित्व। वर्तमान में पद रिक्त।

8.	1. सहायक आयुक्त	1. उपायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग के लिंक अधिकारी का कार्य एवं मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सौंपे गये दायित्व।
	2. सहायक आयुक्त	उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के लिंक अधिकारी का कार्य एवं मा0 राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा सौंपे गये दायित्व। वर्तमान में पद रिक्त।
9.	अनुभाग अधिकारी	अनुभाग की पत्रावलियों का परीक्षण करना तथा अनुभाग के कार्यों का नियंत्रण निर्देशन करना। (वर्तमान में तीनों अनुभाग अधिकारियों के पद रिक्त)
10.	मिजी सचिव	मा राज्य निर्वाचन आयुक्त से सम्बद्ध
11.	समीक्षा अधिकारी	अनुभाग से संबंधित विद्यारथी पत्रों पर टिप्पणी एवं अलिख की समीक्षा करना तथा पत्रावली पर अप्रति कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना।
12.	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	लेखा से सम्बंधित समस्त कार्यों की समीक्षा करना।
13.	अपर मिजी सचिव	(पद रिक्त)
14.	सहायक समीक्षा अधिकारी	अनुभाग से संबंधित कार्यों में समीक्षा अधिकारी की सहायता करना।
16.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन एवं नागर निकाय निर्वाचनों से सम्बंधित समस्त सूचनाओं को इन्टरनेट पर प्रदर्शित करना एवं निर्वाचक नामावली हेतु साफ्टवेयर तैयार करना।
16.	टंकक/डाटा इन्टी ऑपरेटर	अनुभाग से संबंधित टंकण कार्यों का निर्वहन करना।
17.	वाहन चालक	वाहन चलाना।
18.	अर्दली/पत्रावली/ चौकीदार/स्वच्छक	आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशानुसार कार्य करना।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के नियंत्रणाधीन जिला स्तर पर पंचास्थानि चुनावालयों से संबंधित कार्यों/दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्नानुसार पद सृजित किये गये हैं:-

पंचास्थानि चुनावालय (जिला स्तरीय कार्यालय)

क्र.सं.	पदनाम	शक्तियाँ और कर्तव्य
1	2	3
1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	निर्वाचन, अधिष्ठान तथा लेखा संबंधी कार्यों को सम्पन्न कराने तथा पत्रव्यवहारीय/सूचनाओं को उच्चाधिकारियों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत/प्रेषित करना, जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी के नियंत्रण में निर्वाचन कार्यों का सम्पादन करना।
2.	वरिष्ठ सहायक	जिला निर्वाचन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय तथा सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण में कार्यों का निर्वहन।
3.	कनिष्ठ सहायक	—रक्षक—
4.	यत्नर्थ श्रेणी/अनुसूचक	अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशानुसार कार्य करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों/नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में विभिन्न दायित्वों के निर्वहन हेतु जनपदों में निम्नानुसार अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन कार्य सम्पादन हेतु पदाभिहीत (डेजिग्नेटेड) किया गया है:-

1. जिलाधिकारी- जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं स्थानीय निकाय)।
2. मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी-प्रभारी अधिकारी, (पंचास्थानि चुनावालय)।
3. मुख्य विकास अधिकारी- उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)।
4. अपर जिलाधिकारी- उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय)।

मैनुअल-3

निश्चित करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है-

भारत का संविधान के 73वे व 74वे संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों व नागर स्थानीय निकायों को न केवल संवैधानिक इकाई बनाया गया है बल्कि प्रत्येक 05 वर्ष में इनके निर्वाचन अनिवार्य कर दिये गये हैं। उक्त संशोधन के फलस्वरूप भारत का संविधान के अनुच्छेद-243C के अधीन पंचायतों व नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। उक्त कार्यों के निर्वहन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रक्रिया को पूर्ण करने एवं प्रक्रिया के पर्यवेक्षण/उत्तरदायित्व का माध्यम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

(अ) पंचायत निर्वाचन:-

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपर जिलाधिकारी अथवा जिन जनपदों में अपर जिलाधिकारी का पद सृजित नहीं है अथवा पद रिक्त होने की दशा में उन जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी।
2. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप जिलाधिकारी जो आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के रूप में तहसीलदार को नियुक्त कर सकते हैं।
3. विकासखण्ड में पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यों हेतु नोडल अधिकारी-खण्ड विकास अधिकारी।
4. अपीलीय अधिकारी- जिलाधिकारी।
5. राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत एवं ग्राम प्रधान के पदों पर निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्वाचन अधिकारी (रिटनिंग ऑफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटनिंग ऑफिसर) नियुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया है। निर्वाचन से संबंधित विभिन्न कर्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन के लिए जिला स्तर, तहसील स्तर तथा विकास खण्ड स्तर के जिन अधिकारियों को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है उनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	स्तर	निर्वाचन अधिकारी	सहायक निर्वाचन अधिकारी
1	2	3	4
1	जिला पंचायतों के लिए	जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त जिला स्तरीय परिषद अधिकारी।	जिला स्तरीय अधिकारी/डिप्टी कलेक्टर तथा खण्ड विकास अधिकारी या इनके स्तर के ऊपर के स्तर के अधिकारी।
2	क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के लिए	डिप्टी कलेक्टर, जिला बन्दोबस्त अधिकारी, जिला सहायक निरीक्षक सहकारी समितियों, जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी तथा जिला मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उप सम्भागीय अधिकारी एवं अन्य जिला स्तर के अधिकारी।	नायब तहसीलदार, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक खण्ड विकास अधिकारी, अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, मनोरंजन कर निरीक्षक, उद्यान निरीक्षक या इसके स्तर के अन्य अधिकारी।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/उप प्रमुख एवं ग्राम पंचायत के उप प्रधान के पद पर निर्वाचन हेतु पदाभिहित किये गये निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी का विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	निर्वाचित किये जाने वाले पदाधिकारी	निर्वाचन अधिकारी	सहायक निर्वाचन अधिकारी
1	2	3	4
1.	जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	जिलाधिकारी	जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, अपर जिलाधिकारी, उप संचालन व्यव्थी, मुख्य राजस्व अधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला स्तर के राजपत्रिता अधिकारी।
2.	क्षेत्र पंचायत प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख	जिलाधिकारी	जिले के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी को छोड़कर)
3.	ग्राम पंचायत उप प्रधान	सहायक खण्ड विकास अधिकारी, एकबंदीकर्ता, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक तथा उनके स्तर के जिले में कार्यरत अन्य अधिकारी।	लेखपाल, पटवारी, ग्राम्य विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, संग्रह अमीन तथा उनके स्तर के जिले में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारीगण।

(घ) नागर निकाय निर्वाचन:-

1. जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी- अपर जिलाधिकारी।
 2. निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी- उप जिलाधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट।
 3. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी- तहसीलदार।
 4. नोडल अधिकारी-नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावतियों के पुनरीक्षण से संबंधित समस्त कार्य हेतु अपर मुख्य नगर अधिकारी/उप नगर अधिकारी, नगर निगम तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत।
 5. अपीलीय अधिकारी- जिला मजिस्ट्रेट।
- नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन को सम्पन्न कराने हेतु जिलाधिकारी को निर्वाचन अधिकारी (रिटनिंग ऑफिसर) एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटनिंग ऑफिसर) की नियुक्ति करने हेतु अधिकृत किया गया है। आयोग द्वारा विभिन्न स्तर के नागर स्थानीय निकायों में अलग-अलग स्तर के निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश निर्गत हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	निकाय/पद	निर्वाचन अधिकारी	सहायक निर्वाचन अधिकारी
1	2	3	4
1.	नगर निगम के नगर प्रमुख/उप नगर प्रमुख	जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट।	राज्य सरकार का श्रेणी-1 का अधिकारी
2.	नगर निगमों के समासद	राज्य सरकार का श्रेणी-1 का अधिकारी।	राज्य सरकार का श्रेणी-2 का अधिकारी
3.	नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष तथा सदस्य	अपर जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का श्रेणी-1 या श्रेणी-2 का राजपत्रिता अधिकारी।	राज्य सरकार का श्रेणी-2 का अधिकारी अथवा अधीनस्थ सेवा के अधिकारी।

क्र. सं.	स्तर	जोनल मजिस्ट्रेट	सेक्टर मजिस्ट्रेट
1	2	3	4
1.	नगर निगम	अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/ अधिकारी।
2.	नगर पालिका परिषद	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/ अधिकारी।	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/ अधिकारी।
3.	नगर पंचायत	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/ अधिकारी।	जिले में तैनात राज्य सरकार के प्रथम/द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट/ अधिकारी।

संविधान के अनुच्छेद 243 ट (3) के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को आवश्यकतानुसार कार्मिक राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

=====

(22)

मैनुअल-4

कृत्यों के निर्वाह के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान-

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निम्न कार्य सम्बन्धित अधिनियमों/नियमावलियों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न किये जाते हैं:-

1. निर्वाचक नामावलिओं का पुनरीक्षण (पंचायतों एवं नागर स्थानीय निकायों का)
2. विस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन एवं उप निर्वाचन।
3. नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन एवं उप निर्वाचन।
4. जिला योजना समिति के सामान्य निर्वाचन एवं उप निर्वाचन।

उक्त से संबंधित नियमावलियां मैनुअल-5 में दी गयी हैं।



यैनुअल-5

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

परिशिष्ट-6

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित)

ग्राम पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन

<p>ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता</p>	<p>8.</p>	<p>(1) किसी ग्राम पंचायत का प्रधान, उप-प्रधान, सदस्य नियुक्त होने के लिये कोई व्यक्ति अनर्ह होगा, यदि -</p> <p>(क) वह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह घोषित किया गया हो;</p> <p>परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति ने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तो वह इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह एक्कीस वर्ष की आयु से न्यून है.</p> <p>(ख) वह ग्राम पंचायत का वैतनिक सदस्य है।</p> <p>(ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वाभिमत्वाधीन या नियंत्रणाधीन या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वाभिमत्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या निगम, के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहकारी समिति के सचिव एवं वेतन भागी कर्मचारी तथा राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे।</p> <p>(घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया है।</p> <p>(ङ) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाये, ग्राम पंचायत का कोई कर, जीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह ग्राम पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्रान्त उत्तरे किसी अन्विष्ट या सम्पत्ति का उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा है।</p> <p>(च) किसी नगर निकाय का सदस्य है।</p> <p>(छ) वह अनुत्प्रेक्षित दिवालिया है।</p> <p>(ज) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है।</p> <p>(झ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया है।</p> <p>(ञ) उसे ऐरोसिपेशन सप्ताइज (टेम्परेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छ. मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया है।</p> <p>(ट) उसे संयुक्त प्रान्त आवकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया है।</p>
---	-----------	--

	<p>(द) उसे स्वापक अधिधि और मनप्राभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया है।</p> <p>(ड) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है।</p> <p>(ढ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक नियोग्यताओं का निराकरण मूल अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है।</p> <p>(ण) उसे इस अधिनियम की धारा 138 के अधीन पद से हटा दिया गया है, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो, या ऐसी न्यूनतम अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत नहीं हो गई है।</p> <p>परन्तु यह कि यथास्थिति तकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर उपधारा (5) के अधीन अनर्हता नहीं रह जायेगी।</p> <p>परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट उपधाराओं के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकेगी।</p> <p>(त) यदि किसी महिला प्रधान, उप प्रधान, एवं सदस्य के स्थान पर उसका पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या शिष्टेदार ग्राम क्षमा, ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एवं कार्यों का निर्वहन करे या उस पर दोष सिद्ध हो जाय, तो यह महिला तथा महिला के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता एवं कार्य निर्वहन करने वाला व्यक्ति, दोनों ही आगामी त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु अनर्ह होंगे।</p> <p>(थ) वह किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो।</p> <p>परन्तु सामान्य श्रेणी महिला तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी के मामले में न्यूनतम मिडिल/आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण न हो।</p> <p>(द) उसकी दो से अधिक जीवित संतान है। (रिट याचिका संख्या 2303(एम./एस.) /2019 श्रीमती पिंकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य (और अन्य 06 रिट याचिकाओं) में मा. उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के निर्णय दिनांक 19.09.2019 के अनुसार)</p> <p>(ध) उसका किसी सरकारी/पंचायतीराज विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है।</p> <p>(न) उसने सरकारी धन का गबन किया हो या उसके तिरुद्ध सरकारी धन की वसूली चल रही हो या उस पर शासकीय धन का बकाया हो।</p> <p>(प) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, धारा 9क, धारा 9, धारा 9क एवं धारा 10 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता हो।</p> <p>(2) भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता:- इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा निर्वाचन-विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के तारीख से पांच वर्ष से अधिक किसी अवधि में ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रधान, अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो ग्राम पंचायत दे सकती हो या उसके अधिकार में नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकेगी।</p>
--	--

(3) शौचालय न होने पर अनर्हता- (क) यदि कोई व्यक्ति मेलम जोने वालों के रूप में नियोजन के निवेद और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उल्लिखित अपराधों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अनर्ह होगा।

(ख) सम्बन्धित पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिवास करने वाले जिन व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नहीं है, वे पंचायत चुनाव के उम्मीदवारी हेतु अनर्ह समझे जायेंगे।

(4) सदस्यता का न रह जाना- (क) यदि किसी सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाय अथवा उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का सम्पूर्ण वार्ड किसी नगर निकाय में सम्मिलित हो गया हो तो ग्राम पंचायत का कोई सदस्य/प्रधान/उप-प्रधान ऐसे पंचायत का सदस्य नहीं रह जायेगा, भले ही सम्बन्धित सदस्य की प्रविष्टि अन्य निर्वाचक नामावली में अंकित हो:

(ख) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) अधीन ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह ग्राम पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, बना नहीं रहेगा।

(5) अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय- यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी है या नहीं तो ऐसे प्रश्न को निर्णयार्थ विहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अन्तिम होगा;

परन्तु यह कि यदि कोई अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है, जो हटाना प्राधिकृत करती है तो ऐसे व्यक्ति का नाम उस ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली से, जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण काट दिया गया हो, तत्काल फिर से रख दिया जाएगा,

(6) अभिलेख आदि देने में चूक करने की अनर्हता एवं दण्ड- (क) प्रत्येक कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में कार्यकाल पूर्ण करने पर पंचायत के सभी अभिलेख, धनराशि या अन्य सम्पत्ति को तत्काल अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने में चूक करेगा तो यह कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है, या जर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(ख) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ऐसी धनराशि नियत प्राधिकारी द्वारा एतदर्थ जारी किए गए प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाये के रूप में वसूल की जा सकेंगी।

(ग) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अख्यान से पूर्व किसी पद पर रहा हो, उत्तराधिकारी अथवा नियत प्राधिकारी से अर्देय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। अर्देय प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के फलस्वरूप वह किसी आगामी पंचायत निर्वाचन में प्रतिभाग करने के लिए अर्ह नहीं होगा।

(7) पंचायतों में एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध- कोई व्यक्ति न तो ग्राम पंचायत में एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन में

	<p>उम्मीदवार हो सकेगा, और न ही ग्राम पंचायत में एक से अधिक पद धारण कर सकेगा।</p> <p>(8) एक साथ दो पद धारण करने पर अपेक्षार रोक— (1) कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या सदस्य का पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—</p> <p>(क) संसद का या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है, या</p> <p>(ख) किसी क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य है, या</p> <p>(ग) किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या</p> <p>(घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रबंध कमेटी का सदस्य है, या</p> <p>(ङ) किसी शहरी स्थानीय निकाय का नगर प्रमुख उप नगर प्रमुख या</p> <p>सभासद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या</p> <p>(च) किसी छात्रनी परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है।</p> <p>(2) कोई व्यक्ति, यदि बाद में उप धारा (1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित होता है, तो वह ऐसी अनुवर्ती निर्वाचन के दिनांक से यथास्थिति ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान या सदस्य के पद पर नहीं रह जायेगा और तदुपरान्त यथास्थिति, ऐसे प्रधान, उप प्रधान या सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति बानी जायेगी।</p>
<p>प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली</p>	<p>9. "(1)" ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली इस अधिनियम के उपबन्धों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाएगी।</p> <p>(क) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार जनपद में निर्वाचक नामावलियों के तैयार किए जाने पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण और उनसे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।</p> <p>(ख) निर्वाचन नामावलियों का तैयार किया जाना, पुनरीक्षण और शुद्धि ऐसे व्यक्तियों द्वारा और ऐसी शीति से की जायेगी, जैसे निश्चित की जाय।</p> <p>(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट शीति से निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी और प्रकाशित कर दिये जाने पर वह इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी परिवर्तन, परिवर्द्धन या परिष्कार के अधीन रहते हुए, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होगी।</p> <p>(3) उपधारा (4),(5),(6) और (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की, जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी को 18 (अठारह) वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जो ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में साधारणतया (माभूली तौर से) निवासी हो, उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण</p>

	<p>का इकट्ठार होगा;</p> <p>स्पष्टीकरण—</p> <p>(i) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण से कि किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उसका किसी निवास-गृह पर स्वामित्व या कब्जा है यह नहीं समझ लिया जाएगा कि वह उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है।</p> <p>(ii) अपने साधारणतया (मामूली तौर से) निवास स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह नहीं समझा जाएगा कि वह वहाँ का साधारणतया (मामूली तौर से) निवासी नहीं रहा।</p> <p>(iii) संसद या राज्य के विधान मण्डल के सदस्य, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का साधारणतया (मामूली तौर से) निवासी होने से परिवर्तित नहीं समझा जाएगा।</p> <p>(iv) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का साधारणतया (मामूली तौर से) निवासी समझा जाये या न समझा जाये, किन्हीं अन्य तथ्यों पर, जिन्हें नियत किया जाये, विचार किया जायेगा।</p> <p>(v) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति, साधारणतया (मामूली तौर से) कहाँ का निवासी है, तो ऐसे प्रश्न का अन्वेषण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जाएगा।</p> <p>(4) कोई व्यक्ति किसी ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अनर्ह होगा, यदि वह—</p> <p>(क) भारत का नागरिक नहीं है, या</p> <p>(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो, अथवा</p> <p>(ग) निर्वाचन सन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मत देने के लिये तत्समय अनर्ह है।</p> <p>(5) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा (4) के अधीन अनर्ह हो जाए, उसका नाम उस ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली से तत्काल हटा दिया जाएगा जिसमें वह अंकित है:</p> <p>परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो, उस नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जायेगा यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है।</p> <p>(6) कोई व्यक्ति एक से अधिक प्रादेशिक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में या एक ही प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण</p>
--	---

का हकदार नहीं होगा।

(7) कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रीकरण का हकदार तब तक नहीं होगा यदि उसका नाम किसी नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत या छावनी परिषद से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में दर्ज हो और जब तक कि वह यह प्रदर्शित नहीं करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से हटा दिया गया है।

(8) जहाँ राज्य निर्वाचन आयोग को दिये गये किसी आवेदन-पत्र पर या स्वधरेण से ऐसी जाँच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या परिवर्द्धित या निष्कासित की जानी चाहिए अथवा किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ा जायेगा जो रजिस्ट्रीकरण का हकदार हो, वहाँ वह इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन, किसी का यथार्थिथि सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन करेगा:

परन्तु यह वि. ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने से पूर्व, नहीं किया जाएगा,

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति से सम्बन्धित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के सम्बन्ध में सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

(9) राज्य निर्वाचन आयोग, यदि सामान्य या उप निर्वाचन के एजेंडन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे, किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, विशेष पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकेगा,

परन्तु यह की अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधधीन रहते हुए, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली, जैसी कि यह कोई ऐसा निर्देश दिये जाने के समय प्रवृत्त हो, प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक कि उस प्रकार निर्देशित विशेष पुनरीक्षण पूर्ण न हो जाए।

(10) जहाँ तक कि इस अधिनियम या नियमों द्वारा उपबन्ध न किया गया हो, वहाँ राज्य निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा निर्वाचक नामावली से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकेगा, अर्थात्—

(क) इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई निर्वाचक नामावली के प्रवृत्त होने की तारीख और उसके प्रवर्तन की अवधि;

(ख) निर्वाचक नामावली में सम्बद्ध निर्वाचक के आवेदन-पत्र पर किसी वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि;

(ग) निर्वाचक नामावलियों में लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटियों की शुद्धि;

(घ) निर्वाचक नामावली में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सम्मिलित करना—

	<p>(i) जिसका नाम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्र की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो किन्तु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो, या जिसका नाम किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में त्रुटि से सम्मिलित किया गया हो, या</p> <p>(ii) जिसका नाम इस प्रकार की विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो—</p> <p>(ड.) निर्वाचक नामावलियों की अभिरक्षा और उनका परिरक्षण.</p> <p>(च) नाम सम्मिलित करने या हटाने के लिए आवेदन-पत्र पर देय फीस:</p> <p>(छ) निर्वाचक नामावलियों तैयार और प्रकाशित करने से सम्बन्धित सम्मान्यताएँ सभी विषय:</p> <p>(11) उपर्युक्त उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी राज्य निर्वाचन आयोग, किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजनों हेतु, तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकेगा, जहाँ तक उसका सम्बन्ध उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र से हो:</p> <p>परन्तु यह कि ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन के लिए नाम-निर्देशन के अन्तिम तारीख के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।</p> <p>(12) किसी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित की अधिकारिता नहीं होगी—</p> <p>(क) इस प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार है या नहीं: या</p> <p>(ख) निर्वाचक नामावली के तैयार करने और प्रकाशन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकारी के अधीन की गई किसी कार्यवाही या इस निमित्त नियुक्त किये गये किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा किये गये किसी विनिश्चय की वैधता पर आपत्ति करना।</p> <p>(13) मत देने इत्यादि का अधिकार—इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, उस ग्राम पंचायत में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र होगा:</p> <p>परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो किसी ग्राम पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा।</p>
--	--

ग्राम पंचायत का प्रधान और उप प्रधान	10.	ग्राम पंचायत का एक प्रधान और एक उप प्रधान होगा जो क्रमशः उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन आदि ऐसे होंगे जैसे विहित किया जाये।
प्रधान का निर्वाचन	10-ख	<p>(1) ग्राम पंचायत का प्रधान, किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नियमावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा, अपने में से, निर्वाचित किया जायेगा।</p> <p>(2) यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में, प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के दो तिहाई से कम सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं तो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी, आदेश द्वारा, या तो—</p> <p>(i) प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये, ऐसी संख्या में जैसी यह उचित समझे, उन्हें व्यक्ति होंगे, या</p> <p>(ii) प्रशासक नियुक्त कर सकता है।</p> <p>(3) प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक छः मास से अधिक ऐसी अवधि के लिये जैसी कि यह राज्य सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट कर, पद धारण करेगा।</p> <p>(4) उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति पर, ऐसी नियुक्ति के पूर्व ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य के रूप में चुने गये व्यक्ति, यदि कोई हो, ऐसे प्रधान या यथास्थिति सदस्य नहीं रह जायेंगे और ग्राम पंचायत, इसके प्रधान और समितियों की समस्त शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसी प्रशासनिक समिति या प्रशासक में स्थित होंगे और उनके द्वारा प्रयोग, सम्पादन और निर्वहन किये जायेंगे।</p> <p>(5) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रशासनिक समिति या प्रशासक सम्यक् रूप में संघटित ग्राम पंचायत समझी जायेगी :</p> <p>परन्तु यह कि उपधारा (2) के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात् यदि किसी समय राज्य सरकार का वह समाधान हो जाय कि ग्राम पंचायत के सम्यक् रूप से संघटित किये जाने में कोई कठिनाई नहीं है, राज्य सरकार, इस बात के होते हुए भी कि, जिस अवधि के लिए प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त किया गया था समाप्त नहीं हुई है, राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायत संघटित करने के लिये निर्वाचन कराने का निर्देश दे सकती है।</p> <p>(6) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रधान की पदावधि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।</p>
उप प्रधान का निर्वाचन और उसका कार्यकाल	10-ग	<p>(1) उप प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से ऐसी रीति में निर्वाचित किया जाएगा जो नियत की जाय :</p> <p>परन्तु यह कि यदि ग्राम पंचायत तदर्थ नियमों द्वारा या उसके अधीन नियत समय के भीतर उप प्रधान को इस प्रकार निर्वाचित करने में चूक करे तो नियत अधिकारी ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को उप प्रधान के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ समझा जाएगा।</p> <p>(2) उप प्रधान का कार्यकाल, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नामनिर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा, और जब तक कि उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाए, ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।</p> <p>(3) उप प्रधान को हटाने के सम्बन्ध में धारा 18 के उपबंध, बंधावश्यक परिपत्तियां</p>

		सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे प्रधान को हटाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।
निर्वाचन की पद्धति	13.	किसी ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान तथा सदस्य के पद के लिए निर्वाचन मतपत्र अथवा ई.बी.एम. द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से होगा। परन्तु यह कि पंचायतों को इस धारा में उल्लिखित पद धारियों का निर्विरोध निर्वाचन करने से निवारित नहीं किया जाएगा।
ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि	14.	(1) ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य के निर्वाचन का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य स्तर पर गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। (2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग, प्रधान, उप प्रधान तथा सदस्य के पद हेतु संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा। (3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान तथा सदस्य के सामान्य निर्वाचन या उप-निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत कर सकेगी।
क्षेत्र पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन		
क्षेत्र पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता	53.	(1) कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए अनर्ह होगा, यदि - (क) यह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्सम्यम प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो; परन्तु यह कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। (ख) यह ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला प्रचारक का वैयक्तिक सेवक हो, (ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निकाय या नियम, के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहायकारी समिति के सचिव एवं येलन भोगी कर्मचारी तथा राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अनन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी भी सम्मिलित हैं; (घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो; (ङ) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाये, क्षेत्र पंचायत का कोई कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या वह क्षेत्र पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति का उसे देने से, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो; (च) किसी नगर निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो; (छ) वह अनुत्सृष्टित निकाय हो।

- (ख) वह नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो;
- (ग) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो।
- (घ) उसे ऐंसासिगेशन सफ्टाइज (टेम्पेरी पावर्स) ऐक्ट, 1948 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छः मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो।
- (ङ) उसे संयुक्त प्रान्त आवकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो।
- (च) उसे स्वयंसेवक और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
- (ज) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- (झ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक नियंत्रणताओं का निराकरण मूल अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो।
- (ण) उसे धारा 138 के अधीन घट से हटा दिया गया हो, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो, या ऐसी न्यूनतर अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत न हो गई हो;
- परन्तु यह कि यथास्थिति वक्तव्यों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर खण्ड (ड.) के अधीन अनर्हता न रहे जायेगी;
- परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट किन्हीं भी खण्डों के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकेगी।
- (त) यदि किसी क्षेत्र पंचायत की महिला सदस्य/प्रमुख/ज्येष्ठ उप प्रमुख/कनिष्ठ उप प्रमुख के स्थान पर उसका पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार क्षेत्र पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एवं कार्यों का निर्वहन करे व उस पर दोष सिद्ध हो जाय, तो वह महिला तथा महिला के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता एवं कार्य निर्वहन करने वाला व्यक्ति, दोनों ही अगले त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु अनर्ह होंगे।
- (थ) यह किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो;
- परन्तु यह कि सामान्य श्रेणी महिला तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशी के मामले में न्यूनतम मिडिल/ आठवीं कक्षा उत्तीर्ण न हो;
- (द) उसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं।
- (ध) उसका किसी सरकारी/पंचायतीराज विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है।
- (नि) उसने सरकारी धन का गबन किया गया हो या सरकारी धन की यसूली चल रही हो या जासकीय धन का बकाया हो।
- (प) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, धारा 8क, धारा 9, धारा 9क एवं

धारा 10 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता हो।

(2) **भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता**— इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन-विषयों का निर्णय करने के लिए सक्षम कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के तारीख से पांच वर्ष से अधिक किसी अवधि में क्षेत्र पंचायत प्रमुख अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो क्षेत्र पंचायत दे सकती हो या उसके अधिकार में नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित रूप में न करेगा।

(3) **शौचालय न होने पर अनर्हता**— (क) यदि कोई व्यक्ति मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उल्लिखित अपराधों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अनर्ह होगा।

(ख) सम्बन्धित पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिवास करने वाले जिन व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नहीं है वे पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हेतु अनर्ह समझे जायेंगे।

(4) **सदस्यता का न रह जाना**— (एक) क्षेत्र पंचायत का कोई सदस्य उस पंचायत का सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाय अथवा उसका सम्पूर्ण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र किसी नगर निकाय में सम्मिलित हो गया हो, भले ही सम्बन्धित सदस्य की प्रविष्टि अन्य निर्वाचक नामावली में अंकित हो;

(दो) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन क्षेत्र पंचायत का सदस्य न रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह क्षेत्र पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, नहीं रहेगा।

(5) **अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय**— यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो उस प्रश्न को निर्णयार्थ विहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अन्तिम होगा।

परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण उस क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली से हटा दिया गया हो तो उस निर्वाचक नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जाएगा। यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है, जो हटाना प्राधिकृत करती है।

(6) **पंचायतों में एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध**— कोई व्यक्ति एक साथ क्षेत्र पंचायत के एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं हो सकेगा, और न ही क्षेत्र पंचायत में एक साथ दो पद धारण कर सकेगा।

(7) **एक साथ दो पद धारण करने पर आरोपार रोक**— (1) कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य का पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—

धारा 10 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता हो।

(2) भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता— इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन-विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के तारीख से पांच वर्ष से अधिक किसी अवधि में क्षेत्र पंचायत प्रमुख अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो क्षेत्र पंचायत दे सकती हो या उसके अधिकार में नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकता है।

(3) शौचालय न होने पर अनर्हता— (क) यदि कोई व्यक्ति मैला डोने वालों के रूप में नियोजन के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उल्लिखित अपराधों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अनर्ह होगा।

(ख) सम्बन्धित पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिवास करने वाले जिन व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नहीं है वे पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हेतु अनर्ह समझे जायेंगे।

(4) सदस्यता का न रह जाना— (एक) क्षेत्र पंचायत का कोई सदस्य उस पंचायत का सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाय अथवा उसका सम्पूर्ण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र किसी नगर निकाय में सम्मिलित हो गया हो, भले ही सम्बन्धित सदस्य की प्रविष्टि अन्य निर्वाचक नामावली में अंकित हो,

(दो) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन क्षेत्र पंचायत का सदस्य न रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह क्षेत्र पंचायत का सदस्य होने के कारण निर्वाचित, नाम निर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, नहीं रहेगा;

(5) अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय— यदि यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो उस प्रश्न को निर्णयार्थ विहित अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अन्तिम होगा;

परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण उस क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली से हटा दिया गया हो तो उस निर्वाचक नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जाएगा। यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रयुक्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है, जो हटाना प्राधिकृत करती है।

(6) पंचायतों में एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध— कोई व्यक्ति एक साथ क्षेत्र पंचायत के एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं हो सकेगा, और न ही क्षेत्र पंचायत में एक साथ दो पद धारण कर सकेगा।

(7) एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रतार रोक— (1) कोई व्यक्ति क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य का पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—



		<p>(क) संसद का या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है, या</p> <p>(ख) किसी ग्राम पंचायत का प्रधान, उप प्रधान या सदस्य है, या</p> <p>(ग) किसी जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या</p> <p>(घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या</p> <p>(ङ) किसी शहरी स्थानीय निकाय का नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख या सभासद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या</p> <p>(च) किसी छावनी परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रबन्ध कमेटी का सदस्य है।</p> <p>(2) कोई व्यक्ति, यदि बाद में उप धारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित होता है, तो वह ऐसी अनुपत्ती निर्वाचन के दिनांक से यथास्थिति क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य के पद पर नहीं रह जायेगा और तदुपरान्त यथास्थिति, ऐसे प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति मानी जायेगी।</p>
<p>प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली</p>	<p>54.</p>	<p>(1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी।</p> <p>(2) क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अधीन तैयार की गयी ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलाकर बनेगी जितने क्षेत्र पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट हैं और किसी क्षेत्र पंचायत के ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली को पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा।</p> <p>परन्तु यह कि क्षेत्र पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अंतिम दिनांक के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा।</p> <p>(3) अधिनियम की विभिन्न धाराओं द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी क्षेत्र पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो उस क्षेत्र पंचायत में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा।</p> <p>परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसने इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो किसी क्षेत्र पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा।</p>
<p>क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख एवं</p>	<p>55.</p>	<p>(1) प्रत्येक क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य अपने में से ही एक प्रमुख और एक ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुनेंगे।</p> <p>(2) क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के किसी पद के रिक्त होते हुए भी प्रमुख और उप प्रमुख के पद के लिए चुनाव किया जा सकेगा।</p> <p>परन्तु यह कि प्रमुख, उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत का चुनाव क्षेत्र पंचायत के</p>

सदस्य का निर्वाचन		<p>नियोजित सदस्यों द्वारा अपने में से ही इस अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप निर्वाचन की विहित रीति से किया जायेगा;</p> <p>परन्तु यह और कि प्रमुख व उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए भी उपधारा (2) के उपयुक्त समान रूप से प्रभावी होंगे।</p>
निर्वाचन की पद्धति	58.	<p>क्षेत्र पंचायत के किसी सदस्य के पद के लिए निर्वाचन मतपत्र अथवा ई.वी.एम. द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से होगा।</p> <p>परन्तु यह कि पंचायतें इस धारा में उल्लिखित पदधारियों का निर्विरोध निर्वाचन करने से निवारित नहीं किया जायेगा।</p>
क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि	59.	<p>(1) क्षेत्र पंचायत के क्रमशः प्रमुख, उप प्रमुख तथा सदस्य के निर्वाचन संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में विहित होगा।</p> <p>(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त, प्रमुख, उप प्रमुख तथा सदस्य के पद पर संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।</p> <p>(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र पंचायत के क्रमशः प्रमुख, उप प्रमुख तथा सदस्य के सामान्य निर्वाचन या उप-निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत करेगी।</p> <p>(4) उक्त प्रयोजन हेतु राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जायेगा।</p>
जिला पंचायत एवं उसके पदाधिकारी तथा उनका निर्वाचन		
जिला पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हता	90.	<p>(1) कोई व्यक्ति किसी जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के लिए अनर्ह होगा, यदि—</p> <p>(क) यह राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अनर्ह हो;</p> <p>परन्तु यह कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।</p> <p>(ख) यह ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का वैतनिक सेवक हो,</p> <p>(ग) वह किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या ग्राम पंचायत से भिन्न किसी स्थानीय प्राधिकारी, या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वाभित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वाभित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी बोर्ड, निर्यात या निर्यात, के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता हो जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहाकारी समिति के सचिव एवं वेंतन भोगी कर्मचारी तथा राज्य एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत मानदेय पर कार्यरत कर्मचारी भी सम्मिलित हैं;</p> <p>(घ) वह किसी राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य पंचायत की सेवा से दुराचरण के कारण पदच्युत कर दिया गया हो;</p> <p>(ङ) उस पर ऐसी अवधि के लिए जैसी नियत की जाये जिला पंचायत का कोई</p>

कर, फीस, शुल्क या कोई अन्य देय बकाया हो, या यह जिला पंचायत के अधीन कोई पद धारण करने के कारण प्राप्त उसके किसी अभिलेख या सम्पत्ति को उसे देने में, उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा किये जाने पर भी, विफल रहा हो;

(घ) किसी नगर निकाय का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो,

(छ) वह अनुत्पांचित दिवालिया हो;

(ज) वह नैतिक अवमता के किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(झ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण तीन मास की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो;

(ञ) उसे ऐसोसियेशन सप्लाइज (टेम्परेरी पावर्स) ऐक्ट, 1946 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के कारण छ मास से अधिक की अवधि के कारावास का या निर्वासन का दण्ड दिया गया हो;

(ट) उसे संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)के अधीन तीन मास से अधिक की अवधि के कारावास का दण्ड दिया गया हो;

(ठ) उसे स्वापक औषधि और मन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(ड) उसे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

(ढ) उसे संयुक्त प्रान्त सामाजिक नियोग्यताओं का निराकरण मूल अधिनियम, 1947 या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

(ण) उसे पद से हटा दिया गया हो, जब तक कि ऐसी अवधि, जैसी कि उक्त धारा में इस निमित्त व्यवस्था की गई हो, या ऐसी न्यूनतम अवधि जैसा कि राज्य सरकार ने किसी विशेष मामले में आदेश दिया हो, व्यतीत न हो गई हो;

परन्तु यह कि यथास्थिति बकायों का भुगतान कर दिये जाने या अभिलेख या सम्पत्ति दे दिये जाने पर खण्ड (ड.) के अधीन अनर्हता न रह जायेगी;

परन्तु यह और कि प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में निर्दिष्ट किन्हीं भी खण्डों के अधीन अनर्हता राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से हटाई जा सकेगी।

(त) यदि किसी जिला पंचायत की महिला अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के स्थान पर उसका पति या अन्य पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार जिला पंचायत की बैठक की अध्यक्षता एवं कार्यों का निर्वहन करे व उस पर दोष सिद्ध हो जाय, तो यह महिला तथा महिला के स्थान पर बैठक की अध्यक्षता एवं कार्य निर्वहन करने वाला व्यक्ति, दोनों ही अगले जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु अनर्ह होंगे।

(थ) यह किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो;

परन्तु यह कि सामान्य श्रेणी की महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति प्रत्याशी के मामले में न्यूनतम भिंडिल/आठवीं उत्तीर्ण न हो।

- (द) उसकी दो से अधिक जीवित संतान है ;
 (ध) उसका किसी सरकारी/पंचायतीराज विभाग की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है।
 (न) उसने सरकारी धन का खर्च किया हो या उसके विरुद्ध सरकारी धन की यशूली चल रही हो या उस पर शासकीय धन का बकाया हो।

(प) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, धारा 8क, धारा 9, धारा 9क एवं धारा 10 के उपबन्धों के अन्तर्गत आता हो।

(2) भ्रष्टाचार के कारण अनर्हता— इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचन-विवादों का निर्णय करने के लिए सक्षम कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार को जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाय कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोषणा के तारीख से पांच वर्ष से अनधिक किसी अवधि में जिला पंचायत अध्यक्ष अथवा किसी ऐसे पद या स्थान पर जो जिला पंचायत दे सकती हो या उसके अधिकार में नियुक्त होने या रहने के अयोग्य घोषित कर सकेगी।

(3) शौचालय न होने पर अनर्हता— (क) यदि कोई व्यक्ति मैला ढोने वालों के रूप में नियोजन के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उल्लिखित अपराधों में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो, तो वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिये अनर्ह होगा।

(ख) सम्बन्धित पंचायत क्षेत्रान्तर्गत अधिवास करने वाले जिन व्यक्तियों के घर में शौचालय स्थापित नहीं है वे पंचायत चुनाव के उम्मीदवारी हेतु अनर्ह समझे जायेंगे।

(4) सदस्यता का न रह जाना—

(क) जिला पंचायत का कोई सदस्य उस पंचायत का सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि उस सदस्य से सम्बन्धित प्रविष्टि जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली से निकाल दी जाय अथवा सम्पूर्ण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र नगर निगम में सम्मिलित हो गया हो, भले ही सम्बन्धित सदस्य की प्रविष्टि अन्य निर्वाचक नामावली में अंकित हो।

(ख) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (क) के अधीन जिला पंचायत का सदस्य न रह जाये तो वह किसी ऐसे पद पर भी जिस पर वह जिला पंचायत का सदस्य होने के कारण नियोजित, नाम निर्दिष्ट अथवा नियुक्त किया गया हो, बना नहीं रहेगा।

(5) अनर्हता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय— यदि यह प्रश्न उठे कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा में उल्लिखित किसी अनर्हता का भागी हो गया है या नहीं तो उस प्रश्न को निर्णयार्थ विहित अधिकारी उसे निर्दिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय किसी अपील के परिणाम के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अन्तिम होगा,

परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण उस जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो, उस निर्वाचक नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जाएगा, यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी गयी है, जो हटाना प्राधिकृत करती है।

(6) पंचायतों में एक साथ एक से अधिक पद धारण करने का निषेध— कोई व्यक्ति

		<p>एक साथ जिला पंचायत के एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन में उम्मीदवार नहीं हो सकेगा, और न ही जिला पंचायत में एक साथ दो पद धारण कर सकेगा।</p> <p>(7) एक साथ दो पद धारण करने पर अग्रतर श्रेणी— (1) कोई व्यक्ति जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—</p> <p>(क) संसद का या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है, या</p> <p>(ख) किसी ग्राम पंचायत का प्रधान, उप प्रधान या सदस्य है, या</p> <p>(ग) किसी क्षेत्र पंचायत का प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख या सदस्य है, या</p> <p>(घ) किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या प्रबंध कमेटी का सदस्य है, या</p> <p>(ङ) किसी शहरी स्थानीय निकाय का नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख या सभासद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है, या</p> <p>(च) किसी सवनी परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है।</p> <p>(2) कोई व्यक्ति, यदि बाद में उप धारा (1) के खण्ड (क) से (च) में उल्लिखित किसी पद पर निर्वाचित होता है, तो वह ऐसी अनुवर्ती निर्वाचन के दिनांक से यथास्थिति जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद पर नहीं रह जायेगा और तदुपरान्त यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति भरी जायेगी।</p>
<p>प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के जिला पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली</p>	<p>91.</p>	<p>(1) प्रत्येक जिला पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी।</p> <p>(2) जिला पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली, क्षेत्र पंचायत या क्षेत्रों पंचायतों के उतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर बनेगी जितने जिला पंचायत के उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है और किसी जिला पंचायत के ऐसे किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथकतः तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा।</p> <p>परन्तु यह कि जिला पंचायत के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन करने के अंतिम दिनांक के पश्चात और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व निर्वाचक नामावली में किया गया कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्द्धन उस निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जायेगा।</p> <p>(3) अधिनियम की विभिन्न धाराओं द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपयुक्त के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम किसी (जिला पंचायत के किसी) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्काल्य सम्मिलित हो, (उस जिला पंचायत) में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा और उसमें किसी पद पर निर्वाचन, नामनिर्देशन या नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा।</p> <p>परन्तु यह कि कोई व्यक्ति जिसने इयकीस वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली हो किसी जिला पंचायत के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्ह नहीं होगा।</p>

जिला पंचायत का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सदस्य का निर्वाचन	92.	<p>(1) प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जायेंगे।</p> <p>(2) जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के किसी पद के रिक्ति के होते हुए भी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव किया जा सकता है।</p>
निर्वाचन की पद्धति	95.	<p>जिला पंचायत के किसी सदस्य के पद के लिए निर्वाचन मतपत्र अथवा ई.वी.एम. द्वारा गुप्त मतदान प्रणाली से होगा।</p> <p>परन्तु यह कि पंचायत को इस धारा में उल्लिखित पद धारियों का निर्विरोध निर्वाचन करने से निवारित नहीं किया जायेगा।</p>
जिला पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण एवं राज्य निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि	96.	<p>(1) जिला पंचायत के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के निर्वाचन संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।</p> <p>(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, राज्य निर्वाचन आयुक्त, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के पद पर संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।</p> <p>(3) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा किसी जिला पंचायत के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के सामान्य निर्वाचन या उप-निर्वाचन के लिए तारीख या तारीखों को नियत करेगी।</p> <p>(4) उक्त प्रयोजन हेतु राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जायेगा।</p>
निर्वाचन करने से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध	131.	<p>(1) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट जिले में पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों के सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण और उससे सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।</p> <p>(2) जिले में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार के सहायक अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक शिक्षा संस्थान का प्रबन्धाधिकरण जब जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय, उसे अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में या सहायक निर्वाचन, निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध करायेगा जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो।</p> <p>(3) इसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग राज्य में उपर्युक्त समस्त या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से और उपर्युक्त संस्थाओं से, प्रबन्धाधिकरण से उपधारा (2) में अभिविष्ट किसी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकता है जो ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक हो और ये ऐसे प्रत्येक अधियाचना का पालन करेंगे।</p> <p>(4) यदि उपधारा (2) या उपधारा (3) के अभिविष्ट किसी स्थानीय प्राधिकरण या संस्था को कोई कर्मचारी ऐसे निर्वाचनों के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त किया जाय तो वह ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।</p> <p>(क) (1) यदि कोई व्यक्ति जिस पर यह धारा लागू होती है, पदीय कर्तव्य भंग</p>

करने में युक्ति युक्त कारण बिना किसी कार्य का दोषी हो तो उसे अर्थ दण्ड किया जा सकेगा जो 250 रु० (रुपये दो सौ पचास) तक हो सकता है अथवा जैसा विहित किया जाय।

- (2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध सज़ेय होगा।
- (3) उपर्युक्त किसी ऐसे कार्य के सम्बन्ध में अतिपूर्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्रस्तुत न की जा सकेगी।
- (4) जिन व्यक्तियों पर यह धारा लागू होती है वे निर्वाचन अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी और कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जो नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने या किसी निर्वाचन में मतों को अभिलिखित या उनकी गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए नियुक्त की जाए और इस धारा के प्रयोजनार्थ पद 'पदीय कर्तव्य' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत इस अधिनियम दृग्ग या इसके अधीन किये गये कर्तव्यारोपण से अन्यथा आशेषित कर्तव्य नहीं है।

(ख) (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट या राज्य निर्वाचन आयोग को यह प्रतीत हो कि जिले के या राज्य के भीतर इस अधिनियम के अधीन होने वाले किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में -

(एक) इस प्रयोजन के लिए कि उसका मतदान स्थल के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतदान पेटियों के रखने के लिए उपयोग किया जाये, किसी परिसर की आवश्यकता है या होना संभाव्य है, अथवा

(दो) किसी मतदान स्थल से या मतदान स्थल को निर्वाचन सामग्री के परिवहन के प्रयोजन के लिए या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी यान, जलयान या जीप जन्तु की आवश्यकता है या होनी संभाव्य है तो वह ऐसे परिसर या स्थिति ऐसे वाहन को अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगा और ऐसे अतिरिक्त आदेश दे सकेगा जैसे कि अधिग्रहण के सम्बन्ध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु यह कि ऐसा कोई वाहन जिसे उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता ऐसे उम्मीदवार के निर्वाचन से सम्बन्धित किसी प्रयोजन के लिए विधि पूर्ण उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिग्रहित न किया जायेगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाये।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को सम्बोधित लिखित आदेश द्वारा किया जायेगा जिसके पास जिला मजिस्ट्रेट तथा राज्य निर्वाचन आयोग यह समझता है कि वह उस सम्पत्ति का भी स्वामी है यह उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश की उस पर तामील जिसे वह सम्बोधित है, विहित रीति से की जायेगी।

(3) जब कभी कोई सम्पत्ति उपधारा (ख) के अधीन अधिग्रहीत की जाये तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि से आगे विस्तृत न होगी जिसके लिए

ऐसी सम्पत्ति उक्त उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है।

(4) इस धारा में -

(क) परिसर से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग जिसमें झोपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है।

(ख) वाहन से अभिप्राय किसी ऐसे वाहन से अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से चालित हो या नहीं।

(ग) जहाँ धारा 130(ख) के अनुसरण में जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग किसी परिसर का अधिग्रहण करे, तब हितबद्ध व्यक्ति को प्रतिकर दिया जायेगा जिसकी धनराशि का निर्धारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जायेगा, अर्थात् -

(एक) परिसर के लिये देय किराया या यदि कोई ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैशेष ही परिसर के लिये देय किराया;

(दो) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के फलस्वरूप अपने कारोबार या निवास के स्थान को बदलने के लिये विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुसंगिक युक्तियुक्त व्यय, यदि कोई हो;

परन्तु यह कि जहाँ कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे निर्धारित प्रतिकर की धनराशि से व्यथित होते हुये जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग से विहित समय के अन्दर यह आयेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाय, यहाँ देय प्रतिकर की धनराशि ऐसी होगी जैसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ निर्धारित करें;

परन्तु यह और कि इसके अतिरिक्त जहाँ प्रतिकर पाने के हक विषयक में प्रतिकर की धनराशि के बटवारे से सम्बन्धित कोई विवाद है, यहाँ निर्धारण के लिये इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

(तीन) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग कोई वाहन धारा 130(ख) के अनुसरण में अधिग्रहित करे तब उसके स्वामी को प्रतिकर दिया जायेगा जिसकी धनराशि का अवधारण इस धारा में व्यवस्थित शीते से य नियुक्त मध्यस्थ के द्वारा जैसी भी स्थिति हो अवधारित किया जायेगा.

परन्तु यह कि 'हितबद्ध व्यक्ति' से उस व्यक्ति से है, जो धारा 130(ख) के अधीन अधिग्रहित परिसर या वाहन पर अधिग्रहण के अव्यवहित पूर्व कब्जा रखता था अन्यथा परिसर या वाहन का स्वामी या अवकय करार के आधार पर कब्जाधारी अभिप्रेत है।

(घ) जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग किसी सम्पत्ति को धारा 130 (ख) के अधीन अधिग्रहित करने की या धारा 130 (ग) के अधीन देय प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति के आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सम्पत्ति अपने कब्जे की ऐसी जानकारी जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे प्राधिकारी को देय जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाय।

(ङ) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी परिसर या वाहन के

सम्बन्ध में धारा 130(घ) के अधीन आदेश किया जाय और किया जाये तो किस रीति से किया जाए या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे वाहन का निरीक्षण कर सकेगा।

(घ) जो कोई व्यक्ति किसी अधिगृहित परिसर या वाहन पर धारा 130(घ) के अधीन किये गये किसी आदेश को उल्लंघन कर परिसर या वाहन का कब्जा किए रहता है, उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी उस परिसर या वाहन में से संक्षेपतः बेदखल कर सकेगा। ऐसा सशक्त कोई अधिकारी ऐसी किसी स्त्री को, जो लोक सम्भ नही आती, युक्तियुक्त घेतावनी और हट जाने के लिए सुविधा देकर किसी भवन के किसी ताले या घटखनी का हटा या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा।

(ङ) (1) जबकि धारा 130(घ) के अधीन अधिगृहित कोई परिसर या वाहन अधिग्रहण से नियुक्त किए जाने हो, उनका कब्जा उस व्यक्ति को जिससे उनके अधिगृहित किए जाने के समय कब्जा दिया गया था, या कोई ऐसा व्यक्ति नही था, उस व्यक्ति को, जिसके विषय में जिला मजिस्ट्रेट या यह समझता है, कि वह वह ऐसे परिसर का स्वामी है परिदत्त किया जाएगा, और कब्जे का ऐसा परिदान जिला मजिस्ट्रेट को उन सब दायित्वों से, जो ऐसे परिदान के विषय में हैं, पूर्णतः उन्मोचित कर देगा, किन्तु उससे परिसर या वाहन के बावत ऐसे किन्ही अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे परिसर या वाहन पर कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है, विधि की सम्यक, प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिए हकदार हो।

(2) जहाँ कि यह व्यक्ति, जिसे 130(घ) के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर या वाहन का कब्जा उपधारा (3) के अधीन दिया जाना है, पाया नही जा सकता या जिसका सरलता से अभिनिश्चय नहीं हो पाता उन कब्जों और ले परिदान प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त कोई अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति नही है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट यह घोषणा करने वाली सूचना, कि ऐसे परिसर या वाहन अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिए गए हैं ऐसे परिसर या वाहन के किसी सहज दृश्य भाग में लगवायेगा और सूचना को शासकीय राजपत्र प्रकाशित करवायेगा।

(3) जबकि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गयी हो तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर या वाहन ऐसे अधिग्रहण के अधधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख को और न रहने की स्थिति में उनके विषय में यह समझा जायेगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर दिये गये हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है, और जिला मजिस्ट्रेट उस तारीख के पश्चात् किसी कालावधि के लिए ऐसे परिसर या वाहन के सम्बन्ध में किसी प्रतिकर या अन्य दावे के लिए दायित्वाधीन न होगा।

(ज) (1) अध्यक्ष के रूप में अथवा पचायत के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी ऐसे आवेदन पत्र द्वारा जो ऐसे प्राधिकारी को ऐसे

समय के भीतर और ऐसी रीति से जो नियत की जाए, इन आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की जाए:

परन्तु यह कि निर्वाचन इस कारण स्वतंत्र निर्वाचन नहीं इसमें रिश्वत अथवा अनुचित प्रभाव डालने का भ्रष्ट आचरण व्यापक रूप से व्याप्त था, अथवा

(दो) निर्वाचन के परिणाम पर -

(एक) किसी नाम निर्देशन पत्र की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा

(दो) इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का पालन करने में घोर उपेक्षा किए जाने का सारवान प्रभाव पड़ा है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित रिश्वत या अनुचित प्रभाव डालने के भ्रष्ट आचरण समझे जायेंगे:

(एक) रिश्वत, अर्थात् -

(क) किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में निर्वाचन में खड़े न होने के लिए प्रेरित करने या उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को निर्वाचन में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से या किसी व्यक्ति को इस बात के लिए कि -

(एक) किसी निर्वाचन को इस बात के लिए कि उसने मतदान किया या वह मतदान करने से विरत रहा।

(दो) किसी निर्वाचक को मत देने या मत न देने के लिए अथवा अपने पक्ष में मत देने के लिए पुरस्कार स्वरूप दिया जाए।

(क) पुरस्कार स्वरूप उम्मीदवार द्वारा या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी क्यों न हो, कोई उपहार या पारितोषण अर्पण का प्रस्ताव करना या बचन देना।

(ख) अनुचित प्रभाव अर्थात् निर्वाचन सम्बन्धी किसी अधिकार के निर्वाध प्रयोग में उम्मीदवार की ओर से या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, हस्तक्षेप या हस्तक्षेप करने का कियत गया प्रयत्न;

परन्तु यह कि इस खण्ड के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई व्यक्ति जो उसमें निर्दिष्ट हो और जो -

(1) किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या किसी व्यक्ति को, जिससे उम्मीदवार या निर्वाचक हितबद्ध हो, किसी प्रकार भी क्षति पहुंचाने की धमकी, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और जाति अथवा समुदाय से बहिष्कार या निष्कासन भी है, देता है, या

(2) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है, या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि यह या ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे यह हितबद्ध है, दैवी प्रकोप या आध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र हो जायेगा या बना दिया जायेगा, उसके सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचक के

निर्वाचन समन्धी अधिकार के निर्वाह प्रयोग में इस खण्ड के अर्थ में हस्तक्षेप कर रहा है।

(3) उपधारा (ख) के अधीन कोई आवेदन पत्र किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें ऐसे व्योरे होंगे जो विहित किये जायें:

परन्तु यह कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाचन में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जो, चाहे ऐसा नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार विन्या गया हो, निर्वाचन में उम्मीदवार समझा जायेगा।

(4) उस प्राधिकारी को जिले उपधारा 1 के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय -

(एक) आवेदन पत्र की सुनवाई करने और ऐसी सुनवाई में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के विषय में;

(दो) निर्वाचन को रद्द करने या निर्वाचक को अभान्य घोषित करने या आवेदन को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित करने या किसी अन्य राहत जो राहत आवेदक को प्रदान की जाए, के विषय में ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियत किये जायें।

(5) उपधारा (1)(ख) के अधीन नियत की जाने वाली शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र की सुनवाई करने और उसे निस्तारित करने के लिए नियमों में व्यवस्था की जा सकती है।

(6) उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई पक्ष आदेश के तारीख से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर जिला न्यायाधीश को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है, अर्थात् -

(क) विहित प्राधिकारी इस प्रकार निहित अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है।

(ख) विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा है।

(ग) विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से कार्य किया है।

(7) जिला न्यायाधीश आवेदन पत्र का निस्तारण रखा कर सकता है या उसे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश को निस्तारण के लिए सौंप सकता है और किसी ऐसे अधिकारी से वापस मंगा सकता है या किसे ऐसे अन्य अधिकारी को अन्तर्गत कर सकता है।

(8) उपधारा (6)(क) में उल्लिखित पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी नियत की जाय, और यह विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि, उसमें संशोधन या उसे विरुद्धित कर सकता है या मामले को पुन सुनवाई के लिए विहित प्राधिकारी को प्रति प्रेषित कर सकता है और लण पर विनिश्चय होने तक ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जैसा उसे न्याय संगत और सुविधाजनक

	<p>प्रतीत होगा।</p> <p>(९) इस धारा के अधीन दिया गया पुनरीक्षण प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय और, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए विहित प्राधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा।</p> <p>(ट) (१) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ के धारा १० क, ११ क एवं भाग-७ के अध्याय-१ की धारा १२३ एवं अध्याय ३ की धारा १२५, १२५क १२६, १२७, १२७ क, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३, १३४, १३४क, १३५, १३५ क, १३५ ग और १३६, के उपबन्ध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों :-</p> <p>(क) किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में आया हुआ निर्देश इस अधिनियम के अधीन किए गए निर्वाचन का निर्देश हो;</p> <p>(ख) शब्द "निर्वाचन क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान एवं सदस्य का निर्वाचन" रख दिए गए हों।</p> <p>(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १२७ (क) की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (१) में शब्द "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" के स्थान पर शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिए गए हों।</p> <p>(घ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १३४ एवं १३६ में शब्द "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन" के स्थान पर शब्द "उत्तरखण्ड पंचायत राज अधिनियम, २०१६ के द्वारा या अधीन" रख दिए गए हों।</p> <p>(२) शब्द "निर्वाचन क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "क्षेत्र पंचायत के सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख तथा जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन" रख दिए गए हों।</p> <p>(३) इस अधिनियम के अधीन कराये जाने वाले निर्वाचनों के सम्बन्ध में जहां कहीं इस अधिनियम, एवं नियमावली में निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं रखी गयी है वहां-वहां राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरखण्ड द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धाराओं को तथा आवश्यकतानुसार प्रयुक्त किया जा सकेगा।</p> <p>(ठ) (१) प्रत्येक व्यक्ति जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत में निर्दिष्ट किसी पद पर चुना गया हो। पद पर आसीन होने से पूर्व ऐसे प्राधिकारी के समक्ष जिसे नियत किया जाय निराल प्रपत्र में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।</p> <p>(२) किसी ऐसे सदस्य के सम्बन्ध में जो पूर्वोक्त शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और हस्ताक्षर करने से इनकार करें, वह समझा जायेगा कि उसने पद को तत्क्षण रिक्त कर दिया है।</p>
--	---

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994¹

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 25 सन 1947) की धारा 9 की उपधारा (2) और धारा 110 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश गाँव सभा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आद्या, 1978 का अतिक्रमण करके राज्यपाल प्मिलिखित नियमावली बनाते हैं :

1. सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ—जस तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों, इस नियमावली में,—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 से है,

(ख) "सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस रूप में एक या अधिक पंचायत क्षेत्र के लिये नियुक्त व्यक्ति से है,

(ग) "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य नियम 3 के अधीन इस रूप में पदाभिहीत या नाम निर्दिष्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से है,

(घ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र से है;

(ङ) "नामावली" का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली से है।

3. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी—(1) प्रत्येक जिले में हर एक नामावली, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जायेगी जो राज्य सरकार का वह अधिकारी होगा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से इस निमित्त पदाभिहीत (designate) या नाम निर्दिष्ट करें।

4. नामावली का प्रारूप और भाषा—नामावली देवनागरी लिपि में हिन्दी में तैयार की जायेगी।

5. नामावलियों का तैयार किया जाना—(1) प्रथम नामावली इस नियमावली के इच्छनों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली तैयार करने के प्रयोजनों के लिये तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तैयार की गई निर्वाचक नामावली को अपना सकता है। जहाँ तक इसका सम्बन्ध प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है।

(3) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्तक्षर करेगा और उस पर अपनी मुहर लगायेगा।

6. निवास गृहों के अध्यासियों द्वारा सूचना देना—सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली तैयार या पुनरीक्षित करने के लिये किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के किसी निवास गृह के किसी अध्यासी से आवश्यक सूचना मांग सकेगा और इस पर प्रत्येक ऐसा अध्यासी अपनी क्षमता की सीमा के अनुसार सूचना देगा।

7. कतिपय रजिस्ट्रों तक पहुँच—नामावली तैयार या पुनरीक्षित करने के लिये या नामावली के संयंघ में किसी दामे या आपत्ति का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिये सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण

¹ अधिसूचना संख्या 4028/33-1-94-263/94, दिनांक 20 अगस्त, 1994 द्वारा विज्ञापित।

अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस निमित्त नियोजित किसी व्यक्ति की पहुँच किसी जन्म और मृत्यु के रजिस्टर तक और किसी शिक्षण संस्था के प्रवेश रजिस्टर तक होगी और ऐसे रजिस्टर के प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उक्त अधिकारी या व्यक्ति को ऐसी सूचना और उक्त रजिस्टर से ऐस उद्धरण दे जिसकी वह अपेक्षा करे।

8. नामावली के आलेख्य का प्रकाश-(1) जैसे ही किसी ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की नामावली तैयार हो जाय उसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजा जायेगा जो उनके आलेख्य को खण्ड विकास कार्यालय में उनकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करके और प्रपत्र 1 में नोटिस प्रदर्शित करके प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी खुशी पिटाकर या किसी ध्वनि प्रवर्धक द्वारा या किसी अन्य सुविधाजनक रीति से इस तथ्य को प्रसारित कर पायेगा पंचायत क्षेत्र में नामावली प्रकाशित हो गयी है और अनियम (1) में उल्लिखित कार्यालय पर कार्यालय समय के दौरान उसका निःशुल्क निरीक्षण किया जा सकता है।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रति, प्रकाशन के दिनांक से 3 दिन की अवधि के लिए कार्यालय समय के दौरान निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

9. ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए दावे-कोई व्यक्ति-

(क) जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु यह उसमें रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्ह है, या

(ख) जिसका नाम गलतों से ग्राम पंचायत के किसी अन्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित कर लिया गया है, या

(ग) जिसका नाम नामावली में से किसी अनर्हता के कारण काट दिया गया था किन्तु जो वह दावा करता है कि उसको अनर्हता अब दूर हो गयी है,

नामावली में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रपत्र 2 में आवेदन कर सकता है।

10. नामावली में प्रविष्टियों पर आपत्तियाँ-कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में प्रविष्ट है, और जिसे-

(क) अपने से सम्बन्धित ऐसी प्रविष्टि के किसी विवरण पर आपत्ति है और उसे ठीक कराना चाहता है, वह प्रपत्र 3 में,

(ख) नामावली में किसी अन्य व्यक्ति के नाम को सम्मिलित किए जाने पर, इस आधार पर आपत्ति है कि वह व्यक्ति ऐसी नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्ह नहीं है या निरर्हित हो गया है, वह प्रपत्र 4 में,

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यथास्थिति, विवरण ठीक कराने के लिए या नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकता है।

11. दावा और आपत्ति करने के लिए अवधि-नियम 9 या नियम 10 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन नियम 8 के अधीन प्रारूप में आलेख्य प्रकारान के दिनांक से 7 दिन के भीतर दिया जायेगा।

12. दावा और आपत्ति संबंधी विवरण-(1) नियम 9 या नियम 10 के अधीन प्रत्येक आवेदन, आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा भी सत्यापित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसके

संबंध में आवेदन दिया गया है और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) आवेदन में वे आधा, जिन पर प्रविष्टि को, यथास्थिति सम्मिलित करने, सुधारने या निकालने की मांग की गयी है और ऐसी प्रविष्टि के अपेक्षित पूर्व विवरण भी सुसंगत प्रपत्र में दिये जायेंगे।

(3) प्रपत्र 4 में आवेदन दो प्रतियों में होगा, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी, जिसके नाम को निकालने की मांग की गयी है।

13. सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रक्रिया-सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रपत्र 5 में, दो प्रतियों में सूची रखेगा, जिन्हें वह नियम 9 और 10 में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन पत्र, जैसे ही वह नियम 12 के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किया जाय प्रविष्टि करेगा और अपने कार्यालय सूचना पट्ट पर ऐसी सूची की एक प्रति प्रदर्शित करेगा।

14. कतिपया दावों और आपत्तियों का अस्वीकृत किया जान-नियम 9 व नियम 10 के अधीन कोई आवेदन-पत्र जो इस नियमावली में विहित अवधि के भीतर या विहित प्रपत्र में या रीति से दायित्व न किया गया हो, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

15. नोटिस और उसकी तामिली-(1) उन मामलों के सिवाय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति की ग्राह्यता से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो, नियम 9 या नियम 10 के अधीन प्रत्येक आवेदक या आवेदन प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ता पर और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति की गयी है, प्रपत्र 6 में एक नोटिस तामिल की जायेगी, जिसमें वह स्थान और समय विनिर्दिष्ट होगा, जहाँ और जब आवेदन पत्र की सुनवाई की जायेगी और उसे या उसके अभिकर्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो, उपस्थित होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करके के संबंध में आपत्ति की गयी है, नोटिस के साथ आवेदन-पत्र की एक प्रति भी दी जायेगी।

(3) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उपनियम (1) के अधीन जारी की गयी नोटिस व्यक्तिगत रूप में तामिल की जायेगी और व्यक्ति रूप से तामिल न हो सकने पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर संबंधित व्यक्ति के निवास स्थल या अन्तिम ज्ञात पते पर उसकी एक प्रति चस्पा कर तामिल की जायेगी।

16. दावे और आपत्तियों की जांच-(1) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे सभी आवेदन-पत्रों की, जिसके संबंध में नियम 15 के अधीन नोटिस दी गयी है, संक्षिप्त जांच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा।

(2) सुनवाई में वह व्यक्ति, जिसे नोटिस तामिल की गई थी, और कोई अन्य व्यक्ति जो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसकी सहायता कर सकता है, उपस्थित होने और सुने जाने का हकदार होगा।

(3) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विवेकानुसार-

(क) किसी व्यक्ति को, जिसे ऐसी नोटिस जारी की गयी है, अपने सपक्ष स्वयं उपस्थिति होने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) यह अपेक्षा कर सकेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य शपथ पर दिया जाय, और इस प्रयोजन के लिये शपथ दिला सकेगा।

17. असावधानी के कारण छूटे हुए नामों को सम्मिलित करना-यदि नियम 19 के अधीन नामावली के अन्तिम प्रकाशन के पूर्व, यदि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रतीत हो कि असावधानी के कारण किसी निर्वाचक का नाम नामावली से अंकित होने से रह गया हो तो वह ऐसे नाम को नामावली में सम्मिलित कर सकता है।

18. मृत निर्वाचकों और उन व्यक्तियों के जो मामूली तौर से निवासी नहीं रह गये हैं या नहीं हैं, नामों का निकाला जाना-यदि नामावली तैयार करने के दौरान सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को यह प्रतीत हो कि असावधानी या त्रुटि या अन्यथा किसी कारण से मृत व्यक्तियों या उन व्यक्तियों के नाम, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गये हैं या नहीं हैं, नामावली में सम्मिलित कर लिये गये हैं और इस नियम के अधीन उपचारक कार्यवाही को जानी चाहिए तो वह-

(क) ऐसे व्यक्तियों के नाम और अन्य विवरणों की एक सूची तैयार करेगा;

(ख) अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर, उस समय और स्थान की सूचना के साथ, जहाँ नामावली से ऐसे नामों को निकाले जाने पर विचार किया जायेगा, सूची की एक प्रति प्रदर्शित करेगा और सूची और सूचना को ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित भी करेगा जिसे वह उचित समझे; और

(ग) किन्हीं मौखिक और लिखित आपत्तियों पर जो प्रस्तुत किये जायें विचार करने के पश्चात् विनिश्चय करेगा कि उन नामों में से सभी या कुछ नामों को नामावली से निकाल दिया जाना चाहिए;

परन्तु इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में इस आधार पर, कि वह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या नहीं, कोई कार्यवाही करने से पूर्व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उस व्यक्ति को कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर देने का प्रत्येक प्रयास करेगा कि उसके संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही क्यों न की जाय।

19. नामावली का अन्तिम प्रकाशन-(1) तत्पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियम 15, 16, 17 और 18 के अधीन संशोधनों की सूची के साथ नामावली की एक प्रति तैयार करेगा और निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखेगा और अपने कार्यालय में प्रयत्न 7 में सूचना प्रदर्शित करके नामावली प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर संशोधन की सूची के साथ पठित नामावली प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली होगी।

(3) जहाँ नामावली (जिसे इस उपनियम में आगे मूल नामावली कहा गया है) उपनियम (2) के अधीन, संशोधनों की सूची के साथ पठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावली हो जाती है वहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन रहते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए संशोधन सूची की प्रविष्टियों और उनसे विवरण के अनुसार मूल नामावली के सुसंगत भागों में प्रविष्टियों को पथास्थिति, सम्मिलित, संशोधित या निष्काशित करके मूल नामावली में ही संशोधन सूची की प्रविष्टियों को समाविष्ट कर सकता है, किन्तु ऐसा करने के दौरान संशोधन सूची में आये हुए किसी निर्वाचक के नाम, विवरण में कोई हेर-फेर नहीं किया जायेगा।

20. त्रुटियों को शुद्ध करना-राज्य निर्वाचन आयोग के किसी आदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि को शुद्ध

करने या निर्वाचक नामावली में दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तथ्यानुसार प्रविष्टियों को सुधारा या निकाला जायेगा।

21. नामावतियों का पुनरीक्षण-किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की नामावली अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (9) के अधीन या तो विस्तृत रूप से या सरकारी तौर पर अंशतः विस्तृत रूप में और अंशतः सरकारी तौर पर, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दे, पुनरीक्षित की जायेगी।

(2) जहाँ किसी वर्ष में नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण किया जाना हो, वहाँ वह नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 20 तक ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हैं।

(3) जब किसी वर्ष में नामावली को सरकारी तौर पर पुनरीक्षित किया जाना हो तो जब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर जो सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भागों के संशोधनों की सूची तैयार करायेगा और संशोधनों की सूची के साथ नामावली का आलेख्य प्रकाशित करेगा और नियम 7 से 20 तक के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे नामावली की प्रथम तैयारी के संबंध में लागू होते हैं।

(4) जहाँ किसी समय उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के आलेख्य के या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधना की सूची के और उपर्युक्त उपनियम (2) या उपनियम (3) के साथ पठित नियम 19 के अधीन उनके अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय, तत्समय प्रवृत्त नामावली में अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निदेश दिया जाय, वहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन नामों को पुनरीक्षित नामावली में सम्मिलित करवायेगा जब तक कि उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने पर कोई विधिमान्य आपत्ति न हो।

[21-क. दया और आपत्तियों पर विनिश्चय के आदेशों के विरुद्ध अपील-(1) नियम 16, 18 या 21 के अधीन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि अपील उस स्थिति में नहीं होगी जहाँ अपील करने के इच्छुक व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषय-वस्तु है, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसका अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिये अधिकार का पाभ नहीं उठाया है।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील-

(क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी,

(ख) विनिश्चय के दिनांक से तीन दिन की अवधि के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी,

(ग) जिस आज्ञा के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रति और एक रुपये के शुल्क के साथ होगी जो-

[1] न्यायिकतर स्टाम्प के रूप में, या

[2] राज्य सरकार के नाम में किसी सरकारी खजाने या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करके और ज्ञापन के साथ उसकी रसीद संलग्न करे, या

[3] ऐसी अन्य रीति से, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निदेश दे।

(3) इस नियम के अधीन अपील प्रस्तुत करने मात्र का यह प्रभाव न होगा कि नियम 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कोई कार्यवाही रोक दी जाये या स्थगित कर दी जाये।

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु यदि वह सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय को प्रतिवर्तित या संशोधित करता है, वहाँ वह अपील में विनिश्चय के दिनांक से ही प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियम के अधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करायेगा जो इस पैरा के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चयों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।]

22. राज्य निर्वाचन आयोग का पर्यवेक्षण और नियंत्रण—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेगा।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन रहते हुए, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और नियम 3 के अधीन नियोजित अन्य व्यक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेश के अधीन इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेंगे।

23. नामावलियों आदि की अभिरक्षा और परिरक्षण—(1) इस नियमावली के अधीन संपस्त आवेदन-पत्र और उन पर अभिलिखित विनिश्चय को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या उसका निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर नामावली के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गई नामावली के प्रभावी होने तक, जो भी पहले हो, रखा जायेगा।

(2) ग्राम पंचायत के सभी प्रादेशिक निर्वाचन संतों के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण रूप से अधिप्रमाणित नामावली को एक सम्पूर्ण प्रति 36 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी जिससे ऐसी नामावली संबंधित हो। यह प्रति समय-समय पर नामावली में किये गये संशोधनों के अनुसार संशोधित की जायेगी।

(3) प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी फीस के भुगतान पर, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय उपनियम (1) एवं (2) में निर्दिष्ट निर्वाचन उत्रों के निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(4) नामावली की मुद्रित प्रतियाँ ऐसे मूल्य पर जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, जनता को इस समय तक बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जायेगी जब तक कि अगली नामावली का प्रकाशन न हो जाय।

(5) किसी ग्राम पंचायत की नामावली का प्रकाशन होने पर नई नामावली के प्रकाशन से ठीक पूर्व प्रयुक्त नामावली संबंधित खण्ड विकास अधिकारी अभिलेखों के साथ उतने वर्ष तक जब तक के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, रखी जायेगी।

मैनुअल-5

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली, 1994¹

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 25 सन् 1947) की धारा 110 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल मितिलिखित नियमावली बनाते हैं:

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज सदस्यों, प्रधानों और उप-प्रधानों का निर्वाचन नियमावली, 1994 कही जायेगी।
- (2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

अध्याय-दो

2. परिभाषाएँ—ग्राम पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन जब तक विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस अध्याय में—

- (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 से है;
- (ख) 'निर्वाचन क्षेत्र' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है;
- (ग) 'निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार' का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है, जिसका नाम नियम 19 के अधीन तैयार की गयी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में, सम्मिलित है;
- (घ) 'निर्वाचन' का तात्पर्य ग्राम पंचायत में स्थान भरने के लिए निर्वाचन से है;
- (ङ) 'निर्वाचन विवरण' का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी से है;
- (च) 'मतदाता' का तात्पर्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे सदस्य से है जिसे मत देने का अधिकार हो;
- (छ) 'पंचायत निरीक्षक' के अन्तर्गत सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) भी है;
- (ज) 'मतदान विवरणी' का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतदान विवरणी से है;
- (झ) 'स्थान' का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए किसी क्षेत्र को आवंटित स्थान से है और
- (ञ) 'प्रतीक' का तात्पर्य नियम 12 के अधीन तैयार की गयी सूची में सम्मिलित किसी प्रतीक से है।

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और जिला मजिस्ट्रेट—(1) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अपेक्षित, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने और उनको प्रकाशित करने और निर्वाचन के संचालन से सम्बन्धित सभीकृत्य सम्पादित करेंगे।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिले में निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

4. निर्वाचन अधिकारी—(1) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए, ग्राम पंचायत में कोई स्थान या स्थानों को भरने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) नियुक्त करेगा जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि एक पंचायत क्षेत्र से अधिक के लिए उसी व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने से जिला मजिस्ट्रेट को इस नियम की कोई बात निवारित नहीं करेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी इस अध्याय के अधीन अपेक्षित कृत्य करेगा और किसी भी निर्वाचन में उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि यह वे सब कार्य और बातें करें जो अधिनियम और नियमावली द्वारा उपबन्धित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हों।

(3) उपनियम (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य निर्वाचन आयोग, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि इस नियमावली के अधीन निर्वाचन अधिकारी की ऐसी शक्तियाँ, कर्तव्य और, जो उसके द्वारा सामान्य अनुदेशों में विनिर्दिष्ट किये जावें, आदेश में विनिर्दिष्ट ऐसे निर्वाचनों और शर्तों के अधीन रहते हुए मतदान स्थल पर मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जायेगी या निर्वाह की जायेगी।

5. सहायक निर्वाचन अधिकारी—(1) जिला मजिस्ट्रेट किसी भी निर्वाचन अधिकारी को उसके कृत्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचन अधिकारी के समस्त या किसी कृत्यों को सम्पादित करने के लिए सक्षम होगा।

(3) जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो इस अध्याय में निर्वाचन अधिकारी के प्रति निर्देश में उस किसी कृत्य को सम्पादित करने वाले सहायक निर्वाचन अधिकारी भी सम्मिलित हैं, जिस कृत्य के सम्पादन के लिए वह इस नियम के अधीन प्राधिकृत है।

6. मतदान स्थल—निर्वाचन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमोदन से, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान स्थल विनिर्दिष्ट करेगा।

7. मतदान अध्यक्ष—(1) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए एक मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) नियुक्त करेगा और उसी व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

(2) मतदान अध्यक्ष उन कृत्यों को करेगा, जो कि इस अध्याय के अधीन उसके द्वारा किये जाने अपेक्षित हों और उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान स्थल पर व्यवस्था बनाये रखे और यह देखे कि मतदान सुचारु रूप से हों।

(3) यदि मतदान अध्यक्ष, मतदान स्थल से अनुपस्थित होने के लिए वियश हो तो उसके कृत्यों का सम्पादन ऐसा मतदान अधिकारी करेगा जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए पूर्व प्राधिकृत हों।

(4) इस अध्याय में मतदान अध्यक्ष के प्रति निर्देश, जब तक कि प्रसंग में कोई बात अन्यथा अपेक्षित न हो, ऐसा व्यक्ति सम्मिलित समझा जाएगा जो कि मतदान अध्यक्ष के ऐसे कृत्य का सम्पादन कर रहा हो, जो वह उपनियम (2) या नियम 8 के अधीन करने के लिए प्राधिकृत है।

8. मतदान अधिकारी—(1) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए उतने मतदान अधिकारी (पोलिंग आफिसर) या अधिकारियों को, जितना कि वह मतदान अध्यक्ष के कार्याकु में सहायता करने या ऐसे अन्य कार्यों को करने के लिए, जो कि इस अध्याय में दिये गये कार्याकु के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा।

(2) यदि मतदान अधिकारी, मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो मतदान अध्यक्ष उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से निर्वाचन या निर्वाचन के सम्बन्ध में नियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, जो मतदान स्थल पर उपस्थित है, अनुपस्थित पूर्वतर अधिकारी के दौरान में मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है, और ऐसी किसी नियुक्ति की दस्ता में निर्वाचन अधिकारी को तदनुसार सूचना देगा।

9. निर्वाचन अनिर्कर्ता—निर्वाचन का उम्मीदवार लिखित में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचक को अपना निर्वाचन अनिर्कर्ता (इलेक्शन एजेन्ट) नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति की सूचना निर्वाचन अधिकारी को दी जायेगी।

10. मतदान अभिकर्ता—(1) निर्वाचन सड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, ग्राम पंचायत के निर्वाचकों में से किसी एक अन्य व्यक्ति को मतदान स्थल पर ऐसे उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्ति लिखित में एक पत्र द्वारा की जायेगी, जिसे निर्वाचन प्रारम्भ होने के पहले मतदान अध्यक्ष को दिया जाएगा।

11. नाम निर्देशन पत्रों की छपाई और उनका मूल्य—राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये किसी निर्देश के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट नाम निर्देशन पत्रों की छपाई और उम्मीदवारों को उनकी पूर्ति की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र का मूल्य ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पचास रुपये से अधिक तथा प्रधान के रूप में निर्वाचन के लिए एक सौ रुपये से अधिक इतना होगा जितना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया जाय।

12. प्रतीकों की सूची—राज्य निर्वाचन आयोग, अधिसूचना द्वारा उन प्रतीकों को जिन्हें निर्वाचनों में उम्मीदवार चुन सकेंगे, और उन निर्वाचनों को, जिनके अधीन उनका चुनाव होगा, विनिर्दिष्ट करेगा।

13. सदस्यों का निर्वाचन—अधिनियम की धारा 12 के अधीन निर्वाचन इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार होंगे।

14. निर्वाचन की सूचना और दिनांक का निर्धारण—(1) जब कभी सामान्य चुनाव किया जाना हो, जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, किसी ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, ऐसे दिनांक से पहले जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाए, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने की अपेक्षा कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले की सभी ग्राम पंचायतों या ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक ही सूचना जारी करने से निवारित नहीं करेगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जाएं—

(क) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान और समय,

(ख) नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने का दिनांक, समय और स्थान;

(ग) उम्मीदवारों से नाम वापस लेने का दिनांक, स्थान और समय और

(घ) दिनांक जब और समय जिसके बीच मतदान, यदि आवश्यक हो, होगा, भी निश्चित करेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी ऐसे दिनांक, स्थान और समय की जो कि उपनियम (1) व (2) के अधीन नियत किये जाय सार्वजनिक घोषणा ऐसी रीति में करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट नियत करें।

(4) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (3) के अधीन घोषणा में नियम 8 में दिये मतदान स्थान को भी निर्धारित करेगा।

15. नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना—(1) कोई व्यक्ति जो किसी निर्वाचन के लिए नाम निर्देशित होना चाहता हो, स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन अधिकारी को ऐसे दिनांक, स्थान और समय पर जो नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन नियत किये हों, एक नाम निर्देशन पत्र, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होगा, प्रस्तुत करेगा।

(2) जब कोई उम्मीदवार ऐसे स्थान पर अपना चुनाव कशना चाहता हो जो अनुसूचित जन जातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षित हो तो नाम निर्देशन पत्र के साथ उसके इस बात को एक प्रख्यापन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह यथास्थिति अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है और विशिष्ट जनजाति या जाति जिसका वह है, विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) कोई नाम निर्देशन पत्र जो उस दिनांक पर जो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत किया गया हो, नियत समय समाप्त होने से पहले प्रस्तुत न किया जाय, निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) इन नियमों में दी गयी किसी बात से कोई उम्मीदवार इसके लिये बाध्य न होगा कि वह एक ही निर्वाचन क्षेत्र में वह नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्देशित न किया जाये

(5) यदि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक पर उस समय से पहले जो कि इस सम्बन्ध में नियत किया गया हो कोई भी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत न किया जाये तो निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

16. नाम निर्देशन पत्रों की सूचना—निर्वाचन अधिकारी नियम 15 के अधीन नाम निर्देशन पत्रों के प्राप्त होने के पश्चात् ऐसे व्यक्तियों को जो नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करें उस दिनांक, समय और स्थान की सूचना देगा, जिस पर नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जायेगी और नाम निर्देशन पत्रों पर क्रम-संख्या लिखेगा और उस पर इस प्रमाण के हस्ताक्षर करेगा कि उक्त नाम निर्देशन पत्र उसको किस दिनांक और समय पर प्राप्त हुए और वह प्राप्त हुए नाम निर्देशन पत्रों की एक सूची तैयार करेगा और नाम निर्देशित किये हुए व्यक्तियों के नामों की घोषणा करेगा।

17. नाम निर्देशन पत्रों की जांच—(1) उस दिनांक, समय और स्थान पर जो कि नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने के लिए नियत किये गये हैं निर्वाचन अधिकारी ऐसे नाम निर्देशन पत्रों की जांच करेगा जो नियम 15 के उप नियम (3) के अधीन पहले से ही अस्वीकृत न किये गये हो। यह जांच ऐसे उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में, यदि कोई हो, की जायेगी और उनको नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने की सुविधा दी जायेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी किसी नाम निर्देशन पत्र को निम्नलिखित एक या अधिक आधारों पर अस्वीकृत कर सकता है—

(क) उम्मीदवार स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के निमित्त अधिनियम के अधीन अनर्हित हो,

(ख) उम्मीदवार अधिनियम की धारा 5-क के अधीन स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के निमित्त अनर्हित हो,

(ग) नियम 15 के किसी उपबन्ध का पालन नहीं किया गया है, या

(घ) उम्मीदवार या उसके प्रस्तावक का हस्ताक्षर ठीक नहीं है अथवा यह कपट द्वारा किया गया है

निर्वाचन अधिकारी किसी नाम निर्देशन पत्र को किसी तकनीकी दोष के अथवा ऐसी अन्य भूल के कारण जो सारवात न हो, अस्वीकृत न करेगा और किसी ऐसे दोष या भूल को दूर करने के लिये नाम निर्देशन पत्र में किसी प्रविष्टि को ठीक करने की अनुज्ञा दे सकता है

(3) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसको स्वीकार या अस्वीकार करने के सम्बन्ध में अपना निर्णय लिखेगा और यदि नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किया गया हो तो वह उस पर अस्वीकार करने के कारण को संक्षिप्त रूप में लिखेगा।

(4) नाम निर्देशन पत्रों की जांच समाप्त होने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों के नाम घोषित करेगा जिनका नाम निर्देशन उसने स्वीकार कर लिया हो और इस प्रकार स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची हिन्दी वर्णमालानुक्रम में तैयार करेगा जिसमें ये व्योरे दिये जायेंगे जो उनके नाम निर्देशन पत्रों में दिया गया हो

(5) यदि समस्त नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार कर दिये गए हों तो निर्वाचन अधिकारी इस बात की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

18. उम्मीदवारी से नाम वापस लेना—कोई उम्मीदवार लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और यह निर्वाचन अधिकारी का उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियम 14 के अधीन नाम वापसी के लिये नियत दिनांक और समय के बीच दी जायेगी। एक बार दी गई नोटिस वापस नहीं ली जा सकती और वह अन्तिम होगी।

19. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आबंटन—(1) नियम 14 के अधीन उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिये नियत दिनांक की सम्प्रति के ठीक पश्चात् निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में निर्वाचन लड़ने वालों के नाम वर्णमालानुक्रम में उसी प्रकार दिये जायेंगे जैसे वे उनके नाम निर्देशन पत्रों में दिये गये हों। वर्णमालानुक्रम का अर्थधारण उम्मीदवारों के वारसविक नामों के अनुसार किया जायेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के साथ-साथ निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए अलग-अलग प्रतीक आवंटित करेगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को कोई प्रतीक आवंटित किया जाना अंतिम होगा, सिवाय उस दशा में जब यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं निर्देशों से असंगत हो और उस दशा में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीति से संशोधित कर सकता है जैसा यह उचित समझे।

(5) प्रत्येक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उम्मीदवार को आवंटित किये गये प्रतीकों की सूचना तुरन्त दी जायेगी और उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका एक नमूना दिया जायेगा।

20. निर्विरोध निर्वाचन—(1) जहां नियम 19 के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाला केवल एक उम्मीदवार है, तो यह ऐसे उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी इस नियम के अधीन निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के नामों की और उन स्थानों के प्रकार (आरक्षित हो या अनारक्षित) जिन पर वे निर्वाचित हुए हों और आरक्षित या अनारक्षित प्रकार के बिना भी स्थानों की संख्या का जिला मजिस्ट्रेट को रपट करेगा।

21. सविरोध निर्वाचन—जहां नियम 19 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाये कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है तो वह ऐसी रीति से, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूची को तुरन्त प्रकाशित करेगा और यह घोषणा भी करेगा कि मतदान इस निमित्त निर्धारित दिनांक को और स्थान पर और समय के दौरान होगा।

22. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मृत्यु से पूर्व मृत्यु—यदि किसी उम्मीदवार की जिसका नाम निर्देशन पत्र नियम 17 के अधीन जांच पर वैध पाया जाय और जिसने नियम 18 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस न लिया हो, मृत्यु हो जाय और निर्वाचन अधिकारी को उसकी मृत्यु की सूचना मतदान आरम्भ होने से पहले प्राप्त हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार की मृत्यु के सम्बन्ध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान रद्द कर देगा और निर्वाचन की सभी कार्यवाहियां हर प्रकार से उसी तरह नये सिरे से आरम्भ की जायेंगी मानों कोई नया निर्वाचन किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका नाम निर्देशन मतदान को रद्द किये जाने के समय वैध रहा हो पुनः नाम निर्देशन आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने की नोटिस मतदान रद्द किये जाने से पूर्व दिया हो, मतदान के इस प्रकार रद्द किये जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिये उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किये जाने के निमित्त पात्र न होगा।

23. मतदान स्थल में प्रवेश—(1) मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल में निर्वाचकों के प्रवेश को विनयमित करेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़ कर अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर रखेगा—

- (क) मतदान अधिकारी,
- (ख) प्रत्येक उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उसका मतदान अभिकर्ता,
- (ग) पुलिस अधिकारी और कर्तव्यरूढ़ अन्य लोकसेवक,
- (घ) निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा,
- (ङ) अन्धे या अशक्त निर्वाचक के, जो सहायता के बिना चल-फिर न सकते हों, साथ का व्यक्ति, और
- (च) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदान अध्यक्ष मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये समय-समय पर आने दें।

(2) मतदान अध्यक्ष नियम 14 के उपनियम (2) के अधीन निश्चित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश न करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि सभी निर्वाचकों को जो मतदान केन्द्र के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व उपस्थित हों, अपना मत अभिलिखित करने का हक होगा।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक का उपनियम (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रयोजनों के लिए मतदान स्थल बन्द किये जाने के पूर्व यहां पर उपस्थित समझा जाय या नहीं तो मतदान अध्यक्ष के निर्णय के लिये अभिविष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

24. मतदान की प्रक्रिया—इस अध्याय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतदान पत्र पर चिह्न लगा कर मतदान देने की रीति का अनुसरण किया जायेगा और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (PROXY) की रीति से स्वीकार नहीं किया जायेगा।

25. मत पत्र—(1) प्रत्येक मत पत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसी डिजाइन का होगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाये

(2) किसी निर्वाचक को मत पत्र जारी करने के पूर्व उस पर ऐसे सुभेदक चिह्न की मुहर लगाई जा सकेगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे

26. मत-पेटियाँ—(1) प्रत्येक मत पेट्टी ऐसी डिजाइन और रंग की होगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(2) यह इस प्रकार से बनायी जायेगी कि मतदान के समय उसमें मत पत्र डाला जा सके किन्तु तत्पश्चात् मत पेट्टी को खोले बिना या मुहर को तोड़े बिना निकाला न जा सके

(3) प्रत्येक मत पेट्टी या उसके किसी संघटक भाग अथवा उससे सम्बद्ध किसी चीज पर ऐसी अन्य सुभेदक चिह्न भी लगाया जाएगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे

27. मतदान की सूचना—मतदान का स्थान और मतदान केन्द्र के बाहर और भीतर प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित किया जायेगा :

(क) मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट करती हुई एक सूचना जिसके निर्वाचकों को यथास्थिति मतदान स्थान या मतदान केन्द्र पर मत देना हो, और

(ख) नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन सड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रतिलिपि।

28. मतदान की गोपनीयता के लिए व्यवस्था—मतदान स्थल पर उतनी संख्या में मतदान कोष्ठ (कम्पार्टमेंट) होंगे जिसमें निर्वाचक अपने मत, अन्य व्यक्तियों की दृष्टि से बचाकर, अभिलिखित कर सके जैसा निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझे

29. मतदान स्थल पर मतपत्र और अन्य सामग्रियों का उपलब्ध कराया जाना—निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल पर निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा :

(क) उतनी मतपेटियाँ जितनी आवश्यक हों,

(ख) पर्याप्त संख्या में मतपत्रों और उस निर्वाचन क्षेत्र के, जहाँ के निर्वाचक मतदान स्थल पर मत देने के हकदार हों, मतदान क्षेत्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों की प्रतियाँ, और

(ग) अन्य उपकरण और उपसाधन जो मतदान कराने के लिए अपेक्षित हों।

30. मतदान के लिए मतपेटियों की तैयारी—(1) मतदान अध्यक्ष, मतदान आरम्भ होने के ठीक पूर्व निर्वाचन सड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं को जो ऐसे स्थल पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयुक्त की जाने वाले प्रत्येक मतपेट्टी का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा और उनको यह दिखलायेगा कि वे सख्त हो।

(2) तत्पश्चात् उपर्युक्त व्यक्तियों की उपस्थिति में मतपेट्टी बन्द कर दी जायेगी और जहाँ मतपेट्टियों की सुरक्षा के लिए कागज की मुहर का प्रयोग करना आवश्यक हो वहाँ मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेट्टी के लिए कागज की मोहर पर अपना हस्ताक्षर करेगा और उस पर ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेगा या उनकी मुहरें लगवाएगा, जो उपस्थित हों और जो उन्हें लगाने के इच्छुक हों।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष ऐसे हस्ताक्षरित या मुहर लगाए हुए कागज की मुहर को मत पेट्टी में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में लगावेगा और तत्पश्चात् उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के सामने, जो उपस्थित हों ऐसी रीति से प्रत्येक मतपेट्टी को सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा और मुहर लगायेगा कि उसमें मतपत्र डालने के लिये छिद्र खुला रहे।

(4) जहाँ मतपेटियों की सुरक्षा के लिए कागज की मुहरों का प्रयोग आवश्यक न हो, वहाँ मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी को ऐसी रीति से सुरक्षित और मुहरबंद करेगा कि मतपत्रों को डालने के लिये छिद्र खुला रहे और उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं को, जो कि उपस्थित हों, यदि वे इच्छुक हों, अपनी मुहरें लगाने की अनुमति देगा।

31. मतपत्रों को डालने के लिए मतपेटी को रखा जाना—मतपत्रों को डालने के लिए प्रत्येक मतपेटी को मतदान अध्यक्ष, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं के सामने रखा जायेगा।

32. निर्वाचकों की पहचान—(1) मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल पर ऐसे व्यक्तियों को जैसा उपयुक्त समझकर निर्वाचकों की पहचान करने में मदद करने या मतदान कराने में अपनी अन्यथा सहायता के करने के लिए सेवार्योजित कर सकता है।

(2) जैसे ही कोई निर्वाचक मतदान स्थल में प्रवेश करे वैसे ही मतदान अध्यक्ष या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत मतदान अधिकारी निर्वाचक का नाम तथा अन्य व्योरों की जांच निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि से करेगा और तब निर्वाचक की क्रम-संख्या, नाम और अन्य व्योरें पुकारेगा।

(3) कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता निर्वाचक विशेष होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की पहचान पर आपत्ति कर सकता है और जहाँ ऐसी आपत्ति की जाय, तो मतदान अध्यक्ष उस आपत्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए आपत्तिकर्ता से यह अपेक्षा करेगा कि अपनी आपत्ति के प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करे और आपत्तिकृत व्यक्ति भी अपनी पहचान के प्रमाण में साक्ष्य प्रस्तुत करे।

(4) यदि ऐसी जांच के पश्चात् मतदान अध्यक्ष की यह राय हो कि आपत्ति सिद्ध नहीं हुई है तो वह आपत्तिकृत व्यक्ति को मत देने की अनुमति देगा।

(5) मतपत्र प्राप्त करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निश्चित करने के लिए मतदान अध्यक्ष निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि की केवल लिपिकीय या छपाई सम्बन्धी त्रुटियों की अनदेखा (overlook) करेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका यह समाधान हो जाय कि उक्त प्रविष्टि ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित है।

33. निर्वाचकों को मतपत्र जारी करना—(1) किसी मतदाता की पहचान हो जाने के पश्चात् उसे एक मतपत्र जारी कर दिया जायेगा।

(2) किसी निर्वाचक को मतपत्र जारी करते समय मतदान अध्यक्ष ऐसी रीति से, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे, उसकी क्रम-संख्या, उस प्रयोजन के लिए अलग रखी गई निर्वाचक नामावली की प्रति में जिसे इस नियमावली में एतदपश्चात् 'निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति' निर्दिष्ट किया गया है, निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा।

34. मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखने और मतदान की प्रक्रिया—(1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे इस नियमावली के नियम 33 के या किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मतपत्र दिया गया हो, केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिन्पश्चात् दी गई मतदान की प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) निर्वाचक मतपत्र प्राप्त होने पर तत्कात्—

(क) मतदान कोष्ठ में से एक में जायेगा;

(ख) उस उम्मीदवार के प्रतीक पर या उसके निकट जिसके लिये वह मतदान करना चाहता हो, उस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण से मतपत्र में चिह्न बनायेगा;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ देगा कि उसका मत छिप जाय;

(घ) यदि अपेक्षा की जाय तो मतपत्र पर किया गया सुभेदक चिह्न मतदान अध्यक्ष को दिखायेगा;

(ङ) मुड़े मतपत्र को मतपेटी में डालेगा; और

(च) मतदान स्थल से बाहर चला जायेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक असम्यक विलम्ब के बिना मत देगा।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक हो तब किसी अन्य निर्वाचक को इसमें प्रवेश न करने दिया जायेगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र जारी कर दिया गया हो, मतदान अध्यक्ष द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी, उपनियम (2) में दी गई प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो मतदान अध्यक्ष या मतदान अधिकारी अध्यक्ष के निर्देशाधीन उसे दिये गये मतपत्र को, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, उससे वापस ले लेगा।

(6) मतपत्र वापस ले लिये जाने के पश्चात् मतदान अध्यक्ष उसके पृष्ठ भाग पर शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित करेगा और इन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सभी मतपत्र, जिन पर शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित हो, एक पृथक् लिफाफे में रखे जायेंगे जिसके ऊपर शब्द "(मतपत्र मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन)" लिखा होगा।

(8) किसी ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए ऐसा निर्वाचक जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस लिया गया है, जिम्मेदार हो, यदि मतपत्र पर कोई मत अभिलिखित किया गया हो तो उसकी गणना नहीं की जायेगी।

35. अन्य या अशक्त निर्वाचकों द्वारा मतों का अभिलेख—(1) यदि मतदान अध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि कोई निर्वाचक अचेपन या अशक्तता के कारण मतपत्र के प्रतीकों का बिना सहायता के पहचानने या उन पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अध्यक्ष निर्वाचक को उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र मोड़ने जिससे मत छिप जाय और उसे मत पेटी में डालने के लिए अपने साथ एक साथी, जो अट्ठारह वर्ष से कम न हो मतदान कोष्ठक में ले जाने की अनुमति देगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व उस व्यक्ति से इस बात की घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को गोपनीय रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है।

(2) मतदान अध्यक्ष इस नियम के अधीन सभी मामलों का एक अभिलेख निहित प्रपत्र में रखेगा।

(3) किसी मतदान केन्द्र पर मतदान अध्यक्ष किसी निर्वाचक द्वारा इस प्रकार को अनुरोध किये जाने पर उसे मतों को अभिलिखित करने के लिए मत पत्र के साथ दिये गये अनुदेशों को स्पष्ट करेगा।

36. किसी निर्वाचक द्वारा मतपत्रों का लौटाया जाना—(1) यदि कोई निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का निश्चय करे तो उसे मतदान अध्यक्ष को लौटा देगा।

(2) प्रत्येक ऐसे मत पत्र पर शब्द "रद्द किया गया, लौटाया गया" अंकित किया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा और मतदान अध्यक्ष ऐसे सभी मतपत्रों का एक अभिलेख रखेगा।

(3) यदि किसी निर्वाचक ने असाध्यानी के कारण अपने मतपत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मतपत्र के रूप में सुविधापूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो उसके मतदान अध्यक्ष को मतपत्र लौटाने पर और असाध्यानी के बारे में उसका समाधान कर देने पर, दूसरा मतपत्र दिया जा सकता है और इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर मतदान अध्यक्ष द्वारा शब्द "खराब और रद्द किया गया" अंकित किया जायेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा।

37. मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में मतदान अध्यक्ष का प्रवेश करना—(1) यदि मतदान अध्यक्ष को यह सन्देह करने का कारण हो कि कोई निर्वाचक तो मतदान कोष्ठ में गया है, मतदान कोष्ठ में अनुमति देरी तक रक्षा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकता है और ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो मतदान की निर्दिष्ट और सत्तर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।

(2) जब कभी मतदान अध्यक्ष इस नियम के अधीन मतदान कोष्ठ में प्रवेश करे तो उसके साथ निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो ऐसा करना चाहें, होंगे।

38. मतपेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र—यदि कोई मतपत्र जो किसी निर्वाचक को जारी किया गया हो, उसके द्वारा मतपेटी में न डाला जाय, और यह मतदान स्थल में या उसके निकट पाया जाये तो उसे रद्द कर दिया जायेगा और उसके सम्बन्ध में नियम 38 में दी गई रीति से कार्यवाही की जायेगी।

39. निविदत्त मत—(1) यदि कोई व्यक्ति अपने को निर्वाचक विशेष के रूप में प्रदर्शित करते हुए ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात्, मतपत्र के लिए आवेदन करे तो उसे अपनी पहचान के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानपूर्वक उत्तर देने के पश्चात्, जैसा कि मतदान अध्यक्ष पूछे। मतपत्र दिया जायेगा जिसके दूसरी ओर मतदान अध्यक्ष स्वयं शब्द 'निविदत्त मतपत्र' लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र दिये जाने के पूर्व निर्दिष्ट प्रपत्र की सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा।

(3) तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति यथासम्भव नियम 34 के उपबन्धों के अनुसार निविदत्त मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा, किन्तु अपना मतपत्र मतपेटी में नहीं डालेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा निविदत्त पत्र मतदान अध्यक्ष को दिया जायेगा, जो उसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में सुरक्षित रखेगा। ऐसे मतों की गणना निर्वाचक अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी।

40. मतदान के पश्चात् मतपेटियों आदि का मुहरबन्द किया जाना—(1) मतदान समाप्त होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के छेद को बन्द कर देगा और जहाँ पेटी में छेद करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति नहीं है जहाँ उस छेद पर मुहर लगायेगा और किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता को जो उपस्थित हों, उस पर मुहर लगाने की अनुमति देगा।

(2) तत्पश्चात् सभी मतपेटियों पर विनिर्दिष्ट रीति से मुहर लगाई जायेगी और उन्हें सुनिश्चित रूप से बन्द किया जायेगा।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष निम्नलिखित का अलग-अलग पैकेट बनायेगा—

(क) एक लिफाफे में निविदत्त मतपत्र,

(ख) रद्द किये गये मतपत्र,

(ग) निर्वाचक नामावली की चिह्नित सूची,

(घ) उपयोग में न लाये गये मतपत्र, और

(ङ) ऐसा कोई अन्य पत्र जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी ने मुहर बन्द पैकेट में रखने का निर्देश दिया हो।

(4) प्रत्येक ऐसे पैकेट पर मतदान अध्यक्ष और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा मुहर लगाई जायेगी, जो उन पर अपनी मुहर लगाना चाहें।

41. मतपत्रों का लेखा—मतदान अध्यक्ष मतदान के बन्द होने पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतपत्र लेखा तैयार करेगा।

42. मतपेटियों आदि का निर्वाचन अधिकारी को प्रेषण—नियम 40 के अनुसार मतपेटियों और पैकेटों को मुहरबन्द कर दिये जाने के पश्चात् यथासाध्यशीघ्र मतदान अध्यक्ष ऐसे स्थान पर जैसा निर्वाचन अधिकारी निर्देश दे—

(क) मतपेटियाँ,

(ख) नियम 40 में निर्दिष्ट पैकेट;

(ग) मतदान लेखा; और

(घ) मतदान में उपयोग में लाए गये सभी अन्य पत्र निर्वाचन अधिकारी को सुपुर्द करेगा या करवायेगा।

43. मतपेटियों और पैकेटों का परिवहन और उनकी अभिरक्षा—निर्वाचन अधिकारी नियम 42 में निर्दिष्ट सभी मतपेटियों, पैकेटों और अन्य पत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारम्भ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध करेगा।

44. आपात स्थितियों में मतदान का स्थान—(1) यदि किसी निर्वाचन में मतदान स्थल पर कार्यवाहियों में किसी यत्ना या हिंसा द्वारा अवरोध किया जाये या बाधा उत्पन्न हो जाय या किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना सम्भव न हो, तो ऐसे मतदान स्थल का मतदान अध्यक्ष किसी ऐसे दिनांक तक जो बाद में अधिसूचित किया जायेगा, मतदान स्थगित किये जाने की घोषणा करेगा और जहाँ मतदान इस प्रकार स्थगित किया जाय, मतदान अध्यक्ष इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त देगा।

(2) जब कभी उपनियम (2) के अधीन मतदान स्थगित किया जाय तो निर्वाचन अधिकारी उक्त परिस्थितियों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त देगा और उसके पूर्वानुमोदन से यथाशक्यशीघ्र नया मतदान कराने के लिए कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहाँ पर यथा समय जिसके दौरान नया मतदान कराया जायेगा, नियत करेगा और उसे ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसा मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें

(3) यथा उपर्युक्त प्रत्येक ऐसे मामले में मतदान अध्यक्ष नया मतदान करायेगा और इस अध्याय के उपबन्ध नये मतदान के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

45. मतपेटियों के नष्ट कर दिये जाने, आदि की दशा में नया मतदान—(1) यदि किसी निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी या किसी मतदान अध्यक्ष की अभिरक्षा से कोई मतपेटी अवैध रूप से ले जायी जाय अथवा किसी प्रकार से वह बिगाड़ दी जाय या दुर्घटनावश अथवा साशय नष्ट कर दिया जाय या खो जाय तो ऐसे मतदान स्थल जिससे सम्बन्धित वह मतपेटी हो, के सम्बन्ध में मतदान अमान्य होगा।

(2) जब कभी मतदान उपनियम (1) के अधीन अमान्य हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे अमान्यकरण कार्य या घटना करने वाले की जानकारी होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से मामले की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसके पूर्वानुमोदन से नए मतदान कराने के लिए कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहाँ पर और वह समय जिसके दौरान मतदान कराया जायेगा, निश्चित करेगा और उसे ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें

(3) यथा उपर्युक्त प्रत्येक ऐसे मामलों में मतदान अध्यक्ष नया मतदान करायेगा और इस अध्याय के उपबन्ध नए मतदान के सम्बन्ध में उस प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

46. गणना के लिए समय, स्थान निश्चित करना—(1) निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना के लिए कोई दिनांक नियत करेगा जो मतदान के पूरा होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से होगा और वह स्थान तथा समय निश्चित करेगा जहाँ पर मतों की गणना की जायेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को ऐसे दिनांक, समय और स्थान की सूचना देगा।

(3) यदि मतों की गणना के लिए इस प्रकार नियत समय पर मतपेटियाँ, जिनमें मतों की गणना किए जाने के लिए मत हों निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त न हों या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से वह गणना की कार्यवाही करने में असमर्थ हों तो वह दूसरे दिनांक के लिए गणना को स्थगित कर सकता है और इसके लिए समय और स्थान निश्चित कर सकता है और उसकी सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को देगा।

47. गणना अभिकर्ता—(1) कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना के समय अपने गणना अभिकर्ता के रूप में उपस्थित रहने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति गणना प्रारम्भ होने के पूर्व लिखित रूप में की जायेगी।

(3) किसी गणना अभिकर्ता को गणना के लिए निश्चित स्थान के भीतर तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जब तक कि वह उपनियम (2) के अधीन अपनी नियुक्ति का पत्र निर्वाचन अधिकारी को न दे दें।

48. व्यक्ति जो गणना के समय उपस्थित रह सकते हैं—(1) निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना के समय किसी व्यक्ति को, सिवाय ऐसे व्यक्तियों के जिन्हें गणना करने में अपनी और निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार, उसके निर्वाचन अभिकर्ता और अपने गणना अभिकर्ता की सहायता के लिए नियुक्त करे, उपस्थित रहने की अनुमति नहीं देगा।

(2) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचन में या उसके सम्बन्ध में उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से सेवायोजित किया गया हो और अन्यथा उसके लिए कार्य कर रहा हो, मतों की गणना करने में निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो मतों की गणना के दौरान स्वयं दुरुचरण करे या निर्वाचन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करने में असफल रहे तो उसे उस स्थान से जहाँ पर मतों की गणना की जा रही हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा या ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा।

49. मतगणना के समय प्रक्रिया-नियम 46 के अधीन नियत दिनांक और समय और स्थान पर निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही करेगा :

- (क) निर्वाचन अधिकारी अपना यह समाधान करेगा कि मतदान में प्रयुक्त सभी मतपेटियाँ और जिनकी उस स्थान पर गणना की जानी हो, प्राप्त हो गयी हो और उनका लेखा दे दिया गया है।
- (ख) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी गणना के समय उपस्थित उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणना अभिकर्ताओं को अपना यह समाधान करने के लिए कि मतपेटियाँ और मुहरें ठीक दशा में हो, उनका निरीक्षण करने का अवसर देगा।
- (ग) निर्वाचन अधिकारी अपना यह भी समाधान करेगा कि पेटियों में से किसी भी पेटो को वस्तुतः बिगाड़ा नहीं गया है यदि कोई पेटो बिगाड़ी गयी या नष्ट की गयी या खो गयी पायी जाये तो निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना करने की कार्यवाही न करेगा और नियम 45 के उपबन्ध लागू होंगे।
- (घ) यदि निर्वाचन अधिकारी को यह समाधान हो जाये कि ये सभी मत पेटियाँ जिनकी उस स्थान पर मतगणना की जानी हो, प्राप्त हो गयी हो और वे ठीक दशा में हो तो वह मतपेटियों में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना प्रारम्भ करेगा। मतदान स्थल पर प्रयुक्त सभी मतपेटियों को खोला जायेगा और उन पेटियों में प्राप्त मतपत्रों की गणना राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार उसी समय की जायेगी।
- (ङ) मतदान स्थल की पेटियों में पाए गए मतपत्रों का लेखा, निरीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में अभिलिखित किया जायेगा।
- (च) निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवारों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणना अभिकर्ताओं को, जो उपस्थित हों, ऐसे सभी मतपत्रों का, जो निर्वाचन अधिकारी की राय में अस्वीकृत किए जाने योग्य हों, निरीक्षण करने का उचित अवसर देगा किन्तु उन्हें इन मतपत्रों या किसी अन्य पत्र को छूने (Handle) की अनुमति नहीं देगा। निर्वाचन अधिकारी ऐसे प्रत्येक मतपत्र पर जो अस्वीकृत कर दिया जाये हिन्दी में देवनागरी लिपि में अस्वीकृति पृष्ठांकित करेगा। यदि कोई उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतपत्र के अस्वीकार किए जाने की यथार्थता पर आपत्ति करे तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतपत्रों पर, उसे अपने अस्वीकार करने के कारण संक्षिप्त रूप में अभिलिखित करेगा।
- (छ) मतदान स्थल की मतपेटियों में अन्तर्विष्ट सभी मतपत्रों की गणना पूरी हो जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी ऐसे सभी मतपत्रों को एक पृथक् पैकेट में रखवायेगा जिस पर ऐसे ब्योरे अंकित होंगे जिससे मतदान स्थल, ग्राम पंचायत का नाम और निर्वाचन क्षेत्र जिससे वह सम्बन्धित मतपत्र हों, की पहचान हो सके।

50. मतपत्रों को अस्वीकार किये जाने के आधार—(1) निर्वाचन अधिकारी कोई मतपत्र अस्वीकृत कर देगा—

- (क) यदि उस पर कोई ऐसा चिह्न या लेख है जिससे मतदाता पहचाना जा सकता हो, या
- (ख) यदि वह अप्रमाणिक मतपत्र हो, या
- (ग) यदि वह इस प्रकार क्षत या विक्षिप्त किया गया हो कि वास्तविक मतपत्र के रूप में उसकी पहचान सिद्ध नहीं की जा सकती हो, या

- (घ) यदि उस पर उस विशिष्ट मतदान स्थल में प्रयोग के लिए अधिकृत मतपत्र की यथास्थिति क्रम-संख्या या डिजाइन से भिन्न क्रम-संख्या या डिजाइन हो या
 (ङ) यदि उस पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरे जाने के लिए अपेक्षित स्थानों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों को मत दिया जाय, या
 (च) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित न हों

(2) किसी मतपत्र पर अभिलिखित मत अस्वीकृत कर दिया जायेगा यदि मतपत्र पर मत दिये जाने को इंगित करने वाला चिह्न ऐसी रीति से लगाया गया हो जिससे यह सन्देहपूर्ण हो कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि मतपत्र केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि मत इंगित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या कि विशिष्ट उम्मीदवार के नाम के सामने से एक से अधिक बार लगाया गया है

यदि मतपत्र पर जिस ढंग से चिह्न लगाया गया हो उससे स्पष्टतया यह आशय निकलता हो कि वह मत किसी विशिष्ट उम्मीदवार के लिये दिया गया है

(3) किसी मतपत्र की या किसी ऐसे मतपत्र पर दिये गये मत की वैधता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी का निर्णय किसी निर्वाचन याचिका के जिसमें निर्वाचन प्र आपत्ति की गई हो परीक्षण पर दिए गए किसी प्रतिकूल निर्णय के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

51. मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखों का स्थापन - निर्वाचन अधिकारी विनिर्दिष्ट मतपत्रों या निर्वाचक नामावली के चिह्नित प्राप्त मुहरबन्द पैकेटों को नहीं खोलेगा। वह नियम 41 के अधीन मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र का स्थापन, गणना किये गये मतों और अस्वीकृत मतपत्रों, अपने पास के अप्रयुक्त या खराब मतपत्रों की संख्या को और विनिर्दिष्ट मतों की सूची से मिलावट करके करेगा। तत्पश्चात् यह प्रत्येक ऐसे पैकेट को जिसे उसने खोला हो, फिर से बन्द करेगा और फिर से मुहर लगायेगा और प्रत्येक पैकेट पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का विवरण ग्राम पंचायत का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का विवरण और निर्वाचन का दिनांक जिसके सम्बन्ध में वह हो, अभिलिखित करेगा।

52. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन विवरणी-तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी तैयार प्रमाणित करेगा जिसमें निम्नलिखित का वर्णन करेगा :

- (क) ऐसे उम्मीदवारों के नाम, जिसके लिए वैध मत दिए गए हों,
 (ख) प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गये वैध मतों की संख्या,
 (ग) वैध मतपत्रों की कुल संख्या,
 (घ) अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या,
 (ङ) विनिर्दिष्ट मतपत्रों की संख्या, और
 (च) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम।

तत्पश्चात् यह किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता को ऐसी विवरणी की प्रतिलिपि या उद्धरण लेने की अनुमति देगा।

53. परिणाम की घोषणा-निर्वाचन अधिकारी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को सम्बन्ध रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

54. मतों की समता-यदि मतों की गणना के समाप्त होने के पश्चात् किन्हीं उम्मीदवारों के बीच मतों की समता हो और मतों में एक मत जोड़ दिए जाने से उन उम्मीदवारों में कोई एक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए हकदार हो जाये तो निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच पक्षी डालकर तत्काल निश्चय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा मान्ने जिस उम्मीदवार के नाम पक्षी निकले उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ हो

55. परिणाम की सूचना-परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र निर्वाचन अधिकारी परिणाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट और ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को भी देगा। जिला मजिस्ट्रेट परिणाम की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

56. निर्वाचन से सम्बन्धित विवरणी और मतपत्रों तथा अन्य पत्रों की अभिरक्षा—(1) निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्वाचन से सम्बन्धित मतपत्रों के पैकेटों तथा अन्य पत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विवरणी भेजेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्वाचन से सम्बन्धित मतपत्रों के पैकेटों तथा अन्य पत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये भेजेगा।

57. निर्वाचन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और निरीक्षण—(1) जब जिला पंचायत राज अधिकारी की अभिरक्षा में मतपत्रों में शक है या वे अस्वीकृत या निविदत्त हों और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के पैकेट हों तो वे तब तक न तो खोले जायेंगे, न उनका किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा और न उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा जब तक कि निर्वाचन याचिका की सुनवाई करने वाला कोई सक्षम न्यायालय या कोई जिला जज आदेश न दें जब निरीक्षण का आदेश दिया जाये तो उसके लिए दो रुपये प्रति दिन, जिस दिन निरीक्षण किया जाय, के हिसाब से शुल्क दिया जायेगा।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य सभी पत्रों का निरीक्षण जनता द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन यदि कोई हो जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा और उसके लिए बीस रुपये प्रतिदिन जिस दिन निरीक्षण किया जाय, के हिसाब से शुल्क दिया जायेगा।

(3) जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा नियम 56 के उपनियम (1) के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित विवरणियों की प्रतिलिपियां बीस रुपये प्रतिलिपि के हिसाब से शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी।

(4) ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, जिनका उपनियम (2) के अधीन निरीक्षण करने की अनुमति हो, उनके लिए आवेदन पत्र देने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर जिस दर पर राज्य में किसी राजस्व अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश की एक प्रतिलिपि के लिए शुल्क लिया जाता हो, शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी। पत्रों की प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र सादे कागज पर प्रस्तुत किया जा सकते हो और उस पर कोई न्यायिक स्टाम्प लगाना आवश्यक न होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट किसी पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी और उसके कार्यालय से जारी की जायेगी।

58. ग्राम पंचायत का संबन्धन—(1) जैसे ही ग्राम पंचायत के सदस्यों के कम से कम दो तिहाई स्थान और प्रधान का पद भर जाय जिला मजिस्ट्रेट यह विज्ञापित करेगा कि ग्राम पंचायत यथाविधि संगठित की गई है।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना में सदस्यों और प्रधान के नाम होंगे इसकी एक प्रतिलिपि को सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के कार्यालय में दिक्कत इत्ते प्रकाशित किया जायेगा। एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को भेजी जायेगी।

59. उप निर्वाचन—जहां ग्राम पंचायत के किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग-पत्र दिये जाने, हटये जाने, निर्वाचन के अमान्य (Void) किये जाने या ग्राम पंचायत के किसी सदस्य की अधिनियम की धारा 43 के अधीन न्याय पंचायत का पंच नियुक्त किये जाने के कारण कोई स्थान रिक्त हो तो जिला मजिस्ट्रेट सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे दिनांक से पूर्व जो उसके द्वारा निश्चित किया जाय, ग्राम पंचायत के लिए सदस्य का निर्वाचन करने के लिए कहेगा और नियम 14 के उपबन्धों के अनुसार उप निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा और इस अध्याय के उपबन्ध यथासंभव ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

60. न भरे गये स्थानों के लिए निर्वाचन—(1) किसी स्थान के रिक्त बने रहने की सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट यथासंभव शीघ्र सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा निश्चित किया जाय ग्राम पंचायत के लिए सदस्य का निर्वाचन करने के लिए कहेगा और नियम 14 के उपनियम (2) में उल्लिखित प्रत्येक मद के नया दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा और इस अध्याय के उपबन्ध यथासंभव ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(2) यदि फिर भी निर्वाचन क्षेत्र में उपनियम (1) के अधीन हुए निर्वाचन में सदस्य निर्वाचित न किया जा सकें तो जिला मजिस्ट्रेट इस तथ्य की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

61. यास्तिर्या—किन्ही भी ऐसे व्यक्ति को जो—

- (क) नियमों का उल्लंघन कर निर्वाचक नामावली या उसकी प्रति या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन या गड़बड़ करे, या
- (ख) इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए नियुक्ति या सेवामयोजित किसी अधिकारी या सेवक को अपने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाले या हस्तक्षेप करे, या
- (ग) किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्य स्थान पर बिपकाये गये या अन्यथा प्रकाशित किसी प्रतिलिपि, नोटिस या अन्य दस्तावेज को बिलपित करे, क्षति पहुँचाये, उलट-पुलट करे या हटाये तो वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

62. निर्वाचन पत्रों का निस्तारण—(1) निर्वाचन विवरणी और क्रमशः नियम 52 और नियम 55 में उल्लिखित रिपोर्ट तत्सम्बन्धी पद के आगामी सामान्य निर्वाचन की समाप्ति तक रखे जायेंगे तत्पश्चात् उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या किसी प्राधिकारी द्वारा जो निर्वाचन याचिका की सुनवाई करता हो, दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुए नष्ट कर दिया जाएगा।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त अन्य पत्रादि एक वर्ष की अवधि के लिए रखे जायेंगे और तत्पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या किसी प्राधिकारी द्वारा जो निर्वाचन याचिका की सुनवाई करता हो, दिए गए किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुए नष्ट कर दिया जायेंगे।

अध्याय-तीन

प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन

63. निर्वाचन-(1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो इस अध्याय में—

(क) 'निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार' का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है जिसका नाम नियम 71 के अधीन पंचायत की गयी, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित हो,

(ख) 'निर्वाचन' का तात्पर्य ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिए निर्वाचन से है।

(2) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में जो कि अपना नाम न लिख सकता हो इन नियमों में अन्यथा स्पष्टया उपबन्धित के सिवाय, यह माना जायेगा कि उसमें किसी लिखित या अन्य पत्र पर हस्ताक्षर किये हो, यदि—

(क) उसने निर्वाचन अधिकारी या मतदान अध्यक्ष की उपस्थिति में ऐसे लिखतों या अन्य पत्र पर अपने अंगूठे का चिन्ह लगा दिया है, और

(ख) ऐसे अधिकारी या अध्यक्ष उसकी पहिचान की संस्तुति करके उस व्यक्ति के अंगुष्ठ चिन्ह को प्रमाणित कर दिया है, कि उक्त चिन्ह उसी व्यक्ति का अंगुष्ठ चिन्ह है।

(3) अध्याय 2 के नियम 2 के उपबन्ध उपनियम (1) के खण्ड (ख), (ग), (ज), (झ) के सिवाय यथावश्यक परिवर्तनोक्त के साथ इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन निर्वाचनों और निर्वाचन पर लागू होंगे।

64. कतिपय उपबन्धों का लागू होना— अध्याय 2 के नियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 10 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ इस अध्याय के अधीन निर्वाचनों पर भी लागू होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 4 और 5 के अधीन नियुक्त निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए क्रमशः निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन होंगे, और यह आवश्यक न होगा कि अलग से कोई नियुक्ति की जाय।

प्रतिबन्ध यह भी है कि निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थान पर मत डालने से उससे मतदान बूथ (मसतपदह इयजली) सत्यापित कर सकता है, जितने कि वे मतदान की सुविधा के लिए आवश्यक समझें।

65. प्रधान का सामान्य (जनरल) निर्वाचन— ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिये सामान्य निर्वाचन इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

66. प्रतीकों की सूची— राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन में प्रयोग किये जाने के लिए प्रतीक नियत करेगा।

67. नाम निर्देशन पत्रों का मुद्रण और उनकी पूर्ति— जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अधीन नाम निर्देशन पत्रों का मुद्रण और पूर्ति उम्मीदवारों को करने की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र का मूल्य जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निश्चित किया जाये, इस प्रकार से होगा कि वह 25 रुपये से अधिक न हो।

68. निर्वाचन सूचना और दिनांक का नियम किन्ना जान्ना— जब कभी किसी नई ग्राम पंचायत के संघटन के लिए सामान्य निर्वाचन करना हो जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीनकृग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से साथ-साथ यह अपेक्षा करेगा कि वे उस दिनांक से पहले जो राज्य निर्वाचन आयोग नियत करें, प्रधान का भी निर्वाचन करें।

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले में समस्त ग्राम पंचायतों या ग्राम पंचायतों के समूह को एक ही आदेश जारी करने से निवारित नहीं करेगी।

(2) अध्याय 2 के नियम 14 के उपनियम (2) से (4) तक के उपबन्ध जहां तक हो सके इस अध्याय के अधीन निर्वाचन पर भी लागू होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त सम्बन्ध में प्रारम्भिक नाम वापसी के प्रति निर्देश का अर्थ यह लिया जायेगा कि वह नाम वापसी के प्रति निर्देश है।

69. नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना - (1) ऐसा सदस्य जो निर्वाचन के लिए नाम निर्देशित होना चाहता हो स्वयं या अपने निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा निर्वाचन अधिकारी को ऐसे दिनांक, स्थान और समय पर जो कि नियम 68 के अधीन नियत किये जायें, के पूर्व नाम निर्देशन पत्र जो कि निर्धारित प्रपत्र में होगा प्रस्तुत करेगा।

(2) उन नियमों में दी गयी किसी बात से कोई उम्मीदवार इसके लिए बाध्य न होगा कि वह एक निर्वाचन में कई नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्देशित न किया जाय।

(3) कोई नाम निर्देशन पत्र जो कि उस दिनांक पर जो कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियत किया गया हो, नियत समय के समाप्त होने से पहले प्रस्तुत न किया जाय, निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) यदि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक को उस समय से पहले जो कि इस सम्बन्ध में निश्चित किया गया हो, कोई भी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत न किया गया हो, तो निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

70. नाम निर्देशन पत्र की नोटिस, उसकी जांच और उम्मीदवारों से नाम वापसी- अध्याय 2 के नियम 16, 17 और 18 के उपबन्ध जहां तक हो सके इस अध्याय के अधीन निर्वाचन पर भी लागू होंगे।

71. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आवंटन-(1) उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के दिनांक के तुरन्त पश्चात् निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची विनिर्दिष्ट प्रपत्र में तैयार करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची के साथ ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन जो कि इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किये हैं प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार को एक भिन्न प्रतीक देगा।

(3) किसी उम्मीदवार को किसी प्रतीक का आवंटन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जायेगा और वह अस्तित्व होगा उस दशा के सिवाय जब कि वह राज्य निर्वाचन आयोग के इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों से असंगत हो। ऐसी दशा में राज्य निर्वाचन आयोग उस रीति में जो कि वह उचित समझे फिर से प्रतीक आवंटित कर सकता है।

(4) प्रत्येक उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अधिकर्ता तुरन्त उस प्रतीक से सूचित किया जायेगा जो कि नियत उम्मीदवार को आवंटित किया जाये और निर्वाचन अधिकारी उक्त प्रतीक का उसको नमूना भी देगा।

(5) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णमाला में उनके नाम निर्देशन पत्र में दिये गये नामों के अनुसार लिखे जायेंगे उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के सन्दर्भ से वर्णमाला क्रम अवधारित किया जायेगा।

72. कुछ दशाओं में निर्वाचन परिणामों की घोषणा-(1) जहां नियम 71 के अधीन सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह देखें कि केवल एक ही चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है तो वह तुरन्त उसको निर्दिष्ट कर देगा और निर्दिष्ट उम्मीदवार के नाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

73. संविरोध निर्वाचन- जब नियम 71 के अधीन सूची तैयार हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी यह देखें कि केवल एक ही चुनाव निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार है तो वह तुरन्त उसको निर्दिष्ट कर देगा और निर्दिष्ट उम्मीदवार के नाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

(2) यदि सब उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया हो तो निर्वाचन अधिकारी इस बात की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

74. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु- यदि किसी उम्मीदवार की, जो यथावधि नाम निर्देशित हो चुका है और जिसने अपना नाम वापस न लिया हो, मृत्यु जो जाय और उसकी मृत्यु की सूचना मतदान होने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार की मृत्यु के सम्बन्ध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान रद्द कर देगा और निर्वाचन की सभी कार्यवाही इस प्रकार से उसी तरह नये सिरे से प्रारम्भ की जायगी मानों कोई नया निर्वाचन किया जा रहा है।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका नाम निर्देशन मतदान रद्द किये जाने के समय वैध रहा हो पुनः नाम निर्देशन आवश्यक न होगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने मतदान रद्द किये जाने के पूर्व नियम 70 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने का नोटिस दिया हो, इस प्रकार से मतदान रद्द किये जाने के पश्चात् नाम निर्देशित किये जाने के निमित्त पात्र न होगा।

76. निर्वाचन से नाम वापस लेना—(1) जब एक के अतिरिक्त समस्त उम्मीदवार निर्वाचन से अपना नाम वापस लेना चाहें तो वे सब इस सम्बन्ध में एक संयुक्त प्रार्थना-पत्र इस बीच में जो कि आगे दी गयी है दे सकते हैं।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रार्थना-पत्र निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार स्वयं या अपने अभिकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित रीति से प्रस्तुत कर सकते हैं :

(क) निर्वाचन अधिकारी को मतदान के दिनांक से कम से कम तीन दिन पहले, या

(ख) मतदान अध्यक्ष को मतदान के निश्चित दिनांक पर तुरन्त मतदान आरम्भ होने से पहले

(3) प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर मतदान अध्यक्ष मतदान की कार्यवाही नहीं करेगा और प्रार्थना-पत्र को निर्वाचन अधिकारी के पास भेज देगा।

(4) प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी नियम 72 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा और उसके परिणाम की तदनुसार घोषणा करेगा।

78. मतदान स्थल में प्रवेश— मतदान अध्यक्ष, मतदान स्थल में निर्वाचकों के प्रवेश को विनियमित करेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों को वहां से बाहर रखेगा :

(क) मतदान अधिकारी,

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार, उसका निर्वाचित अभिकर्ता और उसका मतदान अभिकर्ता,

(ग) कर्तव्यरूढ़ता पुरतिष अधिकारी और अन्य लोकसेवक,

(घ) निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा,

(ङ) अंध या अशक्त निर्वाचक, जो सहायता के बिना चल फिर नहीं सकता हो, के साथ की व्यक्ति, और

(च) ऐसे अन्य व्यक्ति जिनको मतदान अध्यक्ष, मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय-समय पर आने दें।

(2) मतदान अध्यक्ष, नियम 114 के उपनियम (2) के अधीन मतदान बन्द करने के लिए निश्चित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश न करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सभी निर्वाचक जो मतदान केन्द्र के भीतर उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व उपस्थित हो अपने मत अभिलिखित कराने के हकदार होंगे।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक को उपनियम (2) के प्रतिबन्धात्मक दण्ड के प्रयोजनों के लिए मतदान स्थल बन्द किये जाने से पूर्व वहां पर उपस्थित समझा जाय या नहीं तो उसे मतदान अध्यक्ष किसी निर्णय के लिए अभिदिष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

77. मतदान की कार्यवाही—इस अध्याय के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मतपत्र पर निशान लगाने की पद्धति अपनाई जायेगी और मत प्रतिनिधि के द्वारा (PROXY) नहीं दिया जायेगा।

78. मतपत्र—प्रत्येक मतपत्र उस प्रपत्र और डिजाइन की होगी जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दिया हो।

79. मतपेटिका—(1) प्रत्येक मतपेटी उस डिजाइन व रंग की होगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की जाय।

(2) यह पेटियां इस प्रकार बनी होंगी कि मतपत्र केवल मतदान के समय उसमें डाले जा सकें लेकिन ताला खोले या मुहर तोड़े उससे निकाले न जा सकें हों।

80. मतदान के स्थान पर सूचनाएँ—मतदान स्थान और मत डालने का कक्ष (booth), यदि कोई हो, के अन्दर और बाहर निम्नलिखित सूचनाएँ सुस्पष्ट रूप से लगा दी जायेगी।

(क) निर्वाचन क्षेत्र जिसके मतदाता उस स्थल या मतदान कक्ष पर, जैसी दशा हो, अपने मत डालने के अधिकारी हों, और

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की एक प्रति जो कि नियम 71 के अधीन तैयार की गयी हों।

81. मतदान को गुप्त रखने का प्रबन्ध—निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल पर इतने अलग-अलग कोष्ठ बनायेगा जितने कि वह आवश्यक समझे जहाँ से शहर के असदमी मतदाताओं को मत डालते समय न देख सकें।

82. मतदान स्थल पर मतपत्र तथा अन्य सामग्रियों की व्यवस्था—निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल पर निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा :

(क) उतनी मतपेटियाँ कि जितनी आवश्यक हों;

(ख) पर्याप्त संख्या में मतपत्रों और उस निर्वाचन क्षेत्र के जहाँ के निर्वाचक मतदान स्थल पर मत देने के लिए इकट्ठर हों, निर्वाचक नामावलियों की प्रतियाँ; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त सामग्री जिससे कि निर्वाचक मतपत्रों पर चिह्न लगा सकें।

83. मतदान के लिए मतपेटियों को तैयार किया—(1) मतदान आरम्भ होने के ठीक पहले मतदान अध्यक्ष निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं को जो उस स्थान पर उपस्थित हों, वे अवसर देगा कि वह प्रत्येक उन मतपेटियों का परीक्षा कर लें जो उस मतदान में प्रयोग में लायी जायेगी और उनको यह भी दिखाता देगा कि वे पेटियाँ खाली हों।

(2) प्रत्येक मतपेटी या उसका कोई भाग या कोई वस्तु जो उससे संलग्न हो, पर ऐसा सुभेदक चिह्न (distinguishing mark) डाल दिया जायेगा जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें।

(3) जब पेटियों को सुरक्षित करने के लिए कागज की मुहर लगाना आवश्यक हो तो मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी के लिए कागज की मोहर पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उस पर ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर या उनकी मोहर करायेगा जो वहाँ उपस्थित हों और जो उस पर अपने हस्ताक्षर या मोहर करना चाहें।

(4) इसके पश्चात् मतदान अध्यक्ष इस प्रकार हस्ताक्षर की हुयी या मुहर लगायी हुयी कागज की मोहर को मतदान पेटी पर उस स्थान पर चिपका देगा जो कि उसके लिए निश्चित की गयी हो, और उसके पश्चात् मतदान पेटी को उनकी उपस्थिति में इस प्रकार बन्द कर देगा और उस पर मुहर लगा देगा कि मतपत्र डालने को अिरी खुली रहें।

(5) जब पेटियों को सुरक्षित रूप से बन्द करने के लिए कागज की मुहर लगाना आवश्यक न हो तो मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी को इस प्रकार बन्द करेगा और उस पर मोहर लगायेगा कि मतपत्र डालने की अिरी खुली रहें और उम्मीदवारों तथा उनके अभिकर्ता (Agents) को जो वहाँ उपस्थित हो इस बात की अनुमति देगा कि यदि वे चाहें तो उस पर अपनी भी मुहर लगा दें।

(6) मुहर जो पेटियों को सुरक्षित रूप से बन्द करने के लिए प्रयोग में लाई जाय इस प्रकार लगायी जायेगी कि बिना मोहर तोड़े मतदान पेटी न खुल सकें।

84. मतपत्रों को डालने के लिए मतपेटियों का रखा जाना—मतपत्र डालने के लिए प्रत्येक मतपेटी इस प्रकार रखी जायेगी कि वह मतदान अध्यक्ष निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों व उनके अभिकर्ताओं को भी दिखायी रहें।

85. निर्वाचकों की पहचान—(1) मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल पर ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह निर्वाचकों की मदद करके या मतदान कराने में अपनी सहायता करने के लिए उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है।

(2) जैसे ही कोई निर्वाचक मतदान स्थल में प्रवेश करे जैसे ही मतदान अध्यक्ष, या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी, निर्वाचक का नाम तथा अन्य विवरण की जांच निर्वाचक नामावली में संगत प्रविष्टि से

करेगा और सब निर्वाचक की क्रम-संख्या, नाम और अन्य विवरण पुकारेगा।

(3) निर्वाचन लड़ने वाला कोई भी उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की पहचान के प्रति आपत्ति कर सकता है और जब ऐसी आपत्ति की जाय तो मतदान अध्यक्ष इस आपत्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त जाय करेगा और इस प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकेगा कि आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे और आपत्तिकृत व्यक्ति अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करे।

(4) यदि ऐसी जांच के पश्चात् मतदान अध्यक्ष की राय हो तो आपत्ति सत्य सिद्ध नहीं की गई है तो वह आपत्ति व्यक्ति को मतदान देने की अनुमति देगा।

(5) मतपत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के अधिकार को निश्चित करने के लिए मतदान अध्यक्ष निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि की केवल लिपिकीय या उपाई सम्बन्धी भूल पर ध्यान न देगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका समाधान को जाये कि ऐसा व्यक्ति उस निर्वाचन के समरूप है जिससे ऐसी प्रविष्टि सम्बन्धित है।

86. मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखना और मतदान की प्रक्रिया—(1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे इस नियमावली के नियम 33 के अधीन या किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मतपत्र दिया गया हो, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् निर्धारित मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) निर्वाचक मतपत्र प्राप्त होने पर तत्काल—

(क) मतदान कोष्ठों में से एक में जायेगा,

(ख) वहाँ उस उम्मीदवारों के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिये यह मतदान करना चाहता हो, मतपत्र में उस प्रयोजन के लिए दिये गये उपकरण से चिह्न बनायेगा;

(ग) मतपत्र को इस प्रकार मोड़ लेगा कि उसका मत् छिप जाय;

(घ) यदि अपेक्षित हो तो मतपत्र पर लगाया गया सुभेदक चिह्न (distinguishing mark) मतदान अध्यक्ष को दिखलायेगा;

(ङ) मुड़े मतपत्रों को मतपेटी में डालेगा; और

(च) मतदान स्थल से बाहर चला जायेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक असम्पक विलम्ब के बिना मतपत्र देगा।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक हो तब किसी अन्य निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने दिया जायेगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र दे दिया गया हो, मतदान अध्यक्ष द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी उपनियम (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो मतदान अध्यक्ष या मतदान अध्यक्ष के निर्देशाधीन मतदान अधिकारी उन्हें दिये गये मतपत्र को चाहें उसने उस पर अपना मत् अभिलिखित किया हो या नहीं वापस ले लेगा।

(6) मतपत्र वापस लिये जाने के पश्चात् मतदान अध्यक्ष उसके पृष्ठ भाग पर शब्द 'रद्द किया गया, मतदानपत्र प्रक्रिया का उल्लंघन अभिलिखित करेगा और उन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सभी मतपत्र, जिस पर शब्द 'रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन' लिखे होंगे एक अलग लिफाफे में रखे जायेंगे जिसके ऊपर शब्द 'मतपत्र, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन' लिखे होंगे।

(8) किसी ऐसी अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा निर्वाचक जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस लिया गया हो, जिम्मेदार हो, ऐसे मतपत्र पर अभिलिखित मत, यदि कोई हो, की गणना नहीं की जायेगी।

87. मतदाताओं को मतपत्रों का दिया जाना—(1) मतदाता की पहचान हो जाने के पश्चात् उसको मतपत्र दे दिया जायेगा।

(2) मतदाता को दिये जाने के पहले प्रत्येक मतपत्र पर ऐसा सुभेदक चिह्न (distinguishing mark) लगा दिया जायेगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किया हों।

(3) मतदाता को मतपत्र जारी करते समय, मतदान अध्यक्ष उस रीति से जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे, इस प्रयोजन के लिए अलग रखी गयी निर्वाचक नामावली जिसे इस नियमावली में इसके पश्चात् "निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति" कहा गया है की प्रति में निर्वाचक से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने उसकी क्रम-संख्या लिखेगा।

88. मतदान—मतपत्र प्राप्त होने पर मतदाता तुरन्त मतदान कोष्ठ में जायेगा और मतपत्र पर उस उम्मीदवार के प्रतीक पर या प्रतीक के निकट जिसको वह मत देना चाहता हो, निर्देशों के अनुसार जिसे इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग जारी करें, चिह्न लगा देगा और उसे इस तरह मोड़ देगा कि उसका मत दिखाई न दे और मतपत्र पर सुभेदक चिह्न (distinguishing mark) को मतदान अध्यक्ष को दिखा कर इस प्रकार मोड़े गये मतपत्र को मतदान अध्यक्ष की उपस्थिति में मतपेटी में डाल देगा।

(2) प्रत्येक मतदाता असम्यक् वित्तम्य के बगैर मतदान करेगा और अपना मतपत्र मतपेटी में डालते ही उस डालने के कमरे से बाहर आ जायेगा।

(3) किसी मतदाता को उस समय मतदान कोष्ठ में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जब कोई अन्य मतदाता उसके भीतर हों।

89. मतदान अध्यक्ष द्वारा जबकि उससे इसके लिए प्रार्थना की जा, मतदान के निर्देशों को समझाया जाना—जब कोई मतदाता मतदान अध्यक्ष से प्रार्थना करे, मतदान अध्यक्ष उसको मतदान के सम्बन्ध में वे निर्देश समझायेगा, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये हों।

90. अन्धे या अशक्त निर्वाचकों के मतों का अभिलेखन—(1) यदि मतदान अध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि कोई निर्वाचक अन्धेपन या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण बिना सहायता के मतपत्र में प्रतीकों को पहचानने या उन पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अध्यक्ष निर्वाचक को अपने साथ कम से कम 18 वर्ष की आयु का एक साथी, उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार, मतपत्र पर मत अभिलिखित करने के लिए तथा यदि आवश्यक हो, तो मतपत्र मोड़ने, जिससे मत छिप जाय और उसे मत पेटी में डालने के लिए, मतदान कोष्ठक में ले जाने की अनुमति देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व उस व्यक्ति से इस बात की घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को गोपनीय रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है।

(2) मतदान अध्यक्ष, इस नियम के अधीन सभी मामलों का एक अभिलेख रखेगा।

(3) मतदान केन्द्र पर मतदान अध्यक्ष, किसी उससे कोई निर्वाचक इसका अनुरोध करें, उसे मतों को अभिलिखित करने के लिए मतपत्र के साथ दिये गये अनुदेशों को स्पष्ट करेगा।

91. मतदाता द्वारा मतपत्र वापस किया जाना—(1) यदि मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसका उपयोग न करना चाहे तो उसे मतदान अध्यक्ष को वापस कर देगा।

(2) प्रत्येक ऐसे मतपत्र पर शब्द "रद्द" लिख दिया जायेगा और इस प्रयोजन के लिए रखे गये लिफाफे में रख दिया जायेगा और मतदान अध्यक्ष, ऐसे समस्त मतपत्रों का लेखा रखेगा।

92. मतदान के समय मतदान अध्यक्ष का मत कोष्ठक—(1) यदि मतदान अध्यक्ष को यह सन्देह करने का कारण हो कि किसी मतदाता ने, जिसने मत कोष्ठ में प्रवेश किया है, मत कोष्ठ में असम्यक् देर की है तो वह मत कोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे आवश्यक उपाय करेगा जिससे कि मतदान का कार्य सुगमता और शीघ्रता के साथ होता रहे।

(2) जब कभी इस नियम के अधीन मतदान अध्यक्ष, मत कोठ में प्रवेश करे, तो उसके साथ निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो जाना चाहें, जा सकते हो।

93. मतपत्रों का मतपेटियों से बाहर पाया जाना—यदि कोई मतपत्र जो किसी मतदाता को दिया गया हो, उसके द्वारा मतपेटि में न डाला गया हो, और वह मतदान स्थल में या उसके निकट पायी जाय तो वह 'रद्द' कर दिया जायेगा और उसके सम्बन्ध में नियम 91 में निर्धारित रीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

94. निविदत्त मत—(1) यदि कोई व्यक्ति अपने को निर्वाचक विशेष के रूप में प्रदर्शित करते हुए ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले ही मत देने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करे तो उसे अपनी पहचान के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानपूर्वक उत्तर देने के पश्चात् जैसा कि मतदान अध्यक्ष, पूछें, मतपत्र दिया जायेगा। इसके दूसरी ओर स्वयं मतदान अध्यक्ष, शब्द 'निविदत्त मतपत्र' लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति निविदत्त मतपत्र दिये जाने के पहले विनिर्दिष्ट प्रपत्र में तैयार की हुयी सूची में अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करेगा।

(3) इसके पश्चात् उपर्युक्त व्यक्ति निविदत्त मतपत्र पर जहां तक सम्भव हो नियम 88 के उपबन्धों के अनुसार अपना मत देगा परन्तु वह उस मतपत्र को मतदान पेटि में नहीं डालेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा निविदत्त मतपत्र मतदान अध्यक्ष को दिया जायेगा जो तुरन्त उसे इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से रखे गये लिफाफे में रखेगा। ऐसे मतों की गणना निर्वाचक अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी।

95. मतदान के पश्चात् बक्सों, आदि का मुहरबन्द किया जाना—(1) मतदान समाप्त होने पर यथाशक्य शीघ्र मतदान अध्यक्ष, प्रत्येक बक्स के छेद को बन्द कर देगा और जहां बक्स में छेद को बन्द करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति नहीं है जहां उस छेद पर मुहर बन्द करेगा और किसी निर्वाचन करने वाले उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता को जो उपस्थित हों उस पर मुहर लगाने की अनुमति देगा।

(2) तदपश्चात् सभी मत पेटियों पर विनिर्दिष्ट रीति से मुहरबन्द करेगा और उन्हें सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा।

(3) तदपश्चात् मतदान अध्यक्ष, निम्नलिखित का अलग-अलग पैकेट बनायेगा :

(क) एक लिफाफे में निविदत्त मतपत्र,

(ख) रद्द किये गये मतपत्र,

(ग) निर्वाचक नामावली की चिह्नित सूची,

(घ) उपयोग में न लाये गये मतपत्र, और

(ङ) ऐसे कोई अन्य पत्र जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी ने मुहरबन्द पैकेट में रखने का निर्देश दिया हों

(4) प्रत्येक ऐसे पैकेट पर मतदान अध्यक्ष और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा मुहर लगायी जायेगी जो उन पर अपनी मुहर लगाना चाहें।

96. मतपत्रों का लेखा—मतदान अध्यक्ष, मतदान समाप्त होने के पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतपत्रों का एक लेखा तैयार करेगा।

97. मतपेटियों, आदि का निर्वाचन अधिकारी के पास भेजा जाना—नियम 96 के अनुसार मतपेटियों और पैकेटों पर मुहर लगाये जाने के पश्चात् जितना शीघ्र सम्भव हो, मतदान अध्यक्ष ऐसे स्थान पर जो कि निर्वाचन अधिकारी निर्देश दें, निर्वाचन अधिकारी के सुपुर्द कर देगा या सुपुर्द करवायेगा।

(क) मतपेटियां;

(ख) नियम 95 में विनिर्दिष्ट पैकेट;

(ग) मतपत्रों का लेखा, और

(घ) अन्य ऐसे पत्र जो कि मतदान कार्य में उपयोग में लाए गये हों।

98. मतपेटियों और पैकेटों का भेजा जाना और संतकी अभिरक्षा—निर्वाचन अधिकारी जब तक कि मतपत्रों की गिनती प्रारम्भ न हो जाय, मतपेटियों और पैकेटों और अन्य पत्रों को जो नियम 97 में विनिर्दिष्ट किये गये हो, भेजे जाने और उनको अभिरक्षा में रखे जाने का पूरा प्रबन्ध करेगा।

99. आकस्मिक घटना की दशा में मतदान का स्थगित किया जाना—यदि किसी मतदान स्थल पर मतदान की कार्यवाही किसी बतवे या हिंसा के कारण रुक जाय या उसमें बाधा पड़ जाय या किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान की कार्यवाही सम्भव न हो तो उस मतदान स्थल का मतदान अध्यक्ष, मतदान की कार्यवाही को ऐसे दिनांक लिए, जो कि बाद में अधिसूचित किया जायेगा, स्थगित किये जाने की घोषणा करेगा। वहां मतदान की कार्यवाही को इस प्रकार स्थगित कर दिया जाय, मतदान अध्यक्ष, उसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को देगा।

(2) जब कभी उपनियम (1) के अधीन कोई मतदान कार्यवाही स्थगित कर दी जाय तो निर्वाचन अधिकारी उस परिस्थितियों की सूचना तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसकी पूर्व सूचित जहां तक सम्भव हो शीघ्र नये सिरों से मतदान के लिए दिनांक नियत करेगा और नये मतदान का स्थान और समय नियत करेगा और उनको इस प्रकार अधिसूचित करेगा जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें

(3) इस प्रकार के प्रत्येक यथा उपरोक्त मामलों में मतदान अध्यक्ष, नये सिरों से मतदान की कार्यवाही करेगा और इस अध्याय के उपबन्ध, नये मतदान की कार्यवाही पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे मूल मतदान की कार्यवाही पर लागू थे

100. मतपेटियाँ आदि नष्ट किये जाने की दशा में एक नये सिरों से मतदान—(1) यदि किसी निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी या मतदान अध्यक्ष के अधिकार में से अवैध रूप से मतपेटी छीन ली जाय या उसमें किसी अन्य प्रकार से गड़बड़ कर दी जाय या दुर्घटनावश साक्ष्य नष्ट कर दी जाय या खो जाये तो वह निर्वाचन जिसके सम्बन्ध में मतपेटी हो अमान्य हो जायेगी।

(2) जब उपनियम (1) के अधीन मतदान अमान्य हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी उस कार्य या घटना की सूचना देने के पश्चात् जिससे मतदान अमान्य हुआ है, जहां तक सम्भव हो शीघ्र इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसकी पूर्व स्वीकृति से नये सिरों से मतदान के लिए दिनांक नियत करेगा और वह स्थान और समय नियत करेगा जिस पर मतदान किया जायेगा और उसको उसी रीति में अधिसूचित करेगा, जो कि उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट निर्धारित करें

(3) इस प्रकार के प्रत्येक उपर्युक्त मामलों में मतदान अध्यक्ष, नये सिरों से मतदान करायेगा और इस अध्याय के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे नये मतदान पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे मूल मतदान पर लागू थे

101. मतपत्रों की गणना के लिए समय, स्थान और दिनांक का नियत किया जाना—(1) निर्वाचन अधिकारी मतपत्रों की गिनती के लिए एक दिनांक नियत करेगा जो मतदान की कार्यवाही होने के पश्चात् जहां तक सम्भव हो शीघ्र होगा और समय और ऐसा स्थान नियत करेगा जहां और सब मतपत्र गिने जायेंगे

(2) निर्वाचन अधिकारी, ऐसे दिनांक, स्थान और समय की सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को देगा।

(3) यदि मतदान पत्रों को गिनने से नियत समय पर निर्वाचन अधिकारी को मतपत्रों की पेटिका प्राप्त न हो तक गिनती अपरिहार्य या दूसरे कारणों से व मतपत्रों की गिनती का कार्य न करा सके तो वह गिनती का कार्य दूसरे दिनांक के लिए स्थगित कर देगा और उसके लिए समय और स्थान नियत करेगा उसकी सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निश्चित अभिकर्ताओं को देगा।

102. गणना अभिकर्ता—(1) कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गिनती के समय उपस्थित रहने के लिए एक गणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है

(2) ऐसी प्रत्येक नियुक्ति विविध रूप में की जायेगी।

(3) गिनती के समय उपस्थित रहने वाला गणना अभिकर्ता उस समय तक उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकेगा, जहां मतों की गिनती हो रही हो, जब तक कि वह उपनियम (2) के अधीन की गई अपनी नियुक्ति का पत्र निर्वाचन अधिकारी को न दें

103. व्यक्ति जो कि गिनती के समय उपस्थित रह सकते हो—(1) निर्वाचन लड़ने उम्मीदवारों, उनके अभिकर्ताओं, गणना अभिकर्ताओं और ऐसे व्यक्तियों के सिवाय जिनका निर्वाचन अधिकारी मतों की गिनती में अपनी

सहायता देने के लिए नियुक्त करे. निर्वाचन अधिकारी अन्य किसी व्यक्ति को मत गिनने के समय उपस्थित रहने की अनुमति नहीं देगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसको उम्मीदवार ने या उसकी ओर से या किसी और ने निर्वाचन के कार्य के लिए रखा हो या जो किसी और तरह से किसी किसी उम्मीदवार की ओर से निर्वाचन में कार्य कर रहा हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा मत गिनने के काम में सहायता देने के लिए रखा जायेगा।

104. मत गिनने की प्रक्रिया—उस दिनांक, समय और स्थान पर जो कि नियम 101 के अधीन नियत किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :

- (क) निर्वाचन अधिकारी अपनी इस बात का समाधान करेगा कि सब मत पेटियाँ जो कि मतदान में प्रयोग में लाई गयी थीं और जो उस स्थान पर गिनी जानी है उसको प्राप्त हो गयी हो और उन सबका लेखा हो गया है।
- (ख) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवार उसके अभिकर्ताओं और गणना अभिकर्ताओं को जो गिनती के समय उपस्थित हों यह अवसर देगा कि मत पेटियों व उनकी मुहरों को अपनी यह संतुष्टि करने के लिए देख लें, कि वे ठीक हो।
- (ग) निर्वाचन अधिकारी अपनी यह भी संतुष्टि करेगा कि किसी मतदान पेटि में वास्तव में कोई गड़बड़ तो नहीं की गई है यह यह देखें कि किसी मतदान पेटि में गड़बड़ की गई है या वह नष्ट कर दी गई है या खो गई है तो निर्वाचन अधिकारी मतों की गिनती की कार्यवाही आगे नहीं करेगा और इस सम्बन्ध में नियम 100 के उपबन्ध लागू होंगे।
- (घ) यदि निर्वाचन अधिकारी संतुष्टि हो जाय कि ये सब मत पेटियाँ जिनकी उस स्थान पर गिनती की जानी है, प्राप्त हो गई हो और ठीक हो तो वह मत पेटियों में डाले गये मतपत्रों के गिनने की कार्यवाही आरम्भ करेगा। समस्त मत पेटियाँ जो कि मतदान स्थल पर प्रयोग में लाई गई हों खोली जायेंगी और सब मतपत्रों की गिनती का काम राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार जो कि उन मत पेटियों में हो उसी समय आरम्भ कर दी जायेगी।
- (ङ) उन सब मतपत्रों का लेखा, जो कि उस स्थान की मतदान पेटियों में हो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में रखा जायेगा।
- (च) निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, गणना अभिकर्ताओं को, जो वहाँ उपस्थित हों, इस बात का उचित अवसर देगा कि वे उन मत पत्रों की जांच कर लें जो निर्वाचन अधिकारी की सम्मति से अस्वीकृत करने योग्य हों, परन्तु उन्हें उन मतपत्रों या अन्य मतपत्र को छूने की अनुमति नहीं देगा। निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतपत्र जो कि अस्वीकृत की जाय, हिन्दी में "अस्वीकृत" पृष्ठांकित कर देगा। यदि कोई उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतपत्र के सम्यन्ध में उसके अस्वीकार किये जाने पर आपत्ति करता है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतपत्र पर संक्षिप्त रूप से उस मतपत्र के अस्वीकार करने के कारण भी लिखेगा।
- (छ) मतदान स्थल की मत पेटियों के मत पत्रों की गिनती किये जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी ऐसे समस्त मतपत्रों को एक अलग पैकेट में रखवायेगा और उनमें ऐसे ब्यारे लिखे जायेंगे जिनसे यह ज्ञात हो सके कि ये किस ग्राम पंचायत के सम्यन्ध में हो।

105. मतपत्रों को अस्वीकार किये जाने के कारण—(1) निर्वाचन अधिकारी कोई मत पत्र अस्वीकृत कर देगा

यदि—

- (क) उस पर कोई ऐसा चिह्न या लेख है जिससे निर्वाचक पहचाना जा सकता हो, या
- (ख) वह बनावटी मतपत्र हो, या
- (ग) इस प्रकार क्षत या विकृत किया गया हो कि वास्तविक मत पत्र के रूप में उसका तादात्म्य स्थापित नहीं किया जा सकता हो, या

- (घ) यदि उस पर उस विशिष्ट मतदान स्थल में प्रयोग के लिए प्राधिकृत मतपत्र की यथा स्थिति क्रम-संख्या या डिजाइन से भिन्न क्रम-संख्या या डिजाइन हो, या
- (ङ) यदि उस पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरे जाने के लिए अपेक्षित स्थानों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में मत दिया जाय, या
- (च) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित न किया जाय।

(2) किसी मतपत्र पर अभिलिखित मत अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यदि मतपत्र पर मत दिये जाने को इंगित करने वाला चिह्न ऐसी रीति से लगाया गया हो जिससे यह सन्देहपूर्ण हो कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई मतपत्र केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि मत इंगित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या कि विशिष्ट उम्मीदवार के नाम के सामने से एक से अधिक बार लगाया गया है यदि मतपत्र पर जिस ढंग से चिह्न लगाया गया हो उससे स्पष्टतया यह प्रकट हो कि वह मत किसी विशिष्ट उम्मीदवार के लिए दिया गया है।

(3) किसी मतपत्र की या किसी ऐसे मत पत्र पर दिये गये मत की वैधता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी का निर्णय किसी निर्वाचन याचिका के जिसमें निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो परीक्षण कर दिये गये किसी प्रतिकूल निर्णय के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

106. मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखों का सत्यापन—निर्वाचन अधिकारी निविदत्त मत पत्रों या निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के मुहरबन्द पैकेटों को नहीं खोलेगा। वह नियम 96 के अधीन मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्र का सत्यापन, गणना किये गये मतों और अस्वीकृत मतपत्रों, अपने पास के अप्रयुक्त या खराब मतपत्रों की संख्या से और निविदत्त मतों की सूची से मिलान करके करेगा। तत्पश्चात् वह प्रत्येक ऐसे पैकेट को जिसे उसने खोला हो, फिर से बन्द करेगा और फिर से मुहर लगायेगा और प्रत्येक पैकेट पर उसकी अन्त वस्तुओं का ब्योरा, ग्राम पंचायत का नाम, और निर्वाचन का दिनांक जिसके सम्बन्ध में वह हो, अभिलिखित करेगा।

107. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन विवरण का तैयार किया जाना—इसके पश्चात् निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विवरणी तैयार प्रमाणित करेगा और उसको निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित करेगा और उसमें निम्नलिखित व्योरे लिखेगा :

- (क) उन उम्मीदवारों के नाम जिनको वैध मत दिये गये हों,
- (ख) प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये वैध मतों की संख्या,
- (ग) वैध मतपत्रों की संख्याओं का योग,
- (घ) अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या,
- (ङ) निविदत्त मतपत्रों की संख्या, और
- (च) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम।

निर्वाचन अधिकारी किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार, उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता इस बात की अनुमति देगा कि वह निर्वाचन विकरण की प्रतिलिपि या उसका कोई उद्धरण ले ले।

108. मतों के बराबर होने की दृष्टा—मतों की पूरी गणना होने के पश्चात् यदि कई उम्मीदवारों के मतों की संख्याएँ बराबर हों और उनमें एक मत अश्विक बढ़ा देने से कोई एक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए जाने का अधिकारी हो जायेगा तो निर्वाचन अधिकारी तुरन्त उनके बीच पर्या (लादरी) डालेगा और इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो कि उस उम्मीदवार के जिसके हक में पर्या निकली है एक और मत प्राप्त कर लिया है।

109. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा—मतदान पेटियों में खली गई मतदान पेटियों की गिनती पूरी कर ली जाय, तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार को जिसको सबसे अधिक मत मिले हों निर्वाचित घोषित करेगा।

110. निर्वाचन की सूचना और अधिसूचना—नियम 109 के अधीन परिणाम की घोषणा के पश्चात्, जितना शीघ्र सम्भव हो निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन परिणाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और ग्राम पंचायत सैक्रेटरी को भी उसकी सूचना देगा। जिला मजिस्ट्रेट परिणाम की सूचना राज्य निर्वाचन अधिकारी को देगा।

111. निर्वाचन विवरणी मतपत्रों और निर्वाचन सम्बन्धी पत्रों की अभिरक्षा—(1) निर्वाचन अधिकारी नियम 110 के अधीन निर्वाचन परिणाम की सूचना देने के पश्चात् निर्वाचन विवरणी को जिला पंचायत राज अधिकारी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए भेज देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मत पत्रों के पैकेटों और निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त अन्य पत्रों को भी जिला पंचायत राज अधिकारी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए भेज देगा।

112. निर्वाचन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और निरीक्षण—(1) जिला पंचायत राज अधिकारी की अभिरक्षा में मतपत्रों में चाहे वे वैध, अस्वीकृत या निविदत्त हों, और निर्वाचक नामांकन की शिष्टि प्रति के पैकेट हों तो किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो उनका निरीक्षण किया जायेगा और न तो उनका निरीक्षण किया जायेगा और न उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जब तक कि निर्वाचन याचिका की सुनवाई करने वाला कोई सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी आदेश न दें।

(2) नियम 111 के उपनियम (1) के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अग्रसारित निर्वाचन विवरणियों की प्रतिलिपियां जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बारह रुपये प्रत्येक प्रति के हिसाब से फीस का भुगतान करने पर दी जायेगी।

(3) निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य सभी पत्रों का निरीक्षण जनता द्वारा ऐसी शर्तों के और ऐसी फीस का भुगतान करने के अधीन रहते हुए जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, किया जा सकेगा।

113. निर्वाचन पत्रों का निस्तारण—(1) निर्वाचन विवरणी जिसका उल्लेख क्रमशः नियम 109 और 110 में किया गया है उस सम्बन्धित पद के आगामी सामान्य निर्वाचन समाप्त होने तक रखी जायेगी और उसके पश्चात् ऐसे आदेशों के अधीन जो कि राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय या निर्वाचन याचिका सुनने वाला अधिकारी इसके विपरीत है, नष्ट कर दी जायेगी।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धी अन्य एक वर्ष की अवधि के लिए रखे जायेंगे और इसके पश्चात् ऐसे आदेशों के अधीन जो कि राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय या निर्वाचन याचिका सुनने वाला कोई अधिकारी इसके विपरीत है, नष्ट कर दिये जायेंगे।

114. अपराध—किसी भी व्यक्ति को जो—

- (क) नियमों का उत्संघन कर निर्वाचक नामावली या उसकी प्रति या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन करे या गड़बड़ करे, या
- (ख) इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए नियुक्त या सेवारत किसी अधिकारी या सेवक को अपने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाले या हस्तक्षेप करे, या
- (ग) किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्य स्थान पर छिपकाये गये या अन्यथा प्रकाशित किसी प्रतिलिपि, नोटिस या अन्य दस्तावेजों को विरुद्ध करे, क्षति पहुँचाये, उलट-पलट करे या हटाये तो वह अर्ध दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

115. उप निर्वाचन—यदि किसी प्रधान के पद पर अकिस्मिक रिक्ति उसकी मृत्यु होने, त्याग-पत्र देने, हटाए जाने, उसके प्रधान की निर्वाचन से परिवर्तन से या अन्यथा किसी प्रकार से रिक्त हो जाये तो जिला मजिस्ट्रेट रिक्त स्थान की सूचना मिलने पर यथासम्भव शीघ्र नियम 14 के अनुसार उप निर्वाचन की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के लिए दिनांक, समय और स्थान नियुक्त करेगा और इस अध्याय में दिये गये नियम जहां तक सम्भव हो, इस रिक्त स्थान को भरने के लिए प्रधान के उपर्युक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

116. प्रधान को निर्वाचित करने में असफलता—(1) यदि नियम 67 के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रधान को निर्वाचित करने में असफल रहे, तो जिला मजिस्ट्रेट यथासंभव शीघ्र, एक बार फिर उस दिनांक से पूर्व जो वह निश्चित करे प्रधान निर्वाचित करने की अपेक्षा करेगा और नियम 114 के उपनियम (2) में दिये गये प्रत्येक मद के लिये नया दिनांक, समय और स्थान निश्चित करेगा और इस अध्याय के उपबन्ध उपरोक्तानुसार प्रधान के निर्वाचन के सम्बन्ध में यथासंभव लागू होंगे।

117. उप प्रधान का निर्वाचन—(1) ग्राम पंचायत के संगठन से सम्बन्धित अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र प्रधान या किसी कारणवश उसकी अक्षमता की दशा में या बैठक न बुलाने के कारण सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) उप प्रधान के निर्वाचन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा।

(2) प्रधान के निर्वाचन के लिए इस अध्याय में दिये गये नियम उप-प्रधान के निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि 'निर्वाचन सूची', 'निर्वाचन अधिकारी' के प्रति निर्देश जहां भी आए हों, क्रमशः ग्राम पंचायत के सदस्यों की सूची, और प्रधान या सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) यथास्थिति के प्रति निर्देश समझे जायेंगे।

118. निर्वाचन पत्रों का निस्तारण—(1) प्रधान व उप प्रधान के निर्वाचन सम्बन्धी सभी पत्र, सिवाय निर्वाचन विवरणी के, ऐसे अन्य निर्देशों के अधीन जो कि राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिया गया है, चुनाव परिणाम घोषित हो जाने के दिनांक से एक वर्ष पश्चात् नष्ट कर दिये जायेंगे निर्वाचन विवरणी आगामी सामान्य निर्वाचन समाप्त होने तक रखी जायेगी और राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण द्वारा इसके विपरीत दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुए तत्पश्चात् नष्ट कर दी जायेगी।

119. अधिनियम की धारा 11 व के अधीन पद का रिक्त होना—(1) जब कोई व्यक्ति ऐसे दो पदों पर निर्वाचित हो जाय, जिसे अधिनियम की धारा 11-ब के अधीन एक साथ धारण नहीं कर सकता है, तो उसके लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने निर्वाचन की घोषणा होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर एक पद के अतिरिक्त अपने सब पदों से त्याग-पत्र दे दे या यदि उक्त दो या अधिक पदों के निर्वाचन की घोषणा भिन्न-भिन्न दिनांकों पर हुई है, तो वह अन्तिम घोषणा के दिनांक से तीस दिन के भीतर त्याग-पत्र दे दें।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति के जो किसी ग्राम पंचायत का प्रधान और सदस्य या किसी न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित किया गया हो उपनियम (1) के उपबन्ध के अनुसार पद त्याग न करने की दशा में ग्राम पंचायत के सदस्य अथवा न्याय पंचायत के पंच के रूप में उसका स्थान रिक्त समझा जायेगा। (3) उपनियम (1) या (2) के अधीन रिक्त होने वाले पद या स्थान को इस प्रकार भरा जायेगा माना वह आकस्मिक रिक्ति हों।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999¹

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9 की उपधारा (10) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित आदेश बनाते हो :

1. सखिन्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999 कहे जायेंगे

(2) यह आदेश उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत निर्वाचनों के सम्बन्ध में लागू होगा।

(3) यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएँ—इस आदेश में,

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 से है;

(ख) 'नियमावली' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) नियमावली, 1984 से है;

(ग) 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य नियमावली के नियम 3 के अधीन इस रूप में पदामिहित या नाम निर्दिष्ट निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से है;

(घ) 'प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से अनुलग्न प्रपत्र से है;

(ङ) 'नामावली' का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचक नामावली से है;

(च) 'विनिर्दिष्ट अवधि' का तात्पर्य नामावली के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् तथा निर्वाचन के लिए नोटिस जारी होने के पूर्व तक की अवधि से है

3. नामावली में रजिस्ट्रीकरण—विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक के रूप में नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रीकरण चाहता है तो वह प्रपत्र-2 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जो नियमावली के नियम 15 या 16 में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है तो उस व्यक्ति का निर्वाचक के रूप में पंजीकरण किया जाएगा। परन्तु ऐसा कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा।

4. नामावली से नाम हटाया जाना—विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि कोई व्यक्ति नामावली में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए प्रपत्र-4 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जो अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के अर्ह या हकदार नहीं है, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियमावली के नियम 15 या 16 में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम नामावली से हटा दिया जाएगा।

परन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम ग्राम पंचायत निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं हटाया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन अनर्ह है तो उसका नाम तुरन्त हटा दिया जाएगा।

5. नामावली की प्रविष्टि को शुद्ध करना—विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नामावली की किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए कोई व्यक्ति प्रपत्र-3 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है, जो नियमावली के नियम 15 या 16 में उपबन्धित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के पश्चात् अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए आदेश के अनुसरण

में सम्मिलित प्रविष्टि शुद्ध की जाएगी। परन्तु ऐसी कोई भी प्रविष्टि ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व शुद्ध नहीं किया जाएगी।

6. नामावली में छूटे नाम सम्मिलित किया जाना—विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यदि शिकायत या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि नामावली में बहुत से निर्वाचकों के नाम छूट गये हों, तो राज्य निर्वाचन आयोग या जिला मजिस्ट्रेट के निदेश पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे निर्वाचकों के नाम नामावली में सम्मिलित करने के संबंध में स्थलीय जांच करेगा और निर्वाचकों का नाम अपनी जांच रिपोर्ट और संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है तो ऐसे निर्वाचकों का नाम नामावली में सम्मिलित किया जायेगा।

परन्तु ऐसा कोई भी नाम ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

7. नामावली में रजिस्ट्रीकरण, नाम हटाये जाने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए आवेदन शुल्क—विनिर्दिष्ट अवधि में नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने या हटाये जाने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए दिये जाने वाले आवेदन-पत्र पर एक रूपये प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क देय होगा। शुल्क प्राप्ति की रसीद जारी की जाएगी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त शुल्क का ब्यौरा एक पंजिका में रखेगा और प्रतिदिन प्राप्त हुए शुल्क की धनराशि अगले दिन राज्य निर्वाचन आयोग के लेखा शीर्षक "05-15-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायत राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां-02 -स्थानीय निकायों के निर्वाचन से प्राप्तियां" में अनिवार्य रूप से जमा की जाएगी।

8. नामावली में सम्मिलित किए गये और हटाए गये नामों और शुद्ध की गई प्रविष्टियों की सूची— नामावली में सम्मिलित किये गये नामों, हटाए गए नामों और शुद्ध की गई प्रविष्टियों की एक सूची तैयार की जायेगी, जो मूल नामावली के साथ संलग्न कर दी जायेगी। यह सूची सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट पर तुरन्त प्रदर्शित की जायेगी और इस सूची की किसी प्रविष्टि के हटाए गए नामों के सम्बन्ध में अपील की जा सकती और ऐसी अपील के सम्बन्ध में नियमावली के नियम 21-क के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

9. नामावली में लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंध त्रुटियों को शुद्ध करना—विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय किसी लिपिकीय एवं मुद्रण संबंधी त्रुटि को शुद्ध करने या नामावली में दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तदनुसार प्रविष्टियों को सुधारा या निकाला जाएगा जिसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट और राज्य निर्वाचन आयोग को दी जायेगी।

परन्तु ऐसा कोई भी प्रविष्टि को ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व सुधारा या निकाला नहीं जाएगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994¹

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 264-ख के साथ संपठित धारा 237 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है;

(ख) "निर्वाचन क्षेत्र" का तात्पर्य किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति में अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, और किसी जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति में अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है;

(ग) "निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार" का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवार से है, जिसका नाम नियम 20 के अधीन तैयार की गयी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित है;

(घ) "निर्वाचन" का तात्पर्य यथास्थिति, किसी क्षेत्र पंचायत या किसी जिला पंचायत में किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचन से है;

(ङ) "निर्वाचन विवरण" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी से है;

(च) "निर्वाचक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संयुक्त शक्ति पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9 के अधीन किसी ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीत है, जो यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट है;

(छ) "मतदान विवरणी" का तात्पर्य राज्य निर्वाचन द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतदान विवरणी से है;

(ज) "स्थान" का तात्पर्य यथास्थिति, किसी क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचन के लिए किसी क्षेत्र को आवंटित स्थान से है।

3. **प्रपत्र, आदि की भाषा**—इस नियमावली के अधीन तैयार किए गए या जारी प्रपत्र, सूचनाएँ, सूक्तियाँ और आदेश हिन्दी में देवनागरी लिपि में होंगे।

4. **निर्वाचन का संचालन**—(1) राज्य निर्वाचन आयोग के अवीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, अधिनियम की धारा 6 या धारा 18 के अधीन सामान्य निर्वाचन का संचालन इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

(2) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा-अपेक्षित, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), राज्य निर्वाचन आयोग के अवीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए सभी निर्वाचनों के संचालन से सम्बन्धित सभी कृत्यों का सम्पादन करेगा।

5. **निर्वाचन अधिकारी**—(1) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशन के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगा जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सम्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित कृत्यों का सम्पादन करेगा और किसी निर्वाचन में उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि यह ऐसे कार्य और बातें करे जो अधिनियम, नियमावली और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों द्वारा उपबन्धित रीति में निर्वाचन के प्रभावी ढंग से संचालन के लिए आवश्यक हों।

(3) उपनियम (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य निर्वाचन आयोग, यदि ऐसा करना समीचीन समझे, आदेश द्वारा, निर्देश दे सकता है कि इस नियमावली के अधीन निर्वाचन अधिकारी की ऐसी शक्तियाँ, कर्तव्यों और कृत्यों का, जो उसके द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रयोग या निर्वहन किया जायेगा।

6. सहायक निर्वाचन अधिकारी—(1) जिला मजिस्ट्रेट किसी निर्वाचन अधिकारी को उसके कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधीन, निर्वाचन अधिकारी के सभी या किन्हीं का सम्पादन करने के लिए सक्षम होगा।

(3) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में निर्वाचन अधिकारी के प्रति निर्देश में वह सहायक निर्वाचन अधिकारी भी सम्मिलित समझा जायेगा जो ऐसे किसी का सम्पादन कर रहा है, जिसे सम्पादित करने के लिए वह इस नियम के अधीन प्राधिकृत हो।

7. मतदान स्थल—निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के पूर्वनुमोदन से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन स्थलों को विनिर्दिष्ट करेगा।

8. मतदान अध्यक्ष—(1) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) नियुक्त करेगा और उसी व्यक्ति को एक से अधिक मतदान स्थलों के लिए मतदान अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।

(2) मतदान अध्यक्ष इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा सम्पादित किये जाने के लिए अपेक्षित कृत्यों का सम्पादन करेगा और उसका यह सामान्य कर्तव्य होगा कि वह मतदान स्थल पर शान्ति बनाये रखे और यह देखे कि मतदान सुचारु रूप से हो रहा है।

(3) यदि मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल से स्वयं को अनुपस्थित होने के लिए माध्य हो जाए तो उसके कृत्यों का सम्पादन ऐसा मतदान अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए पहले से प्राधिकृत किया गया हो।

(4) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में मतदान अध्यक्ष के प्रति निर्देश में वह व्यक्ति भी सम्मिलित समझा जाएगा जो कि मतदान अध्यक्ष के ऐसे किसी कृत्य का सम्पादन कर रहा है, जिसे सम्पादित करने के लिए वह उपनियम (2) के अधीन प्राधिकृत है।

9. मतदान अधिकारी—(1) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए इतने मतदान अधिकारी (पोलिंग आफिसर) या अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, जितने वह मतदान अध्यक्ष के कृत्यों के सम्पादन में सहायता करने में, और ऐसे अन्य कार्य करने के लिए जो इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा किये जाना अपेक्षित हैं, आवश्यक समझे।

(2) यदि कोई मतदान अधिकारी मतदान स्थल से अनुपस्थित हो, तो मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल पर उपस्थित उस व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को जो निर्वाचन में निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी उम्मीदवार द्वारा या उसकी तरफ से नियोजित किया गया हो या उसके लिए अन्यथा कार्य कर रहा हो, पूर्वतः अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है, और ऐसी नियुक्ति की सूचना तदनुसार निर्वाचन अधिकारी को देगा।

10. साथ-साथ निर्वाचन—यदि क्षेत्र पंचायतों या जिला पंचायतों के निर्वाचन ग्राम पंचायतों के निर्वाचनों के साथ-साथ होते हो तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज(सदस्यों, प्रधानों और उपप्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अधीन इस रूप में नियुक्त मतदान अध्यक्ष और मतदान अधिकारी इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए भी मतदान अध्यक्ष और मतदान अधिकारी होंगे।

11. निर्वाचन अभिकर्ता—(1) किसी निर्वाचन के लिए कोई उम्मीदवार यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के किसी निर्वाचक को लिखित रूप में अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति की सूचना निर्वाचन अधिकारी को देगा।

(2) निर्वाचन अधिकर्ता निर्वाचन के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का सम्पादन कर सकता है जिसके सम्पादन के लिए निर्वाचन अधिकर्ता इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत है।

12. मतदान अधिकर्ता—(1) निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अधिकर्ता, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचकों में से किसी एक अन्य व्यक्ति को मतदान स्थल पर उस उम्मीदवार के मतदान अधिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(2) नियुक्ति एक लिखित पत्र द्वारा की जायेगी जिसे मतदान अध्यक्ष को मतदान आरम्भ होने से पूर्व दे दिया जायेगा।

13. नाम निर्देशन पत्रों का मुद्रण और मूल्य—जिला मजिस्ट्रेट नाम निर्देशन पत्रों के मुद्रण की और उम्मीदवारों को उनकी पूर्ति की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र का मूल्य क्षेत्र पंचायत के लिए निर्वाचन हेतु, एक सौ रुपये से अनधिक, और जिला पंचायत के लिए निर्वाचन हेतु एक सौ पचास रुपये से अनधिक उतना होगा जितना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया जाय।

14. प्रतीकों की सूची—राज्य निर्वाचन आयोग, निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले प्रतीकों को विनिर्दिष्ट करेगा।

16. निर्वाचन की सूचना और दिनांक का निर्धारण—(1) जब कभी सामान्य निर्वाचन होने वाला हो तो जिला मजिस्ट्रेट, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अधीन, यथास्थिति क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा वे ऐसे दिनांक से पूर्व जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया जाए, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन करे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले की सभी क्षेत्र पंचायतों के लिए एक ही सूचना जारी करने से नहीं रोकेंगी।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे निर्देशों के, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए जायें, अधीन रहते हुए—

(क) नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिनांक, स्थान और समय;

(ख) नाम निर्देशन पत्रों की जांच करने के लिए दिनांक, समय और स्थान,

(ग) उम्मीदवारी वापस लेने के लिए दिनांक, स्थान और समय; और

(घ) दिनांक या दिनाकों को जब और समय जिसके बीच, यदि आवश्यक हो, मतदान होगा, भी नियत

करेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी ऐसी शैली में जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपनियम (1) व (2) के अधीन नियत दिनाकों, स्थानों और समय की सार्वजनिक सूचना देगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (3) के अधीन सूचना में नियम 7 में के अधीन नियत मतदान स्थल को भी विनिर्दिष्ट करेगा।

16. नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना—(1) किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में नाम निर्देशित किये जाने का इच्छुक व्यक्ति, निर्वाचन अधिकारी को स्वयं या अपने प्रस्तावक द्वारा नियम 15 के उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए नियत दिनांक और स्थान और समय के दौरान, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सम्यक् रूप से पूर्ण किये गये नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान पर निर्वाचन लड़ना चाहता है तो नाम निर्देशन पत्र के साथ जनजाति या जाति विशेष जिसका वह हो, विनिर्दिष्ट करते हुए उसके द्वारा दी गयी घोषणा होगी कि वह यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों का सदस्य है।

(3) कोई भी नाम निर्देशन पत्र, जो नाम निर्देशन पत्र भरे जाने के लिए नियत दिनांक को उस विनिर्दिष्ट नियत समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त नहीं होता है, निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(4) इन नियमों में दी गयी कोई बात, कोई उम्मीदवार को निर्वाचन के लिए उसी निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र द्वारा नाम निर्देशित किये जाने से निवारित नहीं करेगी।

(5) यदि कोई नाम निर्देशन पत्रों के प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत दिनांक को इस निमित्त नियत समय की समाप्ति के पूर्व, कोई नाम निर्देशन पत्र प्राप्त न हो तो निर्वाचन अधिकारी इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

17. नाम निर्देशन पत्रों की सूचना—नियम 16 के अधीन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को नाम निर्देशनों की जांच के लिए नियत दिनांक, समय और स्थान की सूचना देगा, और नाम निर्देशन पत्र पर उसकी क्रम-संख्या डालेगा और अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाण-पत्र अंकित करेगा कि किस दिनांक और किस समय उसको नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है, यह प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की एक सूची भी तैयार करेगा और इस प्रकार नाम निर्देशित व्यक्तियों के नामों की घोषणा करेगा।

18. नाम निर्देशनों की जांच—नाम निर्देशन की जांच करने के लिए नियत दिनांक, समय और स्थान पर निर्वाचन अधिकारी ऐसे नाम निर्देशन पत्रों की जो नियम 16 के उप नियम (3) के अधीन पहले से ही अस्वीकृत न किये गए हों, उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, यदि कोई हो, की उपस्थिति में उनको नाम निर्देशन पत्रों की परीक्षा के लिए युक्तियुक्त सुविधाएँ देने के पश्चात्, जांच करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी किसी नाम निर्देशन पत्र को निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधारों पर अस्वीकृत कर सकता है—

(क) उम्मीदवार अधिनियम के अधीन स्थान की पूर्ति के लिये चुने जाने के लिए अर्ह नहीं हो।

(ख) कि उम्मीदवार अधिनियम की धारा 13 या धारा 26 के अधीन स्थान की पूर्ति के लिए चुने जाने के लिए अनर्हित हो।

(ग) कि नियम 16 के किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया है, या

(घ) कि अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक का हस्ताक्षर प्रामाणिक नहीं है या कपट द्वारा प्राप्त किये गए हो।

निर्वाचन अधिकारी किसी नाम निर्देशन पत्र को, किसी तकनीकी दोष या अन्य त्रुटि के कारण जो सारवान न हो अस्वीकृत नहीं करेगा और किसी ऐसे दोष या त्रुटि को दूर करने के प्रयोजन से नाम निर्देशन पत्र में किसी प्रविष्टि को ठीक करने की अनुमति दे सकता है।

(3) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम निर्देशन पत्र पर उसको स्वीकार या अस्वीकृत किये जाने के अपने निर्णय को पृष्ठांकित करेगा और यदि नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत किया गया हो तो ऐसी अस्वीकृति के उसके कारणों का संक्षिप्त विवरण भी लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

(4) नाम निर्देशन पत्रों की जांच समाप्त होने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के नाम घोषण करेगा जिनके नाम निर्देशन उसने स्वीकार किया है और इस ऐसे उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा जिसमें उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णमालानुक्रम में उनके नाम निर्देशन पत्रों में दिये गये विवरणों के साथ होंगे।

(5) यदि समस्त नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार कर दिये गए हों तो निर्वाचन अधिकारी उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

19. उम्मीदवारों की वापसी—कोई भी उम्मीदवार लिखित सूचना द्वारा, जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगी और जो स्वयं उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन अधिकारी को नियम 16 के अधीन वापसी के लिये नियत दिनांक को और समय के भीतर दी जायेगी, अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है एक बार दी गई सूचना वापस नहीं ली जा सकती और वह अन्तिम होगी।

20. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आकंटन—(1) नियम 15 के अधीन उम्मीदवारी के लिये नियत दिनांक की समाप्ति के ठीक पश्चात् निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला के क्रम में उसी प्रकार दिये जायेंगे जैसे वे उनके नाम, नाम निर्देशन पत्रों में दिये गये हों। वर्णमाला के क्रम का अन्वयण उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के अनुसार किया जायेगा।

(3) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के साथ-साथ निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए अलग-अलग प्रतीक आवंटित करेगा।

(4) निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी उम्मीदवार को कोई प्रतीक आवंटित किया जाना अंतिम होगा, सिवाय उस दशा में जब यह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किन्हीं निर्देशों से असंगत हो और उस दशा में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीति से संशोधित कर सकता है जैसा यह उचित समझे।

(5) प्रत्येक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उम्मीदवार को आवंटित प्रतीक की सूचना तुरन्त दी जायेगी और उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका एक नमूना दिया जायेगा।

21. निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वालों में सम्यक् रूप से उम्मीदवार केवल एक ही है, तो वह ऐसे उम्मीदवार को तुरन्त निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी इस नियम के अधीन निर्वाचित घोषित उम्मीदवारों के नामों और स्थानों के प्रकाश-उनके (आरक्षित या अनारक्षित) जिन पर वे निर्वाचित हुए थे और रिक्त रह गये दोनों प्रकार की स्थानों की संख्या की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

22. सक्लिये निर्वाचन—जहाँ नियम 20 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी यह पाता है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है तो वह तुरन्त सूची को उस रीति में प्रकाशित करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट विनिर्दिष्ट करे और इस बात की भी घोषणा करेगा कि मतदान उस दिनांक को और उस स्थान पर और समय के भीतर किया जायेगा जो इसके लिए नियत किये जायें।

23. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु—यदि किसी उम्मीदवार की जिसका नाम निर्देशन नियम 18 के अधीन रखा गया हो और जिसने नियम 19 के अधीन अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, मृत्यु हो जाय और निर्वाचन अधिकारी को उसकी मृत्यु की सूचना मतदान आरम्भ होने से पहले प्राप्त हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार की मृत्यु के सम्बन्ध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और निर्वाचन से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियाँ हर प्रकार से उसी तरह नये सिरे से आरम्भ की जायेंगी मानों कोई नया निर्वाचन किया जा रहा हो।

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए जिसका नाम निर्देशन मतदान को प्रत्यादिष्ट किये जाने के समय रखा हो, नाम निर्देशन आवश्यक न होगा।

प्रतिबन्ध यह और कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी उम्मीदवारी की वापसी की नोटिस मतदान प्रत्यादिष्ट किये जाने से पूर्व दिया हो, मतदान के इस प्रकार प्रत्यादिष्ट किये जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिये नाम निर्देशित किये जाने के लिए पात्र न होगा।

24. मतदान स्थल में प्रवेश—(1) मतदान अध्यक्ष, मतदान स्थल में निर्वाचकों के प्रवेश को विनयभित करेगा और निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर, अन्य सभी व्यक्तियों को बाहर रखेगा—

- (क) मतदान अधिकारी,
- (ख) प्रत्येक उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उसका मतदान अभिकर्ता,
- (ग) इयूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और अन्य लोक सेवक,
- (घ) निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा,
- (ङ) अन्धे या अशक्त निर्वाचक जो सहायता के बिना चल फिर न सकते होकर, के साथ क्व व्यक्ति, और
- (च) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें मतदान अध्यक्ष, मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये समय-समय पर आने दें।

(2) मतदान अध्यक्ष नियम 15 के उपनियम (1) के अधीन मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय-स्थल को बन्द कर देगा और उस समय के बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश न करने देगा।

प्रतिबन्ध वह है कि सभी निर्वाचक जो मतदान केन्द्र के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व, उपस्थित हों, अपने मत अभिलिखित करने के हकदार होंगे।

(3) यदि यह प्रश्न उठे कि किसी निर्वाचक को उपनियम (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रयोजनों के लिए मतदान स्थल बन्द किए जाने के पूर्व वहाँ पर उपस्थित सम्झा जाय या नहीं तो मतदान अध्यक्ष के निर्णय के लिये अभिविष्ट किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा और उस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण में आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

25. मतदान की प्रक्रिया—इस नियमावली के अधीन होने वाले प्रत्येक निर्वाचन में मत पत्र पर चिह्न लगा कर मतदान करने की रीति का अनुसरण किया जायेगा और परोक्षी द्वारा कोई मत स्वीकार नहीं किया जायेगा।

26. मतपत्र—(1) प्रत्येक मत-पत्र ऐसे प्रपत्र में और ऐसी डिजाइन का होगा जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(2) किसी निर्वाचक को मतपत्र जारी करने के पूर्व उस पर ऐसे सुभेदक चिह्न की मुहर लगाई जा सकती है जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें।

27. मत पेटियाँ—(1) प्रत्येक मतपेटि ऐसी डिजाइन और रंग की होगी जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाय।

(2) यह इस प्रकार से बनायी जायेगी कि मतदान के समय उसमें मतपत्र डाला जा सके किन्तु पेटि को खोले बिना या मुहर को तोड़े बिना निकाला न जा सके।

(3) प्रत्येक मतपेटि या उसके किसी संघटक भाग अथवा उससे सम्बद्ध किसी चीज पर भी ऐसा अन्य सुभेदक चिह्न लगाया जाय जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दें।

28. मतदान की नोटिस—मतदान स्थल और मतदान केन्द्र के बाहर-भीतर सुप्रकट रूप से निम्नलिखित प्रदर्शित किया जायेगा—

(क) एक नोटिस जिसमें ऐसा मतदान क्षेत्र विनिर्दिष्ट होगा जिसके निर्वाचकों का उस मतदान स्थल या मतदान केन्द्र पर यथास्थित मत देना हो, और

(ख) नियम 20 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की प्रतिलिपि।

29. मतदान की गोपनीयता के लिए प्रबन्ध—मतदान स्थल पर मतदान कोष्ठाकू जहाँ पर निर्वाचक अपने मत, औरों की दृष्टि से बचा कर, अभिलिखित कर सकें की संख्या उतनी होगी जैसा निर्वाचन अधिकारी आवश्यक समझें।

30. मतदान स्थल पर उपलब्ध कराये जाने वाले मतपत्र तथा अन्य सामग्रियाँ—निर्वाचन अधिकारी मतदान स्थल पर निम्नलिखित उपलब्ध करायेगा—

(क) उतनी मतपेटियाँ जितनी आवश्यक हों,

(ख) पर्याप्त संख्या में मतपत्र और उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदान क्षेत्र जहाँ के निर्वाचक उस मतदान स्थल पर मत देने के लिए हकदार हों, से सम्बन्धित निर्वाचक नामावलियों की प्रतियाँ, और

(ग) अन्य रजिस्ट्रार और उपसाधन जो मतदान कराने के लिए अपेक्षित हों।

31. मतदान के लिए मतपेटि तैयार करना—(1) मतदान अध्यक्ष, मतदान आरम्भ होने के ठीक पूर्व निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं को जो ऐसे स्थल पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयुक्त की जाने वाले प्रत्येक मत पेटि का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और उनको यह दिखलायेगा कि वे खाली हो।

(2) तत्पश्चात् उपर्युक्त व्यक्तियों की उपस्थिति में मतपेटियाँ बन्द कर दी जायेगी, और जहाँ मतपेटियों की सुरक्षा के लिए कागज की मुहरों का प्रयोग करना आवश्यक हो वहाँ मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटि के लिए कागज की मोहर पर अपना हस्ताक्षर करेगा और उस पर ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर लेगा या उनकी मुहरें लगवायेगा, जो उपस्थित हों और जो उन्हें लगाने के इच्छुक हों।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष इस प्रकार हस्ताक्षरित या मुहर लगी हुई कागज की मुहर को मतपेटि में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में लगायेगा और तत्पश्चात् उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं के सामने, जो उपस्थित

हों, ऐसी रीति से प्रत्येक मतपेटी को सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा और मुहर लगायेगा कि उसमें मतपत्र डालने के लिये छिद्र खुला रहे।

(4) जहां मतपेटियों की सुनिश्चित रूप से बन्द करने के लिए कागज की मुहरों का उपयोग किये जाने की आवश्यक न हो, वहां मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटी को इस रीति से सुनिश्चित रूप से बन्द करेगा और मुहर लगायेगा कि मतपत्र को डालने के लिये छिद्र खुला रहे और उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं को जो उपस्थित हों और यदि वे चाहें, अपनी मुहुरे लगाने की अनुमति देगा।

32. मतपत्रों को डालने के लिए मतपेटियों का रखा जाना—मतपत्रों को डालने के लिए मतपेटी मतदान अध्यक्ष, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके अभिकर्ताओं के सामने रखी जायेगी।

33. निर्वाचकों की पहचान—(1) मतदान अध्यक्ष मतदान स्थल पर ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह निर्वाचकों की पहचान करने में मदद करने या मतदान कराने में अपनी अन्यथा सहायता के लिए उपयुक्त सभ्य, संवायोजित कर सकता है।

(2) जैसे ही कोई निर्वाचक मतदान स्थल में प्रवेश करे वैसे ही मतदान अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी निर्वाचक का नाम तथा अन्य विवरणों की जांच निर्वाचक नामावली में सुसंगत प्रविष्टि से करेगा और वह निर्वाचक की क्रम-संख्या, नाम और विवरणों को पुकारेगा।

(3) कोई भी निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता निर्वाचक होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति की पहचान के प्रति आपत्ति कर सकता है और जब ऐसी आपत्ति की जाय तो मतदान अध्यक्ष उस आपत्ति के सम्बन्ध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा करेगा कि आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे और आपत्तिकृत व्यक्ति भी अपनी पहचान को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करे।

(4) यदि ऐसी जांच के पश्चात् मतदान अध्यक्ष की यह राय हो कि आपत्ति सत्य सिद्ध नहीं की गई तो वह आपत्तिकृत व्यक्ति को मत देने की अनुमति देगा।

(5) मतपत्र प्राप्त करने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के अधिकार को निश्चित करने के लिए मतदान अध्यक्ष निर्वाचक नामावली में किसी प्रविष्टि की केवल लिपिकीय या छपाई की ओर ध्यान नहीं देगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उसका यह समाधान हो जाय कि उक्त प्रविष्टि ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में है।

34. निर्वाचकों को मतपत्रों को दिया जाना—(1) किसी मतदाता की पहचान हो जाने के पश्चात् उसे एक मतपत्र दिया जायेगा।

(2) किसी निर्वाचक को मतपत्र देने के समय अध्यक्ष ऐसी रीति से जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश दे, उसकी क्रम-संख्या, उस प्रयोजन के लिए अलग रखी गई निर्वाचक नामावली की प्रति में जिसके पश्चात् इस नामावली में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के रूप में उल्लिखित किया गया है, उस निर्वाचक सम्बन्धी प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा।

35. मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखना और मतदान की प्रक्रिया—(1) प्रत्येक निर्वाचक जिसे इस निर्वाचक नामावली के नियम 34 के अधीन या किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मतपत्र दिया गया हो, केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिन्पश्चात् निर्धारित मतदान की प्रक्रिया का फलन करेगा।

(2) निर्वाचक मत पत्र प्राप्त होने पर तत्काल—

- (क) मतदान कोष्ठाक में से किसी एक में जायेगा,
- (ख) यहां उस उम्मीदवार के प्रतीक पर या उसके निकट जिसके लिये वह मतदान करना चाहता हो, मतपत्र में उस प्रयोजन के लिए दिये उपकरण से चिह्न लगायेगा,
- (ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ेगा कि उसका मत छिप जाय,
- (घ) यदि अपेक्षा की जाय तो मतपत्र पर किया गया सुमेदक चिह्न मतदान अध्यक्ष को दिखायेगा,
- (ङ) मुड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डालेगा, और

(घ) मतदान स्थल से बाहर चला जायेगा।

(3) प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के मत देगा।

(4) मतदान कोष्ठ में किसी निर्वाचक के मौजूद होने पर किसी अन्य निर्वाचक को प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

(5) यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र दे दिया गया हो, मतदान अध्यक्ष द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात् भी, उपनियम (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने से इन्कार करे तो उसके दिये मतपत्र को चाहे उस पर मत अभिलिखित किया हो या नहीं, मतदान अध्यक्ष या मतदान अध्यक्ष के निर्देशाधीन मतदान अधिकारी द्वारा उससे वापस ले लिया जायेगा।

(6) मतपत्र वापस ले लिये जाने के पश्चात् मतदान अध्यक्ष उसकी दूसरी ओर शब्द 'रद्द किया गया मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन' अभिलिखित करेगा और इन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) ऐसे सभी मतपत्र, जिन पर शब्द 'रद्द किया गया मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन' अभिलिखित हो, एक पृथक लिफाफे में रखे जायेंगे, जिसके ऊपर शब्द मतपत्र '(मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन)' लिखा होगा।

(8) किसी ऐसी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए ऐसा निर्वाचक जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस लिया गया है, भागी हो, यदि मतपत्र पर कोई मत अभिलिखित किया गया हो तो उसकी गणना नहीं की जायेगी।

36. अन्धे या अक्षय निर्वाचकों के मतों का अभिलेख—(1) यदि मतदान अध्यक्ष का यह समाधान हो जाये कि कोई निर्वाचक अन्धेपन या अन्य शारीरिक अशक्तता के कारण मतपत्र के प्रतीकों के सहायता के बिना पहचानने या उन पर चिह्न लगाने में असमर्थ है तो मतदान अध्यक्ष निर्वाचक को अपने साथ कम से कम अठारह वर्ष का एक साथी उसकी ओर से और उसकी इच्छानुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र मोड़ने जिससे मत छिप जाय और उसे मत पेटी में डालने के लिए मतदान कोष्ठक में ले जाने की अनुमति देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में एक मतदान केन्द्र पर एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

यह और कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने के पूर्व उस व्यक्ति से इस बात की घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा अभिलिखित मत को गोपनीय रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है

(2) मतदान अध्यक्ष इस विषय के अधीन सभी मामलों का एक अभिलेख रखेगा।

(3) किसी मतदान केन्द्र पर मतदान अध्यक्ष निर्वाचक के अनुरोध करने पर उसे मतों को अभिलिखित करने के लिए मतपत्र के साथ दिये गये अनुदेशों को स्पष्ट कर देगा :

37. निर्वाचक द्वारा मतपत्रों का लौटाया जाना—(1) यदि कोई निर्वाचक मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसे प्रयोग में न लाने का निश्चय करे तो उसे मतदान अध्यक्ष को लौटा देगा।

(2) प्रत्येक ऐसे मतपत्र पर शब्द 'रद्द किया गया लौटाया गया' अंकित किया जायेगा और उक्त प्रयोजन के लिए अलग रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा और मतदान अध्यक्ष ऐसे सभी मतपत्रों का एक अभिलेख रखेगा।

(3) यदि किसी निर्वाचक ने असावधानी के कारण अपने मतपत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मतपत्र के रूप में सुविधापूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो मतदान अध्यक्ष को मतपत्र लौटाने पर और असावधानी के बारे में उसका समाधान कर देने पर उसे दूसरा मतपत्र दिया जा सकता है और इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर मतदान अध्यक्ष द्वारा शब्द 'खराब और रद्द किया गया' अंकित किया जायेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा।

38. मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में मतदान अध्यक्ष का प्रवेश—(1) यदि मतदान अध्यक्ष को यह सन्देश करने का कारण हो कि कोई निर्वाचक तो मतदान कोष्ठ में गया है, मतदान कोष्ठ में अनावश्यक विलम्ब कर रहा

है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकता है और ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो मतदान की निर्विघ्न और त्वरित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

(2) जब कभी मतदान अध्यक्ष इस नियम के अधीन मतदान कोष्ठ में प्रवेश करे तो उसके साथ निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता जो प्रवेश करना चाहें, प्रवेश कर सकेंगे।

39. मत पेटियों के बाहर पाये गये मतपत्र—यदि कोई मतपत्र जो किसी निर्वाचक को दिया गया हो, उसके द्वारा मत पेटि में न डाला जाय, और वह मतदान स्थल में या उसके निकट पाया जाये तो उसे रद्द कर दिया जायेगा और उसके सम्बन्ध में नियम 37 में निर्धारित रीति से कार्यवाही की जायेगी।

40. निविदत्त मत—(1) यदि कोई व्यक्ति अपने को यह प्रदर्शित करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत देने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करे तो उसे अपनी पहचान के बारे में उन प्रश्नों के सन्तोषजनक उत्तर देने के पश्चात् जैसा कि मतदान अध्यक्ष पूछें, मतपत्र दिया जायेगा जिसके दूसरी ओर स्वयं मतदान अध्यक्ष शब्द 'निविदत्त मतपत्र' लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र दिये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट प्रपत्र की सूची में अपने से सम्बन्धित प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षर करेगा।

(3) तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति यथासम्भव नियम 35 के उपबन्धों के अनुसार निविदत्त मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करेगा, किन्तु अपना मतपत्र मतपेटि में नहीं डालेगा।

(4) प्रत्येक ऐसा निविदत्त पत्र मतदान अध्यक्ष को दिया जायेगा, जो उसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गये लिफाफे में सुरक्षित रखेगा। ऐसे मतों की गणना निर्वाचक अधिकारी द्वारा नहीं की जायेगी।

41. मतदान के पश्चात् मत पेटियाँ आदि का मुहरबन्द किया जाना—(1) मतदान समाप्त होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र पश्चात् मतदान अध्यक्ष प्रत्येक मतपेटि के छिद्र को बन्द कर देगा और जहाँ पेटि में छिद्र को बन्द करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति नहीं है वहाँ उस छिद्र पर मुहर लगायेगा और किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता को जो उपस्थित हों, उस पर मुहर लगाने की अनुमति देगा।

(2) तत्पश्चात् सभी मत पेटियों पर विनिर्दिष्ट रीति से मुहर लगायी जायेगी और उन्हें सुनिश्चित रूप से बन्द किया जायेगा।

(3) तत्पश्चात् मतदान अध्यक्ष निम्नलिखित का अलग-अलग पैकेट बनायेगा।

(क) एक लिफाफे में निविदत्त मतपत्र,

(ख) रद्द किये गये मतपत्र,

(ग) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति,

(घ) उपयोग में न लाये गये मतपत्र और

(ङ) ऐसा कोई अन्य पत्र जिसके लिए निर्वाचन अधिकारी ने मुहर बन्द पैकेट में रखने का निर्देश दिया हों।

(4) प्रत्येक ऐसे पैकेट पर मतदान अध्यक्ष और निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे उम्मीदवारों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा भी मुहर लगायी जायेगी, जो उन पर अपनी मुहर लगाना चाहें।

42. मतपत्रों का लेखा—मतदान अध्यक्ष मतदान के बन्द होने पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में मतपत्रों का लेखा तैयार करेगा।

43. मत पेटियों, आदि का निर्वाचन अधिकारी को प्रेषण—नियम 41 के अनुसार मत पेटियाँ और पैकेट को मुहरबन्द कर दिये जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र मतदान अध्यक्ष निर्वाचन अधिकारी को उसके द्वारा निर्देशित स्थान पर—

(क) मतपेटियाँ,

(ख) नियम 41 में निर्दिष्ट पैकेट,

(ग) मतपत्र लेखा, और

(घ) मतदान में उपयोग में लाए गये सभी अन्य पत्र, भेजे गा या भिजवायेगा।

44. मत पेटियों और पैकेटों का परिवहन और उनकी अभिरक्षा—निर्वाचन अधिकारी नियम 43 में निर्दिष्ट सभी मत पेटियों, पैकेटों और अन्य पत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारम्भ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उचित प्रबंध करेगा।

45. आपात स्थिति में मतदान का स्थान—(1) यदि किसी निर्वाचन में मतदान स्थल पर कार्यवाहियों में किसी बल्ले या हिंसा के कारण बाधा पड़ जाये या किसी प्राकृतिक आपात के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराना सम्भव न हो, तो ऐसे मतदान स्थल का मतदान अध्यक्ष किसी ऐसे दिनांक तक जो बाद में अधिसूचित किया जायेगा, मतदान स्थगित किये जाने की घोषणा करेगा और जहां मतदान इस प्रकार स्थगित किया जाय, मतदान अध्यक्ष इसकी सूचना निर्वाचन अधिकारी को तुरन्त देगा।

(2) जब कभी उपनियम (2) के अधीन मतदान स्थगित किया जाय तो निर्वाचन अधिकारी उप परिस्थितियों की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को तुरन्त देगा और उसके पूर्वानुमोदन से यथासाध्यशीघ्र नया मतदान कराने के लिए कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहां पर तथा समय जिसके दौरान नया मतदान कराया जायेगा, नियत करेगा और उसे उसी रीति से अधिसूचित करेगा जैसा मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) उपर्युक्त प्रत्येक ऐसे मामले में मतदान अध्यक्ष पुनः नया मतदान करायेगा और इस नियमावली के उपबन्ध नये मतदान के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

46. मत पेटियों के नष्ट आदि कर दिये जाने की दशा में नया मतदान—(1) यदि किसी निर्वाचन में निर्वाचन अधिकारी या किसी मतदान अध्यक्ष की अभिरक्षा से कोई मत पेटि अथवा रूप से निकाल ली जाय अथवा किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त या जानबूझ कर नष्ट कर दी जाये या खो जाये तो ऐसे मतदान स्थल जहां पर वह मतपेटि हो के सम्बन्ध में मतदान अमान्य होगा।

(2) जब कभी मतदान उपनियम (1) के अधीन अमान्य हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी ऐसा कार्य या ऐसी घटना की जिसके कारण हिंसा हुई हो जानकारी होने के पश्चात् यथासाध्यशीघ्र उक्त मामले की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसके पूर्वानुमोदन से नये मतदान कराने के लिए कोई दिन नियत करेगा और वह स्थान जहां पर और वह समय जिसके दौरान मतदान कराया जायेगा, निश्चित करेगा और उसे ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

(3) उपर्युक्त प्रत्येक मामले में मतदान अध्यक्ष नया मतदान करायेगा और इस अध्याय के उपबन्ध नये मतदान के सम्बन्ध में उस प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे मूल मतदान के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

47. बन्धन के लिए समय, स्थान और दिनांक का नियत किया जाना—(1) निर्वाचन अधिकारी मतों की गणना के लिए एक दिनांक नियत करेगा जो मतदान पूरा होने के यथासाध्यशीघ्र पश्चात् होगा और समय और स्थान निश्चित करेगा, जहां मतों की गणना की जायेगी।

(2) निर्वाचन अधिकारी ऐसे दिनांक, समय और स्थान की सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को देगा।

(3) यदि मतों की गणना के लिए ऐसे नियत समय पर निर्वाचन अधिकारी को गणना किए जाने वाली मतों की मतपेटियां प्राप्त न हों या किसी अन्य अपरिहार्य कारण से वह गणना की कार्यवाही करने में असमर्थ हों तो वह गणना किसी दूसरे दिनांक के लिए स्थगित कर सकता है और इसके लिए स्थान और समय नियत करेगा और उसकी सूचना निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को देगा।

48. गणना अभिकर्ता—(1) निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना पर एक व्यक्ति को अपना गणना अभिकर्ता के रूप में उपस्थिति रहने के लिए नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रत्येक ऐसी नियुक्ति लिखित रूप में, गणना के प्रारम्भ होने के पूर्व, की जायेगी।

(3) किसी भी गणना अभिकर्ता को गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश तब तक नहीं करने दिया जायेगा जब तक कि उसने निर्वाचन अधिकारी को उपनियम (2) के अधीन अपनी नियुक्ति का पत्र नहीं दे दिया है।

49. व्यक्ति, जो गणना के समय उपस्थित रह सकते हैं—(1) प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उसका गणना अभिकर्ता और ऐसे व्यक्तियों के अतिरिक्त जिन्हें निर्वाचन अधिकारी

मतों की गणना करने में अपनी सहायता देने के लिए नियुक्त करें, उनिर्वाचन अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को मतों की गणना के समय उपस्थिति रहने की अनुमति नहीं देगा।

(2) कोई व्यक्ति जिसको किसी उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या जो निर्वाचन में या निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी उम्मीदवार के लिए अन्यथा कार्य कर रहा है, मतों की गणना में निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(3) किसी व्यक्ति को, जिसने मतों की गणना के दौरान दुराचरण किया है या जो निर्वाचन अधिकारी के विधि पूर्ण आदेशों को मानने में विफल रहा हो, निर्वाचन अधिकारी या ड्यूटी कर रहे किसी पुलिस अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा तो उस स्थान से जहां मतों की गणना की जा रही है, हटाया जा सकता है।

50. गणना की प्रक्रिया— निर्वाचन अधिकारी, नियम 47 के अधीन नियत दिनांक, समय और स्थान पर निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :

(क) निर्वाचन अधिकारी अपना समाधान कर लेगा कि मतदान के लिए प्रयोग की गयी सभी मतपेटियाँ और जिनकी उस स्थान पर गणना की जायेगी, प्राप्त कर ली गयी हो और उनका लेखा जोखा हो गया है।

(ख) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी गणना के समय उपस्थित उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ता और गणना अभिकर्ताओं को गणना के समय उपस्थित होने और मतपेटियाँ और मुहरों का निरीक्षण करने का और अपना यह समाधान करने के लिए मतपेटियाँ और मुहरें ठीक हो, उनका निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

(ग) निर्वाचन अधिकारी अपना यह भी समाधान करेगा कि किसी पेट्टी में कोई गड़बड़ नहीं की गयी है यदि यह यह पाये कि किसी मतपेट्टी में कोई गड़बड़ की गयी है या कोई मतपेट्टी नष्ट कर दी गयी या खो गयी है तो निर्वाचन अधिकारी गणना की कार्यवाही नहीं करेगा और नियम 46 के उपबन्ध लागू होंगे।

(घ) यदि निर्वाचन अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वे सभी मतपेटियाँ जिनकी ऐसे स्थान पर गणना की जानी है, प्राप्त हो गयी हो और ठीक हो तो वह मतपेटियों में डाले गये मतपत्रों की गणना आरम्भ करेगा। मतदान स्थल पर प्रयोग में लायी गयी सभी मतपेटियाँ खोली जायेगी, और उन पेटियों में पाये गये मतपत्रों की गणना की कार्यवाही राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार उसी समय आरम्भ कर दी जायेगी।

(ङ) मतदान स्थल की मतपेटियों में पाये गये मतपत्रों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में, एक वियरणी में अभिलिखित किया जायेगा।

(च) निर्वाचन अधिकारी, उम्मीदवारों को, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणना अभिकर्ताओं को, जो कि उपस्थिति हों, यह युक्तियुक्त अवसर देगा कि वे उन सभी मतपत्रों की जांच कर लें जो निर्वाचन अधिकारी की राय में अस्वीकार करने योग्य हों, किन्तु उन्हें इन पत्रों या किसी अन्य पत्रों को छूने की अनुमति नहीं देगा। निर्वाचन अधिकारी उन सभी मतपत्रों पर जिन्हें अस्वीकार किया जाय, हिन्दी में देवनागरी लिपि में, "अस्वीकृत" पृष्ठांकित करेगा। यदि कोई उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतपत्र के अस्वीकार किये जाने पर आपत्ति करता है तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे मतपत्र पर, संक्षेप में, उसके अस्वीकार करने का कारण अभिलिखित करेगा।

(छ) मतदान स्थल की सभी मतपेटियों के मतपत्रों की गणना करने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी सभी मतपत्रों को एक अलग पैकेट में रखेगा जिस पर ऐसे वियरणी लिखे जायेंगे जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि सम्यन्धित मतपत्र किस मतदान स्थल, क्षेत्र पंचायत, या यथारिथित जिला पंचायत, और निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित हो।

51. मतपत्रों को अस्वीकार करने का आधार—(1) निर्वाचन अधिकारी किसी मतपत्र को अस्वीकृत कर देगा—

(क) यदि उस पर कोई ऐसा चिह्न या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सकती हो, या

- (ख) यदि वह नकली मतपत्र हो; या
 (ग) यदि वह इस प्रकार क्षत या विक्षिप्त किया गया हो कि यास्तविक मतपत्र के रूप में उसका तादाम्य स्थापित नहीं किया जा सकता हो; या
 (घ) यदि, उस पर उस विशिष्ट मतदान स्थल के प्रयोग के लिए प्राधिकृत मतपत्रों की, यथास्थिति, क्रम-संख्या या डिजाइन से भिन्न क्रम-संख्या या डिजाइन हो; या
 (ङ) यदि, उस पर किसी निर्वाचन क्षेत्र में भरे जाने के लिए अपेक्षित स्थानों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों को मत दिया जाय; या
 (च) यदि उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है।

(2) किसी मतपत्र पर अभिलिखित मत को अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यदि मतपत्र पर मत देने के विद्, इस रूप में अंकित किया गया हो कि यह सन्देहपूर्ण हो कि किस उम्मीदवार को मत दिया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी मतपत्र को केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जायेगा कि मत इंगित करने वाला विद् अस्पष्ट है या कि विशिष्ट उम्मीदवार के नाम के सामने से एक से अधिक बार विद् अंकित किया गया है, यदि मतपत्र पर जिस तरीके से विद् लगाया गया है, उससे यह स्पष्ट यह आशय निकलता हो कि यह मत किस विशिष्ट उम्मीदवार के लिये दिया गया है।

(3) किसी मतपत्र या ऐसे किसी मतपत्र पर दिये गये मत की वैधता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी का निर्णय किसी निर्वाचन याचिका, जिसमें निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो के परीक्षण पर दिये गये किसी प्रतिकूल निर्णय के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

52. मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत लेखों का सत्यापन-निर्वाचन अधिकारी नियुक्त मतपत्रों या निर्वाचक नामावली के चिह्नित मुहरबन्द पैकेटों को नहीं खोलेंगा। वह नियम 42 के अधीन मतदान अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत विवरण का सत्यापन, गणना किये गये मतों और अस्वीकृत मतपत्रों, अपने पास के अप्रयुक्त या खराब मतपत्रों की संख्या से और नियुक्त मतों की सूची से मितान करके करेगा। तत्पश्चात् यह प्रत्येक ऐसे पैकेट को, जिसे उसने खोला हो, फिर से बन्द करेगा और फिर से मुहर लगायेगा और प्रत्येक पैकेट पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का विवरण क्षेत्र पंचायत या यथास्थिति जिला पंचायत का नाम, निर्वाचन क्षेत्र का विवरण और निर्वाचन का दिनांक जिसके सम्बन्ध में वह हो, अभिलिखित करेगा।

53. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन विवरणी-तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी तैयार प्रेषित करेगा जिसमें निम्नलिखित उल्लिखित करेगा:

- (क) ऐसे उम्मीदवारों के नाम जिन्हें वैध मत दिए गये हों,
 (ख) प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गये वैध मतों की संख्या;
 (ग) वैध मतपत्रों की कुल संख्या;
 (घ) अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या;
 (ङ) विनिर्दिष्ट मतपत्रों की संख्या, और
 (च) निर्वाचित उम्मीदवार का नाम।

तत्पश्चात् यह किसी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता को ऐसी विवरणी की प्रतिलिपि या उद्धरण लेने की अनुमति देगा।

54. परिणाम की घोषणा-निर्वाचन अधिकारी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम संख्या में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

55. मतों की समता-यदि मतों की गणना के पूरा होने के पश्चात् किन्हीं उम्मीदवारों के बीच मतों की समता पायी जाये और मतों में एक मत जोड़ दिए जाने से उन उम्मीदवारों में कोई एक उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए हकदार न हो जायेगा तो निर्वाचन अधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच पर्ची डालकर तत्काल निश्चय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा मानो जिस उम्मीदवार के नाम परची निकले उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ हो।

56. परिणाम की सूचना—परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र निर्वाचन अधिकारी परिणाम की सूचना यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्र पंचायत के खण्ड विकास अधिकारी या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भी देगा। जिला मजिस्ट्रेट परिणाम की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

57. निर्वाचन से सम्बन्धित विवरणी और मतपत्रों तथा अन्य पत्रों की अभिरक्षा—(1) निर्वाचन अधिकारी नियम 56 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की सूचना देने के पश्चात् विवरणी जिला पंचायत राज अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए भेजेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, मतपत्रों के पैकेटों और निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य पत्रों को भी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पंचायत राज अधिकारी को भेजेगा।

58. निर्वाचन पत्रों का प्रस्तुत किया जाना और निरीक्षण—जब जिला पंचायत राज अधिकारी की अभिरक्षा में मतपत्रों में चाहे वे बंद, अस्वीकृत या निविदित हों और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के पैकेट हों तो सिवाय निर्वाचन याचिका की सुनवाई करने वाले किसी सदस्य न्यायालय या किसी जिला जज के आदेश के उन्हें न तो खोला जायेगा न उनका किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा और न उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। जब निरीक्षण का आदेश दिया जाये तो उसके लिए दो रुपये प्रति दिन, जिस दिन निरीक्षण किया जाय, की दर से फीस भुगतान करने के अधीन रहते हुए लिया जायेगा।

(2) निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य सभी पत्रों का निरीक्षण जनता द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, किया जा सकेगा और उसके लिए बीस रुपये प्रतिदिन जिस दिन निरीक्षण किया जाये, के हिसाब से फीस दी जायेगी।

(3) नियम 57 के उपनियम (1) के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अप्रसारित विवरणियों की प्रतिलिपियां प्रत्येक प्रति के लिए बीस रुपये की फीस का भुगतान करने पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा दी जायेगी।

(4) ऐसे पत्रों की प्रतिलिपि या जिनका उपनियम (2) के अधीन निरीक्षण करने की अनुमति हो, उनके लिए आवेदन-पत्र देने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर जिस दर पर राज्य में किसी राजस्व अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश की एक प्रति के लिए फीस ली जाती हो, फीस का भुगतान करने पर दी जायेगी। पत्रों की प्रतिलिपि के लिए आवेदन-पत्र सादे कागज पर दिए जा सकते हो और उस पर कोई न्यायिक स्टाम्प लगाना आवश्यक न होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट किसी पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जायेगी और उसके कार्यालय से जारी की जायेगी।

59. न भरे गये स्थानों के लिए निर्वाचन—(1) किसी स्थान के रिक्त रहने की सूचना प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट यथाशक्यशीघ्र राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र से ऐसे दिनांक के पूर्व जो उसके द्वारा निश्चित किया जाये, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत के लिये या जिला पंचायत के लिए किसी सदस्य का निर्वाचित करने की अपेक्षा करेगा और नियम (5) के उपनियम (2) में उल्लिखित प्रत्येक मत के लिये नया दिनांक, समय और स्थान नियत करेगा और इस नियमावली के उपबन्ध यथाशक्य ऐसी रिक्ति को भरने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(2) यदि फिर भी निर्वाचन क्षेत्र में उपनियम (1) के अधीन हुए निर्वाचन में किसी सदस्य का निर्वाचन करने में विफल रहता है तो जिला मजिस्ट्रेट इस तथ्य की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

60. शास्त्रियां—कोई व्यक्ति जो—

- (क) नियमों का उल्लंघन कर निर्वाचक नामावली या उसकी प्रति या अन्य दस्तावेजों में परिवर्तन या गड़बड़ करता है; या
- (ख) इस नियमावली के प्रयोजनों के लिए नियुक्त या संबांधित किसी अधिकारी या सेवक को उसने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा डाले या हस्तक्षेप करे; या
- (ग) किसी सार्वजनिक कार्यालय में या अन्य स्थान पर चिपकाए गये या अन्यथा प्रकाशित किसी

प्रतिलिपि, नोटिस या अन्य दस्तावेज को विकृत करे, क्षति पहुँचाए, उलट पलट करे या हटायें, तो यह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो 1,000 रुपये तक हो सकेगा।

61. उप निर्वाचन—यदि क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित किसी सदस्य का पद या जिला पंचायत के निर्वाचित किसी सदस्य का पद मृत्यु के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, ऐसे दिनांक से पूर्व जो उसके द्वारा नियत की जाय, यथास्थिति, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के लिये किसी सदस्य का निर्वाचन करने की अपेक्षा करेगा और नियम 15 के उपबन्धों के अनुसार उप- निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के दिनांक, समय और स्थान नियत करेगा और इस नियमावली के उपबन्ध यथाशक्य ऐसी रीति को करने के लिए किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होंगे।

62. निर्वाचन पत्रों का निस्तारण—निर्वाचन विवरणियों के सिवाय क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन से सम्बन्धित सभी पत्र निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग या किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिये गये किन्हीं प्रतिकूल निर्देशों के अधीन रहते हुए, नष्ट कर दिये जायेंगे। निर्वाचन विवरणियाँ निर्वाचनों की समाप्ति तक रक्षी जायेंगी और उसके पश्चात् किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये किन्हीं प्रतिकूल निर्देशों के अधीन रहते हुए नष्ट कर दी जायेंगी।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप-प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994'

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 264-ख के साथ संपलित धारा 237 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुख तथा उप-प्रमुख के निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों के निपटारे की) नियमावली, 1962 को अतिक्रमित करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप-प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ**—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है,

(ख) 'निर्वाचन' का तात्पर्य किसी क्षेत्र पंचायत के, यथास्थिति, प्रमुख या उप-प्रमुख पद के लिए निर्वाचन से है,

(ग) 'सदस्य' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य से है,

(घ) 'प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली की अनुसूची 1 में दिये गये प्रपत्र से है,

(ङ) 'पंचायत' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्थापित क्षेत्र पंचायत से है, और

(च) 'अनुसूची' का तात्पर्य इस नियमावली की किसी अनुसूची से है।

3. **मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)**—राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अपेक्षित, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचनों के संचालन से संबंधित सभी कृत्यों का सम्पादन करेगा।

4. **निर्वाचन अधिकारी—जिला मजिस्ट्रेट** इस नियमावली के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी होगा।

5. **सहायक निर्वाचन अधिकारी—निर्वाचन अधिकारी** इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

प्रमुख के निर्वाचन का संचालन

नाम-निर्देशन

6. नाम निर्देशन आदि के लिए दिनांकों का निश्चित किया जाना—(1) जय कमी अधिनियम के अधीन क्षेत्र पंचायत के प्रमुख के पद के लिये निर्वाचन करना अपेक्षित हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना द्वारा, निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित बातें करेगा—

- (क) नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जांच करने के लिये दिनांक जो अधिसूचना के दिनांक से कम से कम दो दिन पश्चात् का दिनांक होगा,
- (ख) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का दिनांक और समय, जो नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जांच के लिये नियत दिनांक के बाद का सामान्यतः अगला दिन होगा, और
- (ग) यह दिनांक, जब और वे घंटे जिनके दौरान मतदान, यदि आवश्यक हो, कराया जायेगा। यह दिनांक खंड (ख) में नियत दिनांक के बाद सामान्यतः अगला दिन होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना जारी हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना प्रपत्र में हिन्दी में नोटिस की एक प्रति अपने कार्यालय में और दूसरी खंड के मुख्यालय में ऐसे प्रमुख स्थान पर चिपकाकर तथा ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, देगा जिसे वह उचित समझे, और प्रत्येक सदस्य के अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस की एक प्रति प्रमाणित डाक द्वारा भिजवायेगा।

7. सदस्यों की सूची—(1) नियम 6 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व, निर्वाचन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करायेगा जो क्षेत्र पंचायत के तत्समय सदस्य हों और सूची की एक प्रमाणिक प्रति अपने कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय और क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय में ऐसे अन्य सहजदृश्य स्थानों पर जिन्हें वह उचित समझे, चिपकाकर उसकी सार्वजनिक सूचना देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय सूची में ऐसी सुद्धियाँ कर सकता है जो सदस्यता में कोई परिवर्तन होने या सूची में कोई त्रुटि मालूम होने के कारण आवश्यक हो जाय चाहे वह किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी दावा या आपत्ति पर विचार करने पर मालूम हुई, या अन्य किसी प्रकार से:

प्रतिबंध यह है कि सूची में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति के नाम उसमें से तब तक न निकाला जायेगा जब तक कि नाम निकाले जाने के प्रस्ताव की पूर्व सूचना उस व्यक्ति को न दे दी गई हो और उसे नाम निकाले जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

8. नाम-निर्देशन—(1) कोई व्यक्ति जो पंचायत के प्रमुख के पद के लिये होने वाले निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अपना नाम-निर्देशन चाहता हो, स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रपत्र 2 में यथाविधि भरा हुआ नाम-निर्देशन पत्र 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच, नियम 6 के अधीन नोटिस में उल्लिखित दिनांक को और स्थान पर देगा।

(2) उम्मीदवार नाम-निर्देशन पत्र पर नाम-निर्देशन के लिये सम्मति देने के प्रतीक-स्वरूप स्वयं हस्ताक्षर करेगा और प्रस्तावक के रूप में एक सदस्य और अनुमोदक के रूप में दूसरा सदस्य भी उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) जहां कोई उम्मीदवार अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह नाम-निर्देशन पत्र के साथ इस आशय का एक घोषणा-पत्र देगा कि वह यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है और अपनी विशिष्ट जनजाति या जाति भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) उपनियम (1) में उल्लिखित अन्तिम समय के पश्चात् प्रस्तुत किया गया नाम-निर्देशन-पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा तुरन्त ही अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

9. जमा—(1) कोई उम्मीदवार तब तक, यथाविधि नाम-निर्दिष्ट नहीं समझा जायेगा तब तक कि वह, प्रतिभूति के रूप में एक रूपये जमा न करे, या करवाये:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उम्मीदवार उसी निर्वाचन के लिये एक से अधिक नाम-निर्देशन-पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट कर दिया गया हो तो इस उपनियम के अधीन उसे उक्त धनराशि एक ही बार जमा करनी होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उम्मीदवार उसी निर्वाचन के लिये एक से अधिक नाम-निर्देशन-पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट कर दिया गया हो तो इस उपनियम के अधीन उसे उक्त धनराशि एक ही बार जमा करनी होगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन जिस धनराशि का जमा किया जाना अपेक्षित है उसके बारे में तब तक यह नहीं माना जायेगा कि वह उक्त उपनियम के अधीन जमा की जा चुकी है जब तक कि नियम 8 के अधीन नाम-निर्देशन-पत्र देने के समय उम्मीदवार ने निर्वाचन अधिकारी के पास उक्त धनराशि नकदी में जमा न कर दी हो या जमा न करा दी हो या नाम-निर्देशन-पत्र के साथ ऐसी रसीद न ली न कर दी हो जिससे यह मासूम हो कि उक्त धनराशि उसके द्वारा या उसकी ओर से सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा की जा चुकी है।

10. नाम-निर्देशन-पत्रों के प्रस्तुत किये जाने पर प्रक्रिया-निर्वाचन अधिकारी नियम 8 के अधीन नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त होने पर उस पर उसकी क्रम-संख्या दर्ज करेगा और यह भी लिखेगा कि उसे नाम-निर्देशन-पत्र किस दिनांक को और कितने बजे दिया गया। उसके पश्चात् यथाशक्यशीघ्र वह प्रपत्र 3 में नाम-निर्देशन की एक ऐसी सूचना अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकवा देगा जिसमें उम्मीदवारों का और उन व्यक्तियों का जिन्होंने नाम-निर्देशन-पत्रों पर प्रस्तावकों और अनुमोदकों के रूप में हस्ताक्षर किये हो, वंसा ही उल्लेख होगा जैसा कि नाम-निर्देशन पत्र में दिया होगा।

11. नाम-निर्देशन-पत्रों की जांच—(1) नाम-निर्देशन-पत्रों की जांच के समय उम्मीदवार, उनके प्रस्तावक और अनुमोदक उपस्थित हो सकते हो, किन्तु अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता। निर्वाचन अधिकारी उन्हें यथाविधि प्राप्त हुए नाम-निर्देशन-पत्रों का परीक्षण करने के लिये सभी युक्तियुक्त सुविधायें प्रदान करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी नाम-निर्देशन-पत्रों की जांच करेगा और उन सभी आपत्तियों पर, जो किसी नाम-निर्देशन के सम्बन्ध में की जायें, अपना निर्णय देगा और या तो इस प्रकार की गई आपत्ति पर या स्वतः ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात् यदि कोई की जाय, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी नाम-निर्देशन को निम्नलिखित किसी भी आधार पर अस्वीकृत कर सकता है:

- (क) उम्मीदवार पद के लिये अधिनियम के अधीन चुने जाने के निमित्त अर्ह नहीं है,
- (ख) उम्मीदवार पद के निमित्त अधिनियम के अधीन चुने जाने के लिये अनर्ह है,
- (ग) नियम 8 और 9 के किन्हीं उपबन्धों के पालन में विफलता हुई है,
- (घ) उम्मीदवार का या प्रस्तावक या अनुमोदक का हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है या उसे धोखे से प्राप्त किया गया है, या
- (ङ) उम्मीदवार सदस्य नहीं है,
- (च) प्रस्तावक या अनुमोदक सदस्य नहीं है,
- (छ) उम्मीदवार उस जनजाति या जाति या वर्ग या लिंग का नहीं है जिसके लिए पद इस प्रकार आरक्षित है।

(3) यदि उम्मीदवार किसी ऐसे अन्य नाम-निर्देशन-पत्र द्वारा यथाविधि नाम निर्दिष्ट हो जाय जिसके सम्बन्ध में कोई अनियमितता न हुई हो तो उपनियम (2) के खण्ड (ग), (घ) या (ङ), (च) या (छ) में दी हुई किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी अन्य नाम-निर्देशन-पत्र के सम्बन्ध में हुई किसी अनियमितता के आधार पर उम्मीदवार के नाम-निर्देशन को अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

(4) निर्वाचन अधिकारी किसी नाम-निर्देशन पत्र को किसी ऐसे तकनीकी दोष या अन्य त्रुटि के आधार पर अस्वीकृत नहीं करेगा, जो सारवान न हो और यह ऐसे किसी दोष या त्रुटि के दूर किये जाने के निमित्त नाम-निर्देशन पत्र की किसी भी प्रविष्टि को, जिसमें निर्वाचक नामावली में नाम या संख्या से सम्यक् प्रविष्टि भी सम्मिलित है, सुद्ध किये जाने की अनुमति दे सकता है।

(5) उपनियम (4) के अधीन शुद्धि करने के निमित्त दिया गया निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति न की जावेगी।

(6) निर्वाचन अधिकारी नियम 6 के अधीन जाच के लिये नियत दिनांक और समय पर जाच करेगा और कार्यवाही को किसी भी प्रकार स्थगित न होने देगा सिवाय उस दशा के जब उक्त कार्यवाही में ऐसे कारणों से रुकावट या बाधा पड़ रही हो जो उसके वश के बाहर हों।

(7) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम-निर्देशन-पत्र पर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अपना निर्णय लिखेगा और यदि नाम-निर्देशन-पत्र अस्वीकृत किया गया हो तो वह ऐसी अस्वीकृति के लिये अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखेगा।

(8) इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियम 7 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची में किसी व्यक्ति का नाम होना इस बात का निश्चायक साध्य होगा कि वह अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए अर्ह है।

(9) सभी नाम-निर्देशन-पत्रों की जाच और उसको अस्वीकृत करने के विनिश्चयों के अभिलिखित हो जाने के पश्चात्, निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र 3-क में विधिमानीय पाए गए हो और इसे अपने सूचना पट्ट पर चिपकाएगा।

12. उम्मीदवारी से नाम वापस लेना—(1) कोई भी उम्मीदवार प्रपत्र 4 में लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है। इस नोटिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और वह निर्वाचन अधिकारी को उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा, जिसे ऐसे उम्मीदवार ने लिखित रूप से तदर्थ प्राधिकृत किया हो, नियम 6 के अधीन नियत दिनांक और घंटों के बीच दिया जायेगा।

(2) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसने उप-नियम (1) के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने का नोटिस दिया हो, उक्त नोटिस रद्द न करने दिया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उस पर उसके दिये जाने का दिनांक और समय उस व्यक्ति का नाम लिखेगा जिसके द्वारा यह दिया गया हो।

(4) यदि उम्मीदवार उम्मीदवारी से अपना नाम नियम 6 के अधीन विहित अर्ध के भीतर वापस ले लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की धनराशि तौटा दी जायेगी।

(5) निर्वाचन अधिकारी, उपनियम (1) के अधीन नाम वापस लेने की सूचना प्राप्त होने और नाम वापस लेने वाली सूचना और सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान की यथार्थता के सम्बन्ध में समाधान होने के पश्चात्, प्रपत्र 5 में नाम वापस लेने की सूचना तैयार करवाएगा और अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर चिपकावाएगा।

(6) उपनियम (1) में वर्णित दिन और समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली नाम वापस लेने की नोटिस पर निर्वाचन अधिकारी ध्यान नहीं देगा, किन्तु यदि मतदान प्रारम्भ होने से पहले किसी समय नियम 13 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में प्रविष्ट, एक को छोड़कर सभी उम्मीदवारों से नाम वापस लेने की नोटिस प्राप्त हो जाय तो रिटर्निंग अधिकारी आदेश देगा कि मतदान नहीं कराया जाये और उस स्थिति में नियम 14 के अधीन कार्यवाही करेगा।

13. वैध नाम-निर्देशन की सूची और उसका प्रकाशन—(1) यदि नियम 12 के उपनियम (1) के अधीन नामों की वापसी, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले दो या अधिक उम्मीदवार हों, तो रिटर्निंग अधिकारी प्रपत्र 6 में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना-पट्ट पर और एक प्रति क्षेत्र पंचायत के कार्यालय पर चिपकावाकर उसे प्रकाशित करायेगा।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में तैयार की जायेगी और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम शर्मात्मा क्रम में उनके पते के साथ, जैसा नाम-निर्देशन-पत्र में दिये गये हों, दिये जायेंगे।

14. निर्विरोध निर्वाचन और परिणाम की घोषणा—यदि नियम 11 के उप-नियम (9) के अधीन केवल एक उम्मीदवार वैध रूप से नाम-निर्दिष्ट हो या यदि नियम 12 के अधीन नाम वापस लेने के परिणामस्वरूप केवल एक ही उम्मीदवार रह गया हो तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवार को तुरन्त प्रमुख के पद पर विधितः निर्वाचित घोषित करेगा और ऐसी घोषणा की एक प्रति क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर ऐसे सहजदृश्य स्थान पर चिपकावायेगा।

जिससे वह उचित समझे और परिणाम की सूचना जिला-मजिस्ट्रेट और राज्य निर्वाचन आयोग को भी भेजेगा।

15. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु—यदि किसी उम्मीदवार की, जिसका नाम-निर्देशन नियम 11 के अधीन जांच करने पर वैध पाया गया हो और जिसने नियम 12 के अधीन अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हो, मृत्यु हो जाती है और निर्वाचन अधिकारी को उसकी मृत्यु की सूचना नियम 13 के उप-नियम (1) के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन से पहले प्राप्त हो जाय या यदि निर्वाचन लड़ने वाले किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु की सूचना निर्वाचन अधिकारी को मतदान प्रारम्भ होने से पहले प्राप्त हो जाय तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार की मृत्यु के संबंध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान रद्द कर देगा और इस निर्वाचन की सभी कार्यवाहियां हर प्रकार से उसी तरह नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी माना कोई नया निर्वाचन किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी उम्मीदवार के मामले में, जिसका नाम-निर्देशन मतदान के रद्द किए जाने के समय वैध रहा हो, पुनः नाम-निर्देशन आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसने नियम 12 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने की नोटिस मतदान रद्द किए जाने से पूर्व दिया हो, मतदान के इस प्रकार रद्द किए जाने बाद निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम-निर्दिष्ट किए जाने के लिए पात्र न होगा।

16. उम्मीदवारी के लिए नाम न होना—यदि कोई भी व्यक्ति यथाविधि नाम निर्दिष्ट न हुआ हो या यथाविधि नाम-निर्दिष्ट सभी व्यक्ति नियम 12 के अधीन अपनी-अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले तो कार्यवाहियां नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी माना वे किसी नये निर्वाचन के लिये हों।

17. मतदान की रीति—निर्वाचन, अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली (System of proportional representation) के अनुसार एक संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान (Secret ballot) द्वारा होगा। मत मतदाताओं द्वारा स्वयं ही खले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधिक (Proxy) मतदान द्वारा नहीं स्वीकार किया जायेगा।

18. मतदान का स्थान और समय—मतदान खण्ड के मुख्यालय में ऐसे प्रमुख स्थान पर होगा जिसे निर्वाचन अधिकारी निश्चित करे, और नियम 6 के अधीन नॉटिस में विनिर्दिष्ट घंटों के भीतर होगा।

19. मतपत्र और मतपेटी—(1) निर्वाचन में उपयोग किये जाने वाले मतपत्र प्रपत्र-7 में हों और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के नाम हिन्दी में, उसी क्रम में दिये हुए होंगे जिस क्रम में वे नियम 13 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में हों।

(2) मतदान में उपयोग की जाने वाली मतपेटी ऐसे किसी प्रकार की होगी, जिसका अनुमोदन राज्य निर्वाचन आयोग ने किया हों।

20. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व की प्रक्रिया—(1) मतदान प्रारम्भ होने के ठीक पहले निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को जो मतदान के स्थान पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयोग में लाई जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण करने देगा।

(2) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी मतपेटी को इस प्रकार सुरक्षित और मुहरबन्द करेगा कि मत-पत्र डालने का छेद खुला रहे।

21. मतदान-स्थल में प्रवेश—(1) निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों को मतदान स्थल से बाहर रखेगा—

(क) उम्मीदवार,

(ख) सदस्य, और

(ग) अन्य ऐसे व्यक्ति, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये समय-समय पर आने दें।

(2) निर्वाचन अधिकारी नियम 6 के अधीन निर्धारित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद वहाँ किसी भी सदस्य को प्रवेश न करने देगा।

प्रतिबन्ध यह है कि सभी सदस्यों को जो उस स्थल के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व उपस्थित हों अपना मत अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

22. मत-पत्र देने की प्रक्रिया—(1) निर्वाचन अधिकारी अपने सम्मेलन नियम 7 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची रखेगा।

(2) किसी सदस्य को मत-पत्र दिये जाने के ठीक पहले उस सूची में उसके नाम के सामने एक चिह्न बना दिया जायेगा और सदस्य का नाम, जैसा कि उसे सूची में दिया गया हो, मत-पत्र के प्रतिपत्र में दर्ज कर दिया जायेगा।

(3) मत-पत्र की प्राप्ति के प्रतीक-स्वरूप सदस्य सूची में हस्ताक्षर करेगा।

(4) किसी सदस्य को मत-पत्र दिये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी उस सदस्य की पहचान (Identity) के बारे में अपना समाधान कर लेगा और इस प्रयोजन के लिये वह ऐसे व्यक्तियों की सहायता ले सकता है जिन्हें वह ठीक समझें।

(5) यदि किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में निर्वाचन अधिकारी का समाधान न हुआ हो, तो वह उन परिस्थितियों की संक्षिप्त टिप्पणी अभिलिखित करने के उपरान्त जिनमें मत-पत्र देने से इन्कार किया गया हो, उसे मत-पत्र देने से इन्कार कर सकता है।

(6) जैसे ही मत-पत्रों का दिया जाना समाप्त हो जाय, निर्वाचन अधिकारी मत-पत्रों के प्रतिपत्रों को एक सिफाफे में रखेगा, उसे बन्द करेगा तथा उस पर मुहर लगायेगा। न्यायालय या ऐसे निर्वाचनों से संबंधित कि

विवाद का निर्णय करने वाले अन्य प्राधिकारी के आदेश के बिना लिफाफा नहीं खोला जायेगा।

23. कुछ परिस्थितियों में नये मत-पत्र का दिया जाना—(1) यदि किसी सदस्य ने असावधानी (Inadvertantly) के कारण अपने मत-पत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मत-पत्र के रूप में सुविधापूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो वह उसे निर्वाचन अधिकारी को देने पर और असावधानी के बारे में उसका समाधान कर देने पर इस प्रकार वापस किये गये मत-पत्र के स्थान पर दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकेगा और वापस किये गये मत-पत्र तथा उनके प्रतिपत्र पर निर्वाचन अधिकारी वापस किया गया और रद्द किया गया लिख देगा।

(2) इस प्रकार रद्द किया गया मत-पत्र उस प्रयोजन के लिये पुनः रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा।

24. सदस्यों द्वारा अप्रयुक्त मतपत्रों का वापस किया जाना—यदि कोई सदस्य अपना मत अंकित करने के प्रयोजन से मत-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसका प्रयोग न करने का निश्चय करे तो वह उस मत-पत्र को निर्वाचन अधिकारी को वापस कर देगा जो उस पर वापस किया गया तथा रद्द किया गया कन्सर् देगा और उसे नियम 23 के उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए पुनः रखे गये लिफाफे में रखेगा।

25. मतदान केन्द्र के भीतर निर्वाचकों द्वारा मतदान एवं मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता को बनाए रखना—(1) प्रत्येक सदस्य जिसे नियम 22 के अधीन या इस आदेश के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन मत-पत्र जारी किया गया हो, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् दी गयी मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) प्रत्येक सदस्य को उतने अधिमान (preferences) प्राप्त होंगे जितने उम्मीदवार होंगे किन्तु कोई भी मत-पत्र केवल इस कारण से अवैध नहीं माना जायेगा कि ऐसे सभी अधिमान चिह्नित नहीं किये गये हों।

(3) मत-पत्र प्राप्त करने के पश्चात्, सदस्य तत्काल—

(क) मतदान स्थल पर बने और बाहर से न दिखने वाले मतदान कक्ष में जायेगा,

(ख) अपने मत-पत्र में उस उम्मीदवार के नाम के सामने दिये गये स्थान पर जिसे वह अपना प्रथम अधिमान (First preference) देने के लिए चुने, संख्या लिखेगा,

(ग) अपने मत-पत्र में अन्य उम्मीदवारों के नामों के सामने दिये गये स्थान पर, अधिमान के क्रमानुसार संख्या 2, 3, 4 आदि लिखकर जितने पश्चात्तर्ती अधिमान चाहे अंकित करेगा,

(घ) अपने मत को छिपाने के लिए मत-पत्र को मोड़ लेगा,

(ङ) मुड़े हुए मत-पत्रों को मतपेटी में इस प्रयोजन के लिए बने छेद से डाल देगा,

(च) तत्पश्चात् मतदान स्थल छोड़ देगा।

(4) प्रत्येक सदस्य बिना अनावश्यक विलम्ब के मतदान करेगा।

(5) किसी अन्य निर्वाचक के मतदान कक्ष के भीतर मौजूद रहने की स्थिति में किसी अन्य सदस्य को उसके अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(6) किसी सदस्य के द्वारा अनुरोध किये जाने पर निर्वाचन अधिकारी मत अंकित करने के लिए मतपत्र में दिये गये अनुदेशों को उसे समझायेगा।

(7) यदि कोई निर्वाचक निरक्षरता, अंधेपन या किसी अन्य अशक्तता के कारण मत-पत्र को पढ़ने या उस पर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो निर्वाचन अधिकारी ऐसी निरक्षरता, अंधता या अशक्तता के संबंध में समाधान कर लेने के पश्चात् निर्वाचक को अपने साथ एक ऐसे साथ जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो और जो मत-पत्र को पढ़ सकने, उस पर निर्वाचक की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने, और यदि आवश्यक हो, तो मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोड़ने और उसे मतपेटी में डालने में समर्थ हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी मतदान केन्द्र पर एक ही दिन एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह और कि इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने से पूर्व, उससे यह घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह निर्वाचक की ओर से अभिलिखित किये गये मत को गोपनीय रखेगा और उसने उस दिन इसके पूर्व किसी अन्य निर्वाचक के

साथी के रूप में कार्य नहीं किया है निर्वाचन अधिकारी उस उपनियम के अधीन सभी मामलों का प्रपत्र 7-क में एक अभिलेख रखेगा।

(8) यदि कोई ऐसा सदस्य जिसे मत पत्र जारी किया गया हो, निर्वाचन अधिकारी द्वारा घेतायनी दिये जाने के पश्चात् ऊपर दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन करने से इन्कार करता है, तो उसे जारी किया गया मत-पत्र, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, उससे निर्वाचन अधिकारी द्वारा वापस ले लिया जायेगा।

(9) मत-पत्र वापस लिये जाने के पश्चात् निर्वाचन अधिकारी उसके पीछे शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित कर देगा और उन शब्दों के नीचे अपना हस्ताक्षर और दिनांक अंकित करेगा।

(10) ऐसे सभी मत-पत्रों को जिन पर शब्द "रद्द किया गया, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित किया गया हो, एक पृथक आवरण जिसके ऊपर शब्द "मत-पत्र, मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" लिखा होगा, में रख दिया जायेगा।

(11) इस प्रकार के मत-पत्र पर अंकित किये गये इन मतों की गणना नहीं की जायेगी।

26. मतगणना के समय प्रक्रिया—(1) मतदान बन्द होते ही निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उन सदस्यों की उपस्थिति में, जो उपस्थित हों, मतों की गणना प्रारम्भ करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतपेटी खोलेगा, और—

(क) उसमें से निकाले गये मत-पत्रों को गिनेगा और उनकी संख्या एक विवरण-पत्र में लिख लेगा,

(ख) मत-पत्रों की जांच करेगा तथा उनमें से ऐसे मत-पत्रों को, जो उसकी राय में वैध हों, ऐसे मत-पत्रों से जो उसकी राय में अवैध हों और जिन पर वह शब्द "अस्वीकृत" तथा अस्वीकृति के आधार लिखेगा, अलग रखेगा— और

(ग) प्रत्येक उम्मीदवार के लिये अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार सभी वैध मत-पत्रों को पुंजों में रखेगा।

(3) ऐसा मत-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा जिस पर—

(क) संख्या 1 अंकित न हो, या

(ख) संख्या 1, एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने अंकित हो या इस प्रकार अंकित हो कि उससे यह संदेह उत्पन्न होता हो कि किस उम्मीदवार के लिए उसका प्रयोग अभिप्रेत है, या

(ग) संख्या 1 और कोई अन्य संख्या एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित हो, या

(घ) कोई ऐसा चिह्न बनाया गया हो जिसके द्वारा मतदाता बाद में पहचाना जा सके

27. निर्वाचन फल का अवधारण—प्रत्येक उम्मीदवार के लिये अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार सभी वैध मत-पत्रों को पुंजों (parcels) में रखने के बाद निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली की अनुसूची 2 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार मतदान का परिणाम अवधारित करने की कार्यवाही करेगा।

28. पुनः गणना करना—निर्वाचन अधिकारी, यदि वह पहले की गयी गणना के संबंध में संतुष्ट न हों तो, स्वतः या किसी उम्मीदवार के अनुरोध पर, मतों की पुनः एक या एक से अधिक बार कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यहां दी गई किसी बात से निर्वाचन अधिकारी किन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनः गणना करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

29. निर्वाचन की घोषणा—मतगणना समाप्त हो जाने और मतदान परिणाम अवधारित हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी तुरन्त—

(क) उपस्थित लोगों के समक्ष निर्वाचन परिणाम की घोषणा कर देगा,

(ख) जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकार को निर्वाचन परिणाम की सूचना देगा;

(ग) प्रपत्र 8 में निर्वाचन की एक विवरणी तैयार करेगा और उसे प्रमाणित करेगा; और

(घ) वैध मत-पत्रों तथा अस्वीकृत मत-पत्रों को अलग-अलग पैकेटों में रख कर मुहर बंद करेगा और ऐसे प्रत्येक पैकेट के ऊपर यह लिखेगा कि उनमें किस प्रकार के मत-पत्र हो।

30. उम्मीदवार के निर्वाचन का दिनांक—वह दिनांक जिस पर कोई उम्मीदवार नियम 14 या 29 के प्रतिबंधों के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किया जाए, उस उम्मीदवार के निर्वाचन का दिनांक होगा।

31. निर्वाचन पत्रों की अभिरक्षा, निरीक्षण तथा निस्तारण—(1) रिटर्निंग अधिकारी नियम 29 के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचन परिणाम को सूचना देने के पश्चात् पूर्वगत नियमों में निर्दिष्ट मुहरबंद लिफाफों और पैकेटों, नियम 25 के उपनियम (7) में निर्दिष्ट अभिलेखों, नियम 29 के खण्ड (ग) के अधीन तैयार की गई निर्वाचन की विवरण को मुहरबंद अलग-अलग लिफाफे में रख कर जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा। प्रत्येक लिफाफे या पैकेट के ऊपर यह लिखा होगा कि उसमें क्या रखा है।

(2) मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में रखे गये मत-पत्रों के पैकेट चाहे वे अप्रयुक्त, रद्द किये गये, वैध या अस्वीकृत मत-पत्रों के पैकेट हों, और मत-पत्रों को जारी करने समय प्रयुक्त सदस्यों की सूची सक्षम न्यायालय की आज्ञा के बिना न खोला जायेगा और उसकी अन्तर्वस्तु का (contents) का किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो निरीक्षण किया जायेगा और न उक्त अन्तर्वस्तु उनके समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। अन्य कागज-पत्रों का निरीक्षण करने की आज्ञा जिला मजिस्ट्रेट ऐसे घंटों के शीघ्र जो वह इस प्रयोजन के लिए नियत करे, किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो।

(3) निर्वाचन पत्रों का निरीक्षण, चाहे उसकी अनुमति उपनियम (2) के अधीन सक्षम न्यायालय ने दी हो या जिला मजिस्ट्रेट ने, प्रति दिन ही के लिये, जब निरीक्षण किया जाय, दस रुपये की फीस का भुगतान करने पर ही किया जा सकेगा, और नियम 29 के खण्ड (ग) के अधीन तैयार की गई विवरणी की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को दी जायेगी जो प्रत्येक प्रति के लिये दस रुपये की फीस का भुगतान करने पर उसे मांगे।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट निर्वाचन-पत्र एक वर्ष की अवधि के लिये रखे जायेंगे और तत्पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निदेश के अधीन रहते हुए, नष्ट कर दिये जायेंगे।

32. जमा की गई धनराशि की वापसी और जम्मा—(1) यदि किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जाये तो यह नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि उम्मीदवार या उस व्यक्ति को जिसने उसे जमा किया हो, वापस करने का आदेश देगा।

(2) यदि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो जाये तो नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को वापस दी जायेगी और यदि उसके द्वारा जमा न की गई हो तो उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी जिसके द्वारा यह जमा की गई हो।

(3) यदि निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार निर्वाचित न हो और प्रथम अधिमान के रूप में उसे मिले हुए मतों की संख्या, दिये कुल मतों की संख्या के सातवक भाग से अधिक न हो, तो नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि राज्य सरकार के प्रति जप्त कर ली जायेगी। जमा की गई धनराशि को इस प्रकार जप्त करने का आदेश रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पश्चात् दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिये, मतदान में दिये मतों की संख्या का निर्देश मतदान में दिये गये वैध मतपत्र की संख्या से है।

(4) उन मामलों में जो पूर्वगामी उपनियमों तथा नियम 12 के अन्तर्गत नहीं आते नियम 9 के अधीन जमा की गई धनराशि, गणतंत्र में निर्वाचन परिणाम प्रकाशित होने के बाद खितना शीघ्र व्यवहार्य हो उम्मीदवार को या उस व्यक्ति को जिसने जमा की हो लांटा दी जायेगी।

33. आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—प्रमुख के पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, यथासम्भव, यही होगी जो पूर्वगामी नियमों में निर्धारित है।

अध्याय 3

उप-प्रमुख के निर्वाचन का संचालन

24. उप-प्रमुख का निर्वाचन-क्षेत्र पंचायत के एक ज्येष्ठ उप-प्रमुख और एक कनिष्ठ उप-प्रमुख के निर्वाचन के मामले में नियम 3 से 33 तक और प्रपत्र 1 से 7 आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे और उस प्रयोजन के लिये वे अवसर के समुपयुक्त शीर्षकों, प्रोद्धरणों (citations), अभिदेशों और प्रविष्टियों के संबंध में, सभी अपेक्षित अनुकूलनों के साथ समझे तथा प्रयोग किये जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह प्रमुख, ज्येष्ठ उप-प्रमुख और कनिष्ठ उप-प्रमुख के पदों, या उनमें से किसी के पद, के लिये पृथक रूप से या साथ-साथ निर्वाचन किये जाने का प्रतिषेध करती है :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपर्युक्त पदों में से एक से अधिक पदों का निर्वाचन एक साथ हो, तो ऐसे प्रत्येक पद के निर्वाचन के संबंध में सभी प्रक्रिया पृथक-पृथक की जायेगी सिवाय केवल इसके कि ऐसे सभी निर्वाचनों के लिये नियम 22 के अधीन पृथक मत-पत्र एक साथ जारी किये जा सकते हो और अंकित किए जाने के पश्चात् ये नियम 25 के अधीन एक ही मतदान बक्से में रखे जा सकते हो।

अध्याय 4

प्रमुखों और उप-प्रमुख के निर्वाचन संबंधी विवाद

35. याचिकाएं प्रस्तुत करने का समय और रीति—(1) प्रमुख या उप-प्रमुख के निर्वाचन पर आपत्ति करने की याचिका नियम 14 या नियम 29 के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, निर्वाचन परिणाम घोषित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर किसी भी समय न्यायाधीश को प्रस्तुत की जा सकती है।

(2) वह प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत की जायेगी या यदि प्रार्थी एक से अधिक हों, तो उनमें से किसी एक या अधिक प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

36. याचिका का प्रपत्र आदि—(1) निर्वाचन याचिका में उम्मीदवार ऐसा आधार या ऐसे आधार विनिर्दिष्ट किये जायेंगे, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के संबंध में आपत्ति की गई हो और उसमें उन परिस्थितियों का सारांश दिया जायेगा जिनके कारण उन आधारों पर निर्वाचन पर आपत्ति करना उचित बताया गया हो।

(2) वह व्यक्ति, जिसके निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो और यदि प्रार्थी यह दावा करे कि उक्त व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होगा तो प्रत्येक असफल उम्मीदवार अभ्यर्थी याचिका में प्रत्यर्थी (respondent) बनाया जायेगा।

37. अनुग्रह (Relief) जिसके लिये दावा कर सकता है—याची निम्नलिखित घोषणाओं में से किसी के लिये भी दावा कर सकता है—

(क) निर्वाचित का निर्वाचन शून्य है.

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है और वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है।

38. प्रतिभूति—निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करते समय याची उसके साथ इस आशय की एक रसीद संलग्न करेगा कि उसके द्वारा या उस की ओर से सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में, याचिका के दाद-दयय की प्रतिभूति के रूप में, पांच सौ रुपये जमा कर दिये गये हो।

(2) निर्वाचन याचिका पर न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में नियत न्यायालय फीस या यदि उस अधिनियम में ऐसा कोई न्यायालय फीस नियत न हो, तो न्यायालय फीस स्टाम्पाक में एक सौ रुपये की फीस दी जायेगी।

39. स्थान के लिए दावा करने में पारस्परिक दोषारोपण—जब किसी निर्वाचन याचिका में इस घोषणा के लिये दावा किया गया हो कि निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार यथाविधि सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है, तो निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य पक्ष इस बात को सिद्ध करने के लिये साक्ष्य दे सकता है कि ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन, यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिये याचिका प्रस्तुत की गई होती तो शून्य हो गया होता।

40. प्रक्रिया—(1) जहां तक अधिनियम द्वारा या इस नियमावली में व्यवस्था की गई हो उसे छोड़कर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में दावों के संबंध में दी गई प्रक्रिया का, जहां तक वह अधिनियम या इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों से असंगत न हो और जहां तक वह प्रवृत्त की जा सकती हो, निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई में अनुसरण किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि—

(क) एक ही व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में एक या अधिक निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई एक साथ ही की जा सकती है.

(ख) न्यायाधीश के लिये साक्ष्य को पूर्णरूप से अभिलिखित करना या कराना अपेक्षित न होगा परन्तु वह साक्ष्य का ऐसा ज्ञापन (memorandum) तैयार करेगा जो उसकी राय में मामले का निर्णय करने के लिये पर्याप्त हो.

- (ग) न्यायाधीश, कार्यवाही के बीच किसी भी समय, याची से, किसी प्रत्यर्धी (Respondent) द्वारा किये गये या किये जाने वाले सम्भावित वाद-व्यय के भुगतान के लिये, अतिरिक्त नकद प्रतिभूति मांग सकता है।
- (घ) किसी विवादक (Issue) का निर्णय करने के लिये न्यायाधीश से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह केवल उतना मौखिक या लिखित साक्ष्य, जितना वह आवश्यक समझें, प्रस्तुत करने या लेने की आज्ञा दें।
- (ङ) न्यायाधीश के किसी निर्णय के विरुद्ध तथ्य या विधि के प्रश्न पर कोई अपील या पुनरीक्षण (revision) न किया जा सकेगा।
- (च) न्यायाधीश किसी ऐसे व्यक्ति के, जो यह समझता है कि वह उसके निर्णय से क्षुब्ध है प्रार्थना-पत्र पर, जो निर्णय के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर दिया गया हो, किसी भी प्रश्न के संबंध में अपने निर्णय का पुनर्विचार (review) कर सकता है।
- (छ) किसी साक्षी या अन्य व्यक्ति से यह बताने की अपेक्षा न की जायेगी कि उसने निर्वाचन में अपना मत कैसे दिया है।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) के उपबन्ध सभी प्रकार से निर्वाचन याचिका के विचारण (trial) में लागू समझे जायेंगे।

(3) निर्वाचन याचिका की सुनवाई प्रारम्भ होने के पूर्व, या अन्तिम सुनवाई होने के पूर्व, यथास्थिति, याची या याचियों द्वारा, न्यायाधीश के पास याचिका वापस लेने के लिये प्रार्थना-पत्र देकर याचिका वापस ली जा सकती है, और ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया जाने पर याचिका वापस ली गई समझी जायेगी और उसके विचारण के लिये आगे कोई कार्यवाही न की जायेगी।

41. याचिका का उपशमन (Abatement)—(1) निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर नियम 37 के खंड (क) में उल्लिखित घोषणा का दावा करने के लिए प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका उपशमित हो जायेगी।

(2) यदि याची एक ही है तो उसकी और यदि अनेक हों तो उन सभी की मृत्यु हो जाने की दशा में निर्वाचन याचिका उपशमित हो जायेगी।

(3) यदि निर्वाचन याचिका में नियम 37 के खंड (ख) में उल्लिखित घोषणा का दावा किया गया हो और निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाय, तो न्यायाधीश गजट में इस घटना की सूचना प्रकाशित करायेंगे और उसके उपरान्त कोई भी व्यक्ति, जो याची हो सकता था, उक्त प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर, याचिका का विरोध करने के लिये निर्वाचित अन्वर्थी के स्थान पर अपना नाम रखे जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है और उसे उन शर्तों पर जिसे न्यायाधीश ठीक समझें कार्यवाहियों को जारी रखने का हक होगा।

42. न्यायाधीश की शक्ति—(1) यदि याचिका त्रुटि (trivious) पाई जाय तो न्यायाधीश यह आदेश दे सकता है कि प्रतिभूति या उसका कोई भी भाग राज्य सरकार के पक्ष में जफ्त हो जायेगा।

(2) न्यायाधीश द्वारा वाद-व्यय के लिये दिया गया आदेश इस निमित्त प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा उसी रीति से और उसी प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित किया जायेगा मानों वह किसी वाद में शनराशि के भुगतान के लिये उसी के द्वारा दी गई कोई डिक्री हों।

43. न्यायाधीश के निष्कर्ष—(1) यदि न्यायाधीश ऐसी जांच के बाद जिसे वह उचित समझे किसी व्यक्ति के संबंध में, जिसके निर्वाचन पर याचिका द्वारा आपत्ति की गई है, इस निर्णय पर पहुंचता है कि उसका निर्वाचन वैध है, तो वह उक्त व्यक्ति के विरुद्ध निर्वाचन याचिका खारिज कर देगा और स्वविवेकानुसार वाद-व्यय दिलायेगा।

(2) यदि न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुंचता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध है तो वह या तो :

(क) यह घोषित करेगा कि एक आकस्मिक रिक्ति हो गई है, या

(ख) यह घोषित करेगा कि दूसरा उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है और इनमें से किसी भी दशा में स्वविवेकानुसार वाद-व्यय दिलाया सकता है।

44. आचार, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है—यदि कोई व्यक्ति, जिसने निर्वाचन-याचिका प्रस्तुत की हो, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन पर आपत्ति करने के साथ-साथ इस घोषणा की अभियाचना करे कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है और न्यायाधीश का मत हो कि वास्तव में याची या ऐसे अन्य उम्मीदवार को वैध मतों में से अधिकांश मत प्राप्त हुए हो, तो न्यायाधीश, निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोषित करने के बाद, यह घोषित करेगा कि यथास्थिति याची, या उक्त अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि याची या ऐसे अन्य उम्मीदवार को यथाविधि निर्वाचित घोषित नहीं किया जायेगा यदि यह प्रमाणित हो जाय कि ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होता, यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिये याचिका प्रस्तुत की गई होती।

45. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया—यदि निर्वाचन-याचिका के विचारण के समय यह प्रतीत हो कि निर्वाचन में उम्मीदवारों को बराबर-बराबर मत प्राप्त हुए हो और इनमें से किसी एक को हटाना है, तो—

(क) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्णय, जहां तक यह उन उम्मीदवारों के बीच प्रश्न को अधारित करता हो, याचिका के प्रयोजनों के लिये भी प्रभावी होगा, और

(ख) जहां तक उक्त प्रश्न ऐसे निर्णय द्वारा अधारित न किया गया हो, न्यायाधीश उनके बीच इस नियमावली की अनुसूची 2 के अनुदेशों के उपबन्धों के अनुसार निर्णय करेगा।

46. न्यायाधीश के आदेश का प्रभावी होना—नियम 43 के उप-नियम (2) के अधीन न्यायाधीश का आदेश, आदेश के दिनांक से प्रभावी होगा।

47. आदेश की सूचना और अभिलेख का भेजा जाना—नियम 43 के अधीन न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश के घोषित करने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र वह उसकी एक-एक प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

48. जमा की गई प्रतिभूति का निस्तारण और वाद व्यय की वसूली—(1) नियम 42 के उप-नियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वाद-व्यय, यदि कोई हो, जो न्यायाधीश द्वारा किसी प्रत्यर्थी को दिलाया गया हो, नियम 38 और 40 के अधीन जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल किया जा सकेगा और जमा की गई प्रतिभूति का शेष रूपया, यदि कोई हो, याची को वापस कर दिया जायेगा।

(2) वाद-व्यय या उसका कोई भाग, जो किसी प्रत्यर्थी को दिलाया गया हो और जो उप-नियम (1) में निर्दिष्ट जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल न किया गया हो, और किसी प्रत्यर्थी द्वारा याची को देय वाद-व्यय, नियम 42 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किया जा सकेगा।

(3) नियम 43 के अधीन आदेश देने समय न्यायाधीश इस नियम के उपबन्धों के अनुसार वाद-व्यय की प्रसूती और जमा की गई प्रतिभूति की वापसी के संबंध में भी आदेश देगा और न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश की एक प्रति नियम 47 के अधीन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट तदनुसार उक्त आदेश को कार्यान्वित करेगा।

49. न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील—(1) नियम 43 के अधीन न्यायाधीश द्वारा दिये गये प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय में की जा सकेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उच्च न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि अपीलकर्ता के पास ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपनियम (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करे, अपील के ज्ञापन के साथ सरकारी कोषागार की एक रसीद संलग्न करेगा, जिससे यह प्रकट होगा कि उसके द्वारा उच्च न्यायालय के पक्ष में सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में अपील व्यय के लिए प्रतिभूति के रूप में पांच सौ रुपये जमा कर दिये गये हैं।

अनुसूची 2

(नियम 27)

निर्वाचन परिणाम के अवधारण के लिए अनुदेश

1- इस अनुसूची में-

(1) पद 'अविरत उम्मीदवार' का तात्पर्य किसी ऐसे उम्मीदवार से है, जो उस समय तक न तो निर्वाचित हुआ और न मतदान से अपवर्जित हुआ हो य

(2) पद 'प्रथम अधिमान' का तात्पर्य किसी उम्मीदवार के नाम के सामने लिखी गई संख्या 1 से है, इसी प्रकार पद 'द्वितीय अधिमान' का तात्पर्य संख्या 2 से है, पद 'तृतीय अधिमान' का तात्पर्य संख्या 3 से है और इसी प्रकार आगे के अधिमानों का अर्थ लगाया जावेगा य

(3) पद 'प्राप्त अन्यतम अधिमान' का तात्पर्य किसी अविरत उम्मीदवार के लिए अभिलिखित द्वितीय याद के ऐसे अधिमान से है जिसकी संख्या गिने जा चुके अधिमान के ठीक आगे की हो, किन्तु इसमें पहले अपवर्जित उम्मीदवार के लिए अभिलिखित अधिमानों पर विचार नहीं किया जायेगा य

(4) पद 'असमाप्त-पत्र' का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र से है जिस पर किसी अविरत उम्मीदवार के लिए और अधिमान अभिलिखित किया गया हो य

(5) पद 'समाप्त-पत्र' का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र से है, जिस पर किसी अविरत उम्मीदवार के लिए कोई अधिमान अभिलिखित न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह पत्र समाप्त समझा जावेगा जिसमें :

(क) दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नामों के आगे, चाहे वे अविरत हों या न हों, एक ही संख्या अंकित हो, और यह संख्या गिने जा चुके अधिमान के ठीक आगे की हो य अथवा

(ख) जिस उम्मीदवार के लिए अन्यतम अधिमान व्यक्त किया गया हो, उसके नाम के आगे चाहे वह अविरत हो या नहीं, ऐसी संख्या अंकित हो जो मत-पत्र पर लिखित किसी अन्य संख्या के ठीक आगे की न हो, या कोई दो या अधिक संख्याएँ अंकित हों।

2- प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या निश्चित करें और उस संख्या को उसके नाम में लिख दें।

3- सभी उम्मीदवारों के नामों में लिखी हुई ऐसी संख्याओं को जोड़ें, और इस योग को दो से विभाजित करें और शेष का कोई विचार न करके भाजनफल में एक जोड़ दें। इस प्रकार प्राप्त संख्या किसी उम्मीदवार के निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त अभ्यंश होगी।

4-(1) यदि निर्वाचन तड़ने वाले केवल दो उम्मीदवार हों, तो-

(क) यदि एक उम्मीदवार दूसरे से अधिक संख्या में प्रथम अधिमान मत प्राप्त करे, तो पहले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें, या

(ख) यदि दोनों उम्मीदवार बराबर संख्या में प्रथम अधिमान मत प्राप्त करें, तो पूर्वी झलकर निर्वाचन परिणाम अवधारित करें। उस उम्मीदवार को अपवर्जित करें जिसके नाम पर्या पड़े तथा दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें।

(2) यदि दो से अधिक उम्मीदवार हों और-

(क) उनमें से एक के संश्ल में यह पाया जाय कि उसने अनुदेश संख्या 3 के अधीन अवधारित अभ्यंश (quota) के बराबर या उससे अधिक प्रथम अधिमान मत प्राप्त किये हो तो उसे निर्वाचित घोषित करें, या

(ख) उनमें से किसी पूर्वोक्त अभ्यंश के बराबर या उससे अधिक प्रथम अधिमान मत प्राप्त न किये हों तो द्वितीय और अनुवर्ती अधिमानों को यथावश्यकता, ध्यान में रखते हुए आगे दिये हुए अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही करें।

5- यदि प्रथम, अथवा किसी बाद की, गणना के अन्त में किसी उम्मीदवार के नाम में लिखे गये कुल मतों की संख्या अभ्यंश के बराबर या उससे अधिक हो, या केवल एक ही अविरत उम्मीदवार शेष हो, तो यह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

6- यदि किसी गणना की समाप्ति पर कोई, कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित न किया जा सके तो-

- (क) उस उम्मीदवार को अपवर्जित कर दें जिसके नाम उस समय तक सबसे कम मत लिखे गये हों य
- (ख) उसके पार्सल अथवा लघुपार्सल (Sub-Parcel) के सभी मत-पत्रों की जांच करें। लघु पार्सलों की समाप्त पत्रों को अविरत उम्मीदवारों के लिए उनमें अभिलिखित प्राप्त अधिमानों के अनुसार क्रमबद्ध करें, ऐसे प्रत्येक लघु पार्सल के मतों की संख्या गिनें और उन्हें उस उम्मीदवार के नाम में लिखें जिसके लिए ऐसे अधिमान अभिलिखित किये गये हों। वह लघु पार्सल उस उम्मीदवार को संक्रमित कर दें और सभी समाप्त-पत्रों का एक अलग लघु पार्सल बनायें य और
- (ग) यह देखें कि ऐसे संक्रमण तथा नाम में लिखने के पश्चात् किसी अविरत उम्मीदवार ने अभ्यंश प्राप्त किया है या नहीं य

उस दशा में जब उपर्युक्त खण्ड (क) के अर्धेन किसी उम्मीदवार को अपवर्जित करना हो और दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नामों में बराबर संख्या में मत लिखे गये हों तथा उन्हें सबसे कम मत प्राप्त हुए हों, तो उस उम्मीदवार को अपवर्जित करें जिसने सबसे कम प्रथम अधिमान मत प्राप्त किये हो और यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की वह संख्या भी बराबर हो तो यहीं डालकर यह निर्णय करें कि उनमें से किसे अपवर्जित किया जाय।

उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित समाप्त-पत्रों के सभी लघु पार्सल अंतिम रूप से निस्तारित होकर पृथक् कर दिये जायेंगे और उनमें अभिलिखित मतों पर तत्पश्चात् विचार न किया जायेगा।

दृष्टान्त- मान लीजिए कि क, ख, ग, और घ चार उम्मीदवार हो और उन्हें प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या निम्नलिखित हैं-

क	12
ख	11
ग	7
घ	5
योग	35

अभ्यंश $35/2+1=18$ होगा।

पहली गणना में से किसी भी उम्मीदवार ने अभ्यंश के बराबर अथवा उससे अधिक मत प्राप्त नहीं किये, इसीलिये न्यूनतम मत पाने वाले उम्मीदवार, अर्थात् घ को अपवर्जित कर दिया जायेगा।

मान लीजिए कि घ के पार्सल में निम्नलिखित प्रकार से केवल चार मत-पत्रों पर द्वितीय अधिमान अंकित हो:

क	2
ख	2

पांचवां मत-पत्र समाप्त-पत्रों के लघु पार्सल में रख दिया जायेगा तथा दो-दो पत्र जिसमें क और ख के लिए द्वितीय अधिमान अभिलिखित हो क और ख के लिए अलग-अलग लघु पार्सलों में रख दिये जायेंगे और उनमें से प्रत्येक के नाम के दो मत और लिख दिये जायेंगे अब क, ख और ग के मत निम्नांकित होंगे:

क	12 + 2
ख	11 + 2
ग	7

क्योंकि द्वितीय गणना की समाप्ति पर कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता इसलिए अब तीनों अविरत उम्मीदवारों में से न्यूनतम मत पाने वाला उम्मीदवार अपवर्जित कर दिया जायेगा और उसके मत दूसरे अविरत उम्मीदवार क और ख को संक्रमित कर दिये जायेंगे

मान लीजिये कि ग के पार्सल में सभी मत-पत्रों द्वितीय अधिमान अभिलिखित हो और वे निम्नलिखित प्रकार से हों:

क4

ख3

क और ख के नाम में इन अतिरिक्त मतों के लिखने पर क को 10 मत प्राप्त हो जायेंगे जो कि अभ्यस के बराबर हो जायेंगे और ख के 16 मत हो जायेंगे अतः क निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994'

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) और धारा 264-ख के साथ संशोधित उक्त अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 237 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों के निपटारे की) नियमावली, 1963 का अतिक्रमित करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन-विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ-जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

- (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है;
- (ख) 'निर्वाचन' का तात्पर्य किसी जिला पंचायत के, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन से है;
- (ग) 'सदस्य' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट जिला पंचायत के सदस्य से है:-
- (घ) 'प्रपत्र' का तात्पर्य इस नियमावली की अनुसूची एक में दिये गये प्रपत्र से है;
- (ङ) 'अनुसूची' का तात्पर्य इस नियमावली की किसी अनुसूची से है।

3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) और निर्वाचन अधिकारी-(1) राज्य निर्वाचन आयोग की अपेक्षानुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचनों के संचालन से संबंधित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट इस नियमावली के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी होगा।

4. सहायक निर्वाचन अधिकारी-(1) निर्वाचन अधिकारी, इस नियमावली के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रत्येक सहायक निर्वाचन/निर्वाचन अधिकारी, अधिकारी के कृत्यों सभी या किसी कृत्य को करने के लिये सक्षम होगा;

(3) निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन संचालित करने के लिए, जिला पंचायत के अधिकारियों और सेवकों से ऐसी सहायता ले सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे;

(4) निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी अपने कृत्यों का सम्पादन राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन करेंगे।

अध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन, नाम निर्देशन

5. नाम निर्देशन, आदि के लिए दिनांकों का निश्चित किया जाना—(1) जब कभी अधिनियम के अधीन किसी जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद का निर्वाचन करना अपेक्षित हो, राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना द्वारा निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित बातें निर्धारित करेगा—

- (क) नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जांच करने के लिए दिनांक, जो अधिसूचना के दिनांक से कम से कम दस दिन पश्चात् का दिनांक होगा,
- (ख) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का दिनांक और समय, जो नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जांच के लिये निर्धारित दिनांक के पश्चात् का सामान्यतः तीसरा दिन होगा; और
- (ग) वह दिनांक जो खण्ड (ख) के अधीन निर्धारित दिनांक के पश्चात् का तीसरे दिन से पहले का न होगा, समय और घंटे, जिनके दौरान मतदान, यदि आवश्यक हो, कराया जायेगा;

(2) उपनियम (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र-एक में सार्वजनिक सूचना हिन्दी में, एक प्रति अपने कार्यालय पर और दूसरी प्रति जिले के मुख्यालय पर ऐसे सहजदृश्य स्थान पर चिपका कर तथा ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, देगा जैसा वह उचित समझे, देगा और प्रत्येक सदस्य के अन्तिम ज्ञात पते पर सूचना की एक प्रति डाक द्वारा डाक में डाले जाने के प्रमाण-पत्र के अधीन भिजवायेगा।

6. सदस्यों की सूची—(1) नियम 5 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करायेगा जो जिला पंचायत के तत्समय सदस्य हों और सूची की एक प्रमाणिक प्रति अपने कार्यालय पर, जिला पंचायत के सूचना पट्ट पर या उसकी सार्वजनिक सूचना देगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी, मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय सूची में ऐसी त्रुटियाँ कर सकता है, जो सदस्यता में कोई परिवर्तन होने या सूची में कोई त्रुटि चाहे वह किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी दावा या आपत्ति पर विचार करने पर या अन्य किसी प्रकार से ज्ञात हुई हो, मालूम होने के कारण आवश्यक हो जाये:

प्रतिबंध यह है कि सूची में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति का नाम उसमें से तब तक नहीं निकाला जायेगा जब तक कि नाम निकाले जाने के प्रस्ताव की पूर्व सूचना उस व्यक्ति को न दे दी गई हो और उसे नाम निकाले जाने के प्रस्ताव के विरुद्ध कारण यत्नाने का अवसर न दे दिया गया हो।

7. नाम-निर्देशन—(1) कोई व्यक्ति जो जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद के निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अपना नाम-निर्देशन चाहता हो, स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से नाम-निर्देशन पत्र सम्पक रूप से पूर्ण किये गये प्रपत्र 2 में नियम 5 के अधीन सूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक और स्थान पर 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच निर्वाचन अधिकारी को देगा।

(2) उम्मीदवार द्वारा नाम-निर्देशन पत्र पर, नाम-निर्देशन के लिये सम्मति के रूप में स्वयं हस्ताक्षर किया जायेगा और प्रस्तावक के रूप में एक सदस्य और अनुमोदक के रूप में एक अन्य सदस्य द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जायेगा।

(3) यदि कोई उम्मीदवार, अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह नाम-निर्देशन पत्र के साथ इस आशय का एक घोषणा पत्र देगा कि वह यथास्थिति, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्गों का सदस्य है और अपनी जाति विशेष भी विनिर्दिष्ट करेगा।

(4) उपनियम (1) में उल्लिखित अन्तिम समय के पश्चात् प्रस्तुत किया गया नाम-निर्देशन-पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा तुरन्त ही अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

8. धनराशियों का जमा किया जाना—(1) कोई उम्मीदवार तब तक सम्पक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जायेगा जब तक कि वह प्रतिभूति के रूप में एक सौ रूपया जमा न करे या जमा नहीं नहीं करवा देता है।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पर उम्मीदवार उसी निर्वाचन के लिये एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो, तो वहां इस उपनियम के अधीन उससे एक से अधिक धनराशि जमा करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन जमा करने के लिये अपेक्षित धनराशि उक्त उपनियम के अधीन तब तक जमा की गई नहीं समझी जायेगी जब तक कि नियम 7 के अधीन नाम-निर्देशन-पत्र देते समय उम्मीदवार ने निर्वाचन अधिकारी के पास उतनी राशि नकद जमा न कर दी हो या नाम-निर्देशन-पत्र के साथ ऐसी रसीद संलग्न न कर दी हो, जिससे यह प्रदर्शित हो कि उक्त धनराशि उसके द्वारा या उसकी ओर से राजकीय कोषागार में या भारतीय स्टेट बैंक में जमा की जा चुकी है।

9. नाम-निर्देशन-पत्रों को दाखिल किये जाने पर प्रक्रिया-नियम 7 के अधीन नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी, उस पर उसकी क्रम-संख्या और दिनांक और समय जब उसे नाम-निर्देशन-पत्र दिया गया हो, दर्ज करेगा और तत्पश्चात् यथासंभव शीघ्र प्रपत्र-3 में नाम-निर्देशन की सूचना, जिसमें नाम-निर्देशन-पत्र में दिये गये विवरण के तत्समान उम्मीदवार और नाम-निर्देशन-पत्र में प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का विवरण होगा, अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकवा कर देगा।

10. नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा जांच-(1) नाम-निर्देशन पत्रों की जांच में उम्मीदवार, प्रस्तावक और समर्थक उपस्थित हो सकते हैं, किन्तु अन्य कोई व्यक्ति नहीं। निर्वाचन अधिकारी सम्यक् रूप से प्राप्त नाम-निर्देशन-पत्रों का परीक्षण करने के लिये सभी युक्तियुक्त सुविधायें करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी नाम-निर्देशन-पत्रों की परीक्षण करेगा और उन सभी आपत्तियों पर, जो किसी नाम-निर्देशन के सम्बन्ध में की जायं, विनिश्चय देगा और या तो इस प्रकार की गयी आपत्ति पर या स्वतः ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी नाम-निर्देशन-पत्र को निम्नलिखित किसी भी आधार पर अस्वीकृत कर सकता है:

(क) कि उम्मीदवार अधिनियम के अधीन फ़द पर चुने जाने के लिए अर्ह नहीं है;

(ख) कि उम्मीदवार अधिनियम के अधीन चुने जाने के लिये अर्ह है;

(ग) कि नियम 7 और 8 के किन्हीं उपबन्धों के पालन में कोई शूक हुई है;

(घ) कि उम्मीदवार या प्रस्तावक या अनुमोदक का हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है या उसे कपट से प्राप्त किया गया है;

(ङ) कि उम्मीदवार जिला पंचायत का सदस्य नहीं है;

(च) कि प्रस्तावक या अनुमोदक सदस्य नहीं है;

(3) खण्ड (ग), (घ) या (ङ) या (च) में दी गई किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह नाम-निर्देशन-पत्र के सम्बन्ध में किसी अनियमितता के आधार पर किसी उम्मीदवार के नाम-निर्देशन-पत्र यदि ऐसे उम्मीदवार किसी अन्य ऐसे नाम-निर्देशन-पत्र के द्वारा जिसके सम्बन्ध में कोई अनियमितता की हुई हो, सम्यक् रूप से नाम निर्दिष्ट किया जा चुका हो, अस्वीकृत करने के लिए अधिकृत करता है।

(4) निर्वाचन अधिकारी किसी नाम-निर्देशन-पत्र को किसी ऐसे तकनीकी त्रुटि या अन्य गलती के आधार पर अस्वीकृत नहीं करेगा, जो सारवान प्रवृत्ति की न हो और वह ऐसी किसी त्रुटि या गलती को दूर किये जाने के निमित्त नाम-निर्देशन पत्र की कमी भी प्रविष्टि को, जिसमें निर्वाचक नामावली में नाम या संख्या से संबंधित प्रविष्टि भी सम्मिलित है, शुद्ध किये जाने की अनुमति दे सकता है।

(5) उपनियम (4) के अधीन शुद्धि करने के निमित्त दिया गया निर्वाचन अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(6) निर्वाचन अधिकारी नियम 5 के अधीन जांच के लिये नियत दिनांक और समय पर जांच करेगा और कार्यवाही को जब तक ऐसी कार्यवाही में ऐसे व्यवधान या रुकावट ऐसे कारण से न हो जाय जो उसके नियंत्रण से परे हो, किसी भी प्रकार स्थगित नहीं होने देगा।

(7) निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक नाम-निर्देशन-पत्र पर स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अपना निर्णय पृष्ठांकित करेगा और यदि नाम-निर्देशन-पत्र अस्वीकृत किया गया हो तो वह ऐसी अस्वीकृति के लिये अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखेगा।

(8) इस नियम के प्रयोजन के लिए, नियम 6 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची में किसी व्यक्ति का नाम होना इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वह अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए अर्ह है।

11. उम्मीदवारी से नाम वापस लेना—(1) कोई भी उम्मीदवार प्रपत्र 4 में लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है। इस नोटिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और वह निर्वाचन अधिकारी को उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा जिसे ऐसे उम्मीदवार ने लिखित रूप से तदर्थ प्राधिकृत किया हो, नियम 8 के अधीन नियत दिनांक और घंटों के बीच दिया जायेगा।

(2) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसने उपनियम (1) के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने का नोटिस दिया हो, उक्त नोटिस रद्द न करने दिया जायेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचन अधिकारी उस पर यह लिखेगा कि उसने नोटिस अमुक दिनांक तथा समय पर दिया गया।

(4) यदि उम्मीदवार, उम्मीदवारी से अपना नाम नियम 5 के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस ले लेता है तो उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की धनराशि लौटा दी जायेगी।

(5) निर्वाचन अधिकारी उपनियम (1) के अधीन नाम वापस लेने का नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र प्रपत्र 5 में नाम वापस लेने का नोटिस तैयार करायेगा और उसे अपने कार्यालय में सहज दृश्य स्थान पर और जिला पंचायत के सूचना पट्ट पर चिपकवायेगा।

12. वैध नाम-निर्देशन की सूची और उसका प्रकाशन—(1) यदि नियम 11 के उपनियम (1) के अधीन नामों की वापसी के पश्चात् यदि कोई हो, निर्वाचन अधिकारी प्रपत्र 6 में निर्वाचन लड़ने वाले यथाविधि नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति अपने कार्यालय में और दूसरी जिला पंचायत के सूचना-पट्ट पर चिपकवाकर उसे प्रकाशित करवायेगा।

(2) वैध नाम-निर्देशनों की सूची हिन्दी में तैयार की जायेगी और विधिवत् रूप से नाम-निर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला के क्रमानुसार, पते सहित जैसे कि वे नाम-निर्देशन-पत्रों में दिये हों, दिये जायेंगे। वर्णमाला के क्रम का अवधारण अन्य उम्मीदवारों के वास्तविक नामों के अनुसार किया जायेगा।

13. निर्दिष्ट उम्मीदवार के निर्वाचित होने की घोषणा करना—यदि विधिवत् रूप से नाम-निर्दिष्ट उम्मीदवार केवल एक ही हो तो निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवार को तुरन्त अध्यक्ष के पद के लिये यथाविधि निर्वाचित घोषित करेगा और इस घोषणा की एक प्रति जिला पंचायत के सूचना पट्ट पर चिपकवायेगा और निर्वाचन परिणाम की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को देगा।

14. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान से पूर्व मृत्यु—यदि किसी उम्मीदवार की, जो यथाविधि नाम-निर्दिष्ट हो और जिसने नाम वापस न लिया हो, मृत्यु हो जाय और निर्वाचन अधिकारी को उसकी मृत्यु की सूचना मतदान प्रारम्भ होने से पहले प्राप्त हो जाय, तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार की मृत्यु के संबंध में अपना समाधान कर चुकने पर मतदान रद्द कर देगा और इस निर्वाचन की सभी कार्यवाहियां हर प्रकार से उसी तरह नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी मानो कोई नया निर्वाचन किया जा रहा हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे उम्मीदवार के लिए, जिसका नाम-निर्देशन मतदान के रद्द किये जाने के समय वैध रहा हो, पुनः नाम-निर्देशन आवश्यक न होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने नियम 11 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने की नोटिस मतदान रद्द किए जाने से पूर्व दिया हो, मतदान के इस प्रकार रद्द किये जाने याद निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम-निर्दिष्ट किये जाने के लिए पात्र न होगा।

15. उम्मीदवारी के लिए नाम न होना—यदि कोई भी व्यक्ति यथाविधि नाम निर्दिष्ट न हुआ हो, या यथाविधि नाम—निर्दिष्ट सभी व्यक्ति नियम 11 के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लें तो कार्यवाहियों इस प्रकार नये सिरे से प्रारम्भ किया जायेगा, भानों वे किसी नये निर्वाचन के लिये हों।

मतदान

16. मतदान की रीति—निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली (System of proportional representation) के अनुसार एक संक्रमणीय मत (Single transferable vote) द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। मत-पत्रों द्वारा स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (Poll) द्वारा नहीं स्वीकार किया जायेगा।

17. मतदान का स्थान और समय—मतदान जिले के मुख्यालय में ऐसे प्रमुख स्थान पर होगा, जिसे निर्वाचन अधिकारी निश्चित करें, और नियम 5 के अधीन नोटिस में उल्लिखित घंटों के भीतर होगा।

18. मतपत्र (ballot Paper) तथा मतपेटी—(1) निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मत-पत्र प्रपत्र-7 में होंगे तथा विधिवत् रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में हिन्दी में उसी क्रम में दिये हुए होंगे जिस क्रम में वे नियम 12 के अधीन प्रकाशित वैध नाम निर्देशनों की सूची में हों।

(2) मतदान में प्रयोग में लायी जाने वाली मतपेटी ऐसे किसी प्रकार की होगी, जिसका अनुमोदन राज्य निर्वाचन आयोग ने किया हों।

19. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व की प्रक्रिया—(1) मतदान प्रारम्भ होने के ठीक पहले निर्वाचन अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को, जो मतदान के स्थान पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयोग में लाई जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण करने देगा।

(2) तत्पश्चात् निर्वाचन अधिकारी मतपेटी को इस प्रकार सुरक्षित और मुहरबन्द करेगा कि मत-पत्र डालने का छेद खुला रहे।

20. मतदान स्थल में प्रवेश—(1) निर्वाचन अधिकारी निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों को मतदान स्थल से बाहर रखेगा—

(क) उम्मीदवार,

(ख) सदस्य, और

(ग) अन्य ऐसे व्यक्ति, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी मतदान में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिये समय-समय पर आने दें।

(2) निर्वाचन अधिकारी नियम 5 के अधीन निर्धारित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद वहां किसी भी सदस्य को प्रवेश न करने देगा।

प्रतियन्ध यह है कि सभी सदस्यों को, जो उस स्थल के भीतर, उसे इस प्रकार बन्द किये जाने के पूर्व, उपस्थित हों, अपना मत अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

21. मत-पत्र देने की प्रक्रिया—(1) निर्वाचन अधिकारी अपने सम्मेलन नियम 6 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची रखेगा।

(2) किसी सदस्य को मत-पत्र दिये जाने के ठीक पहले उस सूची में उसके नाम के सामने एक चिह्न बना दिया जायेगा।

(3) मत-पत्र की प्राप्ति के प्रतीक—स्वरूप सदस्य सूची में हस्ताक्षर करेगा।

(4) किसी सदस्य को मत-पत्र दिये जाने के पूर्व निर्वाचन अधिकारी उस सदस्य की पहचान (Identity) के बारे में अपना समाधान कर लेगा और इस प्रयोजन के लिये वह ऐसे व्यक्तियों की सहायता ले सकता है जिन्हें वह ठीक समझें।

(5) यदि किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में निर्वाचन अधिकारी का समाधान न हुआ हो तो वह उन परिस्थितियों की संक्षिप्त टिप्पणी अभिलिखित करने के उपरान्त, जिनमें मत-पत्र देने से इंकार किया गया हो, उसे मत-पत्र देने से इंकार कर सकता है।

(6) जैसे ही मत-पत्रों का दिया जाना समाप्त हो जाय, निर्वाचन अधिकारी मत-पत्रों के प्रतिपत्रों को एक लिफाफे में रखेगा, उसे बन्द करेगा तथा उस पर मुहर लगायेगा। लिफाफा, न्यायालय या ऐसे निर्वाचनों से सम्बद्ध किसी विवाद का निर्णय करने वाले अन्य प्राधिकारी की आज्ञा के बिना न खोला जायेगा।

22. कुछ परिस्थितियों में नये मत-पत्र का दिया जाना—(1) यदि किसी सदस्य ने असावधानी के कारण (Inadvertently) अपने मत-पत्र को इस प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मत-पत्र के रूप में सुविधापूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो वह उसे निर्वाचन अधिकारी को देने पर और असावधानी के बारे में उसका समाधान कर देने पर इस प्रकार वापस किये गये मत-पत्र के स्थान पर दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकेगा और वापस किये गये मत-पत्र तथा उनके प्रतिपत्र पर निर्वाचन अधिकारी "वापस किया गया और रद्द किया गया" लिख देगा।

(2) इस प्रकार रद्द किया गया मत-पत्र इस प्रयोजन के लिये पृथक रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा।

23. सदस्यों द्वारा अप्रयुक्त मत-पत्रों का वापस किया जाना—यदि कोई सदस्य अपना मत अभिलिखित करने के प्रयोजन से मत-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसका प्रयोग न करने का निश्चय करे तो वह उस मत-पत्र को निर्वाचन अधिकारी को वापस कर देगा, जो उस पर "वापस किया गया तथा रद्द किया गया" लिख देगा और उसे नियम 22 के उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए पृथक रखे गये लिफाफे में रखेगा।

24. मत अभिलिखित करने की रीति—(1) प्रत्येक सदस्य को उतने अधिमान (preferences) प्राप्त होंगे जितने उम्मीदवार होंगे, किन्तु कोई भी मत-पत्र केवल इस कारण से अवैध नहीं माना जायेगा कि ऐसे सभी अधिमान अंकित नहीं किये गये हो।

(2) सदस्य अपना मत देने में—

(क) अपने मत-पत्र में उस उम्मीदवार के नाम के सामने दिये गये स्थान पर, जिसे वह अपना प्रथम अधिमान (First preference) देने के लिए चुने, संख्या 1 लिखेगा, और

(ख) इसके अतिरिक्त अपने मत-पत्र में अन्य उम्मीदवारों के नामों के सामने दिये गये स्थान पर अधिमान के क्रमानुसार संख्या 2, 3, 4 आदि लिखकर जितने अनुवर्ती अधिमान वह चाहे, अंकित कर सकता है।

(3) यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे तो निर्वाचन अधिकारी उसे मत अभिलिखित करने के लिए मत-पत्र में दिये हुए अनुदेशों को समझायेगा।

(4) अपना अधिमान अंकित करने के लिए सदस्य मतदान स्थल पर बने और बाहर से न दिखने वाले मतदान बक्ख में जायेगा।

(5) अधिमान अंकित कर लेने के बाद सदस्य मत-पत्र को मोड़कर उसे मतपेटी में इस प्रयोजन के लिए बने हुए छेद में डाल देगा।

(6) यदि कोई निर्वाचक निरक्षरता, अन्धता या अन्य अशक्तता के कारण मत-पत्र को पढ़ सकने या उस पर अपना मत अभिलिखित कर सकने में असमर्थ हो, तो निर्वाचन अधिकारी ऐसी निरक्षरता, अन्धता या अशक्तता के संबंध में समाधान कर लेने के पश्चात् निर्वाचक को अपने साथ एक ऐसे साथी को ले जाने की अनुमति दे देगा जिसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो और जो मत-पत्र पढ़ सकने और उस पर सदस्य की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने और यदि आवश्यक हो तो मत को छिपाने के लिए मत-पत्र को मोड़ने और उसे मतपेटी में डालने में समर्थ हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को उसी दिन के मतदान में एक से अधिक सदस्य के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को किसी सदस्य के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति दिए जाने के पूर्व उससे यह घोषणा करने की अपेक्षा की जायेगी कि वह उक्त सदस्य की ओर से अभिलिखित किये गये मत को गोपनीय रखेगा और उसने इसके पूर्व उस दिन के मतदान में किसी अन्य सदस्य के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है निर्वाचन अधिकारी इस उपनियम के अधीन सभी मामलों का प्रपत्र 7-क में एक अभिलेख रखेगा।

मतगणना

25. मतगणना के समय प्रक्रिया—(1) मतदान बन्द होते ही निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लडने वाले उम्मीदवारों और उन सदस्यों की उपस्थिति में, जो उपस्थित हों, मतों की गणना प्रारम्भ करेगा।

(2) निर्वाचन अधिकारी मतपेटी खोलेगा, और—

- (क) उसमें से निकाले गये मत-पत्रों को गिनेगा और उनकी संख्या एक विवरण-पत्र में लिखेगा;
- (ख) मत-पत्रों की जाँच संवीक्षा करेगा, और उनमें से ऐसे मत-पत्रों को, जो उसकी राय में वैध हों, ऐसे मत-पत्रों से, जो उसकी राय में अवैध हों, उन पर यह शब्द 'अस्वीकृत' तथा अस्वीकृति के आधार लिखते हुए अलग रखेगा; और
- (ग) प्रत्येक उम्मीदवार के लिये अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार सभी वैध मत-पत्रों को पुंजी (Parcels) में रखेगा।

(3) ऐसा मत-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा, जिस पर—

- (क) संख्या 1 अंकित न हो, या
- (ख) संख्या 1, एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने अंकित हो या इस प्रकार अंकित हो कि उससे यह संदेह उत्पन्न होता हो कि किस उम्मीदवार के लिए उसका प्रयोग अभिप्रेत है, या
- (ग) संख्या 1 और कोई अन्य संख्या एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित हो, या
- (घ) कोई ऐसा चिह्न बनाया गया हो जिसके द्वारा मतदाता बाद में पहचाना जा सके

26. निर्वाचन परिणाम का अन्वयण—प्रत्येक उम्मीदवार के लिये अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार सभी वैध मत-पत्रों को पुंजी (parcels) में रखने के बाद निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली की अनुसूची 2 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार मतदान का परिणाम अन्वयण करने की कार्यवाही करेगा।

27. पुनर्गणना—निर्वाचन अधिकारी, यदि वह पहले की गई गणना की शुद्धता से संतुष्ट न हो तो, स्वतः यह किसी उम्मीदवार के अनुरोध पर मतों की पुनर्गणना एक या एक से अधिक बार कर सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यहां दी गई किसी बात से निर्वाचन अधिकारी किन्हीं मतों की एक से अधिक बार पुनर्गणना कराने के लिए बाध्य नहीं होगा।

28. निर्वाचन परिणाम की घोषणा—गणना समाप्त हो जाने और मतदान का परिणाम अन्वयित हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तत्कालिक किसी निदेश के अभाव में दुरन्त—

- (क) उपस्थित लोगों के सामने निर्वाचन परिणाम की घोषणा कर देगा;
- (ख) राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को निर्वाचन परिणाम की सूचना देगा;
- (ग) प्रपत्र 8 में निर्वाचन की एक विवरणी तैयार करेगा और उसे प्रमाणित करेगा; और
- (घ) वैध मत-पत्रों तथा अस्वीकृत मत-पत्रों को अलग-अलग पैकेटों में रख कर मुहर बंद करेगा और ऐसे प्रत्येक पैकेट के ऊपर यह लिखेगा कि उनमें किस प्रकार के मत-पत्र हो।

29. निर्वाचन पत्रों की अभिरक्षा, निरीक्षण तथा निस्तारण—(1) निर्वाचन अधिकारी नियम 28 के उप-नियम (ख) के अधीन निर्वाचन परिणाम को सूचना देने के पश्चात् पूर्वगत नियमों में निर्दिष्ट मुहरबंद लिफाफों और पैकेटों, नियम 24 के उपनियम (6) में निर्दिष्ट अभिलेखों, नियम 28 के उपनियम (ग) के अधीन तैयार किये गये निर्वाचन का विवरण को मुहरबंद अलग-अलग लिफाफे में रखकर जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजेगा। प्रत्येक लिफाफे या पैकेट के ऊपर यह लिखा होगा कि उसमें क्या रखा है

(2) जिला पंचायत राज अधिकारी की अभिरक्षा में रखे गये मत-पत्रों के पैकेट चाहे प्रयुक्त, रद्द किये गये, वैध या अस्वीकृत मत-पत्रों के पैकेट हों, और मत-पत्र जारी करते समय प्रयुक्त सदस्यों की सूची सक्षम न्यायालय की आज्ञा के बिना न खोली जायेगी और उनकी अन्तर्वस्तु (content) का किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो निरीक्षण किया जायेगा और न उक्त अन्तर्वस्तु किसी व्यक्ति के सम्पन्न प्रस्तुत की जायेगी। अन्य कागज पत्रों का

निरीक्षण करने की अनुमति जिला पंचायत राज अधिकारी ऐसे घंटों के बीच, जो वह इस प्रयोजन के लिए नियत करे, किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो।

(3) निर्वाचन-पत्रों का निरीक्षण, चाहे उसकी अनुमति उपनियम (2) के अधीन सक्षम न्यायालय ने दी हो या जिला पंचायत राज अधिकारी ने प्रतिदिन ही के लिये, जिस दिन निरीक्षण किया जाय, 18 रुपये की फीस का भुगतान करने पर ही किया जा सकेगा, और नियम 28 के उपनियम (ग) के अधीन तैयार की गई विवरणी की प्रतिया जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ऐसे किसी भी व्यक्ति को दी जायेगी जो प्रत्येक प्रति के लिये दस रुपये की फीस का भुगतान करने पर उसे मांगे।

(4) उप नियम (1) में निर्दिष्ट निर्वाचन-पत्र एक वर्ष की अवधि के लिये रोके जायेंगे और तत्पश्चात्, राज्य निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय द्वारा दिये गये किसी प्रतिकूल निर्देश के अधीन रहते हुए नष्ट कर दिये जायेंगे।

30. जमा की गई धनराशि की वापसी और जब्ती—(1) यदि किसी उम्मीदवार का नाम निर्देशन निर्वाचन अधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया जाय तो वह नियम 8 के अधीन जमा की गई धनराशि उम्मीदवार या उस व्यक्ति को, जिसने उसे जमा किया हो, वापस करने का आज्ञा देगा।

(2) यदि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व मृत्यु हो जाये तो नियम 8 के अधीन जमा की गई धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को वापस कर दी जायेगी और यदि उसके द्वारा जमा न की गई हो तो उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी जिसके द्वारा वह जमा की गई हो।

(3) यदि निर्वाचन के लिये नाम निर्दिष्ट उम्मीदवार निर्वाचित न हो और प्रथम अधिमान के रूप में उसे मिले हुए मतों की संख्या, दिये गये कुल मतों की संख्या के एक चौथाई भाग से अधिक न हो, तो नियम 8 के अधीन जमा की गई धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जप्त कर ली जायेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजन के लिये, मतदान में दिये गये मतों की संख्या का निर्देश मतदान में दिये गये केवल वैध मतपत्र की संख्या से है।

(4) उन मामलों में, जो पूर्वगामी उपनियमों तथा नियम 11 के अन्तर्गत नहीं आते नियम 8 के अधीन जमा की गई प्रत्येक धनराशि गजट में निर्वाचन परिणाम के प्रकाशित होने के बाद उम्मीदवार को लौटा दी जायेगी।

31. आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—अध्यक्ष के पद की आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया यथासंभव वही होगी, जो पूर्वगामी नियमों में निर्धारित है।

अध्याय 3

उपाध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन

32. उपाध्यक्ष का निर्वाचन—जिला परिषद के उपाध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में नियम 3 से 31 तक और प्रपत्र 1 से 8 तक आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे और उस प्रयोजनार्थ वे अवसर के समुपयुक्त शीर्षकों, संदर्भों (Citations), संदर्भार्थ और प्रविष्टियों के संबंध में सभी अपेक्षित अनुकूलनों के साथ समझे तथा प्रयोग किये जायेंगे:

प्रतिक्रम यह है कि इस नियमावली की किसी बात से यह न समझा जायेगा कि वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिये पृथक रूप से या साथ-साथ निर्वाचन किये जाने का प्रतिषेध करती है :

अगस्त प्रतियन्त्र यह है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का निर्वाचन साथ-साथ हो, तो ऐसे प्रत्येक पद के निर्वाचन के संबंध में सभी प्रक्रिया पृथक् की जायेगी, सिवाय केवल इसके कि ऐसे सभी निर्वाचनों के लिये नियम 21 के अधीन पृथक मत-पत्र साथ जारी किये जा सकते हो और अंकित किए जाने के पश्चात् वे नियम 24 के अधीन एक ही मतपेटी में डाले जा सकते हो।

अध्याय 4

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद

33. याचिकाये प्रस्तुत करने का समय और रीति—(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन पर आपत्ति करने की निर्वाचन याचिका नियम 13, नियम 28 के अधीन जैसी भी स्थिति हो, निर्वाचन परिणाम घोषित होने के दिनांक से बीस दिन के भीतर किसी भी समय न्यायाधीश को प्रस्तुत की जा सकती है

(2) वह प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत की जायेगी या यदि प्रार्थी एक से अधिक हों, तो उनमें से किसी एक या अधिक प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

34. याचिका का प्रपत्र आदि—(1) निर्वाचन याचिका में ऐसा आधार या ऐसे आधार विनिर्दिष्ट किये जायेंगे, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के संबंध में आपत्ति की गई हो और उसमें उन परिस्थितियों का सारांश दिया जायेगा जिनके कारण उन आधारों पर निर्वाचन पर आपत्ति करना उचित बताया गया हो।

(2) वह व्यक्ति, जिसके निर्वाचन पर आपत्ति की गई हो और यदि याची ने यह दावा किया हो कि उक्त व्यक्ति के स्थान पर दूसरा उम्मीदवार घोषित होगा तो प्रत्येक असफल उम्मीदवार याचिका में प्रत्यर्थी (respondent) बनाया जायेगा।

35. अनुतोष (Relief) जिसके लिये याची दावा कर सकता है—याची निम्नलिखित घोषणाओं में से किसी के लिये भी दावा कर सकता है—

(क) कि निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है,

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य है और वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है

36. प्रतिभूति—(1) निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करते समय याची उसके साथ इसकी एक रसीद संलग्न करेगा कि उसके द्वारा या उसकी ओर से सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में, याचिका के वाक-वयव की प्रतिभूति के रूप में, दो सौ पचास रुपये जमा कर दिये गये हो।

(2) निर्वाचन याचिका पर न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 में विहित न्यायालय फीस का भुगतान किया जायेगा और यदि उक्त अधिनियम में कोई न्यायालय फीस नियत न हो तो न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में 125 रु० की फीस दी जायेगी।

37. स्थान के लिए दावा करने में पारस्परिक घोषारोपण—जब किसी निर्वाचन याचिका में इस घोषणा के लिए दावा किया गया हो कि निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न कोई उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है, तो निर्वाचित उम्मीदवार या कोई अन्य पक्ष इस बात को सिद्ध करने के लिये साक्ष्य दे सकता है कि उक्त उम्मीदवार

का निर्वाचन यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता तो शून्य हो गया होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिये याचिका प्रस्तुत की गयी होती।

38. प्रक्रिया—(1) जहाँ तक अधिनियम द्वारा या इस नियमवली में व्यवस्था की गई हो उसे छोड़कर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में बादों के संबंध में दी गई प्रक्रिया का जहाँ तक वह अधिनियम या इस नियमवली के किन्हीं उपबन्धों से असंगत न हो और जहाँ तक वह लागू की जा सकती हो, निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई में लागू की जायेगी।

प्रतियन्ध वह है कि—

- (क) एक ही व्यक्ति के निर्वाचन के संबंध में दो या अधिक निर्वाचन याचिकाओं की सुनवाई एक साथ ही की जा सकती है;
- (ख) न्यायाधीश के लिये साक्ष्य को पूर्ण रूप से अभिलिखित करना या कराना अपेक्षित न होगा परन्तु वह साक्ष्य का ऐसा ज्ञापन (memorandum) तैयार करेगा जो उसके मत में मामले का निर्णय करने के लिये पर्याप्त हो;
- (ग) न्यायाधीश कार्यवाही के बीच किसी भी समय, याची से किसी प्रत्यर्थी (respondent) द्वारा किये गये या किये जाने वाले सम्भावित वाद-व्यय के भुगतान के लिये अतिरिक्त नकद प्रतिभूति माँग सकता है;
- (घ) किसी विवाद्यक (issue) का निर्णय करने के लिये न्यायाधीश के वाद-विषय में यह अपेक्षा की जायेगी कि वह केवल उतना मौखिक या लिखित साक्ष्य जितना वह आवश्यक समझे प्रस्तुत करने या प्राप्त किये जाने की आज्ञा दे;
- (ङ) न्यायाधीश के किसी निर्णय के विरुद्ध तथ्य या विधि के प्रश्न पर कोई अपील या पुनरीक्षण (revision) न किया जा सकेगा;
- (च) न्यायाधीश किसी ऐसे व्यक्ति के, जो यह सम्झता है कि वह निर्णय से व्यथित है, प्रार्थना-पत्र पर, जो निर्णय के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर दिया गया हो, किसी भी प्रश्न के संबंध में अपने निर्णय का पुनर्विलोकन (review) कर सकता है;
- (छ) किसी साक्षी या अन्य व्यक्ति से यह बताने की अपेक्षा न की जायेगी कि उसने निर्वाचन में अपना मत कैसे दिया है।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) के उपबन्ध सभी प्रकार से निर्वाचन याचिका के विचारण (trial) में लागू समझे जायेंगे।

(3) निर्वाचन याचिका की सुनवाई प्रारम्भ होने के पूर्व या अन्तिम निर्णय होने के पूर्व यथास्थिति याची या याचियों द्वारा न्यायाधीश के पास याचिका वापस लेने के लिये प्रार्थना-पत्र देकर याचिका वापस ली जा सकती है और ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया जाने पर याचिका वापस ली गई समझी जायेगी और उसके विचारण के लिये आगे कोई कार्यवाही न की जायेगी।

39. याचिका का उपरामन—(1) निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर नियम 35 के खण्ड (क) में उल्लिखित घोषणा का दावा करने के लिए प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका उपशमित हो जायेगी।

(2) एकमात्र याची या सभी याचिकों की मृत्यु हो जाने की दशा में निर्वाचन याचिका उपशमित हो जायेगी।

(3) यदि निर्वाचन याचिका में नियम 35 के खण्ड (ख) में उल्लिखित घोषणा का दावा किया गया हो और निर्वाचित उम्मीदवार की मृत्यु हो जाय तो न्यायाधीश गजट में इस घटना की सूचना प्रकाशित करायेगा और उसके उपरान्त कोई भी व्यक्ति जो याची हो सकता था, उक्त प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर याचिका का विरोध करने के लिये निर्वाचित व्यक्ति के स्थान पर अपना विकल्प रखे जाने के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकता है और उसे उन शर्तों पर, जिसे न्यायाधीश उक्त सभ्य, कार्यवाहियों को जारी रखने का हक होगा।

40. न्यायाधीश की आज्ञाएँ—(1) यदि ऐसी जांच के बाद, जिसे यह उचित समझने किसी व्यक्ति के संबंध में जिसके निर्वाचन पर याचिका द्वारा आपत्ति की गयी हो, इस निर्णय पर पहुंचता है कि उसका निर्वाचन वैध है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध निर्वाचन याचिका खारिज कर देगा और स्वविवेकानुसार वाद व्यय दिलायेगा।

(2) यदि न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुंचता है कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध है तो वह तो :

(क) यह घोषित करेगा कि एक आकस्मिक रिक्ति हो गई है, या

(ख) यह घोषित करेगा कि दूसरा उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हुआ है और इनमें से किसी भी दशा में स्वविवेकानुसार वाद-व्यय दिलाया सकता है।

41. न्यायाधीश की शक्तियाँ—(1) यदि याचिका तुच्छ (frivolous) पाई जाय तो न्यायाधीश यह आदेश दे सकता है कि प्रतिभूति या उसका कोई भी अंश राज्य सरकार के पक्ष में जफ्त हो जायेगी।

(2) न्यायाधीश द्वारा वाद-व्यय के लिये दी गई आज्ञा इस निमित्त प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर उसके द्वारा उसी रीति से और उसी प्रक्रिया के अनुसार निष्पादित की जायेगी मानों वह किसी वाद में धनराशि के भुगतान के लिए उसी के द्वारा दी गई कोई डिक्री हों।

42. आचार, जिन पर निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है—यदि कोई व्यक्ति, जिसने निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की हो, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन पर आपत्ति करने के साथ-साथ इस घोषणा की अभियाचना करेगा कि वह स्वयं या कोई अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है और न्यायाधीश का मत हो कि वास्तव में याची या ऐसे अन्य उम्मीदवार को वैध मतों में से अधिकांश मत प्राप्त हुए हो, तो न्यायाधीश, निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य घोषित करने के बाद यह घोषित करेगा कि यथास्थिति याची या उक्त अन्य उम्मीदवार यथाविधि निर्वाचित हो गया है।

प्रतिबन्ध यह है कि याची या उक्त अन्य उम्मीदवार को यथाविधि निर्वाचित घोषित नहीं किया जायेगा, यदि यह प्रमाणित हो जाय कि ऐसे उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य हो गया होता यदि वह निर्वाचित उम्मीदवार होता और उसके निर्वाचन पर आपत्ति करने के लिये याचिका प्रस्तुत की गयी होती।

43. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया—यदि निर्वाचन याचिका के विचारण के समय यह प्रतीत हो कि निर्वाचन में उम्मीदवारों को बराबर-बराबर मत प्राप्त हुए हो और इनमें से किसी एक को हटाना है, तो—

(क) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्णय, जहां तक वह उन उम्मीदवारों के बीच प्रश्न को अवधारित करता हो, याचिका के प्रयोजनों के लिये भी प्रभावी होगा; और

(ख) जहां तक उक्त प्रश्न ऐसे निर्णय द्वारा अवधारित न किया गया हो,

न्यायाधीश उनके बीच इस नियमावली की अनुसूची 2 के अनुदेशों के उपबन्धों के अनुसार निर्णय करेगा।

44. न्यायाधीश के आज्ञाओं का प्रभावी होना—नियम 40 के उपनियम (2) के अधीन न्यायाधीश का आज्ञा, आज्ञा के दिनांक से प्रभावी होगा।

45. आदेश की सूचना और अभिलेख का भेजा जाना—नियम 40 के अधीन न्यायाधीश द्वारा दी गयी आज्ञा घोषित होने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र वह उसकी एक-एक प्रतिलिपि राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

46. जमा की गयी प्रतिभूति का निस्तारण और वाद-व्यय की वसूली—(1) नियम 41 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वाद-व्यय, यदि कोई हो, जो न्यायाधीश द्वारा किसी प्रत्यर्थी को दिलाया गया है, नियम 36 और 38 के अधीन जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल किया जा सकेगा और जमा की गयी प्रतिभूति का शेष रूपया, यदि कोई हो, याची को वापस कर दिया जायेगा।

(2) वाद-व्यय या उसका कोई भाग, जो किसी प्रत्यर्थी को दिलाया गया है और जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट जमा की गई प्रतिभूति में से वसूल न किया गया हो, और किसी प्रत्यर्थी द्वारा याची को देय वाद-व्यय, नियम 41 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किया जा सकेगा।

(3) नियम 40 के अधीन आदेश देते समय न्यायाधीश इस नियम के उपबन्धों के अनुसार वाद-व्यय की वसूली और जमा की गयी प्रतिभूति की यापसी के संबंध में भी आदेश देगा और न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेश की एक प्रति नियम 45 के अधीन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट तदनुसार उक्त आदेश को कार्यान्वित करेगा।

47. न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील—(1) नियम 40 के अधीन न्यायाधीश द्वारा दिये गये आदेशों के विरुद्ध अपील, आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय को की जा सकेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि उच्च न्यायालय उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारणों से उक्त अवधि के भीतर अपील न कर सका।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपनियम (1) के अधीन अपील प्रस्तुत करे अपील के ज्ञापन के साथ सरकारी कोषागार की इस आशय की एक रसीद संलग्न करेगा कि उसने उच्च न्यायालय के फंड में अपील के वाद-व्यय की प्रतिभूति के रूप में पांच सौ रुपये सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा कर दिया है।

अध्याय 5

48. धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ब) के अधीन विवादों को उठाने की रीति—(1) यदि यह विवाद उठे कि कोई व्यक्ति धारा 19 के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिए अनर्ह हो गया है या नहीं तो उक्त मामले ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के रूप में पंजीकृत हो, लिखित याचिका देकर उक्त अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसी स्थिति हो, के पालू कार्यकाल की अवधि में किसी समय न्यायाधीश को अभिदिष्ट किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक याचिका, याची द्वारा स्वयं या यदि याचिका पर हस्ताक्षर करने वाले एक से अधिक व्यक्ति हों तो उनमें से किसी एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

49. याचिका का प्रपत्र आदि—(1) नियम 48 के अधीन प्रस्तुत की गई याचिका में उन आधारों को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिन पर उक्त व्यक्ति के सम्यन्ध में यह अनिकथित हो, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिए अनर्ह हो गया है और उसमें उन परिस्थितियों का सारांश दिया जायेगा जिनके सम्यन्ध में यह अभिकथन किया गया हो कि विवाद को ऐसे आधारों पर उठाना उचित है।

(2) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसके विरुद्ध विवाद उठाया गया हो, याचिका में प्रतिवादी स्वेचयदकमदजुर्द बनाया जायेगा।

50. प्रतिभूति—नियम 48 के अधीन याचिका प्रस्तुत करते समय याची उसके साथ एक रसीद संलग्न करेगा, जिसमें यह प्रदर्शित हो कि उसके द्वारा या उसकी ओर से सरकारी कोषागार या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में याचिका के वाद-व्यय की प्रतिभूति के रूप में, दो सौ रुपये जमा कर दिए गए हो।

51. न्यायाधीश के आदेश—यदि न्यायाधीश इस निर्णय पर पहुँचता है कि यह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध नियम 48 के अधीन याचिका प्रस्तुत की गई है, धारा 19 के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के लिए अनर्ह हो गया है तो वह यह घोषित करेगा कि उक्त पद में एक आकरिमिक रिक्ति हो गई है।

52. अन्य प्रक्रिया आदि—नियम 36 (2), 38, 39 (2), 41, 44, 45 और 46 के उपबन्ध यथासम्भव, नियम 48 के अधीन उठाये गये विवादों पर लागू होंगे।

अनुसूची 2

(नियम 26)

निर्वाचन परिणाम के अन्तर्गत के लिए अनुदेश

1- इस अनुसूची में-

(1) पद "अविरत उम्मीदवार" का तात्पर्य किसी ऐसे उम्मीदवार से है, जो उस समय तक न तो निर्वाचित हुआ और न मतदान से अपवर्जित हुआ हो य

(2) पद "प्रथम अधिमान" का तात्पर्य किसी उम्मीदवार के नाम के सामने लिखी गई संख्या 1 से है, इसी प्रकार पद "द्वितीय अधिमान" का तात्पर्य संख्या 2 से है, पद "तृतीय अधिमान" का तात्पर्य संख्या 3 से है और इसी प्रकार आगे के अधिमानों का अर्थ लगाया जायेगा य

(3) पद "प्राप्त अन्यतम अधिमान" का तात्पर्य किसी अविरत उम्मीदवार के लिए अभिलिखित द्वितीय अथवा बाद के ऐसे अधिमान से है जिसकी संख्या गिने जा चुके अधिमान के ठीक आगे की हो, किन्तु इसमें पहले अपवर्जित उम्मीदवारों के लिए अभिलिखित अधिमानों पर विचार नहीं किया जायेगा य

(4) पद "असमाप्त-पत्र" का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र से है जिस पर किसी अविरत उम्मीदवार के लिए और अधिमान अभिलिखित किया गया हो य

(5) पद "समाप्त-पत्र" का तात्पर्य ऐसे मत-पत्र से है, जिस पर किसी अविरत उम्मीदवार के लिए कोई अधिमान अभिलिखित न हो, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह पत्र समाप्त समझा जायेगा जिसमें :

(क) दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नामों के आगे, चाहे वे अविरत हों या न हों, एक ही संख्या/अंकित हो, और वह संख्या गिने जा चुके अधिमान के ठीक आगे की हो य अथवा

(ख) जिस उम्मीदवार के लिए अन्यतम अधिमान खरत किया गया हो, उसके नाम के आगे, चाहे वह अविरत हो अथवा नहीं, ऐसी संख्या अंकित हो, जो मत-पत्र पर लिखित किसी अन्य संख्या के ठीक आगे की न हो, अथवा कोई दो अथवा अधिक संख्याएँ अंकित हों।

2- प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या निश्चित करें और उस संख्या को उसके नाम में लिख दें।

3- सभी उम्मीदवारों के नामों में लिखी हुई ऐसी संख्याओं को जोड़ें, और इस योग को दो से विभाजित करें और शेष का कोई विचार न करके भजनफल में एक जोड़ दें। इस प्रकार प्राप्त संख्या किसी उम्मीदवार के निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त अभ्यंश होगी।

4-(1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले केवल दो उम्मीदवार हों, तो-

(क) यदि एक उम्मीदवार दूसरे से अधिक संख्या में प्रथम अधिमान मत प्राप्त करे, तो पहले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें, अथवा

(ख) यदि दोनों उम्मीदवार बराबर संख्या में प्रथम अधिमान मत प्राप्त करें, तो पर्ची खोल कर निर्वाचन परिणाम अवधारित करें। उस उम्मीदवार को अपवर्जित करें, जिसके नाम पर्ची पड़े तथा दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करें।

(2) यदि दो से अधिक उम्मीदवार हों और-

(क) उनमें से एक के संबंध में यह पाया जाय कि उसने अनुदेश संख्या 3 के अधीन अवधारित अभ्यंश (quota), के बराबर अथवा उससे अधिक प्रथम अधिमान मत प्राप्त किये हो तो उसे निर्वाचित घोषित करें, अथवा

(ख) उनमें से किसी ने भी पर्याप्त अभ्यंश के बराबर या उससे अधिक प्रथम अधिमान मत प्राप्त न किये हों तो द्वितीय और अनुवर्ती अधिमानों को, यथावश्यकता, ध्यान में रखते हुए आगे, दिये हुए अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही करें।

5- यदि प्रथम, अथवा किसी बाद की, गणना के अन्त में किसी उम्मीदवार के नाम में लिखे गये कुल मतों की संख्या अभ्यंश के बराबर या उससे अधिक हो, अथवा केवल एक ही अविरत उम्मीदवार शेष हो, तो वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

6- यदि किसी गणना की समाप्ति पर कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित न किया जा सके तो-

- (क) उस उम्मीदवार को अपवर्जित कर दें, जिसके नाम उस समय तक सबसे कम मत लिखे गये हो य
- (ख) उसके पार्सल अथवा लघुपार्सल (Sub-Parcel) के सभी मत-पत्रों की जांच करें। लघु पार्सलों की असमाप्त पत्रों को अविरत उम्मीदवारों के लिए उनमें अभिलिखित प्राप्त अन्यतम अधिमानों के अनुसार क्रमबद्ध करें, ऐसे प्रत्येक लघु पार्सल के मतों की संख्या गिनें और उन्हें उस उम्मीदवार के नाम में लिखें, जिसके लिए ऐसे अधिमान अभिलिखित किये गये हों। वह लघु पार्सल उस उम्मीदवार को संक्रमित कर दें और सभी समाप्त-पत्रों का एक अलग लघु पार्सल बनायें य तथा
- (ग) यह देखें कि ऐसे संक्रमण तथा नाम में लिखने के पश्चात् किसी अविरत उम्मीदवार ने अभ्यंश प्राप्त किया है या नहीं।

उस दशा में जब उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन किसी उम्मीदवार को अपवर्जित करना हो और दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नामों में बराबर संख्या में मत लिखे गये हों तथा उन्हें सबसे कम मत प्राप्त हुए हों, तो उस उम्मीदवार को अपवर्जित करें जिसने सबसे कम प्रथम अधिमान मत प्राप्त किये हों और यदि वह संख्या भी दो-या दो से अधिक उम्मीदवारों की बराबर हो तो पर्याप्त से यह निर्णय करें कि उनमें से किसे अपवर्जित किया जाय।

उपर्युक्त खण्ड (ख) में उल्लिखित समाप्त-पत्रों के सभी लघु पार्सल अंतिम रूप से निस्तारित होकर पृथक कर दिये जायेंगे और उनमें अभिलिखित मतों पर तत्पश्चात् विचार न किया जायेगा।

दृष्टान्त- मान लीजिए कि क, ख, ग, और घ चार उम्मीदवार हो और उन्हें प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या निम्नलिखित है-

क	12
ख	11
ग	7
घ	5
योग	35

अभ्यंश $35/2+1=18$ होगा।

पहली गणना में से किसी भी उम्मीदवार ने अभ्यंश के बराबर अथवा उससे अधिक मत प्राप्त नहीं किया। इसीलिये न्यूनतम मत पाने वाले उम्मीदवार, अर्थात् घ को अपवर्जित कर दिया जायेगा।

मान लीजिए कि घ के पार्सल में निम्नलिखित प्रकार से केवल चार मत-पत्रों पर द्वितीय अधिमान अंकित हो:

क	2
ख	2

पांचवां मत-पत्र समाप्त-पत्रों के लघु पार्सल में रख दिया जायेगा तथा दो-दो पत्र जिसमें क और ख के लिए द्वितीय अधिमान अभिलिखित हो क और ख के लिए अलग-अलग लघु पार्सलों में रख दिये जायेंगे और उनमें से प्रत्येक के नाम के दो मत और लिख दिये जायेंगे अब क, ख और ग के मत निम्नांकित होंगे:

क	12 + 2
ख	11 + 2
ग	7

क्योंकि द्वितीय गणना की समाप्ति पर कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता इसलिए अब तीनों अविरत उम्मीदवारों में से न्यूनतम मत पाने वाला उम्मीदवार अपवर्जित कर दिया जायेगा और उसके मत दूसरे अविरत उम्मीदवार क और ख को संक्रमित कर दिये जायेंगे

मान लीजिये कि ग के पार्सल में सभी मत-पत्रों द्वितीय अधिमान अभिलिखित हो और वे निम्नलिखित प्रकार से हों:

क 4

ख 3

क और ख के नाम में इन अतिरिक्त मतों के लिखने पर क को 18 मत प्राप्त हो जायेंगे जो कि अभ्यर्थ के बराबर हो जायेंगे और ख के 16 मत हो जायेंगे अतः क निर्वाचित घोषित किया जायेगा।

Mail/Specialist

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड



पत्रांक : 11/7 / रा.नि.आ. 5/1453/2013

दिनांक 23/3/2018

राज्य निर्वाचन आयोग

संयुक्त
 सेवा में
 विषय:-
 महोदय

श्रीमान साह,
 सचिव
 जिलाधिकारी/
 जिला निर्वाचन अधिकारी(विभागावि०)
 देहरादून।
 उम्मीदवारों के अनुरोधों के संबंध में।

उपरोक्त विषय अन्तर्गत जिलाधिकारी(वि०/रा०)/प्रमारी अधिकारी पंचारस्थानि पुनावालय देहरादून के पत्र संख्या 312/रा०नि०वि०वि०/2018 दिनांक 23.03.2018 के संबंध में अवगत करना है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड द्वारा प्रकाशित सरकारी पत्र संख्या-048/रा०नि०आ०/होरख अ०/55/2002 दिनांक 01 जनवरी 2003 के नियम 4-(1) में किसी त्रिस्तरीय पंचायत अथवा नगर विकास के निर्वाचन में सहायकता की दिनांक से 30 दिन के भीतर अधिकतम निर्वाचन का और उसकी सेवा परामर्शिता जमा करने का प्रावधान है। साथ ही उपरोक्त पत्र संख्या-2 के फुल प्रसार (2) में यह आदेश दिया गया है कि "यह आदेश सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के स्थानीय एवं नगर स्थायी निर्वाचनों के निर्वाचन में लागू होगा"। जिसमें दोनो हवाईयों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र आच्छादित हारो हैं।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नगर स्थायी निर्वाचनों के परिशीलन में किसी भी प्रकार के नगर विकासों से विमुख किये जाने पर विचार हुए प्राप्त पंचायत के उम्मीदवार जो त्रिस्तरीय पंचायतों के सम्बन्ध निर्वाचन-2012 एवं उपरोक्त पत्रांक हुए निर्वाचनों/उप निर्वाचनों में अपना निर्वाचन करा सेवा जमा करने में अक्षम रहने पर निर्वाचन लड़ने हेतु अग्रह हुए हों, ऐसे पत्र पंचायतों को अग्रह हुए उम्मीदवार विलय हुए निर्वाचन से की जायगी नगर स्थायी निर्वाचन के निर्वाचन हेतु अग्रह गाने आवेंगे।

सुधीय

 (श्रीमान साह)
 सचिव।

- परिष्कार / रा.नि.आ.-03/1453/2013 सद्विनांकित
- परिष्कारिणी - निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सचिव, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
 - 2- समस्त प्रमारी अधिकारी, पंचारस्थानि पुनावालय, उत्तराखण्ड।
 - 3- अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०)/प्रमारी अधिकारी पंचारस्थानि देहरादून को उक्त संबंधित पत्र के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(श्रीमान साह)
 सचिव।



126

126

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लखनपुर, पत्तरी गरीबान, सि. रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2671041, 2671671

टैलीफैक्स : 0135-2671998, 2678945

E-Mail: sec@uraknec.gov.in

संख्या-869/रांनि0310/अनु02/1378/2019 देहरादून, दिनांक-25 अक्टूबर, 2019

आदेश

त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों को स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिये यह आवश्यक है कि निर्वाचन में भाग लेने वाले सम्बन्धियों को अपेक्षा द्वारा निर्वाचन हेतु निर्दिष्ट जगहों पर प्रत्येक व्यक्ति के विषय में समुचित ज्ञान दे दिया जाये।

2. इस सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आदेश संख्या-846/रांनि0310/लेखा अनु0/55/2002 दिनांक 01 जनवरी, 2003 द्वारा 'अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश, 2003' जारी किया गया था। जब राज्य में उत्तराखण्ड पंचायतीरर अधिनियम-2016 लागू हो गया है तबसे द्वारा-131(4) (द) (1) में प्राविधान है कि निर्वाचन व्यय का लेखा लिखित करने में असफल उम्मीदवारों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-10 के अंतर्गत जर्नल किया जायेगा। अब पूर्व में जारी आदेश का अद्यतन करके हुए उत्तराखण्ड पंचायतीरर अधिनियम-2016 की धारा-131(4) (द) (1) के अन्तर्गत प्राप्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन हेतु पंचायतों पर व्यय करने के सम्बन्ध में आदेश दिया जाता है कि:-

(1) यह आदेश 'अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश, 2019' का है।

(2) यह आदेश सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु लागू होगा।

(3) यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

3. अधिकतम निर्वाचन व्यय इस आदेश के अनुलम्बक-1 के स्तम्भ-2 में वर्णित मदों के उम्मीदवारों द्वारा स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं किया जायेगा।

4. (1) त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में स्वयं उम्मीदवार (निर्दिष्ट निर्वाचन उम्मीदवार सहित) द्वारा या उसके अधिकारी द्वारा किया गये या प्राधिकृत कर कराये गये सम्पूर्ण व्ययों का प्रथम मुद्रित लेखा स्वयं उम्मीदवार द्वारा या उसके अधिकारी द्वारा रखा जायेगा। यह लेखा नामांकन के दिनांक तथा उसके परिष्कृत मोडित होने के दिनांक के मध्य (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुये) किया जाने वाले व्ययों का होगा। निर्वाचन से सम्बन्धित यह लेखा विवरण इस आदेश में दिये गये अनुलम्बक-2 (दिन-प्रतिदिन का लेखा) तथा अनुलम्बक-3 (सदवार व्यय का विवरण) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार रखा जायेगा। इनमें दिन-प्रतिदिन के व्यय के रूप एक मद के विषय में निम्नलिखित विवरण होंगे:-

(क) यह दिनांक जिसको व्यय किया गया था प्राधिकृत किया गया।

(ख) व्यय की प्रकृति (उदाहरण के लिये यात्रा, ड्राफ्ट या मुद्रण और अन्य इसी प्रकार का व्यय)

पृष्ठ संख्या.....2

- (ग) व्यय की धनराशि
- (अ) भुगतान की गयी धनराशि
- (बि) अवशेष धनराशि
- (घ) भुगतान का दिनांक
- (ङ) जाने वाले का नाम व पता
- (ण) भुगतान की गई धनराशि की दशा में वाउचरों का क्रम-संख्याक
- (च) अवशेष धनराशि की दशा में बिना संख्याक यदि कोई हो
- (ज) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसको अवशेष धनराशि देय हो।

(2) व्यय की हर मद के लिये वाउचर प्राप्त किया जायेगा सिवाय तब जबकि उक्त व्यय का रकम हासिल या उसी तरह का मानकों में जिसकी मामलों की प्रकृति के कारण वाउचर प्राप्त करना व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं है।

(3) समस्त वाउचर उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अधिकता द्वारा भुगतान के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे और क्रम संख्यांकित किये जायेंगे तथा निर्वाचन व्ययों के लेखों के साथ दाखिल किये जायेंगे और ऐसे क्रम संख्यांकन उप प्रस्तर (1) में उल्लिखित लेखों के मद (च) के अन्तर्गत दर्ज किये जायेंगे।

(4) उप प्रस्तर (1) की मद (ङ) में तर्जित विशिष्टियों/विवरण व्यय की उन मदों की वापस देनी आवश्यक न होंगी जिनके उप प्रस्तर (2) के अधीन वाउचर प्राप्त नहीं किये गये हैं।

5. लेखाओं के निरीक्षण के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना— जिला निर्वाचन अधिकारी उस दिनांक से जिसको निम्नलिखित व्ययों का लेखा उम्मीदवार द्वारा दाखिल किया गया है, दो दिन के भीतर एक सूचना जिसमें—

- (क) वह दिनांक जिसमें लेखा दाखिल किया गया है,
- (ख) उम्मीदवार का नाम, तथा
- (ग) वह समय और स्थान, जिसमें ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकेगा;

विनिर्दिष्ट हो, अपने सूचनापत्र पर सभादेयें।

6. लेखाओं का निरीक्षण और उनकी प्रतियाँ प्राप्त करना— कोई व्यक्ति दस रुपये की फीस का भुगतान करके ऐसे किसी लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा और ऐसी फीस के भुगतान पर, जैसा निर्वाचन आयोग निश्चित करे, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की उपाधित प्रतियाँ प्राप्त करने का हकदार होगा।

7. (1) किसी निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों के लेखाओं के दाखिल के लिये चुनाव परिणाम की घोषणा के इरा आदेश के प्रस्त-ग में निर्धारित समय की समाप्ति के तुरन्त बाद जिला निर्वाचन अधिकारी(सहायक) एक रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देगा, जिसमें निम्नलिखित बातों का सल्लेख होगा—

- (क) हर एक निर्वाचन समूहने वाले उम्मीदवार का नाम,
- (ख) उम्मीदवार ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है या नहीं और यदि कर दिया है तो उसका दिनांक,
- (ग) लेखा निर्धारित समय के अन्दर और निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार दाखिल किया गया है या नहीं ?

- (2) जहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को यह राय है कि किसी उम्मीदवार का निर्वाचन व्यक्त के लेखा इन नियमों द्वारा अपेक्षित शैली में दाखिल नहीं किया गया है वहाँ वह ऐसी प्रत्येक आख्या के साथ उस उम्मीदवार के निर्वाचन व्यक्त के लेखा और उसके साथ दाखिल वाक्यों को निर्वाचन आयोग को भेजेगा।
- (3) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) उप प्रस्तर-(1) में निर्दिष्ट आख्या प्रेषित करने के तत्काल पश्चात् उसकी पूर्ण अर्धने मूल्यांकन पर लागूकर लक्ष्य प्रदर्शन करेगा।
- (4) राज्य निर्वाचन आयोग उप प्रस्तर-(1) में निर्दिष्ट आख्या की प्राप्ति के पश्चात् कक्षाशीघ्र उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार(निर्विशेष निर्वाचित उम्मीदवार सहित) व्यक्त का लेखा उस समय के अन्दर और उसी शैली में जो कि इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा था नहीं।
- (5) जहाँ कि राज्य निर्वाचन आयोग यह विनिश्चित करता है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार निर्वाचन व्यक्त का अपना लेखा उस समय के अन्दर और उस शैली में जो इस आदेश द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है वहाँ वह उस उम्मीदवार को लिखित कारण बताते नोटिस देगा कि क्यों न इस अवसंधता पर उसे अनर्ह कर दिया जाय।
- (6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार जिसे उप प्रस्तर (5) के अधीन कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उस नोटिस की प्राप्ति के 20 दिन के भीतर इस विषय में लिखित आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को दे सकता है और उस आवेदन की एक प्रति और निर्वाचन व्यक्त का पूरा लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को भी प्रेषित करेगा।
- (7) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) उस आवेदन की प्राप्ति के पाँच दिन के अन्दर आवेदन की प्रति और यदि कोई लेखा हो तो ऐसा लेखा अपनी टिप्पणियों सहित राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा।
- (8) यदि उम्मीदवार द्वारा प्रेषित किये गये आवेदन पर और जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, राज्य निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि उम्मीदवार के पास अपना लेखा दाखिल करने में असफलता के लिये कोई लक्ष्यकारण या न्यायिक औचित्य नहीं है तब वह उस उम्मीदवार को आदेश के दिनांक से तीन (03) वर्ष के लिये अनर्ह घोषित करेगा और आदेश का शारतकीय राजपत्र में प्रकाशित करवायेगा।
8. (1) प्रत्येक उम्मीदवार अपने परिणाम घोषित होने के तीस (30) दिन के भीतर या यदि वह एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ रहा है तो उनमें अन्तिम निर्वाचन परिणाम

की घोषणा की दिनांक से तीस (30) दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का व्योम जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत करेगा। निर्वाचन व्ययों का यह व्योम निर्वाचन व्ययों की सत्यापित प्रति होगी जो कि उसने स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा रखी गयी है।

- (2) प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करते समय एक शपथ-पत्र, जिसका अनुलग्नक-4 में दिया गया है, भी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। शपथ-पत्र में वह यह स्पष्ट उल्लेख करेगा कि प्राकृतिक भाग-3 में सूचीबद्ध मदों में दर्शाया गया व्यय शून्य है, यदि उसमें कोई शिथिल है, शपथ-पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि उससे सम्बन्धित सूचीबद्ध मदों में सम्पूर्ण निर्वाचन व्यय को उचित विवरण में पूर्णतः और स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया गया है और निर्वाचन में किया गया कोई व्यय छिपाया नहीं गया है।

9. प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत व्यय की विवरणी में 'समस्त' निर्वाचन व्ययों का सही लेखा दिखाना है, इसलिये जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) व्यय विवरणी निर्धारित रीति के अनुसार होने पर उम्मीदवार का लेखा स्वीकार करने से पूर्व उसकी ऐसी जाँच करा सकता है जिससे वह आवश्यक समझे। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) यथापेक्षित अपनी सूचना आयोग को देते समय यह सत्यापित करेगा कि लेखा विवरण रीति में है। यह उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत एवं सत्यापित विवरण तथा दस्तावेजों को आयोग के निवेश प्रमाणित करके भेजेगा।

10. आयोग उपयुक्त प्रक्रिया से प्रस्तुत किये गये विवरणों की प्रामाणिकता की जाँच करा सकता है और उम्मीदवार की किसी चूक या गलत सूचना के लिये उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहस्य सकता है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या:- 2865(1) / स0नि0आ0 / अनु-2 / 1379 / 2019 / तदुदिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, म0 राज्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव, म0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- आयुक्त, गढ़वाल गण्डल, पीडी/चुनाई मण्डल, नैनीताल।
- 6- समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचायतानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त रंग जिला निर्वाचन अधिकारी, (प0) उत्तराखण्ड।
- 10- समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायतानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।

- 11- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस आदेश को सभी सभाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 12- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय फोटो लिथो प्रेस रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित की वे कृपया आदेश को असाधारण मजदूरी में प्रकाशित कर उसकी 25 प्रतिशत अंशों के उपशोधार्थ/अभिलेखों उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 13- आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- 14- गार्ड फाइल।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

(13)

अनुलक-1

1- त्रिस्तरीय पंचायत :-

क्र.सं.	उत्प्रेक्षितता का क्र.	अधिकतम व्यय सीमा (रु.सं.)
1	2	3
1	सदस्य ग्राम पंचायत	10,000.00
2	प्रधान ग्राम पंचायत	50,000.00
3	उप प्रधान ग्राम पंचायत	15,000.00
4	सदस्य क्षेत्र पंचायत	50,000.00
5	सदस्य जिला पंचायत	1,40,000.00
6	कनिष्ठ उपग्राम मुख	50,000.00
7	उपग्राम मुख	60,000.00
8	प्रमुख क्षेत्र पंचायत	1,40,000.00
9	उपग्राम जिला पंचायत	2,50,000.00
10	अग्रज जिला पंचायत	3,50,000.00

अनुसूची नंक-2

त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचन पर का लेख विवरण का प्रारूप
(दिन प्रति दिन का लेखा)

सम्मोचन का नाम-
राजनीतिक पैदा का नाम यदि कोई हो-
निर्वाचन क्षेत्र का नाम तथा निर्वाचन क्षेत्र का नाम-
निर्वाचन क्षेत्र का दिनांक

क्र. सं.	नाम	व्यय की	अन्यथा	मुक्तान	पाने का	भाग- एक दिन प्रतिदिन का लेखा				
						अन्यथा का	किसी	एक	प्रत्येक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	प्रगति	मुक्तान की गई	अन्यथा	दिनांक	नाम	दिनांक	अन्यथा	किसी	एक	प्रत्येक

वर्णित किया जाता है राज्य निर्वाचन अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रारूप पर देश द्वारा निर्धारित अनुसूची द्वारा दिये गये लेख की यह राज्य प्रतिनिधि है।

निर्वाचन क्षेत्र का नाम प्रत्यासंगत है।

विस्तृत पचायत के निर्वाचन में भाग लेने वाले मतदाताओं द्वारा किए गए मतों के विवरण का सारांश (निम्नलिखित की तिथि से उत्पन्न) घोषित होने की तिथि के प्रथम

अनुसूचनाक-3 (मतदाता वय का विवरण)

1. प्रत्याशी का नाम -
2. पदनाम -
3. ग्राम पचायत / क्षेत्र पचायत / जिला पंचायत -

4. परिणाम घोषित किए जाने की तिथि -

क्र.	वय की सीमा	मता	वय के अन्तर्गत	मतदान की तिथि	मतों के अन्तर्गत मतदान की तिथि	संख्या
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

1. नाम निर्देशित पत्र का क्रमांक
2. अध्यायक की संख्या
3. मतदाता सूची क्रमांक का क्रमांक
4. निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
5. मतदान स्थान का क्रमांक
6. हेड ऑफ अध्यायक का क्रमांक
7. मतदान स्थान पर वय
8. निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
9. हेड ऑफ निर्वाचन स्थान पर वय
10. निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
11. निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
12. निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
13. निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
14. निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
15. निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
16. निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
17. निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
18. निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
19. निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक
20. निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक

1 2 3 4 5 6

18. प्रत्याशी के इस्तेफान इजाजत, मसौदा

एजाजत, इस्तेफान एलेण्ड एच अन्त

जायकलेश इत्यादि का उदा

19. निर्वाचन हेतु प्रेष्य या साधे जामिके दोहन

का विवरण, एलेण्ड आदि

20. अन्य व्यय

संग

धोषणा:-

प्रमाणित किया जाता है कि मैं दिये गए विवरणों में प्रत्याशी के निर्वाचन में ... निर्वाचन क्षेत्र में ... जका से ... पर ... प्रत्याशी था। मैंने उक्त निर्वाचन में अपने द्वारा ... की गई धोषणाओं का विवरण निम्नलिखित प्रकार से ... प्रस्तुत कर दिया था।

क :

मैं जिस विवरण पर धोषणा निवेदन में किसी भी ... हेतु उत्तरदायी नहीं हूँ।

संभव ...
दिनांक ...

(प्रत्याशी के हस्ताक्षर)
पूरा नाम ...
पता ...

जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

1. यह विवरण धोषणा निवेदन के अन्तर्गत ही प्रस्तुत किया जायेगा। विहित समय पर इसका निवेदन स्वीकार नहीं होगा।
2. कार्य की पूर्ति में सहायता के लिए ... का उपयोग किया जायेगा।
3. धोषणा निवेदन के निर्वाचन क्षेत्रों में ... दिये जाने की वजह से उम्मीदवार द्वारा ... प्रतिस्पर्धित किया जाता है।

अनुसूची-4

शपथ-यत्र समय जिलाधिकारी/जिलानिर्वाचन अधिकारी

शपथ-1 का प्रारूप

1. मैं, श्री/श्रीमती/शुभचरिते जिला/मुन्सिप/तहसील जमा निर्वाचनी शपथपूर्वक शपथनिष्ठापूर्वक एवं ईश्वरद्वारा से निर्वाचनी को सम्बोधित एवं मांगना करता/करती हूँ कि यह कि मैं निर्वाचनीय पदाधिकारी निर्वाचन के निर्वाचन क्षेत्र/क्षेत्रों का मतदाता हूँ/हूँगी।
2. मैं यह हूँ कि सामान्य निर्वाचन/सर्वोप निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या/यात्री जिला/जिलानिर्वाचन अधिकारी को शपथ किया गया है।
3. मैं अपने नामांकन करते या दिनका के द्वारा परिष्कार से शपथ का दिनका के बीच में एक दिवस सम्मिलित है उक्त निर्वाचन के समय में द्वारा यह और भी अधिकतर द्वारा शपथकृत जहाँ मैं प्रत्यक्ष-अर्थी और सही-सही उक्त मेरे/मेरे सम्बन्धित के द्वारा द्वारा उक्त गया है।
4. मैं कि उक्त निर्वाचन अधिनियम द्वारा के लिए उक्त यह प्रारूप में उक्त कर्तव्य का जोर दिया गया है और उनकी एक मात्र प्रतिनिधि उक्त के उचित/उचित सुविधाएँ/सुविधाएँ, जिला/जिलानिर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान की जा रही है।
5. मैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग में जिला/जिलानिर्वाचन अधिकारी द्वारा उक्त गया है, निर्वाचन की सही तरीके पर निर्वाचन क्षेत्र का ध्यान दिया है, जिससे मेरे और मेरे नागरिकों द्वारा उक्त/उक्त व्यय सम्मिलित है, अपने विचारों का अभिव्यक्ति नहीं गया है न देखा गया है।
6. मैं कि उक्त उक्त के अनुसूचित वर्गों में दिया गया है, सभी पर शुद्ध भेदभाव का यह व्यवस्था नहीं किया गया है, अतः मेरे उक्त मेरे निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है।

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम (सन् 1959 ई०) उत्तराखण्ड
में यथाप्रवृत्त एवं के महत्वपूर्ण प्राविधानों का उद्धरण

नगर प्रमुख तथा उपनगर प्रमुख

10. उपनगर प्रमुख—

- (1) प्रत्येक निगम के लिए एक उपनगर प्रमुख होगा।
- (2) यदि कभी नगर प्रमुख किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो अथवा नगर प्रमुख का पद रिक्त हुआ हो, इस पद के सम्बन्धित कर्तव्यों का पालन यथास्थिति नगर-प्रमुख के पुनः कार्यभार सम्भालने अथवा रिक्त स्थानों की पूर्ति होने तक, उपनगर प्रमुख करेगा।

11. नगर-प्रमुख तथा उपनगर-प्रमुख के पद के लिए निर्वाचन की अर्हताएँ—

- (1) कोई भी व्यक्ति नगर-प्रमुख के पद पर निर्वाचन के लिए अर्ह न होगा—
 - (क) यदि वह नगर में निर्वाचक नहीं है;
 - (ख) यदि उसकी आयु तीस वर्ष की नहीं हो गई है;
 - (ग) यदि वह धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन सभासद के रूप में निर्वाचित होने के निमित्त अर्ह है; अथवा
 - (घ) यदि वह सभासद के किसी स्थान के लिए निर्वाचन में हार चुका हो और उस निर्वाचन का फल घोषित होने के परचात् छः महीने व्यतीत न हो गये हों।
- (2) कोई व्यक्ति, जो निगम का सभासद नहीं है, उपनगर-प्रमुख के पद पर निर्वाचन के 43-ए के लिए पात्र न होगा।

11-क. नगर-प्रमुख का निर्वाचन-

- (1) नगर प्रमुख का निर्वाचन, नगर में निर्वाचकों द्वारा वयस्क पताधिकार के आधार पर होगा।
- (2) धारा 16 में यथा उपबन्धित के सिवाय अपने पद से हटने वाला नगर-प्रमुख पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।
- (3) किसी सभासद के निर्वाचन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से सम्बन्धित विवाद भी है) नगर-प्रमुख के निर्वाचन के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- (4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति, नगर-प्रमुख और सभासद दोनों रूप में या किसी उप-चुनाव के सभासद के रूप में या किसी उप-चुनाव में सभासद के रूप में हाने पर नगर-प्रमुख निर्वाचित होता है, तो वह नगर-प्रमुख के रूप में अपने निर्वाचन के दिनांक से सभासद नहीं रह जायेगा।

23. सभासदों पर प्रयोज्य कतिपय उपबन्ध नाम-निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होने-

धारा 24, 25, 26, 28, 29, 30-क, 81, 82, 83, 85, 87, 538, 565, 570 और 572 के उपबन्ध जैसे सभासदों पर लागू होते हैं, वैसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

24. सभासद के निर्वाचन के लिए अर्हताएँ-

कोई व्यक्ति, सभासद के रूप में चुने जाने के लिए और सभासद होने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा, जब तक कि वह-

- (क) नगर का निर्वाचक न हो;
- (ख) 21 वर्ष की आयु प्राप्त न कर चुका हो; तथा
- (ग) स्थान के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या स्त्रियों के लिए आरक्षित होने की दशा में, जैसी भी स्थिति हो, सम्बन्धित श्रेणी का नहीं है;
- (घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी न हो।

25. सभासदों की अनर्हताएँ-

- (1) कोई भी व्यक्ति, इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है, सभासद चुने जाने तथा होने के लिए अनर्ह होगा, यदि-

- (क) उसे इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व अथवा पश्चात् भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी पाया गया हो तथा उसे दो वर्ष से अन्वून अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया गया हो, जब तक कि उसके छूटने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि या इससे कम ऐसी अवधि, जिसकी अनुमति राज्य सरकार किसी विशेष मामले में दे, व्यतीत न हो गई हो;
- (ख) वह, अनुन्मूक्त दिवालिया हो;
- (ग) वह, निगम में लाभ के किसी पद पर हो;
- (घ) वह, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो अथवा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट अथवा अतिरिक्त या सहायक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेन्ट कांसिल अथवा अवैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा अवैतनिक मुन्सिफ या अवैतनिक असिस्टेंट कलेक्टर हो;
- (ङ) वह, चाहे स्वयं, चाहे उसके लिए न्यासी के रूप में अथवा उसके लाभ के लिए या के लेख में किसी व्यक्ति द्वारा निगम को माल सम्भरित करने के लिए या किसी निर्माण-कार्य के निष्पादन के लिए किन्हीं सेवाओं को, जिनका भार निगम ने अपने ऊपर लिया हो, सम्पन्न करने के लिए किये गये किसी सविदे में कोई हिस्सा (share) या हित (interest) रखता हो,
- (च) वह, निगम को देय कर के, जिन पर धारा 504 लागू होती है अथवा ऐसे मूल्य के, जो निगम द्वारा दिये गये पानी के लिए देय हों, एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाये का देनदार हो,
- (छ) यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद ग्रहण करके, स्रष्टाचार अथवा राज्यद्रोह के लिए पदच्युत हो चुका हो, जब तक कि उसके पदच्युत होने के दिनांक से छः वर्ष की अवधि न व्यतीत हो गई हो;
- (ज) वह, किसी सक्षम प्राधिकारी के आज्ञा से वकालत करने के लिए विवर्जित कर दिया गया है;
- (झ) वह, इस अधिनियम की धारा 80 तथा 83 के अधीन निगम का सदस्य होने के लिए अनर्ह है;

(अ) वह, किसी ऐसे संसर्गजन्य रोगों में से किसी से ग्रस्त है, जो राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अन्यून पद के किसी चिकित्साधिकारी (Medical Officer) ने उस रोग को असाध्य (incurable) घोषित कर दिया है:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (घ) की दशा में बकाया अदा कर देने पर तुरन्त अनर्हता समाप्त हो जायेगी;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी कर अथवा पानी के मूल्य का बकाया, जो उसे क्षेत्र, जिसको अब नगर अधिसूचित कर दिया गया है, में क्षेत्राधिकारी रखने वाली नगरपालिका परिषद अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी को देय, उसको निगम का बकाया समझा जायेगा।

(ट) राज्य विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या के अधीन अनर्ह हो:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनर्ह नहीं होगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है, यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

(2) तथा (3) निकाला गया।

(4) कोई व्यक्ति सभासद चुन लिये जाने पर सभासद बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह—

(1) स्वयं अथवा किसी ऐसे फर्म के नाम से, जिससे साझीदार है अथवा जिसके साथ वह वृत्तिक हैसियत से लगा हुआ है, किसी ऐसे याद या कार्यवाही से सिलसिले में, जिसमें निगम अथवा मुख्य नगराधिकारी का कोई हित या सम्बन्ध है (interested or concerned), वह वृत्तिक हैसियत (professional capacity) से रोक रखा जाता है अथवा नियोजित किया जाता है; अथवा

(2) बीमारी अथवा निगम द्वारा स्वीकृत अन्य किसी कारण से अनुपस्थिति को छोड़कर निगम के अधिवेशनों में लगातार छः महीने तक अनुपस्थित रहता है।

(6) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिए अनर्ह हुआ न समझा जायेगा कि वह—

(1) कोई पेंशन पाता है;

(2) नगर प्रमुख या उपनगर प्रमुख या सभासद के रूप में काम करते हुए, कोई मत्त या सुविधा पाता है।

(6) उपधारा (1) के खण्ड (ड) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इसलिए अनर्ह हुआ न समझा जायेगा कि उसका निम्नलिखित में कोई हिस्सा या हिस्सा है—

- (1) कोई सम्पत्ति समवाय (Joint Stock Company) अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन पंजीकृत अथवा पंजीकृत सभ्यत्री-मयी कोई समिति, जिससे निगम की ओर से मुख्य नगराधिकारी सविदा करेगा अथवा जिसे वह नियोजित करेगा;
 - (2) निगम के लिए मुख्य नगराधिकारी को बेची जाने वाली किसी ऐसी वस्तु के प्रायिक (occasional) विक्रय में जिसमें वह किसी कलेण्डर वर्ष में कुल मिलाकर ₹ 2000 से अधिक मूल्य का नियमित रूप से व्यापार करता है।
- (7) कोई व्यक्ति जो समासद के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात् इस धारा के अधीन अनर्ह हो जाय, समासद नहीं रह जायेगा और उसका स्थान ऐसी अनर्हता होने के दिनोंक से रिक्त हो जायेगा।
- (ठ) उसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात् हुआ है; या
 - (ड) महिला के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध हुआ है; या
 - (ढ) किसी ऐसे समाचार-पत्र में जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हिस्सा रखता है; या
 - (ण) किसी ऐसी संस्था जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है; या
 - (त) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगरपालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है; या
 - (थ) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के सभ्य या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है; या
 - (द) नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियाँ, विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगरपालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो।

42. मत देने का अधिकार—

- (1) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज नहीं है, उस कक्ष में मत देने का अधिकारी नहीं होगा तथा इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से उपबन्धित दशा को छोड़कर प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में दर्ज है, उस कक्ष में मत देने का अधिकारी होगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति किसी कक्ष के किसी निर्वाचन में मत नहीं दे सकेगा, यदि वह धारा 37 में उल्लिखित अनर्हताओं में से किसी के अधीन है।
- (3) कोई भी व्यक्ति किसी सामान्य निर्वाचन में (निगम) के एक से अधिक कक्षों में मतदान नहीं करेगा और यदि वह उक्त किसी एक से अधिक कक्षों में मतदान करता है तो सभी कक्षों में उसके मत शून्य हो जायेंगे।
- (4) इस बात के होते हुए भी किसी निर्वाचक का नाम किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार दर्ज हो गया है, वह व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा और यदि वह मतदान करता है तो उस कक्ष में उसके सभी मत शून्य हो जायेंगे।
- (5) यदि कोई व्यक्ति कारावास की, निर्वासन की अथवा अन्य किसी प्रकार का दंडाज्ञा के अधीन किसी कारावास में बन्द है अथवा पुलिस की वैध अभिरक्षा (Lawful custody) में है, तो वह मतदान नहीं करेगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में कोई बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जो तत्समय प्रचलित किसी विधि के अन्तर्गत निवारक निरोध (preventive detention) के अधीन हो।

धारा-44 का संशोधन

44. मतदान की रीति—

किसी कक्ष के प्रत्येक निर्वाचन में, जहाँ मतदान लिया जाय, मत गूढ़ शलाका (secret ballot) अथवा वोटिंग मशीन द्वारा दिये जायेंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान (proxy) द्वारा नहीं लिया जावेगा।

45. निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण आदि—

(1) निगम के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सभासदों के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, धारा 39 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) निगम के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सभासदों के निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

मूल अधिनियम की धारा 45 में निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जायेगी—

(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाओं जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिए खण्ड (ग) या (ड) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा—

धारा-44 में एवं नई
उपधारा (3) का बहाल
जाना

- (क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया है? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है?
- (ख) नामांकन भरने से छ. माह पूर्व, क्या अभ्यर्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है, जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है एवं मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो? का विवरण;
- (ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैंक बैलेंस आदि सम्बन्धित पूर्ण सूचनाएँ;
- (घ) उस पर देनदारियों, विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष शक्ति का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण;
- (ङ) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान में मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण;
- (च) वह विवाहित अथवा अविवाहित;
- (छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय विवरण;
- (ज) उसकी आयकर तथा भूमि-भवनकर, प्रक्षेपकर/रुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण; और
- (झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल नियमावली सहायी ज्ञापन:

अतएव, अब उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 39 के साथ प्रतिष्ठित 1959 के उक्त अधिनियम की धारा 540 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:—

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन और प्रारम्भ— (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण नियमावली, 1994) कही जायेगी।
- (2) यह उत्तर प्रदेश में समस्त नगर निगमों पर लागू होगी।
- (3) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषायें—इस नियमावली में,—

- (क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से है;
- (ख) "1950 का अधिनियम" का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है;
- (ग) "विधान सभा" का तात्पर्य राज्य विधान सभा से है;
- (घ) "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" का तात्पर्य राज्य में अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावली के तैयार करने और पुनरीक्षण के पर्यवेक्षण के लिये अधिनियम की धारा 39 के अधीन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानिय निकाय) से है;
- (ङ) "आयोग" का तात्पर्य निर्वाचन आयोग से है;
- (च) "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" का तात्पर्य निगम में किसी याई की निर्वाचक नामावली को तैयार करने उसको प्रकाशित और पुनरीक्षण करने के लिये आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट अधिकारी से है;
- (छ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्रों से है;
- (ज) "नामावली" का तात्पर्य निर्वाचक नामावली से है।

3. नगरपालिका द्वारा व्यय का वहन कि जायगा—किसी नगर निगम क्षेत्र में नामावली तैयार, प्रकाशित और पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में उपगत व्यय राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट के सिवाय संबंधित नगर निगम पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी गयी रीति से और उस सीमा तक भरित होंगे और उससे बसूली योग्य होंगे।

4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आयोग द्वारा इस निमित्त किये गये किसी निर्बंधन के अधीन रहते हुए, वार्ड के लिये निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षण करने के लिये ऐसे व्यक्तियों को, जैसे वह उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है।

1. अभिसूचना सं० 3796ए-9-71994 दिनांक 14-11-1994 जो कि उ० प्र० सरकारी गजट असाधारण भाग-4 (ख) दिनांक 14-11-94 को प्रकाशित हुआ।

नामावली का तैयार किया जाना और प्रकाशन

5. नामावली का प्रारूप और भाषा—किसी वार्ड की नामावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में उस रूप में तैयार की जायेगी जिसमें नामावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये 1950 के अधिनियम के अधीन तैयार की जाती है।

6. नामावली का तैयार किया जाना—(1) आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन ही हुए किसी निगम में प्रत्येक वार्ड के लिये नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, 1950 के अधिनियम के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली को, जहाँ तक सका संबंध उस वार्ड के क्षेत्र से हो, अंगीकार करते हुए तैयार की जायेगी;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे वार्ड के लिए नामावली में ऐसे वार्ड के निर्वाचन के लिए नम, निर्देशन कानून के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और ऐसे निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व कोई परिवर्तन संशोधन या सुद्धि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और अपना मुहर लगायेगा।

7. नामावली के आलेख का प्रकाशन—(1) जैसे ही किसी वार्ड के लिये नामावली तैयार हो जाये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसके आलेख को नगर निगम के कार्यालय पर चिपका कर और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराके प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वार्ड के क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन वाले किसी हिन्दी दैनिक अक्षर पत्र में प्रकाशित करके इस तथ्य को अधिसूचित करेगा कि वार्ड के लिये नामावली प्रकाशित कर दी गयी है और उसकी प्रति का निःशुल्क निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान नगर निगम कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट नामावली की प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिये कार्यालय समय के अन्तर्गत उपनियम (1) के अधीन इसके प्रकाशन के दिनांक से सात दिन की अवधि तक उपलब्ध कराई जाएगी।

8. वार्ड की नामावली में नामों को सम्मिलित किये जाने के दायरे—कोई व्यक्ति—

- (क) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित हो किन्तु वार्ड की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है, या
- (ख) जिसका नाम भ्रष्टाचारी से किसी अन्य वार्ड की नामावली में सम्मिलित कर लिया गया है, या
- (ग) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में या वार्ड की नामावली में सम्मिलित नहीं किया गया है किन्तु जो उक्त वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह है, या
- (घ) जिसका नाम किसी अनर्हता के कारण वार्ड की नामावली से काट दिया गया है किन्तु जो यह दावा करता है कि उसकी अनर्हता को अब दूर हो गई है अपना नाम वार्ड की नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन के दिनांक से सात दिन के पश्चात् दिये गये आवेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट के सिवाय, विचार नहीं किया जायेगा:

अगर प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् इस नियम के अधीन किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. वार्ड की नामावली में प्रविष्टियों पर आपत्तियाँ—कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी वार्ड की नामावली में अंकित है, और—

- (क) जो ऐसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में अपने बारे में किसी ब्यक्ति पर आपत्ति करना चाहता हो और उसकी शुद्धि चाहता हो, या
- (ख) जो वार्ड की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि वार्ड के क्षेत्र से सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है, या
- (ग) जो वार्ड की नामावली में किसी नाम को रखने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि प्रसंगत व्यक्ति वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अधिनियम की धारा 37 के अधीन अर्ह नहीं हो गया है, नियम 7 के उप-नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशित होने के दिनांक से सात दिन के भीतर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रविष्टि के ब्यक्ति की शुद्धि के लिये या नाम को हटा देने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है :

आपत्ति
वैयक्तिक
आपत्ति
की
अ
वृ
र

10. दावों और आपत्तियों के सम्बन्ध में ब्यक्ति—(1) नियम 8 के अधीन प्रत्येक दावा या आवेदन प्रपत्र 1-क में होगा जिसे यथास्थिति, दावेदार या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही वार्ड की नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसमें दावेदार अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक है और उसे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त पदाभिहित करे, प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उक्त दावे में जहाँ आवश्यक हो, अर्हताओं सहित वे आधार जिन पर नाम को सम्मिलित किये जाने की माँग की गई है, दिये जायेंगे।

(3) नियम 9 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र 1-ख में होगी और उसे उप-नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जायेगा; नियम 9 के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन प्रत्येक आपत्ति, यथास्थिति क्रमशः प्रपत्र 1-ग या 1-घ में होगी और उसे उप-नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रपत्र 1-ग या 1-घ में आपत्ति दो प्रतियों में दी जायेगी, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी, जिसके विरुद्ध आपत्ति की जाय।

(4) आपत्ति में उस व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में वह आपत्ति है, या ब्यक्तियों को जिनकी शुद्धि चाही गई है, नामावली में दर्ज सभी ब्यक्ति और उन आधारों को, जिन पर आपत्ति की गई है, उल्लिखित किया जायेगा।

11. पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रक्रिया—नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन पदाभिहित प्रत्येक अधिकारी नियम 8 और 9 में निर्दिष्ट आवेदन पत्रों की एक सूची रखेगा और आवेदन-पत्रों को ऐसी अभ्युक्तियों के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

12. कतिपय दावों और आपत्तियों का अस्वीकृत किया जाना—नियम 8 या 9 के अधीन कोई आवेदन-पत्र जो इस नियमावली में विहित समय के भीतर या प्रपत्र में या रीति में न दिया गया हो, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

13. नोटिस और उसकी तामिली—(1) उन मामलों के सिवाय, जिनमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति की ग्राह्यता से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसका दावा या आपत्ति प्राप्त की गयी हो या दावा या आपत्ति प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ताओं पर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है, प्रपत्र-1 में एक नोटिस तामिल की जायेगी, जिसमें वह स्थान व समय विनिर्दिष्ट होगा जहाँ और जब दावे या आपत्ति की सुनवाई की जायेगी और उसे या उसके अधिकार को ऐसे साक्ष्य के साथ यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो, उपस्थित होने का निर्देश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करने के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति दी जायेगी।

(3) उपनिबन्ध (1) के अधीन नोटिस, यदि सम्भव हो वैयक्तिक रूप में तामील की जायेगी और वैयक्तिक रूप से तामील न होने पर वार्ड के भीतर सम्बन्धित व्यक्ति के निवास स्थान पर या अन्तिम ज्ञान निवास स्थान पर उसकी एक प्रति चिपकाकर तामील की जायेगी।

(4) वैयक्तिक या अन्यथा तामिली का प्रमाण-पत्र ऐसी तामिली के तथ्य का निश्चायक प्रमाण-पत्र समझा जायेगा।

14. दावे और आपत्तियाँ—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे या आपत्ति की, जिसके सम्बन्ध में नोटिस दी गई हो संक्षिप्त जाँच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अधिलिखित करेगा और अपने विनिश्चय के अनुसार वार्ड की नामावली में कोई वृद्धि, शुद्धि या लोप का आदेश देगा और ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप तदनुसार किया जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड में निर्वाचन के लिये नाम-निर्देशन किये जाने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति के पूर्व ऐसी कोई वृद्धि, शुद्धि या लोप नहीं किया जायेगा:

(2) सुनवाई में उस व्यक्ति को जिसे ऐसी नोटिस जारी की गयी हो और किसी अन्य व्यक्ति को, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसकी सहायता कर सकता है, उपस्थित होने और सुने जाने का हकदार होगा।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विवेकानुसार—

(क) किसी व्यक्ति से जिसे ऐसी नोटिस जारी की गई है, अपने समक्ष स्वयं उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है,

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा शपथ पर साक्ष्य देने की अपेक्षा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये शपथ दिला सकता है,

टिप्पणी—जाँच के प्रयोजनों के लिये नियम 7 के अधीन प्रकाशित नामावली को शुद्ध माना जायेगा।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपच-2 में दावों और आपत्तियों की एक सूची रखी जायेगी।

15. वार्ड के लिये नामावली का अन्तिम प्रकाशन—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तदुपश्चात् नियम 14 के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ उसका प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों की सूची के साथ पठित नामावली, वार्ड की निर्वाचक नामावली होगी।

16. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा संशोधन—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समय-समय पर अनुपालन करेगा। अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं को।

(2) आयोग के किसी निदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय नामावली में किसी लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि को शुद्ध करने और दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तदनुसार ऐसी शुद्धि या निकालने की कार्यवाही की जायेगी।

17. संशोधनों आदि को किस प्रकार किया जायेगा—अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन किसी वार्ड की नामावली में शुद्धि उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से 1950 के अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों में शुद्धियाँ की जाती हैं।

(2) भवदान के लिए अनर्ह व्यक्तियों के नामों का काटा जाना और अधिनियम की धारा 37 के अधीन ऐसी अनर्हता समाप्त होने के पश्चात् ऐसे नामों का पुनः स्थापन यथा सम्भव उस रीति से किया जायेगा जो 1950 के अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन नामों को काटने और पुनः स्थापन के लिये विहित किया जाय।

(3) नियम 14 और नियम 16 के उप-नियम (2) के अधीन आदेशित संशोधनों को इस निमित्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के किसी सामान्य निदेश के अधीन रहते हुए वार्ड की नामावली और संशोधनों की सूची यदि कोई हो, जो उनके नामावली का भाग हो, में किया जायेगा।

(4) यदि नियम 8 के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह उस व्यक्ति का नाम अन्य वार्ड की नामावली से तत्काल हटा देगा या हटवा देगा।

18. वार्डों की पुनः परिसीमन पर नामावली की तैयारी के लिए विशेष उपबन्ध—यदि विधि के अनुसार किसी वार्ड को नवीन परिसीमन किया जाये, और यदि ऐसे वार्ड की नामावली तैयार किए जाने की आवश्यकता होती है, तो मुख्य निर्वाचक अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि उसे निम्नलिखित प्रकार से तैयार किया जायेगा—

- (क) ऐसे वर्तमान वार्डों या उनके भागों को जो नये वार्ड के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट हों, की नामावलियों को मिलाकर और
- (ख) इस प्रकार पूरी की गयी नामावली की व्यवस्था क्रम-संख्या और सीर्यों में समुचित परिवर्तन करके।

(2) इस प्रकार तैयार की गई नामावली को नियम 7 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जाएगा और ऐसे प्रकाशन पर वह नये वार्ड की नामावली होगी।

19. वार्डों की नामावली का पुनरीक्षण—(1) किसी वार्ड की नामावली अधिनियम की धारा 40 के अधीन या तो विस्तारपूर्वक या संक्षिप्ततः या अंशतः विस्तारपूर्वक और अंशतः या संक्षिप्ततः जैसा आयोग निर्दिष्ट करे, पुनरीक्षण की जायेगी।

(2) जहाँ किसी वर्ष में ऐसी नामावली विस्तारपूर्वक पुनरीक्षण की जानी हो वहाँ वह नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 16 तक उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(3) जहाँ किसी वर्ष में, ऐसी नामावली संक्षिप्ततः पुनरीक्षण की जानी हो वहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसे सूचना के आधार पर जो सुगमता से उपबन्ध हो, नामावली के सुसंगत भाग के लिये संशोधनों को एक सूची तैयार करवायेगा और संशोधनों की सूची के साथ नामावली के आलेख को प्रकाशित करवायेगा और नियम 8 से 16 तक के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

(4) जब उपनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के उद्देश्य के या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची को प्रकाशन और उपर्युक्त उपनियम (2) या (3) के साथ प्रति नियम 15 के अधीन उनके अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी वार्ड की नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निदेश दिया जाय, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जब तक उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने में कोई विधिमन्य आपत्ति न हो, वार्ड की पुनरीक्षित नामावली में उक्त नामों को सम्मिलित करवायेगा।

20. आदेशों के विरुद्ध अपील—(1) नियम 13, 14 या 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिरन्ध के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ अपील करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने उस मामले पर, जो अपील की विषयवस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसकी अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का लाभ नहीं उठाया है, वहाँ अपील नहीं की जा सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील—

- (क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी,
- (ख) किनिश्चय के दिनांक से सात दिन के भीता अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी,

(ग) अदेश की प्रति जिसके विरुद्ध की जाय और पाँच रुपये शुल्क के साथ, जो—

(एक) न्यायिकेतर स्टाम्प द्वारा, या

(दो) राजकीय कोषागार में जमा करके और ऐसी जमा की रसीद संलग्न करके, या

(तीन) ऐसी अन्य रीति से जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाय, प्रस्तुत की जायेगी।

(3) इस नियम के अधीन केवल अपील प्रस्तुत किए जाने का यह प्रभाव न होगा कि कोई ऐसा कार्य रोक दिया जाए या स्थगित कर दिया जाए जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियम 15 के अधीन किया जाता है।

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु जहाँ तक वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय को उलटता है या उपन्वित करता है वहाँ तक वह अपील में विनिश्चय के दिमाक से ही प्रभावी होगा।

(5) पूर्ववर्ती उपनियमों के अधीन रहते हुये, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करवायेगा जैसे इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चय को प्रभावी करने के लिये आवश्यक हो।

21. नामावलियों की अवधि—नियम-6 के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी किसी वार्ड की नामावली नियम 15 के अधीन उसके प्रकाशित होने पर और नियम 16, 18 और 19 के अधीन उसके किये गये संशोधनों, पुनरीक्षणों आदि के अधीन रहते हुए गुरान रहेगी जब तक वार्ड के लिए तत्परचात तैयार की गयी नामावली प्रवृत्त न हो जाय।

22. नामावली आदि की अभिरक्षा और परीक्षण—(1), नियम 8 के अधीन किये गये सभी दावे और नियम 9 के अधीन की गयी सभी आपत्तियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर अभिलिखित निश्चयों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय वार्ड की नामावली के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गई नामावली के प्रवृत्त होने तक, जो भी पहले हो, रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड की नामावली के अतिरिक्त उसकी प्रतियाँ उसी संख्या में शहरी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और नगर निगम के कार्यालय में रखी जायेगी इन प्रक्रियाओं को मूल नामावली के किये गये संशोधनों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जायेगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रतियों को जमा करने के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधि-प्रमाणित किया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को उपनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट निर्वाचन-पत्रों का निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणित प्रतियाँ ऐसी फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का अधिकार होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(5) प्रत्येक वार्ड को निर्वाचक नामावली की मुद्रित प्रतियाँ वार्ड की अगली नामावली के प्रकाशन तक जनता को विक्रय के लिए ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) किसी वार्ड की नामावली के प्रकाशन पर नवी नामावली के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त नामावली को उसने वर्ष के लिए जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संबंधित नगर निगम के अधिलेखों में जमा रखा जायेगा।

प्रपत्र—1
नोटिस
(नियम 13 देखिये)

सेवा में,

दावेदार/दावेदार का अधिकारी
अपतिकर्ता/आपतिकर्ता का अधिकारी

विरोधी पक्षकार

नोटिस दी जाती है कि नगर निगम के वार्ड.....की नामावली के सम्बन्ध में, आपके द्वारा आपके नाम को सम्मिलित किये जाने के लिये प्रस्तुत दावे/आपति की सुनवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष दिनांक.....की.....स्थान (समय) पर होगी, आपको निदेश दिया जाता है कि आप सुनवाई के समय, ऐसे साक्ष्य के साथ जिसे आप प्रस्तुत करना चाहें, उपस्थित हों।

* निर्वाचक नामावली में आपका नाम सम्मिलित किये जाने पर जो आपति की गई है उसकी एक प्रति साथ में भेजी जाती है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

नोटिस मिली

* आपति की प्रति प्राप्त हुई

जिस व्यक्ति पर नोटिस तामील की जायेगी उसके हस्ताक्षर

* यदि नोटिस दावेदार या अपतिकर्ता या इनमें से किसी के अधिकार पर तामील की जाय, तो इसे काट दिया जाये।

तामिल करने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट.....

(नियम 8 और 18 देखिए)

नाम सम्मिलित किये जाने के लिए दावा/आवेदन-पत्र

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

वार्ड

में प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम उपर्युक्त वार्ड के भूगण संख्या में सम्मिलित किया जाए।

मेरे सम्बन्धित निर्वाचक नामावली

मेरा नाम (पूरा).....

मेरे पिता/भ्राता/पति का नाम.....

मेरे निवास स्थान का ब्यौरा निम्नलिखित है—

भकान संख्या.....

धार्ग/मुहल्ला.....

वार्ड.....

नगर.....

मैं एतद् द्वारा अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ कि—

(एक) मैं भारत का नागरिक हूँ.....

(दो) मेरी आयु गत पहली जनवरी को..... वर्ष और..... मास थी।

(तीन) मैं ऊपर दिये गये पते पर मामूली तौर से निवासी हूँ।

(चार) मैंने किसी अन्य वार्ड की नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन नहीं किया है।

(पाँच) मेरा नाम इस या किसी अन्य वार्ड की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं है।

मेरा नाम..... वार्ड की निर्वाचक नामावली में भीचे उल्लिखित पते के अधीन सम्मिलित किया गया होगा और यदि ऐसा ही है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसको उक्त निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाये।

स्थान.....

दिनांक.....

दावेदार के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

मैं निर्वाचक नामावली के उस भाग में सम्मिलित एक निवासी हूँ जिसमें दावेदार ने अपना नाम सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन किया है अर्थात्..... से सम्बन्धित भाग

संख्या..... जिसमें मेरी क्रम-संख्या..... है। मैं इस दावे का समर्थन

करता हूँ और इस पर प्रविहस्तकरण करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

प्रपत्र 1-रख

(नियम 9 और 10 देखिये)।

किसी प्रविष्टि में दिये गये ब्यौरे पर आपत्ति

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

..... वार्ड

महोदय,

मैं निवेदन करता हूँ कि मुझसे संबंधित प्रविष्टि जो वार्ड संख्या..... की नामावली

के भाग..... में क्रम-संख्या..... पर..... इस

रूप में है, शुद्ध नहीं है। इसे हट्ट किया जाय जिससे ब्यौरे निम्न प्रकार से पढ़े जायें—

.....

.....

स्थान.....

दिनांक.....

निर्वाचक का हस्ताक्षर या

अंगूठे का निशान

प्रपत्र 1-ग

(नियम 9 और 10 देखिये)

नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

वार्ड

महोदय,

वार्ड संख्या.....की नामावली के भाग.....में क्रम-संख्या.....पर श्री.....के नाम को सम्मिलित किये जाने पर निम्नलिखित कारण/कारणों से आपत्ति करता हूँ—

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

इस वार्ड के लिये नामावली में मेरा नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है:—

पूरा नाम.....

पिता/पति/माता का नाम.....

क्रम-संख्या.....

भाग संख्या.....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/

अंगूठे का निशान

ढांक का पता.....

दिनांक 19.....

मैं वार्ड संख्या.....की नामावली के उसी भाग में सम्मिलित एक निर्वाचक हूँ जिसमें आपत्तिजनक नाम विद्यमान है वह नाम—

अर्थात्.....से सम्बन्धित.....भाग संख्या.....

जिसमें मेरी क्रम-संख्या..... है। मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूँ और इस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

प्रपत्र 1-घ
(नियम 9 और 10 देखिये)
नाम के रखने पर आपत्ति

सेवा में,
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
..... वार्ड

महोदय,
वार्ड संख्या..... की नामावली के भाग..... में
क्रम-संख्या..... के नाम को रखने पर मैं इस आधार पर
अपत्ति करता हूँ कि वह अधिनियम की धारा 12-घ के अधीन उस वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के
लिये निम्नलिखित कारण/कारणों से अनाहू हो गया है:-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य
है। उस वार्ड के लिये नामावली में यही नाम निम्न प्रकार से सम्मिलित किया गया है:

पूरा नाम.....
पिता/पति/माता का नाम.....
क्रम-संख्या.....
भाग संख्या.....

आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

टाक का पता.....

दिनांक.....
मैं घोषणा करता हूँ कि मैं वार्ड संख्या..... की नामावली के भाग संख्या.....
में क्रम-संख्या..... पर नामांकित किया गया एक निर्वाचक हूँ।
मैं इस आपत्ति का समर्थन करता हूँ और उस पर प्रतिहस्ताक्षर करता हूँ।

निर्वाचक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

दिनांक.....

[नियम 14 (4) देखिये]
दायों और आपत्तियों की सूची के लिये प्रपत्र

नगर निगम.....
वार्ड.....

दायों और आपत्तियों की सूची

दाय/आपत्ति की क्रम-संख्या	प्रस्तुत करने का दिनांक	दायदार/आपत्तिकर्ता का नाम	विनिश्चय का दिनांक	परिणाम
1	2	3	4	5

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 उत्तरखण्ड में
यथाप्रवृत्त एवं संशोधित के महत्वपूर्ण प्राविधानों का
उद्धरण

13-ख. निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण इत्यादि-

- (1) नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग करेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए उपधारा 12(ख) की उपधारा (2-क) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) नगरपालिकाओं के सामान्य निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।
- (3) राज्य निर्वाचन आयोग, सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में, निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाएँ जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिए खण्ड (ग) तथा (ड) की सूचनाओं को छोड़कर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा:-
 - (क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामले में दोषी पाया गया है? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ है? या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है?
 - (ख) नामांकन करने से छः माह पूर्व क्या अन्वर्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है, जिसमें दो वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है एवं मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो? का विवरण;

- (ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियों, बैंक बैलेंस आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचनाएँ;
- (घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण;
- (ङ) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण;
- (च) वह विवाहित अथवा अविवाहित;
- (छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण;
- (ज) उसकी आयकर तथा भूमि-भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण; और
- (झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण।

13-ग. सदस्यता के लिए अर्हताएँ—

कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिए अर्ह नहीं होगा, जब तक कि—

- (क) वह नगरपालिका में किसी कस के लिए निर्वाचक न हो;
- (ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, वह यथास्थिति, उक्त श्रेणी का व्यक्ति न हो;
- (ग) उसने 29 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो;
- (घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिए अभ्यर्थी न हो।

13-घ. सदस्यता के लिए अनर्हताएँ—

कोई भी व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि वह अन्यथा अर्ह है, किसी नगरपालिका का सदस्य निर्वाचित चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि—

- (क) वह किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई पदव्युत सेवक हो और उसके अधीन पुनः सेवायोजन के लिए विवर्जित किया गया हो; या

- (कक) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किया हो और घुसट्याचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, जब तक कि उसकी पदच्युत से छः वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो, या
- (ख) वह किसी प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि-व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विवर्जित किया गया हो, या
- (ग) वह नगरपालिका दान के स्वरूप या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद धारण करता हो, या
- (घ) वह धारा 27 या 41 के अधीन अनर्ह हो, या
- (ङ) उसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात् हुआ है, या
- (च) वह राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, या जिला सरकारी काउन्सेल या अपर सहायक जिला सरकारी काउन्सेल या अवैतनिक मजिस्ट्रेट या अवैतनिक मुन्सिफ या कोई अवैतनिक सहायक कलेक्टर हो, या
- (छ) उस पर एक वर्ष से अधिक की माँग के नगरपालिका कर या अन्य देयों का, जिन पर धारा 166 लागू होती है, भुगतान बकाया हो, या
- (ज) महिला के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है, या
- (झ) वह अनुमोचित दिवालिया हो, या
- (झझ) वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171-ङ के अधीन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध अथवा धारा 171-च के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, या

धारा-133 का
संशोधन अध्यादेश
संख्या 225,
दिनांक 02.07.2002
व अधिनियम
अधिसूचना संख्या
456 दिनांक
21.12.2002

(अ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 या उत्तर प्रदेश आपूर्ति नियंत्रण (अस्थायी शक्ति) अधिनियम, 1947 जैसा कि उत्तर प्रदेश आपूर्ति नियंत्रण (अस्थायी शक्ति) अधिनियम, 1953 द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया या खाद्य अपभ्रंश निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिये या किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसे राज्य सरकार ने यह घोषित किया हो कि उससे ऐसी नैतिक अधमता अन्तर्बलित है, जिससे वह सदस्य होने के लिये अयोग्य कर दिया गया हो, कारावास का दण्डादेश दिया गया हो या उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1873 की धारा 109 या 110 के अधीन की गई कार्यवाहियों के फलस्वरूप सदाचार के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो और ऐसा दण्डादेश बाद में परिवर्तित न कर दिया गया हो;

परन्तु (क) और (ख) की दशा में उक्त अनर्हता राज्य सरकार के इस निमित्त दिये गये आदेश द्वारा दूर की जा सकती है।

परन्तु यह और कि (छ) की दशा में बकाया मुग्तान करने पर यथाशीघ्र अनर्हता समाप्त हो जायेगी।

परन्तु यह और भी कि (अ) की दशा में—

- (1) यथास्थिति उसके कारावास से निर्मुक्त होने के दिनांक से पाँच वर्ष की समाप्ति पर या उस अवधि, जिसके लिए उससे सदाचार बनाये रखने के लिये बन्ध-पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई हो, की समाप्ति के दिनांक से अनर्हता नहीं रह जायेगी; और
- (2) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अनर्हता के दिनांक को नगरपालिका का सदस्य हो, अनर्हता तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि ऐसी अनर्हता के दिनांक से तीन मास तक

न बीत जाये हों, या यदि उक्त तीन मास के भीतर सिद्ध दोष उठराने का आदेश के सम्बन्ध में पुनरीक्षण के लिए कोई अपील या याचिका प्रस्तुत की गई हो तो जब ऐसी अपील या विस्तारण न कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण—खण्ड (घ) के अर्थ में कोई सरकारी कोषाध्यक्ष राज्य या केन्द्रीय सरकार की सेवा में नहीं समझा जावेगा।

(द) वह राज्य के विधान मण्डल के निर्वाचनों के लिये तत्समया प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया जाता है—

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इस आधार पर अनर्ह नहीं किया जावेगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है।

(ड) किसी ऐसे समाचार-पत्र में, जिसमें नगरपालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश या हित रखता है; या

(ड) किसी ऐसी संस्था, जो नगरपालिका से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, का वित्तिक कर्मचारी है; या

(ड) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगरपालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पट्टरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है; या

(ण) नगरपालिका के किसी भी कर्मचारी सर्वज या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है; या

(त) नगरपालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियाँ, विनियम, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगरपालिका के हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो।

13-ड. मत देने का अधिकार-

- (1) कोई व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट न हो, उस कक्ष में मत देने का हकदार न होगा और जैसा कि इस अधिनियम में स्पष्टतः उपबन्धित है, उसके सिवाय प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट हो, उस कक्ष में मत देने का हकदार होगा।
- (2) कोई व्यक्ति, किसी कक्ष में निर्वाचन में मत नहीं देगा, यदि वह धारा 12-घ में निर्दिष्ट किसी अनर्हता के अधीन है।
- (3) कोई व्यक्ति, किसी साधारण निर्वाचन में एक से अधिक कक्षाओं में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसे एक से अधिक कक्षाओं में मत देता है तो ऐसे सभी कक्षाओं में उसके दिये हुए मत शून्य हो जायेंगे।
- (4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही कक्ष में एक से अधिक बार मत नहीं देगा बल्कि ही उस कक्ष की निर्वाचक नामावली में उसका नाम एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किया गया हो और यदि वह इस प्रकार मत देता है तो उस कक्ष में उसके दिये हुए सभी मत शून्य हो जायेंगे।
- (5) कोई व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा, यदि वह कारागार में, चाहे कारावास के या निर्वासन के दण्डादेश के अधीन या अन्य प्रकार से परिरुद्ध हो, या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में हो।

परन्तु उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू न होगी, जिसको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध किया गया हो।

13-च. मतदान की रीति-

किसी वार्ड के प्रत्येक निर्वाचन में जहाँ मतदान लिया जाय, मत गूढ़ शलाका या बोटिंग मशीन द्वारा दिये जायेंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा नहीं लिया जायेगा।

43. अध्यक्ष का निर्वाचन-

- (1) अध्यक्ष नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचक द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जावेगा।
- (2) बहिर्गामी अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।
- (3) किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन और निर्वाचन अपराध के सम्बन्धित विवाद भी हैं), इस अधिनियम के उपबन्ध और तदधीन बनाये गये नियम अध्यक्ष को निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
- (4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति, नगरपालिका के सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाये, या नगरपालिका सदस्य होते हुए किसी उप निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित हो जाये, तो वह धारा 49 में यथा उपबन्धित के सिवाय, अध्यक्ष निर्वाचित होने के दिनोंक से सदस्य न रह जायेगा।

43-क.

भिन्न-भिन्न स्थानीय प्राधिकारियों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद एक साथ धारण करने के सम्बन्ध में रोक-

कोई व्यक्ति नगरपालिका और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी दोनों का एक ही समय में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न होगा।

परन्तु यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के किसी ऐसे या इसी तरह के किसी पद पर निर्वाचित हो जाय तो वह अपने विकल्प से एक स्थानीय प्राधिकारी के पदधारणकर्ता रहेगा और अन्य प्राधिकारियों में विहित अवधि के भीतर, त्याग-पत्र दे देगा।

43-कक अध्यक्ष पद के लिए अर्हताएँ-

- (1) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का अध्यक्ष चुने जाने के लिए अर्ह न होगा, तब तक कि वह-
 - (क) सम्बन्धित नगरपालिका क्षेत्र में किसी कक्ष का निर्वाचक न हो; और

(ख) अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किये जाने के लिये उम्मीदवार के रूप में अपने नाम-निर्देशन के दिनांक को तीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

(2) कोई भी व्यक्ति महासचालिका का अध्यक्ष चुने जाने या होने के लिये अनर्ह होगा यदि वह—

(क) धारा 13 के घ के [खण्ड (क) से (त) तक में उल्लिखित] किसी अनर्हता के कारण अनर्ह हो या हो गया हो और ऐसी अनर्हता उक्त धारा के अधीन न हो तो समाप्त हुई हो और न हटाई गई हो।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया
जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994

अधिसूचना

शुद्धि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियों विद्यमान हो जिनके कारण उसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल नियम बनाये जायें।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (3) और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका, अधिनियम, 1916 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1 सन् 1916) की धारा 12-ख की उपधारा (2) के साथ पठित 1916 के उक्त अधिनियम की धारा 296 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हो, अर्थात्—

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 कही जायेगी,

(2) यह उत्तर प्रदेश में सम्बन्ध नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ—इस नियमावली में—

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका, अधिनियम, 1916 से है;

(ख) '1950 का अधिनियम' का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है;

(ग) 'विधानसभा' का तात्पर्य राज्य विधान सभा से है;

(घ) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जिसे आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से राज्य में निर्वाचन नामावली के तैयार किये जाने, पुनरीक्षण और पर्यवेक्षण के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के रूप में पदाभिहित किया गया हो;

(ङ) 'आयोग' का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग से है;

(च) 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य राज्य सरकार के किसी अधिकारी से है जिसे आयोग, ने राज्य सरकार के परामर्श से, जिले में वार्ड की निर्वाचक नामावली को तैयार करने, पुनरीक्षण और प्रकाशन के लिये नाम निर्दिष्ट या पदाभिहित किया हो;

(छ) 'आकार पत्र' का तात्पर्य इस नियमावली से संसम्ब आकार पत्रों से है;

(ज) 'नामावली' का तात्पर्य निर्वाचक नामावली से है

3. नगरपालिका द्वारा व्यव का वहन किया जाना—किसी नगरपालिका क्षेत्र में नामावली के तैयार किये जाने और पुरीक्षण के संबंध में उपगत व्यव, राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय नगरपालिका—पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी गयी रीति से और उस सीमा तक शक्ति होंगे और उसे यत्नीय होंगे

4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की सहायता—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आयोग द्वारा इस निमित्त किये गये किसी निर्बंधन के अधीन रहते हुए, वार्ड के लिये निर्वाचक नामावली के तैयार किये जाने और पुनरीक्षण के लिये व्यक्तियों को जैसा वह उचित समझे, सेवायोजित कर सकता है

5. नामावली का स्वरूप और भाषा—किसी वार्ड की नामावली हिन्दी में देवनागरी लिपि में उस प्रपत्र में जिसमें नामावली विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र के लिये 1950 के अधिनियम के अधीन तैयार की जाती है, तैयार की जायेगी।

6. नामावली का तैयार किया जाना—(1) आयोग के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रत्येक वार्ड के लिए प्रथम नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, 1950 के अधिनियम के अधीन उक्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिये तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली को, जहां तक उसका संबंध उक्त वार्ड के क्षेत्र से हो, अंगीकार करते हुए तैयार की जायेगी—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे बोर्ड के लिये नामावली में ऐसे वार्ड के निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन करने के लिये अन्तिम दिनांक के पश्चात् और ऐसे निर्वाचन के पूरे हो जाने के पूर्व कोई परिवर्तन, संशोधन या शुद्धि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर अपनी मुहर लगायेगा।

7. नामावली का प्रारूप में प्रकाशन—(1) किसी वार्ड के लिये नामावली के तैयार हो जाने पर कृपाशील निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसकी एक प्रति प्रारूप में नगरपालिका के कार्यालय पर चिपका कर और उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध कराकर प्रकाशित करेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी वार्ड के क्षेत्र में पर्याप्त परिचालन वाले किसी हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित करके इस तथ्य को अधिसूचित करेगा कि वार्ड के लिये नामावली प्रकाशित कर दी गयी है और उसकी प्रति का निःशुल्क निरीक्षण कार्यालय समय के दौरान नगरपालिका कार्यालय में किया जा सकता है।

(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट नामावली की प्रति निःशुल्क निरीक्षण के लिये कार्यालय समय के दौरान प्रकाशन के दिनांक से सात दिन की अवधि तक उपलब्ध रहेगी—

नामावली का पुनरीक्षण

8. किसी वार्ड की नामावली में नामों को सम्मिलित किये जाने के दावे—कोई व्यक्ति

- (क) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित हो किन्तु वार्ड की नामावली में सम्मिलित न किया गया हो, या
- (ख) जिसका नाम गतली से किसी अन्य वार्ड की नामावली में सम्मिलित कर दिया गया हो, या
- (ग) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में या वार्ड की नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अन्यथा अर्ह हो, या
- (घ) जिसका नाम किसी अनर्हता के कारण वार्ड की नामावली से काट दिया गया हो, किन्तु जो यह दावा करे कि उसकी अनर्हता को अब दूर कर दिया गया है, अपना नाम वार्ड की नामावली में सम्मिलित कराने के लिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन दे सकता है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि आवेदन पर नियम-7 के उप-नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन होने की दिनांक से सात दिन के पश्चात् मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अन्यथा निर्देशित के सिवाय, विचार नहीं किया जायेगा—

किन्तु अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन की अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् इस नियम के अधीन किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. वार्ड की नामावली में प्रविष्टियों पर आपत्तियाँ—कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी वार्ड की नामावली में अंकित है, और—

- (क) जो ऐसी प्रविष्टि के संबंध में किसी व्यौरे पर आपत्ति करना चाहता हो और उसकी शुद्धि चाहता हो, या
- (ख) जो वार्ड की नामावली में किसी अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि वार्ड से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित नहीं है, या
- (ग) जो वार्ड की नामावली में किसी नाम को रखने पर इस आधार पर आपत्ति करे कि प्रस्तुत व्यक्ति वार्ड की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अधिनियम की धारा 12-घ के अधीन अनर्ह हो गया है,

नियम-7 के उप नियम (1) के अधीन वार्ड की नामावली के प्रकाशन होने के दिनांक से सात दिन के भीतर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रविष्टि के व्यौरे की शुद्धि के लिये या नाम को हटा देने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है—

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड के लिये सदस्य के निर्वाचन जो अपेक्षा करने की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात् किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. दावों और आपत्तियों के सम्बन्ध में व्यौरे—(1) नियम-8 के अधीन प्रत्येक दावा या आवेदन प्रपत्र 1-क में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे यथास्थिति, दावेदार या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और ऐसे एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा जिसका नाम पहले से ही वार्ड की नामावली के उस भाग में सम्मिलित हो जिसमें दावेदार अपना नाम सम्मिलित कराने का इच्छुक है और उसे निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस निमित्त पदाभिहित, प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) उक्त दावे में जहां आवश्यक हो, अर्हताओं सहित वे आधार, जिन पर नाम को सम्मिलित किये जाने की मांग की गई है, दिए जायेंगे

(3) नियम 9 के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक आपत्ति प्रपत्र-1-ख में की जायेगी और उसे उप-नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित किया जायेगा। नियम 9 के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन प्रत्येक आपत्ति यथास्थिति आकार

पत्र 1-ग या 1-घ में की जायेगी और उसे उप-नियम (1) के अनुसार हस्ताक्षरित, प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

प्रपत्र 1-ग या 1-घ में आपत्ति दो प्रतियों में की जायेगी, जिसकी एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जायेगी जिसके विरुद्ध आपत्ति की जाये।

(4) आपत्ति में उस व्यक्ति में जिसका नाम सम्मिलित किए जाने का उससे संबंध है या व्यौरों को, जिसकी शुद्धि चाही गई है, नामावली में दर्ज सभी व्यौरों और उन आधारों को, जिस पर आपत्ति की गई है, उल्लिखित किया जायेगा।

11. पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रक्रिया-नियम 10 के उपनियम (1) के अधीन पदाभिहित प्रत्येक अधिकारी नियम 8 और 9 में निर्दिष्ट पत्रों की एक सूची रखेगा और आवेदन पत्रों को ऐसी अभ्युक्तियों के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह उचित समझे, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अग्रसारित कर देगा।

12. कतिपय दावों और आपत्तियों का निरस्त किया जाना-नियम 8 या 9 के अधीन कोई आवेदन पत्र जो इस नियमावली में विहित समय के भीतर या प्रारूप पर या रीति में न दिया गया हो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

13. नोटिस और उसकी तामिली-(1) उन मामलों के सिवाय जिनमें रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दावे या आपत्ति को ग्राह्यता से प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो, प्रत्येक व्यक्ति जिसके दावे आपत्ति प्राप्त की गयी हों, अथवा दावे या आपत्ति प्रस्तुत करने वाले उसके अभिकर्ता और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर जिसका नाम सम्मिलित किये जाने के संबंध में आपत्ति की गयी है, आकार पत्र 1 में एक नोटिस तामिली की जायेगी, जिसमें स्थान व समय विनिर्दिष्ट अभिकर्ता को ऐसे साक्ष्य के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहता हो, उपस्थिति होने का निदेश दिया जायेगा।

(2) उस व्यक्ति को, जिसका नाम सम्मिलित करने के संबंध में आपत्ति की गयी है, नोटिस के साथ आपत्ति की एक प्रति दी जायेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन नोटिस, यदि संभव हो व्यक्तिगत रूप में तामिली की जायेगी और व्यक्तिगत रूप से तामिली न होने पर वार्ड के भीतर संबंधित व्यक्ति के निवास स्थान या अन्तिम निवास स्थान पर चर्या करे तामिली की जायेगी।

(4) व्यक्तिगत या अन्यथा तामिली का प्रमाण-पत्र, ऐसी तामिली के तथ्य का निरचायक प्रमाण समझा जायेगा।

14. दावों और आपत्तियों की जांच-(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रस्तुत किये गये प्रत्येक दावे या आपत्ति को, जिसके संबंध में नोटिस दिया गया हो, संक्षिप्त जांच करेगा और उस पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा और अपने विनिश्चय के अनुसार नामावली में कोई वृद्धि शुद्धि या लोप का आदेश देगा और ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप तदनुसार की जायेगी-

प्रतिबन्ध यह है कि वार्ड में, निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन किये जाने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति के पूर्व किसी प्रकार की ऐसी वृद्धि, शुद्धि या लोप नहीं की जायेगी।

(2) सुनवाई में उस व्यक्ति को जिसको ऐसा नोटिस जारी किया गया हो और किसी अन्य व्यक्ति को जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की राय में उसके लिये सहायक हो सकता है उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विवेक में,-

(क) किसी व्यक्ति से जिसको नोटिस दिया गया हो, अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा शपथ पर साक्ष्य देने और इस प्रयोजन के लिये शपथ दिलाने की अपेक्षा कर सकता है

टिप्पणी-जांच के प्रयोजन के लिये नियम 7 के अधीन प्रकाशित नामावली को शुद्ध माना जायेगा।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र-2 में दावों और आपत्तियों की एक सूची रखी जायेगी।

15. **वार्ड के नामावली का अन्तिम प्रकाशन**—(1) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तदपश्चात् नियम 14 के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तैयार करेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ उसकी प्रति निरीक्षण के लिये उपलब्ध करवाकर प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों की सूची के साथ गठित नामावली, वार्ड की निर्वाचक नामावली होगी।

16. **त्रुटियों की शुद्धि**—आयोग के किसी निदेश के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी भी समय नामावली में किसी लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटि को शुद्ध करने और दोहरी प्रविष्टियों को निकालने का आदेश दे सकता है और तदनुसार ऐसी शुद्धि या निकालने की कार्यवाही की जायेगी।

17. **संशोधनों आदि को किस प्रकार किया जायेगा**—(1) अधिनियम की धारा 12-ब के अधीन किसी वार्ड की नामावली में शुद्धि उस रीति से की जायेगी जिस रीति से 1950 के अधिनियम के अधीन निर्वाचक नामावलियों में की जाती है।

(2) मतदान के लिए अनर्ह व्यक्तियों के नामों का काटा जाना और अधिनियम की धारा 12-घ अधीन ऐसी अनर्हता के हटाये जाने के पश्चात् ऐसे नामों का पुनःस्थापन यथासंभव उस रीति से किया जायेगा जैसी 1950 के अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन नामों को काटने और पुनःस्थापन के लिये विहित की जाये।

(3) नियम 14 और नियम 16 के उप-नियम (2) के अधीन आदेशित संशोधनों को, इस निमित्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के किसी सामान्य निदेश के अधीन रहते हुए, वार्ड की नामावली और संशोधनों की सूची, यदि कोई हो, जो व्यक्ति नामावली का भाग हो में, किया जायेगा।

(4) जहां नियम 8 के खड (ख) के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे को स्वीकार कर लिया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम उस वार्ड की नामावली से तत्काल हटा देगा या हटवा देगा।

18. **वार्डों के पुनः परिसीमन पर नामावली की तैयारी के लिये विशेष उपबन्ध**—(1) यदि विधि के अनुसार किसी वार्ड का नवीन परिसीमन किया जाय और यदि ऐसे वार्ड को नामावली की शीघ्र तैयारी आवश्यक हो तो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि उसे निम्नलिखित प्रकार से तैयार किया जायेगा—

(क) ऐसे वर्तमान वार्डों या उनके भागों जैसे नये वार्ड के क्षेत्र के भीतर सम्मिलित हों, की नामावली को साथ-साथ रखकर, और,

(ख) इस प्रकार पूरी की गयी नामावली की व्यवस्था कम संख्या और शीर्षकों में समुचित परिवर्तन-करके

(2) इस प्रकार तैयार की गयी नयी नामावली के नियम 7 में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकाशित किया जायेगा और नये प्रकाशन पर यह नये वार्ड की नामावली होगी।

19. **अधिनियम की नामावली का पुनरीक्षण**—(1) अधिनियम की धारा 12-छ के अधीन किसी वार्ड के लिये नामावली का पुनरीक्षण या तो गहन रूप से या संक्षिप्त रूप से या अंशतः गहन रूप से और अंशतः नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हो।

(2) जहां किसी वर्ष में ऐसी नामावली गहन रूप से पुनरीक्षित की जानी हो, वहां वह नये सिरे से तैयार की जायेगी और नियम 3 से 16 लागू होंगे जैसे कि वे वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हो।

(3) जहां किसी वर्ष में, ऐसी नामावली संक्षिप्त रूप से तैयार की जानी हो वहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर, जैसी सुगमता से उपलब्ध हो नामावली के सुसंगत भाग के लिये संशोधनों की एक सूची तैयार करवायेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ प्रारूप में छपवायेगा और नियम 8 से 16 के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे के ये किसी वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के संबंध में लागू होते हो।

(4) जब अधिनियम (2) के अधीन पुनरीक्षित नामावली के प्रारूप में या उपनियम (3) के अधीन नामावली और संशोधनों की सूची के प्रकाशन और उपर्युक्त उपनियम (2) या (3) के साथ पठित नियम 15 के अधीन उनके

अन्तिम प्रकाशन के बीच किसी समय अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तत्समय प्रवृत्त किसी वार्ड की नामावली में किन्हीं नामों को सम्मिलित किये जाने का निर्देश दिया जाय, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जब तक उसकी राय में ऐसे नामों को सम्मिलित किये जाने में कोई विधिमान्य आपत्ति न हो वार्ड की पुनरीक्षित नामावली में नामों को सम्मिलित करवायेगा।

20 आदेशों के विरुद्ध अपील—(1) नियम 13, 14 या 19 के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगी—

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ अपील करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ने अपने उन मामलों पर जो अपील की विषयवस्तु है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसकी अभ्यावेदन करने के अपने अधिकार का प्रयोग न किया हो वहाँ अपील नहीं की जायेगी।

(2) उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक अपील—

- (क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित मेमोरेण्डम के प्रारूप में होगी;
- (ख) विनिश्चय के दिनांक के सात दिन के भीतर अपील अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी;
- (ग) आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की जाय, और पांच रुपये शुल्क के साथ, जो—
 - (i) नान जुडीशियल स्टैम्प द्वारा, या
 - (ii) राजकीय कोषागार में जमा करके ऐसी जमा की रसीद के संलग्न करके, या
 - (iii) ऐसी अन्य रीति में जैसी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाये प्रस्तुत की जायेगी।

(3) इस नियम के अधीन केवल अपील का प्रस्तुत किया जाना नियम 15 दो के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कृत्यों को रोकने या स्थगित करने का प्रभाव नहीं रहेगा।

(4) अपील अधिकारी का प्रत्येक विनिश्चय अन्तिम होगा, किन्तु जहाँ तक वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी विनिश्चय को उत्सृष्ट या उपान्तरित करता हो, वह अपील में विनिश्चय के दिनांक से प्रभावी होगा।

(5) पूर्वगामी उपनियमों के अधीन रहते हुये, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में ऐसे संशोधन करवायेगा जैसे कि इस नियम के अधीन अपील अधिकारी के विनिश्चय को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों

प्रकीर्ण

21. नामावलियों की अवधि—नियम-8 के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी किसी वार्ड की नामावली नियम 7 के अधीन उसके प्रकाशित होने पर और नियम 14, 16 और 18 के अधीन उसमें किये गये संशोधनों, पुनरीक्षणों आदि के अधीन रहते हुये तुरन्त प्रवृत्त होगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक वार्ड के लिये तत्परचात तैयार की गयी नामावली प्रवृत्त न हो जाये

22. नामावली आदि की अभिरक्षा और परीक्षण—(1) नियम-8 के अधीन किये गये सभी दावे और नियम-9 के अधीन की गयी सभी आपत्तियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा उन पर अभिलिखित स्थान जैसा मुख्यनिर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान, जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्ड के नामावली के अगले पुनरीक्षण तक या नई तैयार की गयी नामावली के प्रवृत्त होने तक जो भी पहले हो रखा जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड की नामावली के अतिरिक्त उसकी प्रतियाँ उतनी संख्या में जितनी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में और नगरपालिका कार्यालय में रखी जायेगी। इन प्रतियों को मूल नामावली में किये गये संशोधनों के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जायेगा।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट प्रतियों को जमा करने के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधि-प्रमाणित किया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति को उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट निर्वाचन पत्रों का निरीक्षण करने और उनकी प्रमाणांकित प्रतियां, ऐसी फीस का भुगतान करने पर प्राप्त करने का अधिकारी होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

(5) प्रत्येक वार्ड की निर्वाचक नामावली की मुद्रित प्रतियां वार्ड की अगली नियमावली के प्रकाशन तक जनता को विक्रय के लिये ऐसे मूल्य पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) किसी वार्ड की नामावली के प्रकाशन पर नयी नामावली के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रकृत नामावली को उक्तने वर्ष के लिये जैसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, संबंधित नगरपालिका के अभिलेखों में रखा जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश
(पंचायत एवं स्थानीय निकाय)
23-सी गोखले मार्ग, लखनऊ।

संख्या-1052/रा0नि0आ0अनु0-5/99

लखनऊ दिनांक 12 नवम्बर, 1998

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 41 तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 12-ज में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एतद्वारा उत्तर प्रदेश नगर निकायों के मतदाताओं के रजिस्ट्रीकरण एवं मतदाता सूची तैयार करने सम्बन्धी आदेश संख्या 924/रा0नि0आ0/अनु0-5/98 दिनांक 22 दिसम्बर, 1998 को अतिक्रमित करते हुए निम्नलिखित आदेश बनाते हैं:-

'[नागर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण)

पूरक उपबन्ध आदेश, 1999

1. (1) यह आदेश (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) पूरक उपबन्ध आदेश, 1999 कहा जायेगा।
 - (2) यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।
 - (3) यह आदेश नगर पालिका निकायों को लागू होगा।
 - (4) यह आदेश नामावली के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् और अधिनियम के अधीन नामावली का पुनरीक्षण किये जाने तक की अवधि में प्रयुक्त रहेगा।
2. परिभाषाएं—इस आदेश में,
 - (क) 'आयोग' का तात्पर्य राज्य निर्वाचन आयोग से है।
 - (ख) 'अधिनियम' का तात्पर्य नगर निगम के मामले में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 से, और नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत के मामले में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।
 - (ग) '1959 का अधिनियम' का तात्पर्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से है।
 - (घ) 'मुख्य निर्वाचन अधिकारी' का तात्पर्य आयोग द्वारा अधिनियम के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट अधिकारी से है।
 - (ङ) 'नगर पालिका' का तात्पर्य भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-त के खण्ड (क) में निर्दिष्ट स्वायत्त शासन की किसी संस्था से है।
 - (च) 'निर्वाचक' का तात्पर्य किसी कक्ष के सम्बन्ध में उस व्यक्ति से है जिसका नाम तत्समय उस कक्ष की निर्वाचक सूची में दर्ज हो।
 - (छ) 'निर्वाचन' का तात्पर्य नगर पालिका में किसी पद या स्थान के लिए किसी निर्वाचन से है और इसके अन्तर्गत कोई उप निर्वाचन भी है।
 - (ज) 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य नगर पालिका के किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली को तैयार करने, प्रकाशित और पुनरीक्षण करने के लिये अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नाम निर्दिष्ट अधिकारी से है।
 - (झ) 'विहित प्रपत्र' का तात्पर्य नगर निगम (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 या, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994 से सलग्न सुसंगत प्रपत्र से है।

(ट) 'नामावली' का तात्पर्य किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली से है

3. नामावली में नाम सम्मिलित किया जाना और वर्तमान प्रविष्टि को शुद्ध किया जाना:-

कोई व्यक्ति अपना नाम नामावली में सम्मिलित किए जाने या उसमें किसी प्रविष्टि को ठीक किए जाने के लिए विहित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है जो आवेदन-पत्र प्राप्त करने की धावती देगा और अपने कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा जिस पर कोई आपत्ति एक सप्ताह के भीतर उसके दी जा सकेगी और वह आवेदन तथा आपत्ति यदि कोई हो, की जांच करके अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आयोग को भेजेगा, और उस पर आयोग के निर्देशानुसार नामावली में नाम सम्मिलित करने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

परन्तु नामावली में ऐसे नाम सम्मिलित करने या प्रविष्टि को शुद्ध करने की कार्यवाही कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और पूरा होने के पूर्व नहीं की जायेगी।

4. नामावली में लिपिकीय या मुद्रण की त्रुटि ठीक करना:-

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नामावली में लिपिकीय या मुद्रण की किसी त्रुटि का आवेदन से या अन्यथा पता चलने पर उसे ठीक कर सकता है परन्तु ऐसी प्रविष्टि कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व ठीक नहीं की जायेगी।

उदाहरण-(एक) नामावली में क्रम-संख्या 452 पर नाम 'रमेश चन्द्र पुत्र श्री सीताराम' दर्ज है और प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र में अपना नाम 'रमेश चन्द्र' बताता है यह मुद्रण की त्रुटि है और इसे ठीक किया जा सकता है।

(दो) नामावली में क्रम-संख्या 775 पर निर्वाचक का नाम 'कृष्ण कान्त' पुत्र श्री 'रमेश चन्द्र' दर्ज है और प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र में पिता का नाम 'रमेश चन्द्र' बताता है यह मुद्रण की त्रुटि है और उसे ठीक किया जा सकता है।

5. नामावली में छूटे नाम सम्मिलित किया जाना:-

यदि किसी नामावली में बहुत से निर्वाचकों के नाम छूट जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के माध्यम से जांच करायेगा यदि नामावली की शिकायत सत्य पायी जाती है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट और संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आयोग को भेजकृपे और यदि आयोग ऐसा आदेश दे तो नामावली में ऐसे निर्वाचकों के नाम सम्मिलित किये जायेंगे।

परन्तु ऐसा कोई भी नाम कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व सम्मिलित नहीं की जायेगा।

6. नामावली से नाम हटाया जाना:-

कोई व्यक्ति नामावली से ऐसे किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए विहित प्रपत्र में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है जो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्ह या हकदार नहीं है और निर्वाचक अधिकारी सम्बन्धित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपनी संस्तुति जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से आयोग को प्रेषित करेगा और यदि आयोग द्वारा ऐसा आदेश दिया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम नामावली से हटा दिया जायेगा।

परन्तु ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम कक्ष के किसी निर्वाचन के लिए नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं हटाया जायेगा।

परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति अधिनियम के उपबन्धों के अधीन निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये अर्ह नहीं है तो उसका नाम तुरन्त हटा दिया जायेगा।

7. नामावली में सम्मिलित किए गये और हटाये गए नामों और शुद्ध की गई प्रविष्टियों की सूची:-

नामावली में सम्मिलित किये गये नामों, हटाये गए नामों और शुद्ध की गई प्रविष्टियों की एक सूची तैयार की जायेगी जो मूल नामावली के साथ संलग्न कर दी जायेगी। यह सूची सम्बन्धित नगर पालिका के सूचना पट पर तुरन्त प्रदर्शित की जाएगी और इस सूची की किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में अपील की जा सकेगी और ऐसी अपील के सम्बन्ध में नियमावली में अपील सम्बन्धी उपबन्ध यथा-आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

8. नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने, नाम हटाये जाने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध किए जाने के आवेदन के लिए शुल्क-

नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने या हटाए जाने या किसी प्रविष्टि को शुद्ध करने के लिए दिये जाने वाले आवेदन-पत्र पर एक रुपये प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क देय होगा। शुल्क प्राप्ति की रसीद जारी की जाएगी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्राप्त शुल्क का व्यौरा एक पंजीका में रखेगा और प्रतिदिन प्राप्त हुए शुल्क की धनराशि अगले दिन आयोग के लेखा शीर्षक-0515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101-पंचायत राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां-03- स्थानीय निकायों के निर्वाचन से प्राप्तियां में अनिवार्य रूप से जमा की जाएगी।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 16 जुलाई, 2007 ई0

आषाढ 25, 1929 राक रावत

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1110/विधायी एवं संसदीय कार्य/2007

देहरादून, 16 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विधायी

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत महाभारत राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड जिला योजना समिति विधेयक, 2007 पर दिनांक 13 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 04, सन् 2007 के रूप में असाधारण की सूचनाई इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम 2007

(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 04, वर्ष 2007)

जिला स्तर पर पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गयी योजनाओं को सम्भालने हेतु जिला योजना समिति का गठन करने और सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना तैयार करने तथा उपसहस्र सम्बन्धित या अनुसंधानिक विधायी हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठ्ठसवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:-

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 है।

संकेत नाम
वितरण और
प्रकाश

समिति सदस्यों की ऐसी संख्या से सरथित होनी जैसी विहित की जाए परन्तु यह कि सदस्यों की संख्या पन्द्रह से कम और सातोंह से अधिक नहीं होगी।

समिति के सदस्यों की कुल संख्या के चार बटा पाँच से अन्वय उपरोक्त जिला पंचायत और जिले से नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार विहित रीति से निर्वाचित किये जाएंगे।

(3) जहाँ जिले के नगरीय क्षेत्र में एक से अधिक नगर पालिका समाविष्ट हैं, वहाँ ऐसी नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से समिति के सदस्यों की संख्या जो ऐसी नगर पालिकाओं में ऐसी रीति से, ऐसी विहित की जाए, वितरित किया जायेगा।

(4) समिति के सुप-अभिनिर्देश एक बटा पाँच सदस्य निर्दिष्ट होंगे:-

- (क) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक भूमी जो समिति को अर्पण होगा।
- (ख) अध्यक्ष, जिला पंचायत।
- (ग) जिला मजिस्ट्रेट-पदेन सदस्य।
- (घ) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें इस संवत् के अध्यापन रहते हुए कि इस उपधारा के अधीन सदस्यों की संख्या समिति के कुल सदस्यों के एक बटा पाँच भाग से अधिक न होनी राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाये।
- (ङ) उपधारा (4) खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पर धारण करेगा।
- (च) समिति का कोई सदस्य समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट नहीं करेगा।
- (छ) यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य वधस्थिति नगर पालिका या जिला पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है, जो वह समिति को सदस्य नहीं रहेगा।

यदि समिति के निर्वाचित सदस्यों का पदेन संसदीय कार्य समाप्त हो जाये, तो अन्य सदस्यों के द्वारा समिति का उपधारा (2) के अधीन अध्यापन रीति से अध्यापन किया जायेगा।

6. समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी व्यक्ति के विद्यमान होना या समिति के गठन में त्रुटि के आधार पर अधिविधान्य नहीं होगी।

समिति के अत्यादि समिति की कार्यवाही को अधिविधान्य नहीं करेगी।

- 8. (1) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व करते हैं, जो पूर्णतः या भागतः जिले में समाविष्ट हैं, समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।
- (2) राज्य सभा के सदस्य भी जो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।
- (3) राज्य की विधान सभा के ऐसे सदस्य जो राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किये गये हैं, अपने विकल्प के जिले की समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित होंगे।
- (4) ऐसी नगर पालिकाओं का, जो जिले के मुख्यालय पर स्थित हैं, वधस्थिति नगर प्रमुख या अध्यक्ष, समिति के स्थायी आमंत्रित होंगे।
- (5) कोई भी स्थायी आमंत्रित, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट नहीं करेगा।

समिति के स्थायी आमंत्रित

- (ग) जिले में विकसित योजना की रूपरेखा के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय संस्तर और केन्द्र-पुरामिधायित्व योजनाओं और संसदीय विधायन क्षेत्रों और विधान सभा-विधायन क्षेत्रों की स्थायी क्षेत्रीय विकास योजनायें भी हैं, के अन्तर्गत प्रगति का अनुसंधान, मूल्यांकन और समीक्षा करना।
 - (घ) जिला योजना में सम्मिलित की गयी योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
 - (ङ) ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिज्ञान करना जिनके लिए संस्थागत विधायकी आवश्यकता हो और योजना के साथ पर्याप्तगामी और अग्रणी संयोजन का समुचित उपाय करना और ऐसे निवेश के अपेक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करना।
 - (च) समय-विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग सुनिश्चित करना।
 - (छ) राज्य सरकार को, ऐसी राज्य-क्षेत्रीय योजनाओं के सम्बन्ध में जिनको प्रिले के विकास की प्रक्रिया में अन्तर्गत सम्बन्ध की सुझाव और संस्थापित देना।
 - (ज) विभिन्न कार्यों और योजनाओं के लिए धन का अग्रिम रूप देना।
 - (झ) कोई अन्य कृत्य जो राज्य सरकार द्वारा जोड़े जायें।
10. (1) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे, जो क्यास्थिति, ग्रामीण जिला योजना का क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य कार्यविधि में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) और उत्तर प्रदेश, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) और तत्सम क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1953 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) में अंगणित किये गये हों।
- (2) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे मामले भी आ सकते हैं जिनमें समिति द्वारा आवश्यक समझा जाय या राज्य सरकार द्वारा निर्देशित करे।
11. (1) राज्य सरकार, जिला योजना के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही के लिए जिला योजना की प्राथमिकी और योजना प्रारम्भिकी के लिए यथा संभव जिला योजना परिषद की अधिकतम सीमा का विनिश्चय करेगी।
- (2) समिति (1) के अन्तर्गत नियत की गयी जिला योजना परिषद की अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा विहित रूप से अथवा किसी भी समय पुनरीक्षित या परिवर्तित की जा सकती।
12. समिति जिसे विकसित योजना के प्रारम्भ की अग्रिम रूप देगी।
13. (1) जिला योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रारम्भिक, राज्य सरकार, जिला योजना परिषद की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत रहते हुए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में जिले में धन के लिए उपबंध करेगी और उसके सम्बन्ध विनियम के परिसर में धनराशि जिला को अंगणित करेगी।
- (2) राज्य सरकार के धन और वित्तन के अन्तर्गत रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट को धन 12.3 अधिनियम के अधिनियम से स्वीकृत जिला योजना के लिए वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी।
- (3) राज्य सरकार द्वारा नियमित जिला योजना परिषद की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत रहते हुए, समिति योजनाओं और कार्यक्रमों के परिषद को परिवर्तित, पुनरीक्षित या उपाय कर सकती और जिला मजिस्ट्रेट धन का धन आवंटन विहित रीति से करेगा।

- (अ) जिले में विकेंद्रीकृत योजना की सुपरेशा के अधीन कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों, जिन्हें अन्तर्गत केंद्रीय संस्तर और केंद्र पुरोनिर्धारित योजनाओं और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों और विधान सभा-निर्वाचन-क्षेत्रों की स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं भी हैं, के अंशगत प्रगति का अनुसंधान, मूल्यांकन और समीक्षा करना,
- (ब) जिला योजना में सम्मिलित की गयी योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,
- (ग) ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का अभिज्ञान करना जिनके लिए संस्थागत वित्त की आवश्यकता हो और योजना के साथ पर्याप्तगामी और अग्रवर्ती संयोजन का समुचित उपाय करना और ऐसे निवेश के अपेक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करना,
- (घ) समय विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संयोजनों का सहयोग सुनिश्चित करना,
- (ङ) राज्य सरकार को, ऐसी राज्य-क्षेत्रीय योजनाओं के सम्बन्ध में जिनका जिले के विकास की प्रक्रिया से महत्वपूर्ण सम्बन्ध हो, सुझाव और संस्तुतियां देना,
- (च) विभिन्न कार्यों और योजनाओं के लिए धन को अन्तिम रूप देना,
- (छ) कोई अन्य कृप्य, जो राज्य सरकार द्वारा लीये जाये।

10. (1) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे विषय समाविष्ट होंगे, जो वथास्थिति, राष्ट्रीय विषय योजना का क्षेत्रों के लिए संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत् एवं समय-समय पर यथा संशोधित) और उत्तर प्रदेश, संघ पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1981 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत् एवं समय-समय पर यथा संशोधित) और कर्नाटीय क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत् एवं समय-समय पर यथा संशोधित) या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत् एवं समय-समय पर यथा संशोधित) में प्राणित किये गये हैं।

(2) जिला योजना के अन्तर्गत ऐसे मामले भी आ सकेंगे जिन्हें समिति द्वारा आवश्यक समझा जाय या राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे।

11. (1) राज्य सरकार, जिला योजना के वित्त पोषण के लिए वित्तीय संसंधनों का पता पायेगी और उनका अधिकतम सीमा का विनियमन करेगी।

(2) उपरा (1) के अधीन वित्त की गयी जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पुनरीकित या परिवर्तित की जा सकेंगी।

12. समिति जिसे के लिए विकास योजना के प्रारंभ को अन्तिम रूप देगी।

13. (1) जिला योजना के कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में जिले के लिए उपबंध कर सकेंगी और उसके सम्बन्ध विनियमन के पर्यन्त एकपुस्तक धनसंश जिलों को आवंटित करेगी।

(2) राज्य सरकार के पंजीन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट को धारा 12 अधीन अन्तिम रूप से स्वीकृत जिला योजना के लिए वित्तीय मंजूरी देने की शक्ति होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, समिति योजनाओं और कार्यक्रमों के परिव्यय को परिवर्तित, पुनरीकित या उपाय कर सकेंगी और जिला मजिस्ट्रेट धन का पुनः आवंटन विहित रीति से कर सकेंगी।

जिला योजना का अन्तिम रूप दिनांक जमा जिला को धन का आवंटन

- 14. यदि समिति को कृत्व, उसकी शक्ति का अधिकारिता के सम्बन्ध में या किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता हो, तो विवाद या प्रश्न को राज्य योजना आयोग को निर्दिष्ट किया जावेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
- 15. (1) समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार जिस मुख्यालय पर ऐसे दिनांक और समय पर आयोजित की जावेगी, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किये जायें।
(2) समिति उसकी बैठक में उपस्थित होने के लिए विशेषज्ञों को, ऐसे निष्पक्ष और शर्तों पर जो विहित किये जायें, आमंत्रित कर सकेगी।
(3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, समिति का ऐसा अन्य सदस्य किसी बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाये, समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- 16. समिति इस अधिनियम के अधीन उसको किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के लिए उप-समितियों का गठन कर सकेगी।
- 17. राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिन योजना समन्वय और अनुभवावण से सम्बंधित ऐसे कृत्यों जिनसे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलाप आन्वयित होते हैं और जो आवश्यक समझे जायें, समिति को समनुदेशित कर सकेगी।
- 18. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सम्भाव्यपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति को विरुद्ध कोई याद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाही नहीं की जावेगी।
- 19. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- 20. राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम के अधीन रहते हुए, समिति उसकी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करेगी।
- 21. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकेगी। जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।
(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जावेगा और उत्तर प्रदेश अधिनियम, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-मित पर यथा संशोधित) की धारा 29-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उप-प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होंगे।
- 22. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, किसी प्रतिकूल शक्त के तहत हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध समिति के गठन और उसके सदस्यों के निर्घन, योजना की संरचना और उसके आनुषंगिक या परिणामिक अन्य मामलों सम्बंधित करते हुए सभी मामलों में लागू होंगे।
- 23. (1) उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, वर्ष 1997) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त एवं समय-समय पर यथा संशोधित) उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में एतद्वारा निरस्त किया जाता है।
(2) ऐसे निरस्तन के होते हुए भी, उपधारा (1) के तत्समय उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समय उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जावेगी जो इस अधिनियम के उपबन्ध सार्वजनिक समय पर प्रवृत्त थे।

ज्ञाता से,
श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

M-18

46

संविधान के अन्तर्गत राज्यों के विधानमण्डलों में जो विधियाँ पारित की जाती हैं, वे राज्यों के विधानमण्डलों की शक्ति का प्रतीक हैं।

राज्यों के विधानमण्डलों की शक्ति का प्रतीक है। राज्यों के विधानमण्डलों की शक्ति का प्रतीक है।

राज्यों के विधानमण्डलों की शक्ति का प्रतीक है। राज्यों के विधानमण्डलों की शक्ति का प्रतीक है।

राज्यों के विधानमण्डलों की शक्ति का प्रतीक है। राज्यों के विधानमण्डलों की शक्ति का प्रतीक है।

राज्यों के विधानमण्डलों की शक्ति का प्रतीक है। राज्यों के विधानमण्डलों की शक्ति का प्रतीक है।

राज्यों के विधानमण्डलों की शक्ति का प्रतीक है। राज्यों के विधानमण्डलों की शक्ति का प्रतीक है।

राज्यों के विधानमण्डलों की शक्ति का प्रतीक है। राज्यों के विधानमण्डलों की शक्ति का प्रतीक है।

... (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ... (8) ... (9) ... (10) ... (11) ... (12) ... (13) ... (14) ... (15) ... (16) ... (17) ... (18) ... (19) ... (20) ... (21) ... (22) ... (23) ... (24) ... (25) ... (26) ... (27) ... (28) ... (29) ... (30) ... (31) ... (32) ... (33) ... (34) ... (35) ... (36) ... (37) ... (38) ... (39) ... (40) ... (41) ... (42) ... (43) ... (44) ... (45) ... (46) ... (47) ... (48) ... (49) ... (50) ... (51) ... (52) ... (53) ... (54) ... (55) ... (56) ... (57) ... (58) ... (59) ... (60) ... (61) ... (62) ... (63) ... (64) ... (65) ... (66) ... (67) ... (68) ... (69) ... (70) ... (71) ... (72) ... (73) ... (74) ... (75) ... (76) ... (77) ... (78) ... (79) ... (80) ... (81) ... (82) ... (83) ... (84) ... (85) ... (86) ... (87) ... (88) ... (89) ... (90) ... (91) ... (92) ... (93) ... (94) ... (95) ... (96) ... (97) ... (98) ... (99) ... (100) ...

धारा 6 की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने के लिए

(3) मूल अधिधारा को धारा 6 के उपधारा (2) के पर्याय में उपधारा (2) के अन्तर्गत जोड़ दिया जाता है तथा उपधारा (3) को उपधारा (4) के अन्तर्गत जोड़ दिया जाता है।

धारा 7 को प्रतिस्थापित करने के लिए

धारा 7 के अन्तर्गत उपधारा (1) को धारा 7 के अन्तर्गत जोड़ दिया जाता है।

(1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) ... (6) ... (7) ... (8) ... (9) ... (10) ... (11) ... (12) ... (13) ... (14) ... (15) ... (16) ... (17) ... (18) ... (19) ... (20) ... (21) ... (22) ... (23) ... (24) ... (25) ... (26) ... (27) ... (28) ... (29) ... (30) ... (31) ... (32) ... (33) ... (34) ... (35) ... (36) ... (37) ... (38) ... (39) ... (40) ... (41) ... (42) ... (43) ... (44) ... (45) ... (46) ... (47) ... (48) ... (49) ... (50) ... (51) ... (52) ... (53) ... (54) ... (55) ... (56) ... (57) ... (58) ... (59) ... (60) ... (61) ... (62) ... (63) ... (64) ... (65) ... (66) ... (67) ... (68) ... (69) ... (70) ... (71) ... (72) ... (73) ... (74) ... (75) ... (76) ... (77) ... (78) ... (79) ... (80) ... (81) ... (82) ... (83) ... (84) ... (85) ... (86) ... (87) ... (88) ... (89) ... (90) ... (91) ... (92) ... (93) ... (94) ... (95) ... (96) ... (97) ... (98) ... (99) ... (100) ...

उत्तराखण्ड शासन
पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थविकास सेवा अनुभाग-1
संख्या- / XII / 92(5) / 2007 / 2010,
दिनांक: 03 मई, 2010

अधिसूचना

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-1150/दिनांक एच 8/2007 के अंतर्गत 2007 दिनांक 16 जुलाई, 2007 को जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 जारी कर दिया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-39 के अंतर्गत अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इन प्रकार जिला योजना समिति नियमावली 2010 में संशोधन की जा अधिति द्वारा की गई संशुद्धि के प्रकाश पर उक्त अधिनियम, 2007 के प्रावधानों को अनुसूचित जिला जलदायक समिति को गठन करने एवं उक्त सफल संचालन हेतु जिला योजना समिति नियमावली 2010 में निम्न विषयों की सहसंशुद्धि प्रदान करते हैं।

(आम प्रकाश)
सचिव

संख्या-161 (1) / XII / 92(5) / 2007 / 2010, तददिनांक ।

अतिरिक्त सचिव, राजकीय मंत्रालय एवं लीडिंग्स रुडकी इण्डिया को इस अधिनियम के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि जूरा जिला के जिला समिति नियमावली, 2010 को संशुद्धि के 1000 प्रतियों असाधारण चरम से प्रकाशित कर शासन को उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित करें।

आज्ञा से
Ambarish
सचिव

संख्या-161 (2) / XII / 92(5) / 2007 / 2010, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भूषणार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजिए:-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
- 2- राज्य निर्माता अनुभाग, उत्तराखण्ड ।
- 3- मुख्य सचिव, मंत्रालय, उत्तराखण्ड शासन की माओ मंत्रालयों की को संलग्न करें ।
- 4- जल संचयन विभाग, सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
- 5- सहायक सचिव, जल संचयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- 6- जल संचयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
- 7- निदेशक, जल संचयन विभाग, उत्तराखण्ड ।
- 8- राज्य मंत्रालय, सचिव, उत्तराखण्ड ।
- 9- जल संचयन विभाग, सचिव, उत्तराखण्ड ।
- 10- जारी भाईन ।

आज्ञा से
Ambarish
सचिव

उत्तराखण्ड शासन

पञ्चायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग

संख्या 160/XII/2010/97(05)/2007

देहरादून दिनांक 03 मार्च 2010

अधिसूचना

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 04 वर्ष 2007) की धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

~~उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010~~

अध्याय-एक

- | | | |
|---------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1 | (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 है।
(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगी। |
| परिभाषाएं | 2. | इस नियमावली में जब तक बोधव्य या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो-
(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है;
(ख) "समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला योजना समिति अभिप्रेत है;
(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
(घ) "नगर-निकाय" से मन्त्रालय द्वारा प्रदत्त नगर निकाय अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) तथा उत्तर प्रदेश नगर नियम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन गठित कोई नगर नियम, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत अभिप्रेत है।
(ङ) "नियुक्ति" से जिला योजना समिति के यथाधिकार नियुक्ति होने वाले सदस्य पद के दिवस नियुक्ति अभिप्रेत है;
(च) "सदस्य" से अधिनियम में निर्दिष्ट जिला |

योजना समिति का सदस्य अभिप्रेत है :

(क) "प्रपत्र" से इरा नियमावली की अनुसूची में दिने गये पत्र अभिप्रेत है ;

(ख) "मतपत्र" से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मतपत्र अभिप्रेत है ;

(ग) "जिलाधिकारी" से उत्तर प्रदेश भूराज्य अधिनियम, 1951 (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त, अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 14 से अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "जिला मजिस्ट्रेट" से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ङ) "मुख्य विकास अधिकारी" से जिले में नियुक्त मुख्य विकास अधिकारी अभिप्रेत है ;

(च) "जिला निर्वाचन अधिकारी" से किसी जिले का जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग समय-समय पर समिति के निर्वाचन हेतु नियुक्त करे ;

(छ) "रिटनिंग आफिसर" से जिला योजना समिति का किसी निर्वाचन के निमित्त समय-समय पर नियुक्त रिटनिंग आफिसर अभिप्रेत है ;

(ज) "सचिव" से अधिनियम की धारा 7 क अधीन नियुक्त सचिव अभिप्रेत है ;

जिला योजना समिति का गठन

3. (1) प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले में पचासतों तथा नगर निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समन्वय करेगी तथा सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी ।

(2) विद्यमान योजना का प्रारूप तैयार करते समय समिति विद्यालयादि बातों को ध्यान में रखेगी :-

(क) पचासतों तथा नगर निकायों के विषय, जिले के अन्तर्गत स्थानीय योजना जल और अन्य शौचिक तथा प्राथमिक संरक्षणों में हिसाब बटाना, अवस्थापना का पूर्णतः विकास तथा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धित होगा ;

- (ख) विकास की योजना का प्रारूप तैयार करने में समिति पर्यावरण रक्षण एवं विकास तथा संसकल वार्षिक की संयोजन के उपाय; तथा
- (ग) वित्तीय तथा अन्य सहायता जो तात्कालिक रूप से उपलब्ध है अथवा उपलब्ध हो सकता है।
- (3) विकास योजना का प्रारूप तैयार करने में समिति एम। स. संस्थाओं एवं समूहों से परामर्श कर सकती, जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

जिला योजना समिति की संरचना

(1) प्रत्येक जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या उतनी होगी, जितनी निर्धारित की जाय।

परन्तु यह कि सदस्यों की संख्या न्यूनतम 15 तथा अधिकतम 40 होगी।

(2) राज्य के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में समिति की सदस्यों की संख्या 15 होगी और अधिकतम जनसंख्या वाले जिलों में यह संख्या 40 होगी।

(3) उपनियम (2) में उल्लिखित अधिकतम तथा न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के मध्यवर्ती जनसंख्या के जनपदों में समिति के सदस्यों का निर्धारण उपनियम (4) में उल्लिखित रीति से किया जाएगा।

(4) (क) अधिकतम जनसंख्या वाले जिलों की जनसंख्या में से न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की जनसंख्या को घटाकर प्राप्त शेष में अधिकतम तथा न्यूनतम विहित सदस्य संख्या के अंतर का भाग दिया जायगा। इस प्रकार प्राप्त लब्धि वह जनसंख्या होगी, जिस पर समिति का एक सदस्य होगा।

(ख) जिले की सदस्य संख्या के निर्धारण के लिए उस जिले की जनसंख्या में से न्यूनतम जनसंख्या के जनपद की जनसंख्या को घटाया जायेगा। प्राप्त शेष को उपरोक्त खण्ड (क) में प्राप्त संख्या से विभाजित किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त लब्धि का न्यूनतम जनसंख्या के जिले की सदस्य संख्या।

Q.

अर्थात् 15 में जोड़ दिया जायेगा। वह संख्या जिले की समिति की संदस्य संख्या होगी।

(ग) भाग देने की दशा में यदि शेष भाजक के आधे या उससे अधिक हो, तो उस अगला पूर्णांक मान लिया जायेगा और यदि अवशेष भाजक से आधे से कम हो उसे छोड़ दिया जायेगा।

(5) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के $4/5$ से अत्युच्च सदस्य जिला पंचायत और जिले की नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जायेंगे।

~~जिले की जिला पंचायत के सदस्य तथा जिले के निर्वाचित सदस्यों के चुने जाने वाले समिति के सदस्यों का कुल~~

निर्वाचित सदस्यों के साथ वही अनुपात होगा, जो यथास्थिति जिले की प्राचीण जनसंख्या तथा जिले की नगरीय जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है।

(7) समिति के शेष अधिकतम $1/5$ सदस्य निम्नलिखित होंगे—

(1)(क) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई एक मंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा :-

(ख) अध्यक्ष, जिला पंचायत।

(ग) जिला मजिस्ट्रेट—पदेन

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें इस शर्त के अधीन रहते हुए राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करेगी कि इस उपनियम के अन्तर्गत सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या के $1/5$ से अधिक नहीं होगी।

(2) समिति के सदस्य निम्नलिखित कम से कम नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे :-

(क) अनुरूपित जनजाति का कोई और गैर सरकारी सदस्य जो प्राचीण अथवा नगरीय नियोजन में शिक्षित हो सके जिससे न्यूनतम 10 वर्ष का ऐतल नियोजन का अनुभव हो।

(4) ऐसी नगर पालिकाओं को जो जो जिले के मुख्यालय पर स्थित हो, स्थानस्थित नगर प्रमुख या अध्यक्ष समिति के आयी अभिहित होंगे।

(5) कोई भी स्थायी आमंत्रित, समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट नहीं करेगा; परन्तु यह कि जहाँ ऐसे किसी स्थायी आमंत्रित में, जो भारत सरकार या राज्य सरकार की मंत्रि-परिषद का सदस्य न हो, दो या अधिक जिलों में एक ही दिन ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो, वहाँ वह उस जिले को, जिसमें वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है, समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट कर सकेगा;

परन्तु यह और कि जहाँ एक किसी स्थायी आमंत्रित में, जो भारत सरकार या राज्य सरकार की मंत्रि-परिषद का सदस्य हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो और वह ऐसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में न हो, वहाँ वह समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

परन्तु अगत्तर यह कि ऐसा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति किसी भी दशा में मतदान में भाग नहीं ले सकेगा।

अध्याय-2

जिला निर्वाचन

जिला निर्वाचन अधिकारी

6. (1) जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी होंगे।
- (2) राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्त सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी अपने अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचन को संचालन से सम्बन्धित समस्त कृत्यों का सम्पादन करेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी / रिटर्निंग / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर-

(1) जिला निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली के अधीन अपने कर्मों के सम्पादन हेतु अपनी सहायता के लिये एक या उससे अधिक अधिकारियों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन को संचालित करने के लिये रिटर्निंग ऑफिसर होगा तथा आवश्यकता अनुसार सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर सकेगा।

(3) रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर कृत्यों का सम्पादन ~~जिला निर्वाचन आयोग~~ के अधीक्षण ~~और नियंत्रण~~ के अधीन होंगे।

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण

(1) जिला योजना समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(2) निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि प्रामाण क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या एक समान हो;

किन्तु इस विमित जिला पंचायत सदस्य के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित नहीं किया जायेगा।

(3) नगर क्षेत्रों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या यथाशक्ति समान हो;

किन्तु इस विमित नगर निकायों के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को विभाजित नहीं किया जायेगा और न ही किसी नगर क्षेत्र को विभाजित किया जायेगा।

(4) पर्याप्त कारण होने पर राज्य सरकार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण कर सकेगी।

निर्वाचक नामावली

(1) राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करेगा।

(2) नामावली देवनागरी लिपि में हिन्दी में तैयार की जायेगी।

नाम निर्देशन आदि के लिए दिनांकों का निश्चित किया जाना

(1) जिला योजना समिति के सदस्य के लिए निर्वाचन यथास्थिति जिला पंचायतों के सामान्य निर्वाचन तथा नगर निकाय के सामान्य निर्वाचन के उपरान्त उन रिवितियों के

लिए कराया जायेगा, जो ऐसे पूर्ववर्ती निकाय के कार्यकाल समाप्त होने पर रिक्त हो गई हों किन्तु अन्यथा हुई रिक्तियों के लिए निर्वाचन शिवित के 6 माह के अंदर कराया जायेगा।

(2) जहाँ अधिनियम के अधीन जिला योजना समिति के सदस्यों के पद के लिये निर्वाचन कराना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना द्वारा निर्देश पत्र जो साक्षरों में निर्देश देगा-

(क) नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उनकी जाँच करने के लिए तारीख जो अधिसूचना की तारीख से कम से कम 7 दिन के पश्चात का तारीख होगा।

(ख) सम्प्रीदकारी से नाम वापस लेने की तारीख जो सामान्यतः नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जाँच के लिए निर्धारित तारीख का अगला दिन होगा।

(ग) वह तारीख जिसके दौरान यदि मतदान आवश्यक हो, कराया जायेगा सामान्यतया नाम वापस लेने की तारीख का अगला दिन होगा।

(घ) मतगणना की तारीख मतदान की तारीख होगी।

(3) उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने पर निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना देयतामित्री लिपि में अपने कार्यालय में प्रदर्शित करेगा तथा जिला अधीनत मुख्यालय तथा जिले के अक्षांश आने वाले शरीर पंचायत, तालुका प्रसिद्ध एवं नगर निगम तथा सभी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शन हेतु उसकी प्रति भिजवायेगा।

सदस्यों की सूची का प्रकाशन 11

- (1) नियम 4 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व रिटर्निंग ऑफीसर नियम 10 के उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार निर्वाचक नामावली जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय और जिला पंचायत के मुख्यालय में प्रदर्शित करेगा तथा सभी नगरीय स्थानीय निकायों के मुख्यालयों में प्रदर्शन हेतु भेजेगा।
- (2) रिटर्निंग ऑफीसर नियम 10 के उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार सूची सभी मतदाताओं का भेजेगा।

नाम निर्देशन—

12. (1) कोई व्यक्ति जो जिला योजना समिति के सदस्य पद के लिये होने वाले निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में अपना नाम निर्देशन चाहता हो, स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी को प्रपत्र में यथाविधि भरा हुआ नाम निर्देशन पत्र तारीख, समय और स्थान सहित प्रस्तुत करेगा।

(2) उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र पर नाम निर्देशन के लिये सहमति देने के प्रतीक स्वरूप स्वयं हस्ताक्षर करेगा और प्रस्तावक तथा अनुमोदक के रूप में अलग-अलग सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।

नाम निर्देशन पत्रों के प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया

13. (1) निर्वाचन अधिकारी, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होने पर उस पर क्रमांक, तारीख एवं समय अंकित करेगा तथा यथासमय नाम निर्देशन की एक ऐसी सूचना अपने कार्यालय के किसी सहज दृश्य स्थान पर वसूला देगा।

नाम निर्देशन पत्रों की जाँच

14. (1) नाम निर्देशन पत्रों की जाँच के समय उम्मीदवार, उसका प्रस्तावक एवं अनुमोदक उपस्थित हो सकते हैं। निर्वाचन अधिकारी, उन्हें यथाविधि प्राप्त हुए नाम निर्देशन पत्रों का निरीक्षण करने के लिये सभी युक्ति-युक्त सुविधाएँ प्रदान करेगा। यदि उचित समझे तो नाम निर्देशन पत्र को निम्नलिखित आधार पर अस्वीकृत कर सकता है। पद के लिये उम्मीदवार, प्रस्तावक एवं अनुमोदक का हस्ताक्षर वास्तविक नहीं है या उसे धोखे से प्राप्त किया गया है या उम्मीदवार जिला पंचायत अथवा जिले के सम्बन्धित नगर निकाय का विधितः निर्वाचित सदस्य नहीं है।

उम्मीदवारी से नाम वापस लेना एवं निर्दिष्ट निर्वाचन

15. (1) कोई उम्मीदवार लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले सकता है लेकिन शर्त यह है कि वह स्वयं निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लिखित रूप से निर्धारित तारीख एवं समय पर उपस्थित हो।

(2) जहाँ उम्मीदवारी के नाम वापसी होने के उपरान्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर निर्वाचन अधिकारी

यह देखें कि केवल एक ही चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है तो वह तुरन्त उसके निर्वाचित घोषित कर देगा, और निर्वाचित उम्मीदवार के नाम की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा।

वैध नाम निर्देशन पत्रों की सूची और उनका प्रकाशन

16. 1. उम्मीदवार के नामों की वापसी यदि कोई हो, के पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले दो या अधिक उम्मीदवार हों, तो निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और उसकी सूचना कार्यालय के सूचना पट पर चिपकायेगा।
2. निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची देवनागरी लिपि में तैयार की जायेगी और उसमें निर्वाचन लड़ने वालों के नाम देवनागरी वर्णमाला क्रम में उनके पते के साथ दिये जायेंगे।

मतदान की रीति

17. (1) निर्वाचन में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। मत मतदाताओं द्वारा स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधित्व मतदान द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

मतदान का स्थान एवं समय

18. (1) मतदान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय तथा स्थान पर होगा ;

परन्तु यह कि यदि मतदाता निरक्षरता अथवा अन्य कारण से स्वयं मत देने में अशक्त हो तो उस जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अशक्तता के पुष्ट प्रमाण होने की दशा में सहायक दिया जा सकेगा, किन्तु एक ही व्यक्ति एकाधिक मतदाताओं के लिए सहायक नहीं बन सकेगा।

निर्वाचन सामग्री

19. (1) राज्य निर्वाचन आयोग आवश्यकता पड़ने पर निर्वाचन/उपनिर्वाचन में चुनाव सम्पन्न कराने हेतु मतदान में उपयोग की जाने वाली सामग्री, लेखन सामग्री (स्टेशनरी) निर्धारित करेगा और निर्वाचन हेतु आपूर्ति व्यवस्थित करेगा।

मतपत्र तथा मतपेटी

20. 1. निर्वाचन में उपयोग किये जाने वाले मतपत्र का आकार और उसमें पर्युक्त प्रपत्र राज्य निर्वाचन आयोग निश्चित करेगा और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम देवनागरी लिपि में उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में हों। मतदान के सपयोग की जाने वाली मतपेटी ऐसे किसी प्रकार भी होगी, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित करे।

मतगणना की प्रक्रिया

21. (1) मतदान समाप्त होते ही, निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उपस्थित सदस्यों के समक्ष मतों की गणना प्रारम्भ करेगा।
 (2) निर्वाचन अधिकारी मतपेटी खोलेंगा। मतों को निकालकर मतपत्रों को गिनेगा, उनका विवरण तैयार करेगा, मतपत्रों की जाँच करते हुए ऐसे मतपत्रों को जो प्रथम दृष्टया वैध/अवैध हों, को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर दोनों को अलग-अलग रखेगा और यह निर्धारित करेगा कि किस उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ कुल मत पत्र जो अस्वीकृत किये गये हों, उनको अलग-अलग लिफाफों में सुरक्षित करेगा।

परिणाम की घोषणा

22. मतगणना समाप्त हो जाने और मतदान परिणाम अध्यापित हो जाने पर निर्वाचन अधिकारी तुरन्त उपस्थित लोगों के समक्ष निर्वाचन परिणाम की घोषणा कर देगा और राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य सरकार को निर्वाचन परिणाम की सूचना देगा।

निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा

23. निर्वाचन संबंधी मामलों में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे राज्य सरकार के निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

समिति के कृत्य

24. समिति धारा 9 के खण्ड (त) के अन्तर्गत इस अन्य कृत्यों को निर्वहन करेगी, जो समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायेंगे।

अध्याय-तीन

जिला योजना समिति का कार्य क्षेत्र तथा बैठकें:-

जिला योजना की अधिकतम सीमा

25. (1) राज्य सरकार, जिला योजना के विस्तार पंचायत के लिए वित्तीय सहायता का पता लगायेगा और उनका प्रावधान

करगी तथा तदनुसार जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा का विनिश्चय करेगी।

(2) उपधारा(1) के अधीन नियत की गयी जिला योजना परिव्यय की अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पुनरीक्षित या परिवर्तित की जा सकेंगी।

(3) पंचायतों और नगर निकायों द्वारा योजना निर्माण की प्रक्रिया में वार्षिक योजना निर्माण के पूर्व यथा ग्राम पंचायतें क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें तथा नगर पंचायत, नगर पालिका तथा नगर निगम अपने विभिन्न विषयों पर संदर्भ/प्रस्ताव जिला योजना समिति को प्रस्तुत करेंगे;

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पंचायत तथा नगर निकाय अपनी समितियों से प्रस्ताव लेकर फरवरी/मार्च स्वीकृति प्रदान कर जिला योजना समिति को सीधे प्रस्तुत करेंगे।

(4) गणपति तथा नगर निकाय ऐसी स्वीकृति संदर्भ एवं प्रस्ताव जिला योजना समिति के समक्ष पाह मई तक प्रस्तुत कर देंगे।

जिम्मा
योजना को अन्तिम रूप
दिया जाना

26. समिति जिले के लिए विकास योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देगी।

अध्याय-4
वैठकें

कार्य
सूची

27. (क) अन्तिम बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि;
(ख) बैठक के दौरान पटल पर पत्र आदि की सूचना के लिए रखा जाना;
(ग) जिला योजना समिति द्वारा कोई निर्वाचन;
(घ) सरकार या उसके किसी अधिकारी से प्राप्त पत्रों पर विचार करना;
(ङ) जिला परिषद द्वारा भेजी गयी सूचना, वगैरे यदि कोई हों तो पढ़ा जाना;

- (च) कार्यक्रम के परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव;
 (छ) शासकीय कार्य से सम्बन्ध विषय;
 (ज) उप समितियों की कार्यवाहियों;
 (झ) प्रश्न;
 (ञ) ऐसे अशासकीय संकल्प जिनकी सूचना सदस्यों से प्राप्त हुई हो और बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित हो।
 (ट) अन्य शासकीय कार्य।

बैठकों का दिनांक, समय और स्थान

28. 1. जिला योजना समिति की बैठक यथा व्यवस्थित रूप से बुलाई जा सकती है;

परन्तु यह कि बैठक प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम एक बार जिला मुख्यालय पर होगी, जिसके लिये तारीख और समय अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाएगा।

2. प्रत्येक बैठक की तारीख, समय और स्थान की सूचना मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/सचिव, जिला योजना समिति द्वारा प्रत्येक सदस्य को प्रेषण प्रमाण पत्र के अर्धीन उसके अन्तिम ज्ञात पते पर, बैठक के दिनांक से कम से कम 15 दिन पूर्व भेजी जायेगी या भिजवाई जायेगी;

परन्तु यह कि आपात बैठक के लिए 10 दिन से कम अवधि की सूचना दी जा सकती है।

गणपूर्ति

29. (1) जिला योजना समिति की बैठक में कोई कार्य तब तक सम्पादित नहीं किया जायेगा, जब तक तत्काल कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम $\frac{1}{2}$ सदस्य उपस्थित न हों।

(2)-यदि कोई बैठक, गणपूर्ति न होने के कारण स्थगित कर दी जाय, तो स्थगित बैठक के लिये कम से कम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

बैठक का अध्यक्ष

30. (1) बैठक में जितने के प्रभारी मंत्री जो जिला योजना समिति के अध्यक्ष होंगे या उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा इस निमित्त चयन किये गये किसी सदस्य द्वारा की जायेगी।

बैठक की सूचना

31. (1) जिला योजना समिति की बैठक में निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ 1/5 सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे, के अलावा स्थायी आमंत्रित सदस्यों को उपस्थित होने हेतु उनके स्थायी पते पर सूचना भेजी जायेगी और उनके स्तर से सकल्प भी प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2)- बैठक में भाग लेने हेतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र से सम्बन्धित नियुक्त समस्त अधिकारी भी अपेक्षित होने पर उपस्थित होंगे।

व्यवस्था बनाये रखने का अधिकार

32. (1) यदि जिला योजना समिति की किसी बैठक में कोई सदस्य या व्यक्ति अध्यक्ष के किसी ऐसे निर्देश का अनुपालन करने से इन्कार करता है, जिसमें किसी कार्य, चर्चा या विषय को नियम बाह्य करने या अन्यथा सदस्यों के आचरण या किसी के संचालन को नियमित करने की व्यवस्था की गयी हो या यदि कोई सदस्य अथवा व्यक्ति बैठक में जानबूझकर बाधा डालता है, तो अध्यक्ष उस सदस्य से बैठक से घले जाने की अपेक्षा कर सकता है और अनुपालन न करने की दशा में हटाने या अग्रतन्त्रित करने की कार्यवाही कर सकता है।

अध्यक्ष के कर्तव्य

33. (1) जिला योजना समिति तथा उसकी उप समितियों की जो तदर्थ निरस्त की जाय, सभी बैठकों को बुलाये और उनकी अध्यक्षता करे।

(2)- जिला योजना समिति की सभी बैठकों में वक्तव्य के सम्पादन के तदर्थ बनाये गये किसी भी नियम के अनुसार अन्यथा नियंत्रित करे।

(क) जिला योजना समिति के वित्तीय कार्यक्रमों पर दृष्टि रखे तथा नियंत्रण और अधीक्षण में यदि उनमें कोई त्रुटि हो तो उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करे।

(ख) किन्हीं ऐसे कार्यों का सम्पादन करे जिसका दायित्व अधिनियम अथवा इस नियमावली द्वारा उसे सौंपा गया हो।

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण समिति

34

(1) समिति किसी विभाग, विषय, योजना, स्कीम, परियोजना में किसी समाधान हेतु जिला स्तरीय अधिकारी, जो समिति के नियंत्रणाधीन है, को तकनीकी प्रकल्प तैयार कर जाँच/निरीक्षण हेतु आवश्यक निर्देश दे सकती है।

(2) कार्यदल (टास्क फोर्स) तकनीकी प्रकल्प का यह दायित्व होगा कि वह समिति द्वारा निर्धारित किये गये समय में अपनी रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करे।

अध्याय-5

निर्वाचन

निर्वाचन

35

इस नियमावली के उपबन्धों के कार्यान्वयन में यदि कोई विशाल उत्पन्न होता है, तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

आज्ञा से,

(अभिप्रेत प्रकाश)

सचिव

(201)

आदर्श आचरण संहिता

भारत का संविधान के 73 व 74वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों एवं नागर निकायों को न केवल संवैधानिक इकाई बनाया गया है, बल्कि प्रत्येक पांच वर्ष में इनके निर्वाचन अनिवार्य कर दिये गये हैं। उक्त संशोधनों द्वारा इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी जाति के अलावा महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी है जो पंचायतों को प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243-ट तथा 243-य-क के अन्तर्गत पंचायतों एवं नागर निकायों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। अतः इन निर्वाचनों को सही ढंग से सम्पादित कराने हेतु "आचरण संहिता" की परम आवश्यकता है, ताकि निर्वाचनों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता निरन्तर बनी रहे। अतः राज्य पंचायतों व नागर निकायों के निर्वाचनों को पूर्णतः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक आचरण संहिता तैयार की गयी है जो कि इन निर्वाचनों के दौरान सभी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों, मतदाताओं, शासकीय विभागों और चुनाव प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होगी।

आदर्श आरण संहिता के अविभाज्य प्राविधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1960 ई० में पूर्ण से ही निहित है, अर्थात् इस संहिता के उल्लंघन करने वालों को उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दंड दिया जा सकता है इसके अलावा उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र का निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द भी किया जा सकता है।

अतः संविधान के अनुच्छेद 243-ट तथा 243-य-क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947, (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित), एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961, (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित), एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916, (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित), तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित), के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड निम्नलिखित "आदर्श आचरण संहिता" राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू करने की उद्घोषणा करता है।

1. सामान्य आचरण संहिता :

1. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे कि किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो, या उनमें तनाव की मनःस्थिति उत्पन्न करने की सम्भावना हो।
2. मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं देना चाहिए।
3. पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा का उपयोग निर्वाचन अभियानों में नहीं करना चाहिए।
4. किसी भी उम्मीदवार को ऐसे कार्यों से ईमानदारी के साथ परहेज करना चाहिए जो कि निर्वाचन विधि के अन्तर्गत "भ्रष्ट आचरण" और अपराध माने गये हैं। जैसे :-

(क) मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा करना।

(ख) किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या करवाना।

(ग) मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा-धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करने का प्रयास करना।

(घ) मतदाताओं का प्रतिरूपण कर अर्थात् गलत नाम से अपने पक्ष में मतदान करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से प्रोत्साहित करना या मदद करना।

(ङ) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या मतदान केन्द्र से जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना।

- (घ) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संघाचना करना।
- (छ) मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास आपत्तिजनक अथवा अशोभनीय आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अमरुद व्यवहार करना।
- (ज) मतदान केन्द्रों में कब्जा करना अथवा मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने से रोकना या मतदेय स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करना।
- (झ) आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करना या उनमें अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करना।
5. मतदान के दो दिन पहले से मतदान के अन्तिम समय तक उम्मीदवार न तो मादक यस्तुएं खरीदें न ही यह उन्हें किसी व्यक्ति को सेवन या वितरण के लिए दें। इतना ही नहीं, वह अपने चुनाव कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी ऐसा न करने दें।
 6. निर्वाचन कार्य में तैनात अधिकारियों के साथ प्रत्येक उम्मीदवार व उसके कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों द्वारा पूरा सहयोग करना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार की अपनी यह नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारी है।
 7. मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिए, जिनमें मतदाता का नाम, उनके पिता/पति का नाम, ग्राम, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके अनुक्रमांक के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।
 8. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिनका उसके सार्वजनिक जीवन या क्रिया-कलापों से कोई सम्बन्ध नहीं हो, और न ही ऐसे आरोप लगाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।
 9. किसी भी उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थकों का पुतले लेकर घबाने, उनके सार्वजनिक स्थानों पर चलाने और इस प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए।
 10. किसी भी उम्मीदवार को सत्ताधारी दल से चाहे वह केन्द्र का हो या राज्य का, किसी भी तरह से अपने चुनाव प्रचार तथा अपने पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सहायता नहीं लेनी चाहिए।
 11. शासन के विभ्रम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किसी भी उम्मीदवार को नहीं करना चाहिए।

2. चुनाव प्रचार :

1. प्रत्येक उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने चुनाव प्रचार हेतु किसी सरकारी भवन, कार्यालय एवं किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लगाने तथा संदेश या नारे लिखने जैसे काम उस सम्पत्ति के स्वामी तथा उसमें अध्यासित व्यक्ति के बिना न करें और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं को ऐसा करने दें।
2. किसी भी उम्मीदवार द्वारा दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में लगाये गये झंडे या पोस्टरों को नहीं हटाना चाहिए।
3. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों द्वारा किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न न की जाय। उन्हें न तो अपने समर्थक में निकाले तुलूस, उस रास्ते से या स्थान में ले जाने और आयोजित करने चाहिए, जहां दूसरा कोई उम्मीदवार अपने समर्थन में जुलूस या सभा आयोजित कर रहा है।

3. सभाएं एवं जुलूस :

1. सार्वजनिक सभा या रैली के आयोजनार्थ प्रस्तावित स्थान तथा समय की सूचना उम्मीदवार को स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहले से ही उपयुक्त समय पर दे देनी चाहिए ताकि यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर सकें।

2. किसी हाट/बाजार या सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा या रैली के आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से पूर्वानुमति ली जानी चाहिए।
 3. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस स्थान पर उसका या उसके समर्थकों का, उसकी उम्मीदवारी के पक्ष में सभा या रैली करने का प्रस्ताव है, वहां कोई निषेधात्मक या प्रतिबन्धात्मक आदेश तो शासन अथवा न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, यदि ऐसा आदेश लागू हो, तो उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, यदि ऐसे आदेशों से छूट का प्रावधान हो तो उसके लिए समय से आवेदन कर छूट की आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिए।
 4. उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्हीं मार्गों से ले जायें, जिन मार्गों के लिए कि उसे पूर्वानुमति मिली हो और उसमें कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिए।
 5. उम्मीदवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके जुलूसों या सार्वजनिक सभाओं या रैलियों के कारण यातायात में कोई बाधा न पड़े। ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कडाई के साथ पालन किया जाना चाहिए।
 6. उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके जुलूसों और सभाओं या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलने में प्रतिबन्ध हो या जिनका उपयोग के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता है।
 7. यदि किसी प्रस्तावित सभा या रैली के सम्बन्ध में लाउडस्पीकर के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो, तो उम्मीदवार को सम्बन्धित जिला अधिकारी से पर्याप्त समय पूर्व आवेदन के द्वारा प्राप्त कर लेनी चाहिए।
 8. उम्मीदवार और उनकी सभा या रैली के आयोजकों का यह नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वे सभा या रैली में विघ्न डालने वालों से या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने के प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की मदद लें, न कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने लगे।
- 4. मतदान दिवस पर उम्मीदवार से अपेक्षा :**
1. निर्वाचन कर्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान शान्तिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो और मतदाताओं को इस बात की स्वतंत्रता हो कि बिना किसी परेशानी, बाधा एवं दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
 2. अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त विले या पहचान-पत्र समय से दें।
 3. इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को दी गयी पहचान पर्चियां सादे कागज पर हों और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार के नाम न हो।
 4. मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये शिविरों के आस-पास अनावश्यक भीड़ न होने दें ताकि उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच आपस में मुठभेड़ या तनाव होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
 5. यह सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार के उक्त शिविर साधारण हों और उन पर से किसी भी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में स्पष्ट अथवा सांकेतिक चुनाव प्रचार न हो और उनमें कोई खाद्य एवं पेय पदार्थ न दिये जायें और नही वहां भीड़ लगने दी जाय।
 6. मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगायी जाने वाली पाबन्दियों का पालन करने में अधिकारियों के साथ सहयोग करें।
 7. मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई दिये गये अनुमति-पत्र (पास) के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

6. सत्ताधारी दल हेतु अपेक्षित आचरण एवं व्यवहार :

1. सत्ताधारी दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी उम्मीदवार या राजनैतिक दल को यह शिकायत का मौका न मिले कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिए अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है,

और विशेष रूप से-

(क) माननीय मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों के निर्वाचन में सम्बन्धित प्रचार कार्य से नहीं जोड़ना चाहिए और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए शासकीय तंत्र अथवा कर्मियों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए।

(ख) सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी और अर्ध-सरकारी वाहनों, तंत्र और कर्मियों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा।

2. सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि, पर निर्वाचन समारं आयोजित करने और निर्वाचन के सम्बन्ध में हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैडों के इस्तेमाल करने के लिए अपना एकाधिकार न जमाए। ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और उम्मीदवारों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाय, जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

6. शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिए :

1. शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि यह किसी को यह महसूस न होने दें कि वे निष्पक्ष नहीं हैं। जनता को उनके निष्पक्षता पर विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसे कोई कर्तव्य नहीं करने चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि किसी उम्मीदवार की मदद/विरोध कर रहे हो।
2. चुनाव के दौरे के समय यदि कोई भी मा० मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें, तो किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण-पत्र प्राप्त हो तो उसे नभ्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए।
3. साधारणतया चुनाव के समय जो आम सभा सभा आयोजित की जाती है, उसे चुनाव सम्बन्धी सभा मनना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं होना चाहिए। अतः चुनाव के दौरान चुनाव क्षेत्र में असामान्य निर्माण या किसी परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए।
4. उन अधिकारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिए या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, दूसरे अधिकारियों को ऐसी सभा या आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिए।
5. यदि कोई मा० मंत्री चुनाव के काम के लिए चुनाव क्षेत्र में जाये तो शासकीय कर्मचारियों को उनके साथ नहीं जाना चाहिए।
6. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवार या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन में कोई उम्मीदवार या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों, तो उस उम्मीदवार या दल को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया हो।

7. निर्वाचन घोषणा के दिनांक से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के दिनांक तक-

(क) नगरपालिकाओं/निगमों, सहकारी संस्थाओं एवं शासकीय उपक्रमों, प्राधिकरणों/निकायों, जिला पंचायतों एवं अन्य सरकारी वाहनों के उपयोग की अनुमति मा० मंत्रीगणों, सांसदों एवं विधान मण्डल सदस्यों, पंचायतों एवं नागर निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों अथवा उम्मीदवारों को नहीं दी जानी चाहिए। मा० मंत्रीगण चुनाव अवधि तक शासकीय साधनों से अशासकीय यात्रायें न करें। व्यक्तिगत यात्राओं के लिए शासकीय साधनों एवं सरकारी तंत्र का प्रयोग न किया जाय और न ही सरकारी तंत्र से किसी प्रकार की सहयोग की अपेक्षा की जानी चाहिए।

- (ख) मा० मंत्रीगणों, पंचायतों एवं नागर निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा जन-सम्पर्क शक्ति या विवेकाधीन शक्ति में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए।

निर्वाचन प्रक्रिया की सम्पूर्ण अवधि में सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में सांसद निधि, विधायक निधि व अन्य किसी शासकीय निधि से नये निर्माण कार्य न तो स्वीकृत किये जाय, न तो क्रियान्वित किये जाय और न ही उनकी घोषणा की जानी चाहिए। अर्थात् यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी नये निर्माण कार्य शुरू नहीं किये जायेंगे और न ही उक्तार्थ धनराशि स्वीकृत की जायेगी। ऐसे कार्यों को करने हेतु निविदायें, विज्ञापन आदि भी प्रकाशित स्वीकृत की जायेगी। ऐसे कार्यों को करने हेतु निविदायें, विज्ञापन आदि भी प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा ऐसी निविदायें जो आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी होने के पूर्व आमंत्रित की जा चुकी हों उन पर भी अग्रेतर कोई भी कार्यवाही/निर्णय आदर्श आचार संहिता के निष्प्रभावी होने के बाद ही की जाय (निर्वाचन प्रक्रिया की अधिसूचना से पूर्व तक जो भी निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुके तथा निर्माणाधीन थे, उन कार्यों पर रोक नहीं होगी। अपितु नये निर्माण कार्यों जिनसे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं उन पर पूर्णतः रोक रहेगी) ऐसे सतत चलने वाले विकास/निर्माण कार्य जो वर्ष-प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य सरकार की आय-व्ययक में पहले से प्रावधानित हो उन पर कोई रोक नहीं होगी।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रभावी क्षेत्रों की जनता की सुरक्षा एवं सहायता के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों में सिधिलीकरण किया जा सकता है।

नई योजनाओं की शुरुआत, शिवाग्यास, उद्घाटन आदि नहीं किये जायेंगे। तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मतदाता पर प्रभाव पड़ने की आशंका हो।

- (ग) शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विभागों या संस्थाओं द्वारा ऐसे विज्ञापन समाचार-पत्रों अथवा अन्य प्रकार माध्यमों से नहीं दिये जायें जो सत्तारूढ़ दल के शासन अथवा विभाग या संस्थाओं की उल्लेखनीय प्रगति, भावी योजनाओं या आश्वासनों को रेखांकित करते हों।
- (घ) निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि के दौरान आदर्श आचरण संहिता लागू रहते हुए विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा नई नियुक्तियों/भर्तियों आदि नहीं की जायेगी। यह प्रतिबंध कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन से संबंधित आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, पी०सी०एस० एवं पी०पी०एस० संवर्ग के अधिकारियों पर भी लागू रहेगा।

उक्त के अतिरिक्त निर्वाचन सम्पन्न होने तक निम्न कार्यों के क्रियान्वयन पर भी प्रभावी रोक रहेगी:-

- (i) आग्नेयास्त्रों के एवं उनके व्यवसायों हेतु नये लाइसेंस जारी किया जाना।
- (ii) पंचायतीराज एवं नागर स्थानीय निकाय संस्थाओं द्वारा भूमि, दुकान, मघन आदि के आवंटन पट्टे की कार्यवाही किया जाना।
- (iii) पंचायत एवं नागर निकायों की चल-अचल संपत्ति का स्थानान्तरण किया जाना।
- (iv) पंचायत एवं नागर स्थानीय निकाय संस्थाओं से संबंधित मामलों में श्रीलामी, ठेके, तहवाजारी की कार्यवाही किया जाना।
- (v) पंचायत एवं नागर निकाय क्षेत्रों में सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकानों के लाइसेंस प्रदान करना।
- (vi) पंचायत एवं नागर निकाय द्वारा नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं उनके लिये धनावटन तथा नये निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।

निर्वाचन अवधि के दौरान मतदाताओं को निर्भीकता पूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से अपने मतधिकार का प्रयोग करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए शासन/प्रशासन द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय:-

- (अ) निर्वाचन अवधि के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों की लाइसेंसधारियों के आग्नेयास्त्रों को जमा कराये जाय तथा शस्त्र लेकर चलने पर रोक लगायी जाये।
- (ब) निर्वाचन कार्यों में गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाय।

- (स) मतदान केन्द्रों/स्थलों तथा मतगणना केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। ताकि बलपूर्वक मतदान एवं बूध कैचरिंग की घटनाएँ घटित न हो तथा दलित/निर्बल वर्ग के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से न रोका जाय।
- (द) मतदान एवं मतगणना की तिथियों पर शराब/भांग और अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगायी जाय।
- (य) मतदान एवं मतगणना की तिथि पर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।
- (र) मतदान की तिथि पर राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं स्थानीय निकायों में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाय।
- (ल) मतदान की तिथि पर कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत कर्मीगरो/मजदूरों को अवकाश दिया जाय।

उक्त के आलेक में यदि आदर्श आचरण संहिता का कोई उल्लंघन प्रकाश में आये तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाय।

आदर्श आचरण संहिता के तहत उल्लिखित व्यवस्थाओं से अवगत होते हुए संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों, सचियों, आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिला अधिकारियों तथा कार्यालयध्यक्षों द्वारा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

४० सुयुद्धन
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।



सत्यमेव जयते

(208)

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, साङ्गपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671

टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या:- 3067 /रा0नि0आ0-3/2763/2019 देहरादून दिनांक: 05 नवम्बर, 2019

आदेश

नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों को स्पष्ट, निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा आदेश संख्या-846/रा0नि0आ0/लेखा अनु0/55/2002 दिनांक 01, जनवरी, 2003 द्वारा "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश, 2003" जारी किया गया था जिसे अवक्रमित करते हुए "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243 व क तथा उत्तर प्रदेश नगर पञ्जिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रयुक्त) की धारा 13-छ के खण्ड (थ) एवं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम-1959 (उत्तराखण्ड में यथा प्रयुक्त) की धारा 46 के खण्ड (न) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन हेतु धनराशि व्यय करने के सम्बन्ध में आदेश दिया जाता है कि:-

(1) यह आदेश "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश, 2019" कहा जायेगा।

(2) यह आदेश सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु लागू होगा।

(3) यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।

2. अधिकतम निर्वाचन व्यय इस आदेश के अनुलग्नक-1 के स्तम्भ-2 में वर्णित पदां के उम्मीदवारों द्वारा स्तम्भ-3 में उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं किये जायेंगे।

3. (1) नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में स्वयं उम्मीदवार (निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार सहित) द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा किये गये या प्राधिकृत कर करार्ये गये सम्पूर्ण व्ययों का प्रथम शुद्ध लेखा स्वयं उम्मीदवार द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा रखा जायेगा। यह लेखा नामांकन के दिनांक तथा उसके परिणाम घोषित होने के दिनांक के मध्य (दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुये) किये जाये वाले व्ययों का होगा। निर्वाचन से सम्बन्धित यह लेखा विवरण इस आदेश में दिये गये अनुलग्नक-2 (दिन-प्रतिदिन का लेखा) तथा अनुलग्नक-3 (मदवार व्यय का विवरण) में निर्धारित प्रारूप के अनुसार रखा जायेगा। इसमें दिन-प्रतिदिन के व्यय के हर एक मद के विषय में निम्नलिखित विवरण होंगे:-

(क) यह दिनांक जिसको व्यय किया गया या प्राधिकृत किया गया।

(ख) व्यय की प्रकृति (उदाहरण के लिये यात्रा, डाक या मुद्रण और अन्य इसी प्रकार का व्यय)

कमश्त.....2

- (ग) व्यय की धनराशि
 (अ) भुगतान की गयी धनराशि
 (ब) अवशेष धनराशि
 (घ) भुगतान का दिनांक,
 (ङ) पाने वाले का नाम व पता,
 (च) भुगतान की गई धनराशि की दशा में दाउचरों का क्रम-संख्यांक,
 (छ) अवशेष धनराशि की दशा में बिल संख्या, यदि कोई हो,
 (ज) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसको अवशेष धनराशि देय हो।

(2) व्यय की हर मद के लिये वाउचर प्राप्त किया जायेगा तब जबकि डाक व्यय या रेल द्वारा या उसी तरह के मामलों में जिसमें मामले की प्रकृति के कारण वाउचर प्राप्त करना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है।

(3) समस्त वाउचर उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा भुगतान के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे और क्रम संख्यांकित किये जायेंगे तथा निर्वाचन व्ययों के लेखों के साथ दाखिल किये जायेंगे और ऐसे क्रम संख्यांकन उप प्रस्तर (1) में उल्लिखित लेखों के मद (घ) के अन्तर्गत दर्ज किये जायेंगे।

(4) उप प्रस्तर (1) की मद (ङ) में वर्णित विशिष्टियाँ/विवरण व्यय की उन मदों की बाबत देनी आवश्यक न होंगी जिनके उप प्रस्तर (2) के अधीन वाउचर प्राप्त नहीं किये गये हैं।

4. लेखाओं के निरीक्षण के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सूचना-जिला निर्वाचन अधिकारी उस दिनांक से जिसको निम्नांकित व्ययों का लेखा उम्मीदवार द्वारा दाखिल किया गया है, दो दिन के भीतर एक सूचना जिसमें :-

- (क) वह दिनांक जिसमें लेखा दाखिल किया गया है,
 (ख) उम्मीदवार का नाम, तथा
 (ग) वह समय और स्थान, जिसमें ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकेगा।

विनिर्दिष्ट हो, अपने सूचनापत्र पर लगायेंगे।

5. लेखाओं का निरीक्षण और उनकी प्रतियाँ प्राप्त करना- कोई व्यक्ति दस रुपये की फीस का भुगतान करके ऐसे किसी लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा और ऐसी फीस के भुगतान पर, जैसा राज्य निर्वाचन आयोग नियत करे, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने का हकदार होगा।

6. (1) किसी निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों के लेखाओं के दाखिल के लिये चुनाव परिणाम की घोषणा के इस आदेश के प्रस्तर-9 में निर्धारित समय की समाप्ति के तुरन्त बाद जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) एक रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को देगा, जिसमें निम्नलिखित बातों का उल्लेख होगा:-

- (क) हर एक निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम,
 (ख) उम्मीदवार ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है या नहीं और यदि कर दिया है तो उसका दिनांक,
 (ग) लेखा निर्धारित समय के अन्दर और निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार दाखिल किया गया है या नहीं ?

३

- (2) जहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) की यह राय है कि किसी उम्मीदवार का निर्वाचन व्ययों का लेखा इन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल नहीं किया गया है वहाँ वह ऐसी प्रत्येक आख्या के साथ उस उम्मीदवार के निर्वाचन व्ययों के लेखों और उसके साथ दाखिल वाउचरों को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेगा।
 - (3) जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) उप प्रस्तर-(1) में निर्दिष्ट आख्या प्रेषित करने के तत्काल पश्चात् उसकी प्रति अपने सूचनापट्ट पर लगाकर उसका प्रकाशन करेगा।
 - (4) राज्य निर्वाचन आयोग उप प्रस्तर-(1) में निर्दिष्ट आख्या की प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार(निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार सहित) व्ययों का लेखा उस समय के अन्दर और उसी रीति में, जो कि इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा या नहीं।
 - (5) जहाँ कि राज्य निर्वाचन आयोग यह विनिश्चित करता है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई उम्मीदवार निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा उस समय के अन्दर और उस रीति में, जो इस आदेश द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, वहाँ वह उस उम्मीदवार को लिखित कारण बताओ नोटिस देगा कि क्यों न इस असफलता पर उसे अनर्ह कर दिया जाय।
 - (6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार जिसे उप प्रस्तर (5) के अधीन कारण बताओ नोटिस दिया गया है, उस नोटिस की प्राप्ति के 20 दिन के भीतर इस विषय में लिखित आवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को दे सकता है और उस आवेदन की एक प्रति और निर्वाचन व्ययों का पूरा लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को भी प्रेषित करेगा।
 - (7) जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) उस आवेदन की प्राप्ति के पाँच दिन के अन्दर आवेदन की प्रति और यदि कोई लेखा हो तो ऐसा लेखा अपनी टिप्पणियों सहित राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित करेगा।
 - (8) यदि उम्मीदवार द्वारा प्रेषित किये गये आवेदन पर और जिला निर्वाचन अधिकारी(नागर स्थानीय निकाय)द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, राज्य निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि उम्मीदवार के पास अपना लेखा दाखिल करने में असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायिक औचित्य नहीं है तब वह उस उम्मीदवार को आदेश के दिनांक से तीन (03) वर्ष के लिये अनर्ह घोषित करेगा और आदेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करवायेगा।
7. (1) प्रत्येक उम्मीदवार अपने परिणाम घोषित होने के तीस (30) दिन के भीतर या यदि वह एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ रहा है तो उनमें अन्तिम निर्वाचन परिणाम

की घोषणा की दिनांक से तीस (30) दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) को प्रस्तुत करेगा। निर्वाचन व्ययों का यह ब्योरा निर्वाचन व्ययों की सत्यापित प्रति होगी जो कि उसने स्वयं या उसके अभिकर्ता द्वारा रखी गयी है।

- (2) प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करते समय एक शपथ-पत्र, जैसा अनुलग्नक-4 में दिया गया है, भी जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। शपथ-पत्र में यह यह स्पष्ट उल्लेख करेगा कि प्रारूप के भाग-3 में सूचीबद्ध मदों में दर्शाया गया व्यय शून्य है, यदि उसमें कोई रिक्ति है, शपथ-पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा कि उससे सम्बन्धित सूचीबद्ध मदों में सम्पूर्ण निर्वाचन व्यय को उक्त विवरण में पूर्णतः और स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया गया है और निर्वाचन में किया गया कोई व्यय छिपाया नहीं गया है।

8. प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत व्यय की विवरणी में 'समस्त' निर्वाचन व्ययों का सही लेखा दिखाना है, इसलिये जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) व्यय विवरणी निर्धारित रीति के अनुसार होने पर उम्मीदवार का लेखा स्वीकार करने से पूर्व उसकी ऐसी जाँच करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे। जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) यथापेक्षित अपनी सूचना आयोग को देते समय यह सत्यापित करेगा कि लेखा विवरण रीति में है। यह उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत एवं सत्यापित विवरण तथा दस्तावेजों को आयोग के निमित्त प्रमाणित करके भेजेगा।

9. आयोग उपर्युक्त प्रक्रिया से प्रस्तुत किये गये विवरणों की प्रामाणिकता की जाँच करा सकता है और उम्मीदवार की किसी चूक या गलत सूचना के लिये उसे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरा सकता है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(चन्द्रशेखर भट्ट)


राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या:- 3067 (1)/रा0नि0आ0-3/ 2763/2019/ तददिनांक (ई-मेल)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 4- सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 6- समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय), उत्तराखण्ड।
- 7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थाने चुनावालय, उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (नागर स्थानीय निकाय), उत्तराखण्ड।
- 10-समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थाने चुनावालय, उत्तराखण्ड।

- 11- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस आदेश को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 12- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय फोटो लिथो प्रेस रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 25 प्रतियाँ आयोग को उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 13- आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
- 14- गार्ड फाइल।


(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

OK 3

(2/2)

संख्या:- 3067- /राधनि0आ0-3/2763/2019 दिनांक: 05 नवम्बर,2019

अनुलग्नक-1

नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन:-

क्र.सं.	उम्मीदवारों का पद	अधिकतम व्यय सीमा (रुपये में)
1	2	3
1.	नगर प्रमुख, नगर निगम	16,00,000
2.	उप नगर प्रमुख, नगर निगम	2,00,000
3.	सभासद, नगर निगम	2,00,000
4.	अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद,	4,00,000 (10 वार्ड तक) 6,00,000 (10 वार्ड से अधिक)
5.	सदस्य, नगर पालिका परिषद	60,000
6.	अध्यक्ष, नगर पंचायत	2,00,000
7.	सदस्य, नगर पंचायत	30,000

अनुलग्नक-2

**नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन व्यय का लेखा विवरण का प्रारूप
(दिन प्रतिदिन का लेखा)**

- 1- उम्मीदवार का नाम:-
- 2- पदनाम:-
- 3- राजनीतिक दल का नाम यदि कोई हो:-
- 4- नागर स्थानीय निकाय का नाम:-
- 5- कक्ष/निर्वाचन क्षेत्र, जहां से निर्वाचन लड़ा गया:-
- 6- परिणाम घोषित किए जाने की तिथि:-

व्यय का दिनांक	व्यय की प्रकृति	व्यय की गई/ भुगतान की गई धनराशि	धनराशि बकाया	भुगतान का दिनांक	पाने वाले का नाम व पता	धनराशि का भुगतान कर दिये जाने की स्थिति में बाउण्डर ३०००० व दिनांक	किसी धनराशि के बकाया रहने की स्थिति में बिल की क्र०३०० व दिनांक	ऐसे व्यक्ति का नाम व पता जिससे बकाया धनराशि देय है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रमाणित किया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर मेरे द्वारा/मेरे निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा रखे गये लेखा की यह सत्य प्रतिलिपि है।

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर

(215)

संख्या:-3067 / रा0नि0आ0-3/2763/2019 दिनांक: 05 नवम्बर, 2019

अनुलग्नक-3

नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा किए गए व्यय के विवरण का
प्राकृत्य

(नामांकन की तिथि से परिणाम घोषित होने की तिथि के मध्य)

(भदवार व्यय का विवरण)

1. उम्मीदवार का नाम-
2. पदनाम-
3. राजनीतिक दल का नाम यदि कोई हो-
4. नागर स्थानीय निकाय का नाम-
5. कक्ष/निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से निर्वाचन लड़ा गया-
6. परिणाम घोषित किए जाने की तिथि:-

क्र. सं.	व्यय की मद	मात्रा संख्या	व्यय की धनराशि	भुगतान की तिथि	व्यय के भुगतान/ लेखा का प्रमाण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

1. नाम निर्देशन पत्र का मूल्य
2. जमानत की धनराशि
3. मतदाता सूची क्रय करने का व्यय
4. निर्वाचन घोषणा पत्र छपाने का व्यय
5. पोस्टर छपवाने का व्यय
6. हैंड बिल छपवाने का व्यय
7. पोस्टर छिपकवाने पर व्यय
8. निर्वाचन कार्यालय का किराया
9. हैंड बिल वितरित कराने पर व्यय
10. विज्ञापन छपवाने पर व्यय
11. निर्वाचन प्रचार सभाओं पर व्यय
12. निर्वाचन सभाओं हेतु स्थान, पण्डाल इत्यादि
13. ध्वनि विस्तारक यंत्रों के किराये पर व्यय
14. फोटोग्राफर एवं वीडियो कैसेट आदि पर व्यय
15. निर्वाचन प्रचार हेतु विशिष्ट/ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बुलाने/ उनके भ्रमण पर हुआ व्यय

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

16. स्वागत द्वार, झंडे, बैनर इत्यादि
खनवाने पर हुआ व्यय
17. प्रत्याशी, उम्मीदवार के निर्वाचन एजेण्ट,
पोलिंग एजेण्ट तथा काउन्टिंग
एजेण्ट द्वारा वाहन तथा पीओआरएलओ
पर व्यय
18. प्रत्याशी के इलेक्शन एजेण्ट, पोलिंग
एजेण्ट, काउन्टिंग एजेण्ट एवं अन्य
कार्यकर्ताओं इत्यादि पर व्यय
19. निर्वाचन हेतु लिए गए सार्वजनिक वाहन
का किराया/ईंधन आदि
20. अन्य व्यय

योग-

घोषणा:-

प्रमाणित किया जाता है कि मैं विगत नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन में
निर्वाचन क्षेत्र में ... कक्ष से पद हेतु प्रत्याशी था। मैंने उक्त निर्वाचन में अपने
द्वारा व्यय की गई धनराशि का विवरण निर्धारित प्रारूप में को प्रस्तुत कर दिया था।

अथवा

मैं विगत नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन में किसी भी पद हेतु प्रत्याशी नहीं था।

स्थान -

दिनांक -

(प्रत्याशी के हस्ताक्षर)

पूरा नाम

पता

मो०न०

.....
जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

1. यह विवरण पत्र उम्मीदवार के शपथ पत्र के साथ लिया जायेगा। बिना शपथ पत्र के यह विवरण स्वीकार्य नहीं होगा।
2. व्यय की पुष्टि में सभी अभिलेख, बाउचर रसीद, पायती इत्यादि संलग्न किये जायेगे।
3. व्यय के विवरण उम्मीदवार के निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा दिये जाने की दशा में उम्मीदवार द्वारा इसे प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

(217)

संख्या-3067 /रा0नि0आ0-3/2763/2019 दिनांक: 05 नवम्बर, 2019

अनुलग्नक-4

शपथ-पत्र समक्ष जिलाधिकारी/जिलानिर्वाचन अधिकारी
शपथ-पत्र का प्रारूप

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... उम्र..... निवासी.....
..... एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक एवं ईमानदारी से निम्न तथ्यों का उल्लेख एवं घोषणा करता/करती हूँ।

1. यह कि मैं नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन वर्ष..... में निर्वाचन क्षेत्र/कक्ष क्रमांक..... से..... के पद हेतु सामान्य निर्वाचन/उप निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार था/थी, जिसका परिणाम दिनांक..... को घोषित किया गया।

2. यह मेरे नामांकन करने के दिनांक से और उसके परिणाम की घोषणा के दिनांक के बीच में दोनों दिवस सम्मिलित है, उक्त निर्वाचन के संबंध में व्यय किये गये और मेरे अभिकर्ता द्वारा प्राधिकृत व्यय का अलग-अलग और सही-सही लेखा मेरे/मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखा गया है।

3. यह कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाये गये प्रारूप में उक्त लेखे का खोरा दिया गया है और उसकी एक सत्य प्रतिलिपि उक्त लेखे में जम्मा-जम्मा फुटकर/बिलों की, इसमें साथ संलग्न की जा रही है।

4. यह कि मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में, जिसे संलग्न किया गया है, निर्वाचन की सभी मदों पर किये गये व्यय का खोरा दिया है, जिसमें मेरे और मेरे अभिकर्ता द्वारा प्राधिकृत व्यय सम्मिलित है, उसमें किसी व्यय को छिपाया नहीं गया है न दबाया गया है।

5. यह कि व्यय लेखा के अनुलग्नक में दिये गये मदों पर शून्य में दर्शाया गया व्यय नहीं किया गया है अथवा मेरे अथवा मेरे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है।

निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के हस्ताक्षर



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लडपुर, मन्तूरी बाईपास, रिग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671571

टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2676345

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या:- 71/रा0नि0अ0-3/2634/2019

दिनांक 26 अप्रैल, 2022

अधिसूचना

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 243-उक्त तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नाम प्रविष्ट अधिनियम, 1916), अनुसूचित एवं उन्नतरण आदेश, 2002 को धारा 44-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-192/IV(3)/2022-(11) 2022 दिनांक-25.04.2022 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के जनपद जनपद कुधमसिंहनगर की नगर पंचायत फेलाखोडा के अध्यक्ष एवं (अनासक्ति) एक नगर न्यायाधीश, शक्तिनाथ के अध्यक्ष एवं (अनासक्ति) के रिक्त पद पर, कोटिड-19 संबंधी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई गाईड लाईन्स का अनुपालन करते हुए, नए निर्वाचन निम्नलिखित दिनिर्दिष्ट समय-कारिगे के अनुसार मतदाता (गुडशुलाका) द्वारा कराये जाने के निर्देश देता हूँ।

2. इस उप निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

नाम निर्देशन पत्रों को जारी करने की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय	नाम आपसी जोड़ की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
05 मई, 2022 से 06 मई 2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अस्वाह्न 05.00 बजे तक)	07 मई, 2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	08 मई, 2022 (पूर्वाह्न 10.15 बजे से अस्वाह्न 02.00 बजे तक)	08 मई, 2022 (पूर्वाह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	19 मई, 2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अस्वाह्न 03.00 बजे तक)	21 मई, 2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

3. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (रा0नि0), कुधमसिंह नगर सम्बन्धित नगर पंचायत के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु निर्धारित विधि व नाम आश्वासन की पूर्ण विवरण देते हुए, अपने स्तर में सूचना दिनांक 27 अप्रैल, 2022 को जारी करेंगे और उसके प्रति सहायकी गजट में प्रकाशन के लिए इच्छित करेंगे तथा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल सूचना प्रेषित करेंगे। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कुधमसिंह नगर द्वारा उप निर्वाचन कार्यक्रम को स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक स्तर-स्तर के लिए जायेगा तथा सम्बन्धित नगर पंचायत में सूना की द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी।

4. नाम निर्देशन पत्रों को जारी करने नाम निर्देशन पत्रों की जांच नाम आपसी निर्वाचन प्रतीक आवंटन एवं मतगणना तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधित निर्वाचन अधिकारिका (निर्देशन अधिकारी)/सहायक निर्वाचन अधिकारिया (अफिस्टेंट निर्देशन अधिकारी) द्वारा सम्बन्धित नाम सम्बन्धित मुख्यगजट पर अधिका जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (रा0नि0) द्वारा सूचना निर्वाचन स्थान पर की जायेगी।

5. जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0) तथा उनके द्वारा उदात्तगोहीत किये गये संबंधित निकाय के निर्वाचन अधिकारी (रिटनिंग ऑफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटनिंग ऑफिसर) उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का संबंधित नगर पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

इस निर्वाचन समय-साथों के दौरान पड़ने वाले सम्बन्धी सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

(चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 71/रा0नि0आ0-3/2634/2019 तदुदिनांक।

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, कर्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, राहरी पिकस, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त उप निर्वाचन हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर के नगर पंचायत, कलाखेड़ा एवं नगर पंचायत, शक्तिगढ़ में निवास करने वाले राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थान/अर्द्धनिकाय/शापिडिअस प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मिकों/कर्मियों/नजदरों हेतु मतदान दिवस दिनांक 19 मई, 2022 को अवकाश घोषित करने का कष्ट करें।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
12. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(ना0नि0), ऊधमसिंहनगर।
13. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर।
14. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
16. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केंद्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने स्थान माध्यमों द्वारा प्रसारित करवायें का कष्ट करें।
17. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करा दें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केंद्रों को भी प्रसारण हेतु भेज दें।
18. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रापालय औद्योगिक प्रेस इकाई को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को दिनांक 25 अप्रैल, 2022 के अलावा मजदूरों में प्रकाशित कर 10 (दस) प्रतिभा आयोग को उपलब्ध करने का कष्ट करें।
19. आयोग के स्वरुत अधिकारी/अनुभाग।
20. आयोग के सूचना पट्ट पर रखने हेतु।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा है

(हिमाली सिंह)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।



220

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टेलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@us.gov.in

संख्या-173/स0नि0आ0-3/2634/2019

दिनांक 19 मई, 2022

अधिसूचना

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 243-एक तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 50 के उपधारा (4) एवं 46 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अधिसूचना संख्या-UD3-1/1.2/5/2022-IV-3 दिनांक 18 मई, 2022 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के नगर निगम रुद्रपुर के रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) संख्या-13 दुधिया नगर (अनारक्षित) एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) संख्या-36 आदर्श कालोनी घासमण्डी (अनुसूचित जाति) तथा नगर निगम हरिद्वार के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) संख्या-09 इमपुरी (अनारक्षित) एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) संख्या-60 इरिलोक (अनारक्षित) के रिक्त समासद के स्थानों, जो आरक्षण के स्थान आदेश से बाधित न हों, पर कोविड-19 संबंधी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई गाईड लाईन्स का अनुपालन कराते हुए, उप निर्वाचन निम्नलिखित विनेटिफ्ट समय-सारिणी के अनुसार मतपत्रों (गूडशलाका) द्वारा करवाये जाने के निर्देश दता हूँ।

2 इस उप निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है:-

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय	नाम वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक अपंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
26 मई, 2022 से 27 मई, 2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	28 मई, 2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	29 मई, 2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक)	29 मई, 2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	12 जून, 2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	14 जून, 2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

3. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार संबंधित नगर निगम के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु निर्धारित किये गये आरक्षण का पूर्ण विवरण देने हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 20 मई, 2022 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित प्रदेशक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी द्वारा सर्वसमाचारण को इसकी सूचना दी जायेगी।

4 नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी, निर्वाचन प्रतीक आवंटन एवं मतगणना तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटनिंग अधिकारियों)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटनिंग अधिकारियों) द्वारा नगर निगम मुख्यालय पर अथवा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर दी जायेगी।

क्रमशः- 2

5. जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उनके द्वारा पदाभिहीत किये गये संबंधित निकाय के निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (अनिस्टैंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त कंचकन का संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालय तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

6. उक्त समय-सारणी के दौरान पढ़ने वाले समस्त तार्वजनिक अवकाश दिवस पर सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

(चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 173/रा0नि0आ0-3/2634/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं अवकाश कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, न0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. सचिव सामान्य प्रशासन, विभाग उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त उप निर्वाचन हेतु नगर निगम, रुद्रपुर जयपुर ऊधमसिंह एवं नगर निगम हरिद्वार के सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में निवात करने वाले राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थान/अभियुक्तों/व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों/कारीगरों/मजदूरों हेतु मतदान दिवस दिनांक 12 जून, 2022 को अवकाश प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखण्ड।
11. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल एवं आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
12. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), ऊधमसिंहनगर एवं हरिद्वार।
13. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ऊधमसिंहनगर एवं हरिद्वार।
14. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार।
16. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केंद्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
17. महानिदेशक सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशित करा दें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केंद्रों को भी प्रसारण हेतु भेज दें।
18. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय नोटोतिथी प्रेस रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 19 अप्रैल, 2022 के असाधारण पत्र में प्रकाशित कर 10 (दस) प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुमण।
20. आयोग के सूचना पट्ट पर रखने हेतु।
21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(हिमाली शर्मा पेटवाल)
उप सचिव।



222

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बर्डिंग्स, रिग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : D135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या:- 174/रा0नि0आ0-3/2634/2019

दिनांक 19 मई, 2022

अधिसूचना

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 243-यक तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश गणर पालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 की धारा 13-क, ए व धारा 44-क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-UD3-1/1.2/5/2022-IV-3 दिनांक 18 मई 2022 के क्रम में संलग्नक-क के अनुसार रिक्त पदों, जो न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों पर कोविड-19 संबंधी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई गाइड लाईन्स का अनुपालन कराते हुए, उप निर्वाचन निम्नलिखित लिसेंस्ट समर-सारिणी के अनुसार मतपत्र (गूदशलाका) डार करये जाने के निर्देश देता हूँ।

2. इस उप निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है-

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय	नाम वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
26 मई 2022 से 27 मई 2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	28 मई, 2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	29 मई 2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक)	29 मई, 2022 (पूर्वाह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	12 जून, 2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	14 जून, 2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

3. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0) संबंधित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु निर्धारित किये गये आरक्षण का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 20 मई, 2022 को जारी करेंगे और उत्तरी प्रति सरकारों गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल सूचना प्रेषित करेंगे। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0) द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा संबंधित नगर पंचायतों में नुस्खी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी।

4. नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी निर्वाचन प्रतीक आवंटन एवं मतगणना तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटानिंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटानिंग आफिसर्स) द्वारा सम्बन्धित नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत मुख्यालय पर अथवा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0) द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

क्रमशः-2

5. जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नाशनि०) तथा उनके द्वारा पदाभिर्हीत किये गये संबंधित निकाय के निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का संबंधित नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

इस निर्वाचन समय-सारणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सर्वजनिक अज्ञात दिवसों पर सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(कमलेश्वर मेट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त

संख्या 174/रा०नि०आ०-3/2634/2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, म० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. अपर मुख्य सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. सचिव सामान्य प्रशासन, विभाग उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त उप निर्वाचन हेतु संलग्नक-क के अनुसार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करने वाले राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थानों/अद्वैतिकायों/उपनिवेश/प्रतिष्ठानों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मियों/मजदूरों हेतु नतवान दिवस दिनांक 12 जून, 2022 को अज्ञात घोषित करने का कष्ट करें। (संलग्नक-यथोपरो)
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल एवं आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, बाँडी।
12. सम्बन्धित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(नाशनि०), उत्तराखण्ड।
13. सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. सम्बन्धित उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
16. निदेशक, दूरदर्शन/अकारवाणी केंद्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
17. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस अधिसूचना को समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित करें तथा अकश्टर्णों/दूरदर्शन केंद्रों को भी प्रसारण हेतु भेज दें।
18. अपर निदेशक, राजकीय गुटणालय कोटोतिथी प्रसा रुडकी को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इन अधिसूचना को दिनांक 19 अप्रैल, 2022 के अस्थापना गजट में प्रकाशित कर 10 (दस) प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
20. आयोग के सूचना पट्ट पर रखने हेतु।
21. गाई फाइल।

आज्ञा से

(दिनेश्वरी मेट्टवाल)
उप सचिव।

०६/६/२२

अधिसूचना संख्या-174/रा0नि0आ0-3/2634/2019
संलग्नक-क

दिनांक 19 मई, 2022

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	रिक्त पद का नाम	वार्ड सं०/नाम	आरक्षण की श्रेणी
1	चमौली	नगर पालिका परिषद, चमौली-गोपेश्वर	अध्यक्ष	--	अनुसूचित जाति
2	लधनासंह नगर	नगर पालिका परिषद, किल्ला	सदस्य	02/ सांनेरा	अनुसूचित जाति
3	नैनीताल	नगर पालिका परिषद, रामनगर	सदस्य	16/ भूलचट्टी पूर्वी	महिला
4	बागेश्वर	नगर पालिका परिषद, बागेश्वर	सदस्य	01/ बिल नासेरा	अनारक्षित
5	उत्तरकाशी	नगर पालिका परिषद, चिन्मालीसांड	सदस्य	06/ नागौ बानपुर	अनारक्षित
6	चमौली	नगर पंचायत, पोखरी	सदस्य	06/ देवस्थान	महिला
7	पौड़ी मट्टवाल	नगर पालिका परिषद, पौड़ी	सदस्य	11/ राई क्षेत्र	अनुसूचित जाति
8	हरिद्वार	नगर पालिका परिषद, लक्तर	सदस्य	04/ शिल्पुरी पूर्वी	महिला
9	पिथौरागढ़	नगर पालिका परिषद, डीडीहाट	सदस्य	01/ वास्ट आफिस वार्ड	अनुसूचित जनजाति(महिला)
10	नैनीताल	नगर पंचायत, कालादूगी	सदस्य	04/ अस्पताल वार्ड	पिछडी जाति(महिला)

(हिमांशु मिश्रा पेटवाल)
उप, सचिव।

02/ 02/

**राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड**

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूठी राईपात, रिग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671

टैलीफैक्स : 0135-2670990, 2678945

E-Mail : sec.uttarakhand@gpnail.com

संख्या- 286/रागनि0आ0अनु0-2/3041/2021

देहरादून: दिनांक: 08 जून, 2022

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप-निर्वाचन।

अधिसूचना

सचिव, पंचायती राज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-139676/XII(1)-2022 दिनांक 07 जून 2022 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 'ए' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के पदों/स्थानों पर अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थान आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश देता हूँ:-


नाम निर्देशन पत्र जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
13.06.2022 एवं 14.06.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	15.06.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	16.06.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	17.06.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18.06.2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	19.06.2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से सायं की समाप्ति तक)

2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं०) (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) अपने जिले की ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त पदों/प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 09.06.2022 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे हुए उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित ग्राम पंचायतों में संचार माध्यमों/मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जनकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

क्रमशः-2

// 3 //

17. गहानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को सभी समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
18. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी अस्तित्व गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखाथं उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
20. सूचना-पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।


 (विन्दुशेखर भट्ट)
 राज्य निर्वाचन आयोग



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाहपुर, मसूरी बाईपास, रिग रोड, देहरादून।

दूरभाष 0135-2662753, 2662254

टेलीफैक्स : 0135 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या- 612/रा0नि0आ03ानु0-2/4024/2022

देहरादून दिनांक: 01 सितम्बर, 2022(पूर्वाह्न)

अधिसूचना

सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-677/XII(i) - 2022-84(09)/2019 दिनांक 31 अगस्त, 2022 के क्रम में मैं चन्द्रशेखर गड्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद हरिद्वार के समस्त 06 विकास खण्डों की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन एक चक्र में निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे:-

नामांकन की तिथियां	नामांकन पत्रों की जांच की तिथियां	नाम वापसी हेतु तिथि	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि	मतदान की तिथियां	मतगणना एवं परिणामों की घोषणा
1	2	3	4	5	6
06 सितम्बर, 2022 से 08 सितम्बर, 2022 तक (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	09 सितम्बर, 2022 से 11 सितम्बर, 2022 तक (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	12 सितम्बर, 2022 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक)	13 सितम्बर, 2022 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	26 सितम्बर, 2022 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	28 सितम्बर, 2022 (पूर्वाह्न 09:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार जनपद की ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण (सिद्ध पदों/स्थानों के आरक्षण सहित) विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 01.09.2022(अपराह्न) को जारी कर उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुये सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में ब्यपक प्रचार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पटों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

3. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), हरिद्वार की उपरोक्त सूचना के अधीन सभी निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों तथा जिला पंचायत के सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (समस्त पदों/स्थानों का आरक्षण सहित), पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तत्काल प्रेषित करेंगे।

क्रमशः2

/ / 2 / /

4. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रत्यक्षियों के, नाम-निर्देशन-पत्रों की विक्री सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर तथा सदस्य जिला पंचायत के प्रत्यक्षियों के नाम-निर्देशन पत्रों की विक्री जिला पंचायत मुख्यालय पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना जारी करने की तिथि से (अर्थात् दिनांक 01.09.2022(अपराह्न) से दिनांक 07.09.2022 तक) कार्यालय समय में तथा दिनांक 08.09.2022 को अपराह्न 3.00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

5. यह निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के अधीन रहते हुए उ0प्र0 पंचायत राज(सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन); नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन), नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त); तथा सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 2302(एम0/एस0)/2019 श्रीमती पिकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 441(एम0/एस0)/2020 मो0 युनुस बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय पर की जायेगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किये जायेंगे।

6. सदस्य जिला पंचायत के सदस्यों हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य जिला पंचायत मुख्यालय पर होगा किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जायेंगे।

7. कोविड-19 के दृष्टिगत सामान्य निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों/ कार्मिकों एवं मतदाताओं को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

(चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।



संख्या- 612/रा0नि0आ0अनु0-2/4024/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (ई.मेल)

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

// 3 //

8. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
11. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. जिला भजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०), हरिद्वार।
13. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
14. मुख्य विकास अधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०), हरिद्वार।
15. जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार।
16. अगर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार।
17. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।
18. मडानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी / दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
19. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेर, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इसकी 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ / अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
20. आयोग के समस्त अधिकारी / अनुभाग।
21. सूचना-पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।


 (चन्द्रशेखर भट्ट)
 राज्य निर्वाचन आयोग।




सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लालगुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या:- 068/सोनि0आ0-2/4042/2022

देहरादून : दिनांक 07 अक्टूबर, 2022(पूर्वाह्न)

अधिसूचना

संचित, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-794/XII(1)-2022-84(09)/2019 दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 के क्रम में मैं, चन्द्रशेखर शर्मा, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद हरिद्वार के जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। इस निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रक्रिया जिला पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी।

नामांकन का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नामांकन वापसी हेतु दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
10.10.2022 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	10.10.2022 (अपराह्न 03.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	11.10.2022 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	14.10.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	14.10.2022 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद)

2. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) जिला पंचायत के अध्यक्ष (संलग्न आरक्षण की विज्ञप्ति) एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में लागू) के नियम-5(2) के अन्तर्गत नियमावली में निर्धारित प्रपत्र-1 में सार्वजनिक नोटिस हिन्दी में अपने स्तर से दिनांक 07.10.2022 (अपराह्न में) को जारी करेंगे तथा उसकी प्रति सभी जिला पंचायत सदस्यों को ज्ञात पते पर व्यक्तिगत रूप से तामील करायी जायेगी और ई-मेल एवं व्हाट्सअप के माध्यम से भी प्रेषित की जायेगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा। सार्वजनिक जानकारी हेतु क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालयों और जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्टों पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त नियमावली के नियम-3(2) के अनुसार इस निर्वाचन के लिए जिला मजिस्ट्रेट स्वयं निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) होंगे।

3. उक्त निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में रक्षाप्रवृत्त) के अनुसार सम्पन्न होगा। यह निर्वाचन अनुपात प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा।


कमरा:.....

2:


जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र सक्ता नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विधित्त रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि (हिन्दी) में उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में यह नियम-12 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिये गये हैं। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेक्षक के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त यथाशीघ्र परिणाम घोषित किया जायेगा और सूचना तत्काल आयोग को प्रेषित की जायेगी।

4. कोविड-19 के दृष्टिगत निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों/ कार्मिकों एवं मतदाताओं को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

संलग्नक-यथोपरि।


(चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या: - 888/रा0नि0आ0-2/4042/2022 तददिनांक । (फैक्स/ई0मेल) 

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (फैक्स/ई0मेल)


1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. उच्चिद, ए.0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
 पंचायतीराज अनुभाग-1
 संख्या: 743/XII(1)/2022-86(22)/2019
 देहरादून, दिनांक 20 सितम्बर, 2022

विज्ञापित

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद-हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु अध्यक्ष, जिला पंचायत के पद का अन्तिम आरक्षण निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:-

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	आरक्षण/श्रेणी
1	हरिद्वार	अनारक्षित


 (नितेश कुमार झा)
 सचिव।



सत्यमेव जयते

निर्वाचन आदेश/ई0मेल

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लुडपुर, भरारी बाईपास, सिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या:-889/रा0नि0आ0-2/4032/2022

देहरादून : दिनांक 07 अक्टूबर, 2022(पूर्वाह्न)

अधिसूचना

सचिव, नवायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-793/XII(1)-2022-84(09)/2019 दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद- 243-ट के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद हरिद्वार की क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे:-

नामांकन का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नामांकन वापसी हेतु दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
10.10.2022 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	10.10.2022 (अपराह्न 03.30 बजे से कार्या की समाप्ति तक)	11.10.2022 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	13.10.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	13.10.2022 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद)

2. यह निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) निरमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रयुक्त), के अनुसार होंगे और इन निर्वाचनों में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।

3. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) अपने जनपद की क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों (संलग्न आरक्षण की विज्ञप्ति), ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों के निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से निम्नलिखित के नियम-6(2) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना दिनांक 07.10.2022 (अपराह्न) को जारी करेंगे और तदक्रम में निर्वाचन अधिकारी नियमावली में निर्धारित प्रपत्र-1 में हिन्दी में नोटिस प्रसारित करेंगे। उक्त नोटिस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत कार्यालयों के सूचना पट्टों में प्रकाशित किया जायेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक क्षेत्र पंचायत, सदस्य को ज्ञात पत्र पर व्यक्तिगत रूप से तामील करायी जायेगी और ई-मेल एवं व्हाट्सअप के माध्यम से भी भेजा जायेगा।

२

क्रमशः.....2

//2//

4. यह निर्वाचन अनुसूची प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुफा मतदान कराया जायेगा। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रणत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विधिमाम्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में (हिन्दी में) होंगे और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में वह नियम-13 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले विधिमाम्य उम्मीदवारों की सूची में हों। उपरोक्तानुसार निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी और मतदान के पश्चात् मतगणना कराकर निर्वाचन परिणाम निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) द्वारा यथाशीघ्र घोषित किये जायेंगे।

5. उपरोक्त निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, निर्वाचन अधिकारी होंगे। निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये उक्त नियमावली के नियम-5 के अनुसार एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी (Assistant Returning Officer) के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

6. कोविड-19 के दृष्टिगत निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों/ कार्मिकों एवं मतदाताओं को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सन्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

संलग्नक-यथोपरि।

(चन्द्रशेखर नट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या: 889/रा0नि0आ0-2/4043/2022 तददिनांक । (फैक्स/ई0मेल) *Enb*

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (फैक्स/ई0मेल)

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
10. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को सभी समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
12. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(प0), हरिद्वार।
13. विशेष पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
14. मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(प0), हरिद्वार।
15. जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार।

//3//

16. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार।
17. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध करने का कष्ट करें।
18. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।
19. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
20. सूचना-पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

३
(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।
20A



सत्यमेव जयते

257

ई.मेल

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, नक्षी बाईपास, रिग रोड, देहरादून।

2253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या- 1027 / रा0नि0आ0अनु0-2 / 4053 / 2022

देहरादून दिनांक: 16 नवम्बर, 2022

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों पर उप-निर्वाचन।

अधिसूचना

संघित पंचायती राज अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-76134/XII(1)-2012 दिनांक 15 नवम्बर, 2022 के क्रम में भारत का संविधान के अनुच्छेद-243 'द' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों की त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के अधिसूचना जारी होने की तिथि तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुए पदों/स्थानों, जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार उप निर्वाचन कराये जाने के निर्देश देता हूँ-

नाम निर्देशन पत्र जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
21.11.2022 एवं 22.11.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	23.11.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	24.11.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	25.11.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	03.12.2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	05.12.2022 (पूर्वाह्न 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं०) अपने जिले की ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त पदों/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 17.11.2022 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करते हुए सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित ग्राम पंचायतों में सचार कार्यक्षेत्र/मुनदी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना-पट्टों पर भी यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

क्रमशः--2

/ / 2 / /

3. उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) के अधीन रहते हुए उ0प्र0 पंचायत राज(सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन), नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) में वर्णित प्राविधानों तथा सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 2302(एम0/एस0)/2019 श्रीमती पिकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.09.2019 और सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या 441(एम0/एस0)/2020 मो0 युनूस बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इन उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है।
4. सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।
5. जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य संबंधित जिला पंचायत के मुख्यालय पर होगा, किन्तु मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय पर होगी और निर्वाचन परिणाम जिला पंचायत मुख्यालय पर घोषित किये जायेंगे।
6. कोविड-19 के दृष्टिगत उप निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों एवं मतदाताओं को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

(चन्द्रशेखर स्टेट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।


संख्या- 1027/रा0नि0आ0अनु0-2/4053/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित लो सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (ई.मेल)


1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
10. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पी0), उत्तराखण्ड।
12. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पी0), उत्तराखण्ड।
14. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
16. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।

// 3 //

17. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/दूरदर्शन केंद्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
18. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
20. सूचना-पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।


 (चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।





प्रत्यक्ष जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लखनपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या- 1317/स0नि0आ0-2/4078/2023

देहरादून: दिनांक: 08 फरवरी, 2023

जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के उप प्रधानों का सामान्य निर्वाचन-2023

अधिसूचना

अपर सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-97132/XII(1)-2023 दिनांक 07 फरवरी, 2023 के क्रम में मैं, चन्द्रशेखर भट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, भारत का संविधान के अनुच्छेद- 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायतों के उप प्रधान, ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराटे जायेंगे:-

नाम निर्देशन पत्रों को लम्प करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिह्न आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
16.02.2023 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक)	16.02.2023 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे तक)	16.02.2023 (मध्याह्न 12.00 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तक)	16.02.2023 (अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 01.00 तक)	16.02.2023 (अपराह्न 01.30 बजे से अपराह्न 03.30 बजे तक)	16.02.2023 (अपराह्न 04.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उप प्रधान के पद हेतु नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत किया जाना, नाम निर्देशन पत्रों की जांच, नाम वापसी, निर्वाचन चिह्न (प्रतीक) आवंटन, मतदान तथा मतगणना का कार्य एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर करायी जायेगी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नियम 117(1) में दी गई व्यवस्था के अनुसार उप प्रधान के सामान्य निर्वाचन के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिसूचना में मतदान हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक को ग्राम पंचायत की


२

क्रमशः... 2

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद हरिद्वार की ग्राम पंचायत के उप प्रधान के पदों पर निर्वाचन हेतु पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 09.02.2023 को जारी करेंगे जिसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशनार्थ भेजेगे और उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, को तत्काल प्रेषित करेंगे। उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सूचना-पट्टों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा।

नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर दिनांक 10 फरवरी, 2023 से 15 फरवरी, 2023 तक (अवकाश दिवस छोड़कर) पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक तथा दिनांक 16 फरवरी, 2023 को पूर्वाह्न 08:00 बजे से पूर्वाह्न 09:30 बजे तक संबंधित ग्राम पंचायत में निर्दिष्ट स्थान पर की जायेगी। नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री की सूचना का व्यापक प्रचार किया जायेगा।

निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचन सम्पन्न होने तथा निर्वाचन परिणाम की सूचना तत्काल आयोग को प्रेषित की जायेगी।


(चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या- 1317/रा0नि0आ0-2/4076/2023 तददिनांक।(फैक्स/ई0मेल)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (ई.मेल)

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. मुख्य निर्वाचन-अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), हरिद्वार।
11. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
12. मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), हरिद्वार।
13. जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार।
14. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार।
15. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।

क्रमश3

//3//

16. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को सभी सभाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
17. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इसकी 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
18. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
19. सूचना-पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

(चन्द्रशेखर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

9/10



243

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडगुर, मरूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या:- 916/रा0नि0आ0-2/4044/2022

देहरादून : दिनांक 12 अक्टूबर, 2022

अधिसूचना

सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या- 69399/XII(1)-2022-84(09)/2019 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 के क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद पर उप निर्वाचन कराया जाना है।

2. अतः "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-243-ट तथा उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, चन्द्रशेखर मट्ट, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद रुद्रप्रयाग के उक्त प्रकार से रिक्त जिला पंचायत के अध्यक्ष पद (जो मा0 न्यायालय के किसी स्थगन आदेश से बाधित न हो) का उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराया जायेगा। इस निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रक्रिया जिला पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी:-

नामांकन का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम यापसी हेतु दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
17.10.2022 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	17.10.2022 (पूर्वाह्न 03.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	18.10.2022 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	20.10.2022 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	20.10.2022 (मतदान समाप्ति के तत्काल बाद)

2. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (रिटनिंग ऑफिसर) जिला पंचायत, रुद्रप्रयाग के अध्यक्ष (पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन की विज्ञप्ति संख्या 1294 दिनांक 29.10.2019 के क्रम संख्या-4 में उल्लिखित 'अनुसूचित जाति (महिला)' हेतु आरक्षित) के निर्वाचन हेतु उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपअध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन दिवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त), के नियम-5(2) के अन्तर्गत नियमावली में निर्धारित प्रपत्र-1 में सार्वजनिक नोटिस हिन्दी में अपने स्तर से दिनांक 13.10.2022 को जारी करेंगे तथा उराकी प्रति सभी जिला पंचायत सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से तामील करायी जायेगी और सूचना ई-मेल एवं व्हाट्सअप के माध्यम से भी प्रेषित की जायेगी। इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा। सार्वजनिक जानकारी हेतु क्षेत्र

क्रमशः.....2

पंचायतों के मुख्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालयों और जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्टों पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त नियमावली के नियम-3(2) के अनुसार इस निर्वाचन के लिए जिला मजिस्ट्रेट स्वयं निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) होंगे।

3. उक्त निर्वाचन उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त), के अनुसार सम्पन्न होगा। यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के निर्वाचन में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विधिवत रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि (हिन्दी) में उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में वह नियम-12 के अधीन प्रकाशित विधिमाम्य उम्मीदवारों की सूची में दिये गये हों। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र परिणाम घोषित किया जायेगा और सूचना तत्काल आयोग के प्रेषित की जायेगी।

4. कोविड-19 के दृष्टिगत निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों एवं मतदाताओं को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

(चन्द्रशेखर मट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या: - 916/रा0नि0आ0-2/4044/2022 तददिनांक । (फैक्स/ई0मेल)

प्रतिनिधि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (फैक्स/ई0मेल)

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह इस अधिसूचना को सभी समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने व आकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
11. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पी0), रुद्रप्रयाग।
12. पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग।
13. मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पी0), रुद्रप्रयाग।

:3:

14. जिला पंचायत राज अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
15. अपर मुख्य अधिकारी, जिला न्यायत, रुद्रप्रयाग।
16. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इसकी 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचारथानि चुनावालय, रुद्रप्रयाग।
18. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
19. सूचना-पट्ट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

(कन्दरेश्वर भट्ट)

राज्य निर्वाचन आयुक्त।

मैनूअल-6

कार्यालय में अनुभागवार पत्रावलियों का विवरण:-
अधिष्ठान संबंधी पत्रावलियों की सूची

क्र.सं.	पत्रावली/पत्रिका का नाम	काइल संख्या
1	2	3
1	आयोग में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति पत्रावली	01 / 2001
2	जिला कार्यालय हेतु अधिष्ठान/पदों की स्वीकृति	05 / 2001
3	कार्यालय आदेश पत्रावली	173 / 2001
4	प्रोटोकॉल	286 / 2002
5	कार्यालय भवन व्यवस्था	10 / 2001
6	अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्य विभाजन	75 / 2001
7	आहरण/पितरण अधिकारी	34 / 2001
8	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा विवरण	95 / 2001
9	पंचास्थानि चुनावालयों में सविदा पर अनुबंधित	447 / 2003
10	सविदा पत्रावली	43 / 2003
11	अन्य राज्य निर्वाचन आयोगों से पत्र व्यवहार	
12	राज्य निर्वाचन आयोग में पदों की स्वीकृति/ढांचा पत्रावली	38 / 2001
13	सेवा नियमावली समूह-ग एम ख	558 / 2005
14	सेवा नियमावली समूह-ख	555 / 2005
15	निर्वाचनों के दौरान नियंत्रण कक्ष स्थापना	345 / 2003
16	प्रेस विज्ञापन पत्रावली	356 / 2003
17	शासन को भेजी जाने वाली सूचना पत्रावली	306 / 2002
18	अधिष्ठान के अन्तर्गत आरक्षण पत्रावली	315 / 2002
19	स्थानान्तरण पत्रावली (जिला स्तर)	479 / 2003
20	भारत निर्वाचन आयोग, देहशहन से पत्राचार पत्रावली	335 / 2002
21	मा0 मंत्रियों/सांसदों के पत्रों का प्रत्युत्तर पत्रावली	205 / 2002
22	मा0 राज्य नियामक आयोग, उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सम्बन्धित प्रकरणों पर उच्चस्तरीय बैठक पत्रावली	292 / 2002
23	आयोग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण	44 / 2002
24	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल में नियमित/प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां	----
25	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल के नियंत्रणाधीन पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां	----
26	कोर्ट केस संबंधी पत्रावली	737 / 2004
27	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005	606/2005
28	सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग से संबंधित पत्राचार	607/2005
29	सराहनीय कार्य हेतु प्रशंसा-पत्र	611/2005
30	संयुक्त सचिव कैम्प कार्यालय से संबंधित पत्रावली	620/2005
31	आदेश पत्रावली स्टोर	621/2005
32	सूचना अनुभाग, उत्तराखंड शासन।	622/2005
33	राज्य निर्वाचन आयोग, पाण्डिचेरी	623/2005
34	वाहन प्राप्तियों की नियुक्ति संबंधित	624/2005
35	श्री राजवश दूरे स.जि.नि.अधि. की व्यक्तिगत पत्रावली	625/2005

36.	कार्यभार/चाज हस्तांतरण संबंधी सूचियां	626/2005
37.	राज्य निर्वाचन आयोग में पी.आर.डी. की तैनाती टी.सी.	627/2005
38.	अधिकारियों/कर्मचारियों की ज्योष्ठता निर्धारण	628/2005
39.	समीक्षा बैठक कार्यवाही	630/2005
40.	समाचार पत्रों द्वारा विज्ञापन हेतु	637/2005
41.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों के वेतनगान पुनरीक्षण	638/2005
42.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं उधमसिंहनगर के पेशन गणना विषयक	639/2005
43.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रेषकों का निस्तारण	640/2005
44.	राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति	641/2005
45.	पंचास्थानि चुनावालयों/जनपद से संबंधित आदेश/कार्यालय ज्ञाप संबंधी पत्रावली	643/2005
46.	आकस्मिक अवकाश स्वीकृति	644/2005
47.	संविदाकर्मियों से स्पष्टीकरण विषयक	645/2005
48.	संविदाकर्मियों/पी.आर.डी. कर्मियों की उपस्थिति सूचना	650/2005
49.	आकस्मिक आवेदन पत्र एवं स्वीकृतियां-2006	651/2006
50.	रिक्त पदों की सूचना	652/2006
51.	राज्य निर्वाचन आयोग में रिक्त पदों पर प्रोन्नति विषयक कार्यवाही	653/2006
52.	अधिकारियों/कर्मियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण	654/2006
53.	सरकारी कर्मचारियों की अनिर्धार्य सेवानिवृत्ति	656/2006
54.	राज्य सूचन आयोग, उत्तराखण्ड को भेजी जाने वाली मासिक रिपोर्ट	658/2006
55.	राज्य निर्वाचन आयोग की सेवाशर्त	659/2006
56.	उत्तराखण्ड शासन/प्रशासनिक विभागों से प्राप्त महत्वपूर्ण निर्देश/कार्यवाही	663/2006
57.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण	664/2006
58.	आयोग मुख्यालय में अधिकारियों/कर्मियों का कार्यपटल परिवर्तन	665/2006
59.	अधिकारियों/कर्मियों का भ्रमण कार्यक्रम	691/2006
60.	निरीक्षण परिपालन	693/2006
61.	पंचास्थानि चुनावालय में रिक्त पदों पर मती	694/2006
62.	पंचास्थानि चुनावालयों में नियुक्त छतनीशुदा कर्मचारियों को पूर्वसेवाओं को पेशनदेयता हेतु सम्मिलित किया जाना	701/2006
63.	व्यक्तिगत पत्रायली श्री यशवत लाल फूपूर	702/2006
64.	पंचास्थानि चुनावालयों के कार्यालय भवन (स्थाई) स्टोर की व्यवस्था हेतु भूमि/भवन निर्माण संबंधी प्रस्ताव/अभिलेख	698/2006
65.	रिट पीटीशन संख्या-1610(एस.एस) 2005 श्री अतुल भट्ट एवं अन्य बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	710/2006
66.	रिट पीटीशन संख्या-1611(एस.एस) 2005 श्री सत्यानंद बडोनी एवं अन्य बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	711/2006
67.	लोक प्रशासन में विशिष्ट एवं अनुकरणीय कार्य करने वाले लोक सेवकों को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया जाना।	713/2006
68.	जलकर भुगतान संबंधी	714/2006
69.	सिटीजन चार्टर का त्रभावी क्रियान्वयन	722/2006
70.	दिनांक 26.11.2006 को राजपुर में आहूत मा. राज्य निर्वाचन आयुक्तों की बैठक हेतु सूचना।	720/2006
71.	शासनादेश/राजाज्ञाप प्राप्ति एवं कार्यवाही	731/2007
72.	आयोग कार्यालय-सुरक्षित व्यवस्था	732/2007
73.	अनुपरिस्थिति पर स्पष्टीकरण विषयक पत्रावली	735/2007

74.	सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग को वार्षिक प्रतिवेदन भेजने विषयक।	738/2007
75.	मां. राज्य निर्वाचन आयुक्तों का सम्मेलन/कार्यवृत्त	739/2007
76.	मां. राज्य निर्वाचन आयुक्तगणों के सौतवे सम्मेलन विषयक पत्राचार	741/2007
77.	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया	753/2007
78.	मॉडल पंचायत निर्वाचन बिल एवं मॉडल राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवाशर्त)	754/2007
79.	अभिलेखों के वीजिंग एवं कनसाईनमेंट संबंधित निर्देश एवं कार्यवाही	763/2007
80.	विविध पत्राचार	764/2007
81.	पदनाम परिवर्तन/सशोधन संबंधी	765/2007
82.	विधानसभा/लोकसभा प्रश्नोत्तर	759/2007
83.	मां. राज्य निर्वाचन आयुक्त का दिनांक 19.11.2007 को उड़ीसा में होने वाला 8वें सम्मेलन के संबंध में।	773/2007
84.	न्यायालयों से संबंधित सद्भों पर कार्यवाही	774/2007
85.	राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य कलाप विषयक	775/2007
86.	सूचना का अधि. अधि. 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रेषण	776/2007
87.	निर्वाचन हेतु करियों की तैनाती	777/2007
88.	सीधी भर्ती/पदोन्नति पर आरक्षण का रोस्टर	778/2007
89.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री एम.एस. राणा, उप सचिव	783/2007
90.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री आर.सी. जोशी, प्र.स. प्रतिनिधित्वित, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तरकाशी	784/2007
91.	रिट पिटीशन संख्या-1362/2008 श्री हरजिंदर सिंह बनाम जागीर सिंह, उधमसिंहनगर	906/2008
92.	रिट पिटीशन संख्या-1323/2008 श्रीमती गुडी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड	907/2008
93.	रिट पिटीशन संख्या-1316/2008 श्री मेघनाथ सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	908/2008
94.	रिट पिटीशन संख्या-816/2008 श्री रमेश चन्द्र कांडवाल एवं अन्य बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	909/2008
95.	श्री शकील अहमद ग्राम प्रधान ग्राम बडेडी राजपूताना, रुड़की हरिद्वार	910/2008
96.	रिट पीटीशन संख्या-2007 सुन्दर लाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड	792/2007
97.	रिट पिटीशन संख्या-1319/2007 उत्तराखण्ड ग्राम प्रधान संस्थान बनाम उत्तराखण्ड राज्य अन्य	795/2008
98.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री आर.गुसाई, वरिष्ठ लिपिक, यमोली	796/2008
99.	रिट पिटीशन संख्या-223/2008 एम.एस. दीप शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य	797/2008
100.	रिट पिटीशन संख्या-220/2008 हामिद अली बनाम राज्य सरकार एवं अन्य	798/2008
101.	रिट पिटीशन संख्या-230/2008 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य	799/2008
102.	रिट पिटीशन संख्या-229/2008 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य	800/2008
103.	रिट पिटीशन संख्या-127/2008 उत्तराखण्ड क्रांति दल व अन्य विपरीत परिशीलन आयोग एवं अन्य	801/2008
104.	रिट पिटीशन संख्या-444/2008 जीवन सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	802/2008
105.	नगर स्थानीय के सामान्य निर्वाचन-2008 की शिकायतों का निस्तारण	810/2008
106.	रिट पिटीशन संख्या-559/2008 रामेश्वर दयाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य	811/2008
107.	रिट पिटीशन संख्या-280/2008 उत्तराखण्ड ग्राम प्रधान संगठन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	814/2008

108.	पदों पर प्रतिनियुक्ति	833/2008
109.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2008 प्रेक्षकों की नियुक्ति	834/2008
110.	सुनीता देवी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य	835/2008
111.	53/2008 सुभाष इस्सर बनाम सुरेन्द्र सिंह कुकरेजा, देहरादून	836/2008
112.	54/2008 संजय कुमार बनाम सचिव गुप्ता	837/2008
113.	52/2008 रमेशचन्द्र नैथानीय बनाम सी.ए. नेगी	838/2008
114.	रिट संख्या-47/2008 शबनम बनाम श्रीमति प्रेमलता आदि	842/2008
115.	रिट संख्या-58/2008 दीप बोहरा बनाम मोहन जोशी	843/2008
116.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत नागर स्थानीय निर्वाचन-2008 से संबंधित सूचनाओं का प्रेषण	847/2008
117.	पंचास्थानि चुनावालयों में कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति	848/2008
118.	रिट पिटीशन संख्या-312/2008 उत्तराखंड ग्राम प्रधान संगठन बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य	855/2008
119.	रिट पिटीशन संख्या-60/2008 श्री रूप सिंह बनाम श्रीमती जसवीबर कौर एवं अन्य	856/2008
120.	रिट पिटीशन संख्या-59/2008 श्री विपुल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड	857/2008
121.	रिट पिटीशन संख्या-48/2008 श्री पंकज गौड़ बनाम जयप्रकाश गौड़	859/2008
122.	रिट पिटीशन संख्या-64/2008 श्री राकेश मंजखोला बनाम सोहन लाल मंजखोला	860/2008
123.	रिट पिटीशन संख्या-66/2008 श्रीमती किशन देई चौहान बनाम श्रीमती कमली भट्ट	862/2008
124.	रिट पिटीशन संख्या-69/2008 श्री रामसुख बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य	863/2008
125.	दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को अनुभागवार सृजित पदों का विवरण उपलब्ध कराना।	864/2008
126.	न्यायालय प्रकरण से संबंधित पत्र का व्यवहार/कार्यवाही	865/2008
127.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री उम्मेद सिंह बिष्ट, परिष्क सहायक, पंचास्थानि चुनावालय, टिहरी गढ़वाल	867/2008
128.	रिट पिटीशन संख्या-63/2008 श्री नन्दनी शर्मा बनाम मोहन जोशी एवं अन्य	869/2008
129.	रिट पिटीशन संख्या-68/2008 श्री राजपाल बनाम जगदीश धीमान एवं अन्य	870/2008
130.	रिट पिटीशन संख्या-71/2008 श्री मुकेश सोनकर बनाम अजय सोनकर एवं अन्य	871/2008
131.	रिट पिटीशन संख्या-72/2008 श्री मकबूल हसन अंसारी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य	872/2008
132.	रिट पिटीशन संख्या-67/2008 श्री राकेश लखड़ा आदि श्री गणेश डगवाल	873/2008
133.	रिट पिटीशन संख्या-73/2008 श्री दिलराम राठी बनाम दीपशर्मा आदि	874/2008
134.	रिट पिटीशन संख्या-74/2008 श्री स्वामी दयाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड आदि	875/2008
135.	श्री विपिन चन्द बन्दोला, भा. राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखंड की व्यक्तिगत पत्रावली	876/2008
136.	कार्यालय का पता/अधिकारियों की योगदान सूचनाएं व दूरभाष संख्या	878/2008
137.	रिट पिटीशन संख्या-473/2008 श्री सतेन्द्र कुमार बनाम यूनिन आफ इण्डियन एवं अन्य	879/2008
138.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री विजेन्द्र सिंह बर्वाल, वाहन चालक (प्रतिनियुक्ति)	880/2008
139.	श्री योगेश कुमार पंत, अनुभाग अधिकारी की स्पेशल सेवानिवृत्ति प्रकरण	881/2008
140.	रिट पिटीशन संख्या-7/2008 श्री राजी अब्दुल सत्तार बनाम उत्तराखंड राज्य आदि	886/2008

141.	रिट पिटीशन संख्या-8/2008 श्री मीनादेवी बनाम जै लाल उर्फ जैयन्ती लाल आदि	887/2008
142.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2008 हेतु तत्कालिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं	888/2008
143.	80 सीपीसी नोटिस द्वारा श्री ए. महाराजा, वकील मसूरी	889/2008
144.	रिट पिटीशन संख्या-489/2008 श्री इम्दसिंह बरगाली बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य नैनीताल	890/2008
145.	रिट पिटीशन संख्या-536/2008 श्री राजपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य	894/2008
146.	निर्वाचन/अधिष्ठान विविध	896/2008
147.	रिट पिटीशन संख्या-1429/2008 श्री गंगा राग बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	912/2008
148.	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा पंचायत निर्वाचन संबंधी शिकायत	913/2008
149.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, श्री संतोष नेगी, गाँवम विहार पदमपुर सुखरौ, कोटहार	914/2008
150.	रिट पिटीशन संख्या-1482/2008 श्री रमेश कुमार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	915/2008
151.	छठा केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के दृष्टिगत मितव्ययिता लिया जाना	924/2008
152.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री दयाल सिंह रावत प्रत्याशी प्रधान, बंजारावाला, रायपुर, देहरादून।	929/2008
153.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री मुकेश ढोंडियाल, पौड़ी गढ़वाल	930/2008
154.	निर्वाचन अवधि में अनुमति/स्वीकृतियाँ	931/2008
155.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री यशवत चौहान सिविल कोर्ट कम्पाउंड, लधमसिंहनगर	932/2008
156.	श्रीमती सीता देवी चमाला, यमकेश्वर, पौड़ी	933/2008
157.	क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख आदि एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष आदि पदों का निर्वाचन/प्रेषकों की तैनाती।	934/2008
158.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री शापेखान, तेग बहादुर रोड, देहरादून	935/2008
159.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री बलजीत सिंह, ग्राम पोस्ट साहिधा, देहरादून	936/2008
160.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्रीमती हंसीदेवी, ग्राम तोलकाण्डे, अल्मोड़ा	937/2008
161.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्रीमती सरोज पत्नी श्री सुरेश नेगी, देहरादून	938/2008
162.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री रविन्द्र सिंह रावत, पौड़ी	939/2008
163.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 विभा देवी, ऋषिकेश	940/2008
164.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री नरेन्द्र प्रसाद नौटियाल, ग्राम प्रधान, ऋषिकेश	941/2008
165.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 बी.देवी, ऋषिकेश	945/2008
166.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री पनीराम पुत्र श्री गजराज, अल्मोड़ा	947/2008
167.	रिट पिटीशन संख्या-8/2008 श्री अजय कुमार बनाम श्री किरण सिंह राना व अन्य	948/2008
168.	रिट पिटीशन संख्या-134/2008 श्री मंगतराज बनाम श्री शिवराजपाल व अन्य	949/2008
169.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री सुरेन्द्र अग्रवाल, जिलाध्यक्ष, मैदान क्रांति दल, देहरादून	950/2008
170.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्रीमती दर्शनी देवी रुद्रप्रयाग	951/2008
171.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री जितेंद्र सागर पुत्र श्री यशोधर सागर, लखर, हरिद्वार	952/2008
172.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री अरुण भदौरिया, एडवोकेट, हरिद्वार	954/2008
173.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री देव सिंह नेगी, चमाली	961/2008

174.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री सुरेन्द्र सिंह कठैत, देहरादून	962/2008
175.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री देवेन्द्र काण्डवाल सकलानी, ऋषिकेश	963/2008
176.	श्री राज्यपाल के अभिभाषक उत्तराखण्ड विधानसभा के प्रथम सत्र हेतु वार्षिक	964/2008
177.	रिट पिटेशन संख्या-1258/2008 श्री विनोद लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	965/2008
178.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री विनोद डोभाल, डिफेंस कालोनी, देहरादून	967/2008
179.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री रमेश चन्द्र कांडपाल, कनिष्ठ लिपिक	970/2009
180.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री मोहन चंद्र जोशी, कनिष्ठ लिपिक	971/2009
181.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री आदेश कुमार सैनी, एडवोकेट, भगवानपुर, हरिद्वार	972/2009
182.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 कल्याण खाल सामाजिक विकास समिति, दिल्ली	974/2009
183.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 आयोग मुख्यालय में विभिन्न अनुभागों में प्राप्त अनुरोध पत्रों की प्राप्ति/निस्तारण की सूचना	975/2009
184.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 काठिराम नौटियाल, ग्राम मेहंभला, खालसा, देहरादून	976/2009
185.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री प्रोतम सिंह बार्ड संख्या-08 उधमसिंहनगर	977/2009
186.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री जी.एल. शर्मा, 17-संजय कालोनी, इंदर रोड, देहरादून	978/2009
187.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 सुश्री नीलम बेबी/श्री मंगन सिंह बिष्ट, पौड़ी गढ़वाल	979/2009
188.	श्री जयप्रकाश कोठारी, ऋषिकेश	980/2009
189.	श्री सुरजी देवी पूर्ण क्षेत्र पंचायत रुदस्य, पौड़ी गढ़वाल	981/2009
190.	श्री सतीश कश्यप, नई सब्जी मंडी, देहरादून	982/2009
191.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्रीमती गीता देवी, पत्नी स्व श्री हरीश राम, अल्मोडा	983/2009
192.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री विहार धुव, पुना	984/2009
193.	श्री नारायण सिंह शर्मा, ग्राम जीक, ऋषिकेश	985/2009
194.	रिट पिटेशन संख्या-201/2009 नंदन सिंह नयाल एवं अन्य	986/2009
195.	श्री विपिन कुमार एडवोकेट, सिविल कोर्ट काशीपुर, उधमसिंहनगर	987/2009
196.	श्री दीपक रतूडी, 93 सालावाला, हाथीबंडकला, देहरादून	990/2009
197.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री शब्बन खान (मुल), विशेष संवाददाता, हरिद्वार रोड, देहरादून	991/2009
198.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 आर.टी.आई. मास्टर ट्रेनर्स विकसित करने के संबंध में	992/2009
199.	राज्य नियोजन आयोग, मुख्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की बैठक	993/2009
200.	व्य. पत्रा. श्रीमती. ऊबरजीत कौर, सविदा, देहरादून	676/2006
201.	विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी	678/2006
202.	राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों का विनियमितकरण	689/2006
203.	44, 45, 46/2006 अमरीन खान बनाम, रिट आयोग, सुनीता देवी बनाम आयोग, मुकेश चन्द बनाम आर.ओ.	830/2008
204.	उत्तर प्रदेश से आये कर्मचारियों विषयक	973/2009

205.	निर्वाचन ड्यूटी में लगे मतदान कर्मचारियों के विश्राम अयकाश पत्रावली	616/2005
206.	राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मियों की बैठक	993/2009
207.	राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराये जाने वाले निर्वाचन तथा तत्सम्बन्धी अधिनियम/नियम नियमावलिशां/आदेश	1006/2009
208.	राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड मुख्यालय हेतु अधिकारियों की तैनाती	1009/2009
209.	व्यक्तिगत पत्रावली श्रीमती उषा अस्तवाल, कनिष्ठ लिपिक	1018/2009
210.	रिट याचिका सं० 494/2009 श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल एवं श्री मोहन चन्द्र क०लि० राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड	1024/2009
211.	श्री एम०एस० कुटियाल, संयुक्त सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग व्यक्तिगत पत्रावली	1026/2009
212.	ना० उच्चदम न्यायालय नई दिल्ली में योजित जनहित याचिकाएं पीआईएल-127/2008 उत्तराखण्ड कान्ति दल बनाम परिसीमन आयोग एवं अन्य	1027/2009
213.	रिट संख्या-642 (एस/एस)/2009 शिवजी त्रिपाठी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	1033/2009
214.	व्यक्तिगत पत्रावली क० नमिता शर्मा तृतीय श्रेणी सचिवा	1034/2009
215.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री लोकेश रायत, च०श्रेणी सचिवा	1035/2009
216.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री सत्यानन्द बढोनी लोकेश रायत, च०श्रेणी सचिवा	1036/2009
217.	आरटीआई-2005 श्री लक्ष्मी दत्त सती पुत्र श्री भवानी दत्त ग्राम वेतनधार पो०ओ०देघाट त०भिव्यासैन जिला अल्मोड़ा	1008/2009
218.	आरटीआई-2005 श्री सुन्दर सिंह कुवाखा ग्राम कुन्स्यारी, पो० खलका त०द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा	1009/2009
219.	आरटीआई-2005 श्री रमाकान्त श्रीवास्तव प्रदेश उपाध्याय, उ०शिक्षक कर्मचारी डी. ए.पी इण्टर कालेज, देहरादून लक्ष्मी दत्त सती पुत्र श्री भवानी दत्त ग्राम वेतनधार पो०ओ०देघाट त०द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा	1013/2009
220.	आरटीआई-2005 के सफल क्रियान्वयन हेतु वाइस चैमनशिप समिति द्वारा किये जाने वाली समीक्षा विषयक	1019/2009
221.	आरटीआई-2005 श्री रमेश चन्द्र काठपाल, क०लि०, रा०नि०आ०, उत्तराखण्ड	1022/2009
222.	आरटीआई-2005 श्री तरुण कुमार बाबा मार्फत अनील वैधेलाजी 7 -न्यू रोड देहरादून।	1023/2009
223.	आरटीआई-2005 श्री सुरेश वीरपुर खुर्द, पो०मशुलोक, जिला देहरादून।	1025/2009
224.	आरटीआई-2005 श्री सुधीर गायल, सी-21 नेहरू कलोनी, देहरादून।	1032/2009
225.	आरटीआई-2005 श्री एस०एस० तोमर संयुक्त निदेशक, ग्राम्य विकास एफआरडीसी, शाखा सचिवालय, देहरादून।	10337/2009
226.	आरटीआई-2005 श्री संजय भट्ट 95 इन्दिरा मार्केट एमडीडीए कॉम्प्लेक्स, देहरादून। देहरादून।	1032/2009
227.	आरटीआई-2005 श्री अनील लेखाल एसोसियेशन फार डेमांकेटिव कॉसरी 1/8 हॉज खास न्यू दिल्ली।	1032/2009
228.	राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड-अधिष्ठान से सम्बन्धित सूचनाएं।	1045/2009
229.	बीस सूत्री कार्यक्रमों-2008 के अन्तर्गत किये जाने वाली अनुभवण संबंधी सूत्रों के संबंध में	1050/2009
210	रा०निर्वा०आयोग, उत्तराखण्ड मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण।	1051/2009
211	अन्य राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोगों से पत्राचार पत्रावली।	1060/2009
212.	श्री विरेन्द्र सिंह चौहान व०लि०, पंचास्थानि चुनावालय की व्यक्तिगत पत्रावली।	1062/2009
213.	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की वेबसाईड हेतु सूचना।	1070/2010
214.	श्री वी०सी० श्रीवास्तव, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय।	1071/2010
215.	अनुभाग-1 में शासन/आयोग स्तर पर लिखित प्रकरणों के सम्बन्ध में।	1072/2010

216.	राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली के सम्बन्ध में।	1078/2010
217.	श्री एसबी०थपलियाल, संयुक्त सचिव, रा०निर्वा०आ०, उत्तराखण्ड की व्यक्तिगत पत्रावली।	1083/2010
218.	समीक्षा अधिकारी से लेखाकार के पद पर पद परिवर्तन विषयक।	1085/2010
219.	पंचास्थानि चुनावालयों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों का वेतन निर्धारण विषयक।	1098/2010
220.	श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे, तृतीय श्रेणी सविदा कर्मी की व्यक्तिगत पत्रावली।	
221.	श्री श्रीराम थपलियाल, प्रवर सहायक, पंचास्थानि चुनावालय की व्यक्तिगत पत्रावली।	1107/2010
222.	श्री हरिश्चन्द्र जोशी, मा० राज्य नियोजन आयोग की व्यक्तिगत पत्रावली।	1109/2010
223.	श्री कैलाश चन्द्र नौदियाल, बिल एवं लेखाधिकारी, व्यक्तिगत पत्रावली।	1130/2010
224.	राज्य निर्वाचन आयोग तथा पंचा० चुनावालय में रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति की विज्ञापित।	1141/2010
225.	प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों के लिए हेल्थ स्मार्ट कार्ड योजना लागू करने विषयक।	1147/2010
226.	पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की गई लापरवाही/अनियमितता आदि की जांच विषयक।	1150/2010
227.	रा०निर्वा०आ० में समूह अ. ग एच पर सविलियन एच पदोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।	1162/2011
228.	जनपद हरिद्वार की त्रि०पंचा०रा०निर्वा०-2011 हेतु कन्ट्रोल रूम में सूचना प्राप्त करने विषयक।	1163/2011
229.	पृथक राज्य गठन के बाद स्थानीय निकाय निर्वाचन में उकान्द की भूमिका का विवरण दिसम्बर, 2010 की स्थिति।	1170/2011
230.	राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत कार्मिकों की ए०सी०पी० के प्रत्यावेदनों का निस्तारण।	1172/2011
231.	पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत कार्मिकों की ए०सी०पी० के प्रत्यावेदनों का निस्तारण।	1173/2011
232.	अखिल भारतीय राज्य निर्वाचन आयुक्तगणों के सम्मेलन के प्रयोजनार्थ common वेबसाइट खोलने के सम्बन्ध में।	1202/2011
233.	जनपदों की निर्वाचनक नामावली का सॉफ्टवेयर डाटा के सम्बन्ध में।	1203/2011
234.	रिट याचिका संख्या-1836/2011 श्रीमती सुमन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1238/2011
235.	रिट याचिका संख्या-1876/2011	1239/2011
236.	सविदा कर्मियों के विनियमितकरण विषयक।	1251/2011
237.	श्री कुलदीप सिंह, तृतीय श्रेणी सविदाकर्मी की व्यक्तिगत पत्रावली।	1265/2012
238.	आयोग मुख्यालय में एवं पंचास्थानि चुनावालयों में तैनात कार्मिकों का वेतन निर्धारण।	1278/2012
239.	श्री नन्दन सिंह नयाल, कनिष्ठ सहायक की व्यक्तिगत पत्रावली	1304/2012
240.	श्री जगदीश नाथ बंडत अदली की व्यक्तिगत पत्रावली	1305/2012
241.	श्री संजय सिंह, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, उधमसिंहनगर	1306/2012
242.	श्री संजीव प्रकाश सिंह रायत, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत	1307/2012
243.	श्री ममता जोशी, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, उधमसिंहनगर	1308/2012
244.	श्री प्रकाश चन्द्र जोशी, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, पिथौरागढ़	1309/2012
245.	श्री दिनेश चन्द्र उप्रेती, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोडा	1310/2012
246.	श्री कैलाश चन्द्र सिंह, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, नैनीताल	1311/2012
247.	श्री संतोष सिंह बोरा, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, पिथौरागढ़	1312/2012

248.	श्री सुशील नोटियाल, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, उत्तरकाशी	1313/2012
249.	श्री सचिन कुमार वर्मा, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत	1314/2012
250.	श्री विजयपाल सिंह बिष्ट, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, टिहरीगढ़वाल	1315/2012
251.	श्री विजेन्द्र सिंह केशपुरा, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, टिहरीगढ़वाल	1316/2012
252.	श्री शेखर चन्द्र पाण्डे, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, बागेश्वर	1317/2012
253.	श्री राजेन्द्र सिंह पाठक, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, नैनीताल	1318/2012
254.	श्री अरुण भट्ट, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, पौड़ीगढ़वाल	1319/2012
255.	श्री हर्ष चन्द्र पाण्डे, अनुसूचक पंचास्थानि चुनावालय, बागेश्वर	1320/2012
256.	श्री जयराम, अनुसूचक पंचास्थानि चुनावालय, चम्पावत	1321/2012
257.	श्री राजेन्द्र बिष्ट, अनुसूचक पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा	1322/2012
258.	श्री संतोष सिंह बिष्ट, अनुसूचक पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोड़ा	1323/2012
259.	श्री मोहन सिंह, अनुसूचक पंचास्थानि चुनावालय, नैनीताल	1324/2012
260.	श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट, अनुसूचक पंचास्थानि चुनावालय, बागेश्वर	1325/2012
261.	श्री समूह (घ) कर्मचारियों हेतु वर्दी पत्रावली	1326/2012
262.	श्री अरुण कुमार तिवारी, प्रवर सहायक पंचास्थानि चुनावालय पिथौरागढ़	1346/2012
263.	श्री मनोज तिवारी, 1/7895 गली न0-3 ईस्ट गोरखापार्क शाहदरा दिल्ली	1347/2012
264.	श्री अनिल कुमार गुप्ता, 89/1 चन्द्रशेखर मार्ग मायाकुण्ड ऋषिकेश	1349/2012
265.	श्री सोहन सिंह रावत, सी0-41 ई0सी0 रोड देहरादून	1350/2012
266.	समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति विषयक	1352/2012
267.	किंगिडल रिट पिटीशन नं-836 वर्ष 2012 श्रीमती प्रिया बनाम राज्य व अन्य।	1354/2012
268.	समाचार पत्रों की कोटिंग विज्ञापित/सूचना	1377/2013
269.	रिट पिटीशन श्रीमती मीना देवी बनाम श्रीमती मीना बिष्ट आदि देहरादून।	1467/2013
270.	श्री बालादत्त पाण्डेय, उप सचिव, व्यक्तिगत पत्रावली	1478/2013
271.	जन्मद के पंच0चुना0 में कार्यरत सह0जि0नि0अधि0, की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां	1492/2013
272.	व्यक्तिगत पत्रावली श्री सुषर्द्धन, ना0 राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड	1508/2013
273.	पंचास्थानि चुनावालयों में तैनात कार्मिकों का वेतन निर्धारण विषयक	1519/2013
274.	रा0 निर्वाचन आयोग में राजित सहाय0आयुक्त एवं उपायुक्त के पद पर पदोन्नति विषयक	1522/2013
275.	श्री जगत सिंह चौहान, विल नियंत्रक, रा0नि0आ0, व्यक्तिगत पत्रावली	1537/2013
276.	श्री एम0एस0 कुण्डरा, की आयोग में समन्वयक के पद पर तैनाती	1548/2013
277.	आयोग में संयुक्त सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति	1550/2013
278.	आयोग में वैयक्तिक सहायक/अपर निजी सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति	1554/2013
279.	आयोग में समीक्षा अधिकारी (लेखा) के पद पर प्रतिनियुक्ति	1555/2013
280.	आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति	1556/2013
281.	डा0 अर0एस0 पोखरिया, संयुक्त सचिव की व्यक्तिगत पत्रावली	1558/2013
282.	श्री आशाशम कुन्डेड़ी, समीक्षा अधिकारी (लेखा) की व्यक्तिगत पत्रावली	1570/2013
283.	शासनादेश सख्या-298 दिनांक 30.12.2013 के द्वारा सविदा कार्मिकों के दिनियमितीकरण	1574/2014
284.	पत्र प्रेषण एवं प्राप्ति विषयक	1578/2014
285.	विविध (शिक्षायते)	1686/2014
287.	श्री भूपाल सिंह पंचोली, अनुसूचक, पिथौरागढ़।	1637/2014
288.	श्री दिनेश सिंह, कनिष्ठ सहायक, रा0नि0आ0, उत्तराखण्ड।	1640/2014
289.	पुनर्नियुक्ति संबंधी पत्रावली	1681/2014
290.	स्थानान्तरण हेतु प्राप्ति विकल्प पत्रावली	1682/2014
291.	शोक संदेश पत्रावली	1711/2014

292.	श्री कुलगन्त सिंह, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत पत्रावली	1814 / 2014
293.	राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत कर्मचारी-अधिकांश परिसर गठन सम्बन्धी पत्रावली	1818 / 2014
294.	श्री हरिदत्त जोशी, विशेष कार्यधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग व्यक्तिगत पत्रावली	1857 / 2014
295.	संयुक्त सचिव प्रतिनियुक्ति पत्रावली	1858 / 2014
296.	श्री हुकम सिंह भण्डारी, कनिष्ठ सहायक, तमोली व्यक्तिगत पत्रावली	1871 / 2014
297.	प्रत्यूष श्रेणी कर्मी के कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति पत्रावली	1882 / 2015
298.	रिक्त पदों/सीनों की सूचना माह अप्रैल/मई, 2015	1909 / 2015
299.	श्री विनोद लाल, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर उपनल से अनुबंधित	1910 / 2015
300.	पंचास्थानि चुनावालयों में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों का अधिष्ठात संबंधी विवरण	1919 / 2015
301.	रिट याचिका संख्या-774(एस/एस)2015 भूपाल चन्द्र पंचोली बनाम रा0नि0आ0 एवं अन्य	1922 / 2015
302.	स्थापना से संबंधित विविध प्रकरण विषयक	1932 / 2015
303.	रिट याचिका संख्या 1347 / 2015(एस/एस)2015 भूपाल चन्द्र पंचोली बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एव अन्य	1943 / 2015
304.	सुदृढ नियुक्ति नियमित किये जाना पत्रावली	1944 / 2015
305.	श्री राकेश कुमार एडवोकेट रजि0 नं0 यू0पी07738 / 02, यू0के0 4795 / 04 अधिवक्ता चैम्बर नं0 51, सिविल कोर्ट, जनपद हरिद्वार	1950 / 2015
306.	सुश्री निधि रायत, सहायक अधिका, प्रतिनियुक्ति की पत्रावली	1985 / 2015
307.	आयोग मुख्यालय में कार्यरत नियमित/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मिकों की गोपनीय प्रसिद्धियां-14 पत्रावली	2019 / 2010
308.	शासकीय कार्यों में राजभाषा हिन्दी के पूर्णतः प्रयोग हेतु विभाग में नोडल अधिकारी नामित किये जाने विषयक	2031 / 2016
309.	कनिष्ठ सहायकों की सीधी भर्ती संबंधी पत्रावली-2016	2080 / 2010
310.	लोक सेवा आयोग को सीधी भर्ती का अधिवाचन	2082 / 2016
311.	रिट सं-1145 एम0एस0 2016 विक्रम सिंह काकी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2085 / 2016
312.	रिट सं0-1469 विक्रम सिंह काकी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2094 / 2016
313.	श्रीमती सरिता राफूकी, प्रतिनियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड।	2108 / 2016
314.	श्री रोशन लाल, अपर आयुक्त प्रतिनियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड।	2113 / 2016
315.	उपनल से संविदा पर तैनात कर्मिकों से सम्बन्धित	2131 / 2017
316.	श्री जय प्रकाश नौटियाल, कनिष्ठ सहायक पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार	2177 / 2017
317.	रिट याचिका संख्या-1258/2008 श्री विनोद लाल पुत्र स्व0 श्री रिखा लाल ग्राम/पो0-बावई जिला-रूद्रप्रयाग बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2200 / 2017
318.	रिट याचिका संख्या-2490 / 2017(एस0/एस0) मदन लाल बनाम मा0राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2210 / 2017
319.	श्री मनोष तिवारी, तृतीय श्रेणी, पंचास्थानि चुनावालय, देहरादून।	2211 / 2017
320.	श्री विजय लाल, चतुर्थ श्रेणी, पंचास्थानि चुनावालय, पीडी गढ़वाल	2221 / 2017
321.	रिट याचिका संख्या-2756 एम0एस0/2017 श्री मदन लाल बनाम आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य।	2224 / 2017
322.	जनपद स्तर पर सफाई कर्मियों के मानदेय/पारिश्रमिक विषयक	2256 / 2018
323.	श्री मदन लाल शाह (सविदा पर तैनात किये जाने के संबंध में)	2288 / 2018
324.	उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017	2408 / 2018
325.	श्रीमती हिमाली जोशी पेटवाल, उप सचिव रा0नि0आ0 प्रतिनियुक्ति व्यक्तिगत पत्रावली	2458 / 2018
326.	श्री शिवजी त्रिपाठी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, रिट संख्या-1028 / 2019	2623 / 2019
327.	रिट सं0 1118 / 2021, 1114 / 2020, 1115 / 2020 एव 1121 / 2020 से संबंधित	2940 / 2020
328.	बिरेन्द्र सिंह चौहान बनाम पदम सिंह चौहान एवं अन्य	2943 / 2020
329.	रिट सं0 1168 / 2020 अनिल कुमार पाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	2944 / 2020
330.	पिरोष आडिट संबंधी पत्रावली	2954 / 2020

331	बिष्ठापार पर अंकुश रखने हेतु नोडल अधिकारी नामित करने संबंधी पत्रावली	2964 / 2020
332	जांच (पत्र गुप्त होने विषयक)	2965 / 2020
333	गोंसव नेगी पुत्र स्व. श्री कुलदीप नेगी, रुद्रप्रयाग	2970 / 2020
334	रिट सां 85 / 2021 विक्रम सिंह काकी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	2972 / 2021
335	दिव्यांगजनों के आरक्षण दिव्यक	2975 / 2021
336	अनिल कुमार पाल दरिष्ठ लिपि पंचास्थानि युनायलड, हरिद्वार	2976 / 2021
337	महेश चन्द काण्डी 30सं0 / सं0जि0नि0अ0, व्यक्तिगत पत्रावली	3021 / 2021
338	रिट सां 53 / डी.पी. / 2021 बागेश्वर प्रसाद बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं रा.नि.आ.	3025 / 2021
339	पुतक आभित नियुक्ति संबंधी जनपद स्तर	3035 / 20121
340	सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अहंकारी सेवा में शिथिलीकरण विषयक	3065 / 2021
341	कलेम पिटीशन सं. 121 / 20217 विरेन्द्र मोहन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	3074 / 2022
342	रिट सं0 125 / 2022 मोहन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	3076 / 2022
343	प्रीतम सिंह रावत घटार्थ श्रेणी व्यक्तिगत पत्रावली	3082 / 2022
344	रिट सं73 / 2022 अधिकार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	3083 / 2022
345	कार्मिकों के अभिलेखों का डिजिटलईजेशन	4007 / 2022
346	बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा उपस्थिति विषयक	4010 / 2022
347	आकस्मिक अवकाश स्वीकृति विषयक	4011 / 2022
348	पंचास्थानि युनायलड में स्टाफिंग पैटर्न विषयक	4029 / 2022
349	उपनल कार्मिकों के अवकाश संबंधी पत्रावली	4045 / 2022
350	अनिवार्य संवानियुक्ति के संबंध में	4070 / 2022
351	श्री बालकराम व्यक्तिगत पत्रावली	4080 / 2023
352	सं0सु0अ0 एवं विभागीय अपीलार्थ अधिकारी के नामित करने संबंधी	4087 / 2023

अनुभाग-1 सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से सम्बन्धित पत्रावलियां

1.	श्री सुन्दर सिंह कुवारवी ग्राम कुस्थारी पो0 खलवा तहसील द्वाराहाट अल्मोड़ा	1008 / 2009
2.	श्री रामकान्त श्री वास्तव प्रदेश उपाध्यक्ष (ABVP) एवं 30 शिक्षक कर्मचारी डी0ए0वी0 इंटर कालेज, देहरादून ।	1013 / 2009
3.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सफल क्रियान्वयन हेतु वाह्य समीक्षा समिति द्वारा किये जाने वाली समीक्षा विषयक	1019 / 2009
4.	श्री रमेश चन्द काण्डवाल कंगलि0 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड	1022 / 2009
5.	श्री तरुण कुमार भाया द्वारा अनीता पैथोलाजी 1 न्यू रोड, देहरादून	1023 / 2009
6.	श्री सुरेश वीरपुर खुर्द पो0अ0 पशुताक जिला देहरादून	1025 / 2009
7.	श्री सुधीर गोयल सी-212 नेहरू कालोनी, देहरादून	1032 / 2009
8.	श्री एस0एस0 तोमर सुयुक्त निदेशक, ग्राम्य विकास (FRDC) शाख सचिवालय, देहरादून	1037 / 2009
9.	श्री संजय भट्ट 95 इन्दिरा मार्केट (JMDA) कोम्पलेक्स निकट पोलियन ग्राउन्ड, देहरादून	1038 / 2009
10.	श्री अनील दरवाल एसोसियन फार डेमोक्रेटिक् रिफार्मस 131 / 6 हॉजखास न्यू दिल्ली	1039 / 2009
11.	श्री कमल किशोर कण्डवाल द्वारा सकलानी न्यूज एजेन्सी पोस्ट ओ0 मुनीकीरेती कैलाश गेट ऋषिकेश, देहरादून ।	1040 / 2009
12.	श्री कुलभूषण गुसाई एडवोकेट, सी0जी0एम0 कोर्ट कम्पांड, देहरादून	1041 / 2009
13.	श्री उत्तमान सैफी पुत्र श्री अखलाख हुसैन जानवरों वाले अस्पताल के सामने कालादुंगी रोड इल्हानी, नैनीताल पिन-263139	1042 / 2009
14.	श्री गुजराहेद हुसैन स्नाक अध्यक्ष रा0अ0 उन्नमूलन ऑर्गनाईजेशन पो0 नेतानगर सुल्तानपुर पट्टी जिला उधमसिंहनगर	1044 / 2009
15.	श्री भूनेन्द्र कुकरेती (एडवोकेट)कोर्ट कम्पाउण्ड ऋषिकेश, देहरादून	1046 / 2009
16.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र स्व0श्रीलक्ष्मणदास गुप्ता निवासी 4 ए चकराता रोड, देहरादून	1052 / 2009
17.	श्री ए0के0 वादरानी डी0-4 प्रेमनगर बाजार किराडी-सुल्तानपुरी दिल्ली-88 दूरभाष	1053 / 2009

	संख्या-9210727459,	
18.	श्री नद्रीनाथ में अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन के सम्बन्ध में	1054 / 2009
19.	श्री राजेन्द्र निवासी ग्राम बन्नाखेडा ब्लाक एवं तहसील बाजपुर उधमसिंहनगर	1056 / 2009
20.	श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह ग्राम नजीनाबाद पो० सूर्यनगर तहसील किच्छा जिला उधमसिंहनगर	1057 / 2009
21.	श्री भवानी दत्त जोशी भारतीय जीवन धौमा निगम, मण्डल कार्यालय, धमपुर हरिद्वार रोड पो०बाक्स-07 देहरादून 248001	1058 / 2009
22.	श्री राजेश कुमार पुत्रश्रीराम निवासी ग्राम स्वासू पो० स्वासूपट्टी गोसाई तहसील नई टिहरी टिहरीगढवाल	1059 / 2009
23.	अन्य राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग से पत्राचार पत्रावली	1060 / 2009
24.	श्री अनिल कुमार 89/1 चन्द्रशेखर मार्ग भायाकुंड ऋषिकेश	1061 / 2009
26.	श्री विरेन्द्र सिंह चौहान को० लि० पंचास्थाने चुनावालय की व्यय पत्रावली	1062 / 2009
28.	श्री सरोज सिंह नेगी गोकुल गिहार पदमपुर सुखरी कोटद्वार गढ़वाल	1063 / 2009
27.	श्री सुनील कुमार, बुडलण्ड स्टेट लडौरा बाजार, मसुरी, देहरादून	1064 / 2009
28.	श्री किरण डालाकोटी ग्राम खेडा तहसील गोलापार (इल्हानी) जिला नैनीताल	1068 / 2010
29.	डा० सत्यनारायण शर्मा निवासी, 57 गौतम गली भीमगोडा हरिद्वार	1069 / 2010
30.	श्री मोनू पाण्डे द्वारा श्री नवीनचन्द्र गुप्ता म० न०-47 आकाशपुरम पीलीभीत बाईपास रोड दरौली, उत्तर प्रदेश	1073 / 2010
31.	श्री पंकज गुप्ता 33 हीरालाल मार्ग ऋषिकेश	1074 / 2010
32.	श्री जीवन्त सिंह भन्डारी ग्राम छत्यानी पो.ओ. रतिसैरा बाबा डंगोली जनपद बागेश्वर	1075 / 2010
33.	श्री धर्मानन्द जोषी मनोनीत (सभासद) नगर पंचायत भीमताल, उत्तराखण्ड देहरादून	1076 / 2010
34.	श्री ईश कुमार शर्मा शारदा भवन डिलवाड़ पास रोड खडखडी हरिद्वार	1077 / 2010
35.	श्री जोधसिंह बोरा पुत्र स्व श्री लाल सिंह बोरा ग्राम व पो० पमस्यारी तहसील डीडीहाट जिला पिथौरागढ़	1079 / 2010
36.	श्री रमेश चन्द्र साहायक अर्थ एवं सहायिकाओं अर्थ एवं सहायिका निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून	1080 / 2010
37.	कु० कुसुम निवासी म० न०-13 आर के पुरम तरला अधोईवाला पो० ओ० डालनवाला, देहरादून	1091 / 2010
38.	कैप्टन दीवान सिंह दिष्ट उद्दीकाला कौलागढ़ पो०ओ० क० डी०एम०आई० पो०ई० देहरादून -248165	1082 / 2010
39.	श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव पुत्रश्रीयु०के० श्रीवास्तव सीमाल हेड मैग्नाफिन कार्य० लि० 176 पटेलनगर, देहरादून	1084 / 2010
40.	श्रीमती अनीला रानी निवासी भनियावाला पो० भनियावाला देहरादून	1086 / 2010
41.	श्रीरामसिंह रायत, एडवोकेट चैम्बर -न०22 सी०जे०एम०कोर्ट कम्पाउंड, देहरादून	1087 / 2010
42.	श्री कैलाश चन्द्र तेवाड़ी, कार्यक्षेत्र/वेतन अनुभाग फील्डगन फैक्टरी काली रोड कानपुर	1088 / 2010
43.	अमृत श्रीवास्तव, सम्पादक मिशन एक्सप्रेस झारान जालापुर हरिद्वार	1089 / 2010
44.	श्री भगवान सिंह रायत अमृत निवास मनहिल रोड मसुरी, उत्तराखण्ड	1090 / 2010
45.	श्री इन्द्रजीत सिंह, 2 ईस्ट रेस्टकैम्प त्यागी रोड देहरादून	1091 / 2010
46.	श्री सोनू पुत्रश्री सुमेर चन्द्र 5 परसोलीवाला हाथीवडकला कैंट रोड दे०दून०	1092 / 2010
47.	श्री किशन बहादुर थापा ग्राम 0 व पो० बजरवाला, देहरादून	1093 / 2010
48.	श्रीमती पुष्पादेवी पत्नीश्री उमेशसिंह दिष्ट निवासी स्व० माधोसिंह बालविद्या भवन इन्द्रनगर विन्धुखलाटा लालकुआं, नैनीताल	1099 / 2010
49.	श्री अमर सिंह नेगी सेवा निवृत्त ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी चमोली हाल निवास आई०टी०आई गोपेश्वर पो०ओ० देवर खडोर जनपद चमोली	1100 / 2010
50.	श्री राकेश खण्डूडी पुत्र श्री चन्द्र दत्त खण्डूडी समाचार सम्पादक नूतन सवेरा 10/1 चकराता रोड पेशाभेडिकल के पीछे महन्त क्वार्टर्स जनपद देहरादून	1102 / 2010
51.	श्री जयपाल सिंह संपादक हिन्दुस्तान बोल रहा है पत्रिका पुत्र श्री वेदपाल चौधरी निवासी 31 कर्जन रोड, देहरादून	1103 / 2010

52.	श्री शैलेन्द्र थपलियाल संपादक गढ़वार्ता ग्राम, आबई, पो० चमकोटखल, गामा भुगुखाल यमकेश्वर पौडीगढ़वाल	1104/2010
53.	श्री सुलेश चन्द्र पुत्र श्री फलचन्द्र ग्राम मानक माजरा पो हास्तू माजरा त० रुडकी जिला हरिद्वार	1106/2010
54.	डा० रवि रस्तोगी संपादक एवं प्रकाशक हिमालय और हिन्दुस्तान राष्ट्रीय पक्षिक बीरमद्र (ऋषिकेश) देहरादून	1108/2010
55.	रूयना या अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत विविध पत्रापत्नी	1110/2010
56.	श्री आशुतोष कुमार यादव श्री गौधी आश्रम, 102 चन्दनगर, देहरादून	1111/2010
57.	श्रीमती हीरा पंचाल पत्नी श्री खलराम पंचाल गौव मोखातारा पो० सेवडा त०शानीवाडा जिला जालोर पिन-343040	1114/2010
58.	श्री एस०सी० माल पुलिस अफाधिक (से०नि०) आर्यनगर ज्वालापुर हरिद्वार	1120/2010
59.	श्री जयप्रकाश कोठारी भारतीय जनता पार्टी टिहरीगढ़वाल	1121/2010
60.	श्री आर०पी० अग्रवाल एम-4 शिवालय लगजरी एपार्टमेंट कर्जन रोड देहरादून	1129/2010
61.	श्री संजय कुमार एडवोकेट जज्जीकोट कन्धान्ड हल्हानी जिला नैनीताल	1145/2010
62.	श्री राव खालिद अली एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद हरिद्वार	1146/2010
63.	श्री कमल कुमार निवासी औखला सुन्दरवाला रायपुर, देहरादून	1148/2010
64.	श्रीमती रचना गर्ग (पत्रकार) 104, इंधर बिहार फेज-2 रायपुर रोड देहरादून	1149/2010
65.	श्री कुला नन्द गोस्वामी, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत गौरीकुंड जनपद रुद्रप्रयाग	1154/2011
66.	श्री उसमान सैफी पुत्र श्री अखलाख हुसैन सैफी जी०पी०रोड हाईवेयर निकट आयुष धिकित्तालय कालाकूची रोड हल्हानी नैनीताल	1155/2011
67.	श्री पंकज शर्मा पुत्रश्री सुरेन्द्र शर्मा द्वारा- छाया फोटो स्टूडियो मी० शेखपुरा कुमार गढा कनखल हरिद्वार	1156/2011
68.	श्री मांगेराम करशय पुत्र श्री जयप्रकाश निवासी 459/1, मीहल्ला सरयत (बशत विहार) पो० मुज्जफरनगर जिला मुज्जफरनगर	1159/2011
69.	श्री अजय सिंह कालख पुत्रश्री भगवान दास निवासी ग्राम कैदपुरा पो० मंगलौर तहसील रुडकी जिला हरिद्वार	1161/2011
70.	श्री महेंद्र सिंह पुत्र स्व० श्रीबुद्धसिंह निवासी ग्राम मियावाला पो० हर्वाला जिला देहरादून	1164/2011
71.	श्री हरीश सिंह अधिकारी पूर्व ग्राम प्रधान बेलवाखल ज्योतिकोट नैनीताल	1165/2011
72.	श्री मंवर सिंह पुत्री मानसिंह रविदास बस्ती कनखल हरिद्वार	1168/2011
73.	श्री धमेन्द्र कुमार 4-ई इन्डर रोड, डालनवाला देहरादून	1168/2011
74.	श्रीमती फरमाना पत्नी श्री फरीद निवासी ग्राम महाराजपुर खुर्द त० लखर डा० महाराजपुर कला हरिद्वार	1169/2011
75.	श्री विजय सक्सेना, अधिवक्ता, चेम्बर न०121, जिला एवं सत्र न्यायालय, रोशनाबाद हरिद्वार	1170/2011
76.	श्री कमल पनेरू पुत्रश्री मोतीराम नारपत विनोद दानी, दानी जमरल स्टोर अमरायती कालोनी द्वितीय तल्ली बमारी हल्हानी नैनीताल	1181/2011
77.	श्री एम०जकरिया दूयान न०रुकी-15 नई सब्जीमण्डी निरंजनपुर देहरादून	1182/2011
78.	श्री विकास अग्रवाल प्रदेश महासचिव शिव सेना, उत्तराखण्ड अलकनन्दा विहार कुमायूँ कालोनी निकट रेलवे काटक शमनगर रोड काशीपुर, उधमसिंहनगर	1183/2011
79.	श्री जगजीवन चौहान एडवोकेट द्वारा के०एस० राकत भवन न०10 लेन नम्बर-6 सजवाण खेडा तपोवन इनवलेव आशवाला पो०ओ० रायपुर देहरादून	1184/2011
80.	श्री सत्यपाल पुत्रश्री मुकन्दराम निवासी ग्राम बहादरपुर सेना वि० ख० रुडकी, हरिद्वार	1185/2011
81.	श्रीराकेश कुमार ग्राम दुगरपुर पो०ओ० हल्हानीडा जिला नैनीताल	

82.	श्री सईद उर रहमान खी द्वारा सैयद जफरअली एडवोकेट चेम्बर न-82 जिला कच्छहरी रामपुर उ0प्र0 पि कोड न0-244901	1189/2011
83.	श्री विजेन्द्र दत्त सकलानी ग्राम व पो रुद्रपुर बाया सहसपुर विकास नगर देहरादून	1190/2011
84.	श्री प्रदीप भन्डारी नानपारा हाउस लखौर मसूरी	1191/2011
85.	श्री बी0एस0 विष्ट II/58 नार्थ वेस्ट मोतीबाग नई दिल्ली-110021	1192/2011
86.	श्री जगमोहन गुरूग पुत्र स्व0श्री आर0गुरूग निवासी ग्राम हरिपुर पो0ओ0 नयादा जिला देहरादून	1194/2011
87.	श्री जीतपाल चन्द्र रमोता ग्राम बटवाल गाँव व पो0छाम जिला टिहरी गढ़वाल	1195/2011
88.	श्री जुबेर पुत्र श्री मुनसब ग्राम मिर्जापुर मुस्ताफाबाद पो0 मरगूबपुर विकास खण्ड रुड़की जिला हरिद्वार	1196/2011
89.	श्रीमती सुदेशना पत्नी श्री अरुण कुमार निवासी भगवतीपुरम पो0 कनखल जिला हरिद्वार	1197/2011
90.	श्री मोहिन्दर सिंह विष्ट अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल	1198/2011
91.	श्री कमलेश तिवारी अधिवक्ता चेम्बर न0-62 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल	1199/2011
92.	सुश्री अरुणा रायत संपादिका हिताव टाइम्स 30/2 राहुल मार्केट झण्डा बाजार, देहरादून	1200/2011
93.	श्री सईद अली पुत्र श्री रफीक अली, ग्राम डाडा जलालपुर पो हल्द्वी मजरा जिला हरिद्वार	1201/2011
94.	श्री आदेश कुमार पुत्र श्री तेजपाल सिंह निवासी ग्राम व पो0झाझरा देहरादून	1205/2011
95.	श्री राजेन्द्र सिंह विष्ट देवभूमि निवास ग्राम व पो देहरादून	1206/2011
96.	श्री भुल्लेन सिंह पुत्र श्री रूपराम ग्राम शेरपुर डा0 बडेडी खदाजगीपुर जिला हरिद्वार	1207/2011
97.	श्री विरेन्द्र पाल गुप्ता (राष्ट्रीय महासचिव युथ) राष्ट्रीयवादी जनता पार्टी दिल्ली	1209/2011
98.	डा0 गोपीचन्द्र वर्मन, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय फाउन्डेशन मुख्यालय: आशा भवन बशीवाला डा0 झाझरा देहरादून	12010/2011
99.	श्रीमती बबीता विष्ट देवभूमि निवास ग्राम व पो0 देहरादून	1215/2011
100.	श्री सादब सिंह पुण्डरीर द्वारा नेचूरल हर्बल निकट टेलीफोन एक्सचेंज राजपुर रोड लाडपुर देहरादून	1218/2011
101.	श्री रामसंचारे पुत्र स्व0 श्री गंगाराम ग्राम कुण्डेश्वर हनुपुर स्नाइल तहसील काशीपुर जनपद उधमसिंहनगर पिन-244713	1218/2011
102.	श्री ब्रह्मपाल सिंह पुत्र श्री मोमराज गोरधनपुर रोड वाई न09 लक्सर हरिद्वार	1219/2011
103.	श्री योगेश विद्यार्थी पुत्र श्री जगवीर सिंह उत्तराखण्ड परिवहन निगम कोटद्वार डिपो पीडीगढ़नाल	1224/2011
104.	श्री जोधसिंह विष्ट ग्राम पूर्वी घोड़ानाला (बिन्दुखत्ता)पो0 लालकुआं जिला नैनीताल उत्तराखण्ड	1225/2011
105.	देवीरत्न पनेक पुत्र स्व0 श्रीमती चित्त देवी पनेक एवं स्व0श्री हीरावल्लभ पनेक ग्राम सभा उलकन्धिया (डातकण्ड) विकास क्षेत्र आञ्जवकाश जिला नैनीताल अर्थात् पता अज्ञात बिहार तीनगानी (रुन्वानी) जिला नैनीताल	1226/2011
106.	श्री मनुज प्रकाश ओ0एन0जी0सी0 तेल भवन (C.M.Ltd) 6 th फ्लौर (इम्प्लोकोम डिपा) देहरादून-248001	1227/2011
107.	श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी ग्राम औदती ग्राम पचायत नरौनी पो0ओ0 लामाखेड़ा तहसील व विकास खण्ड सितारगज उधमसिंहनगर	1228/2011
108.	श्री हरपाल सिंह पुत्र स्व0श्री करम सिंह ग्राम दूधलादवालवाला पो0 श्यामपुर हरिद्वार	1229/2011
109.	श्री राम यादव पुत्र श्री गुमानी सिंह सैक्टर प्रभारी बी0एस0पी0 वाई नम्बर-4 भदई पुरा रुद्रपुर उधमसिंहनगर	1230/2011
110.	श्री राधाकृष्ण गौरीला, ग्राम बद्दी विहार चौक (झिबरहेडी) पो कारबारी ग्राम शिमला	1231/2011
111.	श्री धरम पाल सिंह पुत्र स्व0श्री परसराम नि0 ग्राम व पो झाझरा देहरादून	1232/2011
112.	श्री गजराजसिंह चौहान नकान न0-79s कुसुम कुंज धर्मपुर बाईपास रोड मीनाधी बँडिंग प्वाइन्ट के सामने देहरादून	1233/2011

113.	श्री दान सिंह विष्ट पुत्रस्व० श्री जीवन सिंह विष्ट ग्राम बहरो पो०ओ० मंगडोली (शर) पि० ख० ताडीखेत जिला अल्मोडा	1234 / 2011
114.	श्री नैरामसिंह सुरेदान मेजन (अ०प्र०) 25 टयूबवेल रोड श्यामपुर पो अम्बीवाला प्रेमनगर देहरादून।	1236 / 2011
115.	श्री श्री०देवीनामदेव, कबीर आश्रम, काधिकश जिला देहरादून	1236 / 2011
116.	रिटयाचिका संख्या-1836(एम०/एस०)2011श्रीमती सुमन बनाम उत्तराखण्ड राज्य प अन्य	1238 / 2011
117.	रिटयाचिका संख्या-1876(एम०/एस०)	1239 / 2011
118.	श्री संजय चौधरी, मण्डल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन ग्राम नगला सलारू (मंगलौर) हरिद्वार	1241 / 2011
119.	श्री आशीष डोमाल कोषाध्यक्ष, अमर्जीवी पत्रकार यूनियन, देहरादून शाखा, 36 ए इ०सी० रोड देहरादून	1243 / 2011
120.	श्री एस०सी० पाल डिप्टी एस०पी०(सेवा निवृत्त) 1085 पीरवाली गली आर्यनगर, पो० ज्वालापुर हरिद्वार	1244 / 2011
121.	श्रीमती मीना नेगी, दैनिक प्रभात 10 इ०सी० रोड, मीडिया सेक्टर के पीछे देहरादून	1245 / 2011
122.	श्रीएस०एस० रावत, अध्यक्ष भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी उत्तराखण्ड दे०दून केन्द्रीय कार्यालय एकता बिहार लेन न०-1 पो० कण्डोली सहस्त्रधारा रोड देहरादून	1246 / 2011
123.	श्रीसतीश कुमार शुक्ल, लो०सू०आ० सहायक पुलिस महानिरीक्षण (पी०एच०)उत्तराखण्ड मुख्यालय देहरादून	1247 / 2011
124.	श्री अमरेश गुप्ता,माल्यान मी० देहरादून	1248 / 2011
125.	श्री दीपक जोशी, महामंत्री उद्योग व्यापार मण्डल पार्टी पो०पाटी, चम्पावत	1249 / 2011
128.	श्रीनारायण सिंह रावत वास्ते स्व०श्री मंगल सिंह, ग्राम भीताकोटमल्ला पो० गढकोट, तह०सल्ट जिला अल्मोडा	1250 / 2011
27.	श्रीमती श्वेता झा, मॉडर्न स्कूल के सामने पो० लकडहरन, सराफ बाजार ज्वालापुर हरिद्वार	1253 / 2011
128.	श्री प्रियांक अग्रवाल, प्रियांग अग्रवाल, नवीन मण्डी स्थल मुरादाबाद रोड काशी पुर उधमसिंहनगर	1254 / 2011
129.	श्री मी० इसरार पुत्र स्वश्री मी० इकबाल, ग्राम व पो०ढकरानी, देहरादून	1255 / 2011
130.	श्री मुनीश कुमार (सम्पादक) नागरिक (पाक्षिक समाचार पत्र) पैठ पंडीय रामनगर नैनीताल	1257 / 2011
131.	श्री कलाश चन्द पाण्डे 151 खड़ी बाजार, रानीखेत, अल्मोडा	1262 / 2011
132.	श्रीमती सतोष लक्ष्मी माजपा जिला महामंत्री जिला काशीपुर	1263 / 2011
133.	डा० दिनेश प्रताप सिंह 74/3 सालावाला देहरादून	1264 / 2011
134.	श्री एन०अतीक सूट स-27 आफिसर्स हास्टल सिविल लाइन मेरठ उ०प्र०	1266 / 2011
135.	श्री कुमुद सिंह विकास नगर मेनबाजार विकास नगर स्कूल वाली गली दे०दून	1268 / 2011
136.	श्री अजय प्रसाद उनियाल, सतापन धर्म मन्दिर लण्कार बाजार मसूरी दे०दून	1269 / 2011
137.	श्री मनीष तिवारी कनिष्ठ सहायक सं कार्या० पंचारथानी पुनापालय कपठरी दे०दून	1270 / 2012
138.	श्री प्रदीप वर्मा आदेश कालोनी, मेठ बाजार लक्सर जनपद हरिद्वार	1271 / 2012
139.	श्रीमती विन्दिया अधिकारी पत्नी श्री मनीष अधिकारी, ग्राम य पो० राखपुर दे०दून	1272 / 2012
140.	श्री राजीव गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनसहायक दल 112ए न्यू कनाट प्लेस देहरादून	1275 / 2012
141.	श्री इरफान हुसैन सैफी पुत्रश्री अखलाख हुसैन सैफी उजाला नगर निकट नमरा मस्जिद बरेली रोड हल्द्वानी नैनीताल	1276 / 2012
142.	श्री सुबोध गोयल, समाजिक कार्यकर्ता शिवपुरी कालोनी डाकपत्थर देहरादून	1279 / 2012
143.	श्री विपिन कुमार पाण्डेय, श्री गौधी आश्रम जसपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड	1281 / 2012
144.	श्री रजिन्द्र प्रसाद पाण्डेय, श्री गौधी आश्रम जसपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड	1286 / 2012
145.	श्री मनोज जोली, एडवोकेट भाटकोटी रोड पिथौरागढ़	1288 / 2012
146.	श्री सुरेन्द्र अग्रवाल/सुश्री रचना गर्ग (प्रदेश प्रवक्ता) मिशन उत्तराखण्ड	1290 / 2012
147.	श्री धर्मवीर सैनी कनखल हरिद्वार	1291 / 2012
148.	श्री भीमसिंह पुत्रश्री नाथीराम सिंह नि०-79 लोअर नर्थन पुर जागीवाल पो० नेहरूग्राम निकट भवानी प्रोपर्टीज मसूरी रिंग रोड देहरादून	1292 / 2012

149.	श्री विकास त्यागी पुत्रश्री चन्द्र प्रकाश त्यागी निवासी एस-10 रघुकूल आर्केड निकट नन्दन सिनेमा गढरोड, धाना नौचन्दी मेरठ उ०प्र०	1293 / 2012
150.	श्री दिनेश चन्द्र जोशी, जून स्टेट श्रीमताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड	1300 / 2012
151.	श्री राजेश शर्मा, 21 सेवक आश्रम रोड, देहरादून-248001	1302 / 2012
152.	श्री गोविन्द सिंह, सेना वायु रक्षा महानिदेशालय, सेवा वायु रक्षा (विधिक) एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय भस्त सरकार कमरा न०-802 डी०-1 बिग छटा तल सेना भवन नई दिल्ली-110011	1303 / 2012
153.	श्री अनिल कुमार, ग्राम केहड़ा, पो०ओ० लक्सर जनपद हरिद्वार	1328 / 2012
154.	श्री कृष्ण कुमार शुकला, मनासा भवन, अपर सुन्दरवाला, रायपुर रोड, देहरादून	1329 / 2012
155.	श्री सी०पी० सिंह, 8-विराग विला, शिवपुरी कालोनी, जगजीतपुर, कनखल हरिद्वार	1330 / 2012
156.	श्री ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, 186, इन्दिरानगर कालोनी, देहरादून	1331 / 2012
157.	श्री नारायण सिंह, विंग न०-4/2/12 प्रेमनगर, देहरादून	1332 / 2012
158.	शहाना परवीन पुत्री श्री याकूब अहमद 4/5, मुस्लिम कालोनी, रीता मण्डी, देहरादून	1233 / 2012
159.	लोक सूचना अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (क०ओ०) लो०नि०वि०, अल्मोडा	1334 / 2012
159.	श्री अजय नर्ग, (सम्पन्नक) रणजीत स्वर (साप्ताहिक) 20/3 भण्डारी बाग, देहरादून	1336 / 2012
160.	श्री गौरव मल्होत्रा पुत्र स्व०श्री सुभाष चन्द्र मल्होत्रा सुगर मिल रोड, डोईवाला-248140 मो००९९३७९६१०२३	1337 / 2012
161.	श्री सुशील खरे, समाचार प्लस 20 आँलड सर्वे रोड देहरादून	1338 / 2012
162.	श्री रघुवीर प्रसाद जैन, 314 डी मास्ट्रा गली चाहवाई बरेली (उ०प्र०)	1341 / 2012
163.	श्री चमन लाल पुत्रश्री कुन्दन लाल ग्राम नहेड़ा आनन्दपुर हरिद्वार	1342 / 2012
164.	श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री बनवारी लाल अग्रवाल ग्राम चौमू तहसील यमु जयपुर	1343 / 2012
165.	श्री कुंवरदीप नरायण, अस्टिटे प्रोफेसर एम०सी०ए० जी०वी०पंत इन्जिनियरिंग कालेज घुडदौडी पीड़ीगढ़वाल	1344 / 2012
166.	श्री संजय धर्माध्याय पंत मीहस्ता डाडा लखौड पो गुजराडा निकट निदेशालय पंचायतीराज आई०टी० पार्क सहरनधारा रोड देहरादून	1345 / 2012
167.	श्री मनोज तिवारी, 1/7695 गली न०-3 ईस्ट गोरखामार्क शाहदरा दिल्ली	1347 / 2012
168.	श्री अनिल कुमार गुप्ता, 89/1 चन्द्रशेखर मार्ग मायाकुण्ड ऋषिकेश	1349 / 2012
169.	श्री सोहन सिंह रावत, सी०-41 ई०सी० रोड देहरादून	1350 / 2012
170.	डॉ० जगदीश चन्द्र जय प्रकाश सेंट्रल, फोरस्ट्री सेंट्रल सोसाइटी एण्ड वाटर कन्जर्वेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 218 कालगढ रोड देहरादून	1351 / 2012
171.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सक्सेना, रिटायर्ड सर्व कानूनगो कस्बा मिल्क मोहल्ला असदुल्लापुर मुक्त कालोनी पो० मिल्क जिला रामपुर, उ०प्र०	1353 / 2012
172.	श्री हरीश चन्द्र खर्कवाल, जनसंपर्क अधिकारी, भा० नेता प्रतिपक्ष विधानसभा उत्तराखण्ड, देहरादून।	1356 / 2012
173.	श्री कुलवन्त सिंह सलूजा, बरपाली चौक चम्पा, छत्तीसगढ़	1357 / 2012
174.	श्री शकील सिद्दिकी, प्रयक्ता वाणिज्य इन्टर कालेज, कमलेश्वर, पिथौरागढ़	1358 / 2012
175.	श्री सुजायत नदी द्वारा रिफॉकल नदी खां, निवासी क्वाटर न०-58 टाईप द्वितीय रिजर्व पुलिस लाईन, रुद्रपुर जनपद उ०नगर	1361 / 2012
176.	श्री वृजमोहन सिंह चौहान पुत्र स्व० श्री पप्पू सिंह चौहान, 115 बाणी विहार, अधोईवाला रायपुर रोड, देहरादून	1362 / 2012
177.	श्री राकेश अग्रवाल, सदस्य आर०टी०आई० क्लब, उत्तराखण्ड, कौशिक कार्टेज बी० कॅम्प्ले बैंक रोड मसूरी, देहरादून	1363 / 2012
178.	श्री चंचल पुत्र श्री होशियार सिंह, ग्राम दूताकोट, पो० नाछर, तहसील डोडीहाट, पिथौरागढ़	1364 / 2012
179.	कु० हेमा आर्य पुत्री श्री लछी राम द्वारा खीम राम व्हाईट हाउस क्लब, मल्लीताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड	1365 / 2012
180.	श्री प्रभात कुमार, 179 करनपुर, देहरादून	1367 / 2012
181.	श्री संजय सुब्बा शांति विहार कालोनी, पो० मांजरा, देहरादून	1370 / 2012
182.	श्री सुरत सिंह रौतेला, एडवोकेट, चैम्बर न०-4, कोट कम्पाउण्ड ऋषिकेश	1371 / 2012

183.	श्री देवेन्द्र प्रसार, फ़ोन-159, मिल्क कालोनी, घनास चण्डीगढ़	1372 / 2012
184.	श्री हयात सिंह अधिकारी, ग्राम व पोस्ट तिमलखेत, तहसील पाटी, चम्पावत	1373 / 2012
185.	श्रीकान्त राठीर पुत्र श्री बालक राम राठीर, नई बस्ती सुनहरी, बार्ड नं०-6 किष्कण, उ०नगर	1374 / 2012
186.	श्री जोतपाल चन्द्र रमोला, ग्राम धारवाल, गांव व तहसील कण्ठीसौंड, टिहरी गढ़वाल	1375 / 2013
187.	श्री प्रदीप भण्डारी, सामाजिक कार्यकर्ता नानपारा हाउस सण्डौर मसुरी	1380 / 2013
188.	श्री सुशील कुमार भट्टनागर, सुशील मेडिकल स्टोर सीमा योराह, काशीपुर बार्ड नं०-18, उ०नगर	1381 / 2013
189.	श्री अरुनीश कुमार, संवाददाता हिन्दुस्तान समाचार, पटेल मार्ग निकट पूर्ति कार्यालय, कोटद्वार गढ़वाल	1383 / 2013
190.	श्री सुनील कुमार बाल्मिकि पुत्री स्व० श्री मनफूल 218 काश्मीर हाउस, वलेमनटारन, देहरादून	1384 / 2013
191.	श्री दीनदयाल राजमर पुत्र श्री रविन्द्र सिंह, 124 चन्द्रेश्वर नगर, चन्द्रभागा ऋषिकेश, देहरादून	1386 / 2013
192.	श्री लक्ष्मण सिंह रावत पुत्र श्री नाथसिंह रावत, 5059 जज फार्म, हल्हानी नैनीताल	1387 / 2013
193.	श्री सुनील दत्त सरमैन्त, पण्डिताबाड़ी पोस्ट प्रेमनगर, देहरादून	1389 / 2013
194.	श्री कृष्ण अयतार पुत्र स्व० श्री रामकिशन मौ० पक्काकोट निकट नागनाथ मन्दिर काशीपुर, उ०नगर	1392 / 2013
195.	श्री कृपाल सिंह मेहरा ग्राम दलीपपुर लोक मण्डीपुर कोटद्वार, गढ़वाल	1393 / 2013
196.	श्री नीरज तिवारी पुत्र श्री रुद्रप्रसाद तिवारी, बार्ड नं०-11 किष्कण उ०नगर	1394 / 2013
197.	श्री रवीन चन्द्र पनेरू, चैतन्य लोक अमरावती कालोनी, तल्लीमर्चारी, हल्हानी, नैनीताल।	1396 / 2013
198.	श्री विष्णु लखेडा द्वारा उमाकान्त लखेडा, 511 ई० सेक्टर 17-ई कोकर इन्वेल्व, वसुन्धरा गाजियाबाद, उ०प्र०	1397 / 2013
199.	श्री शकील अहमद सलमानी पुत्र श्री लईक अहमद इन्द्रानगर बार्ड नं०-21 हल्हानी, नैनीताल।	1398 / 2013
200.	श्री राजेश अशवाल पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत, देवप्रयाग टिहरीगढ़वाल बाह बाजार देवप्रयाग गढ़वाल।	1399 / 2013
201.	श्री विजय सिंह रावत, पुत्रश्री गोपाल सिंह रावत, बद्रपुर हल्हानी नैनीताल	1400 / 2013
203.	प्रो० सुबोध कुमार श्रीवास्तव प्राध्यापक (भौतिकी) आवास पटोटिया बाजार तहसील धुकोट पीडीगढ़वाल	1401 / 2013
204.	श्री अशोक सदाना ऋषि टावर, गली न-2 आशुतोशनगर ऋषिकेश जनपद, देहरादून	1405 / 2013
205.	फतीमा रहमान 136/8 चर्च रोड विष्णुपुरी अलीगंज लखनऊ-22602	1407 / 2013
206.	श्री विजय सिंह पुत्रस्व०श्री शिवचरण सिंह, डिग्री कालेज रोड जौनपुर पो आ० कोटद्वार पीडीगढ़वाल	1409 / 2013
207.	श्री धनवीर सिंह कुमई जफर हाल कुलड़ी बाजार मसुरी	1412 / 2013
208.	श्री गिनोद कुमार पुत्रस्व०श्री देवराम ग्राम सैजल्ला पीओ० डाडामण्डी जिला पीडीगढ़वाल	1413 / 2013
209.	श्री हार्जमुकीम खान पुत्र श्री मुन्ने खान बार्ड-6 टनकपुर चम्पावत	1422 / 2013
210.	श्री राजेश रुडोला, पुत्रश्री के०पी० रुडोला, रुडोला मवन बार्ड-सात श्रीनगर गढ़वाल	1423 / 2013
211.	श्रीभास्कर चन्द्र, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलनकारी 6/130 तल्ली बर्गोरी नवानी रोड नैनीताल	1441 / 2013
212.	श्री श्याम सुन्दर भूमा निकेतन, सप्त सरोवर भूपतथाला हरिद्वार	1445 / 2013
213.	श्री रईस अहमद पुत्रश्री खलील अहमद सिद्दकी बर्फ कारखाने के सामने मौ० उललीयाँ काशीपुर उधमसिंहनगर	1446 / 2013
214.	श्री सुरेश जोशी, एडवोकेट, सी०जे०एम कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून	1449 / 2013
215.	श्री अरुण उनियाल पुत्र श्री सुन्दर लाल उनियाल, अजमपुर खुर्द, देहरादून	1450 / 2013
216.	श्री नन्दन सिंह चौहान पुत्र श्री चंचल सिंह चौहान, निवासी बेणी रामेश्वर ट्रस्ट	1454 / 2013

	पाण्डे गार्डन मंगलपडाव हल्द्वानी, नैनीताल	
217.	श्री विजय बहादुर सहानी ग्राम तिलियापुर पोस्ट शक्तिफार्म जिला उ०नगर	1455 / 2013
218.	श्री राजेश चौहान पुत्र श्री एस०एस० चौहान ग्राम सिनीला, देहरादून	1456 / 2013
219.	श्री गौरव शर्मा, एडवोकेट कार्यालय चैम्बर नं०-3 ब्लॉक नं०-6, रामेश्वर ब्लॉक नं०-8, रामेश्वर ब्लॉक सी०जे०एम०कोर्ट कम्पाउण्ड देहरादून	1459 / 2013
220.	श्री गहेश कुमार उभान, एडवोकेट, अजयपुर बार्ड, देहरादून	1460 / 2013
221.	श्री बजरंग अग्रवाल, उपप्रधान, मालवालाग्रांट पोस्ट क्लेमनटाउन दे०दून	1461 / 2013
222.	श्री बजरंग अग्रवाल, पुरीस्टाम पोस्ट क्लेमनटाउन दे०दून	1462 / 2013
223.	श्री राजेश कुमार 239 ई० पॉकेट-1 मयूर विहार फेस-1 दिल्ली	1463 / 2013
224.	श्री देव हर्षपाल म०न०-159 मिर्क कालोनी घनास, धण्डीगढ	1464 / 2013
225.	श्री भगवान सिंह रमोला पुत्र श्री तोता सिंह रमोला, श्री गणेशपुर पोस्ट कारवारी (निकट मानकसिन्धु) शिमला बाई बस रोड देहरादून	1465 / 2013
226.	श्री लक्ष्मण सिंह, जी०-58 नरोजी नगर, नई दिल्ली	1466 / 2013
227.	श्री विजय महर, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी, शिवपुरी कालोनी, डाकपत्थर देहरादून।	1468 / 2013
228.	श्री गिनोद चन्द्र, प्रांतीय संगठन, साँचेव (कु०) उ०वि०ई० संघ, लोक निर्माण विभाग, शक्तिमदन, लोअर माल रोड, अस्मोडा	1469 / 2013
229.	श्री जेम सिंह बिष्ट, ग्राम खोला, पो० खोला, विकासखण्ड/जिला चम्पाबित	1472 / 2013
230.	श्री आर०एस०नेगी, महासचिव, राजपूताना सेवा समिति, उत्तराखण्ड प्रदेश, केन्द्रीय कार्यालय, झण्डीचौड पूर्वी कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल	1473 / 2013
231.	श्री घनदन कुमार सोनी, मार्फत आर०पी०वर्मा, एक्साईज इन्स्पेक्टर म०न०-10/35 बबननिलियन, रामगुलामटोला सिटी एण्ड पोस्ट आफिस देवरिया, जिला देवरिया, उ०प्र०	1474 / 2013
232.	श्री रघुनाथ सिंह भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड, डास्पिटल रोड विकासनगर रोड देहरादून	1475 / 2013
233.	श्री रविन्द्र पवार पुत्र श्री कुँवर सिंह, ग्राम व पोस्ट कडियालगांव, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल	1479 / 2013
234.	श्री सुयश कुकरेती, एडवोकेट, चैम्बर नं०-49 द्वितीय फ्लोर, न्यू बिल्डिंग बार भवन के पीछे कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून	1483 / 2013
235.	श्रीमती पुष्पा देवी द्वारा लक्ष्मी बुक डिपो, पो०आ० के सामने लालकुआँ, पोस्ट लालकुआँ, नैनीताल	1484 / 2013
236.	श्री संजय कुमार, एडवोकेट सिविल कोर्ट परिसर, काशीपुर, उ०नगर	1486 / 2013
237.	श्री असरीश अहमद, एडवोकेट, पार्क रोड, प्रथमतल होटल पार्क व्यू के सामने, काशीपुर, उ०नगर	1487 / 2013
238.	श्री रमेश सिंह, ग्राम कण्डई गाँव पोस्ट आफिस पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल	1488 / 2013
239.	श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, स०समीक्षा अधिकारी, रा०नि०आ०, उत्तराखण्ड	1489 / 2013
240.	कु० कमला आर्या, महारा स्टेट महारागोंव, ग्राम व पो० महारागोंव, जिला-नैनीताल	1490 / 2013
241.	श्री प्रकाश त्रिपाठी, देवकी भवन, रानी गली, गली नं०-05 भूपतवाला हरिद्वार	1494 / 2013
242.	श्री सुयश कुकरेती अधिवक्ता, चैम्बर नं०-19 द्वितीय तल, नई बिल्डिंग कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून	1495 / 2013
243.	श्री दीपचन्द्र माता मन्दिर मार्ग, बटोली की गली नं०-2, अजयपुर कला, देहरादून	1497 / 2013
244.	श्री जोध सिंह बोरा पुत्र श्री लाल सिंह, ग्राम व पो० नमस्थारी, त० डीडोहाट, पिथौरागढ़	1498 / 2013
245.	श्री सुनील कुमार गोयल पुत्र श्री दर्शन लाल, निवासी-321, पुरानी तह० रुडकी हरिद्वार	1499 / 2013
246.	श्री प्रभु दयाल शर्मा, 44B / 5, गली नं०-7, हनुमन्तपुरम- गगानगर, ऋषिकेश, देहरादून	1500 / 2013
247.	श्री मोहन चन्द्र जोशी, लेन नं०-3 गढ़वाली, कालोनी, देहरादून	1502 / 2013
248.	श्री दिगपाल सिंह पटवाल, रा०जू०ह० खोला/रा०जू०का खोला, पो०खोला, पौड़ीगढ़वाल	1503 / 2013

249.	श्री मोहन सिंह, 100ई, सेक्टर-4, बी.के.एल. मार्ग, नई दिल्ली	1504 / 2013
250.	श्री महेश चन्द्र आर्य पुत्र श्री किशन राम आर्य, ग्राम-ईडा, पो० इडा, बाराखान, वि०ख० द्वाराहाट, जिला अल्मोडा	1505 / 2013
251.	श्री राजेश चौधे पुत्र श्री बलदेवराज चौधे, ग्राम सुई, पो०गलचौडा, वि०ख० लोहाघाट	1508 / 2013
252.	श्री सियासत पुत्र श्री यासीम निवासी ग्राम बोडाहेडी, पो० नगरबपुर, हरिद्वार	1509 / 2013
253.	श्री अयाज अहमद, 10-बी शिपला इनकलेब, भाजरा, देहरादून	1510 / 2013
254.	श्री टिकेश कुमार पुत्र श्री हरिराम 193, टिबडी रानीपुरमोड हरिद्वार	1511 / 2013
255.	श्री जितेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री लखपत सिंह, जिला कारागार, नई टिहरी	1513 / 2013
256.	श्री सुरेश सिंह रातेला, एडवोकेट, चैम्बर न-4 कोर्ट कम्पाउण्ड ऋषिकेश, देहरादून	1514 / 2013
257.	श्री गुरविन्दर सिंह चढडा, गोविन्दपुरा, हल्द्वानी	1516 / 2013
258.	ई० अमरजीत सिंह खोखर, केन्द्रीय अध्यक्ष, 220, कै०बी०, रामनगर, रुड़की	1516 / 2013
259.	श्री उस्मान सैफी पुत्र श्री अखलाख हुसैन सैफी उजाला नगर, निकट नमरा, मस्जिद बरेली रोड, हल्द्वानी, नैनीताल।	1517 / 2013
260.	श्री राजेश मुंजाल पुत्र श्री तीर्थ मुंजाल, आस्था कालोनी, लालपुर, पो० लालपुर, ता० किच्छा, उधमसिंहनगर	1520 / 2013
261.	श्री काका पुत्र श्री महेंद्र सिंह, ग्राम भाजरी, जिला-देहरादून	1524 / 2013
262.	श्री संजीव राणा, ग्राम-लोली, पो०नीलकण्ठ, पीडी गढ़वाल	1525 / 2013
263.	श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव, जिला प्रमुख, शिवसेना, केशवनगर, वार्ड न-6, नहरपारा सितारगंज, उधमसिंहनगर	1526 / 2013
264.	श्री भारतभूषण जगुडी, जगुडी कम्प्यूटर एजुकेशन सेंटर मेन बाजार चिन्वालीसौड़, जिला उत्तरकाशी	1527 / 2013
265.	श्री आशीष चन्द्र ढोंडियाल, आवलाकोट, पोस्ट, कोटावाग, जनपद-नैनीताल	1528 / 2013
266.	श्री पूरननाथ पुत्र श्री रामनाथ, ग्राम-देवलातला, पो० कुंवरपुर, नैनीताल	1529 / 2013
267.	श्री दर्शनसिंह, ग्राम-बैना, पो० ताडीखेत, जिला- अल्मोडा	1530 / 2013
268.	श्री रामबाबू पूर्व सभासद पुत्र श्री रामपाल, नि० नईबस्ती, भूतदगला, वार्ड न०-6, रुद्रपुर, जिला-उधमसिंहनगर	1531 / 2013
269.	श्री महावीर सिंह खरोखा, निकट स्वामी विवेकानन्द, जू०हाई स्कूल, 14 बीघा, ग्राम हासवाला, पो०आ० मुनिकीरेसी, टिहरीगढ़वाल।	1532 / 2013
270.	श्री ई० अरुण कुमार जैन, आषिकस सकेटी, 11 अशोक रोड, नई दिल्ली	1533 / 2013
271.	श्री ललित मोहन सिंह नेगी पुत्र श्री पाल सिंह नेगी, आर०के० टेंट हाउस मानस विहार कस्तुरखेडा, हल्द्वानी	1534 / 2013
272.	श्री ओंकार दीप सिंह पुत्र श्री इकबाल सिंह, वीडियोकॉन के सामने मुरादाबाद रोड, काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर	1535 / 2013
273.	श्री मुयन चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री गोवर्धन पाण्डेय ग्राम-खेतीगर, पो० धरयालीखान पुनवानीला अल्मोडा	1538 / 2013
274.	श्री विनोद कुमार फनीजिया, अधिवक्ता, आर०टी०आई० कार्यकर्ता, निवासी-194, गुरुद्वारा कालोनी, क्लेमनटाउन, देहरादून	1539 / 2013
275.	श्री देवेन्द्र सिंह फर्वाल, चम्पानीला, निकट, जलनिगम कालोनी लोअर माल रोड, अल्मोडा	1540 / 2013
276.	श्री विवेक अग्रवाल, भंगला न०-35 थकराता, जिला देहरादून	1543 / 2013
277.	श्री उमेश शर्मा पुत्र श्री शिवानन्द शर्मा, निवासी-ग्रहम निवास, अजबपुर, देहरादून	1544 / 2013
278.	श्री रतिराणा पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम- इन्देश रू० रुड़की, हरिद्वार	1545 / 2013
279.	श्री उमेश सिंह विष्ट नियर माथोसिंह बिन्दुखाता लालकुआँ, नैनीताल	1546 / 2013
280.	श्रीमती राजेशवरी देवी पत्नी नरेन्द्र सिंह, ग्राम-जवाड़ी, पो०आ० माई की मण्डी जिला-रुद्रप्रयाग	1547 / 2013
281.	श्री हर्नी अग्रवाल, रानीगली, भूपतवाला, हरिद्वार उत्तराखण्ड	1551 / 2013
282.	श्री विजय कुमार शर्मा मार्फत श्री एम्०पी० नोटिफाई 73, ऋषिलोक कालोनी आशुतोषनगर ऋषिकेश	1552 / 2013
283.	श्री हरिश आर्य पुत्र श्री प्रेमलाल निवासी मार्फत शोनिया गुप्ता 1/1 बंगाली लाइब्रेरी रोड करनेपुर, देहरादून	1553 / 2013
284.	श्री मनीष कुमार धीमान कार्यालय कश्मीरी कालोनी, डोईवाला, देहरादून	1557 / 2013

285.	श्री बचन सिंह रावत पुत्र श्री जुपल सिंह ग्राम व पोस्ट ओडाड, वि०ख० नरेन्द्रनगर टिहरीगढ़वाल	1559 / 2013
286.	श्री राकेश सिंह चौहान पुत्र श्री गोविन्द सिंह चौहान, ग्राम उदयपुरी चोपड़ा, पो०पी०अमदारा, तह० रामनगर, नैनीताल	1560 / 2013
287.	श्री बजरंग अग्रवाल, उप प्रधान निवासी-कुन्जल निवास सोसाइटी एरिया, बलेमेंट टाउन, देहरादून	1561 / 2013
288.	श्री हीराराम आर्य पुत्र श्री फकीरराम आर्य सामाजिक कार्यकर्ता प्राण-जमीनीयार, पो० ईटा बाराखाम वि०ख० द्वाराहाट, अल्मोड़ा	1562 / 2013
289.	श्री कृपाल सिंह मेहरा, ग्राम दलीपपुर, पो० लोकमणीपुर कोटद्वार गढ़वाल	1564 / 2013
290.	श्री तुलसीराम, कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी, अभियन्त्रण औरिया मण्डी समिति क सामने औरिया	1565 / 2013
291.	श्री मो० आवेश पुत्र श्री असगर अली, अध्यक्ष क्षेत्रीय युवक समिति, कुरुकी एवं युवक मंगलदल पाडली	1566 / 2013
293.	श्री करण सिंह कैन्चुरा पुत्र श्री जमनासिंह निवासी ग्राम दुंग, पदटी गयारहागंय, पो० शजियालगांव तह० घनसाली, जिला टिहरीगढ़वाल	1567 / 2013
294.	शुश्री कुसुम लता, अनुसचिव जाति वस्ती, ग्रामवासी, छतीड़, ग्राम पचायत दीथला, तह० व जिला रुद्रप्रयाग	1568 / 2013
295.	श्री आर०एल्म उल्लरचली, उत्तरांचल भवन स्वारी, पो० धियतौली, जिला रुद्रप्रयाग	1569 / 2013
296.	श्री बलबीर सिंह नेगी, ग्राम पोखरी पो० मसाणगाँव, पदटी सितोवस्यू, जिला पीडी गढ़वाल	1571 / 2013
297.	श्री हनुल जोहर, अध्यक्ष विकलांग संघ, जाखणीधार, ग्राम मौली पो० अन्जनीसैण, टिहरी गढ़वाल	1572 / 2014
298.	श्री हयतसिंह अधिकारी, ग्राम-पाटनपुल, पो०ओ०-लोहाघाट, जिला-दम्पावत	1573 / 2014
299.	श्री विनोद पाण्डे, ग्राम देवराड़ा, पो० तुंगेश्वर, जिला-घमौली	1576 / 2014
300.	श्री रामगोपाल गुप्ता हाल नि० गुवालरोड, पाण्डेवाल, ज्वालापुर, हरिद्वार	1577 / 2014
301.	श्री राजपाल थापा पुत्र स्व० श्री चतरसिंह थापा, नि० जांडी, रानीपोखरी तह० ऋषिकेश, देहरादून	1580 / 2014
302.	श्री राजेन्द्र कुमार व्यास, नि० वार्ड न०-4, गदरपुर, पो० व तह०गदरपुर, जि० उपमसिंहनगर	1581 / 2014
304.	श्री राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र स्व० श्री गोपालसिंह ग्राम-मोहनी रावत, पो०ओ० मयासी, जिला-पीडीगढ़वाल	1582 / 2014
305.	श्री मुजीब मैथानी, चौहान काम्पलैक्स, ढालवाल, ऋषिकेश	1583 / 2014
306.	श्री कपिल कुमार अग्रवाल, एडवोकेट जानकी नगर कोटद्वार, जिला पीडी गढ़वाल	1584 / 2014
307.	श्री नितीन रावत ग्राम व पो० बडासी थापा रासपुर, देहरादून	1585 / 2014
308.	श्री देवीदत्त पनेरू, अशोक विहार तीनपानी डाकघर अर्जुनपुर, हल्द्वानी, नैनीताल	1588 / 2014
309.	श्री कुमेश सिंह तडियाल पुत्र श्री गोविन्द सिंह, ग्राम-सीनजाला, पो० कोटाबाग, जिला-नैनीताल	1589 / 2014
310.	श्री हेम पाण्डे पुत्र प्रेमप्रकाश, ग्राम-दुंगसिल, पो०भीनताल, तहसील व जिला-नैनीताल	1590 / 2014
311.	श्री रमेश चन्द पुत्र खीमानन्द, ग्राम-सिलौरी वंत, पो० भीमताल तह० व जि० नैनीताल	1591 / 2014
312.	डा० दिनेश ग्वाडी मार्फत रमेशचन्द्र नौटियाल, सैन न०-14, अपर नत्थनपुर रिंग रोड, देहरादून	1592 / 2014
313.	शुश्री मनिषा परवीन, ग्राम-मोलीनय, अन्जनीसैण, टिहरी गढ़वाल	1593 / 2014
314.	श्री नानक चन्द लोहिया उप प्रधान आर्य दायित्वशी जनमंच आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी	1594 / 2014
315.	श्री दिगपालसिंह, ग्राम छिददरवाला, पो०-छिददरवाला जिला-देहरादून	1596 / 2014
316.	श्री मूपेन्द्र कुमार जिलाध्यक्ष, रा०सा०न्या०कृतिमंच, एच-255, नेहरुकालोनी, देहरादून	1597 / 2014
317.	शुश्री पूजा शुक्ला, 231 समर पिहार, कालोनी, जालेबाग, लखनऊ	1598 / 2014
318.	श्री गणेश सिंह पुत्र श्री दीवानसिंह, ग्राम बनकटिया, पो० श्रीपुरबिचवा तह० खटीमा,	1599 / 2014

	उ०सि०नगर	
319.	श्री वेदप्रकाश पुत्र शरण गिरि निकट त्रिमूर्ति मन्दिर, पो०ए०सी० रोड सुभाष नगर ज्वालापुर, हरिद्वार	1600 / 2014
320.	श्री शीशपाल सिंह, ग्राम गाधीनगर, पो०ओ० मालधनचौड, नैनीताल	1604 / 2014
321.	श्री कुलवन्त सिंह सलजा जनलिस्ट, बरधाली चौक चम्पा- छत्तीसगढ़	1605 / 2014
322.	श्री वंशीलाल चौटियाल, जीक, पो०ओ० स्वर्गाभ्रम, वि०ख० यमकेश्वर, पीडोगढ़वाल	1608 / 2014
324.	श्री त्रिभुवन सिंह ग्राम-चुपडाखेत, पो० आदिचौरा, तह०डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़	1609 / 2014
325.	श्री नीतू रुहगल, नेताप्रतिष्ठा नगर निगम, देहरादून	1610 / 2014
326.	श्री नीरज गुप्ता, एडवोकेट, प्रथमतल, रामस्वीदस मेन बाजार, काशीपुर उधमसिंहनगर	1612 / 2014
327.	श्री प्रगोद कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिंह द्वारा रविराज सिंह, गी-573 न्यू आवास कालोनी काशीपुर, यू०एस०नगर	1622 / 2014
328.	श्री विमल भट्ट, राय स्टेट, रानीखेत, अल्मोड़ा	1623 / 2014
329.	श्री हेमचन्द्र कपिल, मुखानी तल्लीबमोरी, हलहानी, जिला-नैनीताल	1624 / 2014
330.	श्री जायदेखान, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, कम्पाउन्ड, देहरादून	1625 / 2014
331.	श्री प्रेमप्रकाश पुत्र श्री रमेश कुशवाह निवासी राघवनगर, पो० गोकुलनगर किच्छा, उ०सि०नगर	1626 / 2014
332.	श्री महेश चन्द्र पन्त दरिया नगर वार्ड-18 रुद्रपुर, उ०सि०नगर	1627 / 2014
334.	श्री पूरन चन्द्र जोशी, तल्ली हलहानी, बरेली रोड हलहानी, जिला-नैनीताल	1628 / 2014
335.	श्री दीपक ध्यानी निर्देशीय प्रत्याशी अध्यक्ष पद, कम्पलानैहरू मार्ग, दुगड्डा, पीडोगढ़वाल	1629 / 2014
336.	श्री संजय कुमार, सम्पादक श्रमिक इलेटिन हिन्दी समाचार पत्र शाखा कार्यालय पो० भानियगाला, हरिद्वार रोड, जिला देहरादून।	1630 / 2014
337.	श्री क०एल० रोहिला, एडवोकेट, कोर्ट कम्पाउन्ड, देहरादून	1633 / 2014
338.	श्री सुनील सिंह, केन्द्रीय भण्डार, लाल बहादुर शा०प्र०ओ० मसुरी	1634 / 2014
339.	श्री तरुण कुमार धीमान, उचीपुरा, राजीवजुवाल, मार्ग, पो०ओ०, माजरा, जिला-देहरादून	1635 / 2014
340.	श्री संजीव कवि, कवि निवास, निकट किंकेग, मसुरी	1636 / 2014
341.	श्री डोरोलाल सागर, केन्द्रीय महासूत्री, अ०भा० अनु०जति एवं शोषित वर्ग उत्थान समिति, साजपुर, उधमसिंहनगर	1638 / 2014
342.	श्री औतार सिंह पुत्र श्री नन्दराम ग्राम जुड़का न-2 पो०ओ० कुण्डेरवरी, काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर	1639 / 2014
343.	श्री सुधीर गोखल, सी-21, नेहरूकालोनी, देहरादून	1642 / 2014
344.	श्री सुनीली चौहान पुत्र श्री बलवीर सिंह चौहान, ग्राम-पाटा पो०ओ०-पाटा, उत्तरकाशी	1643 / 2014
345.	श्री बालवन्तसिंह नेगी ए. 105 द्वितीयतल मेन रोड चन्द्र विहार, मण्डावली, दिल्ली	1658 / 2014
346.	श्री आर०बी०सिंह, म०न०-3 टाइप-2 क्लेक्ट कालोनी, केदारपुरम, देहरादून	1660 / 2014
347.	राहायक जिला नियोजन अधिकारी, पंचास्थानि घुनावालय, देहरादून	1663 / 2014
348.	श्री प्रकाश हर्बाला, हर्बाला हेरिटेज रामपुर रोड, हलहानी जिला-नैनीताल	1668 / 2014
349.	श्री जीवन सिंह मार्फत बी०एस० मेहरा आर.जेड.एच. 260 गली न०-8 राजनगर पालग कालोनी, दिल्ली	1672 / 2014
350.	श्री रविराज पुत्र स्व० श्री हरपालसिंह, काशीपुरी कालोनी, रुड़की हरिद्वार	1673 / 2014
351.	श्री एस०के० अवस्थी किशनपुर, किच्छा, यू०एस०नगर	1674 / 2014
352.	श्रीमती राजकौर पत्नी सरदार अमर सिंह, ग्राम गेबरा, पो०जोगीपुरा, तह० बाजपुर, उधमसिंहनगर	1675 / 2014
353.	श्री सुमीर जोशी, निवासी ग्राम-बागी, पो० भोगपुर, देहरादून	1676 / 2014
354.	श्रीमती पिकी देवी, ग्राम-झाझर, पो० सुददोवाला, देहरादून	1677 / 2014
355.	श्री संजय कुमार पुत्र श्री बाबू लाल, ग्राम व पो० उम्मेदपुर प्रेमनगर देहरादून	1679 / 2014
356.	श्री लखवीर सिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह ग्राम ध्यानपुर पोस्ट/धाना नानकमता, उधमसिंहनगर	1680 / 2014
357.	श्री सौरभ मनगाई, निकट शिवमन्दिर, रायपुर, देहरादून	1681 / 2014

358.	श्री सी०एस०रायच एडवोकेट मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल मार्फत भगत जनरल स्टोर कुमपुर बाजार लालकुर्ती रानीखेत, अल्मोड़ा	1683 / 2014
359.	श्री खुशल सिंह अधिकारी पूर्व ब्लाक प्रमुख नजदीक जी०जी०आई०सी० छतरगियां, लोहाघाट, चम्पावत	1684 / 2014
360.	श्री कपिलधर पुत्र श्री केदारनाथधर म०नि०-17, रामपुर, देहरादून	1685 / 2014
361.	श्री सुभाष शह पुत्र स्व० श्री एन०जी०शाह मकान न०-110, ओली मार्ग, माता मन्दिर के पास, रायपुर, देहरादून	1686 / 2014
362.	श्री अनुज डिमरी, ग्राम मियावाला, पोस्ट-हरावाला, देहरादून	1688 / 2014
363.	श्री संजयकुमार एडवोकेट, मार्फत उत्तम सिंह चम्बर न० 35 नयी बिल्डिंग 01 फूलार बार एसोसियेशन कोर्ट कम्पाउन्ड देहरादून	1689 / 2014
364.	श्री अनिल कुमार जैन, ग्राम व पो० पुरोला तह० पुरोला, जनपद-उत्तरकाशी	1690 / 2014
365.	श्री नेशनल कुमार अरोड़ा, संघ भवन, 105 चन्दर नगर, समीप मु०पि०आ०कार्या०, देहरादून	1706 / 2014
366.	श्री कीर्तिपाल सिंह पुत्र स्व० श्री भगतसिंह, नि० गली न०-1 सुमन विहार यापूशाम तह० ऋषिकेश, जनपद-देहरादून	1709 / 2014
367.	श्री बिजेन्द्र सिंह चौहान निवासी बासखेडाकला काशीपुर उधमसिंहनगर	1712 / 2014
368.	श्री हिरैन्द्र सिंह बाली पुत्र श्री हरदयाल सिंह 123/4 डी०एल०रोड बार्ड सं-9 देहरादून	1713 / 2014
369.	श्री गजगुप्ता, कार्यालय 33/1 हीरालाल, ऋषिकेश देहरादून	1714 / 2014
370.	श्री बसन्त बल्लम पुत्र श्री सतीश चन्द्र खर्कवाल, खलकडिया, चम्पावत	1720 / 2014
371.	श्री विपिन चन्द्र भट्ट, एडवोकेट, मल्लमदन, निसिंहबाड़ी, अल्मोड़ा	1721 / 2014
372.	श्रीमती शशि सेमवाल, ग्राम-सेमार, पो०ओ०-दंडा, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	1722 / 2014
373.	श्री नदीम उददीभ एडवोकेट, कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्लीखा, काशीपुर	1728 / 2014
374.	श्री विष्णु देव पुत्र श्री खुडपूड़, ग्राम अजनिवा पो० जमीर, खटीमा, उधमसिंहनगर	1729 / 2014
375.	श्री भरत सिंह गुवाड़, ग्राम सम्रा, भंगरीसिरो, जल्द, जिला- अल्मोड़ा	1730 / 2014
376.	श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव असिस्टेंट प्रोफेसर, महाविद्यालय, नैनीताल, पीडीगडवाल	1731 / 2014
377.	श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री लेखराज सिंह मो० नन्धासिंह, जसपुर, उधमसिंहनगर	1732 / 2014
378.	श्री राजेन्द्र सिंह, नईबस्ती, क्लेमेन्ट टाउन, देहरादून	1734 / 2014
379.	श्री नरेन्द्र सिंह रावत 65 एपी पुलिस लाइन, जिला-रुद्रप्रयाग	1735 / 2014
380.	श्री भारत भूषण कोशल, ब्लाक महामंत्री कायेत कमेटी राजीव नगर बार्ड न-15 डोईवाला, देहरादून	1737 / 2014
381.	श्री धनवीर सिंह, ट्रेडल रेसटोरोन्ट कूलडी बाजार मसुरी	1738 / 2014
382.	श्री भयानी दास पुत्र श्री हुकमदास, ग्राम पुजारगांव, पोस्ट लम्बगांव, टिहरीगढ़ताल	1739 / 2014
383.	श्री विनेद कुमार कन्नोजिया अधिवक्ता, 194 गुरुद्वारा कालोनी, क्लेमेन्टटाउन, देहरादून	1740 / 2014
384.	श्री भारत ज्योति अध्यक्ष, रा०स०सु०पो०, पो० बाकल संख्या-82 मुख्य डाकघर, पटना	1741 / 2014
385.	श्री विनेद कुमार, ग्राम फुलसंगा, पो० ट्राजिट कैम्प, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर	1742 / 2014
386.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ग्राम व पोस्ट-बक्सौर जनपद-रुद्रप्रयाग	1743 / 2014
387.	श्री शैलेन्द्र थपलियाल, सागर स्टूडियो नटराज चौक ऋषिकेश	1744 / 2014
388.	श्रीमती शशि सेमवाल पत्नी श्री देवेन्द्र प्रसाद सेमवाल मन्दिर मार्ग, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	1746 / 2014
389.	श्रीमती कान्ता शर्मा पत्नी श्री एम०एल०शर्मा, शिव मन्दिर के सामने हरिद्वार रोड, मोहकनपुर, देहरादून	1747 / 2014
390.	श्री विजय प्रसाद मैसोला, सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम व पो० मैसोली जिला- चमोली	1749 / 2014
391.	श्री ओम प्रकाश यादव पुत्र श्री शूरसेन यादव शिवालय गंगाविहार, रोशनाबाद, हरिद्वार	1750 / 2014
392.	श्री गुरमीत सिंह पुत्र हरनामसिंह, ग्राम महोली जंगल, पो०-भजुवानगला उधमसिंहनगर	1751 / 2014
394.	श्री डोरी ला सागर, कोमहा०, आ०भा०अनु०एवं शेवर्ग उ०समिति, बंजपुर, उधमसिंहनगर	1752 / 2014
395.	श्री हेम पाण्डे पुत्र श्री प्रेम प्रकाश, ग्राम हंगसिल, पो० भीमताल, जिला-नैनीताल	1753 / 2014

396.	श्रीमती विष्णु देवी उर्फ शिमी देवी पत्नी गौरीदत्त, ग्राम बच्ची नवाड, पो- हल्दुचौड़, लालकुआं, जिला-नैनीताल	1754 / 2014
397.	श्री संजय कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, ग्राम व पोस्ट-उम्मेदपुर, प्रेमनगर, देहरादून	1756 / 2014
398.	श्री एसपीओ नौटियाल, सीनियर सिटिजन काम्पलेक्स, 8-पुरानी रोड, राजपुर, देहरादून	1757 / 2014
399.	श्री महेश चन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान, पुनियाबगड, पो० खीड़ा, जिला-अल्मोड़ा	1758 / 2014
400.	श्री कशमीर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह, ग्राम-भन्वा, नगला पो० ओ०-केलाखेड़ा, जिला-उधमसिंहनगर	1759 / 2014
401.	श्री रघुवीर सिंह चौहान पुत्र श्री परमसिंह चौहान निवासी बी०टी-8, शक्तिपुरम शालांनी, चिन्व्यालीसौड, पो०ओ०, चिन्व्यालीसौड, जिला-उत्तरकाशी	1760 / 2014
402.	श्री अजय कौशिक अध्यक्ष, पुरुष अधिकार संरक्षण 11/10 एजेण्डा बिजनेस सेन्टर निकट डा० लक्ष्मणी नर्सिंग होम राजपुर रोड, देहरादून	1761 / 2014
403.	श्री मेहर चन्द पुत्र श्री अगनुशम, निवासी-रंझाकला, तुनवाला रोड, देहरादून	1763 / 2014
405.	श्री वीरसेन पुत्र श्री उमराव सिंह कस्बा बडौत, मो० विजयनगर, गली न०-6, म०न०-11/1112 गुरानारोड, बडौत, जिला- बागपत, उत्तरप्रदेश	1765 / 2014
406.	श्री रविकुमार त्यागी, गोसाई गली नई बस्ती, भीमगौडा, जनपद-हरिद्वार	1767 / 2014
407.	श्री प्रान्थु गुप्ता पुत्र श्री वृजमोहन गुप्ता डी-1 आशीर्वाद एनक्लेव, शकुन्तलापुरी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश	1768 / 2014
408.	श्री गुरुप्रीत सिंह पुत्र श्री सूरजीतसिंह, निबर एल०आई०सी आफिस, डाकपत्थररोड, पिकसनगर, देहरादून	1769 / 2014
409.	का० कमला आर्या, महेश स्टेट महारागांव, ग्राम व पोस्ट महारागांव, जिला-नैनीताल	1770 / 2014
410.	श्री एसपीओ नौटियाल, सीनियर सिटिज, काम्पलेक्स, 8-पुरानी मसूरी रोड, राजपुर देहरादून	1773 / 2014
411.	श्री जोईल मसीह डा० ओ०एस०इ०सी०, कपूर पेट्रोल पम्प बिल्डिंग, सुशील होटल के सामने मुरादाबाद रोड, काशीपुर	1774 / 2014
412.	श्रीमती वीरवती पत्नी श्री बनवारीलाल, आफिस, ग्राम पन्तपुरा, दोषहरिया, पो०ओ० व तह० किच्छा, जिला-उधमसिंहनगर	1776 / 2014
413.	श्री सुनील सिंह, हीराडुगरी, अल्मोड़ा	1778 / 2014
414.	श्री विजय सिंह रावत, आशीर्वाद स्वीटशाप, माजरी माफी चोक, पो० आई०आई०पी० देहरादून	1779 / 2014
415.	श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री देवीसिंह, नजीमाबाद, पो० सूर्यनगर वाया किच्छा, जिला- उधमसिंहनगर	1780 / 2014
416.	डा० देवराज मिश्रा, असिस्टेंट, प्रोफेसर, रावेहरि, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काशीपुर, जिला-उधमसिंहनगर	1781 / 2014
417.	श्री सी०एस० रायत नौ उच्च न्यायलय नैनीताल मार्फत भगत जनरल स्टोर, कुमकुम बाजार, लालकुली रानीखेत, जिला-अल्मोड़ा	1782 / 2014
418.	श्री कशमीर सिंह पुत्र स्व० श्री बलवन्त सिंह, ग्राम-भन्वा नगला पो०ओ०, केलाखेड़ा, तह०बाजपुर, उधमसिंहनगर	1783 / 2014
419.	सुश्री हसीदा पुत्री अनवर शाह, ग्राम बरी, पो-बरा, तह० किच्छा, उधमसिंहनगर	1793 / 2014
420.	श्री रंजीतसिंह पुत्र कर्मसिंह नि० ग्राम-पिपलिया विस्तार, थाना-नानकमत्ता, तह० सितारगंज, उधमसिंहनगर	1794 / 2014
421.	श्री महेश शर्मा, केकेदार सरकारी कौन्टीन, तह० कम्पाउन्ड लक्सर, जिला हरिद्वार	1795 / 2014
422.	श्री तंदीप सुखीजा, किरानपुर, उधमसिंहनगर	1796 / 2014
423.	श्री अनिल मिश्रा पुत्र श्री वृज बिहारी मिश्रा, निवासी, रानीगली भूपतवाला हरिद्वार	1799 / 2014
424.	श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह नेगी ग्राम व पो-गडगु, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग	1800 / 2014
425.	श्रीमती विष्णुदेवी उर्फ विरनीदेवी पत्नी गौरी दत्त, ग्राम-बच्चीनवाड, पो० हल्दुचौड़, लालकुआं, जिला-नैनीताल	1801 / 2014
426.	श्री राजेन्द्र सिंह, फेन्डसकास्लोनी, तल्ली हस्दानी, बरेली रोड, हल्दानी, नैनीताल	1802 / 2014
427.	श्री हवामसिंह अधिकारी, ग्राम पाटनपुल पो०ओ० लोहाघाट, जिला-बम्हादत	1809 / 2014
428.	श्री प्रभात कुमार, गली न० डी-7, सुभाष नगर पो० ज्वालापुर, हरिद्वार	1810 / 2014

429.	श्री सुशील कुमार थपलियाल मार्फत श्री ओमप्रकाश जुयाल, गोविन्द नगर, कोटद्वार	1813 / 2014
430.	श्री पूरननाथ पुत्र श्री रामनाथ, ग्राम-देवलातला, पो0ओ0-कुंवरपुर, जिला-नैनीताल	1815 / 2014
431.	श्री पल्लुराम प्रगल्हा, राजकीय इण्डर कालेज, धामूसिंग, पो0 सीड़खेत, जिला-गौडीगढ़वाल	1817 / 2014
432.	श्री तौकीर पुत्र श्री यहीद हसन, नियासी ग्राम-मेहूयालामाफी, विकास खण्ड-रामपुर, देहरादून	1819 / 2014
433.	श्री कश्मीर सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह, ग्राम-भख्यानगला, पो0ओ0-केलाखेड़ा, जिला-ऊधमसिंहनगर	1820 / 2014
434.	श्री पेली अहमद पुत्र स्व0 किदाहुसैन, वार्ड न0-8, आजादनगर गदरपुर, तह0 गदरपुर, ऊधमसिंहनगर	1825 / 2014
435.	श्री नरेन्द्र सिंह लोंगर, ग्राम-तौली, पो0-लाधा, वाया-विकासनगर, जनपद-देहरादून	1827 / 2014
436.	श्री देवीप्रसाद सेमवाल, गली न0-17, प्रेमनगर, दिल्ली नियर	1830 / 2014
437.	श्रीमती गणेशी देवी, एफ-202, नानकपुर, गई दिल्ली	1831 / 2014
438.	श्री दयानन्द प्रसाद चन्द्रा पुत्र श्री रामप्रसाद, ग्राम शिवलालपुरपाण्डे, तेलीपुरा रोड, पो0 रामनगर, जिला-नैनीताल	1832 / 2014
439.	श्री राकेश देशवाल, एडवोकेट, कोर्ट कम्पाउन्ड, ऋषिकेश, जिला-देहरादून	1833 / 2014
440.	श्री सुरेश सिंह महर पुत्र श्री वें0एस0 महर, ग्राम पंचायत- उचौलीगोड, पो0 टनकपुर, जिला-बम्पायत	1834 / 2014
441.	श्री नवीन राणा, सामाजिक कार्यकर्ता, त्वर्गाश्रम लौक, पौंडी गढ़वाल	1835 / 2014
442.	श्री प्रकाश सिंह, ग्राम-धूमखेड़ा, पो0 नानकमत्ता, जिला-ऊधमसिंहनगर	1836 / 2014
443.	श्री संदीप सुरवीजा, किसानपुर किच्छा, ऊधमसिंहनगर	1838 / 2014
445.	श्री जगीर चन्द्र, ग्राम-बन्दरजूता, पो0-नेलपोखरा, जिला-नैनीताल	1840 / 2014
446.	श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार, गोविन्दपुर, पो0 गूलरमोज, जिला-ऊधमसिंहनगर	1844 / 2014
447.	श्री चन्दन सिंह पुत्र धुरसिंह, ग्राम-डांग, पो0ओ0-घट्टी, तहसील-सल्ट, जिला-अल्मोड़ा	1845 / 2014
448.	श्री प्रकाश सिंह, ग्राम-धूमखेड़ा, पो0ओ0-नानकमत्ता, जिला-ऊधमसिंहनगर	1848 / 2014
449.	श्री विनोद कुमार शर्मा, 2126, लोधीरोड काम्पलेक्स, नई दिल्ली	1847 / 2014
450.	श्री गुरुप्रीतसिंह, नियम एल0आई0सी0 आफिस, डाकपत्थर रोड, विकासनगर, देहरादून	1849 / 2014
451.	कु0 रंजना, रमा विहार कालोनी, निकट धनीराम चक्की, ग्राम-जमालपुरकला, पो0ओ0-ज्वालापुर	1850 / 2014
452.	श्री नरेन्द्र पुत्र श्री हरिसिंह, ग्राम-ढन्डेरा, तह0-रूडी, जिला-हरिद्वार	1851 / 2014
453.	श्री हरिसिंह पुत्र श्री खुशाल सिं, ग्राम व पो0-जालली, तह0 द्वारहाट, जिला-अल्मोड़ा	1856 / 2014
454.	श्री पवन कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आ0भा0अ0वि0परिषद, सुक्खपुरा, सहारनपुर, स0प्र0	1859 / 2014
455.	श्री सुरेन्द्र सिंह विष्ट, अध्यक्ष 'मृदुल' ग्राम/मोहल्ला पूछड़ी नदी बस्ती, पो0ओ0रामनगर, जिला-नैनीताल	1860 / 2014
456.	श्री नारायण दत्त जोशी पुत्र श्री तारादत्त जोशी, ग्राम चकसेदुला, तल्ली पोखरी, तह0धारी जिला-नैनीताल	1861 / 2014
457.	श्री योगेश कुमार फौज-दो राजेशदरी कालोनी, पो0ओ0-मटेलनगर, देहरादून	1862 / 2014
458.	श्री सुरेश प्रजापति, ग्राम-शंकरपुर, पो0 कौथीखला, सहसपुर, देहरादून	1864 / 2014
459.	श्री युगल किशोर पुत्र श्री खीमानन्द, ग्राम व पो0 पही-बवियाड़ धारी, तहसील-धारी, जिला-नैनीताल	1866 / 2014
460.	श्री भूपेन्द्र कुमार, जिलाध्यक्ष, देहरादून, ने0ए0की0फारसी0ज0रा0उपा0इयू0रा0फोर0 देहरादून	1867 / 2014
461.	श्री नरेश कुमार वर्मा पुत्र स्व0 श्री रोहताश वर्मा, आदर्श कालोनी, लक्सर, हरिद्वार	1868 / 2014
462.	श्री वेदप्रकाश पुत्र श्री शरण गिरि, वैम्बर न0-349 अधिवक्ता कक्ष परिसर जिला	1869 / 2014

	एवं सत्र न्यायालय रोनाबाद, जिला-हरिद्वार	
463.	श्री बाबू पुत्र श्री इमामबख्श, ग्राम-पैतवाला, पो० सुडा, तह० जसपुर, जनपद-ऊधमसिंहनगर	1870 / 2014
464.	श्री अमजद अली, आर०टी०आई० कार्यकर्ता, लोधामण्डी, ज्वालापुर, हरिद्वार	1872 / 2015
465.	श्री सुरेश सिंह पुत्र श्री विशानसिंह नहर अस्पताल रोड, टनकपुर, जिला-प्रयाग	1873 / 2015
466.	श्री गोखे सिंह घोहान, ग्राम-बुडोगी, श्रीकोट, पो०ओ०-पागरखात, जनपद-टिहरी पटवाल	1874 / 2015
467.	श्रीमती राधिका देवी पत्नी श्री कृष्णानन्द जोशी, ग्राम-चकसैदला, पो०-तल्ली पोखरी, वि०ख०-ओखलकांडा जिला-नैनीताल	1875 / 2015
468.	श्री प्रमोद कुमार डोभाल, प्रयक्ता, आर०टी०आई, बलम, उत्तराखण्ड श्यामकुंज देवद्वि एन्कले, देहरादून।	1876 / 2015
469.	श्री योगेशकुमार, राजराजेश्वरी कालोनी, विद्या विहार फेज-दो, पो०ओ०-पटेलनगर, देहरादून	1877 / 2015
470.	श्री टी०एस० बोरा, पपोल जमरल स्टोर, गोरा पट्टाव, पो०ओ० अर्जनपुर, डल्हानी, नैनीताल	1878 / 2015
471.	श्री दलवीर सिंह कनयासी, आर०टी०आई० कार्यकर्ता, ग्राम मन्दरखण्ड, पो०ओ० गौघर, जनपद-घमोली	1879 / 2015
472.	श्री एस०पी०नीटियाल, सीनियर सिटिजन, काम्पलेक्स, ३-पुरानी मसूरी रोड, राजपुर, देहरादून	1880 / 2015
473.	श्री रघुवीर सिंह नेगी, ग्राम-बरी, पो०ओ०-काण्डई, नन्दप्रयाग, जनपद-घमोली	1883 / 2015
475.	सुश्री कमला देवी, प्रधान, ग्राम समा-नौगाँव, पो०-नावाडा, तह० चौखुटिया, जिला-अल्मोडा	1887 / 2015
476.	श्री संदीप मुखीजा, किरानपुर, किच्छा, ऊधमसिंहनगर	1888 / 2015
477.	श्री आशीष शर्मा पुत्र श्री एस०पी० शर्मा, मौहल्ला-महलवाला अमरकली बंगला, पोस्ट- हरद्वार, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश	1908 / 2015
478.	श्री मनमोहन सिंह धनई, पार्सद, वाई न०-३४, अजसपुर, नगर निगम, देहरादून	1911 / 2015
479.	अपील स्थानान्तरण संबंधी पत्रावली	1912 / 2015
480.	श्री विनोद कुमार मंगल, दौलताबन्द हाउस, लन्दौर कैंट, मसूरी	1915 / 2015
481.	श्री आर०पी० पैन्गुली, अध्यक्ष, से०नि० राजकीय पेंशनर्स संगठन, भिलगना, पैन्गुली सदन श्रीकोट, पोस्ट-सिल्यारा (घनमाली)	1916 / 2015
482.	श्री शशिपाल सिंह, ग्राम व पोस्ट-रुद्रपुर, विकास नगर, देहरादून	1917 / 2015
483.	श्री जी०सी० पडलिया, ग्राम-पाडली, पोस्ट-रातीघाट, जिला नैनीताल	1920 / 2015
484.	श्री गिरीश चन्द्र पोखरिया पुत्र श्री जगदीश चन्द्र पोखरिया, ग्राम मल्ली पोखरी, पोस्ट- तल्ली पोखरी, तहसील धारी, वि०ख० ओखलकांडा, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड	1921 / 2015
485.	श्री टी०पी०एस० गुसाई, आर०टी०आई०/सामाजिक कार्यकर्ता, 84 कालिन्दी एन्कलेव, बरलीवाला चौक, देहरादून	1923 / 2015
486.	श्री दुर्गा प्रसाद नीटियाल द्वारा ज्योती प्रसाद, नीलम सदन, 81 निरंजनपुर, पोस्ट-कावली, देहरादून	1924 / 2015
487.	श्रीमती जसबीर कौर, सभासद, न०पा०, मसूरी, राधा भवन इष्टेट सिंग रोड, मसूरी, जिला देहरादून	1926 / 2015
488.	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत द्वारा श्री के०एन० पन्त, म०न० 2बी, संजय कालोनी, देहरादून	1927 / 2015
489.	श्री धीरज वशिष्ठ, बी-26 राज विहार, फेज-1 जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार	1928 / 2015
490.	श्री प्रशान्त चौधरी, 308बी राज विहार, फेज-1 जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार	1930 / 2015
491.	श्री सुलेख चन्द्र पुत्र श्री फूल चन्द्र, ग्राम मानक माजरा, पोस्ट हात्तू माजरा, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार	1935 / 2015
492.	श्रीमती सरिता देवी पत्नी श्री बीरेन्द्र पाल सिंह भण्डारी, निवासी एधा, पटवारी क्षेत्र त्रिशूल, तहसील पोखरी, जिला घमोली	1936 / 2015
493.	श्री सत्यपाल चड्ढा, महामंत्री ब्लॉक कांग्रेस(इ) चकवाता, 158 सदर बाजार, चकवाता, देहरादून	1937 / 2015
494.	श्री विजेन्द्र दत्त सकलानी ग्राम व पोस्ट रुद्रपुर वाया सहसपुर, तह०	1938 / 2015

	विकासनगर देहरादून	
495.	श्री अश्वीन कुमार तायर पुत्र श्री कृष्ण पाल रोह, ग्राम गथाना, पी० दाबकी कला, जिला हरिद्वार	1947 / 2015
496.	श्री गलवीर सिंह, ए/5/60 सेक्टर 18, रोहिणी दिल्ली	1948 / 2015
497.	श्री विक्रम नेगी, 49 साउथ, गणेश नगर, स्ट्रीट नं०-7, पडपड़गंज रोड, दिल्ली	1949 / 2015
498.	श्री नन्दन सिंह नयाल, टंकक/डा०ई०आ०, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड	1951 / 2015
499.	श्री संजय कुमार बूडाकोटी, राज्य आन्दोलनकारी, 218 इन्दिरा नगर, ऋषिकेश	1952 / 2015
500.	श्री धीरज कुमार, ग्राम कांवली भरिजद के पास, देहरादून	1953 / 2015
501.	श्री जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री खुरीराम निवासी सेलाकुई (बायीं खाला), देहरादून	1958 / 2015
502.	श्री मोहन सिंह धनई, पार्श्व वाई सं०-36, अजबपुर कला, देहरादून	1959 / 2015
503.	श्री नितिन कुमार चौहान पुत्र श्री अशोक कुमार चौहान, ग्राम अलीपुर, पोस्ट-बहादुराबाद, जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड	1960 / 2015
504.	श्री देवेन्द्र रावत, सी-7 श्री राधा प्लाट-3, सेक्टर-9, डारिन्ग, नई दिल्ली	1964 / 2015
505.	श्री नरेन्द्र सिंह नेगी, ग्राम व पोस्ट-धमलोडी, डी०ख०-पायी, जनपद-पौड़ी गढ़वाल	1966 / 2015
506.	श्री इन्द्रमणी बौड़ाई, टाईप-1, म०नं०-2, पी०अर०डी० कालोनी, तपोवन, देहरादून	1967 / 2015
507.	श्री मदन मोहन कंसवाल, एडवोकेट, खैरीखुर्द, स्वामपुर, पी० सत्यनारायण, ऋषिकेश	1968 / 2015
508.	श्री रविन्द्र शर्मा, प्रोफेसर एवं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रशासनिक विभाग, राजस्थान विश्व विद्यालय, जयपुर	1969 / 2015
509.	श्री सुजमोहन सिंह चौहान, 115 बाणी विहार, अघोईवाला, रायपुर रोड, देहरादून	1970 / 2015
510.	श्री सन्दीप पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सागर, ग्राम व पी०-नीगवाठगू, निकट ममता कालोनी, मुण्डेली चौराहा, तहसील-खटीमा, जिला-उधमसिंहनगर	1972 / 2015
511.	श्री एत०क० पाण्डे, म०नं०-106/8, गली नं०-20, पी० गंगानगर (सोमेश्वर मंदिर प्लाट के पीछे) ऋषिकेश, देहरादून	1973 / 2015
512.	डे० अतर सिंह चौहान पुत्र श्री जगत सिंह चौहान, पहाड़ी गली, निकट शान्ति धाम, नहर पार जीनसारी कालोनी, विकास नगर, देहरादून	1974 / 2015
513.	श्री प्रभाकर पोखरियाल, आर-2-26 पी/42, गली नं०-40, इन्दा पार्क, पालम कालोनी नई दिल्ली-45	1979 / 2015
514.	श्रीमती गंगा देवी पत्नी श्री अशोक पाल सिंह, ग्राम-ढन्डेर, पोस्ट-निलापनगर, रुड़की, जनपद हरिद्वार	1983 / 2015
515.	श्री राकेश कुमार सेमवाल, समीक्षा अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड	2006 / 2015
516.	श्रीमती जशोदा भट्ट, भाफत रमेश चन्द्र शर्मा, स्टेशन रोड, नजदीक हनुमान मंदिर, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	2007 / 2015
517.	श्री फईम मियां पुत्र श्री जाहिद मियां, नि०वाड नं०-6, इस्लाम नगर, गदरपुर, तहसील-गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर	2009 / 2015
518.	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी राम प्रसाद, नि० ग्राम-बैतवाला, पोस्ट-कुण्डा, तहसील-गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर	2010 / 2015
519.	श्री सुलेख चन्द्र पुत्र श्री फूल चन्द्र, ग्राम मानक माजरा, पी०-हाल्लू माजरा, विकस खण्ड-भगवानपुर, तहसील भगवानपुर, हरिद्वार	2012 / 2016
520.	श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री सुनेहरा सिंह, पी० अजीतपुर, डा०-मिस्सरपुर, हरिद्वार	2016 / 2016
521.	श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री वीर सिंह, ग्राम व पोस्ट-शाहपुर, शीतलाखेडा, हरिद्वार	2017 / 2016
522.	श्री रघुवीर सिंह रावत पुत्र स्व० श्री शेर सिंह रावत, ग्राम-हंसुडी, पोस्ट-नैधाना, जनपद-पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड	2018 / 2016
523.	श्री राजेन्द्र सिंह, नई बस्ती, आशारोड़ी, पी०-क्लेमेंट टाऊन, देहरादून	2020 / 2016
524.	श्री विकास भाटिया पुत्र श्री रमेश चन्द्र, नि०मोहल्ला नेचलगढ़, कर्ना-देवबन्द, सहरानपुर	2022 / 2016
525.	श्री पी० मोईन हमीद सिद्दकी पुत्र श्री हमीउददीन सिद्दकी, निवासी-178/1, नारायण विहार, डी०एच०डी० कालोनी, फेस-2, कारगी रोड, देहरादून	2024 / 2016
526.	श्री जतन सिंह पवार, एडवोकेट, पी०नं० 188 सिविल कोर्ट, न्यू रामनगर, रुड़की	2025 / 2016
527.	श्री भनीष पाटिल पुत्र स्व०श्री दीपक पाटिल, डी०-148, गली नं०-5, सौरभ विहार, जैतपुर नई दिल्ली	2027 / 2016

528.	श्री दीपक ध्यानी, कमला नेहरू मार्ग, दुगडडा गढ़वाल, जिला-पौड़ी गढ़वाल	2028 / 2016
529.	शुश्री गीता लडियाल, पत्नी श्री कुबेर सिंह, ग्राम-सोनजाला, पोस्ट-कोटाबाग, नैनीताल	2030 / 2016
530.	श्री यशवन्त सिंह, पी0न0-8ए य 9ए प्रथम तल, सिविल रोड, रामनगर, रुड़की, हरिद्वार	2034 / 2016
531.	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री बाबू राम, क्वार्टर नं0-1s7, आईप-2, सेक्टर-4, बी.एच.ई. एल,	2038 / 2016
532.	श्री दीपक प्रताप जाटव, वरिष्ठ सम्पादक, हिन्दुस्तान न्यूज, फ्लॉट नं0-3, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, अपोजिट कनिष्क हास्पिटल, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून	2037 / 2016
533.	श्री मोहम्मद अशाफक हुसैन, शानू इण्टर प्राइजेज, बनबसा, पाटनी तिराहा, सम्पावत	2039 / 2016
534.	श्री मोहम्मद नबी अशारी पुत्र श्री मोहम्मद अहमद अशारी, नियन्त्री बनबसा, सम्पावत	2040 / 2016
535.	श्री सुभाष गुरम, गी-22, सी.बी.आर.आई. कालोनी, रुड़की, हरिद्वार	2041 / 2016
536.	श्री यतेश नयानी पुत्र श्री मोहम लाल नयानी, ग्राम व पत्रा0-गवाणी, पोखडा, पौड़ी	2043 / 2016
537.	श्रीमती हेमलता देवी पत्नी श्री मदन सिंह, ग्राम व पोस्ट- दुजाना (जाटव मौहल्ला) जनपद गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।	2048 / 2016
538.	श्री अमित ब्रह्मेश (एड0) सिविल कोर्ट परिसर काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर	2049 / 2016
539.	श्री आशीष किमोदी, पत्रकार लोअर कालाबंद, नियर हैपी होम स्कूल कोटहार, पौड़ी गढ़वाल	2050 / 2016
540.	चन्द्रमणी पैन्थूली, ग्राम खैरीखुर्द (पाण्डे फ्लॉट) पो0 सत्यनारायण मन्दिर जिला-देहरादून	2072 / 2016
541.	श्री शिवआम कौशिक, 20 यमन विहार, निरंजनपुर, देहरादून	2075 / 2016
542.	श्री सुधीर कुमार सुनेहरा कार्यालय अनु0 जाति वि0, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उत्तराखण्ड राजीव भवन, देहरादून	2077 / 2016
543.	श्याम लाल पुत्र नकली, निवास ग्राम-रुदरजुडडा, थाना कोतवाली मंगलौर, तहसील रुड़की जनपद हरिद्वार	2079 / 2016
544.	श्री तारा दत्त गौड़ गी-1/333 न्यू कोण्डली, दिल्ली-86	2081 / 2016
545.	श्री शशिपाल रफ छोटा पुत्र स्व0 श्री आशाराम, ग्राम-गदरजुडडा, पो0 मंगलौर जिला हरिद्वार	2083 / 2016
546.	भास्कर नगरकोटी द्वारा श्री सुरेश जोशी, पूर्व माहमंत्री भाजपा एवं वर्तमान आवेदक विधायक भाजपा पिथौरागढ़	2088 / 2016
547.	श्री रवि प्रकाश सैनी, सिविल कोर्ट परिसर, काशीपुर, जिला-ऊधमसिंह नगर	2090 / 2016
548.	मुन्ताज पुत्र श्री अजमल, बी0पी0एल0 कार्ड धारक ग्राम मिर्जापुर मुस्ताफाबाद पो0 भरगूरपुर वाया रुड़की जिला हरिद्वार	2093 / 2016
549.	जितेन्द्र सिंह रायत पुत्र श्री लखपत सिंह, हाल पता जिला कारमगार देहरादून	2095 / 2016
550.	सन्दीप कपूर यू 23/4 ग्राउन्ड फ्लोर पिक टाउन हाउस गूडगाँव हरियाणा	2096 / 2016
551.	गंधीवादी गोविन्द गोपाल कौशिक मुख्य कार्यालय न्यू आदेश नगर रुड़की हरिद्वार	2097 / 2017
552.	राजेन्द्र कुमार द्वारा अधिवक्ता रविप्रकाश एडवोकेट सिविल कोर्ट परिसर काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर	2098 / 2016
553.	श्री शिवलाल रसोगी नामित सभासद पूर्व जिलाध्यक्ष उत्तराखण्ड कान्तिदल खटीमा पुरानी सेलटेक्स गली, पंचमुखी मन्दिर वार्ड नं-1 खटीमा ऊधमसिंह नगर	2100 / 2016
554.	श्री जुबैर आलम पुत्र मनसब अली, ग्राम मिर्जापुर, मुस्ताफाबाद पो0 भरगूरपुर, तहसील रुड़की जिला हरिद्वार	2101 / 2016
555.	संजय मोहन, कमला नेहरू मार्ग दुगडडा पौड़ी गढ़वाल	2102 / 2016
556.	अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री पहलाद निवासी इन्द्रा कालोनी काठगोदाम जनपद नैनीताल	2103 / 2016
557.	संजय कण्डवाल, कमला नेहरू मार्ग दुगडडा, पौड़ी गढ़वाल	2104 / 2016
558.	रविन्द्र सिंह रायत जी0/29 गणेश विहार अजयपुर खुर्द जिला देहरादून	2105 / 2016
559.	महेन्द्र सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह निवासी ग्राम बखपुर, पो0 सूर्यनगर तहसील किच्छा ऊधमसिंहनगर	2107 / 2016

560.	अकरम खान ग्राम मूड महीलिया निकट जमुना अस्पताल पिलीभीत रोड खटीमा ऊधमसिंहनगर	2108/2016
561.	राम सुमंग सिंह, शान्तारोम इस्पिटल लो०एम०एम० इण्टर कालेज गेट के सामने रुडकी हारिद्वार	2110/2016
562.	अपना परिवार सामाजिक संगठन पता डी०ए०बी० कालेज रोड देहरादून	2112/2016

563.	मो० सलिम पुत्र मो० शाफीक लो०न०-12 अजाद नगर हल्द्वानी नैनीताल	2114/2016
564.	लक्ष्मण सिंह रावत से०नि० वन रेंजर ई० 59 जल फार्म हल्द्वानी नैनीताल	2116/2016
565.	श्रीमती शशि रावत, राधासद, नगर पालिका परिषद गसुरी	2118/2016
566.	सरजू प्रसाद त्यागी पिटीशन राईटर चैम्बर न० 9 तहसील परिसर तहसील एवं जिला हरिद्वार	2120/2016
567.	श्रीमती अनीता बहल पत्नी श्री श्रवण कुमार बहल निवासी आदित्यानन्द मार्ग अधिकेश	2122/2016
568.	विजय नाथ / श्री जगदीश नि०म०स० 163 सपेरा बस्ती नाला पानी रायपुर देहरादून।	2123/2016
569.	अशोक कुमार मोती बाजार दुगड्डा पीडी गडवाल	2127/2016
570.	श्री सुरेन्द्र दत्त जोशी, आर०टी०आई० व समाजिक कार्यकर्ता ग्राम व पोस्ट कालसी बाजार देहरादून।	2128/2016
571.	प्रवीण भाटिया एडवोकेट पुत्र श्री चन्द्र मोहन भाटिया चैम्बर न० 4 ब्लॉक 14 श्री आर० फो० सिन्हा सिविल कोर्ट कम्पाउन्ड देहरादून।	2129/2016
572.	संजीव कुमार, दिव्य कुमार से०न०-02 म०न० 38 लोअर राजीव नगर डाकघर महेरुग्राम देहरादून	2130/2016
573.	श्रीमती सवित्री देवी पत्नी स्व० हिरा सिंह ग्राम व पोस्ट-रुडोली पट्टी बल्ल, घकोट अल्मोडा	2132/2017
574.	श्री रणजय कुमार सिंह, नेशनल नगर पथरा झरखण्ड।	2134/2016
575.	श्री विजय सिंह, एडवोकेट जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर	2135/2017
576.	श्री राहुल कुमार म०स० 1/5913 निकट आई०टी०सी० गेट सहारनपुर उत्तर प्रदेश	2137/2017
577.	श्री उमा शंकर पाण्डे पुत्र धर्मराज पाण्डे, सिद्धदोष बन्दी जिला कारागार देहरादून।	2138/2017
578.	श्री बरूण दत्त पुत्र श्री सुरील कुमार निवास सोसायटी रोड लक्सर हरिद्वार	2139/2017
579.	श्री विनोद कुमार मौर्य पुत्र श्री सुन्दर लाल ग्राम-मगन पो०-बन्नीली थाना औरास जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश	2140/2017
580.	श्री यशभूषण शर्मा, सचिव आर०टी०आई० क्लब उत्तराखण्ड 827/सिरमौर मार्ग कौलाण्ड देहरादून	2141/2017
581.	श्री रौन सिंह नेगी, कोहिनूर मुन्डिंग लन्दार बाजार मसुरी देहरादून।	2142/2017
582.	श्री कपिल कुमार अग्रवाल, एडवोकेट जानकी नगर कोटद्वार पीडी गडवाल	2143/2017
583.	श्री मोहन नेगी, बी-112 ऋषि विहार, पो० मेहुवाला माफी देहरादून।	2144/2017
584.	अनीषा नेगी, बी०-112 ऋषि विहार, पो० मेहुवाला माफी देहरादून।	2146/2017
585.	श्री सन्नी सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, निवास निल्सरवाला, डोईवाला, देहरादून।	2148/2017
586.	कु० पूजा पुत्री श्री अनुसया प्रसाद उन्वियाल, पता- राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय तलवाडी थराली, चमोली	2149/2017
587.	श्री गुलाब सिंह पुत्री श्री नकलीराम ग्राम छक्कड़कला पो० अम्बुवाला-जनपद-हरिद्वार	2150/2017
588.	मो० आसिम पुत्र श्री तालीन अहमद मो० जमनपुर, सेलाकुई वि०खण्ड सहसपुर त० विकासनगर देहरादून।	2151/2017

589.	श्री ए०बी० जैन, एडवोकेट, 103 पुष्पाजति विकास मार्ग एक्सटेंशन दिल्ली-110092	2152 / 2017
590.	श्री बलविन्दर सिंह शोखी, एड० पुत्र स्व० वख्शीश सिंह, तीन पानी, किच्छा, बाईपास रोड शुक्ला फार्म रुद्रपुर उधमसिंहनगर।	2154 / 2017
591.	श्री सुनित वैश्यानी, पता- सुन्दरवाला, रायपुर, देहरादून।	2155 / 2017
592.	श्री अशोक पाल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह ग्राम- दन्टेरा, पो०-मिस्तापनगर, तहसील-रुडकी, जनपद-हरिद्वार	2157 / 2017
593.	श्री मेधीन हसन पुत्र श्री नूरहसन ग्राम- तेलपुरा, पो०- बिहारीगढ़, त०-भगवानपुर, हरिद्वार	2180 / 2017
594.	श्री अखतर अली, द्वारा ताहिर हसन, पूर्व प्रधान ग्राम-टाकी, प्राथमिक स्कूल के सामने पो०-सहसपुर, देहरादून।	2182 / 2017
595.	श्री मनोज कुमार नौर्य पुत्र श्री कुंवरपाल नौर्य, निवासी-नौर्य निवास, संजवनगर, हाथीखाना, पो०- लालकुआ, जिला-नैनीताल	2183 / 2017
596.	श्रीमती सुरेखा पत्नी बाबूराम, निवासी-गदर जूड़डा, पो०-मंगलौर, जनपद-हरिद्वार	2184 / 2017
597.	श्री हेम चन्द्र कपिल, मुखानी इल्हानी, जिला-नैनीताल	2185 / 2017
598.	श्री पवन कुमार, अध्यक्ष, धौजगाँव समिति, निवासी केदारवाला, विकासनगर, देहरादून।	2186 / 2017
599.	श्री मदन लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी गा०/पो०-बहादुरबाद, जिला-हरिद्वार।	2187 / 2017
600.	श्री वाहिद हुसैन पुत्र श्री जाहिद हुसैन, निवासी- मोहल्ला, महेशपुरा, काशीपुरा, जिला-उधमसिंहनगर।	2191 / 2017
601.	श्री गम्भीर सिंह चौहान, ग्राम-नौटी, त०-पुरोला, जिला-उत्तरकाशी।	2192 / 2017
602.	श्री अरुण कुमार वर्मा, ले०न०-06 तपोवन रोड, रायपुर, देहरादून।	2193 / 2017
603.	मगवती राणी पुत्री श्री लाल सिंह साणी, ग्राम-खडकलया, पो०-जयराम बाखल, अल्मोड़ा	2194 / 2017
604.	श्री बाबूराम पुत्र श्री आशाराम, ग्राम-गदरजूड़डा, पो०-मंगलौर, जिला-हरिद्वार।	2195 / 2017
605.	श्री अनिल, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पो०-अम्बीवाला, प्रेमनगर चादबाग, देहरादून।	2196 / 2017
607.	श्रीमती सोनिया वर्मा, डी-205 यूएनईएससीओ अग्राटमेन्ट 55 आईपी एक्सटेंशन, नई दिल्ली।	2198 / 2017
608.	श्री सुरज सिंह रावत, कारगी ग्रान्ट, शिवालिक एन्क्लेव लाइन-2 नियर रिलान्स टावर, देहरादून।	2201 / 2017
609.	श्री मदन लाल, समीक्षा अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।	2202 / 2017
610.	श्री अनुज कुमार गर्ग द्वारा राधाकृष्णा स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, 28 सिविल लाइन, रुडकी हरिद्वार।	2203 / 2017
611.	श्री दीपक कुमार त्यागी, एडवोकेट, 58 लॉ चैम्बर बिल्डिंग सिविल कोर्ट मेरठ।	2204 / 2017
612.	श्री प्रकाश पाण्डे पुत्र श्री लक्ष्मी पाण्डे, केंद्रीय कारागार, सितारगंज, उधमसिंहनगर।	2205 / 2017
613.	श्री रविन्द्र कुमार वर्मा पुत्र स्व० श्री हरपाल सिंह वर्मा, नि० 50 एम०आई०जी, न्यू आवास विकास, सटारनपुर उत्तर प्रदेश।	2207 / 2017
614.	रामचन्द्र सिंह पंवार पूर्व नगर मण्डल अध्यक्ष, भाजपा द्वारा पवार स्वीट्स शॉप वार्ड नं०-05 नगर पंचायत पुरोला उत्तरकाशी।	2208 / 2017
615.	श्री विजयपाल सिंह रावत पूर्व सैनिक जिला संयोजक रुद्रप्रयाग, गा० बालवाला, वार्ड नं० 04 पो०-हालवाला, जिला-टिहरी गढ़वाल।	2209 / 2017
616.	श्रीमती सपना सिंह नं० 494, आर्य समाज मन्दिर के पास रामनगर, रुडकी हरिद्वार।	2213 / 2017
617.	श्री अजय सिंह, नं० 494, आर्य समाज मन्दिर के पास रामनगर, रुडकी हरिद्वार।	2214 / 2017
618.	श्री प्रवत नौटियाल, अध्यक्ष भाजपा नगर मण्डल वार्ड नं०-01 न०९० पुरोला, जिला-उत्तरकाशी	2216 / 2018
619.	श्री विकास रायत, ग्राम- जैगंतपुरी पट्टी, पोस्ट- जसपुर, जिला-उधमसिंहनगर	2217 / 2017
620.	श्री कासेन खान, अलसालरी बेलफेयर सोसायटी, राष्ट्रीय कार्यालय-अलसाबरी	2225 / 2017

	निवास पिरान कलियार शरीफ, रुड़की हरिद्वार।	
621	श्री श्याम सिंह राजपूत, ग्राम-भानियावाला आरकेडियाग्रान्द, पो-बडोवाला, देहरादून।	2226 / 2017
622	श्री रामेश्वर प्रसाद लेखाडा, ग्राम न पोस्ट-जाखन पट्टी, बारजूला, त-कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल।	2228 / 2017
623	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री इगडूराभ नियाली यात्मिकी नगर रेलवे रोड, ऋषिकेश, देहरादून।	2231 / 2017
624	श्री अनिल बहुखण्डी, कालपासा, टिहरी गढ़वाल।	2232 / 2017
625	श्री राजपाल गंगवार, एडवोकेट चैम्बर नं०-47 ब्लाक-2 चौधरी नैन सिंह बिल्डिंग नियर वार एसोसियन भवन, कोर्ट कम्पाउंड, देहरादून।	2233 / 2017
626	श्री मारकण्डेय राम, 234/2 चन्देश्वर मार्ग, मायाकुण्ड, ऋषिकेश, देहरादून।	2235 / 2017
627	श्री कृपाल सिंह मेहरा, ग्रा०-दलीपपुर पो०- लोकमणीपुर, कोटद्वार, गढ़वाल।	2236 / 2017
628	श्री विनय कुमार सैनी पुत्र श्री चननलाल, ग्रा०- ज्वाहरखान उर्फ डीवरहैडी, पो०-सुल्तानपुर कुन्हारी, जनपद-हरिद्वार।	2237 / 2017
629	श्री नवीन जुगुडी, छात्र संघ अध्यक्ष, ग्राम-पोलगाँव, पो०-बडकोट, त-बडकोट, ब्लॉक-नौगाँव, उत्तरकाशी।	2239 / 2017
630	श्री मोहम्मद इरफान पुत्र श्री रोहडा, निवासी ग्राम-चीत्ली परगना, तहसील-भगवानपुर, जिला- हरिद्वार।	2245 / 2017
631	श्री अनिल कुमार गुप्ता, 89/1, चन्देश्वर मार्ग, मायाकुण्ड, ऋषिकेश, जनपद-देहरादून, उत्तराखण्ड।	2246 / 2017
632	श्रीमती माहेश्वरी देवी पत्नी स्व० श्री धन सिंह चौहान, निवास-नवोदय नगर, शिव मंगा विहार, फेज-3 गली नम्बर-9, रोशनाबाद, जिला- हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।	2247 / 2017
633	श्री योगेश शर्मा, ज्योति भवन, 14 नालवीद मार्ग, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।	2248 / 2017
634	श्री विजयपाल सिंह मेहरा, पूर्व क्षेत्र पंचायत चदस्य, लोकमणीपुर सिगडडी, तहसील-कोटद्वार, जिला-पौड़ी गढ़वाल।	2249 / 2018
635	सुश्री भारती थापा, (शोध छात्रा) राजनीति विज्ञान, मंगा हायर स्टडी होस्टल, प्रोरास कैंपस, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल।	2253 / 2018
636	श्री अशोक अली खॉं, 5/2, मुस्लिम कालोनी, रीज मंडी, देहरादून।	2257 / 2018
637	श्री यशपाल राजेंद्रा पुत्र श्री चन्द्रगाल, नि०-केशवनगर, बार्ड-8, बाजपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।	2258 / 2018
638	श्री पुरुषोत्तम कोली पुत्र स्व० श्री प्रेमशंकर कोली, बार्ड नं०-08, रम्पुरा निकट कटोरी, मन्दिर, रुद्रपुर, जिला- उधमसिंहनगर।	2260 / 2018
639	श्री अशोक बिष्ट, एडवोकेट, नियर वाटर, विकास मार्ग, पौड़ी जिला-पौड़ी गढ़वाल।	2261 / 2018
640	श्री गौरव अग्रवाल पुत्र श्री सज्जन कुमार अग्रवाल, 76-देहरादून रोड, ऋषिकेश, जनपद-देहरादून।	2262 / 2018
641	श्रीमती नन्दी राणा पत्नी श्री मुखल्या सिंह राणा, तस्ला नैग्वाड, निकट लीसा मैड, गोपेश्वर, जिला-चमोली।	2263 / 2018
642	श्री अनिल उनियाल पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद, ग्राम हरभजेवाला, पोस्ट-मेहूवाला, मेशादेवी गली नं०-2, नियर-मस्जिद चौक, जनपद देहरादून।	2264 / 2018
643	श्री त्रिवुवन सिंह चुफाल पुत्र श्री लाल सिंह चुफाल, ग्राम-चुपडाखेत, पो०-आदिचौरा, तहसील / वि०ख०-डीडीहाट, जिला-पिथौरागढ़।	2267 / 2018
644	श्री हेतराम पुत्र श्री श्यामाध सिंह, ग्राम-रामनगर, काशीपुर, डाकघर-कुण्डेश्वरी, विकास खण्ड-काशीपुर, जिला-उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।	2268 / 2018
645	डॉ० बर्मन पिता श्री सिताराम, निवासी-संत कृपाल नगर, रावली महदूद, पोस्ट-बहादुराबाद जिला- हरिद्वार।	2269 / 2018
646	श्री अजय वर्मा, मेन बाजार, लकरा, जिला-हरिद्वार, (उत्तराखण्ड)	2270 / 2018

647	श्री नागेश किशन राय निमकर, पता-लोक ईसरा, 1280, गाला नं०-2 एस०आर०आई० काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्र।	2271 / 2018
648	श्री नागेश किशन राय निमकर, पता-लोक ईसरा, 1280, गाला नं०-2 एस०आर०आई० काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्र।	2272 / 2018
649	श्री नागेश किशन राय निमकर, पता-लोक ईसरा, 1280, गाला नं०-2 एस०आर०आई० काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्र।	2273 / 2018
650	श्री नागेश किशन राय निमकर, पता-लोक ईसरा, 1280, गाला नं०-2 एस०आर०आई० काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्र।	2274 / 2018
651	श्री नागेश किशन राय निमकर, पता-लोक ईसरा, 1280, गाला नं०-2 एस०आर०आई० काम्पलेक्स, नारपोली, आगरा रोड, भिवन्डी महाराष्ट्र।	2275 / 2018
652	श्री भगवत सिंह पंवार पुत्र श्री कुन्दन सिंह पंवार, ग्रा०पो०-चमियाला, टिहरी गढ़वाल।	2276 / 2018
653	मो० इरफान, प्रधान पुत्र मो० इसफाक, ग्राम-बडेपुर, पोस्ट-पिसन कलियार, ग०-रुडकी, जिला-हरिद्वार।	2277 / 2018
654	श्री खुशवंत सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, विद्यार्थीन बन्दी, जिला-कासगार, देहरादून।	2278 / 2018
655	श्री सरदार हर किशन, पता- तिरंगा एक्लेव सिंह निवास, म०न०-19, कलाशपर, पो०-मेहवाला माफी, देहरादून।	2279 / 2018
656	श्री भूषण सिंह रावत, सचिव, सर्व हिताय संगठन, मंगलौर, जिला-हरिद्वार।	2281 / 2018
657	श्री संजय मोहन कंडवाल, पता-कमला नेहरू मार्ग, दुगडडा, पौड़ी गढ़वाल।	2282 / 2018
658	श्री मनिन्द्र मण्डल पुत्र श्री शिवेन्द्र मण्डल, पिपलिया नं०-1 पो०-प्रेमनगर, तहसील-गदरपुर, जिला-उधमसिंहनगर।	2284 / 2018
659	श्री कृष्णपाल पुत्र श्री प्रेम सिंह निवास ग्राम-रोशनपुरी रायली महमदूद, तहसील व जिला-हरिद्वार।	2285 / 2018
660	श्री विनोद बोनाल, सी-17 सेक्टर-04 डिफेंस कोलोनी, देहरादून।	2287 / 2018
661	श्रीमती रुचि देवी, पता-कमला नेहरू मार्ग, दुगडडा, पौड़ी गढ़वाल।	2289 / 2018
662	श्री प्रकाश राय टप्टा, ग्राम-खर्ककाकी पोस्ट व जनपद-चम्पावत।	2290 / 2018
663	श्री पवन कुमार पुत्र स्व० श्री मुख्यतार सिंह, निवासी-चाँदपुर पोस्ट-आर०टी०सी० हेमपुर, तहसील-काशीपुर, जिला-उधमसिंहनगर।	2291 / 2018
664	श्री अमित कुकरेती, रामनगर डांडा, पो०-थाना, जिला-देहरादून।	2292 / 2018
665	श्री स्वर्णिम राज सिंह कण्डारी पुत्र श्री जयराज सिंह कण्डारी, पता-शिवलोक लाहपुर, देहरादून।	2293 / 2018
666	श्री आराकेंगमर्ग, अधिवक्ता, चैम्बर नं०-102 जेल रोड कोर्ट कम्पाउन्ड, देहरादून।	2294 / 2018
667	श्री विष्णु प्रसाद रतूडी, नियर ओ०बी०सी० बैंक के पास रायपुर, देहरादून।	2297 / 2018
668	श्री भागवत सिंह, एनएचपीसी, आयसीय परिसर, तपोवन धारचूला, पिथौरागढ़।	2298 / 2018
669	श्री जे०एस० रावत, एडवोकेट, चैम्बर 576-ए/एफ०एफ० बेस्टन विंग तीस हजारी कोर्ट दिल्ली-54	2299 / 2018
670	श्री आशीष चौहान, एडवोकेट, नई विलिडिंग चैम्बर-05 द्वितीय तल बार भवन के सामने कोर्ट कम्पाउन्ड, देहरादून।	2300 / 2018
671	श्री बादल प्रकाश, सभासद, छापनी परिषद लण्डौर, मसूरी, देहरादून।	2301 / 2018
672	सुश्री नीशा तिवारी म०न०-141 पंजित वाली फेस-2 देहरादून।	2302 / 2018
673	श्रीमती पूजा अरोरा पत्नी श्री आशीष अरोरा, निवासी मो०-शक्तिनगर, काशीपुर, उधमसिंहनगर।	2303 / 2018
674	श्री सत्यपाल गिरि पुत्र श्री चमन गिरि, 1364 शिवनगर रानी गली, भोपालवाला, हरिद्वार।	2304 / 2018

675.	श्रीमती राधा राधा पत्नी स्व० श्री श्याम सिंह राणा, निवासी-बलवीर रोड, देहरादून	2305/2018
676.	श्री राकेश अधिकारी, शिवनगर वाई नं०-02 नियमर समुन्द्र देवी मन्दिर रुद्रपुर उधमसिंहनगर।	2308/2018
677.	श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री मूलचन्द्र निवासी चन्दपुरी बाँगर, त०-लखसर, हरिद्वार।	2307/2018
678.	श्री रघुवीर सिंह रावत पुत्र श्री हुकुम सिंह रावत ग्राम-दिखोल गाँव मनियार पो०-चम्बा, टिहरी गढ़वाल।	2309/2018
679.	श्री मुरारी सक्सेना होटल युवराज पैलेस सिडकुल रोड वाई नं०-2 सितारगंज उधमसिंहनगर।	2429/2018
680.	श्री अखिलेश चन्द्र भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ता फेन्डस कालोनी तल्ली हल्द्वानी नैनीताल।	2431/2018
681.	श्री राकेश कुमार पारख, एड० चैम्बर नं०-23 सिविल कोर्ट कम्पाउन्ड ऋषिकेश देहरादून।	2433/2018
682.	श्री जहीर अंसारी, आर०टी०आई० कार्यकर्ता लाईन नं०-8 आजादनगर हल्द्वानी नैनीताल।	2435/2018
683.	श्री पंकज गुप्ता, 547 बनखण्डी ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।	2436/2018
684.	श्री मनीष गुप्ता, सम्पादक राज्य निर्माण समाचार, महाभाया ग्रुप जमना पैलेस रानीपुर भोड, हरिद्वार।	2437/2018
685.	श्री ललित मोहन गोदियाल कनिष्ठ सहायक, पंचास्थानि चुनावालय, पौड़ी।	2438/2018
686.	श्री शमशेर सिंह, एडवोकेट दीवान न्यायालय, बाजपुर उधमसिंहनगर।	2438/2018
687.	श्री देवेन्द्र कुमार एडवोकेट, म०न० 03/353 कोहली गार्डन मोहिया पडाव हल्द्वानी नैनीताल।	2443/2018
688.	श्री राजेन्द्र सिंह राणा ई-30 सुभाष विहार दिल्ली नार्थ गोन्डा दिल्ली।	2446/2018
689.	श्री सुमन डोडियाल, सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम-सिलेत पो०-सिडियारवाल, पौड़ी।	2447/2018
690.	श्री अरुण भदौरिया, एड० चैम्बर नं०-18 जिला एवं सत्र न्यायालय रोशनाबाद, हरिद्वार।	2448/2018
691.	श्री पुरुषोत्तम डोभाल सुनार गाँव पो०-कोटी अदुखवाला, देहरादून।	2450/2018
692.	श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावाल, देहरादून।	2453/2018
693.	श्री नसीम अहमद, पुत्र श्री नसीर अहमद, नि० बन्धारोड़ माहिग्रान, रुड़की, हरिद्वार।	2454/2018
694.	श्री गोपाल सिंह राणा, आशुलिपिक, कार्यालय-जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रबन्धक, उ० बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, विकास मयन, लदाड़ी, उत्तरकाशी।	2456/2018
695.	श्री आशिष अजहर, आर.टी.आई. कार्यकर्ता, सम्पादक, क्राइम का शिकंजा, ग्राम-भित्तरवाला, पो.आ. कुण्डा, तहसील-काशीपुर, उधमसिंहनगर।	2457/2018
696.	श्री राम गोपाल गुप्ता, देयभूमि आर.टी.आई. क्लब, हरिद्वार, गुघाल रोड, पांडेवाला, ज्वालापुर, हरिद्वार।	2462/2018
697.	श्रीमती सुमन पत्नी श्री श्याम कुमार (संजय) पुत्र श्री राम आसरे, पता-116/21, चन्दन नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड।	2463/2018
698.	एडवोकेट मोहम्मद नासिर, चैम्बर नम्बर-7B, सिविल कोर्ट लखसर, जनपद-हरिद्वार। निवास स्थान ग्राम-नेहन्दपुर सुठारी, थाना कोतवाली लखसर, जिला हरिद्वार	2464/2018
699.	श्री अनिल चन्द्र बलूनी (आर.टी.आई. कार्यकर्ता), 19-C, सुभाष रोड, निकट हूंगा हाउस, देहरादून	2468/2018
700.	श्री कमल दुबे, प्लॉट नं०-03 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, हरिद्वार बाईपास रोड, देहरादून	2475/2018

701	श्री रामशेर अली, एडवोकेट, दीवानी न्यायालय, बाजपुर, जिला- ऊधमसिंहनगर,	2478 / 2018
702	श्री गणेश दत्त डुकलान पुत्र श्री सच्चिदानन्द डुकलान, नई बस्ती दीडवाला, पोस्ट-मोधरोवाला, देहरादून	2479 / 2018
703	श्री आशीष कुमार पिपानिया, 8/320, अस्पताल मार्ग, विकासनगर, देहरादून।	2481 / 2018
704	श्री ऋषित कुमार गोवर, एडवोकेट, चैम्बर नं०-37 न्यायालय परिसर, ऋषिकेश, जिला- देहरादून	2484 / 2018
705	श्री संजय राणा, एडवोकेट, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ऑफिस अपोजिट एक्सिस बैंक, डोईवाला, देहरादून	2488 / 2018
706	श्री योगेश कण्डवाल, अधिवक्ता, सी0टी0एन0 कोर्ट कम्पाउण्ड, ब्लॉक-6 प्रथम तल चैम्बर-27, जिला न्यायालय, देहरादून	2490 / 2018
707	श्री लीलाधर जोशी, पुत्र श्री माधोप्रकाश, ग्राम-बसई, तहसील-रामनगर, नैनीताल।	2491 / 2018
708	श्री अभिषेक रावत, 96/1 चुकड़वाला, देहरादून।	2493 / 2018
709	सीमा कुमारी वर्मा, एडवोकेट, कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून।	2494 / 2018
710	हरमोत सिंह, एफ-31B, 2-फ्लोर, पेज-3, सुशांत लोक, सेक्टर-57 गुरुग्राम, हरियाणा।	2498 / 2018
711	सुभागनी जैसवाल, पता- 10 फ्लोर, कोर-2 स्कोप मीनार।	2499 / 2018
712	श्री शवि गुप्ता, 4/4, खुडबुडा मोहल्ला, देहरादून।	2500 / 2018
713	श्री सरदार पाल सिंह रधावा, निवासी- मेन बाजार, हरिद्वार रोड, वार्ड नं०- 7 लक्सर, जनपद-हरिद्वार।	2501 / 2018
714	श्री राजीव गुरूंग, प्रत्याशी वार्ड सं०-2 विजयपुर, पता-जौहरी गॉव, पोस्ट-सिन्तौला, जनपद- देहरादून।	2514 / 2018
715	सैफअली सिद्दीकी पुत्र श्री नसीम अहमद (आर०टी०आई० कार्यकर्ता) गज़ूर बस्ती वार्ड नं०-24, निकट रेलवे लाईन हल्द्वानी, नैनीताल।	2515 / 2018
716	श्रीनती मंजूशा पोखरियाल, प्रत्याशी वार्ड नं०-15, 11 बंगाली मोहल्ला, देहरादून	2516 / 2018
717	अमिनव सिंह मलिक, हरिश चन्द्र कालोनी खैरीखुर्द, श्यामपुर, पो०-सत्यनारायण मंदिर ऋषिकेश, जनपद-देहरादून, निकट-रूद्र होटल श्यामपुर।	2521 / 2018
718	श्री मनमोहन सिंह जैसवाल, बालोगज बाजार मसूरी, जिला-देहरादून।	2523 / 2018
719	श्री दिनेश कौनवाल, वार्ड नं०-63 लाडपुर, देहरादून।	2524 / 2018
720	श्री प्रविन्द्र सिंह तोमर, निवासी-राज राजेश्वरी कालोनी, विद्या विहार फेज-2, देहरलहास, देहरादून।	2525 / 2018
721	श्री कुशल गुप्ता, बी-903 सुपर टैच, पालम ग्रीन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।	2526 / 2018
722	श्री दुर्गा दत्त स्तूड़ी, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, लघु सिंचाई विभाग, विकास भवन-नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।	2527 / 2018
723	श्री अनुज कौशल, ग्राम-डांडा खुदाने वाला, (डांडालखण्ड) पोस्ट-सहस्रधारा रोड, देहरादून।	2528 / 2018
724	श्री मोहम्मद अनीस (एडवोकेट) मोहल्ला-छीपीयान पुराना मछली बाजार जसपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर।	2531 / 2018
725	श्री पुनित तलवार, वासुदेवपुरम, छड़ावल नयाबाद हल्द्वानी, जिला-नैनीताल।	2532 / 2018
726	श्री सुबोध सिंह बिष्ट पुत्र श्री मदन सिंह बिष्ट, टकाना लाईन, पिथौरागढ़।	2533 / 2018

727	श्री योगेश डिमरी द्वारा मनीष कुकरेती, कुकरेती जूस कार्नेर, कैलाश गेट, मुनीकीरेती, टिहरी गढ़वाल।	2534 / 2018
728	श्री उमेश करनवाल, 10-बंगाली लायब्रेरी रोड, देहरादून।	2535 / 2018
729	श्री विलियम एस0 सिंह, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय कृति मंच, जनपद-देहरादून पता- कॅनफिल्ड स्कूल के सामने क्लेमनडाउन, देहरादून	2537 / 2018
730	श्री अजय जैन, पता-108 पार्क रोड, लक्ष्मण चौक, देहरादून	2538 / 2018
731	शुश्री पूनम पुन्डीर, निवासी-88/2, कश्मीरी कालोनी, निरंजनपुर, देहरादून।	2539 / 2018
732	श्री संजय कसपाल, कोर्ट कम्पाउण्ड, शेड नं0-5, ऋषिकेश, जिला-देहरादून	2540 / 2018
733	श्री कृपाल सिंह मेहरा, ग्राम-दलीपपुर, पो0ओ0- लोकमणीपुर, कोटहार, जनपद-पौड़ी गढ़वाल।	2541 / 2018
734	श्री हेमन्त सिंह गोनियो, समाज सेवी आर0टी0आइ0 एक्टिविस्ट, हीरा विहार कैनाल रोड, मल्ला गौरखपुर, तिकोलिया, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल	2543 / 2018
735	डॉ0 प्रमोद अग्रवाल गोल्डी,कपिल कालोनी, मुखानी, हल्द्वानी, जिला-नैनीताल।	2544 / 2018
736	श्री मनमोहन सिंह रंधावा, पुत्र श्री सुखचिन्दर सिंह, नि0-वाड नं0-15, पहाडगंज, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर।	2545 / 2018
737	श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट, एडवोकेट, चे0नं0-2, जिला न्यायालय भवन, नई टिहरी, टिहरीगढ़वाल।	2546 / 2018
738	श्री अबरार हुसैन, पुत्र श्री फकीर मौहम्मद, नि0-मौ0 नई बरती, वाड नं0-18, जसपुर, उधमसिंहनगर।	2547 / 2018
739	श्री रामचन्द्र जोशी, सामाजिक एवं आर.टी.आई. कार्यकर्ता,नगर पंचायत, स्वर्गाभम-जौक, रामकेशवर, पोस्ट-स्वर्गाभम, गढ़वाल।	2548 / 2018
740	श्री अनूप कुमार, 288/618(II) राजपुर रोड, निकट कॅनरा बैंक राजपुर रोड, देहरादून	2550 / 2019
741	श्री निरंजन गोला, एडवोकेट, पूर्व सदस्य, ओ0बी0सी0 आयोग, उत्तराखण्ड सरकार, पिल रोड, होईवाला, देहरादून।	2551 / 2019
742	श्रीमती जयन्ती पटवाल, मकान नं0-62, वाड नं0-9, इन्दिरा उद्यान मार्ग, निकट नगर पालिका ऑफिस, पो0ओ0 विकासनगर, जिला-देहरादून।	2552 / 2019
743	कु0 पूजा भट्ट पुत्री स्व0 श्री रोशन लाल भट्ट, ग्राम कैलवाण गाँव, ग्रामसभा मजगाँव, पट्टी-सकलाना, तहसील-धनोलेटी, पो0ऑ0-जाडगाँव, जनपद-टिहरी गढ़वाल।	2553 / 2019
744	श्री सरफराज अली, पुत्र स्व0 श्री रजय अली, ग्राम पंचायत सदस्य ढकरानी, निवासी-वाड नं0 8, ग्राम-ढकरानी, पो0ओ0-ढकरानी, जिला देहरादून।	2558 / 2019
745	श्री अशोक बाजपेयी, निवासी- बी-7, मौ गंगा बाटिका, ऋषिकेश, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड।	2559 / 2019
746	श्री जिनय जैसवाल, निकट-श्री गणेश मन्दिर, डॉक्टरगंज(नव.बगद), विकासनगर, देहरादून.	2660 / 2019
747	डॉ0 वली अहमद पुत्र स्व0 फिदा हुसैन,वाड नं0-10 अजोदनगर,तह0 व पो0-गदरपुर,जिला-उधमसिंहनगर।	2561 / 2019
748	श्री मनीष कुकरेती, कैलाश गेट, मुनीकीरेती, टिहरी गढ़वाल।	2562 / 2019
749	श्री नदीम उद्दीन (राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता) पता-कोहिनूर ट्रेड बिल्डिंग, अल्लीखां, काशीपुर।	2563 / 2019
750	श्री एस0के0 अवरथी, किशनपुर (वकील फार्म) किबडा, उधमसिंहनगर।	2566 / 2019

761	श्री योगेन्द्र सेनी, ग्राम व पोस्ट-धनौरी, जिला-हरिद्वार।	2567 / 2019
752	श्री अरविन्द पंचार पुत्र श्री टी०एस० पंचार, माणाधार, लुधप्रयाग, जनपद-लुधप्रयाग।	2568 / 2019
753	श्री चरण सिंह सेनी पुत्र श्री समय सिंह, पता-266/31, गली नं०-4, खन्नानगर, ज्वालापुर, जिला-हरिद्वार।	2570 / 2019
754	श्री विपुल जैन, पुत्र श्री रविन्द जैन, पता-होटल स्वागत के सामने, मुख्य बाजार, विकासनगर, जिला देहरादून।	2571 / 2019
755	श्री त्रिवुवन सिंह चुफाल " अन्वाल", दरियाल निवास, घण्टाकरण, निकट लक्ष्मी नारायण मन्दिर, जनपद-पिथौरागढ़।	2572 / 2019
756	श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामदयाल, ग्राम-कैन्पुरा, पो०-थलीसैण पट्टी चौपडाकोट, जिला-पीड्डी गढ़वाल।	2575 / 2019
757	सुश्री सुनीता रावत, ग्राम खदरी खडक भाफ, पोस्ट सत्य नारायण मंदिर, विकास खण्ड, डोईवाला, अविक्केश, जिला देहरादून।	2576 / 2019
758	श्री भूपेन्द्र कुमार, एच-255, नेहरू कालोनी, जिला-देहरादून।	2577 / 2019
759	श्री आर.पी. सिंह, 316/1, इन्दिरा पुरी, कौलागढ़ रोड, देहरादून।	2579 / 2019
760	श्री लखमीर सिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह, गाँव-ध्यानपुर, डाकखाना-नानकमत्ता, जिला-ऊधमसिंहनगर।	2580 / 2019
761	श्री अमित कुमार सिंह, पता-कमरा नं०-06 फेज-2, टाइप-3(III), न्यू सचिवालय कालोनी, दून यूनिवर्सिटी रोड, केदारपुरम, देहरादून।	2581 / 2019
762	श्री रवीन्द्र सिंह बोरा पुत्र श्री जोध सिंह बोरा, ग्राम व पो० पमस्यारी, तहसील-डीडीहाट, जिला-पिथौरागढ़।	2582 / 2019
763	श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा श्री लेखराज सिंह, एस-142, फेस-चार, शिवात्मिक नगर, भेल रानीपुर, जिला हरिद्वार।	2583 / 2019
764	श्री अरविन्द शर्मा, लक्ष्मणपुर चौक, विकासनगर, देहरादून।	2584 / 2019
765	श्री मदन मोहन नेगी, अध्यक्ष, पूर्व सैनिक, पूर्व केंद्रीय कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, आर०टी०आई० कार्यकर्ता, 62 संजय कालोनी, नहनी रोड, देहरादून।	2585 / 2019
766	श्री मनीष नेगी, पुत्र श्री पिताम्बर सिंह, ग्राम-कोठडी, पो०-माण्डूवाला, जिला देहरादून।	2587 / 2019
767	श्री हरीश चन्द्र कुनियाल द्वारा एडवोकेट नवराज, ओपन चैम्बर्स नियर बार भवन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून।	2588 / 2019
768	श्री अब्दुल सत्तार, (RTI & SOCIAL WORKER) मौ०-कत्ताबान, ज्वालापुर, हरिद्वार।	2589 / 2019
769	श्री करन सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह, नियासी-सिलाक नगर, कुण्डेश्वरी, तह० काशीपुर, जिला-ऊधमसिंहनगर।	2591 / 2019
770	श्री श्याम दत्त जोशी, 135/1 युक्स्थुवाला, इन्दिरा कालोनी, देहरादून।	2592 / 2019
771	श्री अंकित जोशी, निवासी शिवलोक कालोनी बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून।	2593 / 2019
772	श्री कवलीजीत सिंह पुत्र अमरजीत, पता-जेल रोड, हल्हानी, नैनीताल।	2594 / 2019
773	श्री सागर सिंह म०नं०-13 आर०के० पुरम तरला अधोईवाला डालनवाला देहरादून।	2595 / 2019
774	श्री विनोद कुमार कन्वोजिया आर०टी०आई० कार्यकर्ता।	2600 / 2019
775	श्री जराधीर सिंह पुत्र श्री किशोरी लाल गि० ग्राम भीमायलाला, त० विकासनगर, देहरादून।	2601 / 2019
776	श्री अनूप संमवाल, ग्राम भैतण पो०-फकोट, टिहरी गढ़वाल।	2621 / 2019

778	श्री नईन अहमद, सिविल कोर्ट परिसर, जसपुर, उधनसिंहनगर।	2624 / 2019
779	श्री जमन सिंह रावत, ग्राम कामोल्डी, पो- क्वाली, रुद्रप्रयाग।	2625 / 2019
780	श्री संदीप शास्त्री, पूर्व जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी मण्डलीय प्रमुख विधान सभा ऋषिकेश।	2628 / 2019
781	श्री बलबीर सिंह चौहान पुत्र श्री जयसिंह, लेन नं०-1, मकान नं०-1, महिमा एनक्लेव, केहरी गाँव, पो०ओ०-चंदगवाड़ी, प्रेमनगर, देहरादून।	2628 / 2019
782	श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, संघास्थाने चुनावालय, देहरादून।	2630 / 2019
783	श्री अतुल कुमार सिंह(एडवोकेट) चैम्बर सं०-25, कोर्ट कम्पाउण्ड, ऋषिकेश, जिला देहरादून।	2631 / 2019
784	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री बीरू, ग्राम-छरवा, तहसील-विकासनगर, जिला देहरादून।	2632 / 2019
785	श्री रमेश यादव, एडवोकेट, पता-नाथ कॉम्प्लेक्स श्यामपुर, पो०ओ० सत्यनारायण मन्दिर, जिला देहरादून, उत्तराखण्ड।	2635 / 2019
786	श्री राजपाल सिंह तोमर, कृष्णा विहार, सिमथनगर, प्रेमनगर, देहरादून।	2636 / 2019
787	श्री शिवा वर्मा पुत्र श्री ईश्वर दास, ग्राम-गुडरिच, विकासनगर, जिला-देहरादून।	2637 / 2019
788	श्रीमती दीपा पाण्डे पत्नी श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे, ग्राम-खामियां नं०-4, जयग्राम, पोस्ट- शान्तिपुरी नं०-2, तहसील-किच्छा, जिला-उधमसिंहनगर।	2638 / 2019
789	श्री महंत पूरन नथ पुत्र स्व० श्री रामनाथ (सामाजिक कार्यकर्ता), ग्राम देवला तला, पो०-कुंवरपुर (गौलापार), जिला-नैनीताल।	2642 / 2019
790	श्री लोकेश कुमार, पार्थक, नगर निगम, हरिद्वार, प्लॉट-196, अशोक विहार, राजा गार्डन, कनखत, हरिद्वार।	2643 / 2019
791	श्री राहुल गोयल पुत्र श्री रात अवतार, पता-C.J.-4, केंद्रीय कारागार संख्या-4 (तिहाड़), नई दिल्ली।	2647 / 2019
792	श्री मनदीप सिंह पुत्र श्री सन्तोष सिंह, निवासी फतेहपुर टाण्डा, डोईवाला, जिला देहरादून।	2648 / 2019
793	श्री वचन सिंह, ग्राम-करसाना पल्ला, पोस्ट-धुमाकोट, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।	2650 / 2019
794	श्री देवराज कर्णवाल, पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, निवासी 1559 प्रीत विहार, रुड़की, जनपद-हरिद्वार।	2654 / 2019
795	श्री बिनोद सिंह गुसाई, 292, सैक्टर-9, आर.के. पुरम, नई दिल्ली।	2656 / 2019
796	कमल किशोर कण्डवाल, सुमन बिहार नजदीक एलिक मार्केट बापूग्राम पो०-वीरभद्र ऋषिकेश।	2657 / 2019
797	श्री रवि धीमंडा, सी-126, श्री शान नगर, गोल गुरुद्वारा, ज्वालापुर, हरिद्वार।	2658 / 2019
798	श्री अनिल रावत पुत्र स्व० श्री इरी सिंह रावत, ग्राम-घडियाल, पोस्ट-नैथाना, जिला पौड़ी गढ़वाल।	2659 / 2019
799	श्री कुलदीप अग्रवाल, एडवोकेट, 1588/76, वदीनाथ मार्ग, कोटद्वार।	2660 / 2019
800	श्री अजय राजभर पुत्र श्री नन्दलाल राजभर 444/4 गली नं०-11/2 चन्द्रेश्वर नगर धौबीघाट ऋषिकेश।	2681 / 2019
801	श्री मनोरंजन एस० राय, पोस्ट बॉक्स नं०-8554, जुहू, मुम्बई-400049।	2682 / 2019
802	श्री रमेशचन्द्र सिंह पुत्र श्री आनन्द सिंह, गुसाई भवन, नियर हरिजन छात्रावास, पेट्रोल पम्प, कोटद्वार रोड पौड़ी, जिला-पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।	2684 / 2019
803	श्री प्रहलाद सिंह पुत्र स्व० श्री पुष्कर सिंह, तहसील वार्ड, नियर पोस्ट ऑफिस।	2673 / 2019

	कालोनी,पोस्ट-डीडीहाट, जिला-पिथौरागढ़।	
804	श्री राजकुमार अग्रवाल, 123/1, कुर्माचल मौ० खेमनन्द मार्ग गोंसई गली भीमगोडा हरिद्वार	2674 / 2019
805	श्री दीपक पन्त पुत्र श्री खुशीराम पन्त,निवासी ग्राम-भानियावाला,तहसील-डोईवाला, जिला-देहरादून।	2678 / 2019
806	श्रीमती सुवा देवी,पत्नी चन्द्रवीर सिंह भा०न०द्वारावि०प्र०,नारायण विहार, कारगी रोड, देहराखान, देहरादून। 248001	2682 / 2019
807	श्री सन्दीप सिंह राणा,पुत्र श्री धन सिंह राणा,न्यू डांग, वसन्त विहार, श्रीनगर, गढ़वाल।पिन	2683 / 2019
808	श्री सतनाम सिंह,पुत्र श्री सरदास सिंह,निवासी ग्राम बसगर, पो०आ०-शक्तिफार्म, तहसील-चित्तारगंज,जिला-ऊधमसिंहनगर।	2686 / 2019
809	श्री बनर्जी असिक कुमार,अहमदाबाद भिरर, सेकेण्ड फ्लोर,फडिया चैम्बर्स, आशाराम रोड,अहमदाबाद।	2687 / 2019
810	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री धन सिंह,ग्राम-शाक, पोस्ट-राममन्दिर, जिला-पिथौरागढ़।	2689 / 2019
811	श्री सत्य साई हर्ष दत्त, पता-ई-1804, 7-हिल्स अपार्टमेंट, फायर येलफेयर सोसाइटी, नरसिंही, हैदराबाद, तेलंगाना	2691 / 2019
812	श्री आशीष डोभाल,अपर कालाबड, डिग्री कालेज रोड,निकट-परमिता निर्सिंग होम, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।	2695 / 2019
813	सुश्री शिवानी हन्देल, एडवोकेट, मार्फत श्री मंजीत सिंह सैधाण, एडवोकेट, निवासी-चम्बर नं०-56, ब्लॉक-6, सी०जे०एम० कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून	2698 / 2019
814	श्री जतिन दुग्गल, 148, चकराता रोड, एच.डी.एफ.सी. ए.टी.एम. के बाद, निकट किशन नगर क्रसिंग, देहरादून	2697 / 2019
815	श्री जशवीर सिंह पुत्र श्री किशोरी लाल,निवासी-ग्राम भीमावाल, तहसील-विकासनगर,जिला-देहरादून।	2700 / 2019
816	श्रीमती देवकी देवी पत्नी श्री चतुर सिंह, निवासी ग्राम-कनरा, पोस्ट-चायखान, तहसील व जिला-अल्मोड़ा।	2707 / 2019
816	सुश्री आरती देवी, ग्राम-दरमोला, पो०आ० माई की मढी, जिला-रूद्रप्रयाग	2716 / 2019
817	श्री सुरेश पुत्र श्री हीरा सिंह ग्राम श्रीपुर पो०-कुमल्दा वाया रायपुर जिला-टिहरी	2723 / 2019
818	श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री अशरफ अली, ग्राम रामजिवा, पोस्ट-बरहापुर, तहसील-नगीना, जिला-बिजनौर, उ०प्र०	2724 / 2019
819	श्री उत्तम कुमार राय पुत्र श्री गुरदास राय, निवासी-ग्राम मकरन्दपुर, वि०ख०-गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर	2728 / 2019
820	श्रीमती लक्ष्मी देवी,ग्राम-तैड़ी, पोस्ट-किन्सुर,पट्टी-विचला ढांगू, वाया-सिलोगी,जिला-पौड़ी गढ़वाल।	2729 / 2019
821	श्री विक्रम सिंह जैन्तवाल, ग्राम व पोस्ट-जैती, जिला-अल्मोड़ा	2734 / 2019
822	श्री भोलानाथ मण्डल पुत्र स्व० श्री चित्तरंजन मण्डल, निवासी-ग्राम मकरन्दपुर, वि०ख०-गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर	2735 / 2019
823	श्री हेम चन्द्र द्वारा श्री नवीन चन्द्र उप्रेती,कानपुर शू-स्टोर(महिला अस्पताल के सामने),नैनीताल रोड, हल्द्वानी,जिला-नैनीताल।	2739 / 2019
824	श्री राजेन्द्र सिंह रावत, पुत्र स्व० श्री गोपाल सिंह रावत,ग्राम-मोहनी रावत, पत्र:लय-भैवासी,जिला-पौड़ी गढ़वाल।	2747 / 2019
825	श्री सुरत सिंह बिष्ट, ग्राम-मोतीचूर, हरिपुर कला, वाया-रायवाला, देहरादून	2748 / 2019

826	श्री राम करन प्रसाद पुत्र स्व० श्री गोपाल प्रसाद,सी-2/5, एफ.एफ., जनकपुरी, नई दिल्ली	2749 / 2019
827	श्री मनोज नेगी पुत्र श्री महीपाल सिंह, उत्तराखण्ड,	2750 / 2019
828	श्री गोविन्द जोशी, फ्लैट नं०-10, तृतीय तल, 102 हुनारपुर सफदरजंग एनक्लेव, निकट-एन.सी.सी. आफिस, नई दिल्ली	2751 / 2019
829	श्री उमेश चन्द्र पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र,जी-35, भू-तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली	2752 / 2019
830	श्रीमती सविता देवी पत्नी श्री सुमन्त सिंह,ग्राम और पोस्ट-लांघा वाया डाक पत्थर, देहरादून।	2753 / 2019
831	श्री हरजान सिंह गहलोत,सी०-1/178, जनकपुरी,नई दिल्ली	2755 / 2019
832	श्री कुंवर सिंह, एच०एन० 21, ग्राम-नैकाना, विकासखण्ड-भिकियासैण, जिला-अल्मोड़ा	2756 / 2019
833	श्री पवन, ग्राम-सुनाड़ी पोखरी, तहसील-सोमेश्वर, जिला-अल्मोड़ा	2757 / 2019
834	श्री नरथी सिंह खरोला (सामाजिक एव पर्यावरण मित्र) आदर्श टिहरी नगर कालोनी नं०-1, पोस्ट-अम्बूवाला, जिला-हरिद्वार	2758 / 2019
835	श्री नन्दन सिंह, ग्राम-बरहेनी, पोस्ट-बरहेनी, तहसील-बाजपुर, जिला-उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड	2759 / 2019
836	श्री वीरेन्द्र प्रसाद अनियाल,राजकीय बालिका इण्टर कालेज,नई टिहरी।	2764 / 2019
837	श्री भुवन चन्द्र पोखरिया, ग्राम-उम्मेदपुर नं०-2,पोस्ट-चौरगलिया, जिला-नैनीताल।	2765 / 2019
838	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, ग्राम-पाली, पो०ओ०-देवराजखाल, पट्टी-तलाई, जिला-पौड़ी गढ़वाल,	2766 / 2019
839	श्री मूपेन्द्र सिंह कलूड़ा, खैरीखुद, सत्यनारायण मंदिर, 249204 देहरादून	2767 / 2019
840	श्री मोहन मिश्रा, सदस्य आर०टी०आई० क्लब, उत्तराखण्ड ग्राम-बंगधल, पो०-रडुवा चांदनीखाल, जनपद-धमोली	2768 / 2019
841	श्री अकित कुमार पुत्र श्री हुकम चंद गुप्ता, निवासी-बाई नं० 08 ग्राम-ढकचानी, पोस्ट-हरबटपुर, तहसील-विकासनगर, जिला देहरादून	2772 / 2019
842	श्री अनिल कुमार, ग्राम पंचायत ब पोस्ट-अम्बाडी, विकासनगर, जिला देहरादून	2773 / 2019
843	श्री शुभम मित्र पुत्र श्री प्रमोद मित्र सोनकर, निवासी-ग्राम धौलखेड़ा, पोस्ट-अर्जुनपुर, बरेली रोड हल्द्वानी, जिला-नैनीताल।	2782 / 2019
844	श्री मनदीप सिंह पुत्र श्री धरम सिंह, अनमोल फुटबियर बेनी विहार, दुल्हेपुरी, निकट पतंजली स्टोर, पीरुमदारा, समनगर, नैनीताल।	2783 / 2019
845	सुश्री नर्मदा,पुष्प विहार, लेन नं०-12, निकट शिव मन्दिर नथुवावाल बाग, रायपुर, देहरादून।	2784 / 2019
846	डॉ० अतर सिंह चौहान, नई जौनसारी कॉलोनी, पहाडी गली, निकट शान्ति धाम, नहर पार, विकास नगर, देहरादून,	2794 / 2019
847	श्री जुनैद आलम पुत्र श्री रईस अहमद, निवासी मौहल्ला नई कालोनी, माता दासा बाग, कस्या लण्डीरा, जिला हरिद्वार	2795 / 2019
848	श्री राकेश नेगी, म०नं०-142-डी, फ्लैट-ए, दिलशाद गार्डन, दिल्ली	2796 / 2019
849	श्री अनुज कुमार पुत्र श्री वेदप्रकाश, निवासी-गंगदासपुर, विकासखण्ड-लक्सर, तहसील-लक्सर, जिला-हरिद्वार	2798 / 2019
850	श्री गौरव सिंह पुत्र स्व० श्री सुमन्त सिंह, ग्राम-नांगल बुलंदावाला, डोईवाला,	2799 / 2019

	देहरादून।	
851	अभिनव सिंह, एडवोकेट, चेम्बर नं०-20 कोर्ट कम्पाउण्ड, ऋषिकेश, जिला देहरादून	2800 / 2019
852	श्री आशिफ चौधरी पुत्र श्री महारूप अली, निवासी-वार्ड नं०-4, आसनबाग हरबटपुर, पोस्ट-हरबटपुर, तहसील-दिकानगर, जिला-देहरादून	2801 / 2019
853	श्री दयानंद जोशी पुत्र श्री दयाराम जोशी, निवासी ग्राम-अस्टाड, पोस्ट-कोधी, विकासखण्ड कालसी, तहसील-चकराता, जिला-देहरादून	2802 / 2019
854	अन्य प्राप्त अपीलों से संबंधित पत्रावली।	2804 / 2019
855	श्री अजय कंसवाल, ग्राम ब पोस्ट-पिलखी, तहसील-घनसाली, जिला-टिहरी गढ़वाल।	2805 / 2019
856	श्रीमती कमलजीत कौर पत्नी श्री पलविन्दर सिंह, ग्राम-भघोरा, पोस्ट-सितारगंज, जिला-उधमसिंहनगर,	2806 / 2019
867	श्रीमती लीला देवी, 6/130 तल्ली बमोरी, नवादी रोड, हल्द्वानी, नैनीताल	2807 / 2019
868	श्री उवादेत्त भट्ट द्वारा श्री हसा नेगी, ग्राम-हैडगज्जर, पो०-अर्जुनपुर, गौरापडाव, हल्द्वानी, नैनीताल।	2808 / 2019
869	श्रीमती रुचिका तोमर पत्नी श्री दीपक तोमर, निवासी-ग्राम लांचा (फसोली), तहसील-विकासनगर, जिला-देहरादून।	2809 / 2019
870	श्री खजान सिंह, निवासी ग्राम-ढकरौल, पोस्ट-टिकरी लालूर, तहसील-नैगवाग, जिला- टिहरी गढ़वाल,	2814 / 2019
871	श्री राकेश कुमार नेगी, ग्राम-पटियाला, पोस्ट-देवीखाल, जिला-पौड़ी गढ़वाल	2815 / 2019
872	डॉ० रवि रस्तोगी, संस्थापक एवं केन्द्रीय संयोजक/अध्यक्ष, ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन, हिमालय और हिन्दुस्तान, वीरभद्र, ऋषिकेश।	2816 / 2019
873	श्री भुवन चन्द्र पाण्डे पुत्र स्व० श्री देवीदत्त पाण्डे, ग्राम-धुरासंगरीली, पोस्ट-चापखान, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र-कनरा चौखुटिया, वि०ख०/थाना/तह० लमगड़ा, जिला-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।	2818 / 2019
874	श्री नफीस अली पुत्र श्री अख्तर अली, ग्राम-आमवाला, पोस्ट-घंघोड़ा, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड।	2822 / 2019
875	श्री सुधीर बिष्ट, पुत्र श्री ज्ञान सिंह बिष्ट, ग्राम ब पोस्ट- राजावाला, न्यूकोतानी, रायपुर, देहरादून।	2823 / 2019
876	श्री विकास भारद्वाज, म०सं०-69/3, पंडितवाड़ी फंस-2, पोस्ट-प्रेमनगर, देहरादून	2827 / 2019
877	श्रीमती मीना देवी, ग्राम-डुगा, पोस्ट-सलूड डुगा, (जोशीमठ) जिला-धर्मौली	2828 / 2019
878	श्री राजेन्द्र सिंह राठी, पुत्र श्री ध्यान सिंह सी-2बी/19 सी, जनकपुरी, नई दिल्ली	2829 / 2019
879	न्यू हरिद्वार इलेक्ट्रिक स्टोर, हाउस नं०-21, शारदा भवन, रंगाधर महादेव नगर, खडखड़ी, नई बस्ती, रेलवे फाटक, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	2830 / 2019
880	श्रीमती संगीता देवी पत्नी श्री कल्याण सिंह, ग्राम-हरिपुर, ढकरानी, ब्लाक विकास नगर, देहरादून	2830 / 2019
881	डॉ० आज़ाद अहमद, द्वारा बान्हे चिकित्सक हाउस, बारी चौक, जसपुर, उधमसिंहनगर	2832 / 2019
882	श्रीमती अनीता नेगी, ग्राम-खैरी मानसिंह, पोस्ट-मालदेवता, रायपुर, देहरादून	2833 / 2019
883	श्री आलिम हुसैन पुत्र श्री जाहिद हुसैन, निवासी-ग्राम सैजना, विकास खण्ड रुद्रपुर, किच्छा, जिला-उधमसिंहनगर	2834 / 2019

884	श्रीमती रुविता देवी पत्नी श्री सुमन्त सिंह, ग्राम व पोस्ट-लांघा, बाघा डाकपत्थर, जिला-देहरादून.	2835 / 2019
885	श्री अकबर अली पुत्र श्री शौकत अली, सर्कुलर रोड, न्यू बस्ती, चन्दर रोड देहरादून	2840 / 2019
886	श्री किशोर मीरानी, नटराज चौक, ऋषिकेश	2841 / 2019
887	अब्दुल सत्तार, (सूचनाधिकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता) मौ०-कस्साबान, ज्वालापुर, हरिद्वार	2844 / 2020
888	डॉ० ओंकार नाथ कोष्ठा, विकासपुरी, गली नं०-02, मल्ला गोरखपुर, हल्द्वानी, नैनीताल।	2845 / 2020
888	श्री ईश कुमार शर्मा, बंगला नं०-21, शारदा भवन, गंगाधर महादेव नगर, निकट रेलवे फाटक, खड़खडी, हरिद्वार	2846 / 2020
889	श्री ऋषिपाल पुत्र श्री मेहरचन्द, ग्राम-गदरजुलडा, डाकघर-मंगलौर, जिला-हरिद्वार.	2847 / 2020
890	श्री मोहम्मद रिजवान (एडवोकेट)पुत्र श्री मोहम्मद इवरीस, निवासी मोहल्ला जुलाहान, निकट बंदा हज्जन, जसपुर (उधमसिंहनगर), उत्तराखण्ड	2850 / 2020
891	श्रीमती मीना रायत, क्षेत्र पंचायत शदस्य, रालूड, पो०ओ०- सलूड-डुंगा, जिला-चमोली	2851 / 2020
892	श्री अशोक सरकार, पुत्र अजामिल सरकार, निवासी:- बाई नं०-4, नेताजी सुभाष वार्ड, शक्तिगढ़, पो०-शक्तिफार्म, तहसील-सितारगंज, जनपद-ऊधमसिंह नगर।	2852 / 2020
893	श्री सुधीर बिष्ट, पुत्र श्री ज्ञान सिंह बिष्ट, ग्राम व पोस्ट- रांजावाला, न्यूकॉलोनी, रायपुर, देहरादून।	2853 / 2020
894	श्री राहुल पुत्र नरेश कुमार, निवासी-ग्राम-उदियाबाग, तहसील-विकासनगर, जिला-देहरादून	2855 / 2020
895	मोहम्मद अनीस (एडवोकेट) निवासी-छिपीयान, पुराना नछली बाजार, जसपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।	2856 / 2020
896	श्री कमलेश पुरोहित पुत्र श्री देवी प्रसाद, ग्रामसभा-खड़गोली, पो०-कमेडा नन्दप्रयाग, चमोली	2857 / 2020
897	श्री मदीभ उददीन, (राष्ट्रीय स्तरीय सूचना अधिकार कार्यकर्ता) कोहिनूर प्रेस बिल्डिंग, अल्लीखां, काशीपुर	2858 / 2020
898	श्री कमल भट्ट, ग्राम-मंजकोट, पो०-पुण्डेर गांव, विकास खण्ड-जयहरीखाल, जनपद-पौड़ी गढ़वाल।	2860 / 2020
899	श्री ललित मोहन, पुत्र स्व० श्री भैरव दत्त, ग्राम-मैरोली, पो०-गूठ गरसाडी (खेतीखान) तहसील / जिला-चम्पावत	2861 / 2020
900	श्री गुलफाम अली पुत्र श्री महबूब, निवासी-ग्राम-कुन्जा, पोस्ट-कुल्हाल, तहसील-विकासनगर, जनपद-देहरादून	2862 / 2020
901	श्री राम कृपाल गौतम, (पूर्व उपध्यक्ष नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश) पता-246 चन्द्रेश्वर मार्ग, ऋषिकेश।	2864 / 2019
902	श्री वी०के० विश्वकर्मा, सम्पादक, नेशनल गार्ड एन आर०टी०आई० कार्यकर्ता, 40/2 भुईयांराज मोथरोवाला रोड, अजयपुर कला, देहरादून.	2865 / 2020
903	सहायक निदेशक, परिसीमन, जकात फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया, CISRS House, 14 जंगपुरा-बी, मथुरा रोड, नई दिल्ली	2867 / 2020
904	श्री आत्मा सिंह बिष्ट पुत्र श्री जीत सिंह, पता- म०न०-3835 ब्लॉक-ए, गली नं०-01 एस०जी०एम० नगर, फरीदाबाद	2868 / 2019

905	जुनैद आलम पुत्र श्री रईस अहमद, नि०-नई कालोनी कस्बा लण्ढौरा, जिला-हरिद्वार।	2889 / 2020
906	जुनैद आलम पुत्र श्री रईस अहमद, नि०-नई कालोनी कस्बा लण्ढौरा, जिला-हरिद्वार।	2870 / 2020
907	श्री देव सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी-मखवारा, तहसील-सितारगंज, जनपद-ऊधमसिंहनगर	2871 / 2020
908	श्री सजीव कुमार आकाश, पुत्र श्री पोशाकी लाल, निवासी-लॉ पैलेस, गिरीताल मन्दिर के सामने, काशीपुर, जिला -ऊधमसिंह नगर।	2872 / 2020
909	श्री हरज्ञान सिंह गहलोत, C-1/178, G. Floor, जनकपुरी, नई दिल्ली	2873 / 2020
910	श्री अरविन्द शर्मा, लक्ष्मण चौक, विकास नगर, जनपद-देहरादून।	2874 / 2020
911	श्री दिग्विजय सिंह, लाटोपाली, हरिद्वार	2891 / 2020
912	श्री शकेश कुमार सेमवाल, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड	2892 / 2020
913	श्री आनन्द बिष्ट, अल्मोड़ा	2893 / 2020
914	श्री प्रभाकर चौधरी, विकास नगर, कोटद्वार	2894 / 2020
915	श्री भाष्कर चन्द्र, नैनीताल	2897 / 2020
916	श्री मोहित पैद, रुड़की	2898 / 2020
917	श्री सजीव कुमार आकाश, गिरीताल, ऊधमसिंह नगर	2899 / 2020
918	श्री प्रदीप टप्पा, जिला पंचायत उत्तरकाशी	2900 / 2020
919	श्री दीप सिंह बोरा, हल्द्वानी	2901 / 2020
920	श्री ईश कुमार शर्मा, हरिद्वार	2902 / 2020
921	श्री मौजुदीन, जगन्नाथपुर।	2903 / 2020
922	श्री नरेश प्रताप मल्ल, मसुरी, देहरादून	2905 / 2020
923	श्री चन्द्रशेखर पन्त, नैनीताल	2907 / 2020
924	श्री हरज्ञान सिंह गहलोत, दिल्ली।	2908 / 2020
925	श्री विरेन्द्र सिंह रावत, विकास नगर।	2909 / 2020
926	श्री प्रभुदयाल शर्मा, गंगानगर ऋषिकेश।	2911 / 2020
927	श्री निशेष गुप्ता, हरिद्वार	2913 / 2020
928	श्री राजेन्द्र सिंह, हल्द्वानी, नैनीताल	2917 / 2020
929	श्री तारा सिंह पीठीवेरी, हरिद्वार	2918 / 2020
930	श्री संजय कुमार कन्नौजिया, लखनऊ	2919 / 2020
931	श्री अनिल पाल, हरिद्वार	2920 / 2020
932	श्री नोहद चन्द्र जोशी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड	2921 / 2020
933	श्री रमेश काण्डपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड	2922 / 2020
934	श्री सोनू कुमार सिविल कोर्ट, लक्सर	2923 / 2020
935	श्री अनिल कुमार पाल, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार	2924 / 2020
936	श्री हरि सेमवाल, प्रेमनगर, देहरादून	2925 / 2020
937	श्री राकेश कुमार पंत, पौड़ी गढ़वाल	2926 / 2020
938	श्री अनिकेत ओबराय, देहरादून	2927 / 2020
939	राधा रानी, पोखरी, चमोली	2930 / 2020
940	श्री विनय कुमार एडवोकेट, कण्डोली, देहरादून।	2931 / 2020
941	सुरेन्द्र सिंह ढालीपुर, देहरादून	2932 / 2020
942	श्री राकेश सेमवाल, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।	2933 / 2020
943	रवि धींगड़ा, हरिद्वार	2934 / 2020

944	रवि धींगड़ा, हरिद्वार	2935 / 2020
945	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, पैरसैण, चमोली	2936 / 2020
946	श्री एन.एस. नयाल, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड	2937 / 2020
947	श्री सुरेश पाण्डे, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।	2938 / 2020
948	श्री राकेश रामपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।	2939 / 2020
949	श्री मेहरबान सिंह चौहान, राववाला, देहरादून।	2941 / 2020
950	श्री मोहन चन्द जोशी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।	2942 / 2020
951	श्री जतिन दुग्गल, कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून	2945 / 2020
952	श्री अनुज कुमार सैनी, रामनगर, रुड़की	2948 / 2020
953	श्री केशव कुमार, भमरोला, ऊधमसिंहनगर	2951 / 2020
954	श्री दयाल सिंह राणा, प्रेमनगर, देहरादून	2953 / 2020
956	श्री अहमद हसनबाग, लण्ढौर	2955 / 2020
958	श्री शमशेर अली बाजपुर	2958 / 2020
957	श्री प्रमोद कुमार, तुगलपुर	2958 / 2020
958	राधाशानी रावत, नगरनाथ, चमोली	2959 / 2020
959	श्रीलक्ष्मी के.एन., एरनाकुलम जिला	2962 / 2020
980	श्री संजय पाल बहादुराव, हरिद्वार	2967 / 2021
981	श्री राजेश बनवाज, मोथरोताला, देहरादून।	2969 / 2021
982	श्री आशीष कुमार पिपनिशा, विकासनगर, देहरादून	2971 / 2021
983	श्री त्रेपन सिंह राणा, देहरादून	2972 / 2021
984	कू0 छाया कुण्डा काशीपुर	2976 / 2021
985	श्री सुनील कुमार गोयल, मसूरी	2977 / 2021
986	श्री प्रदीप भट्ट, उत्तरकाशी	2980 / 2021
987	श्री रणवीर सिंह नेगी, पुल्यास, पौड़ी	2981 / 2021
988	श्री देवेन्द्र कुमार एडवोकेट, नैनीताल	2984 / 2021
989	श्री होशियाल चन्द, सरपुडा, ऊधमसिंह नगर।	2985 / 2021
970	श्री सुरेश चन्द, विकासनगर	2986 / 2021
971	श्री सुभाष परमार, कोर्ट कम्पाउण्ड, देहरादून।	2987 / 2021
972	श्री बी.पी. कोजारी, देहरादून	2988 / 2021
973	श्री देवेन्द्र प्रसाद धत्वूड टिहरी गढ़वाल	2991 / 2021
974	कविन्द्र सिंह पुलिस लाइन देहरादून	3007 / 2021
975	राजीव करुपाल, ऋषिकेश	3012 / 2021
976	बी०एल० शाही, हल्द्वानी	3013 / 2021
977	शानू चौधरी, मुजफरनगर	3014 / 2021
978	मेघा आर पाटिल, मुम्बई	3015 / 2021
979	लोकेश कुमार, पाषंद, नगर निगम हरिद्वार	3018 / 2021
980	राजकुमार जिला एवं सत्र न्यायालय, सहारनपुर	3019 / 2021
981	सुरजीत सिंह नैनीताल	3022 / 2021
982	साजिद हुसैन ऊधमसिंह नगर	3026 / 2021
983	भोजपाल मंगलौर हरिद्वार	3027 / 2021
984	अशोक कुमार, डी.एल. रोड, देहरादून	3029 / 2021
985	महमूद हुसैन कुरैशी मुरादाबाद	3030 / 2021
986	अनिल डोमाल, चुक्खुवाला, देहरादून	3033 / 2021
987	किसन सिंह पतापानी, नैनीताल	3034 / 2021

988	पिरेन्द्र चौहान सिद्धपुरम, देहरादून	3036 / 2021
989	राजेश कुमार विकास नगर	3037 / 2021
990	संजीव कुमार शामली उत्तर प्रदेश	3038 / 2021
991	पवन मुख्तियारी कटघरिया नैनीताल	3039 / 2021
992	हेमलता पाण्डे, जिला न्यायालय नैनीताल	3040 / 2021
993	राजवंश दुबे झुली प्रयागराज	3042 / 2021
994	पवन नेगी अल्मोड़ा	3043 / 2021
995	मोहन शर्मा शारदा भवन हरिद्वार	3044 / 2021
996	अभय कुमार, चकराता रोड देहरादून	3045 / 2021
997	आशीष पनियालय रुड़की	3046 / 2021
998	गंगा प्रकाश चमोल	3047 / 2021
999	विजयपाल सिंह कोटद्वार, पौड़ी	3048 / 2021
1000	जगदीश व जगदीश कुमार, उधमसिंह नगर	3050 / 2021
1001	पी.के. सिंह उपायुक्त रा.नि.आ०	3054 / 2021
1002	के०सी० चौधरी, रा०नि०आ० उत्तराखण्ड	3055 / 2021
1003	रोहित कुमार शर्मा एडवोकेट देहरादून	3057 / 2021
1004	यशवन्त लाल कपूर उत्तरकाशी	3058 / 2021
1005	गोविन्द लाल जखोली पौड़ी	3059 / 2021
1006	दीपक ध्यानी दुगडडा पौड़ी	3062 / 2021
1007	रविचंकर जोशी, नैनीताल	3063 / 2021
1008	आंकार सिंह कौली, गोविन्दपुरी दिल्ली	3067 / 2021
1009	आलोक कुमार शर्मा, मंगलौर, हरिद्वार	3068 / 2021
1010	विनोद प्रसाद स्तुडी सचिव, उत्तराखण्ड शासन	3070 / 2021
1011	अभिषेक राणा नथुवाखाल, देहरादून	3073 / 2022
1012	मयंक उनियाल, गढ़वाल वि०वि० श्रीनगर	3077 / 2022
1013	सलमा, मुण्डलाना मंगलौर	3079 / 2022
1014	युवराज सिंह, उधमसिंह नगर	3080 / 2022
1015	राजशर्मा काम्बोज, रामनगर, नैनीताल	3084 / 2022
1016	मनोज कुमार हरिद्वार	3086 / 2022
1017	नीरज अग्वासी हरिद्वार	3088 / 2022
1018	ललित मोहन मोधरोवाला देहरादून	4004 / 2022
1019	बलबीर सिंह झण्डवाल, हरिद्वार	4006 / 2022
1020	मनोरंजन एस राय, मुम्बई	4009 / 2022
1021	प्रिन्सी रायल ऋषिकेश	4012 / 2022
1022	आकाश कुमार हरिद्वार	4020 / 2022
1023	सुभाष कुमार देहरादून	4022 / 2022
1024	अनिल चन्द्र बलूनी, देहरादून	4023 / 2022
1025	जी०एस० डोभाल ऋषिकेश	4025 / 2022
1026	धर्मन्ध कुमार, राशनाबाद, हरिद्वार	4027 / 2022
1027	दिनेश पुण्डरी हरिद्वार	4031 / 2022
1028	शिवलाल रस्तीगी खटीमा	4038 / 2022
1029	रविन्द्र कुमार हरिद्वार	4041 / 2022
1030	शंकर सिंह लटवाल नैनीताल	4046 / 2022
1031	पायल काशीपुर	4052 / 2022

1032	संजय शर्मा लखसर	4054 / 2022
1033	अनुराधा गांधीनगर	4058 / 2022
1034	सुदर्शन प्रताप कोटद्वार	4059 / 2022
1035	अबुल अंसर रुड़की	4060 / 2022
1036	श्रीराम खटीमा	4061 / 2022
1037	रोहित शर्मा देहरादून	4063 / 2022
1038	सौरभ जैनियाल, देहरादून	4069 / 2022
1039	विजयपाल सिंह कोटद्वार	4071 / 2022
1040	मनीष व्यास देहरादून	4072 / 2023
1041	सुरजपाल पौड़ी गढ़वाल	4073 / 2023
1042	ज्योति देवी रुद्रप्रयाग	4074 / 2023
1043	अमित कालड़ा ऊधमसिंह नगर	4075 / 2023
1044	मनीष सिंह देहरादून	4077 / 2023
1045	मकेश जाटव ऋषिकेश	4078 / 2023
1046	अशोक मण्डल, ऊधमसिंह नगर	4079 / 2023
1047	नल्यु सिंह हरिद्वार	4081 / 2023
1048	कुलदीप भण्डारी देहरादून	4084 / 2023
1049	संजय मोहन पौड़ी गढ़वाल	4085 / 2023
1050	निरंजन विश्वास ऊधमसिंह नगर	4086 / 2023
1051	जावेद हसन देहरादून	4088 / 2023
1052	अकित पंवार टिहरी गढ़वाल	4089 / 2023

नजारत/स्टोर से संबंधित पत्रावलियों की सूची

क्र. सं.	पत्रावली/पंक्ति का नाम	फाईल संख्या
1	2	3
1.	विभिन्न सामग्रियों के क्रय संबंधी पत्रावली	246/2003
2.	जीप गाड़ी सम्बद्ध करने संबंधी पत्रावली	27/2001
3.	कम्प्यूटर क्रय करने संबंधी पत्रावली	166/2002
4.	लेखन सामग्री क्रय पत्रावली	114/2001
5.	जनरेटर क्रय पत्रावली	211/2002
6.	मा० राज्य निर्वाचन आयुक्त हेतु किराया मुक्त आवास पत्रावली।	148/2002
7.	कन्जुमेबिल सामग्री क्रय	415/2005
8.	आयोग कार्यालय हेतु किराया भवन पत्रावली	125/2001
9.	डीजल क्रय पत्रावली	287/2002
10.	पुरतकालेय पत्रावली	155/2001
11.	जमानत अभिलेख	124/2001
12.	राष्ट्रीय पर्व	117/2001
13.	कार्यालय फर्नीचर क्रय	77/2001
14.	कार्यालय साज सज्जा पत्रावली	02/2001
15.	विज्ञापन संबंधी पत्रावली	457/2004
16.	अग्निशामन यंत्र क्रय पत्रावली	327/2003
17.	सामान्य पत्र व्यवहार	156/2001
18.	पैपरशीट/ऐराक्रास मोहर क्रय पत्रावली	31/2001
19.	अमिट स्पाही क्रय पत्रावली	80/2001
20.	टाईपरहाइटर क्रय पत्रावली	40/2001
21.	आयोग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री पत्रावली	153/2001

22.	मतपत्रों की आपूर्ति पत्रावली	159/2001
23.	मतपत्रों के मुद्रण पत्रावली	152/2001
24.	मतपत्रों की मांग/मुद्रण पत्रावली	33/2001
25.	प्रेसक किट	456/2003
26.	पुस्तकालय पत्रिका	2001
27.	जनरेटर पत्रिका	2002
28.	जनरल स्टॉक पत्रिका	2001
29.	कन्जुमेविल स्टॉक निर्वाचन सामग्री	2001
30.	कन्जुमेविल स्टॉक पत्रिका	2001
31.	डेड स्टॉक पत्रिका	2001
32.	लेखन सामग्री वितरण पत्रिका	2001
33.	कार्यालय आदेश पत्रिका	2005
34.	उपस्थित पत्रिका	2005
35.	अधिष्ठान संबंधी पत्रिका	
36.	जनपदों में पंचास्थानि चुनावालयों के कार्यालय भवन एवं स्टोर हेतु भूमि	618/2005
37.	जनपदों के स्थाई भण्डार के संघ में पत्राचार	655/2006
38.	आयोग मुख्यालय नये भवन पर स्थापित होने पर पता परिवर्तन संबंधी पत्रावली	660/2006
39.	निर्वाचन संबंधी पुस्तिकाओं के वितरण संबंधी पत्राचार	669/2006
40.	42-अन्य व्यय भुगतान पत्रावली 2006-2007	677/2006
41.	आयोग कार्यालय/भवन हेतु भूमि विषयक	683/2006
42.	अपर राजीव नगर स्थित आयोग भवन संबंधी पत्राचार	716/2006
43.	अन्य राज्य निर्वाचन आयोग से पत्राचार	717/2006
44.	जनपदों के पंचास्थानि चुनावालय हेतु किराया भवन स्वीकृति	718/2006
45.	प्रोटोकाल के संबंध में। स्टोर	723/2006
46.	वाहन संख्या-यू.ए.07 एम. 0306 से संबंधित पत्रावली	725/2006
47.	वाहन संख्या-यू.ए.07 एम. 2084 से संबंधित पत्रावली	726/2006
48.	राज्य निर्वाचन आयुक्तों का सम्मेलन व्यवस्था संबंधी।	727/2006
49.	कम्प्यूटर क्वार्टर कक्ष	740/2007
50.	भारत निर्वाचन आयोग से मतपेटिकाएँ स्थानान्तरण किये जाने संबंधी	762/2007
51.	नागर स्थानीय निर्वाचन-2008 हेतु निर्देश पुस्तिकाओं का मुद्रण	755/2007
52.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन हेतु निर्देश पुस्तिकाओं का मुद्रण	756/2007
53.	निर्वाचन संबंधी सामग्री	772/2007
54.	भारत निर्वाचन आयोग से ई.पी.एम. मांगने विषयक	779/2007
55.	निर्वाचन स्टेशनरी जनपदों में भेजे जाने विषयक	781/2007
56.	मुद्रण संबंधी बैठक	782/2007
57.	सूचना विभाग से संबंधी पत्राचार	788/2007
58.	प्रेक्षकों हेतु वाहन लगाया जाना।	805/2008
59.	पंचास्थानि चुनावालय स्टोर में आगजनी घटना	911/2008
60.	अन्य राज्यों के रा0नि0आ0 से पत्र व्यवहार पत्रावली	1020/2009
61.	पंचास्थानि चुनावालयों से पत्राचार	1021/2009
62.	निष्प्रयोज्य वस्तुओं का निस्तारण	1167/2011
63.	समूह (घ) कर्मचारियों हेतु वही पत्रावली	1326/2012
64.	डाक मतपत्र पत्रावली	1442/2013
65.	मतपेटिकाओं को कक्ष किये जाने विषयक	1579/2014
66.	वाहन कक्ष किये जाने के संबंध में	1587/2014
67.	पंचास्थानि चुनावालयों हेतु कार्यालय फोटोकॉपीयर, जनरेटर, फैंस, कम्प्यूटर आदि कक्ष किये जाने विषयक	1595/2014
68.	कक्ष समिति का गठन	1606/2014
69.	ए0सी0 कक्ष/मरम्मत तथा कूलर कक्ष/मरम्मत	1669/2014
70.	आयोग मुख्यालय में अधिकारियों/आगन्तुकों/बैठक हेतु जलपान व्यवस्था	1670/2014

70.	आयोग मुख्यालय परिसर में फूल-पौधे कृय एवं रखरखव हेतु माली विषयक एवं अन्य	1671/2014
71.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 सकुशल सम्पन्न कराये जाने पर प्रशस्ति-पत्र दिये जाने विषयक	1736/2014
72.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 निर्वाचित पदाधिकारियों का विवरण संबंधी पुस्तिका	1815/2014
73.	राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय हेतु शाउण्ड सिस्टम कृय किये जाने विषयक	1829/2014
74.	नजारेत/स्टोर से सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्देश	1842/2014
75.	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2016 हेतु निर्वाचन सामग्री की भाग के संबंध में।	1889/2015
76.	त्रि0पं0शा0 नियं0 2015-16 हेतु पत्रकार बैठक नार्ता में थय धनराशि भुगतान	2013/2016
77.	पंचास्थानि चुनावालय हेतु कार्यालय/स्टोर भवन किराया	2033/2016
78.	राज्य निर्वाचन आयोग के अतिथि के संबंध में	2044/2016
79.	साईकिल कृय एवं मरम्मत	2073/2016
80.	सोलर एल0डी0डी0 स्टीट लाईट	2074/2016
81.	कम्प्यूटर अनुरक्षण	2064/2016
82.	टेलीफोन कनेक्शन/ब्राउवेन्ड संबंधी पत्रावली	2092/2016
83.	राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय हेतु 15 के0वी सोलर प्लान्ट संबंधी पत्रावली	2115/2016
84.	ई0वी0एम0 से सम्बन्धी बैठक	2121/2016
85.	पंचास्थानि चुनावालय देहरादून हेतु शौचालय निर्माण विषयक	2145/2017
86.	कार्यालय अनुरक्षण	2153/2017
	सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हेतु वाहन अनुषन्ध	2190/2017
87.	नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-2013 हेतु निर्वाचक नामावलियों की निर्देश पुस्तिकाओं के मुद्रण सम्बन्धी पत्रावली।	2197/2017
88.	नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2018 हेतु निर्वाचन सामग्री।	2220/2017
89.	ई-टैण्डर विषयक पत्रावली।	2234/2017
90.	ना0नि0 मतपत्रों हेतु ई-टैण्डरिंग विषयक पत्रावली	2255/2018
91.	आदर्श आचरण संहिता-2018 पुस्तिका मुद्रण	2259/2018
92.	बायोमेट्रिक मशीन लगाये जाने के संबंध में।	2432/2018
93.	थर्म जल संरक्षण पत्रावली।	2445/2018
94.	राज्य निर्वाचन आयोग में हेल्थ संबंधी सुविधा विषयक पत्रावली।	2596/2019
95.	विभिन्न जनपदों को उपलब्ध कराये जाने वाली निर्वाचन सामग्री आवंटन संबंधी	2671/2019
96.	एयरटेल सी.यू.जी. कनेक्शन	2990/2021
97.	ना0नि0नि0 2023 निर्देश पुस्तिका छपाई	4082/2023
98.	शासन से आवास आवंटन	4083/2023
99.	अखबार कित्तवों आदि विनिर्दान संबंधी	4014/2022

सचिव कैम्प संबंधी पत्रावली

1.	सचिव भ्रमण कार्यक्रम (सचिव कैम्प)	2218/2017
2.	श्री एन0एस0 शवत परियोजना निदेशक, रुद्रप्रयाग संबंधी पत्रावली।	2639/2019
उप सचिव कैम्प संबंधी पत्रावली		
1.	विगिध उप सचिव कैम्प कार्यालय	1991/2015
सहायक आयुक्त संबंधी पत्रावली		
1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की घटोन्नति हेतु लिखित परीक्षा-2016	2091/2016
2.	मुख्यमंत्री हेल्प लाइन शिकायती प्रकोष्ठ लेन नं0-03	2863/2020

कम्प्यूटर प्रोग्रामर संबंधी पत्रावली

1.	एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड	1956/2015
2.	पंचायत/नागर निकायों की निर्वाचक नामावलियों के एकीकरण के संबंध में	2078/2016

3.	मुख्यमंत्री हेल्पलाइन योजना के तहत विभागीय आई0डी के संबंध में।	2762 / 2019
4.	ई-फाइलिंग	3081 / 2022

निर्वाचन अनुभाग-2 (पंचायत/नागर स्थानीय निकाय) पत्रावलियों की सूची

क्र.सं.	पत्रावली/पत्रिका का नाम	फाइल संख्या
1	2	3
1.	निर्वाचन संबंधी सामान्य निर्देश	09/2001
2.	ग्राम पंचायतों के गजट प्रकाशन सूची	16/2001
3.	स्थानीय निकाय निर्वाचन हरिद्वार	17/2001
4.	उप निर्वाचन पंचायत के कार्यक्रमों की घोषणा	18/2001
5.	निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण	20/2001
6.	प्रमुख ज्येष्ठ/कनिष्ठ उप प्रमुख निर्वाचन-2001, हरिद्वार	21/2001
7.	मतदान स्थल तथा मतदान केंद्र की सूचना	30/2001
8.	जिलाधिकारी को जि०नि०आ०/प्र०आ० नियुक्ति विषयक	48/2001
9.	नागर निकाय की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण-2001	66/2001
10.	आयोग में विभिन्न राजनीतिक दलों का पंजीकरण	68/2001
11.	त्रि.प.नि.-2001 हेतु ग्रा.प./क्ष.प./जि.प. सदस्यों के चुनाव प्रतीकों का प्रेषण	77/2001
12.	त्रि.प.सा.नि. मतदान स्थल पर सुरक्षा अधिकारी/कर्मचारियों की तैनाती	79/2001
13.	त्रि.प.नि. के अन्तर्गत विभिन्न पुस्तिकाओं का मुद्रण	81/2001
14.	पंचायत निर्वाचन में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से जमानत प्रमाण पत्र लिया जाना	84/2001
15.	त्रि.प.नि.-2001-2002 दिनांक नियत करने हेतु राज्य सरकार को परामर्श/आदर्श आचरण संहिता	85/2001
16.	त्रि.प.सा.नि. में वि.ख. स्तर पर प्रबन्धकीय/संचालन व्यवस्था हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण	91/2001
17.	त्रि.प.नि.-2001 में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले घोषणा पत्र/शपथ पत्र हेतु निर्देश	94/2001
18.	माह फरवरी, 2002 में नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन	98/2001
19.	राज्य की विस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के व्यय विवरण का भेजा जाना	99/2001
20.	पंचायत निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन की सूचना	107/2001
21.	त्रि.प.सा.नि.-2001 में मतदान स्थलों की स्वीकृति	121/2001
22.	भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित पत्र-व्यवहार	126/2001
23.	निर्वा.नामा. में संशोधन/फर्जी मतदाता सूची में संशोधन	127/2001
24.	निर्वाचन से संबंधित विभिन्न निर्देश पुस्तिकाओं की मांग सूची	128/2001
25.	त्रि.प.सा.नि.-2001 में उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य निर्धारण	137/2001
26.	त्रि.प./न.नि.सा.नि.-2001 सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता का निर्धारण	138/2001
27.	प.नि.-2001 में उम्मीदवारों हेतु अधिकतम व्यय सीमा निर्धारण	139/2001
28.	त्रि.प.सा.नि.-2001 में मतदान स्थलों का निर्माण	141/2001
29.	त्रि.प.सा.नि.-2001 में चिकित्सा व्यवस्था	144/2001
30.	त्रि.प.सा.नि.-2001 हेतु जोमल म०/सेक्टर म० की व्यवस्था	146/2001
31.	त्रि.प.सा.नि.-2001 में प्रेक्षकों की व्यवस्था	147/2001
32.	त्रि.प.सा.नि.-2001 में आ०/कर्मचारियों के लिए हल्का नाश्ता की निर्धारण	145/2001
33.	नागर निकायों के निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों का पंजीकरण	169/2001
34.	ना.स्था. के सामान्य निर्वाचन-2002 के लिये दिनांक नियत करने हेतु परामर्श	181/2001
35.	नागर निकायों की निर्वाचन सामग्री	183/2002
36.	आगाभी ना.स्था.नि.सा.नि.को-2002 हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों से जमानत धनराशि जमा कराया जाना	184/2002
37.	ना. निकायों के निर्वा. हेतु नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य निर्धारण	185/2002
38.	नागर निकायों के निर्वाचन में विभिन्न पदों हेतु चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों	186/2002

	द्वारा किये जाने वाले खय की अधिकतम सीमा बावत	
39.	नागर निकायों के निर्वाचन हेतु मुक्त प्रतीक चिह्नों विषयक	188/2002
40.	त्रि.पं. की निर्वा.नामा. के पुनरीक्षण के संबंध में	197/2002
41.	नागर निकायों की निर्वाचक नामावतियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण-2002	198/2002
42.	ना.स्थ.निकाय सामान्य निर्वाचन-2002 हेतु विभिन्न पुस्तिकाओं का मुद्रण	202/2002
43.	ना.नि.सा.नि. में मतदान कर्मी/निर्वाचन अधिकता के नियुक्ति विषयक	207/2002
44.	जनसमस्याएं/शिकायतों का निस्तारण (कुमायू मण्डल)	245/2002
45.	जनसमस्याएं/शिकायतों का निस्तारण (गढ़वाल मण्डल)	247/2002
46.	जनसमस्याएं/शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही विवरण	249/2002
47.	शासन को भेजे जाने वाले जनपदों से प्राप्त शिकायतें	253/2002
48.	नागर निकाय निर्वाचन-2002/निर्वाचक नामावली/शिकायती पत्रों का निस्तारण	305/2002
49.	त्रि.पं.नि. के मतदान केन्द्र/स्थलों की स्वीकृति	314/2002
50.	शा.पं.क्ष.पं. तथा जि.पं. के पदों/स्थानों का आरक्षण	324/2002
51.	नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन के मतपत्रों विषयक	331/2002
52.	नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के दौरान विशेष परिस्थितियों में स्वीकृति विषयक	347/2003
53.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2003 से संबंधित शिकायती पत्रों पर कार्यवाही	348/2003
54.	त्रि.पं.सा.नि.-2003 में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण	365/2003
55.	त्रि.पं.सा.नि.-2003 में विभिन्न मामलों में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	371/2003
56.	राज्य जिलापंचायत के पद/स्थानों के निर्वाचित होने की स्वीकृति दिया जाना	383/2003
57.	क्षे.पं. के प्रमुख/उप प्रमुखों तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों के पदों पर निर्वाचन-2003	398/2003
58.	क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों/उप प्रमुखों एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्षों का निर्वाचन-2003	401/2003
59.	उप प्रधान पद का निर्वाचन, परामर्श, निर्देश कार्यवाही	420/2003
60.	उप नगर प्रमुख, नगर निगम का निर्वाचन	422/2003
61.	विधान सभा, लोक सभा प्रश्न	428/2003
62.	भारत निर्वाचन आयोग में राजनीतिक दलों का पंजीकरण	437/2003
63.	संक्षिप्त पुनरीक्षण-2004 जनपद हरिद्वार	484/2004
64.	नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावतियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2004	488/2004
65.	पंचायत निर्वाचक नामावली का संक्षिप्त पुनरीक्षण की 15.5.2004 की सूचनाओं की पत्रावली	510/2004
66.	पंचायत उप निर्वाचन-2004	513/2004
67.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2005 में जनपद हरिद्वार में मतदान केन्द्र/मतदान स्थल के निर्माण एवं तत्संबंधी निर्देश	531/2004
68.	प्रधान उप निर्वाचन-2005	541/2005
69.	नागर निकाय निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित, अपमार्जित एवं सशोषित करने विषयक	547/2005
70.	राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकृत से विधि राय प्राप्त करने विषयक	551/2005
71.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन जनपद हरिद्वार-2005	557/2005
72.	जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत आरक्षण संबंधी	561/2005
73.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाना	564/2005
74.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन जनपद हरिद्वार परामर्श/अधिसूचना	567/2005
75.	संक्षिप्त पुनरीक्षण त्रिस्तरीय पंचायत-2005	575/2005
76.	संक्षिप्त पुनरीक्षण नागर स्थानीय निकाय-2005	576/2005
77.	जनपद हरिद्वार के पंचायत निर्वाचन में उद्घाटन आदि की स्वीकृति	590/2005
78.	जनपद हरिद्वार के पंचायत निर्वाचन-2005 में शिकायती पत्रों के संबंध में	591/2005

79.	जनपद हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष उका निर्वाचन-2005	598/2005
80.	क्षेत्र पंचायत प्रमुख निर्वाचन हरिद्वार-2005	603/2005
81.	जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु निर्देश हरिद्वार	604/2005
82.	मतदान/मतगणना हरिद्वार पत्र-व्यवहार	605/2005
83.	सूचना का अधिकार पत्रावली	608/2005
84.	रिट.....दिनांक 19.10.2005 उच्च न्यायालय नैनीताल	609/2005
85.	उप प्रधान, उप निर्वाचन-2005	610/2005
86.	जिला योजना के सदस्यों का निर्वाचन	612/2005
87.	उप प्रधान सामान्य निर्वाचन हरिद्वार	613/2005
88.	रिट संख्या-1242 हरिद्वार निर्वाचन-2005	617/2005
89.	त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन	635/2005
90.	रिट पिटीशन संख्या-1379 श्रीमती कविता बनाम राज्य बहादुराबाद, हरिद्वार	642/2005
91.	रिट पिटीशन संख्या-1402 एम./एम 2005 थाभिन बनाम राज्य	646/2005
92.	रिट संख्या-1009/एमपी/05 राव इरशाद खा बनाम राज्य व अन्य	647/2005
93.	रिट संख्या-मिस्/2005एमपी श्रीमती सुनीता देवी बनाम राज्य व अन्य	648/2005
94.	मा. राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय की बैठक दिनांक 21 व 22 जनवरी, 2005	649/2005
95.	मा. राज्य निर्वाचन आयुक्तों की बैठक पत्रावली	657/2006
96.	पंचायत एवं नागर निकाय निर्वाचन नामावली	661/2006
97.	त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन-2006	685/2006
98.	वार्षिक सूचना रिपोर्ट वर्ष 2005-2006	687/2006
99.	पंचायत चुनाव हेतु एन.जी.ओ. द्वारा चलाये जा रहे जागरूकता अभियान	688/2006
100.	ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण	695/2006
101.	स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण-2006	696/2006
102.	विविध रिटों से पत्राचार	697/2006
103.	ग्राम पंचायत, प्रधान क्षेत्र पंचायत का उप निर्वाचन	712/2006
104.	राफटवेयर/नेट पर राज्य निर्वाचन आयोग की सूचना उपलब्ध कराया जाना।	715/2006
105.	रिट पीटीशन संख्या-1154 2006 एम/बी	719/2006
106.	उप प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पद/स्थानों का उपनिर्वाचन	721/2006
107.	निर्वाचक नामावलियों में किन्नरों के पंजीकरण/ नामांकन के संबंध में।	724/2006
108.	उत्तराखण्ड राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नागर निकाय में महिला पदाधिकारियों से संबंधित सूचना।	729/2006
109.	शासन को भेजे जाने वाली विगत पांच वर्षों की उपलब्धियां	730/2007
110.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण-2008	733/2007
111.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण-2008	734/2007
112.	त्रिस्तरीय पंचायतों का उप निर्वाचन-2007	738/2007
113.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2008 में मतदान केन्द्र/स्थान की स्थापना/निर्देश	768/2007
114.	नागर निकाय निर्वाचन 2008 में मतदान केन्द्र/स्थान की स्थापना/निर्देश	769/2007
115.	त्रिस्तरीय पंचायतों के राज्य के 12 जनपदों के ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिशीलन के विषय संबंधी।	770/2007
116.	जनपद हरिद्वार निर्वाचन संबंधित निर्देश के संकलन का मुद्रण	771/2007
117.	त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2008	780/2007
118.	नागर स्थानीय निकाय के सामान्य निर्वाचन-2008 हेतु निर्देश	785/2007
119.	त्रिस्तरीय पंचायत के सामान्य निर्वाचन-2008 हेतु निर्देश	786/2007
120.	ई.पी.एम. से संबंधित निर्देश विषयक	787/2007
121.	विधिक प्रकरण नागर निकाय से संबंधित	789/2007
122.	पंचायतों के पदों एवं स्थानों के आरक्षण संबंधी	790/2007
123.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2008 हेतु बैठक विषयक	793/2008
124.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन 2008	794/2008
125.	नागर स्थानीय के सामान्य निर्वाचन-2008 के दौरान विशेष स्वीकृति दिये जाने	803/2008

	विषयक।	
126.	नागर स्थानीय के सामान्य निर्वाचन-2008 के शिकायती पत्रों का निस्तारण।	804/2008
127.	मतगणना-2008	806/2008
128.	नागर स्थानीय के सामान्य निर्वाचन-2008 के मतदाता सूची में संशोधन	807/2008
129.	नाम-निर्देशन पत्र की सूचना विषयक	812/2008
130.	मतपत्रों संबंधी निर्देश	813/2008
131.	नागर निकायों का गठन एवं विज्ञप्ति	832/2008
132.	उप नगर प्रमुख का निर्वाचन	844/2008
133.	त्रिस्तरीय पंचायत का परिणाम इंटरनेट पर प्रसारित किया जाना	858/2008
134.	शासन स्तर पर लम्बित प्रकरण विषयक संदेश	885/2008
135.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2008 से संबंधित शिकायती पत्रों का निस्तारण	891/2008
136.	आचार संहिता के दौरान अनुमति विषयक	892/2008
137.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2008 हेतु मतगणना/स्थल का निर्माण	893/2008
138.	मतपत्रों से संबंधित भेजे जाने वाले निर्देश	895/2008
139.	आचार संहिता में अनुमति/स्वीकृति प्रदान किया जाना	897/2008
140.	प्रमुख एवं उप प्रमुखों तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्षों का निर्वाचन	916/2008
141.	रिट पिटीशन संख्या-669/2008 श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	917/2008
142.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, श्री आर पी. जोशी अभिनंदन फर्नीचर, हल्द्वानी नैनीताल	918/2008
143.	डा. एन.एल. दीक्षित, फेराना रोड, फडला मुजफ्फरनगर	919/2008
144.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत विभिन्न जिज्ञासाएं/दिशा निर्देश	920/2008
145.	रिट पिटीशन संख्या-1476/2008 श्री मजीत कौर बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	921/2008
146.	रिट पिटीशन संख्या-02/2008 श्रीमती रिहाना पत्नी श्री वहीद अहमद, लण्डौर रुड़की, हरिद्वार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	922/2008
147.	ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक कराये जाने के संबंध में	925/2008
148.	अध्यक्षों/उपाध्यक्षों, जिला पंचायत का निर्वाचन-2008	926/2008
149.	प्रमुखों एवं उप प्रमुखों क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन-2008	927/2008
150.	जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों का आरक्षण-2008	928/2008
151.	रिट पिटीशन संख्या-132/2008 श्री सुबोध गोयल बनाम विरेन्द्र आदि	942/2008
152.	रिट पिटीशन संख्या-129/2008 श्रीमती बीना शर्मा बनाम तारो देवी आदि	943/2008
153.	रिट पिटीशन संख्या-1730/2008 श्री अलेख सिंह बनाम जिलाधिकारी टिहरी आदि	944/2008
154.	उप प्रधान का सामान्य निर्वाचन-2008	946/2008
155.	रिट पिटीशन संख्या-138/2008 श्रीमति उषा बनाम श्रीमती देवती देवी व अन्य	953/2008
156.	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव, उधमसिंहनगर	958/2008
157.	उपनल कार्मिकों की उपस्थिति सूचना/भुगतान की कोर्सवाही	959/2008
158.	रिट पिटीशन संख्या-135/2008 श्रीमति प्रतिभा बनाम श्रीमती सुमन व अन्य	960/2008
159.	रिट पिटीशन संख्या-04/2008 श्रीमति सता राणा बनाम चुनाव आयुक्त व अन्य उधमसिंहनगर	966/2008
160.	रिट पिटीशन संख्या-1906/2008 चन्द्रराम बनाम राज्य राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य	968/2008
161.	रिट पिटीशन संख्या-1013/2008 मुकदमेगन बनाम राज्य राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य	969/2008
162.	रिट पिटीशन संख्या-201/एम.एन./2009 नियाज अहमद बनाम अब्दुल सत्तार	988/2009
163.	त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन-2009	989/2009
164.	जि०प०नि०-2014 के उपरान्त पुनर्मतगणना सम्बन्धी पत्रावली	1925/2015
165.	रिट याचिका संख्या-1009/2015 रुकमा देवी बनाम पुष्पा देवी व अन्य	1931/2015
166.	श्री हदन सिंह अधिकारी, जल निगम शाखा कैलाशबाब, जनपद हल्द्वानी का लापता	1934/2015

	विषयक	
167.	रिट याचिका संख्या-1548/2015 राजेश पोखरियाल बनाम सर्व डिवीजनल मजिस्ट्रेट, धारी, नैनीताल व अन्य	1939/2015
168.	जनपद हरिद्वार के विस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2015 हेतु प्रपत्रों/प्रारूपों/ फोटो बेंच मुद्रण सम्बन्धी	1940/2015
169.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 के पश्चात् मई-2015 तक हुये उपनिर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों की अनर्हता संबंधी	1941/2015
170.	जनपद हरिद्वार सामान्य निर्वाचन-2011 के पर्याप्त हुये उप निर्वाचनों में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों की अनर्हता संबंधी	1942/2015
171.	जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन-2015 हेतु मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों के सम्बन्ध में निर्धारण/स्वीकृति	1945/2015
172.	जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन-2015 हेतु आर०ओ०/ए०आर०ओ०/सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारियों/कार्मिकों के सम्बन्ध में	1946/2015
173.	अपील संख्या-380/2015 सुषमा फर्नांडिस बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1954/2015
174.	रिट याचिका संख्या-2354/2014 श्री सोहन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1955/2015
175.	अपील संख्या-387/2015 लखपत बनाम देवेन्द्र व अन्य	1957/2015
176.	रिट याचिका संख्या-2358(एम०एस०)/2015 जॉध सिंह, जनपद हरिद्वार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	1962/2015
177.	अपील संख्या-2535/2015 भुवन चन्द्र मण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1971/2015
178.	रिट याचिका संख्या-183(पी०आई०एल०)/2015 आविध अली, जनपद हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1975/2015
179.	रिट याचिका संख्या-2768/(एम०एस०)2015 नामेन्द्र सिंह बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य	1976/2015
180.	अनुभाग-2 के कार्मिकों के मध्य कार्य आंदोलन विषयक	1977/2015
181.	जनपद हरिद्वार के विस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2015 निर्वाचक नामावली में परिवर्द्धन/अपमर्जन/संशोधन विषयक	1978/2015
182.	जनपद हरिद्वार के विस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2015 हेतु निर्देश विषयक	1980/2015
183.	जनपद हरिद्वार के विस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2015 हेतु प्रेक्षक की नियुक्ति	1981/2015
184.	जनपद हरिद्वार के विस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2015 हेतु नियामक व्यय विवरण	1982/2015
185.	रिट याचिका संख्या-3030(एम०एस०)/2015 अजय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1986/2015
186.	रिट याचिका संख्या-198(पी.आई.एल.)/2015मो० दानिश बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1987/2015
187.	रिट याचिका सं०-2929(एम०एस०)/2015श्री रवीन्द्र कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1992/2015
188.	रिट याचिका संख्या-2908(एम०एस०)/2015 श्री दिनेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1993/2015
189.	रिट याचिका संख्या-2930(एम०एस०)/2015 श्री शौकीन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1994/2015
190.	रिट याचिका संख्या-2943(एम०एस०)/2015 श्री संजय कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1995/2015
191.	रिट याचिका संख्या-2951(एम०एस०)/2015 श्री जावेद अली बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1996/2015
192.	रिट याचिका संख्या-2963(एम०एस०)/2015 श्री ताज मोहम्मद जनपद हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1997/2015
193.	रिट याचिका संख्या-2964(एम०एस०)/2015 श्री सोनू बनाम उत्तराखण्ड राज्य	1998/2015

	व अन्य	
194.	रिट याचिका संख्या-2912(एम0एस0)/2015 श्री मो0 मुस्तफा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1999/2015
195.	रिट याचिका संख्या-2950(एम0एस0)/2015 श्री दिनेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2000/2015
196.	रिट याचिका संख्या-2913(एम0एस0)/2015 श्री जोगेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2001/2015
197.	रिट याचिका संख्या-2959(एम0एस0)/2015 श्री अनिल कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2002/2015
198.	रिट याचिका संख्या-2917(एम0एस0)/2015 श्रीमती विमलेश देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2003/2015
199.	रिट याचिका संख्या-2915(एम0एस0)/2015 श्री रियासत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2004/2015
200.	रिट याचिका संख्या-2937(एम0एस0)/2015 श्री योगेश कुमार चौहान बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2005/2015
201.	रिट याचिका संख्या-3013(एम0एस0)/2015 श्री आविद हसन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2006/2015
202.	जनपद हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का सा0निर्वाचन-2016	2014/2016
203.	जनपद हरिद्वार में प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख का सा0निर्वाचन-2016	2015/2016
204.	रिट याचिका संख्या-168 (एम0एस0)/2016 श्री अनिल कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2023/2016
205.	रिट याचिका संख्या-3266(एम0एस0)/2016 श्री तेजपाल चौहान बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी व अन्य	2025/2016
205.	रिट याचिका संख्या-167(एम0एस0)/2016 श्री मो0 अनीस बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2029/2016
206.	12 जनपदों में ग्राम पंचायत की निर्वाचक नमायशियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण-2016	2035/2016
207.	रिट याचिका संख्या-3183(एम0एस0)/2015 श्रीमती पूनम चौहान जनपद हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2038/2016
208.	रिट याचिका संख्या-458(एम0एस0)/2016 श्रीमती राशिदा जनपद देहरादून बनाम श्रीमती मनीषा पाल एव अन्य	2045/2016
209.	रिट याचिका संख्या-509 एव 510/2016(एम0एस0)/2015 श्रीमती सुनीता देवी बनाम गिरीश चन्द्र पोखरिया व श्रीमती सुनीता देवी बनाम टीकम चन्द्र व अन्य	2046/2016
210.	हरिद्वार के त्रि0पंचायत निर्वाचनों का आरक्षण	2959/2021
211.	रिट सं0-743/2021 कोमल देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	3006/2021
212.	हरिद्वार हेतु नाम निर्देशन पर्चों का मुद्रण-2021	3009/2021
213.	रिट सं0-52/2021 शमशेर अली बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	3010/2021
214.	रिट सं0-1116/2021 होशियार चन्द बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	3011/2021
215.	रिट सं0-1214/2021 शिवपाल सिंह सीनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	3016/2021
216.	रिट सं0-1332/2021 साजिद बनाम रा0नि0आ0 उत्तराखण्ड व अन्य	3024/2021
217.	हरिद्वार की नि0ना0 में संघर्षन, परिष्करण एवं विलोपन विषयक	3031/2021
218.	रिट सं0-1389/2021 सुखपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	3032/2021
219.	सभी जापदों में पंचायतों के उप निर्वाचन	3041/2021
220.	उत्तराखण्ड राज्य के प्रमुखों एवं उप प्रमुखों का उप निर्वाचन	3060/2021
221.	रिट सं0-2478/2021 सुमलाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	3061/2021
222.	हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन 2021-22	3064/2021
223.	रिट सं0-04/2021 एवं 05/2021	3065/2021
224.	हरिद्वार के पंचायत निर्वाचन हेतु मतदान स्थलों की स्वीकृति	3072/2021
225.	रिट सं0-123/2022 बलवीर सिंह झण्डवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	3075/2022
226.	शासकीय मामलों की ई-फाइलिंग किये जाने विषयक	3078/2022

227	हरिद्वार के आर०ओ० ए०आर०ओ० की नियुक्ति की स्वीकृति	3085/2022
-----	---	-----------

निर्वाचन अनुभाग-2 (पंचायत निर्वाचन) में संरक्षित पत्रावलियों की सूची

1.	रिट याचिका संख्या-510 श्रीमती शबनम बनमा प्रेमलता व अन्य	1010/2009
2.	रिट याचिका संख्या-1552 श्रीमती सुनीता बनमा उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य प्रेमलता व अन्य	1011/2009
3.	रिट याचिका संख्या-588 श्री विद्यासागर नौटियाल बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी व	1012/2009
4.	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2010	1014/2009
5.	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षणके सम्बन्ध में	1015/2009
6.	रिट याचिका संख्या-2259/08 श्री आनन्द प्रकाश गड़िया बनाम राज्य सरकार व अन्य	1016/2009
7.	जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन-2010 हेतु सामान्य निर्देश	1017/2009
8.	मा० उच्च न्यायालय नैनीताल रिट याचिका संख्या-551/2009 मलकीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1028/2009
9.	रिट याचिका संख्या-868/2009 नित्यानन्द गड़कोटी, अल्मोडा बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड व अन्य	1029/2009
10.	रिट याचिका संख्या-602/08 नन्दन सिंह, बागेश्वर बनाम जिला जज बागेश्वर एवं	1030/2009
11.	जनपद हरिद्वार के त्रि०प०निर्वा०-2010 हेतु विस्तृत पुनरीक्षण	1031/2009
12.	रिट याचिका संख्या-59/2009 श्री हरीश साहनी बनाम राजकुमार एवं अन्य	1043/2009
13.	रिट याचिका संख्या-1210/2009 श्रीमती सावित्री देवी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	1047/2009
14.	रिट याचिका संख्या-1286/2009 श्रीमती लक्ष्मी नेगी (लक्ष्मी जग्गी) जनपद-रूद्रप्रयाग बनाम सविता देवी भण्डारी, रूद्रप्रयाग व अन्य	1048/2009
15.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में दो बच्चों से सम्बन्धित प्राविधान के संबंध में	1067/2009
16.	रिट याचिका संख्या-753 श्री चरनपाल, देहरादून बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1094/2010
17.	रिट याचिका संख्या-1419 श्री नन्जीत पाल चन्दी, ऊधमसिंहनगर, बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1095/2010
18.	रिट याचिका संख्या-1520 श्री नन्जीत पाल चन्दी, ऊधमसिंहनगर, बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1096/2010
19.	रिट याचिका संख्या-1691 श्रीमती बीना शर्मा, देहरादून बनाम मुख्य निर्वाचनअधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1097/2010
20.	जनपद हरिद्वार के त्रि०प०सा०नि०-2010 हेतु मतदान केन्द्र/स्थल	1105/2010
21.	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत हेतु रिट याचिका संख्या-1826, 1828 एवं 1821 मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर।	1122/2010
22.	जनपद हरिद्वार के जिला पंचायत निर्वाचन 2010	1126/2010
23.	वाद संख्या-07/2008 बीना देहरादून बनाम धरीसा एवं अन्य	1133/2010
24.	वाद संख्या-09/2008 प्रेमलता बनाम श्रीमती शीतल एवं अन्य	1134/2010
25.	वाद संख्या-01/2008 सुनीता देहरादून बनाम मीरा देवी एवं अन्य	1135/2010
26.	जनपद हरिद्वार के त्रि०प०सा०नि०हेतु आर०ओ०, ए०आर०ओ० सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्ति के सम्बन्ध में	1143/2010
27.	आदर्श आचरण संहिता के सम्बन्ध में	1144/2010
28.	जनपद हरिद्वार के विभिन्न विभागों को अनुमति दिये जाने विषयक	1152/2011
29.	जनपद हरिद्वार के निर्वाचन-2011 हेतु मतगणना केन्द्र/स्टेशनरूम के संबंध	1153/2011
30.	जनपद हरिद्वार के उप प्रधान का सामान्य निर्वाचन-2011	1157/2011
31.	जनपद हरिद्वार के प्रमुखों का सामान्य निर्वाचन-2011	1158/2011
32.	जनपद हरिद्वार के त्रि०प० सामान्य निर्वाचन-2011 के मतगणना परिभाषा के सम्बन्ध में	1160/2011
33.	जनपद हरिद्वार के वर्ष 2011 में सम्पन्न हुए त्रि०प०सा०निर्वा० के पर्याप्त प्रथम बैठक	1174/2011

34.	रिट संख्या-49/2011 बमन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1175/2011
35.	रिट संख्या-389/2011 लाजवन्ती बनाम राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड	1176/2011
36.	रिट संख्या-144/2011 जगजीवन राम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1177/2011
37.	रिट संख्या-16/2011 सीमा देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1178/2011
38.	रिट संख्या-228/2011 रवीन्द्र कुमार त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1179/2011
39.	रिट संख्या-248/2011 भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1180/2011
40.	आयुष विभाग के निर्वाचन के सम्बन्ध में	1204/2011
41.	रिट याचिका संख्या-692/2011 विजयपाल हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1211/2011
42.	रिट याचिका संख्या-41/2011 निदोष चंवार हरिद्वार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1212/2011
43.	रिट याचिका संख्या-86/2011 धर्मपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1213/2011
44.	रिट याचिका संख्या-2079/2011 लता शर्मा बनाम परगना अधिकारी, उधमसिंह नगर व अन्य	1214/2011
45.	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाभिहित किया जाना	1221/2011
46.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2013 हेतु परिसेमिन/आरक्षण सम्बन्धी	1278/2012
47.	रिट संख्या-207/2011 बलविन्दर सिंह बनाम रा0नि0आयोग व अन्य	1294/2012
48.	रिट संख्या-653/2011 सुषमा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1295/2012
49.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2013 के सम्बन्ध में शिफारशी प्रकरण	1335/2012
50.	रिट संख्या-81/2012 विश्व सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में	1355/2012
51.	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के त्रि0प0 सामान्य निर्वाच-2013 हेतु सूचना / प्रपत्र/परिणाम से सम्बन्धित	1395/2013
52.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2015 हेतु मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों के निर्धारण के सम्बन्ध में	1496/2013
53.	जनहित याचिका संख्या-140/2013 श्री ललीत मोहन पंत बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य	1523/2013
54.	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2014 हेतु निःशक्त एवं विकलांग जनो के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश	1563/2013
55.	निर्वाचन के शपथ पत्र और न्यायाधिक शपथ पत्र आयुक्तों द्वारा अवैधानिक तरीके से हस्त्यंक के सम्बन्ध में	1613/2014
56.	रिट संख्या-184/2014 श्री किशन सिंह भन्डारी बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1614/2014
57.	रिट संख्या-157/2014 श्री राजेश व्यास बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1615/2014
58.	रिट संख्या-154/2014 श्री सतीश रायत बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1616/2014
59.	रिट संख्या-185/2014 श्रीमकेश चतुर्वेदी बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1617/2014
60.	रिट संख्या-164/2014 श्री अशोक कुमार बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1618/2014
61.	रिट संख्या-2927/2013 श्री महेश पुत्र श्री खुशी राम बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1619/2014
62.	रिट संख्या-165/2014 श्री पंकज कुमार पुत्र श्री देवी प्रकाश बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1620/2014
63.	रिट संख्या श्री सरोज कुमार अवस्थी बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड तथा अन्य	1621/2014
64.	रिट संख्या-49/2014 श्री आशीष वेलवाल बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड व अन्य	1622/2014
65.	रिट संख्या-333/2014 श्रीमती गीता राणा बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एव अन्य के सम्बन्ध में	1631/2014
66.	पंचायत चुनाव सुधारों के सम्बन्ध में सुझाव	1632/2014
67.	रिट संख्या-284 आगनवाड़ी कार्यकर्त्री/सेविका कर्मचारी यूनियन बनाम राज्य सरकार उत्तराखण्ड व अन्य	1641/2014
68.	रिट संख्या-757/2014 तजलूस अहमद बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य	1664/2014
69.	रिट संख्या-688/2014 अतुल कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1665/2014
70.	स्पेशल अपील संख्या-104/2014 मान सिंह सैनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1666/2014
71.	रिट संख्या-737/2014 प्रमोद कुमार माटी एवं अन्य बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी व अन्य	1667/2014

72.	रिट संख्या- /2014 श्री हयाल सिंह अधिकारी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	1682/2014
73	रिट संख्या-1232 /2014 श्री गायी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1691/2014
74	रिट संख्या-78/2014 गणेश उपाध्याय बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1692/2014
75	रिट संख्या-1104/2014 कौलाश चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1693/2014
76	रिट संख्या-1044/2014 कर्नल समीत नयानी एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग एव अन्य।	1695/2014
77	रिट संख्या-351/2014 सरस्वती जोषी एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1696/2014
78	रिट संख्या-1211/2014 सलीम अहमद बनाम आयोग व अन्य।	1697/2014
79	रिट संख्या-1152/2014 दिलवाह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1698/2014
80	रिट संख्या-...../2014 अरुणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1699/2014
81	रिट संख्या-1700/2014 कृपाल सिंह मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1700/2014
82	रिट संख्या-1171/2014 डब्लु सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1701/2014
83	रिट संख्या-1710/2014 बीरेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1702/2014
84	रिट संख्या-199/2014 दिलवाह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1704/2014
85	रिट संख्या-197/2014 आगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सेविका संघ एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1705/2014
86	रिट संख्या-1708/2014 सुरजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1706/2014
87	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2008 में प्रतिभाग करने वाले प्रत्याषी जिनके द्वारा व्यय विवरण जमा नहीं किया आयोग द्वारा 2014 के निर्वाचन उन्हें अनर्ह किया गया।	1710/2014
88	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 हेतु प्रमुखों/उपप्रमुखों के निर्वाचन हेतु शासन को भेजे जाने वाला परामर्श।	1715/2014
89	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 हेतु अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचन हेतु शासन को भेजे जाने वाला परामर्श।	1716/2014
90	रिट संख्या-1320/2014 यज्ञदुर बनाम राज्यादि व अन्य।	1717/2014
91	रिट संख्या-1388/2014 किर्षोरी लाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1718/2014
92	रिट संख्या-1394/2014 भूपेन्द्र सिंह, नैनीताल बनाम राज्य व अन्य।	1719/2014
93	रिट याचिका संख्या-1378/(एम0एस0)/2014 विशु दत्त पाण्डे बनाम आयोग व	1723/2014
94	रिट याचिका संख्या-1383/(एम0एस0)/2014 महेश चन्द्र पाण्डे बनाम आयोग व	1724/2014
95	रिट याचिका संख्या-1369(एम0एस0)/2014 हेमलता हलधर बनाम आयोग व अन्य	1725/2014
96	रिट याचिका संख्या-1371(एम0एस0)/2014 मोहन चन्द्र बनाम आयोग व अन्य	1728/2014
97	रिट याचिका संख्या-1375(एम0एस0)/2014 हंसा देवी बनाम आयोग व अन्य	1727/2014
98	त्रि0प0सा0नि0-2014 के निर्वाचन में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा विवरण जमा किये जाने विषयक।	1733/2014
98	पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत, सदस्य जिला पंचायत के प्रतिनिधियों की सूचना के सम्बन्ध में।	1745/2014
99	12 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2014 ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक सम्बन्धी।	1748/2014
100	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2014 न्यायालय प्रकरण, देहरादून।	1755/2014
101	रिट याचिका संख्या-1449(एम0एस0)/2014 रविन्द्र जुगलान पौड़ी गढ़वाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	1762/2014
102	निर्वाचन याचिका संख्या-01/2014 दीपा देवी, जनपद चम्पावत बनाम एवं निर्वाचन अधिकारी व अन्य।	1764/2014
103	निर्वाचन याचिका संख्या-02/2014 भायना देवी, जनपद चम्पावत बनाम निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य	1765/2014

104	उत्तराखण्ड राज्य के 12 जनपदों में उपप्रधानों का सामान्य निर्वाचन-2014 पत्रावली।	1775/2014
105	क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की प्रथम बैठक पत्रावली	1776/2014
106	रिट याचिका संख्या-1817/2014 गोपाल सिंह बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त	1784/2014
107	रिट याचिका संख्या-1818/2014 योगेन्द्र सिंह मेहरा बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त	1785/2014
108	रिट याचिका संख्या-1819/2014 श्रीमती गीता बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त एण्ड अन्य	1786/2014
109	रिट याचिका संख्या-1820/2014 लता गोस्वामी बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त	1787/2014
110	रिट याचिका संख्या-1821/2014 गंगा दत्त बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त	1788/2014
111	रिट याचिका संख्या-1822/2014 बनेश्वर सिंह गिश्त बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त	1789/2014
112	रिट याचिका संख्या-1823/2014 आनन्दी देवी बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त	1790/2014
113	रिट याचिका संख्या-1824/2014 भुवनेश्वर पोखरिया बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त	1792/2014
114	चुनाव वार्ड संख्या-02/2014 श्री गोपाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य।	1804/2014
115	रिट याचिका संख्या-1723/2014 श्रीमती मंजूता बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1805/2014
116	रिट याचिका संख्या-11692/2014 श्रीमती सुनीता देवर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व	1806/2014
117	रिट याचिका संख्या-1875/2014 राजेश बलूनी बनाम डिप्लोमेट एण्ड अन्य	1807/2014
118	रिट याचिका संख्या-1320/2014 आई बहादुर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1808/2014
119	रिट याचिका संख्या-1812/2014 विमला नौटियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1821/2014
120	रिट याचिका संख्या-1337/2014 लक्ष्मण बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	1822/2014
121	चुनाव याचिका संख्या-02/2014 श्री गोविन्द सिंह दानू बनाम हरीश ऐलानी व अन्य	1841/2014
122	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2014 के पश्चात रिक्त रह गये प्रधान/सदस्य, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के पदों/स्थानों का उपनिर्वाचन	1843/2014
123	विधान सभा में उठाये गये प्रश्नों के समबन्ध में।	1863/2014
124	जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन-2016 परिसीमन/आरक्षण सम्बन्धी पत्रावली।	1881/2015
125	रिट याचिका संख्या-03 वर्ष 2015 श्रीमती शान्ति देवी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	1885/2015
126	जनपद हरिद्वार के सामान्य निर्वाचन-2016 विस्तृत पुनरीक्षण पत्रावली	1892/2015
127	रिक्त पदों/स्थानों की सूचना माह अप्रैल/मई-2015	1909/2015
128	जनपद हरिद्वार में उप प्रधान, ग्राम पंचायत का सामान्य निर्वाचन-2016	2047/2016
129	रिट याचिका सं0 652 एफ0एस0 2016 श्री अरुण कुमार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग	2051/2016
130	12 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पद/स्थानों का उप निर्वाचन माह	2053/2016
131	रिट याचिका सं0-2669 श्रीमती जयोदा राणा बनाम विमला नौटियाल व अन्य	2109/2016
132	समस्त 13 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन विषयक	2111/2016
133	निर्वाचन याचिका संख्या-01/2014 पीतान्दी बनाम सुलेमान व अन्य	2117/2016
134	समस्त जनपदों में उप प्रधान, ग्राम पंचायत का उप निर्वाचन 2016	2119/2016
135	रिट संख्या-205/2016 श्री रविन्द्र जुगदान बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त	2133/2016
136	दिनांक 25 जनवरी मतदाता जागरूकता दिवस विषयक	2136/2016
137	समस्त जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पद/स्थानों पर उप निर्वाचन माह	2156/2017
138	जनपद अल्मोड़ा में ग्राम पंचायतों का पत्रावली एवं उप निर्वाचन	2156/2017
139	उप प्रधान का उप निर्वाचन माह जुलाई, 2017	2188/2017
140	रिट याचिका संख्या-703(एम0/एस0)2017 अरविन्द कुमार बनाम मुख्य निर्वाचन	2178/2017
141	रिट याचिका संख्या-1836(एम0/एस0)2011 श्रीमती सुमन बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं	2212/2017
142	रिट याचिका संख्या-91(पी0आई0एल0)2017 धर्मेन्द्र आर्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं	2215/2017
143	रिट याचिका संख्या-01/2017 कडकडडूमा कोर्ट दिल्ली	2219/2017
144	रिट याचिका संख्या-381(एम0/एस0)2014 श्रीमती सरस्वती जोषी एवं अन्य बनाम	2222/2017
145	रिट याचिका संख्या-2800(एम0/एस0)2014 दन्दन सिंह बिष्ट एवं अन्य बनाम	2223/2017

146.	13 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन माह नवम्बर-दिसम्बर, 2017	2229 / 2017
147.	समस्त जनपदों में उप प्रधान ग्राम पंचायत का उप निर्वाचन माह दिसम्बर, 2017	2241 / 2017
148.	रिट याचिका पत्र पत्रावली 2017 निर्देश पंवार	2243 / 2017
149.	प्रमुख एवं उप प्रमुख का उप निर्वाचन	2286 / 2017
150	उत्तराखण्ड राज्य में समस्त जनपदों में विभिन्न प्रकार रिक्त पदों के उप निर्वाचन मई 2018	2430 / 2018
151	त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन की तैयारी।	2434 / 2018
152	उप प्रधान ग्राम पंचायत के उप निर्वाचन जून-2018	2442 / 2018
153	रिट सं०-1148 एम०एच० श्रीमती सविता बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य।	2449 / 2018
154	चुनाव याचिका संख्या-80 / 2014 श्री इन्दर सिंह गेगी बनाम श्री राजेश नौटियाल व अन्य	2459 / 2018
155	पुनर्गठित ग्राम पंचायतों के सचिव में कार्यवाही।	2471 / 2018
156	त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पद/स्थानों पर उप निर्वाचन माह नवम्बर-दिसम्बर, 2018	2477 / 2018
157	पंचायत निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण की कार्यवाही।	2483 / 2018
158	रिट याचिका संख्या-3193 / 2018 श्री अभिषेक पंत बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य। रिट याचिका संख्या-3194 / 2018 बनाम श्री कविन्द्र सेनवाल बनाम रा०नि०आ० व अन्य।	2529 / 2018
159	उत्तराखण्ड राज्य के त्रिस्तरीय पंचायतों का पुनर्परीक्षण/पुनर्गठन एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का वियरण 2019	2564 / 2019
160	12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों/स्थलों की स्थापना।	2578 / 2019
161	रिट याचिका संख्या-513 / 2018 श्री रमेश सिंह मण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	2586 / 2019
162	जनहित याचिका संख्या-21 / 2019 श्री विपुल जैन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2590 / 2019
163	रिट याचिका संख्या-698 / 2019 श्री रविन्द्र जुगरान बनाम राज्य निर्वाचन आयोग।	2592 / 2019
164	रिट याचिका संख्या-918 / 2019 श्री दिनेश कमवाल बनाम कविन्द्र सेनवाल व अन्य।	2593 / 2019
165	रिट याचिका संख्या-867 / 2019 श्री मनोव वर्मा बनाम भारत निर्वाचन आयोग व अन्य।	2620 / 2019
166	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत के उप निर्वाचन-2019 से संबंधित	2623 / 2019
167	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु निर्देश प्रपत्रों का मुद्रण का निर्धारण	2633 / 2019
168	रिट याचिका संख्या-3030 / 2019 श्री अजय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2644 / 2019
169	रिट याचिका संख्या-1209, 1385, 1571 / 2019 श्री प्रकाश चन्द्र नाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2644 / 2019
170	जनपद हरिद्वार उप प्रधानों के निर्वाचन-2019 से संबंधित	2652 / 2019
171	जनपद हरिद्वार प्रमुख/उप प्रमुखों के निर्वाचन-2019 से संबंधित	2653 / 2019

172	रिट याचिका संख्या-1980 /2019 (एम0एस0) श्री लखन सिंह नाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2663 /2019
173	रिट याचिका संख्या-2058 /2019 श्री धमेन्द्र सिंह नाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2665 /2019
174	रिट याचिका संख्या-1980 /2019 दीपिका गौरा बनाम अंजलि राज्य व अन्य	2666 /2019
175	रिट याचिका संख्या-1973 /2019 (एम0एस0) श्री अनुज कौशल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2667 /2019
176	12 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2019 का परामर्श एवं अधिसूचना एवं कार्यवाही।	2668 /2019
177	रिट याचिका संख्या-101 /2019 (एम0एस0) श्री नईम अहमद बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2669 /2019
178	रिट याचिका संख्या- /2019 (एम0एस0) श्रीमती सुनीता थापा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2670 /2019
179	रिट याचिका संख्या-31 /2019 (एम0एस0) श्रीमती सुनीता रावत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2672 /2019
180	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु प्रेसक की नियुक्ति।	2675 /2019
181	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु निर्देश।	2677 /2019
182	त्रिस्तरीय पंचायत में नाम अपमार्जन/संशोधन/विलोपन के संबंध में।	2678 /2019
183	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु आर0ओ0/ए0आर0ओ0/सेक्टर/जोनल प्रभारियों की स्वीकृति के संबंध में।	2679 /2019
184	रिट याचिका संख्या-2302 /2019 (एम0एस0) श्रीमती पिकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2680 /2019
185	रिट याचिका संख्या-2335 /2019 (एम0एस0) श्रीमती गौकिया रहमान बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2681 /2019
186	रिट याचिका संख्या-2558 /2019 (एम0एस0) श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2692 /2019
197	रिट याचिका संख्या-130 /2019 (एम0एस0) श्री लाल बहादुर कुशवाह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2693 /2019
198	रिट याचिका संख्या-2564 /2019 (एम0एस0) श्री अजय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2694 /2019
199	रिट याचिका संख्या-849 /2019 (एम0एस0) श्री प्रेम सिंह नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2698 /2019
200	रिट याचिका संख्या-2719 /2019 (एम0एस0) श्रीमती भगवती देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2699 /2019
201	रिट याचिका संख्या-2753 /2019 (एम0एस0) श्रीमती परवीन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2701 /2019
202	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 में आदर्श आचरण संहिता संबंधी पत्रावली।	2702 /2019

203	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य / उप निर्वाचन-2019 संबंधी पत्रायली।	2703 / 2019
204	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य / उप निर्वाचन-2019 हेतु मतगणना टेबुलों की स्वीकृति संबंधी पत्रायली।	2704 / 2019
205	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु संवेदनशील / अति संवेदनशील मतगणना केन्द्रों / स्थलों के संबंध में।	2708 / 2019
206	रिट याचिका संख्या- / 2019 (एम0एस0) श्रीमती पिकी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2709 / 2019
207	रिट याचिका संख्या-2822 / 2019 (एम0एस0) श्री सुतेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2710 / 2019
208	रिट याचिका संख्या-2820 / 2019 (एम0एस0) श्रीमती वदना आर्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2711 / 2019
209	रिट याचिका संख्या-2843 / 2019 (एम0एस0) श्रीमती सर्वजीत कौर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2712 / 2019
210	रिट याचिका संख्या-2835 / 2019 (एम0एस0) श्री सचिन राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2713 / 2019
211	रिट याचिका संख्या-2875 / 2019 (एम0एस0) श्री रूप सिंह थापा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2714 / 2019
212	रिट याचिका संख्या-2873 / 2019 (एम0एस0) श्री ज्योति बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2715 / 2019
213	रिट याचिका संख्या-2931 / 2019 श्री आनन्द बल्लभ जोशी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2717 / 2019
214	रिट याचिका संख्या-2885 / 2019 श्रीमती शोभा देवी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2718 / 2019
215	रिट याचिका संख्या-2876 / 2019 श्रीमती आशा विष्ट बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2719 / 2019
216	रिट याचिका संख्या-2888 / 2019 श्रीमती गायत्री देवी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2720 / 2019
217	रिट याचिका संख्या-2902 / 2019 श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2721 / 2019
218	रिट याचिका संख्या-2982 / 2019 श्रीमती आशा गिरी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2725 / 2019
219	रिट याचिका संख्या-2981 / 2019 श्रीमती गोदावरी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2726 / 2019
220	रिट याचिका संख्या-2923 / 2019 श्री मोहन सिंह मेहरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2726 / 2019
221	रिट याचिका संख्या-2955 / 2019 श्रीमती मधु चौबे, नैनीताल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2730 / 2019
222	रिट याचिका संख्या-3046 / 2019 श्री धन सिंह धामी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2731 / 2019
223	रिट याचिका संख्या-3001 / 2019 श्री दिलीप सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2732 / 2019

224	रिट याचिका संख्या-3026/2019 श्री गोपाल राम बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2733/2019
225	12 जनपदों में क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/ज्येष्ठ प्रमुख /कनिष्ठ प्रमुख के सामान्य निर्वाचन-2019	2736/2019
226	12 जनपदों अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के सामान्य निर्वाचन-2019	2737/2019
228	विस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 के पश्चात रिक्त पदों की सूचना।	2738/2019
228	रिट याचिका संख्या-2882, 2693, 2710, 2707, 879/2019 श्री गोपाल राम, मो० असलम, राजेन्द्र सिंह सिष्ट, आशीष रावत, मो० असलम बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2740/2019
229	रिट याचिका संख्या-2884, 2588, 2654, 2700, 2593, 2588, 2587, 2687, 2867, /2019 श्री सुरेश गंगवार, अनवर अली, रंजीत सिंह, तारक पण्डित, मदन पाल सिंह, रोशन लाल, अशोक कुमार, सौरभ कुमार, मो० आरिफ बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2741/2019
230	रिट याचिका संख्या-880, 2767/2019 श्री सुदर्शन सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2742/2019
231	रिट याचिका संख्या-2754, 2711, 2743, 2662/2019 श्री केसर सिंह, श्री दीपक सिंह, प्रकाश चन्द्र, श्री मनोज सिंह, बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2743/2019
232	रिट याचिका संख्या-2937, 2926/2019 श्रीमती मजू देवी, श्री अनिल सिंह शाही बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड राज्य	2744/2019
233	रिट याचिका संख्या-2866, 2892/2019 श्री रूकसार अहमद, श्रीमती जानकी देवी बनाम राज्य निर्वाचन आयोग बनाम अन्य	2745/2019
234	रिट याचिका संख्या-2883, 2899, 2887, 2873/2019 देवेश नौटियाल, जगदीश पंवार, गोपाल दत्त, दीपक भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2746/2019
235	शिकायती प्रकोष्ठ के संबंध में।	2754/2019
236	रिट याचिका संख्या-3017/2019 श्री देवेन्द्र सिंह पंवार बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2769/2019
237	रिट याचिका संख्या-3099/2019 श्री फोजान इलादी बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2770/2019
238	रिट याचिका संख्या-3100/2019 श्री देवेन्द्र नौटियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2771/2019
239	रिट याचिका संख्या-3193/2019 श्री जानन्द मल बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2773/2019
239 240	रिट याचिका संख्या-3078/2019 श्री विजय कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2774/2019
240 241	रिट याचिका संख्या-3133/2019 वित्त अधिकारी संघ बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2775/2019

260-262	रिट याचिका संख्या-3171/2019 श्रीमती अनिता विश्वास बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2825/2019
263	रिट याचिका संख्या-3332, 3350, 3633, 3333, 3343/2019 श्री मुसाहिर अहमद, अंजू देवी, श्रीमती सुनीता, खुशीद अहमद, मौहम्मद आसिफ बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2826/2019
264	जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 में परिसीमन के संबंध में।	2831/2019
265	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में उप प्रधान के सामान्य निर्वाचन के संबंध में।	2836/2019
266	रिट याचिका संख्या-2950, 2951, 3744/2019 श्री अमर सिंह, श्री अशोक कुमार, श्री गुरमीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2837/2019
267	रिट याचिका संख्या-3781, 3780, 3387, 3734, 3698/2019 श्रीमती सरोजनी देवी, स्वाती, मनीषा, अंजना, सोनम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2838/2019
268	रिट याचिका संख्या-3895/2019 श्रीमती चन्द्र प्रभा देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	2839/2019
269	रिट याचिका संख्या-85/2020 दीपक कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2848/2020
268-270	रिट याचिका संख्या-664, 372, 533, 490/2019 श्री बाबूराम, श्री आईसा, श्री सुरेन्द्र सिंह राणा, श्री दर्शनी देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2876/2020
269-271	रिट याचिका संख्या-85/2020 आकाश गहलोत बनाम राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड	2895/2020
270-272	उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में उप निर्वाचन	2910/2020
273	जनपद हरिद्वार के पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामवली का विस्तृत पुनरीक्षण	2912/2020
274	रिट याचिका संख्या-1398/2020 उषा देवी भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2929/2020
275	पंचायत निर्वाचन/उप निर्वाचन हेतु कोविड-119के अन्तर्गत निर्देश	2947/2020
276	अपील संख्या-179/2020 कमलजीत कौर बनाम उमा त्रिपाठी	2952/2020
277	शीतल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, उप जिलाधिकारी कोट, विकासनगर	2963/2021
278	रिट याचिका संख्या-225/2021 सरताज जहाँ बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2974/2021
277	रिट याचिका संख्या-496/एम.एस. सुरेन्द्र सिंह राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य	2983/2020
278	रिट याचिका संख्या-2992/2019 अकराबी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	3087/2022
279	रिट याचिका संख्या-673/22 साजिद बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	4005/2022
280	रिट याचिका संख्या-1025/22 नन्दन सिंह बनाम हेमा गौड़ा	4015/2022
281	रिट याचिका संख्या-1151/22 हुस्न बागो बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	4016/2022
282	रिट याचिका संख्या-1460/22 सर्वेश बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	4017/2022
283	प्रेक्षकों की तैनाती पंचायत 2022 हरिद्वार	4019/2022
284	रिट याचिका संख्या-1401/2022 अभिलाषा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	4021/2022
285	जनपद हरिद्वार त्रि०प०नि०-2022 की अधिसूचना	4024/2022
286	जनपद हरिद्वार त्रि०प०नि०-2022 हेतु निर्देश	4026/2022
287	रिट याचिका संख्या-87/2022 रजन त्वागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	4030/2022

241 242	रिट याचिका संख्या-3367/2019 श्री नरेश सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग बनाम अन्य	2776/2019
243	रिट याचिका संख्या-3200/2019 श्री हरपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2777/2019
244	रिट याचिका संख्या-1134/2019 श्री प्रदीप सिंह गुसाई बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2778/2019
245	रिट याचिका संख्या-3067/2019 श्री केशर सिंह धानी बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2779/2019
246	रिट याचिका संख्या-3061/2019 श्री अजय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2780/2019
247	रिट याचिका संख्या-3168/2019 श्रीमती अनिता देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2781/2019
248	रिट याचिका संख्या-3315/2019 सुरेन्द्र पागती बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2790/2019
249	रिट याचिका संख्या-3280/2019 सुमनलता बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2791/2019
248 250	रिट याचिका संख्या-3350/2019 श्री भूपेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2792/2019
249 251	जनहित याचिका संख्या-185/2019 श्री मोहित नेगी बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2793/2019
250 252	रिट याचिका संख्या-3369/2019 श्री सुधीर नौटियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2797/2019
253	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 व्यव विवरण के संबंध में।	2803/2019
254	रिट याचिका संख्या-3527/2019 श्री धनपाल सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2810/2019
255	रिट याचिका संख्या-3350/2019 श्री भूपेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2811/2019
256	उत्तराखण्ड राज्य के समस्त 13 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन माह दिसम्बर, 2019	2812/2019
257	जनपद हरिद्वार के रिक्त अध्यक्ष जिला पंचायत के पद का उप निर्वाचन-2019	2813/2019
258	रिट याचिका संख्या-3000/2019 श्री श्वेता देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2817/2019
259	रिट याचिका संख्या-3625/2019 श्रीमती रेखा पुण्डीर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	2819/2019
260 260	रिट याचिका संख्या-3667/2019 श्री योगेन्द्र कुमार सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य बनाम अन्य	2820/2019
260 261	विशेष अपील संख्या-1000/2019 कमल जीत कौर बनाम उमा त्रिपाठी व अन्य	2824/2019

288	रिट याचिकासंख्या-1689,1692,1693,1698,1691,1700,1705,1708,1717,1719, 1745, 1763, 1769,1773,1774,1775,1786,1796,1797,1800,1802 बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	4032 / 2022
289	जनपद हरिद्वार त्रि०प०नि०-2022 शिकायत	4033 / 2022
290	पंचायतीराज से संबंधित दैतफ	4035 / 2022
291	जनपद हरिद्वार त्रि०प०नि०-2022 हेतु कन्ट्रोल रूम संबंधी	4039 / 2022
292	जनपद हरिद्वार त्रि०प०नि०-2022 जि०ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष	4042 / 2022
293	जनपद हरिद्वार त्रि०प०नि०-2022 प्रमुखों का निर्वाचन	4043 / 2022
294	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/प्रमुखों का निर्वाचन	4044 / 2022
295	विशेष रिट याचिका संख्या-322 / 2022 दीनदयाल बनाम रा०नि०आ० व अन्य	4047 / 2022
296	रिट याचिका संख्या-2224 / 2022 गुरुकुल कांगड़ी बनाम रा०नि०आ० व अन्य	4048 / 2022
297	रिट याचिका संख्या-2348 / 2022 नरेन्द्र कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	4049 / 2022
298	शिकायत प्रकोष्ठ का गठन	4050 / 2022
299	रिट सं०- 554,2261,2257,2248,2343 एवं 1896 / 2022	4051 / 2022
300	पंचायतों के रिक्त पदों का उप निर्वाचन 2022	4053 / 2022
301	रिजिल निगरानी सं०-58 / 2022 अभिनव बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	4055 / 2022
302	पंचायत निर्वाचन हरिद्वार 2022 निर्वाचन लेखा व्यय	4057 / 2022
303	रिट सं०- 153,2267,1721,2996 एवं 1798 / 2022	4067 / 2022
304	हरिद्वार के उप प्रधान का निर्वाचन 2023	476 / 2023

निर्वाचन अनुभाग-3 (नागर निकाय/जिला योजना समिति निर्वाचन) में संरक्षित पत्रावलियों की सूची

1.	नागर निकाय उप निर्वाचन	1049/2009
2.	नागर स्थानीय निकाय से सम्बन्धित विविध पत्राचार	1113/2010
3.	वेबसाइट/इण्टरनेट हेतु नागर निकाय एवं जिला योजना समिति से संबंधित सन्दर्भ/सूचनाएं	1115/2010
4.	नागर निकाय/जिला योजना समिति से संबंधित आर०टी०आई० विषयक सूचनाएं	1116/2010
5.	राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड के शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों की सूचना	1118/2010
6.	मा० उच्चतम/उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्ण/आदेश	1131/2010
7.	वाद संख्या-181 / 2008 नानक चन्द्र आदि बनाम राज्य एवं अन्य	1136/2010
8.	वाद संख्या-185 / 2008 वहीदुल्ला खान बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1137/2010
9.	वाद संख्या-196 / 2008 जोध सिंह बोरा बनाम युनियन आफ अण्डिया	1138/2010
10.	वाद संख्या-45 / 2008 सुनीता देवी बनाम रा०नि०आ० व अन्य	1139/2010
11.	वाद संख्या-48 / 2008 मकेश चन्द्र आर्य बनाम आर०ओ० व अन्य	1140/2010
12.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचक नामावली/मतदाता सूची का पुनरीक्षण-2011	1142/2010
13.	सौराविरट जनता पार्टी उत्तराखण्ड का पंजीकरण/पत्राचार	1151/2010

14.	राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संबंध में जिज्ञासाएं एवं पत्राचार	1186/2011
15.	नागर स्थानीय निकाय/जिला योजना समितियों आदि से संबंधित शिकायतों का निस्तारण	1187/2011
16.	जिला योजना समिति उप निर्वाचन-2011 जनपद-हरिद्वार	1193/2011
17.	विभिन्न शिकायती पत्रावली	1208/2011
18.	नागर स्थानीय निकाय/जिला योजना निर्वाचन समिति कक्ष-प्रगति प्रतिवेदन एवं मुद्रण	1217/2011
19.	नागर निकाय/जिला योजना समिति अनुभाग के कार्यक्रमों के निस्तारण का कलेण्डर	1220/2011
20.	नागर स्थानीय निकायों के नक्शे	1222/2011
21.	नागर स्थानीय निकायों का परिसीमन/कार्यवाही	1223/2011
22.	समाजवादी पार्टी का 'अमान्यता प्राप्त दल' के रूप में पंजीकरण	1237/2011
23.	विविध बेटक ना0स्थानि0निर्देश	1256/2011
24.	नागर निकाय निर्वाचन-2013 के निर्वाचन हेतु नाम-निर्देशन पत्रों का मूल्य, अधिकतम व्यय सीमा तथा जमानत की धनराशि का निर्धारण	1258/2011
25.	नागर स्थानीय निकायों का परिसीमन/आरक्षण निकाय निर्वाचन-2013 हेतु	1259/2011
26.	नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण	1260/2011
27.	नागर स्थानीय निकायों का निरीक्षण आख्या/परिसीमन	1261/2011
28.	नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2013 हेतु निकायों के नजरी नक्शा तैयार किया जाना	1280/2012
29.	नागर निकाय उप निर्वाचन-2012	1289/2011
30.	नागर पंचायत मुनिकीरती के अध्यक्ष पद का उप निर्वाचन-2012	1348/2012
31.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों का विवरण	1376/2013
32.	भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत दलों की सूचना	1382/2013
33.	नागर निकाय निर्वाचन से सम्बन्धित प्रारूपों का मुद्रण/प्रेषण	1388/2013
34.	उत्तराखण्ड जन कान्त दल का पंजीकरण	1390/2013
35.	नागर निकाय निर्वाचन से सम्बन्धित प्रपत्रों का मुद्रण	1391/2013
36.	नागर निकाय निर्वाचन-2013 निर्वाचक नामावली विस्तृत पुनरीक्षण	1402/2013
37.	रिट याचिका सं0-281 मनमोहन सिंह धनाई बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य	1403/2013
38.	रिट पिटिशन 323/13 संलग्न 261/13 अनुराग सारवत शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1406/2013
39.	रिट पिटिशन 323/13 श्री महावीर चौहान तथा अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एण्ड अदर	1408/2013
40.	नागर निकाय निर्वाचन-2013 से सम्बन्धित निर्देश एवं कार्यवाही	1410/2013
41.	नागर निकाय निर्वाचन-2013 में इ.ती.एन. से संबंधित निर्देश एवं कार्यवाही	1411/2013
42.	ई0वी0एम0 से निर्वाचन सम्बन्धी निर्देश-कार्यवाही	1414/2013
43.	नि0आ0/अ0नि0आ0 तथा जौनल मजिस्ट्रेट का निर्वाचन कार्य हेतु दायित्वों का निर्धारण	1415/2013
44.	उत्तराखण्ड कान्तिदल का पंजीकरण	1416/2013
45.	निर्वाचक नामावली के नाम परिवर्द्धन, विलोपन तथा संशोधन	1417/2013
46.	नागर निकाय निर्वाचन-2013 की एन0आइ0सी से सम्बन्धित सूचना	1418/2013
47.	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2013 से सम्बन्धित शिकायतों के सम्बन्ध में	1419/2013
48.	निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जिज्ञासा/निस्तारण	1420/2013
49.	आचार संहिता प्रभावी के फलस्वरूप स्वीकृतियां	1421/2013
50.	रिट याचिका संख्या-789, 802, 807, 808, 810, 812 व 815/2013	1424/2013
51.	नागर निकाय निर्वाचन 2013 हेतु मतगणना केन्द्रों का चिन्तीकरण	1440/2013
52.	नागर पंचायत गंगोत्री, केदारनाथ, बदनाथ की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण वर्ष 2013	1443/2013
53.	रिट पिटिशन 783/2013 श्रीमती अनिता आदि बनाम उत्तराखण्ड सरकार व अन्य	1444/2013
54.	नागर निकाय सामान्य निर्वाचन-2013 के निर्वाचन परिणाम/नागर निकाय गठन	1447/2013

	की अधिसूचना	
55.	उप नगर प्रमुख, नगर निगम का निर्वाचन	1450/2013
56.	जिला योजना समिति का निर्वाचन	1452/2013
57.	अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुत ना०नि०निर्वा०-2013	1453/2013
58.	चुनाव याचिका संख्या-83/2013 श्रीमती मुमताज बनाम श्रीमती पीना विष्ट देहरादून	1470/2013
59.	चुनाव याचिका संख्या-84/2013 बृज मोहन बनाम कमली भट्ट देहरादून	1471/2013
60.	याचिका संख्या-81/2013 अजय तिवारी बनाम राजेश चौधरी देहरादून	1476/2013
61.	परामर्श/निर्वाचन-2013 (गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ)	1477/2013
62.	निर्वाचन याचिकाएँ-नागर निकाय निर्वाचन-2013 पंचास्थानि चुनावालय, देहरादून(सं०-75, 71, 83/2013)	1481/2013
63.	ना० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर याचिकाएं रिट पिटीशन सं० 1468/2011 तथा रिट पिटीशन सं०-1481/2011 आयुष चिकित्सा विभाग	1468/2013
64.	निर्वाचक नामावली में मतदाताओं के नाम परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन करना	1501/2013
65.	रिट याचिका संख्या-94/2013 गुरमीतसिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य	1512/2013
66.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2014 से सम्बंधित शिकायतें	1601/2014
67.	त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2014 विविध अनुमति	1602/2014
68.	नगर निकाय/जिला योजना समिति निर्वाचन (नागर निकाय परिसीमन एवं आरक्षण की कार्यवाही)	1603/2014
69.	रिट पिटीशन सं०-263/2014 मोहम्मद परवेज एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1610/2014
70.	नागर निकाय उप निर्वाचन-2014	1824/2014
71.	रिट पिटीशन सं०-1860/2014 राम बाबू बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1826/2014
72.	श्री हन्नी कुमार कुमार अद्वयल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1828/2014
73.	नागर निकाय उप निर्वाचन-2015 (सदस्य पद वार्ड सं-2)ना०पा०परि० मसुरी	1884/2015
74.	रिट याचिका संख्या-247/2015 कालूराम बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य	1886/2015
75.	नागर स्थानीय निकाय से संबंधित संशोधित आदेश	1889/2015
76.	रिट याचिका संख्या-1041(एम/एस)/2015 त्रपन सिंह एवं अन्य	1918/2016
77.	नागर निकाय उप निर्वाचन-2015	1928/2015
78.	अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति उप निर्वाचन-2014-2015	1933/2015
79.	याचिका संख्या-549/2001 सुबोधिनी थपलियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	1961/2015
80.	श्री हरपाल मौर्य अध्यक्ष/सचिव, भारतीय जनसेवा पार्टी, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार	1963/2015
81.	नगर निगमों के उप नगर प्रमुख के पद/स्थान का सामान्य निर्वाचन-2015	1965/2015
82.	आदर्श आधार सहित उत्सर्जन संबंधी पत्रावली	1984/2015
83.	रिट याचिका संख्या-133(एम/एस)श्रीमती अनुराध राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2021/2015
84.	रिट पिटिशन (पी.आई.एस.)नं०-2 ऑफ 2016 नरेन्द्र सिंह राणा बनाम उ०राज्य व अन्य	2032/2015
85.	रिट पिटिशन (पी.आई.एस.)नं०-12 ऑफ 2016 श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह असवाल बनाम उत्तराखण्ड सरकार एवं अन्य	2042/2015
86.	रिट याचिका सं-852 श्री जैनु बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य	2052/2016
87.	ना० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दि० 10.07.16 के अनुपालन में पत्रावली	2076/2016
88.	रिट सं०-1431 वर्ष 2016 अनीता बहल बनाम रजनीश सेठी	2085/2016
89.	जनपद घमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत राजस्व ग्राम बल्ली का परीसीमन एवं निर्वाचन कराये जाने विषयक	2099/2016
90.	अनुभाग-3 में सैन्य कर्मिकों में कार्य विभाजन संबंधी पत्रावली	2181/2017
91.	रिट संख्या-1488/2017 निखिल कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	2189/2017

92	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2018 हेतु विभिन्न निर्देश पुस्तिकाओं का मुद्रण	2199 / 2017
93	आन आदमी पार्टी, उत्तराखण्ड	2230 / 2017
94	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2018 में बैठक संबंधी पत्रावली।	2238 / 2017
95	श्री भगवत प्रसाद नैनीताल, बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	2240 / 2017
96	जमानत/नाम निर्देशन सम्बन्धी पत्रावली निकाय सामान्य निर्वाचन-2018	2242 / 2017
97	विस्तृत पुनरीक्षण नगर पालिका बागेश्वर, जनपद-बागेश्वर।	2254 / 2018
98	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2018 में मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों की स्वीकृति पत्रावली	2265 / 2018
99	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2018 हेतु नामांकन पत्र एवं अन्य प्रपत्रों संबंधी पत्रावली	2266 / 2018
100	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2018 से संबंधित परिसीमन की अन्तिम अधिसूचना।	2280 / 2018
101	मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में खोजित नागर निर्वाचन/परिसीमन पत्रावली।	2283 / 2018
102	नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन-2018 में प्रेक्षकों की नियुक्ति हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची संबंधी पत्रावली।	2295 / 2018
103	जनपद टिहरी गढ़वाल के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन	2440 / 2018
104	जनपद दिधौरागढ़ के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन	2441 / 2018
105	जनपद अल्मोड़ा के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन	2444 / 2018
106	जनपद नैनीताल के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन	2452 / 2018
107	खोई पत्रावलियों के संबंध में अन्य अनुभागों में पत्राचार।	2460 / 2018
108	नागर निकायों के प्रशासक नियुक्ति के संबंध में रिट याचिकाएँ संबंधी	2461 / 2018
109	अतारंकित विधानसभा प्रश्न संख्या-26 संबंधी पत्रावली।	2465 / 2018
110	जनपद हरिद्वार के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन	2467 / 2018
111	जनपद चमोली के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन	2469 / 2018
112	जनपद धर्मशायत के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन	2470 / 2018
113	भारतीय अतिक्रमण पार्टी के संबंध में कार्यवाही पत्रावली	2471 / 2018
114	रिट याचिका संख्या-2680/एम0एस0/2018 श्री जगदीश सिंह बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2473 / 2018
115	नगर निगम रुद्रपुर के पार्श्व पट्टों की अनई के संबंध में।	2476 / 2018
116	रिट याचिका संख्या-1280/एम0एस0/2018 श्री जयदेव सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2482 / 2018
117	नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2018 में आधार संहिता का अनुपालन एवं स्वीकृति के संबंध में।	2485 / 2018
118	नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2018 से संबंधित शिकायत पत्रावली।	2486 / 2018
119	नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2018 के निर्वाचक परिणाम/गठन की पत्रावली।	2487 / 2018
120	जनपद रुद्रप्रयाग के नागर निकाय निर्वाचन क्षेत्रों में नाम परिवर्द्धन/संशोधन/अपमार्जन	2489 / 2018
121	नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2018 से संबंधित जनपदों से प्राप्त मतगणना संबंधी सूचना पत्रावली।	2492 / 2018
122	रिट याचिका संख्या-3124/एम0एस0/2018 श्री देवेन्द्र कुमार बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2502 / 2018
123	रिट याचिका संख्या-3277/एम0एस0/2018 श्रीमती जशोदा राणा बनाम राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य	2504 / 2018

124	रिट याचिका संख्या-3265/एम0एस0/2018 श्री सुगन्ध सेनी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2505/2018
125	रिट याचिका संख्या-3171/एम0एस0/2018 श्री महेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2506/2018
126	रिट याचिका संख्या-3166/एम0एस0/2018 श्री महेन्द्र कुमार चर्मोली बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2507/2018
127	रिट याचिका संख्या-3163/एम0एस0/2018 श्री गौरव खुराना बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2508/2018
128	रिट याचिका संख्या-3162/एम0एस0/2018 श्री सदीप अनेजा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2509/2018
129	रिट याचिका संख्या-3161/एम0एस0/2018 श्री संजय गुप्ता बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2510/2018
130	रिट याचिका संख्या-3147, 195,868/एम0एस0/2018 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2511/2018
131	रिट याचिका संख्या-3154/एम0एस0/2018 श्रीमती जसवीर कौर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2512/2018
132	रिट याचिका संख्या-3265/एम0एस0/2018 श्रीमती कंचन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2513/2018
133	रिट याचिका संख्या-3173 एवं आदेश दिनांक 19.11.2018 की प्रति।	2517/2018
134	रिट याचिका संख्या-3150 एवं आदेश दिनांक 19.11.2018 की प्रति।	2518/2018
135	विभिन्न रिटों से संबंधित पत्रावली।	2519/2018
136	विशेष अपील संख्या-909 वर्ष 2018 अजय जयसवाल बनाम रिटनिंग आफिसर एवं अन्य	2520/2018
137	प्रस्तावित पत्र संबंधी पत्रावली।	2522/2018
138	श्री राजीव गुरुग पुत्र श्री सुनील गुरुग निवासी जाहडी गाँव, पो0-सिनीला, देहरादून।	2530/2018
139	राष्ट्रीय विचारक पार्टी पत्रावली।	2542/2018
140	रिट याचिका संख्या-2370/एम0एस0/2018 रियाज कुरैशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2555/2018
141	रिट संख्या-2680, 3181, 3351, 883, 3225, 1350, 873 वर्ष 2018 से संबंधित पत्रावली।	2557/2018
142	अधिकतम निर्वाचन व्यय विवरण पत्रावली।	2558/2018
143	नागर निगम निर्यायन-2018 में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवारों का ध्येय विवरण संबंधी पत्रावली।	2565/2018
144	रिट याचिका संख्या- 1195 (एम0एस0)/2019 श्री महेन्द्र वर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य	2625/2019
145	रिट याचिका संख्या- 735 (एम0एस0)/2019 श्री रामकृपाल गौतम बनाम उत्तराखण्ड राज्य	2627/2019
146	नगर निगम, ऋषिकेश के समासद पदों के उप नियोजन से संबंधित	2634/2019
147	रिट याचिका संख्या- 1557(एम0एस0)/2019 श्री जगदीश प्रसाद बनाम उत्तराखण्ड राज्य	2640/2019
148	रिट याचिका संख्या- 1743(एम0एस0)/2019 श्रीमती रीना गुप्ता बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2641/2019
149	रिट याचिका संख्या- 828, 1268.एम0एस0)/2019 श्रीमती जसवीर कौर, श्री जगत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2648/2019
150	श्रीमती रीनारानी पत्नी श्री कृष्ण कुमार वार्ड नं0-61 आमबरना तरला जिला-देहरादून।	2649/2019
151	रिट याचिका संख्या- 1337/2019 (एम0एस0) संबंधी पत्रावली।	2646/2019
152	नगर निगम, रुड़की के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश संबंधी पत्रावली।	2655/2019
153	रिट याचिका संख्या-2013/2019 (एम0एस0)एहसान बनाम नगर निगम हरिद्वार व अन्य	2684/2019

154	नागर स्थानीय निकाय-2018 के निर्वाचन से संबंधित प्रतिवेदन संबंधित।	2685 / 2019
155	रिट याचिका संख्या-2676 / 2019 (एम0एस0) श्रीमती गीता देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	2722 / 2019
156	नागर स्थानीय निकाय निकायों के निर्वाचनों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय विवरण के संबंध में।	2763 / 2019
157	रिट याचिका संख्या-3338 / 2019 श्री अभिवेक चन्द्र बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	2785 / 2019
158	सी0एम0 हेल्पलाइन शिकायती पत्रावली।	2821 / 2019
159	उत्तराखण्ड जनराज पार्टी से संबंधित पत्रावली।	2849 / 2020
160	रिट याचिका संख्या-633 / 2020 (एम0एस0) श्रीमती मुमताज बेगम बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	2875 / 2020
161	रिट याचिका संख्या-103 / 2020 प्रदीप भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	2896 / 2020
162	मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिकाओं की सूचना	2904 / 2020
163	कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत निर्वाचनों हेतु निर्देश	2957 / 2020
164	रिट याचिका संख्या-2540 / 2020 जगदीश प्रसाद अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य।	2961 / 2021
165	रिट याचिका संख्या-2450 / 2020 प्रताप सिंह करासी एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग।	2968 / 2020
166	राज्य निर्वाचन आयोगों से संबंधित पत्राचार	2979 / 2021
167	जनपद की रिट याचिकाओं के भुगतान संबंधी	2982 / 2021
168	रिट सं0-52 / 2021 नैयूलशान खान बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	3008 / 2021
169	जनपदों से प्राप्त जिजासाओं का निराकरण	3017 / 2021
170	रिट सं0-2006 / 2021 अकरम खानम बनाम रा0नि0आ0 उत्तराखण्ड व अन्य	3049 / 2021
171	मु0नि0आ0 से संबंधित शिकायतों का प्रेषण	3065 / 2021
172	रिट सं0-2759 / 2021 संजय जैन बनाम भा0नि0आ0 व अन्य	3071 / 2021
173	नागर निकाय आरक्षण संबंधी	4003 / 2022
174	रिट याचिका संख्या-1 / 2022 कनक धनई बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	4007 / 2022
175	रिट याचिका संख्या-1 / 2022 रवि वींगरा बनाम रा0नि0आ0 एवं अन्य	4008 / 2022
176	रिट याचिका संख्या-935 / 2022 प्रेमनाथ बनाम राज्य एवं अन्य	4009 / 2022
177	रिट -1065,3155,2857 व 1030 रा0नि0आ0 बनाम अन्य	4013 / 2022
178	अधिकतम निर्वाचन व्यय	4018 / 2022
179	हरिद्वार पंचायत निर्वाचन 2022 आचार संहिता स्वीकृति	4034 / 2022
180	अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण	4037 / 2022
181	रिट 2626 / 2022 पूनम देवी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य	4062 / 2022
182	मूजीय नैथानी सूचना का अधिकार पौड़ी	4068 / 2022

राज्य निर्वाचन आयोग के लेखा कक्ष में संरक्षित पत्रावलियों की सूची

क्र.सं.	पत्रावली/परिष्कार का नाम	शामिल संख्या	वित्तीय वर्ष
1	2	3	4
1.	मतपत्रों की छपाई का एग्रीमेंट	354	2001
2.	कर्मचारियों के वेतन निर्धारण	282	'
3.	विस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2001 में नियमित कर्मियों का दुर्घटना बीमा कराया जाना	82	'
4.	कालातीत विलों की स्वीकृति / कार्यवाही	283	'
5.	कुली एवं खच्चरों की दैनिक मजदूरी दरों का निर्धारण	133	'
6.	निर्वाचन नामावलियों की बिक्री आदि से संबंधित पत्र-व्यवहार	51	'
7.	नागर निकाय के निर्वाचन हेतु निर्धारित मानकों तथा मदवार स्वीकृत धनराशि विवरण की सूचना।	55	'
8.	सामान्य पत्राचार अग्रिम जमानत आदेश संबंधी पत्रावली	79	'

9.	राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) के निर्वाचन के लिये कार्यालय व्यय की लघु मदों के लिये स्थायी अग्रिम अग्रदाय लेखा रूपये 5000/- की स्वीकृति।	135	.
10.	त्रि.पं. एवं न.नि.निर्वाचनों में प्राप्त धनराशि को जमा करने हेतु लेखा श्रमिक का निर्धारण	50	.
11.	नागर निकाय हेतु मतपत्र	228	2002
12.	सामान्य भविष्य निर्वाह निधि अग्रिम स्वीकृति	230	.
13.	विधि कार्यवाही (लेखा)	276	.
14.	आयोग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन निर्धारण	231	.
15.	नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2002 में नियुक्त कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों तथा अन्य कर्मियों का दुघटना बीमा प्रीमियम से संबंधी	196	.
16.	कालापीत विलो की लेखा परीक्षण जांच एवं वित्त अधिकारी द्वारा स्वीकृति	322	.
17.	नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन/पंचायत सामान्य निर्वाचन-2003 के लिए मानकों का निर्धारण।	386	.
18.	निर्वाचन में हल्का नारता/पुलिस कर्मी रिजर्व कर्मी	193	.
19.	मतपेटिकाओं की आयलिंग, प्रीसिंग, मरम्मत	344	.
20.	पंचायत नागर निकायों की निर्वाचन नामावली की कम्प्यूटरकृत की कार्यवाही	312	.
21.	नामनिर्देशन पत्रों, जमानत एवं अन्य मदों में प्राप्त धनराशि	343	.
22.	पंचायत/नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन-2003 में प्रमुख घटनाओं की वीडियो ग्राफी	352	.
23.	संवर्द्धा कर्मियों की नियुक्ति आदेश	104	.
24.	पंचस्थाने चुनावालयों में कार्यरत अधिकारियों को मानदेय की स्वीकृति	282	.
25.	अनुभागों से प्राप्त पत्रों की प्रतियां वित्त अधिकारी अपलोकरनाथ	296	.
26.	जमानत पत्रावली	291	.
27.	गटने/मोटर साइकिल अग्रिम	328	.
28.	व्यय विवरण बी.एम.-13 वर्ष 2002-03 अनु.सं.-19 लेखाशीर्षक-2515 (07)	288	.
29.	व्यय विवरण बी.एम.-13 वर्ष 2002-03 अनु.सं.-19 लेखाशीर्षक-2515 (08)	260	.
30.	अनुपूरक बजट की मांग वर्ष 2003-04	474	2003-04
31.	आय-व्यय वर्ष 2004-2005	475	.
32.	विभिन्न मानक मदों में जनपदों को भुगतान संबंधी स्वीकृति/निर्देश	446	.
33.	राज्य निर्वाचन आयोग में विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्ष से संबंधी	302	.
34.	आयोग में कार्यरत नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों का वर्ष 2002-2003 का आयकर भुगतान	392	.
35.	बजट आवंटन वर्ष 2003-2004 अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2615 (08)	387	.
36.	बजट आवंटन वर्ष 2003-2004 अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2615 (07)	388	.
37.	बजट आवंटन वर्ष 2003-2004 अनुदान संख्या-13 लेखाशीर्षक-2217 (03)	386	.
38.	निर्वाचन सामग्री वाहन तथा अन्य मदों में अग्रिम की अदायगी	368	.
39.	निर्वाचन में वाहन व्यवस्था	370	.
40.	आकस्मिकता निधि से धनराशि घाटने बावत	341	.
41.	आकस्मिक सिकित्सा उपचार खिंट पत्रावली 2002-2003	356	.
42.	जनपद स्तर पर सामग्री क्रय स्वीकृति	378	.
43.	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तरांचल वाहन क्रय	485	.
44.	नागर निकाय निर्वाचन से संबंधित मदों की फीस के बावत	472	.
45.	जनपदों को भूकान किराया स्वीकृति	377	.

46.	रा०नि०आ० में पी०आर०डी० जयानो की तैनाती विषयक	342	.
47.	व्यय विवरण बी.एम.-13 वर्ष 2003-04 अनु.सं.-13 लेखाशीर्षक-2217 (03)	423	.
48.	व्यय विवरण बी.एम.-13 वर्ष 2003-04 अनु.सं.-19 लेखाशीर्षक-2515(07)	424	.
49.	व्यय विवरण बी.एम.-13 वर्ष 2003-04 अनु.सं.-19 लेखाशीर्षक-2615(08)	397	.
50.	प्रत्याशियों की जमाना संबंधी कार्यवाही	535	2004-05
51.	अन्तिम आधिक्य एवं बचत समर्पण वर्ष 2004-05 अनुदान संख्या-13 लेखाशीर्षक-2217 (03), अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2515 (06) (07)	543	.
52.	मानदेय वर्ष 2003-2004 / 2004-2005	485	.
53.	मुख्यालय में कार्यरत अधिकारियों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	517	.
54.	बजट आवंटन वर्ष 2004-2005 अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2515 (06) (07)	489	.
55.	बजट आवंटन वर्ष 2004-2005 अनुदान संख्या-13 लेखाशीर्षक-2217 (03)	490	.
56.	श्री जगदीश लाल बनाम जि.नि.अ. व अन्य (बीमा कलेम), चमोली	533	.
57.	विधि पत्र-व्यवहार (कोर्ट नोटिस) 60 सी.पी.सी.	600	.
58.	मुन्तज़ीरअली होमगार्ड / स्वयं सेवक 4920 कम्पनी मन्थर-10, हरिद्वार निर्वाचन ड्यूटी, बागेश्वर (बीमा कलेम)	520	.
59.	आयकर रिटर्न वर्ष 2004-2005	652	.
60.	बजट आवंटन वर्ष 2005-2006 अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2515(06)	489	2005-20 06
61.	बजट आवंटन वर्ष 2005-2006 अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2515(07)	489	.
62.	बजट आवंटन (नियुक्तन हरिद्वार) वर्ष 2005 अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2515 (07)	489	.
63.	बजट आवंटन अनुदान संख्या-13 लेखाशीर्षक-2217 (03)	490	.
64.	बजट प्रस्ताव 2005-06 पुनरीक्षित तथा वर्ष 2006-07 का आय-व्ययक अनुमान एवं नई मांग 2005-06	508	.
65.	बजट प्रस्ताव 2004-05 एवं 2005-06	508	.
66.	विभिन्न भुगतानों से संबंधित स्वीकृतियां/आदेश	583	.
67.	निर्वाचन में नियोजित कर्मियों, निजी व्यक्तियों व सुरक्षा कर्मियों का दुर्घटना बीमा	595	.
68.	विविध पत्राचार	572	.
69.	पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति	602	.
70.	महालेखाकार, उत्तरांचल द्वारा सम्मोक्षण (जिला स्तरीय)	584	.
71.	आयकर रिटर्न 2005-2006	652	.
72.	नियुक्तन-2005 हेतु भारत निर्वाचन आयोग की मतपेटियों का किराया भुगतान	565	.
73.	त्रिस्तरीय पंचायत-2005 हेतु लेखा संबंधी निर्देश	585	.
74.	प्रोअॉडिट बिलों/देयकों के सापेक्ष स्वीकृति संबंधी कार्यवाही	582	.
75.	महालेखाकार से विभागीय व्यय एवं प्रारिथों का स्थापन	577	.
76.	अनु०-13 लेखाशीर्षक-2217-80-001-03 बी.एम.-13	506	.
77.	अनु०-19 लेखाशीर्षक-2515-800 (06) बी.एम.-13	506	.
78.	अनु०-19 लेखाशीर्षक-2515-800 (07) बी.एम.-13	424	.
79.	अनुदान संख्या-19 लेखाशीर्षक-2515-800 (07) आकास्मिकता निधि-201 समेकित निधि को विनियोजन बी.एम.-13	588	.
80.	राज्य सूचना आयोग से संबंधित पत्र व्यवहार	614/2005	.
81.	कार्यालय प्रयोगार्थ स्टॉफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	615/2005	.
82.	मानदेय संबंधी पत्रावली-2005	619/2005	.
83.	आयोग वाहन हेतु डीजल क्रय	629/2005	.
84.	वाहन के इन्शोरेंस संबंधी	631/2005	.

85.	वित्तीय वर्ष 2006-07 का आय व्ययक लेखा शीर्षक 2515 (06) व (07)	632/2005
88.	वित्तीय वर्ष 2006-07 का आय व्ययक लेखा शीर्षक 2217 (03)	633/2005
87.	बैठक संबंधी लेखा अनुभाग	634/2005
88.	गाड़ियों का अनुरक्षण	636/2005
89.	पेसन मांग पत्र 2006-2007	662/2006
90.	बजट प्राप्त 2006-07 2515 (08)	666/2006
91.	बजट प्राप्त 2006-07 2515 (07)	667/2006
92.	बजट प्राप्त 2006-07 2217 (03)	668/2006
93.	जनपद स्तर के कारमिकों की चिकित्सा व्यय की स्वीकृति	670/2006
94.	सी.एम.-13 अनुदान संख्या-13	671/2006
95.	सी.एम.-13 अनुदान संख्या-19-07	672/2006
96.	सी.एम.-13 अनुदान संख्या-19-08	673/2006
97.	आतिथ्य व्यय पत्रावली	674/2006
98.	पी.ओ.एल. भुगतान 2006-2007	675/2006
99.	सूचना का अधिकार के अन्तर्गत 385 रसीद से प्राप्त घनराशि पत्रावली	679/2006
100.	16-व्यवसायिक सेवाओं के लिए	680/2006
101.	27-चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान	681/2006
102.	22-आतिथ्य व्यय 2006-2007	682/2006
103.	कार्यालय व्यय भुगतान 2006-2007	684/2006
104.	कार्यालय फर्नीचर भुगतान	686/2006
105.	कम्प्यूटर अनुरक्षण पत्रावली	690/2006
106.	विद्युत भुगतान 2006-2007	692/2006
107.	कम्प्यूटर अनुरक्षण भुगतान पत्रावली	699/2006
108.	फोटोकॉपीयर टोनर एवं मरम्मत पत्रावली	700/2006
109.	साइकिल मरम्मत पत्रावली वर्ष 2006-2007	703/2006
110.	सफाई आदि संबंधी सामग्री क्रय	704/2006
111.	बागवानी संबंधी पत्रावली	705/2006
112.	भवन कार्यालय हेतु बजट आदि	706/2006
113.	निर्वाचक नामावलिओं का डाटाबेस संबंधी	707/2006
114.	46-कम्प्यूटर क्रय भुगतान पत्रावली	708/2006
115.	महालेखाकार, उत्तराखण्ड 2006-2007	709/2006
116.	आय-व्ययक 2007-08	728/2006
117.	वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता की सूचना	737/2007
118.	चैक/ड्राफ्ट द्वारा भुगतान/आहरण वितरण संबंधी कार्यवाही	742/2007
119.	06-कार्यालय व्यय वाउचर 2007-08	743/2007
120.	09-विद्युत व्यय वाउचर 2007-08	744/2007
121.	13-टेलीफोन व्यय वाउचर 2007-08	745/2007
122.	15-गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल आदि व्यय वाउचर 2007-08	746/2007
123.	16-व्यवसायिक व्यय वाउचर 2007-08	747/2007
124.	17-किराया उपशुल्क कर स्वामित्व व्यय वाउचर 2007-08	748/2007
125.	27-चिकित्सा व्यय वाउचर 2007-08	749/2007
126.	रिकॉन्साईल शीट का 11-8 मिलान पत्रावली 2007-08	750/2007
127.	42- अन्य व्यय वाउचर 2007-08	751/2007
128.	04-यात्रा भत्ता व्यय वाउचर 2007-08	752/2007
129.	11-लेखन सामग्री प्रपत्र छपाई आदि व्यय वाउचर 2007-08	757/2007
130.	22-आतिथ्य व्यय वाउचर 2007-08	758/2007
131.	जनरेटर हेतु डीजल क्रय	760/2007
132.	10-जलकर/जल प्रसार व्यय वाउचर 2007-08	761/2007
133.	12-कार्यालय फर्नीचर व्यय वाउचर 2007-08	766/2007
134.	महालेखाकार से आयोग अभिलेखों के त्रिमासिक मिलान पत्रावली	767/2007

136.	बजट पत्रावली 2008-2009	791/2007
136.	टेलीफोन व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	815/2008
137.	कार्यालय व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	816/2008
138.	विद्युत व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	817/2008
139.	जलकेर व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	818/2008
140.	लेखन सामग्री व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	819/2008
141.	कार्यालय फर्नीचर व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	820/2008
142.	पोलिंग व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	821/2008
143.	व्यवसायिक व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	822/2008
144.	आतिथ्य व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	823/2008
145.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	824/2008
146.	अन्य व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	825/2008
147.	कम्प्यूटर क्रय व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	826/2008
148.	कम्प्यूटर अनुरक्षण व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	827/2008
149.	किराया व्यय भुगतान पत्रावली 2008-09	828/2008
150.	पालान पत्रावली वित्तीय वर्ष 2008-09	829/2008
151.	स्थायी अग्रिम 2008-09	831/2008
152.	08-कार्यालय व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	839/2008
153.	17-किराया उप शुल्क एवं कर स्वामित्व 2008-09	840/2008
154.	42-अन्य व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	841/2008
155.	राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की मांग 2515 (07)	845/2008
156.	राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि की मांग 2217 (03)	846/2008
157.	13-टेलीफोन व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	849/2008
158.	15-गाड़ियों का अनुरक्षण पेट्रोल खरीद आदि व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	850/2008
159.	रिकॉसिलेशन सीट का 11सी से मिलान	851/2008
160.	मासिक व्यय विवरण 2217 (03) वर्ष 2008-09 बी.एम.-8 एल बी.एम.-13	852/2008
161.	बी.एम.-8 एवं बी.एम.-13 2515 (07)	853/2008
162.	बी.एम.-8 एवं बी.एम.-13 2515 (08)	854/2008
163.	मानदेय-2008	861/2008
164.	चेक/ड्राफ्ट द्वारा भुगतान/आहरण वितरण राबिबी कर्मवाही पत्रावली 08-09	866/2008
165.	16-व्यवसायिक व्यय एवं विशेष सेवाओं के लिए 08-09 वाउचर्स पत्रावली	868/2008
166.	04-यात्रा भत्ता व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	877/2008
167.	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	882/2008
168.	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	883/2008
169.	रिट पिटेशन संख्या-57/2008 श्री रामप्रसाद पाण्डेय देहरादून बनाम शकेश मौर्य	884/2008
170.	09-विद्युत व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	898/2008
171.	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	899/2008
172.	रिट पिटेशन संख्या-88/2008 श्री आसाम पवार बनाम धर्मन्द्र ठाकुर, देहरादून	900/2008
173.	11-लेखन सामग्री एवं प्रपत्र छपाई व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	901/2008
174.	22-आतिथ्य व्यय वाउचर्स पत्रावली 2008-09	902/2008
175.	15-पोल 2008-09 लेखा	903/2008
176.	जमानत अवमुक्त किया जाना	923/2008
177.	आय व्यय 2515 (06) 2009-2010	955/2008
178.	आय व्यय 2515 (07) 2009-2010	956/2008

179.	आय व्यय 2217 (03) 2009-2010	957/2008
180.	कार्यालय व्यय पत्रावली	994/2009
181.	विद्युत व्यय पत्रावली	995/2009
182.	लेखन सामग्री व्यय पत्रावली	996/2009
183.	कार्यालय फर्नीचर व्यय पत्रावली	997/2009
184.	टेलीफोन व्यय पत्रावली	998/2009
185.	पीओओएलओ व्यय पत्रावली	999/2009
186.	18-व्यवसायिक सेवा व्यय पत्रावली	1000/2009
187.	22-आकस्मिक व्यय पत्रावली	1001/2009
188.	20-चिकित्सा व्यय पत्रावली	1002/2009
189.	42-अन्य व्यय पत्रावली	1003/2009
190.	46-कम्प्यूटर क्रय पत्रावली	1004/2009
191.	47-कम्प्यूटर क्रय पत्रावली	1005/2009
192.	आय-व्ययक 2010-11 पत्रावली	1065/2009
193.	आय-व्ययक प्रस्ताव 2011-12 पत्रावली	1119/2010
194.	आय-व्ययक 2012-13 पत्रावली	1242/2011
195.	अनुरक्षण व्यय की स्वीकृति	1252/2011
196.	विद्युत व्यय पत्रावली	1282/2012
197.	टेलीफोन व्यय पत्रावली	1283/2012
198.	पीओओएलओ स्वीकृति पत्रावली	1284/2012
199.	18-व्यवसायिक सेवाएं व्यय पत्रावली	1285/2012
200.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय स्वीकृति पत्रावली	1298/2012
201.	कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली	1299/2012
202.	प्रमाण पत्र सम्बन्धी पत्रावली	1327/2012
203.	22-आकस्मिक व्यय स्वीकृति पत्रावली	1339/2012
204.	आय-व्ययक 2013-14 पत्रावली	1351/2012
205.	आय-व्ययक 2013-14 2515 (07) पत्रावली	1368/2012
206.	आय-व्ययक 2013-14 2227 (03) पत्रावली	1369/2012
207.	त्रि० प० निर्वा० में उम्मीदवारों हेतु नाम निर्देश पत्रों/जामनतों/अधिकतम व्यय सीमा सम्बन्धी पत्रावली।	1378/2013
208.	कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली	1425/2013
209.	विद्युत व्यय स्वीकृति पत्रावली	1426/2013
210.	लेखन सामग्री व्यय पत्रावली	1427/2013
211.	कार्यालय फर्नीचर व्यय पत्रावली	1428/2013
212.	टेलीफोन व्यय पत्रावली	1429/2013
213.	पीओओएलओ व्यय पत्रावली	1430/2013
214.	व्यवसायिक सेवा व्यय पत्रावली	1431/2013
215.	आतिथ्य व्यय पत्रावली	1432/2013
216.	परीने राज-सज्जा	1433/2013
217.	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति पत्रावली	1434/2013
218.	अनुरक्षण व्यय की स्वीकृति	1435/2013
219.	अन्य व्यय पत्रावली	1436/2013
220.	कम्प्यूटर क्रय पत्रावली	1437/2013
221.	कम्प्यूटर क्रय अनुरक्षण	1438/2013
222.	रिटिपिटीशन सं०-1222-2013 शारदा ट्रेन्ड हाउस हरिद्वार के बेरिकेडिंग देयक भुगतान बाबत।	1480/2013
223.	आय-व्ययक 2013-15 पत्रावली	1536/2013
224.	आय-व्ययक 2013-14 2515 (07) पत्रावली	1541/2013
225.	आय-व्ययक 2013-14 2227 (03) पत्रावली	1542/2013
226.	कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली	1644/2014

227.	विद्युत व्यय स्वीकृति पत्रावली	1645/2014
228.	लेखन सामग्री व्यय पत्रावली	1646/2014
229.	कार्यालय फर्नीचर व्यय पत्रावली	1647/2014
230.	टेलीफोन व्यय पत्रावली	1648/2014
231.	पीओएल व्यय पत्रावली	1649/2014
232.	व्यवसायिक सेवा व्यय पत्रावली	1650/2014
233.	आतिथ्य व्यय पत्रावली	1651/2014
234.	मशीनें लाज-राफ़्ता	1652/2014
235.	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति पत्रावली	1653/2014
236.	अनुरक्षण व्यय की स्वीकृति	1654/2014
237.	अन्य व्यय पत्रावली	1655/2014
238.	कम्प्यूटर क्रय पत्रावली	1656/2014
239.	कम्प्यूटर अनुरक्षण	1657/2014
240.	राज्य आकस्मिकता निधि पत्रावली	1678/2014
241.	मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली 2014-15	1837/2014
242.	आय-व्ययक 2013-15 2515 (06) पत्रावली	1853/2014
243.	आय-व्ययक 2013-14 2515 (07) पत्रावली	1854/2014
244.	आय-व्ययक 2013-14 2227 (03) पत्रावली	1855/2014
245.	02-मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2015-16	1893/2015
246.	08-कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2015-16	1894/2015
247.	09-विद्युत व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16	1895/2015
248.	11-लेखन सामग्री वित्तीय वर्ष 2015-16	1896/2015
249.	12-कार्यालय व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16	1897/2015
250.	13-टेलीफोन व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16	1898/2015
251.	15-पीओएल व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16	1899/2015
252.	16-व्यवसायिक सेवाएं वित्तीय वर्ष 2015-16	1900/2015
253.	22-आतिथ्य व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16	1901/2015
254.	26-मशीन क्रय वित्तीय वर्ष 2015-16	1902/2015
255.	27-चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16	1903/2015
256.	29-अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2015-16	1904/2015
257.	42-अन्य व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16	1905/2015
258.	46-कम्प्यूटर क्रय वित्तीय वर्ष 2015-16	1906/2015
259.	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2015-16	1907/2015
260.	बीएम0-08 व 04 (2217)	1913/2015
261.	बीएम0-08 व 04 (2515)	1914/2015
262.	आय-व्ययक 2515(06) वित्तीय वर्ष-2016-17	1988/2015
263.	आय-व्ययक 2515(07) वित्तीय वर्ष-2016-17	1989/2015
264.	आय-व्ययक 2217(03) वित्तीय वर्ष-2016-17	1990/2015
265.	04-टी.ए. बिल स्वीकृति पत्रावली	2011/2015
267.	मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2054/2016
268.	यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2055/2016
269.	स्थानान्तरण यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2056/2016
270.	कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2057/2016
271.	विद्युत व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2058/2016
272.	लेखन सामग्री व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2059/2016
273.	कार्यालय फर्नीचर व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2060/2016
274.	टेलीफोन व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2061/2016
275.	फूल व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2062/2017
276.	व्यवसायिक सेवाएं व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2063/2017
277.	विज्ञापन व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2084/2016

278.	अतिरिक्त व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2065 / 2016
279.	मशीन क्रय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2066 / 2016
280.	चिकित्सा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2087 / 2016
281.	अनुरक्षण व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2068 / 2016
282.	अन्य व्यय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2089 / 2016
283.	कम्प्यूटर व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2070 / 2016
284.	कम्प्यूटर अनुरक्षण व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2016-17	2071 / 2016
285.	स्व0 श्री जगदीश चन्द्र, नैनीताल हेतु अनुग्रह राशि स्वीकृत	2086 / 2016
287.	आय व्ययक वित्तीय वर्ष-2017-18	2124 / 2016
288.	आय व्ययक 2515 (07) वित्तीय वर्ष-2017-18	2125 / 2016
289.	आय व्ययक 2517 (03) वित्तीय वर्ष-2017-18	2126 / 2016
290.	म10 वित्त मंत्री जी का बजट भाषण पत्रावली	2147 / 2017
291.	02 मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वर्ष-2017-18	2159 / 2017
292.	04 यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2017-18	2160 / 2017
293.	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2017-18	2161 / 2017
294.	08-कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2017-18	2162 / 2017
295.	09-विद्युत व्यय वित्तीय वर्ष-2017-18	2163 / 2017
296.	11-लेखन सामग्री वित्तीय वर्ष-2017-18	2164 / 2017
297.	12-कार्यालय फर्नीचर वित्तीय वर्ष-2017-18	2165 / 2017
298.	13-टेलीफोन व्यय वित्तीय वर्ष-2017-18	2166 / 2017
299.	15-पीओएसएल0 वित्तीय व वर्ष-2017-18	2167 / 2017
300.	16-व्यवसायिक सेवाये वित्तीय वर्ष-2017-18	2188 / 2017
301.	19-विज्ञापन व्यय वित्तीय वर्ष-2017-18	2189 / 2017
302.	26-मशीन क्रय वित्तीय वर्ष-2017-18	2170 / 2017
303.	27-चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय वित्तीय वर्ष-2017-18	2171 / 2017
304.	29-अनुरक्षण वित्तीय वर्ष-2017-18	2172 / 2017
305.	42-अन्य व्यय वित्तीय वर्ष-2017-18	2173 / 2017
306.	45-अपकाश यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2017-18	2174 / 2017
307.	46-कम्प्यूटर क्रय वित्तीय वर्ष 2017-18	2175 / 2017
308.	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2017-18	2176 / 2017
309.	शासन में बैठक संबंधी पत्रावली	2179 / 2017
310.	नगर स्थानीय निकाय निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने विषयक	2227 / 2017
311.	आय-व्ययक 2217 वित्तीय वर्ष-2018-19	2250 / 2018
312.	आय-व्ययक 2515(02) वित्तीय वर्ष-2018-19	2251 / 2018
313.	आय-व्ययक 2515(03) वित्तीय वर्ष-2018-19	2252 / 2018
314.	8000- आकास्मिकता निधि पत्रावली	2296 / 2018
315.	02 मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वर्ष-2018-19	2410 / 2018
316.	04 यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2018-19	2411 / 2018
317.	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2018-19	2412 / 2018
318.	08-कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2018-19	2413 / 2018
319.	09-विद्युत व्यय वित्तीय वर्ष-2018-19	2414 / 2018
320.	11-लेखन सामग्री वित्तीय वर्ष-2018-19	2415 / 2018
321.	12-कार्यालय फर्नीचर वित्तीय वर्ष-2018-19	2416 / 2018
322.	13-टेलीफोन व्यय वित्तीय वर्ष-2018-19	2417 / 2018
323.	15-पीओएसएल0 वित्तीय व वर्ष-2018-19	2418 / 2018
324.	16-व्यवसायिक सेवाये वित्तीय वर्ष-2018-19	2419 / 2018
325.	19-विज्ञापन व्यय वित्तीय वर्ष-2018-19	2420 / 2018

326	26-मशीन क्रय वित्तीय वर्ष-2018-19	2421 / 2018
327	27-चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय वित्तीय वर्ष-2018-19	2422 / 2018
328	29-अनुरक्षण वित्तीय वर्ष-2018-19	2423 / 2018
329	42-अन्य व्यय वित्तीय वर्ष-2018-19	2434 / 2018
330	45-अवकाश यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2018-19	2426 / 2018
331	46-कम्प्यूटर क्रय वित्तीय वर्ष 2018-19	2426 / 2018
332	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2018-19	2427 / 2018
333	मानक मद 22 मानेदय व्यय स्वीकृति पत्रावली 2018-19	2428 / 2018
334	मुख्यमंत्री राहत कोष संबंधी पत्रावली।	2474 / 2018
335	आय-व्ययक 2217 वित्तीय वर्ष-2019-20	2496 / 2018
336	आय-व्ययक 2516(02) वित्तीय वर्ष-2018-20	2496 / 2018
337	आय-व्ययक 2515(03) वित्तीय वर्ष-2019-20	2497 / 2018
338	नियोजन विभाग से संबंधित पत्रावली।	2554 / 2019
339	शि०पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 हेतु निर्धारित मानक से संबंधित पत्रावली।	2588 / 2019
340	श्री जे०पी० शाह, अधिवक्ता से संबंधित पत्रावली।	2599 / 2019
341	02 मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वर्ष-2019-20	2602 / 2019
342	04 यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2019-20	2603 / 2019
343	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2019-20	2604 / 2019
344	08-कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2019-20	2605 / 2019
345	09-विद्युत व्यय वित्तीय वर्ष-2019-20	2606 / 2019
346	11-लेखन सामग्री वित्तीय वर्ष-202019-20	2607 / 2019
347	12-कार्यालय फनीयर वित्तीय वर्ष-2012019-20	2608 / 2019
348	13-टेलीफोन व्यय वित्तीय वर्ष-2019-20	2609 / 2019
349	15-पी०ओ०एल० वित्तीय व वर्ष-2019-20	2610 / 2019
350	18-व्यवसायिक सेवाये वित्तीय वर्ष-2019-20	2611 / 2019
351	22-आतिथ्य व्यय वित्तीय वर्ष-2019-20	2612 / 2018
325	25-उपयोगिता वित्तीय वर्ष-2019-20	2613 / 2019
326	27-चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय वित्तीय वर्ष-2019-20	2614 / 2019
327	29-अनुरक्षण वित्तीय वर्ष-2019-20	2615 / 2019
328	42-अन्य व्यय वित्तीय वर्ष-2019-20	2618 / 2019
329	45-अवकाश यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष 2019-20	2617 / 2019
330	46-कम्प्यूटर क्रय वित्तीय वर्ष 2019-20	2618 / 2019
331	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण वित्तीय वर्ष 2019-20	2619 / 2019
332	त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 से संबंधित शिकायती पत्रावली	2705 / 2019

333	जी0एस0टी0 संबंधित पत्रावली।	2705 / 2019
334	आय व्यय मद संख्या-2217 वर्ष 2020-21	2787 / 2019
335	आय व्यय मद संख्या-2015 (02) वर्ष 2020-21	2788 / 2019
336	आय व्यय मद संख्या-2015 (03) वर्ष 2020-21	2789 / 2019
337	विभिन्न देयकों के भुगतान संबंधी पत्रावली।	2842 / 2020
338	त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन-2019 में मृत/अपंग कार्यिको हेतु अनुषठ धनराशि	2843 / 2020
339	महालेखाकार द्वारा किये गये दिनांक 03/2011 से 20.01.2020 तक आडिट पत्रावली।	2854 / 2020
340	आयकर आगणन-2019-20	2859 / 2020
341	02 मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वर्ष-2020-21	2877 / 2020
342	04 यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2020-21	2878 / 2020
343	08-कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2020-21	2879 / 2020
344	09-विद्युत व्यय वित्तीय वर्ष-2020-21	2880 / 2020
345	20-लेखन सामग्री वित्तीय वर्ष-2020-2021	2881 / 2020
346	21-कार्यालय फर्नीचर वित्तीय वर्ष-2020-21	2882 / 2020
347	22-कार्यालय व्यय वित्तीय वर्ष-2020-21	2883 / 2020
348	25-उपयोगिता वित्तीय वर्ष-2020-21	2884 / 2020
349	26-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर वित्तीय वर्ष-2020-21	2885 / 2020
350	27-व्यवसायिक सेवाएं वित्तीय वर्ष-2020-21	2886 / 2020
351	29- वाहन रखरखाव व इंधन संबंधी वित्तीय वर्ष-2020-21	2887 / 2020
352	30-आतिथ्य व्यय वित्तीय वर्ष-2020-21	2888 / 2020
353	42-अन्य दिभागीय व्यय वित्तीय वर्ष-2020-21	2889 / 2020
354	51- अनुरक्षण वित्तीय वर्ष-2020-21	2890 / 2020
355	एस0जी0एच0एस0	2906 / 2020
356	रिटपिटीशन सं0-1257 / 2020 नरेन्द्र इलेक्ट्रिक बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य।	2914 / 2020
357	रिटपिटीशन सं0-1280 / 2020 नरेन्द्र इलेक्ट्रिक बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य।	2915 / 2020
358	रिटपिटीशन सं0-1282 / 2020 मै0 न्यू हरिद्वार इलेक्ट्रिक बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य।	2916 / 2020
359	विविध	2928 / 2020

360	आय व्ययक पत्रावली 2021-22 (2217)	2948 / 2020
361	आय व्ययक पत्रावली 2021-22 2015(02)	2949 / 2021
362	आय व्ययक पत्रावली 2021-22 2015(03)	2950 / 2021
362	02 मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वर्ष-2021-22	2992 / 2021
364	04 यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2021-22	2993 / 2021
365	08-कार्यालय व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2021-22	2994 / 2021
366	09-विद्युत व्यय वित्तीय वर्ष-2021-22	2995 / 2021
367	11- अनुमन्यता वित्तीय वर्ष 2021-22	2996 / 2021
368	20-लेखन सामग्री वित्तीय वर्ष-2021-22	2997 / 2021
369	21-कार्यालय फर्नीचर वित्तीय वर्ष-2021-22	2998 / 2021
370	22-कार्यालय व्यय वित्तीय वर्ष-2021-22	2999 / 2021
371	23-किराया उप शुल्क वित्तीय वर्ष 2021-22	3000 / 2021
372	25-उपयोगिता वित्तीय वर्ष-2021-22	3001 / 2021
373	27-व्यवसायिक सेवाएं वित्तीय वर्ष-2021-22	3002 / 2021
374	29- वाहन रखरखाव व ईंधन संबंधी वित्तीय वर्ष-2021-22	3003 / 2021
375	30-आतिथ्य व्यय वित्तीय वर्ष-2021-22	3004 / 2021
376	51- अनुरक्षण वित्तीय वर्ष-2021-22	3005 / 2021
377	रिट सं०-1197 / 2021 गुप्ता इलेक्ट्रिकल्स कम्पनी हरिद्वार	3020 / 2021
378	रिट संख्या-1210 / 2021 मै० शारदा टेण्ट हाउस	3023 / 2021
379	26-कम्प्यूटर्स हार्डवेयर के अन्तर्ग देयके की स्वीकृति	3028 / 2021
380	आय-व्ययक पत्रावली वर्ष 2022-23 (2217)	3051 / 2021
381	आय-व्ययक पत्रावली वर्ष 2022-23 2015 (02)	3052 / 2021
382	आय-व्ययक पत्रावली वर्ष 2022-23 2015 (03)	3053 / 2021
383	02-मजदूरी व्यय स्वीकृति पत्रावली वर्ष-2022-23	3089 / 2023
384	04-यात्रा व्यय स्वीकृति पत्रावली वित्तीय वर्ष-2022-23	3090 / 2023
385	08-फारिअमिक-2022-23	3091 / 2023
386	09-चिकित्सा-2022-23	3092 / 2023
387	20-लेखन सामग्री वित्तीय वर्ष-2022-23	3093 / 2023

388	21-कार्यालय फर्नीचर वित्तीय वर्ष-2022-23	3094 / 2023
389	22-कार्यालय व्यय वित्तीय वर्ष-2022-23	3095 / 2023
390	23-किराया उप शुल्क वित्तीय वर्ष 2022-23	3096 / 2023
391	25-उपयोगिता वित्तीय वर्ष-2022-23	3097 / 2023
392	26-कम्प्यूटर क्रय-2022-23	3098 / 2023
393	27-व्यवसायिक सेवाएं वित्तीय वर्ष-2022-23	3099 / 2023
394	29- गाड़ियों का संचालन वित्तीय वर्ष-2022-23	4000 / 2023
395	30-आतिथ्य व्यय वित्तीय वर्ष-2021-22	4001 / 2023
396	31- अनुरक्षण वित्तीय वर्ष-2021-22	4002 / 2023
397	24-विज्ञापन/प्रकाशन व्यय संबंधी पत्रायली	4028 / 2022
398	ना0नि0नि0 हेतु मानको का निर्धारण	4040 / 2022
399	पोस्टल आर्डर जमा करने विषयक	4056 / 2022
400	आय व्ययक 2023-24 (2217)	4064 / 2022
401	आय व्ययक 2023-24 (2015-02)	4065 / 2022
402	आय व्ययक 2023-24 (2015-03)	4066 / 2022

मैनुअल-7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं:-

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिनियमों/नियमावलियों में उल्लिखित धाराओं/नियमों के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाता है। निर्वाचन कार्य में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

मैनुअल-8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके मांगरूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी- राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड से संबंधित नहीं है।

मैनअल-9
अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

राज्य निर्वाचन आयोग में आयोग मुख्यालय एवं उसके नियंत्रणाधीन जनपदों में स्थित पचास्थानि चुनावालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका निम्नवत् है:-

क्र. सं.	अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	पदनाम	कार्यालय दूरगाथ संख्या	मोबाईल नम्बर	फैक्स नम्बर
1	2	3	6	7	8
1.	श्री चन्द्रशेखर भट्ट	माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, आई.ए.एस. (से.नि.)	0135-2662255	9410392399	0135-2662257
2.	श्री बालकराम बासवान	उप सचिव-लेखा	---	---	---
3.	श्री प्रभात कुमार सिंह	उपायुक्त	0135-2662253	7302254902	0135-2662251
4.	श्री राज कुमार यश	सहायक आयुक्त	---	7302254903	---
5.	श्री के.सी. चौधरी	निजी सचिव	---	7302254904	---
6.	श्री आर.के. सेमवाल	समीक्षा अधिकारी	---	7302254905	---
7.	श्री मदन लाल		---	7302254906	---
8.	श्री मोहन चन्द्र		---	7302254907	---
9.	श्री आर.सी. काण्डपाल		---	7302254908	---
10.	श्री एस.सी. पाण्डे		---	7302254909	---
11.	श्री एन.एस. नयाल	सहायक समीक्षा अधिकारी	---	7302254910	---
12.	श्रीमती ऊषा अक्षवाल	वरिष्ठ सहायक	---	7302254911	---
13.	श्री दिनेश सिंह	टंकक / डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	---	7302254912	---
14.	श्री सत्यानन्द बड़ोनी	अर्दली / घणशाली / चौकीदार / स्वच्छक	---	---	---
15.	श्री जे.एन. महन्त		---	7302254913	---
16.	श्री राजीव		---	---	---

पी०आर०डी० तथा उपनल द्वारा संविदा पर कार्यरत
तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की निर्देशिका।

क्र. सं.	कर्मचारियों का नाम	पदनाम	कार्यालय दूरमाष संख्या	मोबाईल नम्बर	फैक्स नम्बर
1	2	3	5	6	7
1.	श्री शशांक धिल्लियाल	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	---	7302254914	---
2.	श्री गजेन्द्र सिंह	तृतीय श्रेणी/ लिपिकीय	---	7302254915	---
3.	श्री विनोद लाल		---	7302254916	---
4.	श्री विकास राज		---	7302254917	---
5.	श्री अमित कुमार		---	7302254918	---
6.	श्री बलराम थापा		वाहन चालक	---	7302254920
7.	श्री राकेश सिंह	चतुर्थ श्रेणी	---	7302254921	---
8.	श्री सुनील धसमाना		---	7302254931	---
9.	श्री शैलेन्द्र सिंह		---	7302254934	---
10.	श्री सुरेश सिंह	सिक्योरिटी गार्ड/ घपरासी	---	---	---
11.	श्री महेन्द्र सिंह सजवाण		---	---	---
12.	श्री योगेश कुमार	स्वच्छक	---	---	---

(पंचास्थानि चुनावालय) जिला स्तरीय कार्यालय

क्र. सं.	अधिकारी/ कर्मचारियों का नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष संख्या	संबंधित नम्बर	फैक्स नम्बर
1	2	3	6	7	8
अल्मोड़ा					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	232633	--	232828
2.	श्री सुनील सिंह बोरा	वरिष्ठ सहायक	---	7302254922	---
3.	श्री विमल चौतेला	वरिष्ठ सहायक	---	7302254923	---
4.	श्री सतीश कुमार तिवारी	वरिष्ठ सहायक	---	7302254924	---
5.	श्री राजेन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	---	---	---
6.	श्री सन्तोष सिंह	चपरासी/ चौकीदार	---	---	---
उधमसिंहनगर					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	245783	---	245783
2.	श्री राजय अग्रवाल	वरिष्ठ सहायक	---	7302254925	---
3.	सुश्री ममता जोशी	वरिष्ठ सहायक	---	7302254926	---
धम्पाड़ा					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	230386	---	230386
2.	श्री संजीव प्रकाश सिंह	वरिष्ठ सहायक	---	7302254927	---
3.	श्री रविचंद्र कुमार वर्मा	वरिष्ठ सहायक	---	7302254928	---
4.	श्री जयराम	कनिष्ठ सहायक	---	---	---
नैनीताल					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	248436	---	248436
2.	श्री कैलाश चन्द्र सिंह बोरा	वरिष्ठ सहायक	---	7302254941	---
3.	श्री मोहन सिंह	चपरासी/ चौकीदार	---	---	---
फिरोज़गढ़					
1.	श्री महेश चन्द्र कापड़ी	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	225392	7302254931	225236
2.	श्री दिनेश चन्द्र उग्रोनी	वरिष्ठ सहायक	---	7302254932	---
3.	श्री भूपाल सिंह पयोली	चपरासी/ चौकीदार	---	---	---
बागेश्वर					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	221378	---	220757
2.	श्री शशि चन्द्र पाण्डे	वरिष्ठ सहायक	---	7302254929	---
3.	श्री राजेन्द्र पाठक	वरिष्ठ सहायक	---	7302254930	---
4.	श्री हेम चन्द्र पाण्डे	कनिष्ठ सहायक	---	---	---
5.	श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट	चपरासी/ चौकीदार	---	---	---
उत्तरकाशी					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	222613	7302254934	222613
2.	श्री कुलवन्त सिंह गुसाई	वरिष्ठ सहायक	---	7302254935	---
पयोली					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	253469	---	253469
2.	श्री हुकम सिंह भण्डारी	वरिष्ठ सहायक	---	7302254936	---
3.	श्री गोपाल दत्त	कनिष्ठ सहायक	---	---	---
4.	श्री सुरेन्द्र दत्त	कनिष्ठ सहायक	---	---	---
दिल्ली गढ़वाल					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	232884	---	232884
2.	श्री विजेन्द्र सिंह कौन्सुरा	वरिष्ठ सहायक	---	7302264945	---
3.	श्री जयप्रकाश नौदियाल	वरिष्ठ सहायक	---	7302254943	---
4.	श्री सीरम बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	---	---	---
4.	श्री जीवेंद्र लाल	चपरासी/ चौकीदार	---	---	---
5.	श्री ईलम सिंह	चपरासी/ चौकीदार	---	---	---

देहरादून					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	2720444	---	2726732
2.	श्री सुनील नौदियाल	वरिष्ठ सहायक	---	7302254938	---
3.	श्रीमती कंवरजीत कौर	वरिष्ठ सहायक	---	7302254939	---
4.	श्री सुदर्शन सिंह	कनिष्ठ सहायक	---	---	---
पौड़ी गढ़वाल					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	222061	---	222061
2.	श्री ललित मोहन गोदियाल	वरिष्ठ सहायक	---	7302254937	---
3.	श्री मनीष तिवारी	वरिष्ठ सहायक	---	7302254940	---
4.	श्री विजय लाल	घपरासी/दीकीदार	---	---	---
रूद्रप्रयाग					
1.	रिक्त	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	233812	---	233812
2.	श्री अतुल भट्ट	वरिष्ठ सहायक	23312	7302254933	233812
3.	श्री गौरव नेगी	कनिष्ठ सहायक	---	---	---
हरिद्वार					
1.	श्री ऋषिराम थपलियाल	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	239454	7302254942	239454
2.	श्री अनिल कुमार पाल	वरिष्ठ सहायक	---	7302254944	---

नोट- वाह्य स्रोत के कर्मियों का विवरण ऊक्त में सम्मिलित नहीं है।

=====

मैनअल-10

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

राज्य निर्वाचन आयोग में आयोग, मुख्यालय एवं उसके नियंत्रणाधीन जनपदों में स्थित पंचास्थानि चुनावालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतनमान उत्तराखण्ड शासन की शासनादेश संख्या-685/XII/2012/92(06)/2005 दिनांक 15 जून, 2012, शासनादेश संख्या-2337/XII/2013/92(06)/2005, टीसी-1/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-230एम.एस./33-3-1995 दिनांक 14 फरवरी, 1995, शासनादेश संख्या-605/1V(1)/2013-26(NV)/2012 दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 के अनुसार निम्नवत् है:-

मुख्यालय

क्र. सं.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1	2	3	4
1	माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त	225000-00 (Fixed)	01
2	सचिव	131100-216600	01
3	संयुक्त सचिव	118600-214100	01
4	उप सचिव	78800-209200	01
5	उप सचिव (लेखा)	78800-209200	01
6	उपायुक्त	78800-209200	01
7	अनु सचिव	67700-208700	01
8	सहायक आयुक्त	56100-177500	02
9	अनुभाग अधिकारी	47600-151100	03
10	निजी सचिव	47600-151100	02
11	समीक्षा अधिकारी	44900-142400	06
12	समीक्षा अधिकारी (लेखा)	44900-142400	01
13	वैयक्तिक सहायक/अपर निजी सचिव	44900-142400	03
14	सहायक समीक्षा अधिकारी	35400-112400	03
15	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	35400-112400	01
16	टंकक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर	21700-69100	04
17	वाहन चालक	19900-63200	02
18	अर्दली/चपरासी/चौकीदार/स्वच्छक	18000-56900	10
19	स्वच्छक	18000-56900	01

जिला स्तरीय कार्यालय

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	35400-1]2400	13
2.	वरिष्ठ सहायक	29200-92300	26
3.	कनिष्ठ सहायक	21700-69100	35
4.	चपरासी / शौकीदार	18000-56900	35

मैनुअल-11

सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट-

उत्तराखण्ड शासन में पंचायती राज विभाग राज्य निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक विभाग है। राज्य निर्वाचन आयोग को मुख्यालय एवं जिला स्तरीय अधिष्ठान हेतु वार्षिक बजट पंचायती राज विभाग तथा नगर विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त होता है।

वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के बजट के नियंत्रण व नियमानुसार व्यय हेतु जांच तथा संस्तुति की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासन के शासनादेश संख्या-28533/2022 दिनांक 11.04.2022, शासनादेश संख्या-46809/2022 दिनांक 30 जून, 2022 द्वारा लेखाशीर्षक 2217-80-001-03 हेतु बजट शासन से राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुआ है।

उक्त प्राप्त बजट के सापेक्ष जिला स्तरीय अधिष्ठान हेतु आयोग के पत्र संख्या-32/रा0नि0आ0-ले0/3051/2021 दिनांक 12.04.2022, पत्र संख्या-87/रा0नि0आ0-ले0/3051/2021 दिनांक 28.04.2022, पत्र संख्या-255/रा0नि0आ0-ले0/3051/2021 दिनांक 30.05.2022, पत्र संख्या-400/रा0नि0आ0-ले0/3051/2021 दिनांक 06.07.2022, पत्र संख्या-417/रा0नि0आ0-ले0/3051/2021 दिनांक 13.07.2022, पत्र संख्या-1261/रा0नि0आ0-ले0/3051/2021 दिनांक 19.01.2023 के द्वारा शहरी विकास मं० में शासन से प्राप्त बजट जनपदों में स्थित पंचास्थानि चुनावालयों को आवंटित किया गया। अतः बजट को आयोग के पत्र संख्या-13 दिनांक 11.04.2023 द्वारा शासन को समर्पण कर दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासन की आलटमेन्ट आई.डी. सं.-एस22040050004 दिनांक 12.04.2022, -एस22040050005 दिनांक 12.04.2022, शासनादेश संख्या-50525/2022 दिनांक 18 जुलाई, 2022, शासनादेश संख्या-89519 दिनांक 11 जनवरी, 2023 एवं शासनादेश संख्या-103485/2023 दिनांक 01.03.2023, द्वारा लेखाशीर्षक 2015-109-00-02 एवं 03 हेतु बजट शासन से राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुआ है।

उक्त प्राप्त बजट के सापेक्ष जिला मुख्यालय एवं जिला स्तरीय अधिष्ठान हेतु आलटमेन्ट आई.डी. सं.-एस22040050004 दिनांक 12.04.2022, आलटमेन्ट आई.डी. सं.-एस22040050001 दिनांक 12.04.2022, आयोग के पत्र संख्या-39/रा0नि0आ0-ले0/2949/2020 दिनांक 13.04.2022, आलटमेन्ट आई.डी. सं.-एस22040050019 दिनांक 28.04.2022, पत्र संख्या-444/रा0नि0आ0-ले0/2949/2020 दिनांक 20.07.2022, पत्र संख्या-322/रा0नि0आ0-ले0/3053/2021 दिनांक 14.06.2022, पत्र संख्या-450/रा0नि0आ0-ले0/3053/2021 दिनांक 21.07.2022, पत्र संख्या-1261/रा0नि0आ0-ले0/3053/2021 दिनांक 19.01.2023 एवं पत्र संख्या-1396/रा0नि0आ0-ले0/2949/2020 दिनांक 02.03.2023 के द्वारा द्वारा पंचायत मं० में शासन से प्राप्त बजट जिला मुख्यालय एवं जनपदों में स्थित पंचास्थानि चुनावालयों को आवंटित किया गया। अतः बजट को आलटमेन्ट आई.डी. सं.-एस.एस.23030050002 दिनांक 31.03.2023, आलटमेन्ट आई.डी. सं.-एस.एस.23030050010 दिनांक 31.03.2023 एवं आयोग के पत्र संख्या-09 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा शासन को समर्पण कर दिया गया।

- 1. - महालेखाकार (मर्यादा समीक्षा) कोटा/गठ. 2019/1000
- 2. - महालेखाकार (मर्यादा समीक्षा) कोटा/गठ. 2019/1000
- 3. - विलेख अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, कोटा
- 4. - वरिष्ठ अभियंता, कोटा
- 5. - विलेख अनुमति-2/निदेशक, राज्य, कोटा/गठ. 2019/1000
- 6. - वरिष्ठ राजकीय नियोजन एवं प्रशासन निदेशक, विभागाध्यक्ष, कोटा
- 7. - आई. ए. कोटा

अक्षय काला
 Signed by Anil Kala
 Date: 30-06-2022 17:50
 Reason: Approved
 (अक्षय काला)



बजट आवंटन वित्तीय कार्य (2022 - 2023)

Secretary-Secretary, Urban
Development(S054)

HOD-Commissioner of State Election
Commission(2961)

आवेदन का संख्या -46309

संशोधन संख्या -013

आवक का आई टी-512070 का संख्या

आवक का विवरण-04-2022

आवेदक

आवेदन का प्रकार

आवक का प्रकार

DCS-निदेशन एवं प्रकाशन

03-सर्वेक्षण एवं प्रकाशन

60-नगर पंचायतों का चुनाव

2	2	1	7	8	0	0	1	0	3	0
मानक भेद का नाम							अभान में जारी		अवतरक का व्यय	धारा
01-भूमि							8867000		0	8867000
02-भूमि							317000		0	317000
03-भूमि							3600000		0	3600000
04-भूमि							693000		0	693000
05-भूमि							1000000		0	1000000
06-भूमि							867000		0	867000
07-भूमि							7037000		0	7037000
08-भूमि							13000		0	13000
09-अनुभवशील सम्बन्धी व्यय							1600000		0	1600000
10-लेखन सामग्री एवं छपाई							67000		0	67000
11-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण							333000		0	333000
12-कार्यालय व्यय							452000		0	452000
13-किराया, उपशुल्क एवं कर शामिल							90000		0	90000
14-शिक्षण; त्रिको, विद्यमान एवं प्रकाशन पर व्यय							383000		0	383000
15-उपयोगिता विलों का भुगतान							167000		0	167000
16-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण							63000		0	63000
17-व्यक्तिगत तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान							1007000		0	1007000
18-वाहनों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि							1580000		0	1580000
19-अन्य							28091000		0	28091000
20-अन्य विभागीय व्यय										
योग										

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.2,80,91,000 (Rupees Two Crores Eighty Lacs Ninety One Thousand Only)

Approval Status: APPROVED BY OFFICER



357
हिमाली जिला स्पीड पोस्ट

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671

टैलीफैक्स : 0135-2670998, 2678845

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक

हिमाली, जोशी पेटवॉल,
उप सचिव।

सेवा में

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(जनपद कानेश्वर, नैनीताल एवं चमोली को ज़ेडफर)
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 32/रा0नि0आ0-ले0/3051/2021

दिनांक: 12.04.2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखाशीर्षक-2217-80-001-03 के 08-पारिभाषिक मद के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।

संदर्भ

उपरोक्त विषय से सम्बन्ध में अद्यतन बताया है कि सचिव (प्रशासी), यशवी दिव्यार विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या-13, लेखा शीर्षक-2217-80-001-03 विकास-80-सामान्य-001-निर्देशन एवं प्रशासन-03-नगर पंचायतों का पुनर्गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखातुल्य के माध्यम से 04 नार्ड हेतु विभिन्न शानक मदों में धनराशि आयोग के निर्वाचन हेतु आवंटित की गई है जिसमें से निम्न तालिका में अंकित अलाटमेंट आईडीओ के अनुसार धनराशि पंचायतनि चुनावालयों के निर्वाचन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्रमांक	जनपद का नाम	अलाटमेंट आईडीओ संख्या	दिनांक	धनराशि ₹ में
1	चमोली	H2204013007	12-04-2022	80000
2	सुपनसिंह नगर	H2204013008	20-04-2021	750000
3	बनादा	H2204013009	20-04-2021	180000
4	निर्धमगढ़	H2204013010	20-04-2021	300000
5	जलेश्वरी	H2204013011	20-04-2021	900000
6	सदरखण	H2204013012	20-04-2021	250000
7	गाडी टडवाल	H2204013013	20-04-2021	600000
8	दिरडी	H2204013014	20-04-2021	280000
9	सुपिन	H2204013015	20-04-2021	678000
10	देहरादून	H2204013016	20-04-2021	500000
योग-				5518000

प्रदीप

हिमाली जोशी पेटवॉल
उप सचिव

संख्या- 32/रा0नि0आ0-लेखा/3051/2021 तददिनांक।

प्रतिनिधि- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक निदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सहायक प्रशासी अधिकारी, पंचायतनि चुनावालय, उत्तराखण्ड। (जनपद कानेश्वर, नैनीताल, चमोली को ज़ेडफर)
3. सहायक मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। (जनपद कानेश्वर, नैनीताल एवं चमोली को ज़ेडफर)

हिमाली जोशी पेटवॉल
उप सचिव



सत्यमेव जयते

358

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

स्मृति खंडूरी,
विल नियंत्रक।

सेवा में,

जिलाधिकारी/
जिल निर्वाचन अधिकारी,
(जनपद टिहरी को छोड़कर)
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 87/रा0नि0आ0-से0/3051/2021

दिनांक: 28.04.2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु लेखाशीर्षक-2217-80-001-03 के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।
संदर्भ:-

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत करना है कि सचिव (प्रभारी), शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या-13, लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-001-निर्देशन एवं प्रशासन-03-नगर निकायों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के माध्यम से 04 माहों हेतु विभिन्न मानक भादों में धनराशि आवंटन के निवृत्तन हेतु अवमुक्त की गई है जिसमें से निम्न तालिका में अंकित अलाटमेंट आईडी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावलक्ष्यों के निवृत्तन हेतु खर्च जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0स0	जनपद का नाम	अलाटमेंट आईडी0 संख्या	दिनांक	धनराशि रु0 में
1	गल्फोड	H22040130024	28-04-2022	259000
2	राधनसिंह नगर	H22040130025	28-04-2022	426000
3	बन्धोवत	H22040130026	28-04-2022	278000
4	मैनीताल	H22040130027	28-04-2022	128000
5	मानेश्वर	H22040130028	28-04-2022	233000
6	चिथौरागड	H22040130029	28-04-2022	88000
7	उत्तरखाली	H22040130030	28-04-2022	165000
8	बगौली	H22040130031	28-04-2022	343000
9	रुद्रगढ़	H22040130032	28-04-2022	192000
10	पीडी गढवाल	H22040130033	28-04-2022	963000
11	हनुडोल	H22040130034	28-04-2022	224000
12	देहरादून	H22040130035	28-04-2022	302000
योग:-				3602000

भवदीया

(स्मृति खंडूरी)
विल नियंत्रक

संख्या- 87/रा0नि0आ0-लेखा/3051/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावलक्ष्य, उत्तराखण्ड। (जनपद टिहरी गढवाल को छोड़कर)
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। (जनपद टिहरी गढवाल को छोड़कर)

(स्मृति खंडूरी)
विल नियंत्रक



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, सिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टेलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

प्रभात कुमार सिंह,
उपायुक्त।

सेवा में,

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चमोली।

पत्रांक : 255 /रा०नि०आ०-ले०/3051/2021

दिनांक 30/05/22

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखाशीर्षक-2217-80-001-03 के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।
नहोदरा,

कृपया उपर्युक्त विषयक सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, चमोली क. पत्र संख्या-126 दिनांक 30.05.2022 के क्रम में अनुदान संख्या-13, लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सानान्त-001-निर्देशन एवं प्रशासन-03-नगर पंचायतो का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु पूर्व के अतिरिक्त गान्क मद 04-यात्रा व्यव में सलग्न अलाटनेट आई0डी0 1122050130019 दिनांक 30.05.2022 के अनुसार रु० 0.30 लाख (रु० तीस हजार मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्न- यद्योक्त।

भवदीय

(प्रभात कुमार सिंह)

उपायुक्त।

संख्या-255 /रा०नि०आ०-लेखा/3051/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अट्रिब्युट कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, चमोली।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली।

(प्रभात कुमार सिंह)

उपायुक्त।



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषण,

प्रभात कुमार सिंह,
उपायुक्त।

सेवा में,

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(जनपद बागेश्वर, नैनीताल एवं चमोली को छोड़कर)
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 400/रा0नि0अ0-ले0/3051/2021

दिनांक: 06.07.2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु संख्याशीर्षक-2217-80-001-03 के 08-पारिस्त्रमिक मद के अन्तर्गत धनराशि
का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सचिव (प्रभारी), शहरो विलास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या-13, संख्या शीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-001-निर्देशन एवं प्रशासन-03-नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अयोग के निर्वहन हेतु उचमुक्त की गई है जिसमें से निम्न तालिका में अंकित अलाटमेंट आईडी के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वहन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र०सं०	जनपद का नाम	अलाटमेंट आईडी संख्या	दिनांक	धनराशि रु० में
1	2	3	4	5
1.	अल्मोडा	H22070130002	06-07-2022	215000
2.	ऊवागिरि नगर	H22070130003	06-07-2022	500000
3.	बन्नाक	H22070130004	06-07-2022	402000
4.	विधौरागढ़	H22070130005	06-07-2022	552000
5.	उत्तरकाशी	H22070130006	06-07-2022	115000
6.	सदरप्रयाग	H22070130007	06-07-2022	650000
7.	मौड़ी गढ़वाल	H22070130008	06-07-2022	1100000
8.	टिहरी	H22070130009	06-07-2022	576000
9.	हरिद्वार	H22070130010	06-07-2022	1277000
10.	देहरादून	H22070130011	06-07-2022	600000
			योग:	7037000

भवदीय

(प्रभात कुमार सिंह)
उपायुक्त

संख्या- 400/रा0नि0अ0-लेखा/3051/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड। (जनपद बागेश्वर, नैनीताल, रामोली को छोड़कर)
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। (जनपद बागेश्वर, नैनीताल एवं चमोली को छोड़कर)

(प्रभात कुमार सिंह)
उपायुक्त।



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रश्नक,

स्मृति खंडूरी,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 417/एमनि0आ0-लेख/3051/2021

दिनांक: 13.07.2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखाशीर्षक-2217-00-001-03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रुचिव (प्रभारी), शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान सख्या-19, लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-00-सामान्य-001-निर्देशन एण प्रशासन-03-नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत धनराशि आयोग के निर्वाचन हेतु अमुक्त की गई है जिसमें से निम्न तालिका में अंकित अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचायतों के निर्वाचन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0स0	जनपद का नाम	अलॉटमेंट आई0डी0 सख्या	दिनांक	धनराशि रु0 में
1.	अल्मोड़ा	H22070130021	13-07-2022	462000
2.	ऊतमनिष्ठ नगर	H22070130022	13-07-2022	1264000
3.	दमनगढ़	H22070130023	13-07-2022	80000
4.	मैनीमाल	H22070130024	13-07-2022	188000
5.	रामेश्वर	H22070130025	13-07-2022	87000
6.	दिशानगर	H22070130026	13-07-2022	111000
7.	उत्तरकाशी	H22070130027	13-07-2022	89000
8.	धमाली	H22070130028	13-07-2022	945000
9.	रुद्रप्रसाद	H22070130029	13-07-2022	256000
10.	पिंडी गढ़वाल	H22070130030	13-07-2022	812000
11.	दिहरी	H22070130031	13-07-2022	150000
12.	हरिद्वार	H22070130032	13-07-2022	275000
13.	देहरादून	H22070130033	13-07-2022	420000
योग:-				5119000

गणपतिय

(स्मृति खंडूरी)
वित्त नियंत्रक।

सख्या- 417/एमनि0आ0-लेख/3051/2021 तदुदिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचायतों के चुनावालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(स्मृति खंडूरी)
वित्त नियंत्रक।



राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाहौर, पत्तरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

प्रभात कुमार सिंह,
उपायुक्त।

संसा में,

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोडा, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली एवं देहरादून।

पत्रांक : 1261 / राणनि0आ0-लेख/3051/2021

दिनांक: 19/01/23

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखाशीर्षक-2217-80-001-03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय ने सन्बन्ध में अज्ञात करान है कि सचिव (प्रभारी), शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या-13, लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-001-निर्देशन एवं प्रशासन-02-नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत धनराशि अयोग के निर्वाचन हेतु अवमुक्त कर् गई है जिसमें से निम्न तालिका में अंकित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निवन्त हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

क्र0सं0	उत्पद का नाम	अलाटमेंट आई0डी0 संख्या	दिनांक	धनराशि रु0 में
1	2	3	4	5
1.	अल्मोडा	H23010130020	18-01-2023	25000
2.	ऊधमसिंह नगर	H23010130021	18-01-2023	93000
3.	चम्पावत	H23010130022	18-01-2023	50000
4.	पिथौरागढ़	H23010130023	18-01-2023	50000
5.	उत्तरकाशी	H23010130024	18-01-2023	15000
6.	चमोली	H23010130025	18-01-2023	40000
7.	देहरादून	H23010130026	18-01-2023	152000
			योग-	425000

भवदीय

(प्रभात कुमार सिंह)
उपायुक्त।

संख्या-1261 / राणनि0आ0-लेख/3051/2021 तददिनांक।

प्रलेखित- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आदर्शक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभारी अधिवासी, पंचास्थानि चुनावालय, अल्मोडा, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली एवं देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ, कक्षाधिकारी अल्मोडा, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली एवं देहरादून।

(प्रभात कुमार सिंह)
उपायुक्त।



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

बालकराम बासवान,
उप सचिव(लेखा)

सेवा में,

सचिव,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्राक -13 / रा0नि0आ0-ले0/3051/2021

दिनांक 11/04/23

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु शासन से प्राप्त बजट के सापेक्ष समर्पण की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-13, लेखा शीर्षक-2217-शहरी विकास-80-सामान्य-001-निर्देशन एवं प्रशासन-03-नगर पंचायतों का चुनाव के अन्तर्गत शासन से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष बचत धनराशि ₹0 73,63,966.00 (₹00 तिहत्तर लाख, त्रिसप्त हजार, दो सौ छियासठ मात्र) का समर्पण ऑनलाईन कर संलग्नक आपंटन आई0डी संख्या-HS23030130007, दिनांक 31.03.2023 के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे संलग्नक आपंटन आई0डी संख्या-HS23030130007, दिनांक 31.03.2023 के द्वारा ₹0 73,63,966.00 (₹00 तिहत्तर लाख, त्रिसप्त हजार, दो सौ छियासठ मात्र) का समर्पण किये जाने का निर्देश हुआ है।

अतः कृपया उक्त धनराशि का समर्पण स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोक्त

HS-01 (02)

भतदोय

बालकराम बासवान

उप सचिव(लेखा)

संख्या-13 / रा0नि0आ0-लेखा/3051/2021 तथेदिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

बालकराम बासवान

उप सचिव(लेखा)

**बजट समर्पण वित्तीय वर्ष
(2022-2023)**

 Digitally signed by: Mr Pradeep Kumar Singh
Reason: HOD E-Approval
Location: Cyber Town
Care and Time: 03/04/2023 11:06:25

344

 HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)
Secretary Name-मचिव, शहरी विकास(S054)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - HS23030130007

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 31-MAR-2023

लेखा शीर्षक -

2217 शहरी विकास

80 सामान्य

001 निर्देशन एवं स्थानन

03 नगर पंचायतों का चुनाव

00 नगर पंचायतों का चुनाव

2 2 1 7 8 0 0 0 1 0 3 0 0

Voted

क्र.सं.	स्वतंत्र मद का नाम	पूर्व में समर्पण	वर्तमान में समर्पण	योग
1	01-वेतन	0	1148685	-1148685
2	02-मजदुरी	0	252200	-252200
3	03-भंडाई भना	0	968291	-968291
4	04-पाया जय	0	376103	-376103
5	08-जलय भस्त्रे	0	633376	-633376
6	07-कार्यालय	-1090000	112500	-1202500
7	08-कारिश्मिक	0	852080	-852080
8	11-अनुमान यज्ञ सह बन डी बंधय	0	19476	-19476
9	20-निष्पन्न सागरी एवं छुगाई	0	1093740	-1093740
10	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	41031	-41031
11	22-कार्यालय व यंत्र	0	65921	-65921
12	23-किराया, उपशुल्क एवं कर व वाकिर न	0	27309	-27309
13	24-वित्त-पत्र, विक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन व वय	0	74284	-74284
14	25-उपसंगिना बिलों का भुगतान	0	342359	-342359
15	26-नम व गृह्य हाईवेयर एवं नफिलवेयर एवं अनुकरण	0	113080	-113080
16	27-व शावसाधिक तथा विशेष योजनाओं के लिए भुगतान	0	35000	-35000
17	29-गाडियों का मलाभत अनुकरण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	702430	-702430
18	42-अन्य विभिगीर खय	0	503663	-503663
	योग	-1090000	7361528	-8451528

Total Current Surrender by HOD In Above Schemes - Rs 73,51,528 (Rupees Seventy Three Lacs Sixty One Thousand Five Hundred Twenty Eight Only)

Batch ID : SUR:2961:2961:2303:0002

Approval Status : e-Sign letter

**बजट समर्पण वित्तीय वर्ष
(2022-2023)**

 Digitally signed by: Mr Pradeep Kumar Singh
 Reason: IOD E-Approval
 Location: Cyber City
 Date and Time: 11-03-2023 11:53:31

**HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)
 Secretary Name-सचिव, शहरी विकास(S054)**

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई सी - HS23030130009

अनुदान संख्या: -013

आवंटन पत्र दिनांक - 31-MAR-2023

लेखा शीर्षक -

2217	शहरी विकास	80	साधारण
001	निवेशन एवं प्रशासन	03	नगर पंचायतों का चुनाव
00	नगर पंचायतों का चुनाव		

2	2	1	7	8	0	0	0	1	0	3	0	0	Voted
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

क्र	पत्रक पद का नाम	पूर्व में समर्पण	वर्तमान में समर्पण	योग
1	22-कार्यालय खर्च	0	2438	-2438
	योग	0	2438	-2438

Total Current Surrender by HOD In Above Schemes - Rs. 2,438 (Rupees Two Thousand Four Hundred Thirty Eight Only)

Batch ID : SUR:2961:2961:2304:0001

Approval Status : e-Sign letter

26-कम्प्यूटर हार्डवेयर

नौजी फा संजोलेन अनुसंधान

http://fms.uk.gov.in/Dodge/Report/DudgetReports.a



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022-2023)

Secretary-Secretary, Panchayati Raj(S034)

HQD-Commissioner, State Election Commission(2961)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई.डी-522016050004
आवंटन पत्र दिनांक-12-APR-2022

वित्त संयोजक

2015 विभाग

00-

09-राज्य/राज्यीय निकायों के
सुधार के आयोजन के लिए प्रसार

02-राज्य गिनतवन अधीन (स्थानीय
निकायों आदि हेतु)

00-0

Voted

अनुरोध का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
01-भूदान	0	4400000	0	4400000
02-सावधानी	0	33000	0	33000
03-सहकारी भंडा	0	1767000	0	1767000
04-अन्न बाजार	0	17000	0	17000
06-अन्न भंडा	0	500000	0	500000
08-परिचालन	0	1683000	0	1683000
05-विकास प्रकल्प	0	33000	0	33000
20-भूदान सामग्री एवं छायाई	0	117000	0	117000
21-वर्धमान जनसंख्या एवं उपकरण	0	33000	0	33000
22-कार्यलय व्यय	0	33000	0	233000
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्थापित	0	55000	0	55000
25-उभयोक्तिता वित्तों का भुगतान	0	133000	0	133000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुसंधान	0	33000	0	33000
27-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	167000	0	167000
29-गाठियों का संभालन अनुसंधान एवं ईंधन आदि की खरीद	0	83000	0	83000
30-अतिथि व्यय	0	33000	0	33000
51-अनुसंधान	0	33000	0	33000
योग	0	9353000	0	9353000

Total Current Allotment To HQD In Above Schemes-Rs.93, 53,000 (Rupees Ninety Three Lacs Fifty Three Thousand Only)

Approval Status: APPROVED BY OFFICER

लक्ष्मी
12/04/2022
मुख्य सचिव
राज्य विधान सभा
लखनऊ



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

Secretary, Secretary, Panchayat
Raj(S034)

HOD, Commissioner State Election
Commission(2961)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-522040050005

आवंटन पत्र दिनांक-12-APR-2022

लेखा शीर्षक

2015-निर्वाचन

109-पंचायत/स्थानीय निकाशों को
चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार

00-0

00

03-राज्य निर्वाचन आयोग बिला
राज्य

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
01-वेतन	0	700000	0	700000
02-मजदूरी	0	233000	0	233000
03-सहगाई भत्ता	0	300000	0	300000
04-यात्रा व्यय	0	5943000	0	5943000
06-अन्य भत्ते	0	100000	0	100000
07-मानदेय	0	2750000	0	2750000
08-पारिश्रमिक	0	933000	0	933000
10-प्रशिक्षण व्यय	0	3000	0	3000
20-लेखन सामग्री एवं कर्पाई	0	933000	0	933000
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	133000	0	133000
22-कार्यालय व्यय	0	217000	0	217000
24-विज्ञापन, विप्रेरी, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	42000	0	42000
25-उपयोगित बिलों का भुगतान	0	1000000	0	1000000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	122000	0	122000
29-गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	2007000	0	2007000
92-अन्य विभागीय व्यय	0	3587000	0	3587000
योग	0	18103000	0	18103000

Total Current Allotment to HOD in Above Schemes-Rs.1,81,03,000 (Rupees One
Crore Eighty One Lacs Three Thousand Only)

Approval Status: APPROVED BY OFFICER

12-4-22

12-4-22
निर्वाचन प्रमुख (राज्य)
उप-निर्वाचन
राज्य निर्वाचन आयोग
नया दिल्ली

प्रेमक,

ओमकार सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में

उपायुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंचायतीराज अनुभाग-1
2022

देहरादून, दिनांक : जुलाई

विषय-वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की स्वीकृतियां निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-353/ रा0नि0आ0-ले0/3052/2021 दिनांक 21.06.2022, पत्र संख्या- 354/ रा0नि0आ0-ले0/3052/2021 दिनांक 21.08.2022 एवं वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-391/9(150)2019/xxvii(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने हेतु प्राविधानित धनराशियों के सापेक्ष संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0/विवरणानुसार अर्थात् ₹ 54919 हजार (₹ पांच करोड़ चत्तर लाख उन्नीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-391 दिनांक 24 जून, 2022 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उक्त शासनादेश के विन्दु संख्या-08 के अनुसार Global Budgeting का अनुपालन किया जाय।
2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
3. उक्त धनराशि इस प्रतिबंध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। प्लिब्युता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4. 42-अन्य विभागीय व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि इस प्रतिबन्ध के अधीन निर्गत की जा रही है कि उक्त धनराशि नियमानुसार आवश्यकता एवं यास्तविक व्यय के अनुसार ही किस्तों में आहरित एवं व्यय की जाय।
5. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या: 19 के मुख्य लेखाशीर्षक मुख्य लेखाशीर्षक 2515 की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक :- अलोटमेंट आईडी।

भवदीय
Signed by Omkar Singh
(ओमकार सिंह) 22 11:30:58
अपर सचिव

संख्या एवं तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्थ, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- बजट एवं राजकोषीय संसन्धान निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिबेन्द्र नारायण सिंह)
उप सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

Secretary-Secretary, Panchayati
Raj(S034)

HOD-Commissioner State Election
Commission(2961)

आवंटन पत्र संख्या - 50525/2022

आवंटन आई डी-522070050010

अनुदान संख्या -005

आवंटन पत्र दिनांक-18-JUL-2022

सेखा शीर्षक

2015-निर्वाचन

00--

109-पंचायते /स्थानीय निकायों को
पुनः के आयोजन के लिए पध्दार

02-राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय
निकायों आदि हेतु)

00-0

Voted

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	2	0	0
मासिक भेद का नाम												
पूर्ण में जारी												
वर्तमान में जारी												
अब तक का व्यय												
योग												
01-वेतन	4400000	8800000	0	13200000								
02-मजदूरी	33000	67000	0	100000								
03-सहंगाड़े भत्ता	1767000	3533000	0	5300000								
04-बाजा व्यय	17000	33000	0	50000								
06-अल्प भत्ते	500000	1000000	0	1500000								
08-पारिश्रमिक	1683000	3367000	0	5050000								
09-विविध प्रतिपूर्ति	33000	67000	0	100000								
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	117000	233000	0	350000								
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	33000	67000	0	100000								
22-कार्यालय व्यय	233000	467000	0	700000								
23-फिराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	55000	110000	0	165000								
25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	133000	267000	0	400000								
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	33000	67000	0	100000								
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	167000	333000	0	500000								
29-गाड़ियों का मंचालन अनुरक्षण एवं इंधन आदि की खरीद	83000	167000	0	250000								
30-आतिथ्य व्यय	33000	67000	0	100000								
51-अनुरक्षण	33000	67000	0	100000								

योग	9353000	18712000	0	28065000
-----	---------	----------	---	----------

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,87,12,000 (Rupees One
Crore Eighty Seven Lacs Twelve Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
**Secretary-Secretary, Panchayati
Raj(S034)**
**HOD-Commissioner State Election
Commission(2961)**

आवंटन पत्र संख्या -50525/2022

आवंटन आई डी-S22070050011

अनुदान संख्या -305

आवंटन पत्र दिनांक-18-JUL-2022

श्रेया शीर्षक

2015-निर्माण

00--

 109-पंचायती /स्थानीय निकायों को
ग्रामों के आमजन के लिए पभार

 03-राज्य निर्वाचन आयोग जिला
स्तरीय

00-0

Voted

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0				
मानक मद का नाम													पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
01-वैतन													700000	1400000	0	2100000
02-मजदूरी													233000	467000	0	700000
03-महंगाई भत्ता													300000	600000	0	900000
04-वाया व्यय													5943000	11887000	0	17830000
06-जन्य भत्ते													100000	200000	0	300000
07-मानदेय													2750000	5500000	0	8250000
08-पारिश्रमिक													933000	1867000	0	2800000
10-प्रशिक्षण व्यय													3000	7000	0	10000
20-तेखन सामग्री एवं छपाई													933000	1867000	0	2800000
21-कार्यालय कर्मीपर एवं उपकरण													133000	267000	0	400000
22-कार्यालय व्यय													217000	433000	0	650000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय													42000	83000	0	125000
25-उपयोगिता विलों का भुगतान													100000	200000	0	300000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण													122000	243000	0	365000
29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं इंधन आदि की खरीद													2007000	4013000	0	6020000
42-अन्य विभागीय व्यय													3587000	7173000	0	10760000
योग													18103000	36207000	0	54310000



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2673011, 2671671

टेलीफैक्स : 0135-2670998, 2678945

E-Mail : sec.uttarakhand@gmail.com

प्रेषक,

स्मृति खंडूरी,
वित्त निदेशक।

सेवा में,

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक- 39 / रा0नि0आ0-लेखा/2949/2020

दिनांक 13/04/22

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक 2015-00-109-02 के अन्तर्गत धनराशि निर्वहन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर, 109 पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रसार-02-राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकाय आदि हेतु) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखानुदान के माध्यम से 09 माहों हेतु विभिन्न गणतन्त्र नदों में धनराशि आयोग के निर्वहन हेतु अयमुक्त की गई है।

उक्त अयमुक्त धनराशि में से संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0-H22040050003 दिनांक 13.04.2022 को राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के आहरण वितरण अधिकारी कोड-2961 के निर्वहन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्नक-आई0डी0(1)

भवदीया

(स्मृति खंडूरी)
वित्त निदेशक

संख्या-39 / रा0नि0आ0-लेखा/3052/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(स्मृति खंडूरी)
वित्त निदेशक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
HOD-Commissioner State Election
Commission(2961)
Treasury-Cyber(1200)

DDO-State Election Commissioner(2961)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-H22040050003
आवंटन पत्र दिनांक-13-APR-2022

लेखा शीर्षक

2015-निर्वाचन

00--

109-पंजायती /स्थानीय निकायों को
चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार

02-राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय
निकायों आदि हेतु)

00-0


Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
02-मजदूरी	0	33000	0	33000
04-यात्रा व्यय	0	17000	0	17000
08-पारिश्रमिक	0	1683000	0	1683000
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0	33000	0	33000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	117000	0	117000
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	33000	0	33000
22-कार्यालय व्यय	0	233000	0	233000
23-किसादा, उपाशुल्क एवं कर स्वाधित	0	55000	0	55000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	33000	0	33000
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	167000	0	167000
29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	0	83000	0	83000
30-आतिथ्य व्यय	0	33000	0	33000
51-अनुरक्षण	0	33000	0	33000
योग	0	2553000	0	2553000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.25,53,000 (Rupees Twenty Five Lacs Fifty Three Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2204:0013

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


स्मृति खट्टी
वित्त नियंत्रक
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड।



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

स्मृति खंडूरी,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

उपायुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक- 44/रा0नि0आ0-लेखा/2949/2020

दिनांक- 20/07/2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक 2015-00-109-02 के अन्तर्गत धनराशि निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत करना है कि अपर सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनकर के आयोजन के लिए प्रभार-02-राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकाय आदि हेतु) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के शेष 08 माहों हेतु विभिन्न मानक मदों में रु० 187.12 लाख (रु० एक करोड़, सत्तासी लाख, बारह हजार मात्र) आयोग के निर्वतन हेतु अवमुक्त की गई है।

उक्त अवमुक्त धनराशि में द्धनबद्ध मदों (ग्लोबल बजटिंग) की धनराशि को छोड़कर संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0-H22070050028 दिनांक 19.07.2022 के अनुसार रु० 51.12 लाख (रु० इकानन लाख, बारह हजार मात्र) राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के आहरण वितरण अधिकारी कोड-2961 के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

संलग्नक:-आई0डी0(1)

भवदीय

(स्मृति खंडूरी)

वित्त नियंत्रक

संख्या- 44/रा0नि0आ0-लेखा/3052/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(स्मृति खंडूरी)

वित्त नियंत्रक



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
HOD-Commissioner State Election
Commission(2961)
Treasury-Cyber(1200)

DDO-State Election Commissioner(2961)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-H22070050028
आवंटन पत्र दिनांक-19-JUL-2022

लेखा शीर्षक

2015-निर्वाचन

00--

109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को
चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार

02-राज्य निर्वाचन आयोग(स्थानीय
निकायों आदि हेतु)

00-0

Voted

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	2	0	0
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग								
02-मजदूरी	33000	67000	0	100000								
04-पात्रा व्यय	17000	33000	0	50000								
08-पारिश्रमिक	1683000	3367000	0	5050000								
09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	33000	67000	0	100000								
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	117000	233000	0	350000								
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	33000	67000	0	100000								
22-कार्यालय व्यय	233000	467000	0	700000								
23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	55000	110000	0	165000								
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	33000	67000	0	100000								
27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	167000	333000	0	500000								
29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	83000	167000	0	250000								
30-आतिथ्य व्यय	33000	67000	0	100000								
51-अनुरक्षण	33000	67000	0	100000								
योग	2553000	5112000	0	7665000								

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.51,12,000 (Rupees Fifty One Lacs Twelve Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2207:0024

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

स्मृति खंडूरी
वित्त नियंत्रक
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड।



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

बालकराम बासवान,
उप सचिव(लेखा)।

सेवा में,

उपस्थित,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक- 1396 / रा0नि0आ0-लेखा/2949/2020

दिनांक: 02/03/23

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक 2015-00-109-02 के अन्तर्गत धनराशि निर्वहन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अगत कराना है कि अपर सचिव, नंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-02-राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकाय आदि हेतु) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कतिपय मानक मर्दानों में पुनर्विनियोग के माध्यम से रु० 3.00 लाख (रु० तीन लाख मात्र) की धनराशि आयोग के निर्वहन हेतु अवमुक्त की गई है।

अतः पुनर्विनियोग के माध्यम से उचमुक्त धनराशि को रु० 3.00 लाख (रु० तीन लाख मात्र) संलग्न अलॉटमेंट आई०डी०-H123030050001 दिनांक 02.03.2023 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के आहरण वितरण अधिकारी कोड-2961 के निर्वहन पर रखे जाने को स्विकृति प्रदान की जाती है।

संलग्नक-आई०डी०(1)

भवदीय

(बालकराम बासवान)
उप सचिव(लेखा)

संख्या-1396/रा0नि0आ0-लेखा/3052/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बालकराम बासवान)
उप सचिव(लेखा)



Print Date : 02/Mar/2023 02:48 PM

Signature valid

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2022-2023)

Digitally signed by: Mr Pradeep Kumar Singh
Reason: HOD E-Approval
Location: Cyber Town
Date and Time: 02/03/2023 14:48:52

Head of Department : Commissioner State Election Commission (2961)
Treasury-Cyber(1200)
DDO-State Election Commissioner(2961)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या - 005
लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H23030050001
आवंटन पत्र दिनांक - 02-MAR-2023

2015 विध्वंसन 00
109 पंचायतों/समाजिक निकायों के चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार 02 राज्य निर्वाचन आयोग(समाजिक निकायों आदि हेतु)
00 00

2 0 1 5 0 0 1 0 9 0 2 0 0 Voted

क्रम	मानक पर का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का अग्र	योग
1	20-संवत्स सामग्री एवं छपाई	350000	80000	319308	430000
2	22-कार्यालय खर्च	700000	60000	568557	760000
3	26-फर्म सूट्टा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुसंधान	100000	160000	68068	260000
	योग	1150000	300000	955933	1450000

Total Current Allocation To DDO In Above Schemes - Rs. 3,00,000 (Rupees Three Lacs Only)

Batch ID : DES:2961:2961:2303:0001

Approval Status : e-Sign letter



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लालपुर, मसूरी शईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

बालकृष्ण बंसवान,
उप सचिव(लेखा)

शेखा में,

सचिव,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांक-09 /राणि0आ0-ले0/3052/2021

दिनांक 10/04/23

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु शासन से प्राप्त बजट के सापेक्ष समर्पण की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजन-09-पंचायतो/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार 02-राज्य निर्वाचन आयोग (स्थानीय निकाय आदि हेतु) के अन्तर्गत शासन से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष बचत धनराशि ₹0 30,65,671.00 (₹0 तीस लाख, पचास हजार, छः सौ इकहत्तर मात्र) का समर्पण ऑनलाईन कर संलग्नक आवंटन आईडी संख्या-MS23030050001 दिनांक 31.03.2023 के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मुझे संलग्नक आवंटन आईडी संख्या-MS23030050001 दिनांक 31.03.2023 के द्वारा ₹0 30,65,671.00 (₹0 तीस लाख, पचास हजार, छः सौ इकहत्तर मात्र) के समर्पण किये जाने का निर्देश हुआ है।

अतः कृपया उक्त धनराशि का समर्पण स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोक्त

भवदीय

(बालकृष्ण बंसवान)

उप सचिव(लेखा)

संख्या-09 /राणि0आ0-लेखा/3052/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(बालकृष्ण बंसवान)

उप सचिव(लेखा)



Print Date -31/Mar/2023 13:17 PM

Signature valid

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष
(2022-2023)

Digitally signed by: Mr Pradeep Kumar Singh
Reason: HOD E-Authorized
Location: Cyber Time
Date and Time: 31-03-2023 13:27

HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)

Secretary Name-रक्षित, पंचायती राज(5034)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - HS23030050001

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 31-MAR-2023

लेखा शीर्षक -

2015 विभाजन 00
109 पंचायतों में ग्रामीण विकास के क्षेत्र के आयोजन के लिए प्रचार 02 राज्य निर्वाचन आयोग(पंचायती राज विभाग आदि में)
00 0

2 0 1 5 0 0 1 0 9 0 2 0 0

Voted

क्र.सं.	विवरण का नाम	पूर्व से समर्पण	वर्तमान से समर्पण	योग
1	01-वेतन	0	1301769	1301769
2	02-घरभूरी	0	2350	2350
3	03-महंगाई भत्ता	0	919154	919154
4	04-यात्रा खर्च	0	17138	17138
5	06-अन्य भत्ते	0	200189	200189
6	08-परिवहन	0	365562	365562
7	09-विक्रि मा प्रतिपूर्ति	0	73007	73007
8	20-वेतन सामग्री एवं छपाई	0	17	17
9	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	54	54
10	22-कार्यालय सभ्य	0	2	2
11	23-किराया, उपभूत व अन्य इलेक्ट्रिक व	0	165000	165000
12	25-उपयोगिता विला का भुगतान	0	3065	3065
13	26-कार्टर वूटर हाईवेयर एवं मशीनवेयर एवं अनुदान	0	85	85
14	27-सांख्यिक मजदूरी विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	5940	5940
15	29-माडिरी का संचालन अनुदान एवं इंधन मादि की खरीद	0	4152	4152
16	30-अतिरिक्त सभ्य	0	8165	8165
17	51-अनुदान	0	23	23
	योग	0	3065671	3065671

Total Current Surrender by HOD in Above Schemes - Rs. 30,65,671 (Rupees Thirty Lacs Fifty Five Thousand and Six Hundred Seventy One Only)

Batch ID : SUR:2961:2961:2303:0001

Approval Status : e-Sign letter



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
 HOD-Commissioner State Election
 Commission(2961)
 Treasury-Nainital(3600)

DDO-Officer Incharge Panchsthani Election Nainital(2962)

आवंटन पत्र संख्या -
 अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-H22040050002
 आवंटन पत्र दिनांक-12-APR-2022

लेखा शीर्षक

2015-निर्वाचन

00--

109-पंचायतों /स्थानीय निकाशों को
 चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार

03-राज्य निर्वाचन आयोग जिला उत्तरांच

00-0

Voted

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय		योग				
08-पारिश्रमिक				0	200000	0		200000				
योग				0	200000	0		200000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.2,00,000 (Rupees Two Lacs Only)

Batch ID : DJS:2961:2961:2204:0002

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

उप सचिव
 राज्य निर्वाचन आयोग
 उत्तरांचण्ड



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
HOD-Commissioner State Election
Commission(2961)

Treasury-Gopeshwar(4000)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Chamoli(2962)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-H22040050001
आवंटन पत्र दिनांक-12-APR-2022

लेखा शीर्षक:

2015-निर्वाचन

00..

103-पंचायतों /स्थानीय निकाशों का
चुनव के आयोजन के लिए प्रभार

03-राज्य निर्वाचन आयोग विता सूचीय

00-0

Voted

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
08-पारिश्रमिक		0	500000	0	500000							
योग		0	500000	0	500000							

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.5,00,000 (Rupees Five Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2204:0001

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

HOD-Commissioner State Election
Commission(2961)

Treasury-Haridwar(6500)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Haridwar(2962)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-H22040050019

आवंटन पत्र दिनांक-28-APR-2022

लेखा शीर्षक

2015-निर्वाचन

00--

109-पंचायती /स्थानीय निकायों को
चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार

03-राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय

00-0


Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
02-मजदूरी	0	200000	0	200000
04-यात्रा व्यय	0	5943000	0	5943000
07-मानदेय	0	200000	0	200000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	933000	0	933000
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	50000	0	50000
22-कार्यालय व्यय	0	100000	0	100000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	20000	0	20000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एव अनुरक्षण	0	100000	0	100000
29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एव ईंधन आदि की खरीद	0	2007000	0	2007000
42-अन्य विभागीय व्यय	0	3587000	0	3587000
योग	0	13140000	0	13140000

**Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,31,40,000 (Rupees One
Crore Thirty One Lacs Forty Thousand Only)**

Batch ID : DIS:2961:2961:2204:0015

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


स्मृति खंडूरी
वित्त नियंत्रक
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड।



सत्यमेव जयते

364

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाहपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

प्रभात कुमार सिंह,
उपायुक्त।

सेवा में,

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 322/रा0नि0आ0-ले0/3053/2021

दिनांक: 14.06.2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखाशीर्षक-2015-00-109-03 के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन।
गहोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अनुदान संख्या-005, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-05-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत रुतिपय मानक मर्दाने धनराशि निम्न तालिका में अंकित अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वहन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या	दिनांक	धनराशि रु0 में
1.	अल्मोडा	H220600500091	14-06-2022	1250000
2.	अधिकाधिक नाम	H220600500092	14-06-2022	1250000
3.	दमनपुर	H220600500093	14-06-2022	1500000
4.	नैनीताल	H220600500094	14-06-2022	2750000
5.	भगेश्वर	H220600500095	14-06-2022	1500000
6.	विभीतानन्द	H220600500096	14-06-2022	1500000
7.	उत्तरकाशी	H220600500097	14-06-2022	1500000
8.	रुमोली	H220600500098	14-06-2022	2500000
9.	रुद्रप्रयाग	H220600500099	14-06-2022	1500000
10.	पीटी गढ़वाल	H220600500100	14-06-2022	3250000
11.	देहरादून	H220600500101	14-06-2022	2500000
12.	देहरादून	H220600500102	14-06-2022	3000000
योग:-				28000000

महोदय

(प्रभात कुमार सिंह)
उपायुक्त।

संख्या- 322/रा0नि0आ0-लेखा/3053/2021 तददिनांक।

प्रतिक्रिया- निम्नलिखित को सूचनाय एव आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी उत्तराखण्ड। (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)

(प्रभात कुमार सिंह)
उपायुक्त।



समन्वयक जयन्त

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाहपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टेलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

स्मृति खड्गी,
वित्त नियंत्रक।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक : 450/राजनिआ0-सेवा/3053/2021

दिनांक: 21.07.2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखाशीर्षक-2015-00-109-03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मर्दों में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अधर सचिव, पंचायतीशक्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या-036, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-03-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत धनराशि आयोग के निर्दत्त हेतु अचमुक्त की गई है जिसमें से निम्न तालिका में अंकित अलाटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचस्थानि चुनावालयों के निर्वहन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्रमांक	जनरल का नाम	अलाटमेंट आई0डी0 संख्या	दिनांक	धनराशि रु0 में
1	शाल्मलि	H22070050029	21-07-2022	315000
2	जुलमसिंह नगर	H22070050030	21-07-2022	505000
3	चम्पना	H22070050031	21-07-2022	510000
4	नेत्रीलाल	H22070050032	21-07-2022	1235000
5	बाबोश्वर	H22070050033	21-07-2022	480000
6	प्रेमोत्तम	H22070050034	21-07-2022	720000
7	उत्तरजाही	H22070050035	21-07-2022	1300000
8	चमेली	H22070050036	21-07-2022	2240000
9	रुद्रप्रसाद	H22070050037	21-07-2022	270000
10	गौडी गडवाल	H22070050038	21-07-2022	790000
11	दिंडरी	H22070050039	21-07-2022	1730000
12	इन्द्रिय	H22070050040	21-07-2022	21590000
13	देहरादून	H22070050041	21-07-2022	590000
14	आयोग मुख्यालय	H22070050042	21-07-2022	2875000
योग-				33580000

भवदीया

(स्मृति खड्गी)
वित्त नियंत्रक।

संख्या- 450/राजनिआ0-सेवा/3053/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य/परिष्कृत, कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

(स्मृति खड्गी)
वित्त नियंत्रक।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

HOD-Commissioner State Election
Commission(2961)

Treasury-Cyber(1200)

DDO-State Election Commissioner(2961)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-H22070050042
आवंटन पत्र दिनांक-21-JUL-2022

लेखा शीर्षक

2015-निर्वाचन

00--

109-पंचायती /स्थानीय निकायों को
चुनाव के आयोजन के लिए मभर

03-राज्य निर्वाचन आयोग विशा शहरीय

00-0

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
07-मानदेय	0	1700000	0	1700000
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	0	650000	0	650000
24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	0	25000	0	25000
42-अन्य विभागीय व्यय	0	500000	0	500000
योग	0	2875000	0	2875000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.28,75,000 (Rupees Twenty Eight Lacs Seventy Five Thousand Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2207:0038

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

स्मृति खंडूरी
वित्त नियंत्रक
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
HOD-Commissioner State Election
Commission(2961)
Treasury-Nainital(3600)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Nainital(2962)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-H22090050001
आवंटन पत्र दिनांक-01-SEP-2022

सेखा शीर्षक

2015-निर्वाचन

00--

109-पंचायतों /स्थानीय निकायों को
चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार

03-राज्य निर्वाचन आयोग जिला हरीद्वार

00-0

Voted

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का खर्च		योग				
07-मानदेय				0	200000	0		200000				
योग				0	200000	0		200000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.2,00,000 (Rupees Two Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2209:0001

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

स्मृति खंडूरी
वित्त विचित्रक
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
HOD-Commissioner State Election
Commission(2961)
Treasury-U S Nagar(7500)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election U S Nagar(2962)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-H22090050003
आवंटन पत्र दिनांक-20-SEP-2022

श्रेष्ठा शीर्षक

2015-निर्वाचन

00--

105-पंचायतों /स्थानीय निकासों को
शुनास के आयोजन के लिए प्रभार
00-0

03-राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय


Voted

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग					
42-अन्य विभागीय व्यय				100000	200000	0	300000					
योग				100000	200000	0	300000					

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs. 2,00,000 (Rupees Two Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2209:0003

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


रश्मि खंडूरी
चित्त नियंत्रक
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
 HOD-Commissioner State Election
 Commission(2961)
 Treasury-Nainital(3600)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Nainital(2962)

आवंटन पत्र संख्या -
 अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-M22090650002
 आवंटन पत्र दिनांक-20-SEP-2022

सेवा शीर्षक

2015-निर्वाचन

00--

109-पंचायतों / स्थानीय निकायों को
 चुनाव के आयोजन के लिए 0भार

03-राज्य निर्वाचन अपोग जिला स्तरीय

00-0


Voted

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय		योग				
04-यात्रा व्यय				100000	300000	0		400000				
योग				100000	300000	0		400000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.3,00,000 (Rupees Three Lacs Only)

Batch ID : DTS:2961:2961:2209:0002

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


 स्मृति चौधरी
 वित्त नियंत्रक
 राज्य निर्वाचन अपोग
 उत्तरांचल



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
HOD-Commissioner State Election
Commission(2961)

Treasury-New Tehri(6100)

DDO-Officer Incharge Panchisthani Election Tehri(2962)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या-005

आवंटन आई डी-N22100050001
आवंटन पत्र दिनांक-06-OCT-2022

लेखा शीर्षक

2015-निर्वाचन

00--

109-पंचायतों /स्थानीय निकाशों का
चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार

03-राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय

00-0

Voted

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का अव्यय		योग				
07-मानदेय				100000	400000	0		500000				
योग				100000	400000	0		500000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.4,00,000 (Rupees Four Lacs Only)

Batch ID : DIS:2961:2961:2210:0001

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

उपायुक्त 06/10/22
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टेलीफैक्स : 0135- 2662251, 2662257

E-Mail : scc-uttarakhand@uk.gov.in

प्रेषक,

प्रभात कुमार सिंह,
उपायुक्त।

सेवा में

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, हरिद्वार एवं देहरादून।

पत्रांक : 1261 /रा0नि0आ0-ले0/3053/2021

दिनांक: 14/01/23

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु लेखाशीर्षक-2015-00-109-03 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अद्यतन कराना है कि नचिय, पंचवलीराज, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुदान संख्या-305, लेखाशीर्षक-2015-निर्वाचन-00-आयोजनेत्तर-109-पंचायतें/स्थानिय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-03-राज्य निर्वाचन आयोग (जिला स्तरीय) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वीकृत धनराशि आयोग के निर्वतन हेतु अधभुगत की गई है जिसमें से निम्न तालिका में अंकित अलटमेंट आई0डी0 के अनुसार धनराशि पंचास्थानि चुनावालयों के निर्वतन हेतु रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र.सं०	पंचायत का नाम	अलटमेंट आई0डी0 संख्या	दिनांक	धनराशि रु० में
1.	अल्मोड़ा	H23010050001	18-01-2023	75000
2.	ऊधमसिंह नगर	H23010050002	18-01-2023	200000
3.	चम्पावत	H23010050003	18-01-2023	50000
4.	हरिद्वार	H23010050004	18-01-2023	15872000
5.	देहरादून	H23010050005	18-01-2023	385000
योग:-				16582000

भयदीय

प्रभात कुमार सिंह
उपायुक्त।

संख्या-1261 /रा0नि0आ0-लेखा/3053/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभाती अधिकारी, पंचायतानि चुनावालय, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, हरिद्वार एवं देहरादून।
3. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, हरिद्वार एवं देहरादून।

प्रभात कुमार सिंह
उपायुक्त।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
 HOD-Commissioner State Election Commission(2961)
 Treasury-U S Nagar(7500)
 DDO-Officer Incharge Panchisthiani Election U S Nagar(2962)

आवंटन का संख्या -
 अनुदान संख्या-005

आवंटन आई टी- H23030050045
 आवंटन का दिनांक-20-MAR-2023

सेवा शीर्षक

2015-निर्गमन

00--

109-संसाधनों, वित्तीय निष्कर्षों को सुचारु में उपयोग के लिए प्रभार

0)-राज्य निर्वाचन आयोग/बल सचिव

00-0

00000

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0
मानक घट का नाम		पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का अग्र		योग				
29-गाड़ियों का संचालन अनुसंधान एवं ईंधन आदि को खरीद		300000		51000		14496		351000				
योग		300000		51000		14496		351000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.51,000 (Rupees Fifty One Thousand Only)

Batch ID: DIS.2961.2961.2303.0013

Approval Status: APPROVED BY OFFICER





बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
HOD-Commissioner State Election Commission(2961)
 Treasury-Almora(3700)
 DDO-Officer Incharge Panchsathan ElectionAlmora(2962)

अवधि का सत्र :
 अनुदान क्रमांक-005

अवधि आई.टी.ए. 23020050036
 आवंटन का दिनांक : 03-MAR-2023

वैधता शीर्षक

2015-निर्वाचन
 103-प्रशासकीय सेवाओं के निदेशों को लागू करने के अंतर्गत के लिए धन
 00-3

CO
 03-राज्य निर्वाचन आयोग के लिए जारी

2	0	1	5	0	0	1	0	0	0	3	0	0
मानक मद का नाम						पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग			
02-नकदनी						3	15000	0	15000			
29-गाइडों का सनातन अनुभव एवं ईंधन आदि की खर्च						100000	50000	81766	150000			
योग						100000	65000	81766	165000			

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.65,000 (Rupees Sixty Five Thousand Only)

Batch ID : CJS:2961-2961-2303:0012
 Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(बालकृष्ण बिसवान)
 उप सचिव (लेखा)
 राज्य निर्वाचन आयोग
 उत्तराखण्ड



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
 HOD-Commissioner State Election Commission(2961)
 Treasury-U S Nagar(7500)
 DDO-Officer Incharge Farukhistan Election U S Nagar(2962)

आवंटन का प्रकार -
 अनुदान संख्या-105

आवंटन अहं सी-23030050037
 आवंटन का दिनांक- 10-MAR-2023

पैदा संश्लेषक

2015-निर्वाचन
 109-व्ययसही स्थानीय निकासों के इकाय के आवंटन के लिए जारी
 09-0

09-0

03-7500 निर्वाचन आयोग जिला अहं

वोट

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0
मानक बट का नाम		पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का बट		वोट				
20-वेक्षण सान्नी एड उपार्ज		500000		200000		41586		70000				
29-गादिपो का सनातन अनुसंधान एण ईवन अदि की अर्जि		1000000		300000		54257		300000				
योग		1500000		220000		105843		370000				

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.2,20,000 (Rupees Two Lacs Twenty Thousand Only)

Branch ID : DCS:2961:2961 2303:0003

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(बालक राम बंसियान)
 उप सचिव (लेखा)
 राज्य निर्वाचन आयोग
 उत्तराखण्ड



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
 HOD-Commissioner State Election Commission(2961)
 Treasury-Champawat(8900)
 DDO-Officer Incharge Panchisohani Election Champawat(2952)

अवधि एवं संख्या -
 अनुदान संख्या-005

आवक आई टी-नं-2703003003E
 अवधि एवं दिनांक-10-MAR-2023

लेखा शीर्षक:

20-5-निर्वाचन

00-

100-पंचायतों/कार्यक्रमों के कर्मियों के अर्थव्यय के लिए 0था
 00-0

03-राज्य निर्वाचन आयोग किता करीब

वोट

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0	
मूलक मद का नाम				पूर्व में जारी			वर्तमान में जारी			अब तक का व्यय		योग	
20-लेखन सामग्री एवं छापें				50000			30000			₹		80000	
योग				50000			30000			₹		80000	

Total Current Allotment To DDO In Above Schemas-Rs.30,000 (Rupees Thirty Thousand Only)

Barcode D:\5.2961\2961\2303\0004

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(बालक राम-बासवान)
 उप सचिव (लेखा)
 राज्य निर्वाचन आयोग
 उत्तराखण्ड।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
HOD-Commissioner State Election Commission(2961)
 Treasury-Uttarkesh (4100)
 DDO-Officer Incharge PanchisUhs. Election Uttarkashi(2962)

आवंटन का बंख -
 अनुदान संख्या-309

आवंटन अर्ध क्रो-H2303-1090039
 आवंटन पर तिथि-: 0-MAR-2023

सेखा अधिकार

100-5-निर्वाचन
 100-पंचायती/स्थानीय तहसीलों को प्रत्येक के आवंटन के लिए 0000
 00-6

00--
 03-राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी

वक्र 3

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0
घाटिक संद को नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का खय		रुप		
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण						0		50000		0		50000
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुदान						0		100000		0		100000
योग						0		150000		0		150000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,50,000 (Rupees One Lac Fifty Thousand Only)

Batch ID : D15-2961-2961-2303-0065

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(बालकराम बसिदान)
 उप सचिव (लेखा)
 राज्य निर्वाचन आयोग
 उत्तराखण्ड



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
 HOD-Commissioner State Election Commission(2961)
 Treasury-Gopeshwar(4300)
 DDO-Officer Incharge Panchiethari Election Chamoli(2962)

आवंटन पत्र संख्या -
 अनुदान सङ्ख्या-005

अवधि आई डी- H23C3D050043
 आवंटन का तिनांक-10-MAR-2023

सेवा: वीथक

2015-निर्वाचन
 DDO-पंचायत स्थानीय निर्माण को बुना के अर्थात के
 लिए धरा
 00-0

CO-
 00-राज्य निर्वाचन आयोग जिला खामो

वोट

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0
खनक मद्र का नाम		पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग				
20-सेवन यानत्री एवं फर्नाई		200000		50000		171653		250000				
21-कार्पेटिव फर्नाईर एवं उपकरण		50000		30000		50000		30000				
22-कार्पेटिव व्यय		130000		50000		102519		180000				
26-कम्प्युटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुसंधान		60000		90000		60000		130000				
योग		490000		220000		384182		660000				

Total Current Allotment To DDO in Above Schemes-Rs.2,20,000 (Rupees Two Lacs Twenty Thousand Only)

Batch ID : DIS:2951:2951:2303:0006

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(बालेकराम आसिधान)
 उप सचिव (नेत्रा)
 राज्य निर्वाचन आयोग
 उत्तराखण्ड।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
 HOD-Commissioner State Election Commission(2961)
 Treasury-New Tehn(6160)
 DDO-Officer Incharge Panchstmani Election Tehn(2962)

आवंटन का सक्षम
 अनुदान संख्या-CUS

आवंटन आई डी H230300000041
 आवंटन का तिनांक-10-MAR-2023

लेखा शीर्षक

20-5-निर्वाचन
 105-पञ्चपासी,सुपरीम रिजर्वी की पुनर्वा के आवंटन के लिए अन्तर
 CO-U

CO-

CO-उप निर्वाचन आवंटन वित्त सक्षम

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0
समक मद का नाम	पूर्व से जारी		इतिहास से जारी		अब तक का खय		पेया					
02-नकद	500000		646000		0		1345000					
04-पानी खय	475000		310000		258900		765000					
21-कार्यालय फनीवर एवं उपकरण	45000		50000		6576		95000					
22-कार्यालय खय	40000		20000		0		50000					
26-कम्प्युटर हाडवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुप्रयण	45000		30000		0		75000					
42-अन्य विभागीय खय	550000		50000		504840		600000					
योग	1855000		1306000		813716		2961000					

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.13,06,000 (Rupees Thirteen Lacs Six Thousand Only)

Batch ID : DTS.2961.2961.2303.0307

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(बालकराय अमिषान)
 उप सचिव (लेखा)
 राज्य निर्वाचन आयोग
 अहराक्षपड



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
 HOD-Commissioner State Election Commission(2961)
 Treasury-Haridwar(6500)
 PPO-Officer Incharge Panchsathan Election Haridwar(2962)

आवंटन पत्र संख्या -
 अनुदान संख्या-005

आवंटन आई.टी.नं.23020253042
 आवंटन का दिनांक-13-MAR-2023

नेट्टा सीमांक

2023-निर्वाचन

03-

100 परसपॉर्न/स्थानिक निर्वाचनों का चुनाव के अर्थोत्तर के लिए PPR
 00-3

03-राज्य निर्वाचन आयोग बिहार संघीय

Voted

2	0	1	5	9	0	1	0	9	0	3	0	0			
मानक संद का नाम												योग			
पूर्व में जारी				वर्तमान में जारी				अब तक का व्यय							
02-मजदूरी					290000					200000			190000		500000
21-कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण					50000					60000			44000		140000
22-कार्यालय व्यय					100000					100000			97007		200000
योग												350000	260000	340007	510000

Total Current Allotment To PDD In Above Schemes-Rs. 2,60,000 (Rupees Two Lacs Sixty Thousand Only)

Batch ID : DJS.2961:2961:2303:0038

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(बालकृष्ण शर्मा)
 उप सचिव (नैपथ)
 राज्य निर्वाचन आयोग
 उत्तराखण्ड



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
 HOD-Commissioner State Election Commission(2961)
 Treasury-Delradun(0100)
 DDO-Officer Incharge Panclisutan, Election Dehradun(2962)

आवंटन पर कलमा -
 आवंटन संख्या-005

आवंटन आई.टी.-230300500-5
 आवंटन पर दिनांक-10-MAR-2023

संस्था शीर्षक

2015-निर्वाचन
 109-गठबंधन/हार्मोनिक विकल्पों को चुनाव के आयोजन के
 लिए सहाय
 00-0

DD-
 02-मान्य निर्वाचन आयोग जिला उत्तरि

40000

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अवशेष का प्रत्येक		योग				
DE-परिश्रमिक				0	400000	0		400000				
योग				0	400000	0		400000				

Total Current Allotment To DDD In Above Schemes-Rs.4,00,000 (Rupees Four Lacs Only)

Batch ID : 015:2961:2961 2303:0009

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

(बालकराम बसुपति)
 उप सचिव (संस्था)
 राज्य निर्वाचन आयोग
 उत्तराखण्ड।

प्रश्न-

ओमकार सिंह,
अधर तहसिल
उत्तराखण्ड शासन

लेख नं०

उपायुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

लेखा
25/10/23
(ओमकार सिंह)
उपायुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पद्यायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक - दिसम्बर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक की स्वीकृतियां निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय

उपयुक्त विषयक आपके पत्र सं०-1-28/ सं०नि०आ०-ले०/3053/2022 दिनांक 08/12/2022, वित्त अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 82469/2022 दिनांक 09/12/2022 एवं शासनादेश संख्या-391/9(150)2019/xxviii/2022 दिनांक 24 जून, 2022 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किए जाने हेतु प्राविधानित धनराशियों के तापेक्ष सलग्न अलॉटमेंट आर्डर/विवरणानुसार अर्थात् ₹ 15832 हजार (₹ 1.58 करोड़ अर्थात् एक लाख बत्तीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निर्वहन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहित स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-391 दिनांक 24 जून, 2022 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या-08 के अनुसार Global Budgeting का अनुपालन किया जाय।
2. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है कि जिस व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय इशानुसृतिका अध्याय मूल आदेशों के अधीन राक्षण अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त से पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।
3. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निर्वहन पर रखी जा रही है कि उक्त धन में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। भित्तव्यय का सारा में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय। व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
4. 42-अन्य विभागीय व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि इस प्रतिबन्ध के अधीन निर्गत की जा रही है कि उक्त धनराशि नियमानुसार आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किरतों में आहरित एवं व्यय की जाय।

आवंटन पत्र संख्या -86519/2023

आवंटन आई ई-523010050001

अनुदान श्रेणियाँ -005

आवंटन तारीख दिनांक-15-JAN-2023

लेखा शीर्षक	2015-निर्वाचन	00-
	109-पंचायतों /ग्रामीण विकासों की पुनर्गठन के आयोजन के लिए प्रभार	03-एचए निर्वाचन आयोग द्वारा द्वितीय
	00-0	वोट

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	शेष
02-अन्य विभागीय व्यय	10760000	15832000	0	26592000
योग	10760000	15832000	0	26592000

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.1,58,32,000 (Rupees One
Crore Fifty Eight Lacs Thirty Two Thousand Only)**

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


प्रेषक,

ओमकार सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

1
लोग
82-3-23

सेवा में,

वित्त नियंत्रक,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक : फरवरी, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1327/रा.नि.आ.-ले./3052/2022 दिनांक 09 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-1328/रा.नि.आ.-ले./3052/2022 दिनांक 09 फरवरी, 2023 के सन्दर्भ में भुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2022-23 में अनुदान संख्या-005 के अन्तर्गत सुरसंगत लेखाधीर्षक में किए गये प्रस्तावानुसार उपलब्ध बचतों में सलग्न बी.एम.-9 के अनुसार कुल रु0 1941 हजार (रु0 उन्नीस लाख इकतालिस मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- पुनर्विनियोग से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है। वित्तीय उपबन्धों तथा प्राविधानों एवं-निर्देशों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्वय विचलन करने पर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होंगे।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जाएगा तथा व्यय में मितव्ययता के विषय में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये रुनस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2023 तक कर लिया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर शासन को ससमय उपलब्ध कराई जाय।

4- धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि जिन योजनाओं से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया जा रहा है, उनमें धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो तथा पुनर्विनियोग किये जाने पर उन योजनाओं के कार्य प्रभावित नहीं होंगे। साथ ही वित्त विभाग के सभी सुसंगत नियमों/शासनानुदेशों एवं प्रक्रियाओं के क्रम में ही उक्त धनराशि अत्युक्त/व्यय की जाएगी।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-005 के अन्तर्गत लेखापीठक-2015 के सुसंगत मन्क मदों के नाम डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशा.संख्या--101885/XXVII-4/2023 दिनांक 23 फरवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक :- अलोटमेंट आईडी।

भददीय,

Signed by Omkar Singh

Date: 01-03-2023 14:35:48

(ओमकार सिंह)

उपर सचिव

संख्या: तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महासंचालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 3- वित्त अधिकारी, साईबर कोषागार, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- बजट एवं राजकोषीय संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड राधिकालय, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- सॉर्ट फाईल।

(शिवेन्द्र नारायण सिंह)

उपर सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)

Secretary-Secretary, Panchayati
Raj(S034)

HOD-Commissioner State Election
Commission(2961)

आवंटन पत्र संख्या -49210

आवंटन अर्डर नं.-S23030050001

अनुदान श्रेणी -065

आवंटन पत्र दिनांक-02-MAR-2023

रेखा शीर्षक

2015-निर्वाचन

00--

109-पंचायतों /स्थानीय तहसीलों को
पुनर्गठन के अर्थोपार्जन के लिए अंतर

02-राज्य निर्वाचन आयोग(न्यायिक
क्रियाएँ अदि हेतु)

00-0

Voted

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	2	0	0
मालक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का धन्य		योग				
20-लेबर सम्मर्ग एवं उपार्इ				350000	80000	0		430000				
22-कार्यालय खर्च				700000	60000	0		760000				
26-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुदान				100000	160000	0		260000				
योग				1150000	300000	0		1450000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.3,00,000 (Rupees Three
Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, Panchayati
Raj(S034)

HOD-Commissioner State Election
Commission(2961)

आवंटन पत्र संख्या -4924C

आवंटन आई डी-S23030050002

अनुदान संख्या -005

आवंटन पत्र दिनांक-02-MAR-2023

लेखा श्रेणिक

2015-निर्वाचन

00-

109-पंचायती /स्थानीय निकायों का
चुनाव के आयोजन के लिए पत्र

03-राज्य निर्वाचन अधिनियम
अधीन

00-0

Voted

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0	
मानक मद का नाम													
पूर्व में जारी						वर्तमान में जारी			अब तक का व्यय		योग		
02-मजदूरी						700000			961000		0		1661000
21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण						400000			190000		0		590000
22-कार्यालय व्यय						650000			270000		0		920000
26-कन्स्यूमर हाईवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुसंधान						365000			220000		0		585000
योग						2115000			1641000		0		3756000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs. 16,41,000 (Rupees Sixteen Lacs Forty One Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

बजट समर्पण वित्तीय वर्ष
(2022-2023)

Digitally signed by M. Prakash Kumar Singh
Reason: HOD E-Authorization
Location: GATEWAY
Date and Time: 31-Mar-2023 22:23:48

HOD Name - आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)

Secretary Name - सचिव, पंचायती राज(S034)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई टी - HS23030050002

अनुदान संख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 31-MAR-2023

लेखा शीर्षक -

2015 निर्वाचन 00 -
109 पंचायती राज भारतीय सरकारों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभाव 03 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी
00 0

2 0 1 5 0 0 1 0 9 0 3 0 0 Yoted

क्रम	मानक मंत्र की नाम	पूर्व में समर्पण	वर्तमान में समर्पण	अंतर
1	01-वेतन	0	495460	-495460
2	02-मकदूरी	0	110456	-110456
3	03-महंगाई भत्ता	0	323100	-323100
4	04-यात्रा खर्च	-1421000	5704481	-7125481
5	06-अन्य भत्ते	0	120320	-120320
6	07-मानदेय	-300000	1021274	-1321274
7	08-पारिश्रमिक	0	720274	-720274
8	10-प्रशिक्षण खर्च	0	10000	-10000
9	20-लेजल मामलों एवं इशारों	0	330781	330781
10	21-कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण	0	198428	-198428
11	22-कार्यालय खर्च	0	347487	-347487
12	24-विज्ञापन, चित्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर खर्च	0	75679	-75679
13	25-उपयोगिता: दिनों का भुगतान	0	222906	-222906
14	26-बैक टूटर हाइड्रेटर एवं मॉप्टरेटर एवं अनुरक्षण	0	12634	-12634
15	28-जाहिरों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खर्च	0	894235	-894235
16	42-अन्य विभागीय खर्च	-220000	9856358	-10076358
	योग	-1841000	20438868	22379868

Total Current Surrender by HOD In Above Schemas - Rs 2,04,38,868 (Rupees Two Crores Four Lacs Thirty Eight Thousand Eight Hundred Sixty Eight Only)

Batch ID : SUR:2961:2961:2303:0003

Approval Status : e-Sign letter



बजट समर्पण वित्तीय वर्ष (2022-2023)

Digitally signed by: Mr Prashant Kumar Singh
Reason: I HOD E-Approval
Location: Cyber Town
Date and Time: 2023.04.12 15:35:15

HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)

Secretary Name-सचिव, पंचायती राज(S034)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - HS23030050310

अनुदान सख्या - 005

आवंटन पत्र दिनांक - 31-MAR-2023

लेखा शीर्षक -

2015	निर्वाचन	00	
108	पंचायतों / पंचायतीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग विभागा स्तरीय
00	0		

2	0	1	5	0	0	1	0	9	0	3	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Voted

क्रम	व्ययक मद का नाम	पूर्व में समर्पण	वर्तमान में समर्पण	योग
1	26-बजट प्रूटन हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	0	66400	-66400
	योग	0	66400	-66400

Total Current Sumender by HOD in Above Schemes - Rs. 66,400 (Rupees Sixty Six, Thousand Four Hundred Only)

Batch ID : SUR:2961:2961:2304:000300

Approval Status : e-Sign letter



**बजट समर्पण वित्तीय वर्ष
(2022-2023)**

Digitally signed by: Mr. Preet Singh
Reason: HOD E-Approval
Location: Cyber Town
Date and Time: 18-04-2023 16:53:33

HOD Name -आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग(2961)

Secretary Name-सचिव, पंचायती राज(S034)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या - 005
लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H523030050011

आवंटन पत्र दिनांक - 31-MAR-2023

2015	निर्वाचन	00	
109	पंचायतों / ग्रामीण विकासों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार	03	राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय
00	0		

2 0 1 5 0 0 1 0 9 0 3 0 0

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में समर्पण	वर्तमान में समर्पण	योग
1	अ-पत्रा व्यय	-1421000	740	-1421740
	योग	-1421000	740	-1421740

Total Current Surrender by HOD in Above Schemes - Rs. 740 (Rupees Seven Hundred Forty Only)

Batch ID : SUR:2961;2961;2304-000842

Approval Status : a-Sign letter

मैनुअल-12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें अर्बटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्यौरे सम्भलित है-

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड से संबंधित नहीं है।

=====

मैनुअल-13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्र या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टतां-
सूचना शून्य।

.....

मैनुअल-14

इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उनको उपलब्ध हों या उनके द्वारा धारित हो:-

राज्य की सभस्त नागर स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन-2008, 2013 एवं 2018 तथा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2008 व 2014 व 2019 (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) तथा जिला योजना समिति सामान्य निर्वाचन-2014 एवं 2021 के मतगणना परिणाम, जनपद हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2010, 2015 एवं 2022 के मतगणना परिणाम, निर्वाचक नामावली (नागर स्थानीय निकाय), राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण व राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन पंचास्थानि चुनावपालयों के दूरभाष नम्बर तथा अधिसूचनायें आदि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की वेबसाईट sec.uk.gov.in पर जनसाधारण के सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं।

मैनुअल-15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशेषताएं जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यक्रम घंटे सम्मिलित हैं-

1. राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड का मुख्यालय जनसामान्य के लिए प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक सप्ताह में राजकीय अवकाश को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है एवं आयोग के अधिकारी व्यक्तिगत तथा दूरभाष पर इस दौरान उपलब्ध रहते हैं तथा आयोग के नियंत्रणाधीन जनपदों में स्थित पंचास्थानि पुनाचालय जनसामान्य के लिए प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक सप्ताह में राजकीय अवकाश को छोड़कर सोमवार से शनिवार तक खुले रहते हैं एवं उनके अधिकारी व्यक्तिगत तथा दूरभाष पर इस दौरान उपलब्ध रहते हैं।
2. प्रमुख सूचनाओं राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की वेबसाइट sec.uk.gov.in पर प्रदर्शित की गयी हैं।

मैनुअल-16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशेषताएं:-

राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी निम्नवत् नामित हैं:-

राज्य स्तर पर (मुख्यालय)

विभागीय अपीलीय अधिकारी		लोक सूचना अधिकारी		सहायक लोक सूचना अधिकारी	
पदनाम	दूरभाष	पदनाम	दूरभाष	पदनाम	दूरभाष
1	2	3	4	5	6
उपायुक्त	0135-2670998 7302254902	सहायक आयुक्त	0135-2670998 7302254903	—	—

जिलास्तर

जिलास्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन पंचायतस्थानि चुनावालय स्थापित है अतः दोनों अलग-अलग कार्यालय होने के फलस्वरूप समस्त जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रभारी अधिकारी पदभिहीत किये गये हैं। जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी निम्नवत् नामित हैं:-

क्र. सं.	विभागीय अपीलीय अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी
1	पदनाम	पदनाम	पदनाम
2	3	4	
1.	जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी	प्रभारी अधिकारी पंचायतस्थानि चुनावालय	तहा जि. निर्वा. अधि.

राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रणाधीन प्रत्येक जनपद में स्थित पंचायतस्थानि चुनावालयों में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त/तैनात हैं। जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं./जनपद	पदनाम	दूरभाष संख्या
1	2	3
1. अल्मोड़ा	सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी	05962-232828
2. लखमसिंहनगर	—तदेव—	05944-245783
3. बम्हावा	—तदेव—	05965-230386
4. नैनीताल	—तदेव—	05942-248436
5. पिथौरागढ़	—तदेव—	05964-225392, 225236
6. बागेश्वर	—तदेव—	05963-221375, 220757
7. उत्तरकाशी	—तदेव—	01374-222613
8. चमोली	—तदेव—	01372-253469
9. टिडरी गढ़वाल	—तदेव—	01376-232884, 232603
10. देहरादून	—तदेव—	0135-2726732
11. पौड़ी गढ़वाल	—तदेव—	01368-222061, 222454, 223911
12. रुद्रप्रसाद	—तदेव—	01364-233812
13. हरिद्वार	—तदेव—	01334-239454

मैनुअल-17

ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय-

1. नगर पंचायत केलाखेड़ा एवं नगर पंचायत शक्तिगढ़ के अध्यक्ष पदों का उप निर्वाचन कर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-71/रा0नि0आ0अनु0-3/2634/2019 दिनांक 26.04.2022।
2. नगर निगम, रुद्रपुर के वार्ड संख्या-13, वार्ड संख्या-36 तथा नगर निगम हरिद्वार के वार्ड संख्या-09 एवं वार्ड संख्या-80 के रिक्त सभासद पदों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-173/रा0नि0आ0अनु0-3/2634/2019 दिनांक 19.05.2022।
3. नगर पालिका परिषद चमौली-गाणेश्वर के अध्यक्ष पद, न0पा0परि0 किच्छा के वार्ड-02, न0पा0परि0 रामनगर के वार्ड-16, न0पा0परि0 बागेश्वर के वार्ड-01, न0पा0परि0 चिन्वालीसौड़ के वार्ड-08, नगर पंचायत पोखरी के वार्ड 06, न0पा0परि0 शौड़ी के वार्ड-11, न0पा0परि0 लक्सर के वार्ड-04, न0पा0परि0 डीडीहाट के वार्ड-01 एवं नगर पंचायत कालादूंगी के वार्ड-04 के सदस्य पदों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-174/रा0नि0आ0अनु0-3/2634/2019 दिनांक 19.05.2022।
4. उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-288/रा0नि0आ0अनु0-2/3041/2021 दिनांक 08.06.2022।
5. जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायत सदस्यों, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के पदों पर सामान्य निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-612/रा0नि0आ0अनु0-2/4024/2022 दिनांक 01 सितम्बर, 2022।
6. जनपद हरिद्वार के जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों पर सामान्य निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-888/रा0नि0आ0अनु0-2/4042/2022 दिनांक 07 अक्टूबर, 2022।
7. जनपद हरिद्वार के प्रमुखों के सामान्य निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-889/रा0नि0आ0अनु0-2/4032/2022 दिनांक 07 अक्टूबर, 2022।
8. उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-1027/रा0नि0आ0अनु0-2/4053/2022 दिनांक 18 नवम्बर, 2022।
9. जनपद हरिद्वार के उप प्रधानों के पदों पर सामान्य निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-1317/रा0नि0आ0अनु0-2/4076/2023 दिनांक 08 उपय निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-916/रा0नि0आ0अनु0-2/4044/2022 दिनांक 12 अक्टूबर, 2022।

=====